मातृभाषा हिंदी शिक्षण

लेखक

कृष्ण गोपाल रस्तोगी • किशोरी लाल शर्मा • निरंजन कुमार सिंह
रवि कान्ता चोपड़ा • जय नारायण कौशिक

संपादक

रवि कान्ता चोपड़ा
आनन्द प्रकाश व्यास

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक का निर्माण परिषद् के अध्यापक शिक्षा और विशेष शिक्षा विभाग की डॉ. (श्रीमती) रवि कान्ता चोपड़ा, प्रवाचक ने डॉ. कृष्ण गोपाल रस्तोगी, डॉ. किशोरी लाल शर्मा, श्री निरंजन कुमार सिंह तथा डॉ. जयनारायण कौशिक के सहयोग से किया है। इसके लिए इन विषय-विशेषज्ञों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

मैं पाठ्यपुस्तक के प्रथम प्रारूप को परिष्कृत करने के लिए आयोजित कार्यगोष्ठियों में भाग लेने वाले भाषा विशेषज्ञों तथा अनुभवी हिंदी अध्यापक प्रशिक्षकों—डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया, श्री निरंजन कुमार सिंह और कु. कमला क्षत्रिया के प्रति उनके मूल्यवान योगदान के लिए विशेष आभार प्रकट करता हूँ।

मैं प्रो.एम.जी. चतुर्वेदी और प्रो.आर.पी. श्रीवास्तव के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक की पाण्डुलिपी का पुनरीक्षण तथा समीक्षा कर उसके संशोधन हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

पुस्तक का संपादन तथा संयोजन डॉ. (श्रीमती) रवि कान्ता चोपड़ा ने उत्साह, परिश्रम तथा लगन से किया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा कौशल सीखने संबंधी कठिनाइयों के निदान एवं उपचार के लिए अपनाई जाने वाली अद्यतन युक्तियों तथा उपकरणों को उन्होंने विभिन्न भाषा कौशल-शिक्षण के मॉड्यूलों में उचित ढंग से समाविष्ट किया है। इस महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए वे साधुवाद की पात्र हैं। पुस्तक की पाण्डुलिपि को संपादित करने के लिए उन्हें डॉ. आनन्द प्रकाश व्यास का सक्रिय योगदान प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं डॉ. व्यास के प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

पुस्तक के निर्माण हेतु संगठनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए अध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा और विशेष शिक्षा विभाग का मैं आभारी हूँ।

आशा है प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षकों, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों तथा अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। पुस्तक का उपयोग करने वाले पाठकों के सुधार संबंधी सुझावों का परिषद् स्वागत करेगी।

अशोक कुमार शर्मा
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

नई दिल्ली

संपादकीय

विद्यालयी शिक्षा की गुणात्मकता का आधार है अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता। हमारे देश में अध्यापक शिक्षा विशेषतः प्राथमिक अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यधिक सैद्धांतिक होता है तथा पाठ्यसामग्री पुरानी परिपाटी पर आधारित। इस बात को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अध्यापक शिक्षा और विशेष शिक्षा विभाग ने हाल ही में प्राथमिक अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या में अनेक महत्त्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इसी संदर्भ में मातृभाषा हिंदी शिक्षण के पाठ्यक्रम को भी आज की विद्यालयी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक का निर्माण भी इसी दिशा में एक कदम है। यह पुस्तक अपनी विषयवस्तु तथा लेखन शैली की दृष्टि से मातृभाषा हिंदी शिक्षण पर उपलब्ध साहित्य से कुछ हटकर है। इसकी प्रमुख विशिष्टता है—'मॉड्यूलर पद्धति' पर आधारित विषयवस्तु का संयोजन।

प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में 22 मॉड्यूल हैं। ये मॉड्यूल तीन प्रकार के हैं। पहले प्रकार के मॉड्यूलों में छात्राध्यापकों के ज्ञान विस्तार के लिए विषयवस्तु समुन्नयन संबंधी सामग्री प्रस्तुत की गई है। दूसरे प्रकार के मॉड्यूल भाषा कौशलों और विभिन्न साहित्यिक विधाओं की शिक्षण विधियों, मूल्यांकन पद्धतियों तथा पाठ योजनाओं से संबंधित हैं। तीसरे प्रकार के मॉड्यूल मातृभाषा शिक्षण के नवीन आयामों तथा पक्षों, जैसे—प्राथमिक स्तर के लिए निर्धारित भाषा के न्यूनतम अधिगम स्तर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विद्यालयी पाठ्यचर्या के केंद्रिक घटक, शैक्षणिक उपकरण तथा जनसंचार माध्यम, मातृभाषा शिक्षण से संबंधित सह-शैक्षणिक कार्यकलाप आदि पर प्रकाश डालते हैं। भाषा कौशलों के शिक्षण के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालकों, यथा—दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों के भाषा कौशल सीखने संबंधी कठिनाइयों के निदान एवं उपचार के लिए विशेष शिक्षण युक्तियों एवं मार्गदर्शक बिन्दुओं को समाहित किया गया है।

प्रत्येक मॉड्यूल की प्रस्तावना में विवेचित विषय की पृष्ठभूमि तथा उसमें संजोए गए कैप्सूलों का परिचय दिया गया है। विषय की आवश्यकता के अनुरूप इन मॉड्यूलों में 1 से 4 तक कैप्सूल रखे गए हैं। प्रत्येक कैप्सूल में विषय से संबंधित उप-विषयों पर चर्चा की गई है। कैप्सूलों में समरूपता लाने के लिए निम्नलिखित रूपरेखा को यथासंभव अपनाया गया है

1. व्यवहारगत उद्देश्य 2. विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण 3. अभ्यास कार्य 4. सारांश तथा 5. मूल्यांकन।

व्यवहारगत उद्देश्यों में कैप्सूल विशेष के द्वारा जो लक्ष्य संप्राप्त किए जाने हैं और छात्राध्यापकों में जो प्रतिफल तथा व्यवहार परिवर्तन अपेक्षित हैं, उनका सरल तथा स्पष्ट भाषा में उल्लेख किया गया है। विषयवस्तु की प्रस्तुति उद्देश्य-वार इकाई के रूप में की गई है। इसके स्पष्टीकरण के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों तथा पूरक

पुस्तकों से उदाहरण एवं दृष्टांत लिए गए हैं। प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण **बाल केंद्रित** तथा **स्वतः अधिगम पद्धति** पर आधारित हो इसके लिए प्रत्येक शिक्षण इकाई के पश्चात् उसके सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित अभ्यास कार्य सुझाए गए हैं। इन अभ्यास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित युक्तियों के बारे में आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। कैप्सूल विशेष में वर्णित मुख्य बिन्दुओं को अलग से सारांश रूप में दिया गया है। छात्राध्यापक विषय को कितना समझ पाए हैं, इसकी जाँच करने के लिए प्रत्येक कैप्सूल के अंत में मूल्यांकन के रूप में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पुस्तक के अंत में छात्राध्यापकों एवं अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए संदर्भ ग्रंथों की सूची देना आवश्यक समझा गया क्योंकि मॉड्यूल विशेष के अंतर्गत सब कुछ देना संभव नहीं हो सकता। इससे उत्साही छात्राध्यापक तथा अध्यापक प्रशिक्षक अपनी रुचि के प्रकरणों के विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अध्यापक प्रशिक्षकों से हमारी यह अपेक्षा है कि वे मातृभाषा शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बनाने के लिए स्वयं भी विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ तथा युक्तियाँ अपनाएँ, साथ ही अपने प्रशिक्षणार्थियों को भागीदार बनाकर उन्हें भी विभिन्न विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। यहाँ हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्रस्तावित अभ्यास कार्य तथा पाठ योजनाएँ सुझाव मात्र हैं। अध्यापकबंधु स्वयं भी विभिन्न प्रकार के भाषा-अभ्यास तथा रोचक क्रियाकलापों का आयोजन करके, छात्र-प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करें, जिससे मातृभाषा शिक्षण वास्तविक अर्थ में व्यावहारिक एवं प्रभावपूर्ण बन सके।

हमें आशा है कि इस पुस्तक में प्रस्तुत विचार छात्राध्यापकों को मातृभाषा हिंदी शिक्षण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अपेक्षित अन्तर्दृष्टि प्रदान करेंगे। इससे उनमें विभिन्न प्रकार के शैक्षिक विचारों का स्फुरण होगा और वे कक्षा में अच्छे ढंग से मातृभाषा शिक्षण कार्य करने में सफल होंगे।

संपादक

विषय-सूची

गांधी जी का जन्तर

तुम्हें एक जन्तर देता हूं । जब भी तुम्हें सन्देह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ :

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा । क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा ? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा ? यानि क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है ?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है ।

मो० क० गांधी

मॉड्यूल–1

मातृभाषा का महत्त्व और शिक्षण उद्देश्य

1.0 प्रस्तावना

बालक अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से स्वतः एक भाषा सीखता है, वही उसकी मातृभाषा या प्रथम भाषा कहलाती है। मातृभाषा को बालक अपने प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा, सहज परिवेश में सीखता है। वह अपने आस-पास की वस्तुओं, घटनाओं, दृश्यों, प्राणियों और क्रियाओं को देखता है और उनसे संबंधित भाषा व्यवहार को सुनता और देखता है। इस प्रकार प्राप्त अनुभवों की स्थायी प्रतिमाएँ उसके मस्तिष्क पर अंकित होती जाती हैं। इन अनुभवों के विकास के साथ-साथ व्यक्ति की भाषाई क्षमताओं का भी निरन्तर विकास होता जाता है।

मातृभाषा का जीवन और शिक्षा से गहरा संबंध है। यह विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला मात्र एक विषय या अन्य विषयों की शिक्षा का माध्यम ही नहीं, अपितु विद्यार्थियों के दैनिक जीवन का अविभाज्य अंग भी है। व्यक्तित्व के निर्माण और बालक के संज्ञानात्मक विकास में मातृभाषा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः यह आवश्यक है कि इसके शिक्षण में विशेष सावधानी बरती जाए।

अतः यहाँ मातृभाषा के महत्त्व के अनुरूप शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं तथा शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर न्यूनतम अधिगम स्तरों के निर्धारण पर चर्चा की गई है।

इस मॉड्यूल में दो कैप्सूल दिए गए हैं :

कैप्सूल 1.1 मातृभाषा का महत्त्व तथा पाठ्यक्रम में उसके स्थान से संबंधित हैं।

कैप्सूल 1.2 मातृभाषा-शिक्षण के उद्देश्यों तथा निर्धारित न्यूनतम अधिगम स्तरों पर प्रकाश डालता है।

कैप्सूल 1.1

मातृभाषा का महत्त्व और पाठ्यक्रम में उसका स्थान

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल का अध्ययन करने के पश्चात् आप :

1. भाषा की प्रकृति तथा विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।
2. मातृभाषा के महत्त्व पर चर्चा कर सकेंगे।
3. पाठ्यचर्या में मातृभाषा के स्थान को बता सकेंगे।
4. मानक भाषा एवं बोलियों में अंतर कर सकेंगे।

1.1.1 भाषा की प्रकृति तथा विशेषताएँ

मातृभाषा शिक्षण के महत्त्व के संबंध में विचार करने से पूर्व यह उचित होगा कि हम भाषा की प्रकृति के विषय में चर्चा कर लें। भाषा भाव, विचार तथा अनुभवों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। भावों का प्रकाशन व्यक्ति कई प्रकार से करता है, जैसे—अंग संचालन द्वारा, वस्तु अथवा चित्र दिखाकर, विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से और भाषा व्यवहार द्वारा। परन्तु केवल अंग संचालन और विभिन्न क्रियाओं द्वारा भावों की अभिव्यक्ति में वैसी पूर्णता नहीं होती जैसी ध्वनि संकेतों द्वारा होती है।

भाषा व्यवहार के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति दो रूपों में करता है—बोलकर और लिखकर। मौखिक तथा लिखित रूप में विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा लिया जाता है। भाषा ध्वनि प्रतीकों से निर्मित होती है। अतः भाषा को सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था कहा जाता है जिसके द्वारा किसी समाज के लोग आपस में अपने भावों तथा विचारों का आदान-प्रदान बोलकर या लिखकर करते हैं।

भाषा की प्रकृति की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं :

1. भाषा संप्रेषण अर्थात् अभिव्यक्ति और बोधन का सर्वश्रेष्ठ साधन है, जो मूलतः सामाजिक और पारंपरिक होती है।
2. भाषा एक अर्जित सामाजिक निधि है, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को इसे सीखना होता है और यह समाज में रहकर ही संभव होता है। कोई व्यक्ति इसे जन्म से ही प्राप्त नहीं कर लेता है। वह जिस समाज में रहता है, उस समाज की भाषा वह सीख लेता है। भाषा का यह अर्जन उसी प्रकार होता है जैसे बालक अन्य सामाजिक आचरण या क्रियाकलापों को सीखता है। यह सिद्ध हो चुका है कि यदि किसी बालक को काफी लम्बे अरसे तक समाज से अलग रखा जाए और उसे किसी की बात सुनने का अवसर न दिया जाए तो वह बालक गूंगा न होते हुए भी मनुष्य की तरह बोलने में असमर्थ होगा।
3. भाषा विविध रूपी होती है। जहाँ एक ओर भाषा के अनेक रूप उसके बोलने वाले समाज के वर्ग तथा स्तर-भेद के अनुसार होते हैं, वहीं, उस समाज के इतिहास और भूगोल (भौगोलिक वितरण) के अनुसार भी भाषा के अनेक रूप होते हैं। इस प्रकार सामाजिक वर्ग-भेद के अनुसार विभिन्न जातियों या सामाजिक वर्गों की विभिन्न बोलियाँ होती हैं, विभिन्न व्यावसायिक वर्गों की विभिन्न बोलियाँ होती हैं और वर्ग में स्तर-भेद के अनुसार उच्च, मध्य और निम्न वर्ग की बोलियाँ होती हैं। इन सभी भौगोलिक, सामाजिक आदि बोलियों में मानक बोली भी एक होती है,

जिसे उच्च स्तर पर शिक्षा, साहित्य, राजकाज, जनसंचार, पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है।

4. भाषा की संरचना—वाक्य को भाषा की व्यावहारिक इकाई माना जाता है, अर्थात् वक्ता सदैव 'वाक्य' बोलकर अपने आशय को व्यक्त करता है, और श्रोता सदैव वाक्यार्थ ही समझता है। वाक्य उपवाक्य या/और पदबंध से, उपवाक्य/पदबंध शब्द/पद से, तथा शब्द/पद रुपिम से निर्मित होते हैं, और वर्णों (ध्वनि और लिपि चिह्न दोनों रूपों में) के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। इस प्रकार आधुनिक भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा की संरचना के निम्नलिखित स्तर माने जाते हैं :

वाक्य
उपवाक्य
पदबंध
शब्द
रुपिम
स्वनिम/लेखिम (वर्ण)

भारतीय परंपरा में वाक्य, पद और वर्ण के रूप में इनके तीन स्तर माने गये हैं। भाषा की संरचना के प्रत्येक स्तर पर रूप और अर्थ की चर्चा की गई है।

आप भाषा की प्रकृति तथा विशेषताओं से परिचित हो चुके हैं। अब निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा अपने अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग कीजिए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ हिंदी की संरचना के स्तरों के उदाहरण लिखिए।	उदाहरण लिखिए
❑ हिंदी की भौगोलिक/सामाजिक बोलियों की सूची बनाइए।	सूची बनाइए

1.1.2 मातृभाषा का महत्त्व

मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माता की भाषा अथवा 'माता से ग्रहण की गई भाषा'। इसका आशय यह नहीं कि बालक केवल माता से ही भाषा सीखता है। वह पिता, भाई-बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों से भी सीखता है। किन्तु बालक बचपन में माँ अथवा पालन-पोषण करने वाली धाय के निकट सबसे अधिक रहता है, इसलिए इस दौरान सीखी गई भाषा को मातृबोली या मातृभाषा की संज्ञा दी जाती है। मातृभाषा ही यदि बालक के परिवेश की भी भाषा हो, तो वह उसके माध्यम से व्यापक समाज से सम्पर्क करता है और उसी के मानक रूप द्वारा आगे औपचारिक शिक्षा पाता है।

इसीलिए औपचारिक शिक्षा में मातृभाषा का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की उस भाषा से होता है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र का पढ़ा लिखा समाज विचारों का आदान-प्रदान या सम्प्रेषण करता है। सुस्पष्टता की दृष्टि से घर की बोली को 'माता की बोली' तथा समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को 'मातृभाषा' कह सकते हैं। मातृभाषा का समाज स्वीकृत मानक रूप ही सामान्यतः शिक्षा का माध्यम बनता है जिसे बालक शिक्षाक्रम में सीखता है।

मातृभाषा का जीवन तथा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्त्व है। इसी के माध्यम से हम बोलते, लिखते, विचार करते और शिक्षा ग्रहण करते हैं। यही हमारे स्वप्नों तथा अनुभूतियों की भाषा है। मातृभाषा के महत्त्व को निम्नलिखित ढंग से प्रतिपादित किया जा सकता है :

1. **संज्ञानात्मक विकास और चिन्तन का साधन :** जन्म के बाद बालक के संज्ञानात्मक विकास के साथ-साथ उसमें मातृभाषा का विकास भी होता है। प्रारंभिक वर्षों में संज्ञानात्मक विकास और भाषा-विकास साथ-साथ होते हैं, किन्तु शीघ्र ही भाषा बालक के आगे के बौद्धिक विकास का साधन बन जाती है, उसके चिन्तन और बोधन का आधार बन जाती है। अतः प्रारंभिक अवस्था में मातृभाषा के विकास का रूप और स्तर उसके भविष्य के बौद्धिक जीवन और सृजनशीलता का आधार बन जाता है।
2. **विचार विनिमय का साधन :** मातृभाषा विचारों के आदान-प्रदान का सर्वोत्तम साधन है। अपने विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति बालक जितनी सहजता, स्पष्टता एवं प्रभावी रूप से अपनी मातृभाषा में कर सकता है उतनी किसी अन्य भाषा में नहीं। मातृभाषा ही सहज एवं नैसर्गिक भाषा होती है। इसमें भाव और विचार स्वतः स्फुरित होते, बनते और व्यक्त होते हैं। इसी के माध्यम से बालक अपने आस-पास के लोगों के साथ संबंध स्थापित करता है, दैनिक जीवन के छोटे-बड़े सभी कार्यकलापों में भाग लेता है।
3. **शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम :** विश्व के सभी शिक्षाशास्त्री तथा भाषा-मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मातृभाषा ही हो सकती है। उनकी मान्यता है कि जितनी सरलता और स्वाभाविकता से मातृभाषा के माध्यम से बालक शिक्षा प्राप्त करता है, किसी अन्य भाषा के माध्यम से नहीं। अन्य भाषाओं के माध्यम से विविध विषयों को सीखने में उसे अपेक्षाकृत अधिक समय तथा मानसिक शक्ति लगानी पड़ती है। जबकि मातृभाषा में सीखे गए विषयों को वह सहज तथा स्थायी रूप से आत्मसात करता जाता है।
4. **व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला :** बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों—शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के विकास में मातृभाषा का सबसे अधिक योगदान है। बचपन में मातृभाषा में ही माँ उसे लोरियाँ सुनाकर सुलाती है और दादी-नानी किस्से-कहानियाँ सुनाकर उसका मन बहलाती है। मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। विचार तथा भाषा का अटूट संबंध है। जिस बालक का अपनी मातृभाषा पर जितना अधिक अधिकार होगा, उसकी विचार शक्ति उतनी ही तीव्र होगी। वह मानसिक तथा बौद्धिक रूप से उतना ही अधिक परिपक्व होगा।

मातृभाषा में लिखी नीति संबंधी कहानी, लेख, नाटक, कविता आदि के अध्ययन से बच्चों का नैतिक विकास होता है। वह अच्छे चारित्रिक गुणों को ग्रहण करते हैं।

सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाने में भी मातृभाषा सहायक होती है। आरंभ में बालक अपने परिवारजनों, आस-पास के लोगों तथा विद्यालय के सहपाठियों के ही संपर्क में आता है। वह उनसे विचारों का आदान-प्रदान करता है, अपने समवयस्कों के साथ खेलता है, लड़ता-झगड़ता है और फिर उन्हीं के साथ प्रेमपूर्वक मिलकर रहना भी सीखता है। इन सभी क्रियाओं को वह मातृभाषा के माध्यम से ही करता है। धीरे-धीरे उसमें सामाजिक गुण एवं सामाजिक कुशलताएँ विकसित होने लगती हैं जो समाज का उपयोगी सदस्य बनने में उसकी सहायता करती हैं।

बालक मातृभाषा के माध्यम से अपने समुदाय की सांस्कृतिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, आदर्शों तथा जीवन मूल्यों से परिचित होता है और उनमें आस्था रखने लगता है। यहीं से उसके सांस्कृतिक जीवन का विकास आरंभ हो जाता है।

उपर्युक्त चर्चा से आप यह भली-भाँति समझ गए होंगे

कि मातृभाषा की शिक्षा का बालक के जीवन में क्या महत्त्व है। साथ ही मातृभाषा और मातृबोली के अंतर को भी जान गए होंगे। आइए, इसी संबंध में अब कुछ अभ्यास कार्य करें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम क्यों होना चाहिए?	चर्चा कीजिए
❑ शिक्षा का उद्देश्य बालक का संपूर्ण विकास करना है। मातृभाषा के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार होती है? इस संबंध में कुछ क्रियाकलाप भी सुझाइए।	चर्चा कीजिए और क्रियाकलापों की सूची बनाइए

1.1.3 मातृभाषा का पाठ्यचर्या में स्थान

मातृभाषा का विद्यालयी पाठ्यचर्या में महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला एक विषय मात्र ही नहीं, अन्य विषयों को सीखने का माध्यम भी है। भाषा के माध्यम से जो मूलभूत कौशल अर्जित किए जाते हैं वे अन्य विषय क्षेत्रों की संकल्पनाओं को समझने-सीखने में भी सहायता करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिस बालक में मातृभाषा की पकड़ जितनी अधिक होती है वह उतनी सरलता और शीघ्रता से अन्य विषयों का ज्ञानार्जन कर लेता है। साथ ही मातृभाषा के साहित्य की समझ भी उसकी उतनी ही व्यापक होती है। इस दृष्टि से यह उपयुक्त है कि जिस भाषा में बालक बोलता, सोचता और कल्पना करता है वही भाषा उसकी शिक्षा का माध्यम भी हो ताकि अध्ययन किए जाने वाले विषयों को सही ढंग से समझने, उन पर स्वतंत्र रूप से चिन्तन करने तथा उन्हें स्पष्ट और प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करने में आसानी हो। इसी कारण सभी शिक्षाविदों ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा का माध्यम सभी स्तरों पर, विशेषकर प्रारंभिक स्तर पर, मातृभाषा ही होनी चाहिए।

शिक्षण की दृष्टि से भी अध्यापक विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण जितने स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण ढंग से मातृभाषा के माध्यम से कर सकते हैं उतना संभवतः किसी अन्य भाषा में नहीं। मातृभाषा में दिए गए उदाहरण, दृष्टांत और उद्धरण विषयवस्तु को अधिक सरल, रोचक और ग्राह्य बना देते हैं।

मातृभाषा की उपयोगिता को देखते हुए यह अनिवार्य है कि उसे विद्यालयी पाठ्यचर्या में सर्वोच्च स्थान दिया जाए। प्रारंभिक कक्षाओं में उसके अध्ययन पर अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक समय लगाया जाए, क्योंकि वही सभी विषयों के अध्ययन-अध्यापन का आधार है। परन्तु अक्सर देखने में आता है कि विद्यालयों में मातृभाषा के अध्ययन-अध्यापन पर अपेक्षित बल नहीं दिया जाता। अध्यापकों की सारी शक्ति विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों के शिक्षण पर केन्द्रित रहती है। किंतु भाषा पर पूर्ण अधिकार न होने के कारण बालकों में इन विषयों की सूझ-बूझ भी अधूरी ही रह जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि मातृभाषा के अध्ययन-अध्यापन को शिक्षा का केन्द्र बिन्दु मानकर चला जाए ताकि बालकों में भाषा-कौशलों का विकास हो सके तथा उनकी अभिव्यक्ति में स्पष्टता, ज्ञान में गंभीरता, कल्पना-शक्ति में मौलिकता और अंतःवृत्तियों में सजगता आए। तभी उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सकेगा।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ मातृभाषा को शिक्षा का केन्द्र बिन्दु क्यों मानना चाहिए?	चर्चा कीजिए

1.1.4 मानक भाषा और बोलियाँ

आइए, अब भाषा का मानक रूप किसे कहते हैं इस पर चर्चा करें। किसी भाषा-क्षेत्र के पढ़े-लिखे, और शिष्ट लोग विचार-विनिमय, कार्य-व्यापार, शिक्षा, साहित्य, धर्म, राजनीति आदि में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह उस क्षेत्र की मानक या आदर्श भाषा मानी जाती है। यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है। इसमें एकरूपता होती है। यही भाषा शिक्षा का माध्यम होती है। सामान्यतः इसी में पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती हैं। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। उस भाषा क्षेत्र के अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी इसी भाषा को सीखने और बोलने का प्रयत्न करते हैं। मानक भाषा का लिखित रूप उसके मौखिक रूप की अपेक्षा अधिक परिष्कृत होता है, परन्तु उसका मौखिक रूप लिखित की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक होता है।

'बोली' किसी सीमित क्षेत्र या सीमित व्यवसाय-समुदाय की भाषा को कहते हैं। इसकी शब्दावली सीमित और व्याकरणिक रूप, उच्चारण आदि मानक भाषा के समान सुस्थिर नहीं होते, उनमें विभिन्नता अधिक रहती है। प्रत्येक भाषा क्षेत्र में कई बोलियाँ होती हैं। जो उस क्षेत्र के सामाजिक वर्ग-भेद और स्तर भेद पर आधारित होती हैं। प्रत्येक बोली की अपनी विशेषताएँ होती हैं।

उपर्युक्त चर्चा के आधार पर आप भाषा और बोलियों में निम्नलिखित अंतर कर सकते हैं :

1. भाषा का क्षेत्र विस्तृत और बोली का क्षेत्र सीमित होता है।
2. भाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ होती हैं।
3. भाषा अधिक व्याकरण सम्मत होती है जबकि बोली में व्याकरणिक भेद अधिक होते हैं।
4. भाषा का शब्द भंडार बोली की अपेक्षा व्यापक होता है।
5. भाषा मानक होती है, बोलियों में मानकता कम होती है।
6. साहित्यिक, शैक्षिक; राजनैतिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों में भाषा के मानक रूप का प्रयोग किया जाता है, बोलियों का नहीं।
7. भाषा सामान्यतः लिखित होती है और बोलियाँ सामान्यतः अलिखित।

अभ्यास कार्य

- ❑ भाषा और बोली का अन्तर बताने वाले लक्षणों को लिखिए और उनके लिए उदाहरण दीजिए।

निर्देश

सोदाहरण लिखिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. भाषा की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं :
   (क) भाषा संप्रेषण का साधन है।
   (ख) भाषा एक अर्जित सामाजिक निधि है।
   (ग) भाषा विविध रूपी होती है।
   (घ) भाषा की संरचना के प्रमुख स्तर हैं—वाक्य, पद और वर्ण।
2. मातृभाषा का जीवन तथा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्त्व है। इसकी उपयोगिता को चार रूपों में दर्शाया जा सकता है : (i) संज्ञानात्मक विकास और चिन्तन का साधन, (ii) विचार विनिमय का साधन, (iii) शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम, तथा (iv) व्यक्तित्व के विकास की आधार शिला।
3. विद्यालयी पाठ्यक्रम में मातृभाषा के दो प्रयोग हैं : एक,

विषय के रूप में तथा दूसरा अन्य पाठ्य विषयों के माध्यम के रूप में।

4. भाषा और बोलियों में मुख्य चार अंतर हैं :
   (क) भाषा का क्षेत्र विस्तृत परन्तु बोली का क्षेत्र सीमित होता है।
   (ख) भाषा में अनेक बोलियाँ होती हैं। बोलियों से भाषा का विकास होता है।
   (ग) भाषा व्याकरण सम्मत होती है परन्तु बोली के व्याकरणिक रूप में अस्थिरता रहती है।
   (घ) बोली का प्रयोग जनसाधारण अपने निजी व्यवहार में करता है।
   (ङ) भाषा के मानक रूप का प्रयोग साहित्यिक, शैक्षिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है।

मूल्यांकन

1. भाषा की परिभाषा दीजिए तथा उसकी विशेषताओं के आधार पर उसकी प्रकृति निर्धारित कीजिए।
2. मातृभाषा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए पाठ्यचर्या में उसका स्थान निश्चित कीजिए।
3. भाषा का मानक रूप किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए।

कैप्सूल 1.2

मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य तथा निर्धारित न्यूनतम अधिगम स्तर

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन करने के पश्चात् आप :

1. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों को समझ कर उनमें अन्तर कर सकेंगे।
2. मातृभाषा में प्राथमिक स्तर के लिए निर्धारित न्यूनतम अधिगम स्तरों का कक्षावार वर्णन कर सकेंगे।

1.2.1 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य

अब तक आप मातृभाषा की प्रकृति, उसके महत्त्व तथा पाठ्यक्रम में उसके स्थान के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आइए, अब मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा करें।

मातृभाषा भाव-प्रकाशन तथा भाव-ग्रहण करने का महत्त्वपूर्ण साधन है। यह वह शक्ति है जिसके माध्यम से मानव स्वयं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है और दूसरों के विचारों को समझता है। प्रारंभ में बालक अपने परिवार के सदस्यों से अनौपचारिक ढंग से मातृभाषा में सुनना और बोलना सीखता है। परन्तु मातृभाषा के मानक रूप की विधिवत् शिक्षा उसे विद्यालय में ही प्राप्त होती है। वहाँ ही उसे भाषा के चारों कौशलों—सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना—को औपचारिक रूप से विकसित करने के अवसर मिलते हैं। भाषा और साहित्य का ज्ञान भी बालक को वहीं प्राप्त होता है। इससे उसे भाषा के तत्वों, वैचारिक विषयवस्तु, रचना के विविध रूपों तथा साहित्य की विविध विधाओं की जानकारी मिलती है। बालक की सृजनात्मक शक्तियों, साहित्यिक रुचि तथा सद्वृत्तियों का विकास करना भी मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है।

इस दृष्टि से हम प्राथमिक (प्रा.) तथा उच्च प्राथमिक (उ.प्रा.) स्तर पर मातृभाषा के रूप में हिंदी-शिक्षण के उद्देश्यों को चार भागों में बाँट सकते हैं— (क) ज्ञानात्मक, (ख) कौशलात्मक, (ग) सृजनात्मक, और (घ) अभिवृत्यात्मक।

(क) ज्ञानात्मक उद्देश्य

1. भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना (प्रा. तथा उ.प्रा.)
2. वैचारिक विषयवस्तु का ज्ञान प्राप्त करना (प्रा. तथा उ.प्रा.)
3. रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना (प्रा. तथा उ.प्रा.)

(ख) कौशलात्मक उद्देश्य

4. बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना (प्रा. तथा उ.प्रा.)
5. प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना (प्रा. तथा उ.प्रा.)
6. बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना (प्रा. तथा उ.प्रा.)
7. प्रभावी ढंग से लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना (प्रा. तथा उ.प्रा.)

(ग) सृजनात्मक उद्देश्य

8. भाषा-कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना (उ.प्रा.)

(घ) अभिवृत्यात्मक उद्देश्य

9. मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना (प्रा. तथा उ.प्रा.)
10. सद्वृत्तियों का विकास करना (प्रा. तथा उ.प्रा.)

शिक्षा-मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार के तीन पक्ष मानते

हैं— ज्ञान, कौशल और भाव। इस दृष्टि से मातृभाषा शिक्षण के उपर्युक्त दस उद्देश्यों में प्रथम तीन उद्देश्य ज्ञानपक्ष से, दूसरे पाँच कौशल पक्ष से तथा अंतिम दो भाव पक्ष से संबंधित हैं। व्यवहार के तीनों पक्ष परस्पर संबंधित हैं। ज्ञान संबंधी उद्देश्य आधारभूत हैं। इनकी सहायता से अन्य सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है। कौशल संबंधी उद्देश्य दूसरों से विचारों का आदान-प्रदान करने और शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। भाव संबंधी उद्देश्यों के अनुसार साहित्यिक रुचि जागृत होती है और जीवन मूल्य तथा सद्वृत्तियाँ विकसित होने में सहायता मिलती है।

स्पष्टीकरण की दृष्टि से प्रत्येक उद्देश्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है—(क) विषयवस्तु और (ख) अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। विषयवस्तु के माध्यम से विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना तथा भाषा संबंधी योग्यताएँ विकसित करना ही मातृभाषा शिक्षा का उद्देश्य है। इस दृष्टि से प्राथमिक (प्रा.) और उच्च प्राथमिक (उ.प्रा.) स्तर पर इन शिक्षण उद्देश्यों की विषयवस्तु तथा तत्संबंधी अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है।

1. भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना

विषयवस्तु

भाषा के तत्त्व

(क) ध्वनियाँ :

1. उच्चारण
2. लेखन (लिपि चिह्न या वर्ण)

(ख) शब्द :

1. शब्द भेद (संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि)
2. शब्द रचना (उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास)
3. शब्द भंडार (शब्द—पर्याय, विलोम आदि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ)

(ग) वाक्य रचना :

1. पदबंध
2. वाक्य रचना

अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन

1. विद्यार्थी भाषिक तत्त्वों को पहचान सकेगा।
2. वह भाषिक तत्त्वों के भेदक लक्षणों को ध्यान में ला सकेगा।
3. वह उनमें से अशुद्धियों को पहचान सकेगा।
4. वह उपयुक्त उदाहरण दे सकेगा।
5. वह विभिन्न प्रकार की सामग्री की तुलना कर सकेगा।
6. वह उनमें परस्पर अंतर कर सकेगा।
7. वह उनमें परस्पर संबंध स्थापित कर सकेगा।
8. वह उनका विश्लेषण कर सकेगा।
9. वह उनका संश्लेषण कर सकेगा।
10. वह उनका वर्गीकरण कर सकेगा।

2. रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना

विषयवस्तु

(क) मौखिक रचना के विविध रूप

1. संवाद
2. वर्णन करना

अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन

प्रथम उद्देश्य में वर्णित सभी अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन

3. कहानी कहना
4. भाषण (उ.प्रा.)
5. वाद-विवाद (उ.प्रा.)
6. बाल गीत
7. पहेलियाँ पूछना
8. सस्वर वाचन
9. सस्वर कविता पाठ

(ख) लिखित रचना के विविध रूप

1. वर्णन
2. कहानी
3. संवाद
4. पत्र
5. जीवनी

3. वैचारिक विषयवस्तु का ज्ञान प्राप्त करना

(टिप्पणी : यह शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण सामान्य लक्ष्य है जिसकी पूर्ति में सभी विषयों के शिक्षण का योगदान होना आवश्यक है। मातृभाषा शिक्षण की इस संदर्भ में विशेष भूमिका है)

विषयवस्तु

(क) तथ्य एवं घटनाएँ
(ख) सामान्य ज्ञान
(ग) जीवन अनुभूतियाँ
(घ) सांस्कृतिक मूल्य
(ङ) पौराणिक साहित्य

अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन

प्रथम उद्देश्य में वर्णित सभी अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन

4. बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना

विषयवस्तु

1. वार्तालाप
2. आदेश-निर्देश
3. कथन
4. वर्णन
5. भाषण
6. वाद-विवाद

अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन

1. विद्यार्थी धैर्यपूर्वक सुनेगा।
2. वह सुनने के शिष्टाचार का पालन करेगा।
3. मातृभाषा की ध्वनियों में विभेद कर सकेगा।
4. वह सुनी हुई सामग्री का विषय जान सकेगा।
5. वह सुनकर महत्त्वपूर्ण तथ्यों, विचारों और भावों को समझ सकेगा।

7. कविता पाठ
8. सस्वर वाचन

6. वह सुने हुए तथ्यों और विचारों का परस्पर संबंध समझ सकेगा।
7. वह स्वर के उतार-चढ़ाव, बल तथा स्वराघात के अनुसार कथन के अर्थ समझ सकेगा।
8. वह सुनी गई बात के केन्द्रीय भाव या विचार को समझ सकेगा।
9. वह सुनी हुई सामग्री का सार ग्रहण कर सकेगा।
10. वह कहानी, कविता, संवाद आदि सुनकर उनका आनन्द ले सकेगा।
11. वक्ता के मनोभावों (हर्ष, क्रोध, आश्चर्य, घृणा, करूणा आदि) को समझ सकेगा।
12. वह औपचारिक तथा अनौपचारिक कथन में भेद कर सकेगा।

5. प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना

विषयवस्तु

1. वार्तालाप
2. आदेश
3. निर्देश
4. वर्णन
5. कथन
6. भाषण
7. वाद-विवाद
8. कविता पाठ

अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन

1. विद्यार्थी श्रवणीय स्वर में बोल सकेगा।
2. वह शुद्ध उच्चारण, उचित बलाघात और अनुतान के साथ बोल सकेगा।
3. वह संदर्भ के अनुसार उचित गति तथा मुद्रा के साथ बोल सकेगा (केवल उ.प्रा.)।
4. वह उचित विराम के साथ बोल सकेगा (केवल उ.प्रा.)।
5. वह संदर्भ के अनुसार शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों का बोलने में प्रयोग कर सकेगा।
6. वह व्याकरण की दृष्टि से बोलने में सही भाषा का प्रयोग कर सकेगा।
7. वह बोलते समय अर्थ के अनुसार शब्दों, पदबंधों और वाक्यांशों का क्रम निर्धारण कर सकेगा।
8. वह विभिन्न प्रकार के वाक्यों का सही प्रयोग कर सकेगा।
9. वह निजी भावों और विचारों को स्पष्ट, सरल और प्रभावपूर्ण ढंग से बोलकर अभिव्यक्त कर सकेगा।

10. वह बोलते समय विषय की क्रमबद्धता, सुसंबद्धता और एकता को बनाए रखेगा।
11. वह प्रसंग तथा विषयवस्तु के अनुसार बोलने में विविध शैलियों का प्रयोग कर सकेगा (उ.प्रा.)।

6. बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना

विषयवस्तु

1. शब्द
2. पदबंध
3. वाक्य
4. अनुच्छेद
5. रचना
6. वर्णन
7. कहानी
8. पत्र
9. संवाद
10. नाटक
11. कविता
12. जीवनी
13. आत्मकथा

अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन

1. विद्यार्थी धैर्यपूर्वक और एकाग्रचित होकर पढ़ सकेगा।
2. वह शुद्ध उच्चारण तथा उचित बलाघात और अनुतान के साथ पढ़ सकेगा।
3. वह विराम चिह्नों के साथ पढ़ सकेगा।
4. वह प्रसंग और सामग्री के अनुकूल गति के साथ पढ़ सकेगा।
5. वह सामग्री में निहित भावों और विचारों के अनुसार पढ़ सकेगा।
6. वह पढ़कर शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों को उचित संदर्भ में समझ सकेगा।
7. वह पढ़कर मुख्य तथ्यों और विचारों को समझ सकेगा।
8. वह उनमें परस्पर संबंध समझ सकेगा।
9. वह पठित सामग्री के केन्द्रीय विचार और सार को समझ सकेगा।
10. वह पठित सामग्री की परस्पर तुलना कर सकेगा।
11. वह पठित तथ्यों, विचारों और भावनाओं का मूल्यांकन कर सकेगा (उ.प्रा.)।
12. वह भावों, विचारों और तथ्यों को पढ़कर उनके परस्पर संबंध को समझ सकेगा (उ.प्रा.)।

7. प्रभावी ढंग से लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना

विषयवस्तु

(लिखित अभिव्यक्ति के रूप)

1. वर्ण
2. शब्द

अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन

1. विद्यार्थी सुलेख के पाँचों तत्वों— स्वच्छता, स्पष्टता, बनावट, शिरोरेखा तथा गति को ध्यान में रखते हुए लिख सकेगा।

3. वाक्य
4. अनुच्छेद
5. रचना
6. वर्णन
7. पत्र–आवेदन पत्र
8. संवाद
9. निबंध
10. कहानी
11. आत्मकथा

2. वह सही वर्तनी का प्रयोग करते हुए शब्द लिख सकेगा।
3. वह लिखते समय विराम चिह्नों का यथोचित प्रयोग कर सकेगा।
4. वह लेखन कार्य को अनुच्छेदों में बाँटकर लिख सकेगा।
5. वह लिखते समय व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकेगा।
6. वह लेखन में संदर्भ के अनुसार शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
7. वह लिखते समय वाक्य में शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों का क्रम अर्थानुकूल रख सकेगा।
8. वह प्रसंगानुकूल सामग्री का प्रस्तुतीकरण लिखित रूप में कर सकेगा।
9. वह लिखते समय विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन कर सकेगा।
10. वह लिखित अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता, सुसम्बद्धता और एकता बनाए रखेगा।
11. वह लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति कर सकेगा।
12. लेखन की अपनी शैली विकसित कर सकेगा (उ.प्रा.)।

8. भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना

विषयवस्तु

उपर्युक्त सभी भाषा कौशलों—सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के अन्तर्गत परिगणित विषयवस्तु।

अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन

1. मौलिक रूप से अपने आप को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त कर सकेगा (उ.प्रा.)।
2. सर्जनात्मक श्रवण और पठन की योग्यता विकसित कर सकेगा (उ.प्रा.)।

9. मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना

विषयवस्तु

(क) भाषा—रूप, प्रयोग, क्षेत्र और शैली
(ख) साहित्य—रूप, शैली और इतिहास

अ ़क्षित व्यवहार परिवर्तन

1. विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ सकेगा।
2. वह रुचिपूर्ण कविताएँ कंठस्थ कर सकेगा।
3. वह कक्षा तथा विद्यालय के साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा।
4. वह कक्षा तथा विद्यालय-पत्रिका में योगदान दे सकेगा।
5. वह विद्यालय के साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा (केवल उ.प्रा.)।
6. वह साहित्यिक पत्रिकाएँ तथा साहित्यकारों के चित्र एकत्रित कर सकेगा (केवल उ.प्रा.)।

10. सद्वृत्तियों का विकास करना

(टिप्पणी : यह शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य है जिसकी पूर्ति में सभी विषयों के शिक्षण का योगदान वांछित है। मातृभाषा शिक्षण की इस संदर्भ में विशेष भूमिका है।)

विषयवस्तु

सद्वृत्तियाँ :

(क) आस्था (विश्वास)
(ख) प्रेम
(ग) श्रद्धा
(घ) संवेदनशीलता
(ङ) सहृदयता

अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन

1. विद्यार्थी भारतीय संस्कृति में आस्था रखेगा।
2. वह सामाजिक आदर्शों के प्रति श्रद्धा रखेगा।
3. वह साहित्य-प्रेम, देश-प्रेम तथा मानव-प्रेम की ओर अग्रसर होगा।
4. वह राष्ट्रीय शिक्षाक्रम में संकेतित "केन्द्रिक तत्वों" में जिन दस मूल्यों एवं विषयों पर बल दिया गया है उनमें आस्था रखेगा।
5. वह दूसरों के प्रति संवेदनशील एवं सहृदय होगा।
6. वह सद्वृत्तियों के अनुरूप कार्य-व्यवहार करेगा (केवल उ.प्रा.)।

उपर्युक्त शिक्षण उद्देश्यों को प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर ज्यों का त्यों (उद्देश्य संख्या 8 को छोड़कर) प्रस्तावित किया जा सकता है। अंतर केवल विद्यार्थियों की मानसिक आयु के अनुसार पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री की सरलता और जटिलता का है। क्रमिक दृष्टि से उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इन उद्देश्यों का स्तर ऊँचा होता जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओं के अन्त (कक्षा पाँच) तक विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनमें भाषा संबंधी सभी कुशलताएँ— बोध सहित सुनने तथा पढ़ने और प्रभावी ढंग से बोलकर और लिखकर भाव अभिव्यक्त करने (उद्देश्य 4,5,6,7) की योग्यताएँ विकसित हो जाएँगी। इनके अतिरिक्त वे भाषा के तत्वों (उद्देश्य 1) के अंतर्गत वर्णों और शब्दों का शुद्ध उच्चारण, उनके विभिन्न भेदों का सामान्य ज्ञान, मुहावरों का प्रयोग, साधारण वाक्य रचना, व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोग आदि से भलीभांति परिचित हो जाएँगे। साथ ही पढ़ाए गए पाठों की वैचारिक विषयवस्तु और रचना के लिखित तथा मौखिक दोनों रूपों (उद्देश्य 2, 3) की सामान्य जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। भाषा और साहित्य के प्रति रुचि (उद्देश्य 9) जाग्रत हो जाएगी। कर्तव्य पालन, ईमानदारी, बड़ों का आदर, देश-प्रेम, दया, परिश्रम, सहयोग, सहनशीलता आदि सद्वृतियाँ तथा जीवन मूल्यों के विकास का प्रारंभ भी इस स्तर पर हो जाएगा।

उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा छः से आठ) में विद्यार्थियों का बौद्धिक, सामाजिक और भाषिक विकास बहुत तेजी से होता है। वे अपने समाज और अपने चारों ओर के वातावरण तथा जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। अतः पाँचवीं कक्षा तक प्राप्त भाषा-ज्ञान के आधार पर अब वे न केवल मौखिक चर्चा द्वारा अपना ज्ञान बढ़ाते हैं अपितु स्वतंत्र रूप से पुस्तक पढ़कर ज्ञान-वृद्धि करने की क्षमता भी विकसित करते हैं। साथ ही विषयवस्तु की पर्याप्त जानकारी के आधार पर उनमें चिन्तन की योग्यता का विकास भी होने लगता है। वे पठित एवं चर्चित विषय के संबंध में अपना मत प्रकट करने लगते हैं।

प्राथमिक स्तर पर अर्जित भाषिक तत्वों के ज्ञान एवं कौशलों के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर पर उनकी भाषिक दक्षता को और आगे विकसित किया जाता है। इस स्तर पर उनके शब्द-भंडार में वृद्धि तीव्र गति से होने लगती है। उनके मानसिक क्षितिज का विस्तार होने लगता है। अतः अभिव्यक्ति में मौलिकता (उद्देश्य 8) लाने की दृष्टि से उन्हें अपने भावों तथा विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की प्रेरणा दी जाए। कक्षा में तथा विद्यालय में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक कार्यकलापों का आयोजन करके इस दिशा में उन्हें अपनी प्रतिभा अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान किए जाएँ। सौन्दर्यबोध के विकास के लिए उन्हें साहित्यिक पाठों में अधिक रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके मनोभावों को उदात्त बनाने और सद्वृत्तियों का विकास करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। पठन तथा मौखिक चर्चा द्वारा श्रम-निष्ठा, सच्चाई, ईमानदारी, सहयोग, समता, भाईचारा, समय का पालन, अनुशासन आदि जीवन मूल्यों को इस स्तर पर विकसित किया जा सकता है।

इनके अतिरिक्त यह भी अनिवार्य है कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय शिक्षाक्रम में वर्णित मूल्यों एवं विषयों के ज्ञान को विकसित किया जाए। ये मूल्य और विषय हैं— भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व, राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्व, भारत की साझी सांस्कृतिक धरोहर, लोकतंत्र, समाजवाद एवं धर्म निरपेक्षता, स्त्री-पुरुष समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बाधाओं का निवारण, लघु परिवार की मान्यता का निर्वाह और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इनके विषय में विस्तृत चर्चा आगे मॉड्यूल 16 में की गई है।

शिक्षण उद्देश्यों के संबंध में एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये कुशलताएँ और योग्यताएँ साध्य हैं और पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति तथा मूल्यांकन पद्धति इस साध्य की पूर्ति के लिए साधन मात्र हैं। शिक्षण में शिक्षक का ध्येय केवल पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक समाप्त कर देना नहीं है, बल्कि

सम्पूर्ण शिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार आयोजित करना है कि विद्यार्थियों में स्वयं इन योग्यताओं को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा पैदा हो। यदि कोई शिक्षक यह मूल्यांकन करना चाहता है कि वह अपने शिक्षण में कहाँ तक सफल हुआ है तो उसे यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि विभिन्न उद्देश्यों के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न प्रकार की विषय सामग्री से संबंधित कौन-कौन से अपेक्षित व्यवहार विद्यार्थियों में विकसित हो गए हैं और कौन-कौन से नहीं। जो अपेक्षित व्यवहार उनमें विकसित नहीं हुए उन्हें विकसित करने का शिक्षक को सतत प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने पर बल दिया जाता है क्योंकि इससे वे अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और उनसे शिक्षण की सफलता का मूल्यांकन करने में भी सहायता मिलती है।

आइए, इस अध्ययन के आधार पर कुछ अभ्यास कार्य करें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ प्रभावी ढंग से बोलकर और लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित उद्देश्यों के अंतर्गत जो व्यवहार परिवर्तन अपेक्षित हैं उन्हें सूचीबद्ध करें।	सूची बनाइए
❑ बोध सहित सुनने और पढ़ने की योग्यता विकसित हो जाने पर कक्षा पाँच के विद्यार्थियों में कौन-कौन से व्यवहार परिवर्तन दिखाई देंगे?	अवलोकन के आधार पर चर्चा कीजिए
❑ उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति में मौलिकता लाने की योग्यता को विकसित करने के लिए उनसे किस प्रकार के भाषा कार्य करवाएंगे? उनमें से कुछ कार्यों का आयोजन भी कीजिए।	सूची बनाइए तथा आयोजन कीजिए
❑ कक्षा सात के विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करने के लिए कुछ कार्यकलापों का आयोजन कीजिए।	आयोजन कीजिए

1.2.2 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर

न्यूनतम अधिगम स्तर—आवश्यकता, महत्त्व और अर्थ

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश की संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुरूप सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक सुविधाओं का तो अत्यधिक प्रसार हुआ है परन्तु समता और गुणवत्ता की दृष्टि से इन सुविधाओं में व्यापक भिन्नता है। कुछ राज्यों, ग्रामीण, शहरी तथा पिछड़े इलाके के विद्यालयों में सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में ये भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शैक्षिक समता और गुणवत्ता संबंधी इस असंगत स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 में दो बातों की सिफारिश की गई है। पहले, विद्यालय के प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तरों का निर्धारण हो और दूसरे, उनकी प्राप्ति के लिए, प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। इससे पूर्व भी वर्ष 1978 में,

एन. सी. ई. आर. टी. में "न्यूनतम अधिगम सातत्य (कन्टीन्युअम)" नाम की परियोजना के अन्तर्गत इसी विषय पर महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया था।

इस संदर्भ में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने जनवरी 1990 में एक समिति का गठन किया जिसने प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से प्राप्त न्यूनतम अधिगम स्तरों का निर्धारण किया।

"न्यूनतम अधिगम स्तर" का अर्थ समझने के लिए पहले तीन शब्दों—"अधिगम", "स्तर", और "न्यूनतम"—के अर्थ की चर्चा करना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं सीखना या "अधिगम" से हमारा तात्पर्य बालक के व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों से होता है जो बालक के विशेष परिस्थितियों या अनुभव से गुजरने के कारण होते हैं। इनमें विचार, विश्वास, कौशल, आदतें, अभिवृत्तियाँ, मूल्य, आदि सम्मिलित रहते हैं। व्यवहार के इन परिवर्तनों को ही "अधिगम प्रतिफल" कहा जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि 'न्यूनतम अधिगम स्तर' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वांछित अधिगम प्रतिफलों का सावधानी से निर्धारण किया गया है। इन्हीं को "क्षमताओं" या "दक्षताओं" का नाम दिया गया है। दूसरा महत्त्वपूर्ण शब्द "स्तर" है। यहाँ पर स्तर शब्द का अर्थ कुछ पूर्व निर्धारित अपेक्षित दक्षताओं की संप्राप्ति से है। जब कोई विद्यार्थी उन दक्षताओं को प्राप्त कर लेता है तब यह कहा जाता है कि उसने अधिगम का वांछित स्तर प्राप्त कर लिया है। तीसरे शब्द "न्यूनतम" का, न्यूनतम अधिगम स्तर की योजना में विशेष अर्थ व महत्त्व है। सामान्य भाषा में न्यूनतम का अर्थ कम से कम होता है। इसी मूलभाव को लेते हुए यह शब्द दो मुख्य बातों की ओर संकेत करता है। पहली बात यह है कि जिन दक्षताओं की पहचान की गई है उनकी संप्राप्ति सभी विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों द्वारा अनिवार्य है, चाहे वे पिछड़े स्कूल हों या प्रगतिशील, चाहे वे औपचारिक स्कूल हों या अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात जिसकी ओर "न्यूनतम" शब्द संकेत करता है वह यह है कि वांछित दक्षताओं का पूर्ण विकास (Mastery Learning) सभी विद्यार्थियों में अनिवार्य है। इन तीनों शब्दों की स्पष्ट व्याख्या के बाद यह कहा जा सकता है कि "न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ किसी कक्षा विशेष तथा विषय विशेष के लिए पूर्व निर्धारित उन अपेक्षित दक्षताओं से है जिनका पूर्णविकास सभी विद्यालयों के सभी संबंधित विद्यार्थियों में होना अनिवार्य है।"

मातृभाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर

प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में मातृभाषा का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से जो मूलभूत कौशल अर्जित किए जाते हैं वे अन्य विषयों की संकल्पनाओं को समझने-सीखने में भी सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा की प्रमुख नौ मूल दक्षताएँ—सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, विचारों का बोधन, व्यावहारिक व्याकरण, स्व-अधिगम, भाषा प्रयोग और शब्द भंडार पर अधिकार, विद्यार्थी के व्यक्तित्व निर्माण में और उसके दैनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्राथमिक स्तर पर भाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर से तात्पर्य भाषा संबंधी उपर्युक्त वर्णित नौ अपेक्षित कौशलों अथवा दक्षताओं से है जिनका पूर्ण विकास कक्षा पाँच के अन्त तक के लगभग सभी विद्यार्थियों में हो जाना चाहिए। समिति ने दक्षताओं की सूची प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग बनाई है लेकिन कक्षा एक के लिए निर्धारित दक्षताएँ उनके विकास का प्रारंभिक बिन्दु हैं। ये दक्षताएँ कक्षा पाँच तक क्रमबद्धता से चलती रहनी चाहिएँ। यदि किसी दक्षता का एक कक्षा में पूरी तरह विकास न हो तो अगली कक्षा में उससे संबंधित दक्षता को सीखने में कठिनाई होती है। अतः पहले इन दक्षताओं का विकास कर लें तभी आगे की दक्षताएँ सिखाएँ क्योंकि आगे आने वाली दक्षता सीखी हुई दक्षता पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए प्रत्येक दक्षता को कक्षा एक से पाँच तक देखने पर आप को उनकी एक दूसरे पर निर्भरता का पता चल जाएगा।

इन भाषा दक्षताओं की दूसरी विशेषता यह है कि ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विभिन्न स्तरों पर स्पष्टीकरण करने के लिए इन्हें अलग-अलग दिखाया गया है। उदाहरणार्थ प्रथम चार बुनियादी दक्षताएँ—सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना—भाषा के चार मुख्य कौशल माने जाते हैं जो परस्पर संबद्ध है। इनका आपसी संबंध उस पाँचवीं दक्षता में स्पष्ट दिखाई देता है जिसका संबंध सुनकर और पढ़कर विचारों को समझने से है। इसी प्रकार भाषा अधिगम के लिए ली गईं अन्य चार दक्षताएँ (व्यावहारिक व्याकरण, स्व-अधिगम, भाषा प्रयोग, शब्द भंडार पर अधिकार) भी मुख्य कौशलों से जुड़ी हुई हैं।

आगे दी गई तालिकाओं में आप देखेंगे कि इन नौ बुनियादी दक्षताओं में प्रत्येक के अन्तर्गत एक या एक से अधिक दक्षता की पहचान की गई है।

शिक्षण अधिगम पद्धति

अध्यापक या भावी अध्यापक होने के नाते आप का कर्तव्य है कि छात्रों में इन दक्षताओं को रुचिकर ढंग से विकसित करने के लिए विद्यालय में समय-समय पर विभिन्न प्रकार के मनोरंजक अध्यापन-अधिगम कार्यकलापों का आयोजन करें, जैसे घटनाओं का वर्णन, सामूहिक विचार-विमर्श, कहानियाँ सुनना, अभिनय, पहेली-प्रतियोगिता, चुटकुले, गीत, शब्दों के खेल, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि। रोचक बाल पुस्तकों के पठन, चित्रमय कोश के अध्ययन तथा सभी सहपाठियों के बीच सामूहिक कार्यकलापों को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में स्वतः अधिगम के कौशल एवं भाषा के व्यावहारिक प्रयोग को भी विकसित करें। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्मित शिक्षक पुस्तिकाओं में दी गई तालिकाओं में प्रत्येक दक्षता से संबंधित शिक्षण-अधिगम क्रियाओं और शिक्षण सामग्री के बारे में सुझाव दिए गए हैं।

मूल्यांकन

आगे तालिका में वर्णित न्यूनतम अधिगम स्तर का प्रारूप आपको अपने विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन करने में सहायता देगा। इससे आप पता लगा सकेंगे कि अपनाई गई अध्यापन-अधिगम पद्धति से आपके छात्र अपने में इन सभी दक्षताओं को विकसित कर पाए हैं अथवा नहीं। मूल्यांकन सतत एवं दक्षता आधारित होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि पठन-पाठन के समय शिक्षण अधिगम क्रियाओं के साथ-साथ ही दक्षता-मूल्यांकन भी चलना चाहिए। ऊपर बताई गई शिक्षण पुस्तिकाओं की तालिकाओं में इस प्रकार के मूल्यांकन के बारे में भी ठोस सुझाव दिए गए हैं। इसके लिए दक्षता-आधारित इकाई परीक्षणों (मौखिक एवं लिखित) का प्रयोग भी किया जाना आवश्यक है। कक्षा के अंदर अनौपचारिक सामाजिक स्थितियाँ उत्पन्न करने पर विशेष बल देना चाहिए। दैनिक जीवन की परिस्थितियों में भाषा के व्यावहारिक और सृजनात्मक प्रयोग को भी स्थान देना अपेक्षित होगा। छात्रों के अधिगम स्तर की जानकारी के लिए आप पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य सामग्री, जैसे—चित्रमय कार्ड, शब्द-कार्ड आदि का प्रयोग भी करें। साथ ही कक्षा में सामाजिक परिस्थितियाँ पैदा कर छात्रों को भाषा अधिगम के लिए प्रोत्साहित करें।

अभ्यास कार्य

- ❑ प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति के लिए कुछ मनोरंजक अध्यापन-अधिगम कार्यकलापों का आयोजन कीजिए।
- ❑ कक्षा एक के विद्यार्थी निर्धारित भाषा दक्षताओं को पूर्णतः प्राप्त कर पाए हैं या नहीं इसका मूल्यांकन कीजिए। इसके लिए मूल्यांकन सामग्री बनाइए।

निर्देश

सूची बनाइए तथा आयोजन कीजिए

मूल्यांकन हेतु सामग्री निर्माण कीजिए तथा उसके आधार पर मूल्यांकन कीजिए

भाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर का विवरण*

दक्षताएँ	कक्षा I	कक्षा II	कक्षा III	कक्षा IV	कक्षा V
1. सुनना	1.1.1. सरल, परिचित एवं प्रचलित पदों, कविताओं तथा कहानियों को सुनकर समझता है।	1.2.1. सरल लेकिन अपरिचित कविताओं, गीतों एवं कहानियों को सुनकर समझता है।	1.3.1. वर्णन, विवरण, शब्द-खेल एवं पहेलियों को सुनकर समझता है।	1.4.1. परिचित परिस्थितियों में दिए गए सरल भाषणों को सुनकर समझता है।	1.5.1. विद्यालय के आयोजनों एवं प्रतियोगिताओं में हुए कविता-पाठ, नाटक एवं वाद-विवाद को सुनकर समझता है।
	1.1.2. परिचित परिस्थितियों में हुए वार्तालाप एवं संवादों को समझता है।	1.2.2. परिचित परिस्थितियों में हुए वार्तालाप एवं संवादों को समझता है।	1.3.2. अपरिचित परिस्थितियों में हुए वार्तालाप एवं संवादों को समझता है।	1.4.2. अपरिचित परिस्थितियों में हुए वार्तालाप एवं संवादों को समझता है।	1.5.2. अपरिचित परिस्थितियों में हुए वार्तालाप, संवाद एवं विचार-विमर्श को समझता है।
	1.1.3. परिचित परिस्थितियों में दिए गए मौखिक अनुरोधों एवं सरल आदेशों को समझता है।	1.2.3. परिचित परिस्थितियों में दिए गए मौखिक अनुरोध, आदेश, निर्देश एवं प्रश्नों को समझता है।	1.3.3. सरल क्रियाओं को करने तथा खेल खेलने के मौखिक निर्देशों को समझता है।	1.4.3. किसी क्रिया को सम्पन्न करने के लिए एक के बाद एक दिए गए मौखिक निर्देशों को समझता है।	1.5.3. किसी सामूहिक क्रियाकलाप को सम्पन्न करने के लिए दिए गए निर्देशों को समझता है।

* एन.सी.ई.आर.टी. (1991) प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट, पृष्ठ 17-21)

दक्षताएँ	कक्षा I	कक्षा II	कक्षा III	कक्षा IV	कक्षा V
2. बोलना	2.1.1. सरल वाक्यों को सही-सही दोहराता है।	2.2.1. भाषा की सभी ध्वनियों का उच्चारण करता है।	2.3.1. शुद्ध उच्चारण के साथ बोलता है।	2.4.1. बिना रुके स्वाभाविक रूप से बोलता है।	2.5.1. प्रवाह के साथ स्वाभाविक रूप से बोलता है।
	2.1.2. सरल पदों, कविताओं एवं गीतों को सामूहिक रूप से हाव-भाव एवं क्रियाओं के साथ सुनाता है।	2.2.2. कविताओं और गीतों को अकेले और सामूहिक रूप से सुनाता है।	2.3.2. सरल, परिचित कहानियों को उचित हाव-भाव एवं अनुतान, बलाघात के साथ सुनाता है।	2.4.2. प्रभावशाली ढंग से कविता-पाठ करता है।	2.5.2. सरल एवं परिचित विषयों पर बोलता है।
	2.1.3. हाँ/नहीं उत्तर वाले सरल प्रश्नों के उत्तर देता है।	2.2.3. सरल प्रश्नों के उत्तर पूरे-पूरे वाक्यों में देता है।	2.3.3. परिचित वस्तुओं के विषय में वर्णन करता है।	2.4.3. अपरिचित वस्तुओं के विषय में वर्णन करता है।	2.5.3. परिस्थितियों एवं घटनाओं का वर्णन करता है।
	2.1.4. सरल प्रश्न पूछता है।	2.2.4. परिचित वस्तुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करता है।	2.3.4. अधिक जटिल प्रश्न पूछता है।	2.4.4. कक्षा में होने वाली सहज चर्चा में भाग लेता है।	2.5.4. नाटकों एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेता है और औपचारिक घोषणाएँ करता है।

दक्षताएँ	कक्षा I	कक्षा II	कक्षा III	कक्षा IV	कक्षा V
3. पढ़ना	3.1.1. वर्णमाला के अक्षरों को अलग से और मिले जुले रूप में पहचानता है।	3.2.1. कम प्रचलित एवं संयुक्त वर्णों को पहचानता है।	3.3.1. रास्ते पर चलने के संकेत, विज्ञापन-पटों एवं सूचना-पटों पर सरल सूचनाओं को पढ़ता है।	3.4.1. कार्टून, कॉमिक्स और पोस्टर पढ़ता है।	3.5.1. सरल आकृतियाँ, चार्ट एवं नक्शे पढ़ता है।
	3.1.2. श्यामपट्ट पर हस्तलिखित सामग्री छपाई के मोटे अक्षरों वाले फ्लैश कार्डों आदि को पढ़ लेता है।	3.2.2. मोटे एवं छोटे अक्षरों में छपी विषय सामग्री को पढ़ लेता है।	3.3.2. दूसरे बालकों के हाथ की लिखी हुई सामग्री पढ़ता है।	3.4.2. हाथ के लिखे हुए पत्रों को पढ़ता है।	3.5.2. छपी हुई एवं हाथ की लिखी हुई पठन सामग्री को सहजता से पढ़ता है।
	3.1.3. सरल परिचित शब्दों का सस्वर वाचन करता है (शब्द तीन वर्णों से अधिक के न हों)।	3.2.3. पदों, कविताओं, गीतों एवं सरल कहानियों का सस्वर वाचन करता है।	3.3.3. सरल कहानियों की पुस्तकें तथा अन्य बाल पुस्तकें पढ़ता है।	3.4.3. बाल-पत्रिकाएँ पढ़ता है।	3.5.3. अख़बार एवं अन्य छपी हुई पठन सामग्री पढ़ता है।
4. लिखना	4.1.1. दिए गए स्वर, व्यंजन, मात्रा एवं संयुक्ताक्षरों को देखकर लिखता है।	4.2.1. दिए गए शब्दों एवं वाक्यों को देखकर लिखता है।	4.3.1. अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी के सही अंतर को समझता है।	4.4.1. साफ-साफ और स्पष्ट लिखता है।	4.5.1. सही प्रारूप एवं सही दूरी के साथ लिखता है।

दक्षताएँ	कक्षा I	कक्षा II	कक्षा III	कक्षा IV	कक्षा V
	4.1.2. स्वर, व्यंजन मात्रा एवं संयुक्ताक्षरों का श्रुतलेखन करता है।	4.2.2. परिचित शब्दों का श्रुतलेखन करता है।	4.3.2. अपरिचित शब्दों का श्रुतलेखन करता है।	4.4.2. सरल विराम चिह्नों सहित श्रुतलेखन करता है।	4.5.2. सभी विराम चिह्नों का प्रयोग करते हुए श्रुतिलेखन करता है।
	4.1.3. सरल, परिचित शब्द एवं वाक्य लिखता है।	4.2.3. निर्देशानुसार सरल वर्णनात्मक वाक्य लिखता है।	4.3.3. निर्देशानुसार सरल अनुच्छेद अथवा निबन्ध लिखता है।	4.4.3. निर्देशानुसार अनुच्छेदों और विराम चिह्नों का प्रयोग करते हुए निबन्ध लिखता है।	4.5.3 संक्षिप्त और स्वतंत्र निबंध लेखन करता है जिसमें सरल अनौपचारिक पत्र तथा संवाद भी सम्मिलित हैं।
5. विचारों का बोधन (सुनकर और पढ़कर)	5.1.1. मौखिक रूप से संक्षेप में दी गई सरल सूचना का पुनः स्मरण करता है।	5.2.1. बोली गई अथवा लिखी हुई संक्षिप्त सामग्री के घटना-क्रम को क्रमिक ढंग से पुनः स्मरण करता है।	5.3.1. बोली गई अथवा लिखी हुई सामग्री में से प्रमुख-विचारों को पकड़ पाता है।	5.4.1. मौखिक अथवा लिखित सामग्री में व्यक्त विचारों एवं घटनाओं के बीच सरल कार्य कारण-संबंधों को पहचानता है।	5.5.1 मौखिक अथवा लिखित सूचना के आधार पर निष्कर्ष निकालता है।

दक्षताएँ	कक्षा I	कक्षा II	कक्षा III	कक्षा IV	कक्षा V
	5.1.2. सुनकर—'कौन' 'कब' और 'कहाँ' वाले प्रश्नों के उत्तर देता है	5.2.2. सुनकर—'क्या' और 'कैसे' वाले प्रश्नों के उत्तर देता है।	5.3.2. किसी सामग्री को सुनने या पढ़ने के पश्चात् 'क्यों' वाले प्रश्नों के उत्तर देता है।	5.4.2. किसी सामग्री को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात् 'क्योंकि' 'चूँकि' का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर देता है।	5.5.2 किसी सामग्री को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात् 'यदि...तो' 'यदि नहीं...तो' का प्रयोग करते हुए सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछता है और उत्तर देता है।
6. व्यावहारिक व्याकरण	6.1.1. शब्दों की अंतिम ध्वनि के आधार पर उनकी समानता को जानने के प्रति सचेत होता है।	6.2.1. शब्दों की आदि और अंत्य स्थिति तथा उनके उद्गम (उपसर्ग, प्रत्यय और धातु)°के आधार पर उनकी समानता जानने के प्रति सचेत होता है।	6.3.1 शब्दार्थ के आधार पर शब्दों के आपसी संबंधों के प्रति सचेत होता है।	6.4.1. वाक्य-रचना के सामान्य प्रयोग-संबंधी नियमों को समझता है।	6.5.1. वाक्य-विन्यास की इकाइयों के सामान्य प्रयोग-संबंधी नियमों को समझता है।

दक्षताएँ	कक्षा I	कक्षा II	कक्षा III	कक्षा IV	कक्षा V
7. स्व-अधिगम	7.1.1. जहाँ उपलब्ध हो वहाँ चित्रों वाली सरल शब्द-सूची का प्रयोग कर सकता है।	7.2.1. जहाँ उपलब्ध हो वहाँ चित्रों वाले सरल विश्वकोश का प्रयोग कर सकता है।	7.3.1. जहाँ उपलब्ध हो वहाँ बच्चों के चित्रमय शब्दकोश का प्रयोग कर सकता है।	7.4.1. जहाँ उपलब्ध हो वहाँ बाल शब्दकोश का प्रयोग कर सकता है।	7.5.1. जहाँ उपलब्ध हो वहाँ बाल विश्वकोश का प्रयोग कर सकता है।
8. भाषा-प्रयोग	8.1.1. विनम्रता, आदर आदि व्यक्त करने वाले सरल प्रयोगों को समझता है और उनका प्रयोग करता है।	8.2.1. विनम्रता से बात करता है तथा वार्तालाप करते समय ध्यान से सुनता है।	8.3.1. समूह में अपनी बारी आने पर ही बोलता है।	8.4.1. औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा के भेद को समझता है।	8.5.1. औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त भाषा का प्रयोग करता है।
9. शब्द भंडार पर अधिकार	9.1.1. पढ़कर समझने का लगभग 1,500 शब्दों का, शब्द भंडार अर्जित करता है।	9.2.1. पढ़कर समझने का लगभग 2,000 शब्दों का शब्द भंडार अर्जित करता है।	9.3.1. पढ़कर समझने का लगभग 3,000 शब्दों का शब्द भंडार अर्जित करता है।	9.4.1. पढ़कर समझने का लगभग 4,000 शब्दों का शब्द भंडार अर्जित करता है।	9.5.1. पढ़कर समझने का लगभग 5,000 शब्दों का शब्द भंडार अर्जित करता है।

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों को निम्नलिखित चार भागों में बाँट सकते हैं—

(क) ज्ञानात्मक

1. भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना (प्रा. तथा उ. प्रा.)
2. वैचारिक विषयवस्तु का ज्ञान प्राप्त करना (प्रा. तथा उ. प्रा.)
3. रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना (प्रा. तथा उ. प्रा.)

(ख) कौशलात्मक

4. बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना (प्रा. तथा उ. प्रा.)
5. प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना (प्रा. तथा उ. प्रा.)
6. बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना (प्रा. तथा उ. प्रा.)
7. प्रभावी ढंग से लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना (प्रा. तथा उ. प्रा.)

(ग) सृजनात्मक

8. भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना (उ. प्रा.)

(घ) अभिवृत्यात्मक

9. मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना (प्रा. तथा उ. प्रा.)
10. सद्वृत्तियों तथा उसके साहित्य में रुचि लेना (प्रा. तथा उ.प्रा.)

इन शिक्षण उद्देश्यों को प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर ज्यों का त्यों प्रस्तावित किया जा सकता है। अंतर केवल विद्यार्थियों की मानसिक आयु के अनुसार पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु की सरलता और जटिलता का है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से शिक्षण के दौरान यह जानना अनिवार्य है कि इनसे संबंधित कौन-कौन से व्यवहार परिवर्तन बालकों में अपेक्षित हैं? इससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक सार्थक और सोद्देश्य बन सकेगी।

2. प्राथमिक स्तर पर भाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर से तात्पर्य उन अपेक्षित दक्षताओं से है जिनका पूर्ण विकास कक्षा पाँच के अंत तक के सभी विद्यार्थियों में हो जाना चाहिए। ये दक्षताएँ हैं—सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनकर और पढ़कर विचारों को समझना, व्यावहारिक व्याकरण, स्वअधिगम, भाषा-प्रयोग और शब्द भंडार पर अधिकार। ये दक्षताएँ कक्षा पाँच तक क्रमबद्ध रूप में चलती रहनी चाहिएँ। इन दक्षताओं को रुचिकर ढंग से विकसित करने के लिए भाषा अध्यापक को समय-समय पर विभिन्न प्रकार के मनोरंजक शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों का आयोजन करना चाहिए।
3. न्यूनतम अधिगम स्तरों के निर्धारण से शिक्षा को प्रभावी बनाने में सहायता मिलती है।

मूल्यांकन

1. मातृभाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर इन शिक्षण उद्देश्यों में मुख्य अंतर क्या है? सोदाहरण स्पष्ट करें।
2. भाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर की पूर्ण प्राप्ति के लिए आप क्या युक्तियाँ अपनाएंगे? उल्लेख कीजिए।
3. भाषिक दक्षताओं की संप्राप्ति की जानकारी के लिए आप पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करेंगे?

मॉड्यूल-2

हिंदी ध्वनि व्यवस्था और शिक्षण

2.0 प्रस्तावना

कैप्सूल-1.1 के अंतर्गत भाषा की प्रकृति की चर्चा की गयी थी, जिससे यह स्पष्ट होना चाहिए कि भाषा मूलतः बोली-सुनी जाती है। अतः उसकी अपनी ध्वनि व्यवस्था होती है। भाषा सीखते समय हमें उसकी मूलभूत ध्वनियों और उनके परस्पर संबंधों को भी सीखना आवश्यक होता है। अतः मौखिक या उच्चरित भाषा के शिक्षण के लिए उसकी ध्वनि व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। प्रस्तुत मॉड्यूल की रचना इसी उद्देश्य से की गयी है।

इस मॉड्यूल में दो कैप्सूलों का समावेश किया गया है :

कैप्सूल 2.1 में हिंदी की ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत मूल स्वरों, संध्यक्षर स्वरों, अनुनासिक स्वरों, व्यंजनों, संयुक्त-व्यंजनों, उनके स्थान-प्रयत्न, उच्चारण की प्रक्रिया और उसके रागात्मक तत्वों-विवृत्ति, बल, सुर तथा अनुतान को विस्तार से समझाया गया है।

कैप्सूल 2.2 में उच्चारण संबंधी अशुद्धियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए गए हैं। शिक्षण-प्रक्रिया को सजीव एवं प्रभावशाली बनाने के लिए हिंदी की विभिन्न ध्वनियों से संबद्ध शब्द युग्मों को संकलित कर दिया गया है और उच्चारण शिक्षण के विभिन्न प्रकार के उपचारात्मक अभ्यासों के नमूने भी आपके मार्गदर्शन के लिए दिए गए हैं।

संक्षेप में हिंदी की ध्वनि व्यवस्था से अवगत कराते हुए उच्चारण क्षमता को सही दिशा में विकसित करना ही इस मॉड्यूल का प्रमुख उद्देश्य है।

कैप्सूल 2.1

हिंदी की ध्वनि व्यवस्था

व्यवहारगत उद्‌देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप :

1. हिंदी भाषा के स्वरों के मानक उच्चारण से परिचित हो सकेंगे।
2. स्थान और प्रयत्न के अनुसार हिंदी भाषा के व्यंजनों के शुद्ध उच्चारण से अवगत हो सकेंगे।
3. भाषा के रागात्मक तत्वों—विवृत्ति, बल, सुर और अनुतान को ध्यान में रखकर उच्चारण की क्षमता विकसित कर सकेंगे और उच्चारण प्रक्रिया को समझ सकेंगे।

2.1.0 ध्वनि व्यवस्था

भाषा संप्रेषण की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के सदस्य एक दूसरे के साथ परस्पर विचार-विनिमय करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विचारों का आदान-प्रदान हम मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से कर सकते हैं। अपने समीपवर्ती विभिन्न वर्गों के सदस्यों के साथ हम प्रायः भाषा का मौखिक व्यवहार ही अधिक करते हैं। भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण, बोलने में बल, सुर, अनुतान आदि का उचित प्रयोग बहुत महत्त्व रखता है। इस दृष्टि से ध्वनि व्यवस्था का अध्ययन छात्राध्यापकों का उचित मार्गदर्शन करेगा।

मौखिक भाषा व्यवहार के संदर्भ में ध्वनि व्यवस्था-शिक्षण के दो प्रमुख पक्ष हो जाते हैं—

पहला, ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण का शिक्षण और दूसरा, दिन-प्रतिदिन के मौखिक भाषा व्यवहार में उपयुक्त प्रभाव, आशय-स्पष्टता आदि की दृष्टि से बल, सुर, अनुतान आदि के उचित प्रयोग का शिक्षण। उच्चारण शिक्षण का उद्‌देश्य केवल भाषा की ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण सिखाना ही नहीं है अपितु मौखिक भाषा का प्रभावपूर्ण, सहज और स्वाभाविक प्रयोग सिखाना भी है।

वक्ता जब बोलने का प्रयत्न करता है, तो उसके फेफड़ों में स्थित वायु कंठ-विवर से प्रकम्पित होती हुई बाहर निकलकर ध्वनि उत्पन्न करती है। यह ध्वनि मुख के विभिन्न उच्चारण अवयवों—कंठ, तालु, दन्त, ओष्ठ आदि से टकराकर विविध रूप धारण करती है। इसी कारण विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निष्पन्न होती हैं।

मूलतः ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं—स्वर और व्यंजन।

2.1.1 हिंदी भाषा के स्वर

स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी की सहायता के स्वयं उच्चरित होती हैं और व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चरित नहीं हो सकते। आप स्वर और व्यंजन ध्वनियों में इस प्रकार अंतर कर सकते हैं :

1. स्वरों के उच्चारण में वायु-प्रवाह निर्बाध गति से बाहर निकलता है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह रुक कर या रगड़ खाकर बाहर (या भीतर) की ओर जाता है।
2. स्वर ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियों की तुलना में अधिक सुश्रव्य होती हैं।

स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ ऐसी ध्वनियाँ भी हैं जिन्हें "अर्द्धस्वर" कहा जाता है, जैसे—य, व। स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के विभिन्न भाग विभिन्न मात्रा में ऊपर उठते हैं। परन्तु अर्द्धस्वर के उच्चारण में कुछ सीमा तक ही जिह्वा ऊपर उठती है। परंपरा के अनुसार निम्नलिखित वर्णों को हिंदी के स्वरों के अंतर्गत लिया जाता रहा है—

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः।

"ऋ" स्वर का मूल उच्चारण अब भुलाया जा चुका है। हिंदी भाषी प्रदेशों में इसे "रि" और हिंदीतर प्रदेशों में इसे "रु"

से मिलती जुलती ध्वनि के रूप में बोला जाता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों को लिखने में किया जाता है, जैसे—ऋतु, ऋषि, गृह, कृपा आदि।

अं और अः विशेष नासिक्य और कंठ्य—अर्ध व्यंजन ध्वनियाँ हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता अपितु स्वरों के साथ होता है, जैसे—अंक, पंक, अतः, प्रायः आदि। अं (अनुस्वार) नासिक्य व्यंजन ध्वनि है और अः (विसर्ग) कंठ्य अघोष संघर्षी ध्वनि है। क्योंकि ऋ, अं और अः की मात्राएँ (ृ ं ः) व्यंजन वर्णों में लगती हैं अतः इन्हें स्वरों में गिना जाता है।

अंग्रेजी प्रभाव से हिंदी में एक अन्य स्वर "ऑ" का प्रयोग किया जाने लगा है, जैसे—डॉक्टर, ऑफिस, कॉपी आदि। वैसे "ऑ" और "आ" का प्रयोग विकल्प से भी होता है जैसे—ऑफ़िस-आफिस, डॉक्टर-डाक्टर, कॉपी-कापी। परन्तु यह (ऑ) स्वतंत्र स्वर नहीं है।

उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में 10 स्वर हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।

स्वरों का वर्गीकरण : मात्रा काल की दृष्टि से स्वरों के दो प्रकार होते हैं—ह्रस्व और दीर्घ।

1. **ह्रस्व स्वर :** जिन स्वरों को एक मात्रा काल में उच्चरित किया जाता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, इ, उ ह्रस्व स्वर हैं।
2. **दीर्घ स्वर :** जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। इनमें मात्रा भेद तो है ही साथ ही उनके उच्चारण-स्थान में भी भेद है।

संध्यक्षर या संयुक्त स्वर : संध्यक्षर (संधि + अक्षर) स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा एक स्वर की स्थिति से दूसरे स्वर की स्थिति की ओर सरलतम मार्ग से जाती है। श्रोता को यह एक ही ध्वनि के समान सुनाई पड़ती है। हिंदी में [ऐ]—[अइ] और [औ]—[अउ] संध्यक्षर स्वर माने जाते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। हिंदी में सामान्यतः [ऐ] और [औ] ध्वनियों को दीर्घ स्वरों (ऐनक, औरत आदि में) के रूप में उच्चरित करते हैं, परन्तु संस्कृत के तत्सम शब्दों के मानक उच्चारण में तथा [य्], [व्] अर्द्धस्वरों से पूर्व इनका क्रमशः संयुक्त स्वरों [अइ], [अउ] के रूप में उच्चारण होता है, जैसे ऐश्वर्य, ऐतिहासिक, कैवल्य तथा भैया, कन्हैया, ततैया, मैया, तैयार और भूल भुलैया आदि में [ऐ] का और औषध, कौतुक तथा यौवन, कौवा, पौवा और हौवा आदि में [औ] का प्रयोग देखा जा सकता है।

स्वरों के विभाजन के आधार : स्वरों का वर्गीकरण और विभाजन करने की दृष्टि से हमें तीन तथ्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है : (1) जिह्वा का क्रियाशील भाग (2) जिह्वा के भाग की ऊँचाई का स्तर और (3) ओष्ठों की स्थिति।

(1) जिह्वा के भागों के अनुसार स्वरों के तीन भेद हो जाते हैं—अग्र, मध्य और पश्च।

(2) जिह्वा की ऊँचाई की दृष्टि से स्वरों को चार भागों में विभक्त किया जाता है— संवृत (बंद), अर्द्ध संवृत, अर्द्ध विवृत और विवृत (खुला)।

(3) ओष्ठों की स्थिति को ध्यान में रखकर स्वरों के दो भेद हो जाते हैं— वृत्ताकार और अवृत्ताकार।

जिह्वा की स्थिति तथा उसके भाग के अनुसार स्वरों का चार्ट इस प्रकार बनाया जा सकता है :

जिह्वा की स्थिति	*जिह्वा के भाग*		
	अग्र	*मध्य*	*पश्च*
संवृत	ई		ऊ
	इ		उ
अर्द्ध संवृत	ए		ओ
अर्द्ध विवृत	ऐ	अ	औ (ऑ)
विवृत		आ	

ऊपर के जबड़े की दिशा में जिह्वा के अग्र और पश्च बिन्दु पर रहते समय मुख लगभग बंद रहता है। इस स्थिति में जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, वे संवृत कहलाती हैं। हिंदी में (ई) : (इ) और (उ) : (ऊ) संवृत ध्वनियाँ हैं। इनके विपरीत नीचे के जबड़े की दिशा में जिह्वा के अग्र और पश्च बिन्दु पर रहते समय मुख अधिकतर विवृत या खुला रहता है, जैसे—"आ"। इसके ह्रस्व "अ" की स्थिति केन्द्र की ओर है। जैसा स्वरों के चार्ट में दिखाया गया है। इन दोनों के मध्यवर्ती भाग से उत्पन्न ध्वनियों को क्रमशः अर्द्ध संवृत (ए : ओ) और अर्द्ध विवृत (ऐ : औ) कहा जाता है।

अनुनासिक स्वर : हिंदी के प्रायः सभी स्वरों को अनुनासिक और निरनुनासिक दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। जब किसी स्वर के उच्चारण में कोमल-तालु कुछ नीचे झुककर हवा के कुछ अंश को नाक और मुख दोनों से बाहर निकलने को बाध्य करता है, तो उच्चरित ध्वनि अनुनासिक कहलाती हैं अर्थात् उन स्वरों के उच्चारण में अनुनासिकता आ जाती है। हिंदी स्वरों में अनुनासिकता अर्थ भेदक होती है, जैसे—बास-बाँस, कहा-कहाँ।

ध्वनि-व्यवस्था में हिंदी स्वरों की विशेषताएँ आप समझ चुके हैं। आइए, अब अभ्यास कार्य के द्वारा अपने अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ संध्यक्षर स्वरों से युक्त दस शब्दों का चयन कर उच्चारण अभ्यास कीजिए।	चयन तथा अभ्यास कीजिए
❑ कक्षा पाँच तथा आठ की पाठ्यपुस्तक से अनुनासिक स्वरों से युक्त पाँच-पाँच शब्दों को चुनकर उच्चारण अभ्यास कीजिए।	चयन तथा अभ्यास कीजिए

2.1.2 हिंदी भाषा के व्यंजन

व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं, जिनके उच्चारण में कभी तो वायु-प्रवाह बिलकुल अवरुद्ध हो जाता है और कभी उच्चारण अवयवों द्वारा निर्मित मार्ग से बाहर निकल जाता है जिससे घर्षण होता है। हिंदी की समस्त व्यंजन ध्वनियों को निम्नलिखित रूप में श्रृंखलाबद्ध किया जाता है :

व्यंजन

क ख ग घ ङ — कंठ्य
च छ ज झ ञ — तालव्य
ट ठ ड ढ ण — मूर्धन्य
त थ द ध न — दंत्य
प फ ब भ म — ओष्ठ्य
य र ल व — अंतस्थ
श ष स ह — ऊष्म
क्ष त्र ज्ञ — संयुक्त व्यंजन
ड़ ढ़ — उत्क्षिप्त व्यंजन
क़ ख़ ग़ ज़ फ़ — ग्रही व्यंजन

क़ ख़ ग़ ज़ और फ़ का प्रयोग अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी शब्दों में ही होता है, जैसे—क़लम, ख़राब, ग़रीब, जहाज़, फ़ासला आदि। अंग्रेजी की "ज़" और "फ़" ध्वनियों से युक्त शब्दों को हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं, जैसे—ज़ीरो, फ़ेल। हिंदी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन हैं जो दो-दो ध्वनियों के संयोग से बने हैं, जैसे—क्ष = क् + ष, त्र = त् + र, ज्ञ = ज् + ञ, श्र = श् + र।

ऊपर दिए गए सभी व्यंजनों में "अ" स्वर सम्मिलित

हैं। यदि स्वर रहित व्यंजन लिखना हो तो उस के नीचे हल् चिह्न (्) लगाते हैं, जैसे—क्, च्, ट्, त्, प्।

हिंदी की व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण

व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो आधारों पर होता है—(क) उच्चारण स्थान के आधार पर, और (ख) प्रयत्न के आधार पर। **ध्वनियों के उच्चारण के समय** जिस स्थान पर उच्चारण अवयव मिलते हैं या एक दूसरे के समीप आते हैं, उस स्थान को उस ध्वनि का "उच्चारण स्थान" कहते हैं, जैसे—जिह्वा, ओष्ठ, कोमल तालु आदि। स्वरतंत्रियों की प्रयत्न स्थिति को "प्रयत्न" कहते हैं।

उच्चारण-स्थान और प्रयत्न के आधार पर हिंदी की व्यंजन ध्वनियों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है :

(क) **उच्चारण-स्थान के आधार पर**

उच्चारण-स्थान	ध्वनियाँ	उच्चारण-स्थान आधारित नाम
1. कंठ	क् ख् ग् घ् ङ् ह्	कंठ्य
2. जिह्वामूल (गले से थोड़ा नीचे)	क़् ख़् ग़्	जिह्वामूलीय
3. तालु	च् छ् ज् झ् ञ् य् श्	तालव्य
4. मूर्धा (मुख की छत)	ट् ठ् ड् ढ् ण् ड़् ढ़् ष्	मूर्धन्य
5. दंत	त् थ् द् ध्	दंत्य
6. वर्त्स (मसूड़ा)	न् र् ल् स् ज़्	वर्त्स्य
7. ओष्ठ	प् फ् ब् भ् म्	ओष्ठ्य
8. दंत-ओष्ठ	व् फ़्	दंत्योष्ठ्य

(ख) **प्रयत्न के आधार पर**

प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के निम्नलिखित सात भेद किए जाते हैं—

	व्यंजन ध्वनियाँ
1. स्पर्श : इन ध्वनियों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव परस्पर मिलकर वायु मार्ग को बंद कर देते हैं जिसके कारण फेफड़ों से आने वाली हवा कुछ देर रुक जाती है। रुकी हुई हवा दबाव के कारण स्फोटन के साथ बाहर आती है, जिससे "स्पर्श व्यंजन" निष्पन्न होते हैं। स्पर्श ध्वनियों में उच्चारण के अवयवों का परस्पर स्पर्श हो जाता है। इसीलिए इन्हें "स्पर्श व्यंजन" कहा जाता है।	क् ख् ग् घ् च् छ् ज् झ् ट् ठ् ड् ढ् त् थ् द् ध् प् फ् ब् भ्
2. संघर्षी : इन ध्वनियों के उच्चारण में स्थान और उच्चारण अवयव दोनों परस्पर समीपवर्ती होकर वायु मार्ग को इतना संकीर्ण कर देते हैं कि वायु रगड़ खाकर निकलती है जिससे संघर्षी व्यंजन बनते हैं।	श ष् स् ह् ख़् ज़् फ़्

3. नासिक्य : इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु-प्रवाह मुख रंध्र और नासिका रंध्र दोनों से निकलता है।	ङ् ञ ण् म् न्
4. पार्श्विक : इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और उसके दोनों ओर रास्ता खुला रहता है तथा हवा निकलती रहती है।	ल्
5. प्रकंपित : इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा-नोक अनेक बार हिलती है अर्थात् जिह्वा का अग्र भाग लुंठन (हिलना) का व्यवहार करता है। यह हिलना एक से चार बार तक हो सकता है। इसी कारण ऐसी परिस्थिति में उच्चरित ध्वनि प्रकंपित ,लाती है।	र्
6. उत्क्षिप्त : इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा-नोक एक तेज़ झटके के साथ पीछे मुड़कर और कठोर तालु का स्पर्श करके वापस लौट आती है। ऐसी स्थिति में उत्क्षिप्त ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं।	ड़् ढ़्
7. अर्द्धस्वर : इस के बारे में पहले बताया जा चुका है। अर्द्धस्वरों को "आधा स्वर" और "आधा व्यंजन"भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में जिह्वा विवृत्त स्थान से संवृत स्थान की ओर जाती है और वायु प्रवाह की गति शिथिल रहती है।	य् व्

हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण दो अन्य आधारों पर भी होता है :

1. प्राण (वायु) की मात्रा के आधार पर— (1) अल्पप्राण, (2) महाप्राण।
2. स्वरतंत्री के कंपन के आधार पर— (1) अघोष (2) सघोष।

1. अल्पप्राण तथा महाप्राण : प्राणत्व (वायु) के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के दो भेद हो जाते हैं—अल्पप्राण और महाप्राण। कम वायु के साथ जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे अल्पप्राण और अधिक वायु के साथ जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे महाप्राण कहते हैं। हिंदी की "क" "ख" ध्वनियाँ उच्चारण-स्थान, प्रयत्न एवं स्वरतंत्रियों की स्थिति के आधार पर तो समान हैं, परन्तु उनमें केवल प्राणत्व का अंतर है। "क" ध्वनि अल्पप्राण है जबकि "ख" महाप्राण। हिंदी के पाँचों वर्गों की पहली और तीसरी ध्वनियाँ अल्पप्राण हैं और दूसरी और चौथी महाप्राण हैं। यथा—

अल्पप्राण — क् ग् च् ज् ट् ड् त् द् प् ब् ड़्

महाप्राण — ख् घ् छ् झ् ठ् ढ् थ् ध् फ् भ् ढ़्

2. अघोष एवं सघोष : ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरतंत्रियों में कभी तो कंपन होता है और कभी नहीं। इस कंपन के आधार पर ध्वनियाँ सघोष और अघोष होती हैं। हिंदी के पाँचों वर्गों की पहली और दूसरी ध्वनियाँ अघोष हैं और तीसरी तथा चौथी ध्वनियाँ सघोष। यथा —

अघोष — क् ख् च् छ् ट् ठ् त् थ् प् फ्

सघोष — ग् घ् ज् झ् ड् (ड़) ढ (ढ़) द् ध् ब् भ्

उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक व्यंजन

की विशेषताएँ निम्नलिखित तालिका में दिखाई जा रही हैं :

क —	कंठस्थानीय	अघोष	अल्पप्राण	स्पर्शी
ख —	"	"	महाप्राण	"
ग —	"	सघोष	अल्पप्राण	"
घ —	"	"	महाप्राण	"
ङ —	कंठस्थानीय नासिक्य	"	अल्पप्राण (प्रयोग में नहीं है)	"
क़ —	जिह्वामूलीय	अघोष	अल्प्राण	"
ख़ —	"	"	महाप्राण	"
ग़ —	"	सघोष	अल्पप्राण	"
च —	तालव्य	अघोष	अल्पप्राण	स्पर्श संघर्षी
छ —	"	"	महाप्राण	"
ज —	"	सघोष	अल्पप्राण	"
झ —	"	"	महाप्राण	"
ञ —	तालव्य नासिक्य	"	अल्पप्राण (प्रयोग में नहीं है)	"
ट —	मूर्धन्य	अघोष	अल्पप्राण	स्पर्शी
ठ —	"	"	महाप्राण	"
ड —	"	सघोष	अल्पप्राण	"
ढ —	"	"	महाप्राण	"
ण —	मूर्धन्य-नासिक्य	सघोष	अल्पप्राण	स्पर्शी
त —	दंत्य	अघोष	"	"
थ —	"	"	"	"
द —	"	सघोष	"	"
ध —	"	"	"	"
न —	वर्त्स्य-नासिक्य	"	"	"
प —	ओष्ठ्य	अघोष	अल्पप्राण	"
फ —	"	"	महाप्राण	"
ब —	"	सघोष	अल्पप्राण	"
भ —	"	"	महाप्राण	"
म —	ओष्ठ्य-नासिक्य	"	अल्पप्राण	"
य —	तालव्य	"	अल्पप्राण	अर्द्धस्वर
र —	मूर्धन्य	"	"	लुंठित
ल —	वर्त्स्य	"	"	पार्श्विक
व —	दंतोष्ठ्य	"	अल्पप्राण	अर्द्धस्वर
श —	तालव्य	अघोष	"	संघर्षी
ष —	मूर्धन्य	"	"	"
स —	वर्त्स्य	"	"	"
ज —	"	सघोष	"	"
फ़ —	दंतोष्ठ्य	अघोष	महाप्राण	"
ह —	कंठ्य	सघोष	"	"

हिंदी व्यंजन ध्वनियों के संबंध में किए गए इस अध्ययन के बाद, आइए कुछ अभ्यास कार्य करें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ निम्नलिखित का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क — स्वर-व्यंजन ख — अल्पप्राण : महाप्राण ग — अघोष : सघोष घ — उच्चारण स्थान : प्रयत्न	छोटे समूह में चर्चा कीजिए
❑ उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित व्यंजन ध्वनियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए— ख् — त — ड् — झ् — च् —	तालिका देखकर वर्णन कीजिए
❑ संयुक्त व्यंजन से युक्त पन्द्रह शब्द अपनी पुस्तकों से चुनकर उनका उच्चारण-अभ्यास कीजिए।	चयन और अभ्यास कीजिए
❑ अल्पप्राण/महाप्राण और सघोष/अघोष ध्वनियों से युक्त शब्द चुनकर उनका उच्चारण अभ्यास कीजिए।	चयन और अभ्यास कीजिए

2.1.3 उच्चारण प्रक्रिया

किसी भी भाषा के उच्चारण में कुछ ऐसे रागात्मक तत्वों का समावेश रहता है जिनके बिना आदर्श उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये तत्व हैं—विवृत्ति, बल, सुर अथवा अनुतान। अर्थग्रहण की स्थिति में ये तत्व भाषा के भाव या विचार को प्रभावित करते हैं। आइए, इन तत्वों के विषय में चर्चा करें।

(क) **विवृत्ति** : बोलते समय दो वाक्यों, दो रूप-वाक्यों, दो पदबंधों, दो शब्दों के बीच हम थोड़ी या अधिक देर रुकते हैं। इसी रुकने की स्थिति को हम विवृत्ति या संगम कहते हैं। बोलते समय शब्दों का प्रयोग सुव्यवस्थित क्रम में योजनाबद्ध न होने पर उनकी व्यवस्था भंग हो जाती है और अर्थ का परिवर्तन हो जाता है।

उदाहरणार्थ नीचे लिखे उदाहरण देखिए—

1. चल् + आ = चला
   इसी तरह —
2. भोजन को बन्द रखा गया है।
   भोजन को बन्दर खा गया है।
3. उसे रोको, मत जाने दो।
   उसे रोको मत, जाने दो।

(ख) **बलाघात** : वार्तालाप के समय हम कुछ ध्वनियों को बल लगाकर (जोर देकर) और कुछ को बिना बल दिए (सामान्य रूप से) उच्चरित करते हैं। इस बल देने की स्थिति को "बलाघात" कहते हैं। इससे विशेष अर्थ को निकालने में सहायता मिलती है। बलाघात शब्द के अंतर्गत अक्षर पर और वाक्य में आए शब्द पर होता है। हिंदी में शब्द में आए अक्षर विशेष पर बलाघात

अर्थ-भेदक नहीं है, अतः उसे महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाता। वाक्य-स्तर पर यदि किसी शब्द विशेष पर अतिरिक्त बल दिया जाता है तो वह अर्थ भेदक होता है, जैसे—**माताजी** ने मुझे दस रुपए दिए। अर्थात किसी और ने नहीं, **माता जी** ने।

- माता जी ने **मुझे** दस रुपए दिए। अर्थात किसी और को नहीं, मुझे।
- माता जी ने मुझे **दस** रुपए दिए। अर्थात माता जी ने दस रुपए दिए हैं। अधिक या कम नहीं।

(ग) **सुर** : सुर स्वरतंत्रियों के कंपन के कारण उत्पन्न एक ध्वनि गुण है। इसका आधार स्वरतंत्रियों की कंपन गति है। ज्यों-ज्यों स्वरतन्त्रियों द्वारा उत्पन्न कंपन (आवृत्ति) में वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों सुर में भी वृद्धि होती जाती है। सुर का संबंध केवल घोष ध्वनियों से है। प्रत्येक व्यक्ति की स्वरतंत्रियों की कंपन गति अधिक, मध्यवर्ती और न्यून होती रहती है। इस प्रकार सुरों के आरोह–अवरोह को उच्च, मध्य और निम्न कहा जा सकता है।

जैसे—मध्य – $\overrightarrow{\text{अच्छा}}$ $\overrightarrow{\text{अच्छा}}$। (स्वीकृति सूचक)

उच्च – $\overrightarrow{\text{अच्छा}}$? (चुनौती)

निम्न – अति $\overrightarrow{\text{अच्छा}}$! ↑ (आश्चर्य)
उच्च

(घ) अनुतान (सुर लहर) : बोलने में सुर के उतार-चढ़ाव (आरोह–अवरोह) का नाम ही "अनुतान" है। अनुतान वस्तुतः वाक्य का उपलक्षण है जो वाक्य में व्याप्त सुरों की स्थिति तथा उनके अनुक्रम को चरितार्थ करता है। इसमें परिवर्तन करने से अर्थ–भेद उत्पन्न हो जाता है। एक ही वाक्य अनुतान-भेद के कारण भिन्न अर्थ दे सकता है, जैसे—

1 3 2
वह कविता पढ़ता है ↓। (सामान्य कथन)

1 2 3
वह कविता पढ़ता है ↑! (आश्चर्य)

3 1 2
वह कविता पढ़ता है? (प्रश्न)

प्रसंगानुकूल भाषा के प्रयोग में अनुतान का अपूर्व योगदान है।

आइए, इस चर्चा के बाद कुछ अभ्यास कार्य करें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ निम्नलिखित वाक्यों का अनुतान के साथ उच्चारण कीजिए : 1. वह तुम्हारा कौन है? 2. बाबा भारती ने पूछा, "खड़गसिंह क्या हाल है?" 3. कहो, इधर कैसे आ गए? 4. ज़रा एक बात तो सुनते जाओ। 5. जंगल में छिप जाओ, नहीं तो तलघर में ही चलो।	अनुतान सहित शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण कीजिए
❑ अपनी पुस्तकों से कहानी, वार्तालाप आदि से संबद्ध विभिन्न वाक्यों का चयन कर उच्चारण–अभ्यास कीजिए।	चयन और अभ्यास कीजिए
❑ विभिन्न वर्गीकृत स्वरों और व्यंजनों के अलग–अलग चार्ट तैयार कीजिए।	सामग्री निर्माण कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. भाषा की मूल प्रकृति मौखिक है और लेखन उसका द्वितीय रूप है। भाषा के मौखिक व्यवहार में उच्चारण का विशेष महत्त्व है। अतः भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सही उच्चारण पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ध्वनि–व्यवस्था की यथेष्ट जानकारी अपेक्षित है।
2. ध्वनि–व्यवस्था में स्वरों, व्यंजनों और उनके संयोग से बने अन्य भाषाई घटकों का समावेश होता है।
3. व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण के स्थान और प्रयत्नों के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है।
4. उच्चारण में रागात्मक तत्व—विवृत्ति, बल, सुर और अनुतान समाहित रहते हैं।
5. हिंदी में अनुतान वाक्य–स्तर पर ही अर्थ को प्रभावित करता है। एक ही वाक्य का विभिन्न संदर्भों में अलग-अलग प्रयोग करने से उसमें प्रश्न, संदेह, आश्चर्य, कौतूहल, उल्लास, खेद और घृणा आदि की अनेक अर्थ–छटाएँ झाँकने लगती हैं। प्रसंगानुकूल भाषा के प्रयोग में अनुतान का अपूर्व योगदान है।

मूल्यांकन

1. निम्नलिखित को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए :
   (क) विवृत्ति
   (ख) बलाघात
   (ग) सुर
   (घ) अनुतान
2. सघोष ध्वनियों के सामने कोष्ठक में सही (✓) का और अघोष के सामने क्रॉस (X) का निशान लगाइए :

   च ( )
   छ ( )
   ब ( )
   ऊ ( )
   घ ( )
3. महाप्राण ध्वनियों के सामने सही (✓) का और अल्पप्राण के सामने क्रॉस (X) का चिह्न लगाइए।

   ख ( )
   क ( )
   ढ ( )
   प ( )
   ग ( )
4. उच्चारण की विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित ध्वनियों का वर्णन कीजिए :

   ग :
   झ :
   फ :
   ए :
   औ :

कैप्सूल 2.2

उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ

व्यवहारगत उद्देश्य

प्रस्तुत कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. उच्चारण के महत्त्व को समझकर उसमें होने वाली अशुद्धियों को पहचान सकेंगे और उनके कारण बता सकेंगे।
2. अशुद्धियों को सुधारने के लिए उचित उपाय कर सकेंगे।
3. उच्चारण सुधार के लिए विविध अभ्यासों का निर्माण कर सकेंगे।

2.2.0 शुद्ध उच्चारण

जैसा कि कैप्सूल संख्या 2.1 में स्पष्ट किया जा चुका है कि भाषा की मूल प्रकृति मौखिक है और बोलने की शुद्धता बहुत कुछ मानक उच्चारण पर निर्भर है। अतः भाषाई दक्षता प्राप्त करने-कराने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम शुद्ध उच्चारण के महत्त्व को जानें और शुद्ध उच्चारण संबंधी अभ्यासों की प्रकृति और स्वरूप से परिचित हों तभी हमें कक्षा-शिक्षण में यथेष्ट सफलता प्राप्त हो सकेगी।

2.2.1 उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के कारण

आइए, सर्वप्रथम हम उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के कारणों को जानें ताकि उनके आधार पर अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके। यहाँ उच्चारण संबंधी त्रुटियों के कुछ प्रमुख कारणों पर विचार किया जा रहा है :

1. **क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से उच्चारण भिन्नता :** हिंदी विस्तृत क्षेत्र और विशाल जन-समूह की भाषा है। हिंदी भाषी क्षेत्र में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। विभिन्न स्थानों से आए विद्यार्थियों की बोलियों में अपनी-अपनी बोली की झलक मिलती है। हिंदी के मानक उच्चारण में उनकी बोलियाँ जहाँ एक ओर व्याघात उपस्थित करती हैं, वहाँ उच्चारण की भिन्नताएँ भी समस्याएँ उत्पन्न कर देती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न भाषा-भाषी विद्यार्थी भी अपनी-अपनी मातृभाषा के प्रभाव से हिंदी ध्वनियों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों के लिए बोलियों और मातृभाषाओं का व्याघात हिंदी उच्चारण की अशुद्धियों का एक प्रमुख कारण बन जाता है।
2. **वाग् अवयव दोष अथवा श्रव्य दोष :** वागेन्द्रिय और कान में किसी कमी के कारण बालकों में उच्चारण दोष आ जाते हैं। यदि उच्चारण का कोई अवयव दोष पूर्ण है, तो उससे ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं हो पाता। इसी प्रकार यदि कोई ठीक प्रकार से सुन नहीं सकता, तो वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता है। श्रवण दोषों का विस्तृत वर्णन आगे मॉड्यूल-6 में दिया गया है।
3. **लिपिचिह्न और ध्वनि के परस्पर संबंध का गलत ज्ञान :** भाषा का मौखिक व्यवहार ध्वनि-व्यवस्था के माध्यम से होता है जबकि लिखित व्यवहार लिपि संकेतों की व्यवस्था से होता है। किसी भी भाषा की लिपि-व्यवस्था, ध्वनि-व्यवस्था का पूर्णतः प्रतिनिधित्व नहीं करती। अतः भाषा की ध्वनियाँ और लिपिचिह्नों के संबंधों का गलत ज्ञान अनेक उच्चारण दोषों को जन्म देता है। उच्चारण दोषों से होने वाली कुछ प्रमुख अशुद्धियाँ छात्राध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए यहाँ दी जा रही हैं।

1. इ,उ,ऐ, औ— इ (ई) (कवी, मुनी)
उ (ऊ) (वायू, साधू)
ऐ (अइ) (अइसा, पइसा, कइसा)
औ (अउ) (अउरत, अउर, मउसम)
2. य, व, ण — य (ज) (जसोदा, जमना, जोगी)
(व) (ब) (बीर, बीरता, बागीश, रबीन्द्र)

ण (न) (कारन, प्रन, विश्लेषन)

3. क्ष, ज्ञ — क्ष (छ, च्छ) (छत्रिय, कच्छा)
ज्ञ (गय, ग्य) (संगया, ग्यान)

4. द्य — द्य (विद्यालय, विद्या)

5. ह्म, ह्न, ह्ल — म्ह (ब्रम्ह, ब्राम्हण) न्ह (चिन्ह, अपरान्ह)
ल्ह (आल्हाद)।

6. ँ ं — हंसना, पहुंच, चांद, भांति, ऊंट)

7. श, ष — श (स) (देस, दिसा, साम)
ष (श) कश्ट, राश्ट्र)

8. र, ट — र (ल) (रोटी, रात—लोती, लात)
ट (त) (पट्टी, भट्टी—पत्ती, भत्ती) आदि।

आइए, अब कुछ अभ्यास कार्य द्वारा अपने अर्जित ज्ञान को पुष्ट करें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
☐ भाषा का शुद्ध उच्चारण क्यों आवश्यक है?	छोटे समूह में चर्चा कीजिए
☐ कक्षा पाँच के विद्यार्थियों में पाई जाने वाली उच्चारण अशुद्धियों तथा उनके कारणों का पता लगाइए।	ढूँढिए
☐ अपनी पाठ्यपुस्तकों से द, इ, उ, य, व् और द्य से युक्त पाँच-पाँच शब्द चुनिए और उनका शुद्ध उच्चारण अभ्यास कीजिए।	चयन और उच्चारण अभ्यास कीजिए

2.2.2 उच्चारण सुधार के उपाय

उच्चारण संबंधी उक्त दोषों का निराकरण करने के लिए कक्षा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास कराने से पहले निदानात्मक परीक्षण के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए। इस दृष्टि से निम्नांकित उपाय सुझाए जा सकते हैं :

1. अशुद्धि का जो स्तर हो उसी स्तर पर उपचारात्मक अभ्यासों का निर्माण कर उनका उच्चारण अभ्यास कराना चाहिए।
2. अनेक प्रकार के उदाहरणों से युक्त विविध अभ्यास तब तक कराए जाएँ जब तक कि विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण की स्थायी आदत का निर्माण न हो जाए और वे विभिन्न संदर्भों में अशुद्धियों का पूरा सुधार न कर लें।
3. अभ्यासों के निर्माण एवं कक्षा शिक्षण में 'सरलता से कठिनता' का क्रम अपनाया जाए।
4. विद्यार्थियों की प्रगति का निरन्तर मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपनी प्रगति से परिचित रहें और आगे सुधार के प्रति उनका प्रयास और उत्साह सतत रूप से बना रहे।

मौखिक भाषा-व्यवहार में उच्चारण और मौखिक अभिव्यक्ति दोनों का साथ-साथ प्रयोग होता है। किन्तु दोनों की प्रकृति और शिक्षण-प्रक्रिया में मौलिक अन्तर है। उच्चारण में भाषिक इकाइयों के शुद्ध बोलने की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया जाता है। जबकि अभिव्यक्ति में भाषा की संरचनात्मक इकाइयों और उनकी अर्थ-व्यवस्था का समानान्तर प्रयोग एक निश्चित् लय में होता है। विचार-सम्प्रेषण में दोनों की भूमिका समान होती है। अध्यापक के भाषाई व्यवहार में दोनों की प्रभावशीलता का होना आवश्यक है। एक

कुशल शिक्षक की वाणी में छह गुणों का समावेश होना चाहिए—मधुरता, अर्थ की स्पष्टता, पदों का अलग-अलग करके ठीक बोलना, उचित स्वर (स्वराघात), धैर्य और लय की समता। इस संदर्भ में प्राचीन शिक्षा ग्रन्थों में सही उच्चारण की दृष्टि से शिक्षक को उपदेश देते हुए कहा गया है कि "जैसे व्याघ्री अपने बच्चों को मुँह में दबाकर इस प्रकार चलती है कि न तो बच्चे के शरीर में दाँत गड़ते हैं और न वह नीचे ही गिरता है वैसे ही हमें ध्वनियों का उच्चारण करना चाहिए।"

2.2.3 उच्चारण सुधार के लिए अभ्यास-निर्माण

उच्चारण शिक्षण के लिए शब्द स्तर से लेकर वाक्य स्तर तक विद्यार्थियों की सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल उन्हें अनेक प्रकार के अभ्यास कराने की आवश्यकता है। पहले ध्वनि अभ्यास कराए जाएँ। ये अभ्यास शब्दों, शब्द-युग्मों, वाक्यांशों और वाक्यों द्वारा कराए जाएँ। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न अभ्यासों के कुछ नमूने यहाँ दिए जा रहे हैं।

नमूना—1 स : श

अभ्यास-1. अकेले शब्दों में—

स —	श —
साम	शाम
सूर	शूर
सेर	शेर
सीला	शीला
सिला	शिला

अभ्यास-2. शब्द-युग्मों में—

सूर—शूर
सेर—शेर
सिला—शिला
सीला—शीला
साला—शाला

अभ्यास-3. वाक्यांशों में—

शूरों का देश
शेर के बच्चे
शिला के ऊपर
शीला के घर में
पाठशाला में

अभ्यास-4. वाक्यों में—

अब शाम हो गई है।
यहाँ शेर के बच्चे रहते हैं।
वह शिला के ऊपर बैठा है।
शीला घर में है।
रमेश पाठशाला में है।

नमूना—2 उ : ऊ

अभ्यास-1. अकेले शब्दों में—

उ —	ऊ —
कुल	कूल
उन	ऊन
चुन	चून
चुना	चूना
सुना	सूना

अभ्यास-2. शब्द युग्मों में—

कुल—कूल
उन—ऊन
चुना—चूना
सुना—सूना
धुनी—धूनी

अभ्यास-3. वाक्यांशों में—

राजकुल में
ऊनी कंबल
सूना घर
चूने का पानी
लाल फूल

अभ्यास-4. वाक्यों में—

वह राजकुल में पैदा हुआ है।
उसके पास ऊनी कंबल है।
उसका घर सूना है।

गिलास में चूने का पानी है।
ये गुलाब के लाल फूल हैं।

नमूना—3 ए : ऐ

अभ्यास-1. अकेले शब्दों में—

ए — सेर	ऐ — सैर
मेल	मैल
बेर	बैर
तेरा	तैरा
केला	कैला

अभ्यास-2. शब्द-युग्मों में—
सेर—सैर
मेल—मैल
बेर—बैर
केला—कैला
मेला—मैला

अभ्यास-3. वाक्यांशों में—
सैर करना
मैला कपड़ा
बेर का पेड़
गैर आदमी
पानी में तैरना

अभ्यास-4. वाक्यों में—
राम रोज सैर करने जाता है।
बैर से घृणा पैदा होती है।
वह मैले कपड़े पहनता है।
रमेश नदी में तैर रहा है।
वह भी कोई गैर नहीं है।

नमूना—4 ओ : औ

अभ्यास-1. अकेले शब्दों में—

ओ — ओर	औ — और
मोर	मौर
खोल	खौल
कोर	कौर
पोर	पौर

अभ्यास-2. शब्द-युग्मों में—
ओर—और
खोल—खौल
मोर—मौर
कोर—कौर
खोला—खौला

अभ्यास-3. वाक्यांशों में—
बगीचे की ओर
मोर का नाच
तौर तरीके से
रोटी का कौर
खौला हुआ तेल

अभ्यास-4. वाक्यों में—
वह बगीचे की ओर गया है।
मोर नाच रहा है।
तौर तरीके से काम करो।
तेल खौल रहा है।
उसने रोटी का एक ही कौर खाया है।

इसी प्रकार के विविध अभ्यास, अनुस्वार (ं) अनुनासिक स्वर (ँ) त : ट; व : ब; इ : ई; ड : ढ आदि शिक्षण-बिन्दुओं पर बनाए जा सकते हैं। इन अभ्यासों का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करते समय आपको उच्चारण का ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना होगा जिसमें ध्वनि-व्यवस्था, बल, विवृत्ति, सुर और अनुतान का सही प्रयोग हो। उच्चारण की प्रक्रिया शब्द-स्तर के अभ्यासों से आरंभ होकर वाक्य और वार्तालाप के अनुच्छेद स्तर तक चलती रहनी चाहिए। इससे विद्यार्थी भाषा-व्यवहार में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे।

आइए, अब इस अध्ययन के पश्चात् कुछ अभ्यास कार्य करें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ अपनी पाठ्यपुस्तक से अनुनासिक (ँ) और अनुस्वार (ं) से युक्त और यू : जू से युक्त दस-दस शब्दों का चयन कीजिए और उनका उच्चारण अभ्यास कीजिए।	चयन और अभ्यास कीजिए
❑ ड़ : ढ़ और इ : ई शिक्षण बिन्दुओं पर उच्चारण अभ्यास के लिए शब्दों, शब्द-युग्मों, वाक्यांशों और वाक्यों के रूप में शिक्षण सामग्री निर्माण कीजिए।	सामग्री निर्माण कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. भाषा की शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए उच्चारण सिखाना आवश्यक है। यदि उच्चारण में विद्यार्थी अशुद्धियाँ करते हैं, तो उनके कारणों का पता लगाने के लिए पहले निदानात्मक परीक्षण का सहारा लिया जाए। उसके आधार पर अशुद्धियों के कारणों का निराकरण किया जाए। इस दृष्टि से उच्चारण की अशुद्धियों के निम्नलिखित चार प्रमुख कारणों के निराकरण पर बल दिया जाए :

(1) मातृभाषा का व्याघात
(2) ध्वनि के अशुद्ध उच्चारण की आदत
(3) उच्चारण अवयव दोष
(4) ध्वनि और लिपि के संबंध का गलत ज्ञान

2. अशुद्ध उच्चारण सुधारने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रयोग किया जा सकता है :

(1) निदानात्मक परीक्षण के आधार पर विकसित शिक्षण बिन्दुओं पर उपचारात्मक अभ्यासों का निर्माण तथा प्रयोग। यह क्रम तब तक चलना चाहिए जब तक सही उच्चारण की आदत न पड़ जाए।

(2) उच्चारण सुधार की प्रगति का निरन्तर मूल्यांकन होना चाहिए।

मूल्यांकन

1. सही कथनों पर सही (✓) का और गलत कथनों पर गलत (×) का निशान लगाइए :

(क) भाषा की ध्वनियाँ वागेन्द्रिय से उच्चरित होती हैं। ( )

(ख) हिंदी भाषा का मानक उच्चारण सीखते समय विद्यार्थियों की मातृ-बोलियाँ व्याघात उपस्थित करती हैं। ( )

(ग) उच्चारण और मौखिक अभिव्यक्ति में कोई अन्तर नहीं है। ( )

(घ) मौखिक अभिव्यक्ति में भाषा की संरचनात्मक इकाइयों और उनके अर्थ से संबंधित व्यवस्थाओं का समानान्तर प्रयोग एक निश्चित लय में होता है। ( )

(ङ) ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास अलग-अलग ध्वनियों के रूप में किया जाना चाहिए। ( )

(च) यदि उच्चारण का कोई अवयव दोषपूर्ण होता है, तो भी व्यक्ति सही उच्चारण करता है। ( )

(छ) निदानात्मक परीक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के उच्चारण संबंधी दोषों का पता लगाया जा सकता है। ( )

(ज) उच्चारण अभ्यासों में ध्वनियों के अतिरिक्त अनुतान के अभ्यासों का भी समावेश होता है। ( )

(झ) ध्वनि अभ्यासों का लक्ष्य मौखिक भाषा-व्यवहार में ध्वनियों का सही उच्चारण करना सिखाना है। ( )

(ञ) बोलने की सार्थकता भाषा के शुद्ध उच्चारण पर निर्भर नहीं करती। ( )

2. मौखिक अभिव्यक्ति में उच्चारण के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।

3. उच्चारण की अशुद्धियों के कुछ प्रमुख कारण सोदाहरण बताइए। उन्हें सुधारने के लिए आप किन साधनों का प्रयोग करेंगे?

मॉड्यूल-3

लिपि और वर्तनी

3.0 प्रस्तावना

संसार की सभी भाषाएँ बोली जाती हैं, किन्तु ऐसी अनेक भाषाएँ हैं जिनके उच्चरित रूप के समान उनका लिखित रूप भी मिलता है। लेखन में शब्दों का अस्तित्व लिपि संकेतों के सम्यक् प्रयोग और वर्ण विन्यास की प्रक्रिया (वर्तनी) पर आधारित है। इस प्रकार भाषा अधिगम और शिक्षण में ध्वनि व्यवस्था के साथ-साथ वर्ण-विन्यास की प्रक्रिया अर्थात् शुद्ध वर्तनी का ज्ञान महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इस दृष्टि से यह उचित होगा कि वर्ण-विन्यास प्रक्रिया का अध्ययन करते समय हम मॉड्यूल-2 में ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत दी गई जानकारी को भी ध्यान में रखें।

इस तथ्य को ध्यान में रखकर इस मॉड्यूल में दो कैप्सूलों का समावेश किया गया है :

कैप्सूल 3.1 के अंतर्गत देवनागरी लिपि के अद्यतन स्वरूप, प्रकृति और विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है।

कैप्सूल 3.2 में हिंदी वर्तनी के स्वरूप की चर्चा की गई है। इसमें वर्तनी के नियमों तथा उनसे जुड़ी समस्याओं का उल्लेख किया गया है।

कैप्सूल 3.1

देवनागरी लिपि

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. देवनागरी लिपि की प्रकृति तथा स्वरूप को बता सकेंगे।
2. देवनागरी लिपि की विशेषताएँ और नियम बता सकेंगे।

3.1.0 भाषा में लिपि का स्थान

भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करने वाले वर्ण-प्रतीकों की परंपरागत व्यवस्था को 'लिपि' कहते हैं। जिस प्रकार मौखिक भाषा, ध्वनि-व्यवस्था का व्यावहारिक रूप है, उसी प्रकार लिखित भाषा लिपि संकेतों की व्यवस्था का व्यावहारिक रूप है। इससे स्पष्ट है कि भाषा का समुचित विकास तभी संभव है, जब उसे ध्वन्यात्मकता के साथ दृश्य रूप भी प्राप्त हो। तभी वह विकास क्रम में इतनी व्यापक हो सकती है कि देशकाल की सीमाएँ भी उसे बांध नहीं सकतीं। यद्यपि भाषा का प्रमुख और आरंभिक रूप मौखिक है, तथापि सभ्यता के विकास क्रम में उसके लिखित रूप का भी विकास हुआ। लिपि के आविष्कार ने मानव सभ्यता के विकास की असीम संभावनाओं के अनेक द्वार खोल दिए।

3.1.1 देवनागरी लिपि की प्रकृति और स्वरूप

लेखन में ध्वनि संकेतों का प्रतिनिधित्व करने वाले रेखा परक संकेतों को लिपि कहते हैं। इन्हें वर्ण भी कहा जाता है। किसी भाषा के वर्णों की सूची को *वर्णमाला* कहते हैं। हिंदी ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिस लिपि का प्रयोग होता है वह देवनागरी लिपि के नाम से जानी जाती है।

देवनागरी लिपि का विकास भारतीय भाषाओं की अन्य सभी लिपियों के समान, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी देवनागरी लिपि आक्षरिक लिपि है। उसका प्रत्येक वर्ण एक अक्षर अर्थात् स्वर या व्यंजन + स्वर रूप होता है जैसे क = क् + अ, जबकि रोमन और उर्दू लिपियाँ शुद्ध अल्फाबेटिक लिपियाँ हैं, क्योंकि उनके वर्ण अक्षर न होकर या तो शुद्ध व्यंजनात्मक होते हैं, (के.पी. एल. आदि) या स्वरात्मक (ए,इ, ओ आदि)।

भारत में प्रेस के आने से पहले, भारत के विभिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी से उद्भूत विभिन्न लिपियाँ प्रचलित थीं, परंतु प्रेस के आने के बाद लिपियों का मानकीकरण हुआ और अब देवनागरी लिपि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी प्राचीन भाषाओं के साथ हिंदी, मराठी, नेपाली तथा कुछ आदिवासी भाषाओं के लिए प्रयुक्त हो रही है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ देवनागरी में कौन-सी भाषाएँ लिखी जाती हैं?	चर्चा कीजिए

3.1.2 देवनागरी लिपि की विशेषताएँ

1. **क्रमबद्धता :** देवनागरी वर्णमाला में लिपि-संकेतों को निश्चित क्रम एवं व्यवस्था में संयोजित किया गया है। इसमें स्वर, संयुक्त स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों की वैज्ञानिक व्यवस्था है। लिपि के प्रत्येक चिह्न का सुनिश्चित ध्वनि-मूल्य है। इसलिए देवनागरी लिपि में भ्रम की कोई संभावना नहीं है। इसकी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण ध्वनि विज्ञान की पद्धति

के अनुसार उच्चारण स्थान और प्रयत्नों के आधार पर किया गया है। इस वर्णमाला के वर्णों और उनके शुद्ध उच्चारण सीख लेने पर शब्दों की वर्तनी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल शब्दों का शुद्ध उच्चारण जानने से ही उनको शुद्ध लिखा जा सकता है। ध्वनि-लिपि का परस्पर सह संबंध हिंदी देवनागरी लिपि की अपनी विशेषता है।

2. **लिपि संकेतों की पूर्णता :** देवनागरी में हिंदी की सभी ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिह्न एवं वर्ण हैं। अरबी, फ़ारसी तथा अंग्रेजी के प्रभाव से जो नई ध्वनियाँ हिंदी में आई हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए कुछ वर्णों में विशेष चिह्न लगाए गए हैं। अनुनासिक (ँ) और अनुस्वार (ं) जैसे लिपि-चिह्न इसकी ध्वन्यात्मके विशेषता को और भी सिद्ध कर देते हैं।
3. **वर्ण विभाजन की वैज्ञानिकता :** देवनागरी लिपि की वर्णमाला के वर्णों को कुछ वर्गों में विभक्त किया गया है। पहले सभी वर्णों को स्वर और व्यंजन के रूप में बाँटा गया है। फिर स्पर्श व्यंजनों को पाँच वर्गों—कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, और पवर्ग में वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकृत किया गया है जो उनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर है। इन वर्गों में पहले-तीसरे और दूसरे-चौथे क्रम पर भी समान वर्णों का स्थान निर्धारित है। घोष-अघोष, अल्पप्राण-महाप्राण और नासिक्य विशेषताओं के कारण भी इन वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा गया है।

भारत सरकार ने हिंदी के लिए देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया है। इस लिपि की मानक वर्णमाला यहाँ दी जा रही है :

मानक देवनागरी वर्णमाला

स्वर

अ आ इ ई उ ऊ (ऋ) ए ऐ ओ औ

मात्राएँ

ा (का) ि (कि) ी (की) ु (कु) ू (कू) ृ (कृ)
े (के) ै (कै) ो (को) ौ (कौ)

अनुस्वार ं (अं)

अनुनासिक ँ (आँ) (ं)

विसर्ग : (तः)

व्यंजन

क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व
श ष स ह

संयुक्त व्यंजन

क्ष त्र ज्ञ श्र

हल चिह्न ् (क्)

परिवर्धित लिपि संकेत

ऑ (ॉ) - (कॉलिज), क़ (क़लम), ख़ (ख़बर), ज़ (ज़नून), फ़ (फ़ायदा), ग़ (ग़जल)

देवनागरी अंक

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०

अन्तर्राष्ट्रीय रूप

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

अभ्यास कार्य

- ❑ देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर कक्षा में चर्चा कीजिए।
- ❑ देवनागरी लिपि के मानक वर्णों विशेषतः ख, झ, ण, ध, भ को लिखने का अभ्यास कीजिए और उनकी सहायता से सार्थक शब्द बनाइए।

निर्देश

चर्चा कीजिए

रचना कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. भाषा को लिखित रूप प्रदान करने वाले वर्ण संकेतों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। लिपि व्यवस्था भाषा को स्थायित्व तथा मानक रूप देने और उसे विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है।
2. हिंदी ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने वाली वर्णमाला, देवनागरी लिपि के नाम से जानी जाती है। अपनी विशेषताओं के कारण देवनागरी उत्तर से दक्षिण तक समस्त भारत में प्रचलित है।
3. देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं में वर्णों की क्रमबद्धता, व्यवस्था की पूर्णता, उच्चारण लेखन की एकरूपता और वर्ण विभाजन की सरलता का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

मूल्यांकन

1. देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
2. देवनागरी लिपि के मानक वर्णों पर सही का निशान लगाइए :-

(क) *अकेले वर्ण*

अ	अ
ऊ	ऊ
भ	भ
रा	ण
ख	रव
घ	ध
छ	छ
श	श
झ	झ

(ख) *संयुक्त वर्ण*

त्र	त्र
क्ष	क्ष

(ग) *वर्ण संयोग*

त्त	त्त
क्क	क्क
श्व	श्व
ह्ल	ह्‌ल
द्य	द्‌य
ष्ण	ष्ण
श्च	श्‌च
प्त	प्‌त
श्र	श्र
क्त	क्त

3. अपनी पुस्तकों से मानक लिपि में लिखे पचास शब्द छाँटकर उन्हें उसी रूप में लिखने का अभ्यास कीजिए

कैप्सूल 3.2
हिंदी वर्तनी का स्वरूप

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात आप—

1. हिंदी वर्तनी के स्वरूप को बता सकेंगे।
2. हिंदी वर्तनी के नियमों को गिना सकेंगे।
3. वर्तनी की समस्याओं और उनके कारण का पता लगा सकेंगे।

3.2.1 हिंदी वर्तनी का स्वरूप

आप जानते हैं कि भाषा के मौखिक तथा लिखित दो रूप होते हैं। पारंपरिक रूप से हम जिस प्रक्रिया या व्यवस्था द्वारा भाषा के ध्वन्यात्मक रूप को लिखित रूप देते हैं उसे 'वर्तनी' कहा जाता है। ध्वनियों को देवनागरी लिपि में लिखने की एक निश्चित व्यवस्था है। शुद्ध लेखन के लिए इस व्यवस्था का ज्ञान अनिवार्य है। भाषा के मानक रूप में उसके शब्दों के अन्तर्गत ध्वनियों का जो अनुक्रम होता है, उसी के अनुरूप लिखित रूप में वर्णों और अक्षरों का क्रम-नियोजन शुद्ध वर्तनी का मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यार्थी वर्तनी नियमों के अपूर्ण ज्ञान, उच्चारण में बोलियों के प्रभाव, असावधानी आदि के कारण वर्तनी में अशुद्धियाँ कर देते हैं। आइए, वर्तनी दोषों से बचने के लिए सर्वप्रथम हिंदी वर्तनी के नियमों पर चर्चा करें।

3.2.2 हिंदी वर्तनी के नियम

हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने और उसके मानकीकरण के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1961 में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने अप्रैल 1962 में इस संदर्भ मेंअपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसके अनुसार सरकार ने हिंदी भाषा की मूल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हिंदी वर्तनी के नियम निर्धारित किए हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसी को संशोधित करके सन् 1983 में "देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण" शीर्षक से पुस्तिका प्रकाशित की। उसी से वर्तनी के कुछ नियमों का वर्णन आगे दिया जा रहा है।

(1) संयुक्त वर्ण

(क) खड़ी पाई वाले व्यंजन

खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए, यथाः

ख्याति, विघ्न	शय्या
छज्जा	उल्लेख
नगण्य	श्लोक
कुत्ता, ध्वनि, न्यास	राष्ट्रीय
प्यास, सभ्य,	

(ख) अन्य व्यंजन

(अ) 'क' और 'फ़' के संयुक्ताक्षर :
संयुक्त, पक्का, दफ़्तर आदि की तरह बनाए जाएँ, न कि संयुक्त, पक्का, दफ़्तर की तरह।

(आ) संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे, यथा :
प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

'र' के विभिन्न संयोगों को निम्नांकित तीन प्रकार से दिखाया जा सकता है :

(र) (र्) कुर्सी, धर्म, कर्म आदि में (संयोग के पहले)
(्र) प्रकार, अनुक्रम आदि में (संयोग के अन्त में)
(्र) राष्ट्र, ड्रम, ट्राम आदि में (संयोग के अंत में केवल टवर्ग के साथ)

(इ) 'श्र' का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे 'श्र' के रूप में नहीं लिखा जाएगा। त्+र के संयुक्त रूप के लिए त्र और त्र दोनों रूपों में से किसी एक के प्रयोग की छूट होगी।

(2) विभक्ति-चिह्न

(क) हिंदी के विभक्ति-चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक् लिखे जाएँ, जैसे-**राम ने, राम को, राम से** आदि तथा **स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से** आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिह्न प्रातिपदिक के साथ मिलाकर लिखे जाएँ, जैसे—**उसने, उसको, उससे, उसपर** आदि।

(ख) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति-चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए, जैसे—**उसके लिए, इसमें से।**

(ग) सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही, 'तक' आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक् लिखा जाए, जैसे—**आप ही के लिए, मुझ तक को।**

(3) क्रियापद

संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएँ पृथक्-पृथक् लिखी जाएँ, जैसे—**पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं** आदि।

(4) हाइफ़न

हाइफ़न का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है।

(क) द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफ़न रखा जाए, जैसे—**राम-लक्ष्मण, चाल-चलन, हँसी-मज़ाक, लेन-देन, पढ़ना-लिखना, खेलना-कूदना** आदि।

(ख) **सा, जैसा** आदि से पूर्व हाइफ़न रखा जाए, जैसे—**तुम-सा, राम-जैसा, चाकू-से तीखे।**

(5) अव्यय

'तक', **'साथ'** आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएँ, जैसे—**आपके साथ, यहाँ तक।**

सम्मानार्थक **'श्री'** और **'जी'** अव्यय भी पृथक् लिखे जाएँ जैसे—**श्री श्रीराम, कन्हैयालाल जी, श्री महात्मा जी** आदि।

समस्त पदों में **प्रति, मात्र, यथा** आदि अव्यय पृथक् नहीं लिखे जाएँगे, जैसे—**प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र, यथासमय, यथोचित** आदि।

(6) श्रुतिमूलक 'य', 'व'

(क) जहाँ श्रुतिमूलक **य, व** का प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ न किया जाए, अर्थात् **किए-किये, नई-नयी, हुआ-हुवा** आदि में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का ही प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए, जैसे— **दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली** आदि।

(ख) जहाँ 'य' श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जैसे—**स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व** आदि। यहाँ **स्थाई, अव्यईभाव, दाइत्व** नहीं लिखा जाएगा।

(7) अनुस्वार तथा अनुनासिकता-चिह्न (चंद्रबिंदु)

अनुस्वार (ं) और अनुनासिकता चिह्न (ँ) दोनों प्रचलित रहेंगे।

(क) संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे—**गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या; संपादक** आदि में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आगे रहता है, अतः पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा (**गङ्गा, चञ्चल, ठण्डा, सन्ध्या, सम्पादक** का नहीं)। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए अथवा वही पंचमाक्षर दुबारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे—**वाङ्मय, अन्य, अन्न, सम्मेलन, सम्मति, चिन्मय, उन्मुख** आदि। अतः वांमय, अन, संमेलन, संपति, चिंमन, उंमुख, आदि रूप ग्राह्य नहीं हैं।

(ख) चंद्रबिंदु के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है, जैसे—**हंस : हँस, अंगना : अँगना** आदि में।

अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहाँ (विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ) चंद्रबिंदु के प्रयोग से बहुत कठिनाई हो और चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु (अनुस्वार चिह्न) का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे, वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट दी जा सकती है, जैसे—**नहीं, में, मैं**।

(8) विदेशी ध्वनियाँ

(क) अरबी-फ़ारसी या अंग्रेज़ी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं, जैसे—**कलम, किला, दाग** आदि (क़लम, क़िला, दाग़ नहीं)। पर जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएँ, जैसे—खाना : ख़ाना, राज : राज़, फन : हाइफ़न।

(ख) अंग्रेज़ी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' की मात्रा (ा) के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए (ऑ, ॉ)।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ हिंदी वर्तनी के पाँच नियमों का उल्लेख कीजिए।	चर्चा कीजिए
❑ वर्ण संयोग में र् वर्ण के संयोजन के क्या नियम हैं?	चर्चा कीजिए तथा उदाहरण दीजिए
❑ स्वर हीन पंचम वर्णों का संयोजन आप कैसे सिखाएंगे?	चर्चा कीजिए तथा उदाहरण दीजिए
❑ अपनी पाठ्यपुस्तकों से श, ष, स के संयोग से बने सही शब्दों को चुनिए और उन्हें लिखने का अभ्यास कीजिए।	चयन कीजिए तथा लिखिए
❑ अपनी पाठ्यपुस्तकों से ऐसे बीस शब्द छाँटिए जिनमें मानक संयुक्त वर्णों का प्रयोग हो और उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए।	चयन कीजिए तथा लिखिए

3.2.3 हिंदी वर्तनी की समस्याएँ

हिंदी में वर्तनी की समस्या मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से है :

(i) उच्चारण भिन्नता से वर्तनीगत व्याघात

हिंदी भाषा क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। अतः स्थान भेद से एक ही शब्द के उच्चारण के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। लेखन तथा वर्तनी में उच्चारण का अनुगमन होता है। व्यक्ति जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं। विद्यार्थी अपनी बोली अथवा मातृभाषा में जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है, हिंदी भाषा की उनसे कुछ-कुछ मिलती-जुलती ध्वनियों का उच्चारण भी उन्हीं के समान करता है। इस प्रभाव से हिंदी लिखते समय वर्तनी में भी अशुद्धियाँ कर जाता है जैसे—

विनय को "बिनय", कष्ट को "कस्ट" रात्रि को "रात्री" और मधु को "मधू"। अतः लिखते समय बालक इनको इसी रूप में लिख देता है। विभिन्न भाषाओं में ध्वनियों और लिपि-संकेतों में भिन्नता के कारण मातृभाषा सीखने के बाद हिंदी सीखते समय मातृभाषा का व्याघात आना स्वाभाविक है, जिसके कारण बालक हिंदी में उच्चारण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करता है। इसी तरह क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण भी उच्चारण और वर्तनी की अशुद्धियाँ देखी जा सकती हैं, जैसे— कच्छा (कक्षा), भासा (भाषा), जसोदा (यशोदा), कारन (कारण) और उज्वल (उज्ज्वल) आदि अशुद्धियाँ विद्यार्थी प्रायः करते देखे जाते हैं। इसलिए स्थान–भेद, व्यक्ति–भेद जैसे कारणों से हिंदी उच्चारण में विविध रूपता स्पष्ट झलकती है। इसके प्रभाव से हिंदी–लेखन और वर्तनी में भी अनेक रूपता आ जाती है।

(ii) लिपि में एकरूपता का अभाव

भारत सरकार द्वारा देवनागरी के मानकीकरण से पूर्व देवनागरी के वर्णों को विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न रूपों में लिखा जाता था, जो अभी भी प्रचलित है जैसे— अ–त्र्र, रा–ण आदि। इसके कारण वर्तनी में एकरूपता नहीं मिलती। इसी प्रकार शब्दों को भी विभिन्न रूपों में लिखा जाता है जैसे— गये-गए, नयी–नई इसके कारण वर्तनी का रूप स्थिर नहीं हो पाया, फलतः त्रुटियाँ होती हैं।

(iii) लिपि का अपूर्ण ज्ञान

मानक लिपि और वर्तनी की अज्ञानता अथवा अपूर्ण ज्ञान से भी विद्यार्थी शब्दों में उनका सही प्रयोग नहीं कर पाते और वर्तनी की अशुद्धियाँ कर जाते हैं। इनमें ए – ऐ, ओ – औ और महाप्राण व्यंजन – न्ह, म्ह, ल्ह का उल्लेख किया जा सकता है। इन ध्वनियों से युक्त शब्दों में प्रायः अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे—उन्होंने – उनोने, मेहनत – मिहनत, भैया – भइया, कौवा – कउवा, ब्रह्मा – ब्रम्हा, चिह्न – चिन्ह, और आह्लाद – अल्हाद आदि उदाहरण मिल सकते हैं।

(iv) मात्राओं के प्रयोग में असावधानी

कभी–कभी अज्ञान, असावधानी और अतिशीघ्रता से लिखने के कारण भी विद्यार्थी वर्तनी की अशुद्धियाँ कर जाते हैं। इसी कारण हमें तम्बू – तम्बु, पारिवारिक – पारीवारिक, गांधी – गाँधी, लड़का – लडका, बीमार – बिमार, घनिष्ठ – घनिष्ट, पृष्ठ – पृष्ट, कन्ट्रोल – कन्ट्रेल, होंगे – होगें, हाई स्कूल–हाय स्कूल आदि प्रयोग देखने को मिल जाते हैं।

(v) शब्द–रचना और अर्थ–भेद की अनभिज्ञता

शब्द रचना में सन्धि के नियमों और लिंग वचन के अनुसार शब्दों में परिवर्तन के नियमों की जानकारी के अभाव में भी वर्तनी की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इन अशुद्धियों में कवीश्वर–कविश्वर, भानूदय–भानुदय, वाद विवाद–वादाविवाद, अनधिकार–अनाधिकार, सामाजिक– समाजिक, नदियां–नदीयां, आदि त्रुटियों का समावेश हो जाता है।

(vi) सादृश्य

जब व्यक्ति किसी नियम के अनुसार किसी शब्द के एक रूप का कहीं प्रयोग करता है, तो वह उसी नियम के अनुसार वैसा ही रूप अन्य शब्द का भी बनाकर प्रयोग में लाता है। यदि वह नियम दूसरे शब्द पर लागू नहीं होता, तो दूसरे शब्द की गलत रचना हो जाती है और प्रयोक्ता उसी गलत रूप का प्रयोग कर जाता है, जैसे— सरलता के सादृश्य पर सामर्थ्यता (सामर्थ्य), सरलतम के सादृश्य पर श्रेष्ठतम (श्रेष्ठ), बेहद के सादृश्य पर बेअन्त, देखिए के सदृश्य पर करिए (कीजिए)।

अभ्यास कार्य

- ❑ हिंदी वर्तनी की प्रमुख समस्याओं पर परिचर्चा कीजिए।

निर्देश

आयोजन कीजिए

वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान

वर्तनी की अशुद्धियों की उपर्युक्त समस्याओं और उनके कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तनी सुधार के उपाय तथा तत्संबंधी अभ्यास कार्यों के आयोजन की आवश्यकता है। इस संबंध में मॉड्यूल 9 के कैप्सूल 9.3 में वर्तनी शिक्षण के अन्तर्गत विस्तार से विचार किया जाएगा।

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. लेखन में नियमों के अनुसार वर्णों के प्रयोग की प्रविधि को वर्ण–विन्यास या वर्तनी कहते हैं। शब्द रचना में वर्ण संयोग का विशेष महत्त्व है और उच्चारण का सीधा प्रभाव लेखन विधान या वर्तनी पर सर्वत्र देखा जाता है। मानक उच्चारण में ध्वनियों का जो अनुक्रम होता है, उसी के अनुसार लिखित रूप में वर्णों और अक्षरों का क्रम नियोजन शुद्ध वर्तनी का मुख्य उद्देश्य होता है।
2. हिंदी वर्तनी का स्वरूप अक्षरात्मक है। उसमें स्वर वर्णों के लिपि संकेत तो होते ही हैं, उनकी मात्राएँ भी प्रयुक्त होती हैं। देवनागरी में स्वर वर्णों का प्रयोग शब्द के आदि या किसी शब्द के बीच स्वर की मात्रा के बाद होता है, जबकि उनकी मात्राओं का प्रयोग व्यंजन वर्णों के पश्चात् होता है।
3. हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। उनमें अनुस्वार और अनुनासिक, श्रुतिमूलक य् व् वर्णों, एक वर्ण के लिए अनेक लिपि–संकेतों, संयुक्त वर्णों और विभक्ति-चिह्नों, परसर्गों आदि के प्रयोग के नियमों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इन नियमों का ज्ञान शुद्ध वर्तनी लेखन में सहायक होगा।
4. हिंदी वर्तनी की अशुद्धियों के अनेक कारण हैं— उच्चारण–भिन्नता से वर्तनीगत व्याघात, चिह्नों में एकरूपता का अभाव, लिपि का अपूर्ण ज्ञान, मात्राओं के प्रयोग में असावधानी , शब्द–रचना और अर्थ–भेद की अनभिज्ञता तथा सादृश्य आदि।

मूल्यांकन

1. निम्नलिखित के विषय में मानकीकृत वर्तनी संबंधी क्या नियम हैं :
   (क) विभक्ति-चिह्नों का प्रयोग
   (ख) हाइफ़न का प्रयोग
   (ग) अनुस्वार तथा अनुनासिक चिह्नों का प्रयोग
   (घ) अरबी–फ़ारसी से आई विदेशी ध्वनियों के लेखन का रूप
   (ङ) पंचम अक्षर का संयोग।
2. हिंदी वर्तनी की समस्याओं के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए।

मॉड्यूल-4

हिंदी शब्द भंडार तथा शब्द रचना

4.0 प्रस्तावना

प्रसिद्ध भाषाशास्त्री रामचंद्र वर्मा ने अपनी पुस्तक "शब्द और अर्थ" में लिखा है कि भाषा रूपी वृक्ष का मूल शब्द–समूह ही है। व्यवस्थित शब्द–समूह से ही भाषा बनती है। यद्यपि भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति की दृष्टि से वाक्य भाषा की सार्थक इकाई माना जाता है, किन्तु अनेक दृष्टियों से भाषा की सार्थक इकाई शब्द है, क्योंकि इसके अभाव में वाक्य की रचना ही संभव नहीं। वाक्य की सत्ता शब्दों के उचित मेल और उनके सामर्थ्य पर निर्भर है। इसी कारण 'शब्द' को भाषा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्व माना जाता है।

शब्द ध्वनियों अथवा वर्णों के मेल से बनते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई वर्ण है, शब्द नहीं। किन्तु ध्यान देने की बात है कि पृथक–पृथक वर्णों का उस समय तक कोई अर्थ या महत्त्व नहीं है, जब तक वे मिलकर सार्थक शब्द का रूप न ग्रहण कर लें। शब्द बनने पर ही उससे किसी वस्तु, भाव या विचार का बोध होता है। शब्द में कोई न कोई अर्थ निहित रहता है, इसलिए वह सार्थक इकाई कहलाता है।

इसी कारण वास्तव में निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण–समूहों को "शब्द" कहते हैं। कोश में शब्द दिए होते हैं पर वाक्य में ये शब्द "पद" कहलाते हैं। अतः शब्द के दो रूप होते हैं— एक, कोश में दिया गया मूल रूप तथा दूसरा वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण-सम्मत रूप। पहला रूप "शब्द" कहलाता है और दूसरा रूप "पद"। वाक्य के अंदर शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय के रूप में कार्य करता है और लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार अपना रूप बदलता रहता है।

वस्तुतः भाषिक कौशलों की योग्यता का आधार शब्द–ज्ञान है। इस दृष्टि से भी विद्यार्थियों के शब्द भंडार की अभिवृद्धि भाषा–शिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

प्रस्तुत मॉड्यूल में हिंदी शब्द भंडार तथा शब्द रचना से संबंधित विविध पक्षों पर निम्नलिखित चार कैप्सूलों में विचार किया गया है :

कैप्सूल – 4.1 शब्द भंडार
कैप्सूल – 4.2 शब्द रचना
कैप्सूल – 4.3 शब्द भंडार वृद्धि
कैप्सूल – 4.4 मुहावरे और लोकोक्तियाँ

कैप्सूल 4.1
शब्द भंडार

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. हिंदी में विभिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों, जैसे—तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को पहचान सकेंगे।
2. अपनी पाठ्यपुस्तक से उपर्युक्त शब्दों का चयन करके उन्हें पृथक्-पृथक् सूचीबद्ध कर सकेंगे।
3. पाठ में आए हुए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बता सकेंगे।
4. अर्थ की दृष्टि से हिंदी शब्दों के विभिन्न रूपों, जैसे—समानार्थी, एकार्थी तथा समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों से परिचित हो सकेंगे।
5. युग्म तथा पुनरुक्त शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित हो सकेंगे।
6. अपनी पाठ्यपुस्तक में आए हुए युग्म शब्दों का संकलन कर सकेंगे और उन्हें वर्गीकृत कर सकेंगे।
7. कोश देखकर शब्द का अर्थ ढूँढ सकेंगे तथा कोश में दिए हुए अनेक अर्थों में से प्रसंगानुकूल अर्थ छाँट सकेंगे।

4.1.0 हिंदी शब्द भंडार

हिंदी एक विकासशील जनभाषा है। वह अपने विकासक्रम में अनेक स्रोतों से शब्दों को ग्रहण और आत्मसात करती जा रही है। इस कारण उसका शब्द भंडार निरंतर बढ़ता गया है।

इस शब्द भंडार पर हम मुख्यतः तीन दृष्टियों से विचार कर सकते हैं—

1. इतिहास या स्रोत के आधार पर
2. अर्थ के आधार पर
3. रचना के आधार पर (इस पर आगे पृथक से कैप्सूल 4.2 में चर्चा की जा रही है)

4.1.1 इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी शब्दों के प्रकार

इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी शब्दों को चार भागों में विभाजित किया जाता है—

क — तत्सम	ख — तद्भव
ग — देशज	घ — विदेशी

क. तत्सम शब्द : 'तत्सम' शब्द तत् + सम से बना है। "तत्" का अर्थ है— उसके और "सम" का अर्थ है— समान। अर्थात् किसी भाषा के वे शब्द जो अन्य भाषा से यथावत् ले लिए गए हों। इस दृष्टि से अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के भी ज्यों के त्यों ले लिए गए शब्द तत्सम कहे जा सकते हैं, किन्तु हम तत्सम शब्द का प्रयोग मात्र संस्कृत से आए शब्दों के लिए ही करते हैं। अतः जो शब्द संस्कृत से यथावत् हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। आज ज्ञान-विज्ञान के विकास के कारण पारिभाषिक शब्दावली के अधिकतर शब्द भी संस्कृत के आधार पर ही बनाए जा रहे हैं।

ख. तद्भव शब्द: तद्भव का अर्थ है उससे (अर्थात् संस्कृत से) उत्पन्न। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ विकसित या परिवर्तित होकर सरल रूप में हिंदी में आए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे—आग (अग्नि), सूरज (सूर्य), दूध (दुग्ध), दही (दधि)।

ग. देशज : हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके स्रोत का पता नहीं चलता। वे लोकभाषाओं अथवा बोलियों से आ गए हैं, इसीलिए उन्हें देशज (देश में उत्पन्न) कहते हैं। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं:

(1) ध्वन्यात्मक शब्द, जैसे— बड़बड़ाना, गुड़गड़ाना, हिनहिनाना, बिलबिलाना, छटपटाना, फुफकारना,

खटपट, चटपट, अंटसंट आदि।

(2) ऐसे शब्द जिनका मूल अज्ञात है, जैसे— गाड़ी, जूता, पेट, लोहा, टाँग, गौड़, तेंदुआ, डिबिया, खिड़की, पगड़ी, आदि।

घ. **विदेशी शब्द :** जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें विदेशी अथवा आगत शब्द कहा जाता है। मुसलमानों के आगमन के बाद अरबी-फ़ारसी और तुर्की के हजारों शब्द हिंदी भाषा में घुलमिल गए। इसी तरह अंग्रेजी शासन काल में सैकड़ों अंग्रेजी शब्द हिंदी में प्रचलित हो गए। उपर्युक्त भाषाओं के अतिरिक्त पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जर्मन, डच, चीनी, जापानी आदि भाषाओं से भी कुछ शब्द हिंदी में आ गए हैं। कुछ विदेशी शब्दों की सूची दी जा रही है—

अरबी-फ़ारसी : अख़बार, आइना, आज़ाद, इत्र, काग़ज, कानून, किताब, कुरसी, जुलूस, जलसा, तबीयत, तारीख, नुकसान, फ़ायदा आदि।

अंग्रेजी : अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर, स्कूल, कॉलेज, कंपनी, कमीशन, कोट, गवर्नर, गार्ड, स्टेशन, टेलीफोन, ट्रेन, ड्राइवर आदि।

पुर्तगाली : आलपीन, आलमारी, कमरा, गोदाम, तौलिया, बाल्टी, साबुन, पादरी आदि।

तुर्की : कुरता, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, सौगात, उर्दू, कुली, चाकू आदि।

हिंदी की पाठ्यपुस्तकों में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों का ध्यान ऐसे शब्दों की ओर दिलाएँ जिससे उनको इन शब्दों के सही स्रोत की जानकारी हो सके।

ङ. **संकर शब्द :** हमारी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो दो स्रोतों से आए शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे—रेलगाड़ी, जिलाधीश, डाकखाना। इनमें विदेशी तथा हिंदी शब्दों का योग है। ऐसे शब्दों को "संकर" शब्द कहते हैं।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ तत्सम शब्द से क्या तात्पर्य है? अपनी पाठ्यपुस्तक से तत्सम शब्दों के दस उदाहरण दीजिए।	चर्चा कीजिए तथा चयन कीजिए
❑ तद्भव शब्द किसे कहते हैं? अपनी पाठ्यपुस्तक से कुछ तद्भव शब्दों के उदाहरण दीजिए और उनके तत्सम रूप भी लिखिए।	चर्चा कीजिए तथा चयन कीजिए
❑ पाँच देशज शब्द लिखिए।	चयन कीजिए
❑ हिंदी में प्रचलित किन शब्दों को विदेशी शब्द कहा गया है? उनके उदाहरण दीजिए।	चयन कीजिए
❑ नीचे दिए गए संकेतों के अनुसार बाल भारती भाग 3 से 5 तक तथा किशोर भारती भाग 1 से 3 तक के पाठों में से शब्दों की सूची बनाइए— क. तद्भव शब्द तथा उनके तत्सम रूप ख. अरबी-फ़ारसी शब्द ग. अंग्रेजी शब्द	चयन कीजिए तथा सूची बनाइए
❑ हिंदी में प्रयुक्त कुछ संकर शब्दों की सूची बनाइए।	सूची बनाइए

4.1.2 अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों के प्रकार

अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों के पाँच प्रकार हैं—

क – समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द

ख – विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द

ग – अनेकार्थी शब्द।

घ – एकार्थी

ङ – समश्रुतिभिन्नार्थी

क. समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द : जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है—

आग : अग्नि, अनल, दहन, पावक, ज्वाला।

आँख : नेत्र, चक्षु, नयन, दृग, लोचन।

आकाश : गगन, व्योम, अंबर, नभ, अनंत, आसमान।

जल : पानी, अंबु, सलिल, वारि, पय, तोय।

कमल : अरविंद, पंकज, कंज, राजीव, सरोज, वारिज, सरसिज, नलिन।

नदी : सरिता, निर्झरिणी, तटिनी, तरंगिणी, कल्लोलिनी।

पर्वत : पहाड़, भूधर, महीधर, नग, शैल, गिरि, भूमिधर।

पवन : हवा, वायु, अनिल, समीर, मारूत, प्रभंजन।

अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग में पूर्णतः एक-दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। किसी एक प्रसंग में एक शब्द उपयुक्त होता है तो किसी दूसरे प्रसंग में दूसरा शब्द। उदाहरण के लिए जल और पानी पर्यायवाची हैं; पर पितरों के तर्पण के प्रसंग में जल शब्द का ही प्रयोग होता है, पानी का नहीं। नाली में पानी बहता है, जल नहीं। इसी प्रकार हवा, वायु, पवन, समीर में से कोई एक शब्द एक-प्रसंग में अधिक उपयुक्त होगा तो दूसरा शब्द दूसरे प्रसंग में।

कुछ शब्द एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, पर उनमें सूक्ष्म अंतर रहता है। इस अंतर को स्पष्ट करते हुए इनकी ओर छात्रों का ध्यान दिलाना आवश्यक है, जैसे—अधिक-पर्याप्त, आवश्यक-अनिवार्य, अस्त्र-शस्त्र, प्रेम-स्नेह, भ्रम-संदेह, सहयोग-सहायता, अपराध-पाप इत्यादि। ऐसे शब्दों को अपूर्ण पर्याय भी कहा जाता है।

ख. विलोमार्थी अथवा विपरीतार्थक शब्द : किसी शब्द से विपरीत अर्थ देने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक कहा जाता है, जैसे—यश का अपयश। नीचे कुछ ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं—

शब्द	*विलोमार्थी*	*शब्द*	*विलोमार्थी*
उन्नति	अवनति	प्रकाश	अंधकार
अक्षम	सक्षम	आकाश	पाताल
अनुकूल	प्रतिकूल	आरोह	अवरोह
उदय	अस्त	आशा	निराशा
अनुज	अग्रज	आदि	अंत
अमृत	विष	आदान	प्रदान
सुलभ	दुर्लभ	भीतर	बाहर
शुभ	अशुभ	ऊँचा	नीचा

ग. अनेकार्थक शब्द : विभिन्न परिस्थितियों में प्रसंग के अनुसार भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं, जैसे—

अंबर—आकाश, वस्त्र।

आम— एक फल, मामूली, सामान्य।

कल— आने वाला या बीता हुआ दिन, मशीन, सुन्दर, चैन।

कुल— वंश, सब।

तीर— तट, बाण।

पत्र— चिट्ठी, पत्ता, समाचारपत्र।

विधि— ब्रह्मा, रीति, पद्धति।

श्रुति— कान, वेद।

घ. एकार्थी शब्द : जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक-सा रहता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे—अहंकार, उत्तम, शस्त्र, अपराध, पाप, निंदा, स्वागत, धन्यवाद, निधन, पत्नी, मित्र, श्रद्धा आदि।

ङ. समश्रुति भिन्नार्थक शब्द : कुछ ऐसे शब्द हैं जो ध्वनि

और वर्तनी की दृष्टि से कुछ समान् लगते हैं किन्तु अर्थ की दृष्टि से वे एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समश्रुतिभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे कुछ शब्दों की सूची दी जा रही है—

अपेक्षा–उपेक्षा, अगम–आगम, अनुसार–अनुस्वार, उधार–उद्धार, कुल–कूल, अनल–अनिल, अवलंब–अविलंब, निधन–निर्धन, संकर–शंकर आदि। ऐसे शब्दों के अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका अंतर बताना चाहिए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ पर्यायवाची, विलोमार्थी और अनेकार्थी शब्दों के अलग–अलग दस उदाहरण दीजिए।	चयन कर सूची बनाइए
❑ समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों से क्या तात्पर्य है? अर्थ बताते हुए ऐसे दस उदाहरण दीजिए।	चयन कीजिए
❑ अपनी पाठ्यपुस्तकों से पर्यायवाची, विलोमार्थी और अनेकार्थक शब्दों का संकलन कीजिए और अलग–अलग उनकी सूची बनाइए।	सूची बनाइए
❑ पर्वत, समुद्र, सूर्य, कमल, पुष्प के पाँच–पाँच पर्यायवाची शब्द लिखिए।	सूची बनाइए
❑ निम्नांकित शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अंतर स्पष्ट हो जाए— पाप–अपराध, सहायता–सहयोग, प्रसाद–प्रासाद, बालक–बेटा, अहंकार–अभिमान।	प्रयोग कीजिए

4.1.3 युग्म तथा पुनरुक्त शब्द

(क) **युग्म :** युग्म शब्द हिंदी भाषा की अपनी विशिष्टता है। इनके प्रयोग से कथन में अर्थ चमत्कार और अर्थ गौरव आता है।

युग्म शब्द यौगिक शब्दों का ही एक प्रकार है। युग्म का अर्थ है—जोड़ा। जब कोई शब्द अपने पर्याय अथवा विलोम अथवा अन्य शब्द के साथ जोड़ा बनकर प्रयुक्त होता है, तो उसे युग्म कहते हैं, जैसे— बाल–बच्चे, लाभ–हानि, यश–अपयश आदि। युग्म शब्दों में एक अतिरिक्त अर्थ निहित रहता हैं। जैसे— "बाल–बच्चे ठीक हैं" में पूरे परिवार का कुशल–मंगल सन्निहित है, केवल बच्चों का ही नहीं।

युग्म शब्दों के तीन भेद किए जा सकते हैं—

1. पर्याय अथवा मिलते–जुलते अर्थ वाले शब्दों के युग्म
2. विलोम शब्दों के युग्म
3. सार्थक और निरर्थक शब्दों के युग्म

1. पर्याय अथवा मिलते–जुलते अर्थ वाले शब्दों के युग्म

संज्ञा : अन्न–जल,आचार–विचार, जीव–जंतु, काम–काज, दीन–दुनिया, जान–पहचान, मार–पीट आदि।

विशेषण : हृष्ट–पुष्ट, सीधा–सादा, फटा–पुराना, दुबला–पतला, भूला–भटका आदि।

सर्वनाम : जो कोई, सब–कुछ आदि।

क्रिया : चलते–फिरते,गाते–बजाते, सुना–सुनाया,

सोचा–समझा, लड़ते–झगड़ते, लिखते–पढ़ते आदि।
क्रिया–विशेषण : ज्यों–त्यों, यहाँ–वहाँ, जैसे–तैसे आदि।

2. **विलोम शब्दों के युग्म**
संज्ञा : देश–विदेश, जीवन–मरण, आगा–पीछा, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, सुख–दुख, गुण–दोष, जय–पराजय, यश–अपयश, हर्ष–विषाद आदि।
विशेषण : ऊँचा–नीचा, छोटा–बड़ा, थोड़ा–बहुत, उलटा–सीधा, भला–बुरा, उचित–अनुचित।
क्रिया : आना–जाना, चढ़ना–उतरना, जीना–मरना, सोना–जागना आदि।
क्रिया–विशेषण : यहाँ-वहाँ, ऊपर–नीचे, इधर–उधर, आगे–पीछे आदि।

3. **सार्थक और निरर्थक शब्दों के बने युग्म**
हट्टा-कट्टा, गाली-गलौज, पूछ-ताछ, आस-पास, आमने-सामने, अड़ोसी-पड़ोसी, इने-गिने, अदला-बदला आदि। पहले तीन उदाहरणों में बाद में आए शब्द निरर्थक हैं और शेष उदाहरणों में पहले आए शब्द। कभी-कभी युग्म शब्दों के दोनों अंग निरर्थक होते हैं, पर उनसे मिलकर एक अर्थ बन जाता है, जैसे—ऊटपटांग, अंटसंट, अनाप-सनाप आदि।

(ख) **पुनरुक्त शब्द :** युग्म शब्दों का ही एक प्रकार पुनरुक्त शब्द है।
ऐसे यौगिक शब्दों के निर्माण का तरीका है—उसी शब्द की आवृत्ति, जैसे—घड़ी-घड़ी, घर-घर, चलते-चलते आदि।
कुछ युग्म शब्दों के बीच में ही, न, का, तो आदि का प्रयोग करके अर्थ विशेष पर बल दिया जाता है, जैसे—बाहर **ही** बाहर, कोई **न** कोई, कुछ **न** कुछ, घर **का** घर, कुछ **का** कुछ, और **तो** और, आप **ही** आप आदि।

अभ्यास-कार्य	निर्देश
❑ युग्म शब्दों के कौन-से तीन भेद बताए गये हैं?	चर्चा कीजिए
❑ विलोम शब्दों के युग्मों के पाँच उदाहरण दीजिए।	रचना कीजिए
❑ पुनरुक्त शब्दों से क्या आशय है? उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए।	उदाहरण सहित चर्चा कीजिए

4.1.4 शब्दकोश का प्रयोग और अभ्यास

शब्दों के अर्थ का पता लगाने के लिए उस भाषा के शब्दकोश का प्रयोग आवश्यक होता है। अतः शब्द का अर्थ समझने में कठिनाई होने पर विद्यार्थियों को शब्दकोश देखने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों को शब्दकोश देखने का अभ्यास हो जाने पर शब्दार्थ की कठिनाई वे स्वयं ही दूर कर सकेंगे और शब्दार्थ जानने के लिए वे शिक्षक या अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेंगे।

शब्दकोश की उपयोगिता केवल अर्थ जानने तक ही सीमित नहीं है, वरन् उसके और भी अनेक लाभ हैं–

1. शब्दकोश से शब्द के मानक रूप को जाना जा सकता है। यदि किसी शब्द के दो रूप प्रचलित हो गए हैं तो कोश में दोनों ही रूप दे दिए जाते हैं और अमानक रूप के शब्दार्थ न देकर "दे." (देखिए) संकेत द्वारा मानक शब्द देखने के लिए कहा जाता है, जैसे— "कोहार" शब्द पूर्वी उत्तर प्रदेश में "कुम्हार" के लिए प्रचलित है, तो "कोहार" शब्द देकर दे. कुम्हार

संकेत दे दिया जाता है तथा "कुम्हार" शब्द के अंतर्गत अर्थ स्पष्ट किया जाता है।

2. किसी शब्द की वर्तनी के संबंध में संदेह होने पर शब्दकोश का सहारा लिया जा सकता है। इससे शब्दों की शुद्ध वर्तनी का बोध हो जाता है।
3. शब्दकोश में एक शब्द के विभिन्न अर्थ दिए होते हैं, जो भिन्न-भिन्न संदर्भ में सही माने जाते हैं। अतः विद्यार्थियों में उन विभिन्न अर्थों में से प्रयोग के अनुसार सही अर्थ खोज लेने की प्रवृत्ति विकसित होती है। जैसे "शून्य" शब्द के अर्थ हैं "रिक्त", "खाली, "तुच्छ", "अर्थहीन", "निराकार", "आकाश," "ब्रह्म"।
4. व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्द भेदों में से किस भेद का है, इसका उल्लेख भी कोश में रहता है। संज्ञा के लिए (सं.), सर्वनाम के लिए (स.), विशेषण के लिए (वि.), क्रिया के लिए (क्रि.), अव्यय के लिए (अ.) लिख दिया जाता है। अतः विद्यार्थी व्याकरण के अनुसार शब्द भेद जानने के लिए भी कोश का सहारा ले सकते हैं। कोश में शब्दों के लिंग का भी संकेत रहता है। पुल्लिंग के लिए (पु.), स्त्रीलिंग के लिए (स्त्री) लिखा रहता है। अतः लिंग संबंधी जानकारी के लिए भी कोश देखना उपयोगी होता है।
5. कोश में शब्द किस स्रोत से आया है, इसका भी उल्लेख रहता है। संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से आए शब्दों के सामने उस भाषा का संकेत दिया रहता है।

हिंदी शब्दकोश देखने की विधि : हिंदी भाषा का शब्दकोश देखने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए :

1. जिस शब्द को देखना हो, उसके आरंभ का वर्ण देखें और उसके आधार पर उस शब्द की खोज करें।
2. हिंदी शब्दकोश में स्वीकृत वर्णानुक्रम निम्नलिखित हैं— अं, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ के बाद क से ह तक के सभी वर्ण क्रमानुसार। प्रत्येक व्यंजन में भी क्रम से मात्राओं के बाद उनके संयुक्त रूप, जैसे—कं, क, का, कि, की, कु, कू, कृ, के, कै, को, कौ के बाद क्य, क्र, क्व आदि से आरंभ शब्द।
3. अनुस्वार (ं) और चन्द्रबिन्दु (ँ) से युक्त वर्ण से बने शब्द अकारादिक्रम में प्रत्येक वर्ण के पहले रखे जाते हैं, इसके पश्चात् वर्णक्रम में शब्दों का संयोजन मिलता है, जैसे अंक, आँकना, अंगार आदि शब्द "अ" से बने शब्दों के क्रम में पहले दिए जाते हैं। इसीलिए शब्दकोश में अकड़, अकड़ना आदि शब्द अंक, आँकना के बाद मिलेंगे। अनुस्वार और चंद्रबिन्दु की प्राथमिकता इसी क्रम में सभी वर्णों के साथ मानी गई है।
4. क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्ताक्षर हैं। हिंदी वर्णमाला में "ह" के बाद क्ष, त्र, ज्ञ दिया रहता है, इसी भ्रम के कारण विद्यार्थी इन्हें कोश में भी "ह" के बाद देखने लगते हैं। पर यह ठीक नहीं है। इन्हें अन्य संयुक्त वर्णों के समान ही यथास्थान देखना चाहिए अर्थात् क्ष को 'क' वर्ण के, त्र को 'त' वर्ण के और ज्ञ को 'ज' वर्ण के अंतर्गत देखना चाहिए।
5. "ऋ" वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की सूची "ऊ" वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की समाप्ति पर आरंभ होती है, जैसे— "ऊहा" के बाद "ऋक्थ", ऋक्ष, ऋचा, ऋण, ऋतु, ऋषि आदि। इसी प्रकार— ऊ स्वर की मात्रा (ू) से युक्त शब्दों के बाद "ऋ"मात्रा (ृ) युक्त शब्द मिलेंगे। जैसे—पूस के बाद पृथक्।

उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रख कर कोश का उपयोग करने पर विद्यार्थी को हिंदी शब्दकोश देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

अभ्यास कार्य

- निम्नलिखित शब्दों को आप शब्दकोश में किस क्रम तथा किस वर्ण क्रम में ढूँढेंगें ?

  ऋषि, मृग, क्यारी, प्रिय, श्रृंगार, स्थान, दिव्य, ब्रह्मांड, कर्म, उज्ज्वल।

निर्देश

ढूँढिए तथा चर्चा कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. ऐसे ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जिससे किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती हो। शब्द किसी न किसी वस्तु, भाव या विचार का प्रतीक होता है। प्रयोग और अर्थ दोनों दृष्टियों से वह भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। जिस विद्यार्थी के पास जितनी अधिक शब्द संपदा होती है, वह उतनी ही जल्दी और अच्छी तरह विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अतः विद्यार्थियों के शब्द भंडार की अधिकाधिक वृद्धि करना भाषा-शिक्षा का आवश्यक अंग है।
2. स्रोत की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को चार भागों में विभाजित किया जाता है—

   1. तत्सम 2. तद्भव 3. देशज और 4. विदेशी।
3. अर्थ की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार को पाँच वर्गों में बाँटा गया है—समानार्थी, विलोमार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी और समश्रुति भिन्नार्थक।
4. युग्म और पुनरुक्त शब्द हिंदी की अपनी विशेषताएँ हैं। ये भी कई प्रकार के हैं, यथा—पर्याय अथवा मिलते-जुलते अर्थ वाले शब्दों के युग्म, सार्थक और निरर्थक शब्दों के युग्म। पुनरुक्त का अर्थ है उसी शब्द की आवृत्ति।
5. शब्दार्थ जानने के लिए विद्यार्थियों में कोश देखने की प्रवृत्ति विकसित करने की आवश्यकता है।

मूल्यांकन

1. विभिन्न स्रोतों की दृष्टि से हिंदी शब्द-समूह का वर्गीकरण कीजिए।
2. पर्यायवाची शब्द से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित समझाइए।
3. एकार्थक और अनेकार्थक शब्दों में क्या भेद है, स्पष्ट कीजिए।
4. "युग्म शब्द" के प्रकार सोदाहरण समझाइए।
5. हिंदी शब्दकोश देखने के लिए किन बिन्दुओं का ध्यान रखना आवश्यक है?
6. हिंदी कोश में संयुक्त वर्ण—क्ष, त्र, ज्ञ आप किस-किस वर्ण के अन्तर्गत पाएंगे?

कैप्सूल 4.2

शब्द रचना

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. रचना के आधार पर शब्दों को पहचान कर उनका वर्गीकरण कर सकेंगे।
2. संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर यौगिक शब्दों की रचना कर सकेंगे।

4.2.1 शब्द रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण

रचना के आधार पर शब्दों के तीन वर्ग किए जाते हैं—

(क) रूढ़ (ख) यौगिक और (ग) योगरूढ़

(क) रूढ़ शब्द : वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सकें, अर्थात् जो अन्य शब्दों के मेल से न बनें हों, जैसे— हाथ, पैर, रात, दिन, सूरज, चाँद, घोड़ा, लता, पेड़, फूल, पत्ता आदि।

(ख) यौगिक : वे शब्द जो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हुए हों। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं।

(ग) योगरूढ़ : जिस यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे योगरूढ़ कहते हैं, जैसे— "जलज" का अर्थ है जल से उत्पन्न कोई भी वस्तु किन्तु इसका अर्थ "कमल" रूढ़ हो गया है। अतः इसे योगरूढ़ कहा जाएगा। इसी तरह लंबोदर, पीतांबर, पंचानन, दशानन आदि योगरूढ़ शब्द हैं जिनके एक निश्चित अर्थ क्रम से गणेश, कृष्ण, ब्रह्मा, रावण हैं।

4.2.2 यौगिक शब्दों की रचना

(1) संधि प्रक्रिया से बने यौगिक शब्द : हिमालय शब्द हिम + आलय शब्दों के मेल से बना है। हिम में 'म' की अंतिम ध्वनि "अ" और "आलय" की आदि ध्वनि-आ मिलकर "आ" ध्वनि बन गई है और "हिमालय" एक शब्द बन गया। इसी प्रकार सुरेश में "सुर" की अंतिम ध्वनि "अ" और "ई" की आदि ध्वनि ई मिलने से "ए" ध्वनि बन गई है और "सुरेश" एक शब्द बन गया।

संधि के विभिन्न भेदों के उदाहरण द्वारा संधि प्रक्रिया से बने यौगिक शब्दों को आसानी से समझा जा सकता है।

(2) समास प्रक्रिया से बने यौगिक शब्द : "सेना का पति" और "राजा का महल" शब्दों से क्रमशः "सेनापति" और "राजमहल" शब्द समास प्रक्रिया से बने यौगिक शब्द हैं। इनमें "का" का लोप हो गया है। राजमहल में "का" का लोप होने के साथ-साथ "राजा" शब्द का संक्षिप्त रूप "राज" हो गया है। "समास" शब्द का अर्थ ही है संक्षिप्त रूप। सामासिक शब्दों के प्रयोग द्वारा भाषा में संक्षिप्तता और उत्कृष्टता आ जाती है। संधि की ही भांति समास के भी विभिन्न भेदों के उदाहरण समास प्रक्रिया से बने यौगिक शब्दों को समझने में सहायक होंगे।

(3) उपसर्ग लगने से बने यौगिक शब्द : वे शब्दांश जो रूढ़ शब्द संज्ञा, विशेषण आदि के पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग कहे जाते हैं। इनके योग से शब्द के अर्थ में कहीं उत्कर्ष, कहीं अपकर्ष और कहीं विलोम और कहीं भिन्न अर्थ की विशेषता आ जाती है, जैसे— शुद्ध के पहले "वि" उपसर्ग लगाने से "विशुद्ध" उत्कर्ष का उदाहरण है। रूप के पहले "वि" लगाने से "विरूप" अपकर्ष या विलोम का उदाहरण है। शेष के पहले "वि" लगाने से विशेष भिन्न अर्थ का द्योतक है।

हिंदी में प्रचलित अधिकतर उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ उपसर्ग हिंदी के अपने हैं और कुछ अरबी-फ़ारसी के हैं।

संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त प्रमुख उपसर्ग :

अ-, अनु-, अति-, अधि-, अप-, अभि-, आ-, दूर-, निर्-, प्रति-, वि- आदि।

हिंदी के कुछ उपसर्ग :

अ-, अन-, दु-, नि-, मर-, सु-, स- आदि।

अरबी-फ़ारसी के कुछ उपसर्ग :

गैर-, ना-, बद-, के-, ला- आदि।

इन उपसर्गों से बने यौगिक शब्दों की सूची विद्यार्थियों को देनी चाहिए और उनसे चर्चा करनी चाहिए कि इन उपसर्गों के लगाने से मूल शब्द के अर्थ में कहाँ उत्कर्ष, अपकर्ष, विलोम या भिन्न अर्थ की विशेषता आ गई है। साथ ही उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उपसर्ग लगाने से शब्दों के व्याकरणिक रूपों में क्या परिवर्तन हो जाता है, जैसे—धन, बल, भय आदि भाववाचक संज्ञा शब्दों में "निर्" लगने पर निर्धन, निर्बल, निर्भय आदि शब्द विशेषण बन जाते हैं।

4. **प्रत्यय लगने से बने यौगिक शब्द :** उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, पर प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं, जैसे—प्रभु, मित्र, लघु आदि शब्दों में "ता" प्रत्यय लगाने से प्रभुता, मित्रता, लघुता आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार "-इक" प्रत्यय समाज, इतिहास, लोक शब्दों में लगाने से सामाजिक, ऐतिहासिक, लौकिक शब्द बन जाते हैं।

प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं—

1. वे प्रत्यय जो धातु से जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, जैसे— पढ़ से पढ़ाई, टिक से टिकाऊ। पढ़ धातु में "आई" और "टिक में "आऊ" प्रत्यय जुड़ा है। ऐसे प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनके योग से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं।
2. वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, जैसे—नौकर से नौकरानी, मम से ममता, शक्ति से शक्तिमान, इनमें क्रम से-आनी, ता और मान प्रत्यय जुड़े हैं। धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं, उन्हें तद्धित कहते हैं।

कुछ प्रमुख प्रत्यय हैं—

संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय :

अक, अन, अना, आ, अनीय, इत, य, इमा, ता, त्व, मान्, वान, मती, वती, आल, इक, ईन, ईच दायी, दायक, मय आदि।

हिंदी के प्रत्यय :

ई, आन, आप, आव, ता, ती, आई, ओती, पन, अक्कड़, आऊ,, ईला आदि।

अरबी-फ़ारसी के कुछ प्रत्यय :

आना (सालाना), ई (दोस्ती), नाक (खतरनाक), मंद (अकलमंद), दान (फूलदान), दार (ईमानदार) आदि प्रत्ययों से बने यौगिक शब्दों की सूची विद्यार्थियों को देनी चाहिए और उनसे चर्चा करनी चाहिए कि प्रत्यय लगने से शब्द किस प्रकार संज्ञा या विशेषण बन जाते हैं, जैसे—"आलु" प्रत्यय लगने पर दयालु (दया+आलु) विशेषण बन गया है। "इक" प्रत्यय लगने पर शारीरिक (शरीर+इक), औद्योगिक (उद्योग+इक) आदि शब्द संज्ञा से विशेषण बन गए हैं (इन शब्दों में प्रयुक्त स्वर में जो गुण परिवर्तन हुआ है उस पर विद्यार्थियों का ध्यान दिलाएँ)। इसी प्रकार धातुओं में प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है, जैसे—रक्ष् में - अक लगाकर रक्षक, वंद् में अन लगाकर वंदन आदि शब्द। धातु में प्रत्यय लगाकर विशेषण भी बनते हैं, जैसे—शिक्षा में इत लगाकर शिक्षित।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि यौगिक शब्दों में प्रयुक्त खंडों को अलग-अलग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से बने यौगिक शब्दों की प्रक्रिया को भली-भांति समझाएँ ताकि वे स्वयं भी इन प्रक्रियाओं द्वारा शब्द रचना करने में सक्षम हो सकें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ अपनी पुस्तक से संधि और समास प्रक्रिया से बने हुए यौगिक शब्दों के अलग-अलग दस उदाहरण दीजिए।	चयन कीजिए
❑ निम्नलिखित उपसर्गों से शब्दों का निर्माण कीजिए— अप, उत्, वि, अति, अभि, सु, सत्।	निर्माण कीजिए
❑ निम्नलिखित प्रत्ययों से शब्दों का निर्माण कीजिए— अक, इक, अनीय, आवट, ना, ऊ, वेणा।	निर्माण कीजिए
❑ उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा संज्ञा से विशेषण बने हुए चार-चार शब्दों के उदाहरण दीजिए।	उदाहरण दीजिए
❑ निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय अलग-अलग कीजिए— अपमान, चमकीला, पंडिताऊ, सामाजिक, विवाद, उन्नयन, राष्ट्रीय, मिलावट, सुसंगत, श्रद्धालु।	वर्गीकरण कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

रचना के आधार पर हिंदी शब्दों के तीन वर्ग किए जाते हैं—रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। यौगिक शब्दों की रचना संधि प्रक्रिया से, समास प्रक्रिया से, उपसर्ग के योग से और प्रत्यय के योग से होती है। इस दृष्टि से संधि और समास के नियमों और विभिन्न उपसर्गों और प्रत्ययों की जानकारी आवश्यक हैं।

मूल्यांकन

1. रूढ़ और यौगिक शब्दों का अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
2. संधि और समास का अंतर स्पष्ट कीजिए।
3. उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

कैप्सूल 4.3

शब्द भंडार वृद्धि

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. पाठ्यपुस्तक, मौखिक एवं लिखित रचना तथा विविध सहशैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा शब्द भंडार में वृद्धि कर सकेंगे।
2. उपर्युक्त माध्यमों के प्रभावी उपयोग के लिए विविध युक्तियों का यथावसर एवं यथानुकूल प्रयोग कर सकेंगे।

4.3.1 शब्द-शिक्षण का महत्त्व

किसी भी भाषा का अध्ययन करते समय सबसे पहले उसके शब्दों पर ध्यान जाता है क्योंकि शब्द ही भावों और विचारों के प्रकाशन के लिए प्रतीक का काम करते हैं। अतः शब्दों का यथेष्ट ज्ञान भाषा और साहित्य ही नहीं, अपितु अन्य विषयों के ज्ञानार्जन में भी सहायक होता है। जिस बालक के पास जितनी अधिक शब्द-संपदा होती है, वह उतनी ही जल्दी विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पर्याप्त शब्द-भंडार के अभाव में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने में पिछड़ जाता है। अतः भाषा-शिक्षण में अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से अधिकाधिक शब्दों का ज्ञान कराना आवश्यक है। तीव्र गति से ज्ञान-विज्ञान के विकास के कारण हिंदी में नित्य नए-नए शब्दों की वृद्धि होती जा रही है। अतः इस दृष्टि से भी विद्यार्थियों के शब्द-भंडार को अधिकाधिक समृद्ध करना भाषा शिक्षण का आवश्यक अंग बन जाता है।

4.3.2 शब्द-भंडार की अभिवृद्धि के विविध अवसर एवं प्रयोग

शब्द-भंडार अभिवृद्धि की दृष्टि से भाषा-शिक्षण में निम्नलिखित अवसरों का प्रयोग उपयोगी सिद्ध होगा :

(क) भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ाते समय।

(ख) मौखिक एवं लिखित रचना के समय।

(ग) विविध सहशैक्षिक कार्यक्रमों के समय।

(क) भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ाते समय : इस अवसर पर पाठ में आए हुए अपरिचित एवं कठिन शब्दों के अर्थ से विद्यार्थियों को परिचित कराना, उनके प्रयोग की कुशलता प्रदान करना हमारा लक्ष्य रहता है। ऐसे शब्दों को आधार बनाकर विद्यार्थियों के शब्द-भंडार की अभिवृद्धि का प्रयत्न होना चाहिए। इस दृष्टि से निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है :

1. **शब्दार्थ स्पष्ट करना :** विद्यार्थियों की सहभागिता द्वारा शब्दार्थ को प्रसंगानुकूल स्पष्ट करना चाहिए।
2. **पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्दों का ज्ञान :** अनेक शब्द ऐसे होते हैं, जिनके कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। अतः प्रसंगानुकूल अर्थ के साथ-साथ अन्य समानार्थी शब्द भी बताए जा सकते हैं। इससे विद्यार्थियों के शब्द-भंडार की वृद्धि में सहायता मिलेगी।
3. **शब्दों के विशिष्ट अर्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ :** शब्द का अर्थ वाक्य में प्रसंग के अनुसार ही प्रकट होता है। अनेकार्थी शब्दों के संबंध में तो यह और भी सत्य है। वाक्य से पृथक स्वतंत्र शब्द अपने सामान्य अर्थ को प्रकट करता है, पर प्रसंग में इसका विशिष्ट अर्थ हो सकता है, जैसे—"बैल" शब्द बैल नामक पशु का द्योतक है पर प्रसंग विशेष में प्रयुक्त होने पर "बैल" शब्द का अर्थ "मूर्ख" हो सकता है। सूक्तियों, मुहावरों या प्रतीकात्मक प्रयोगों में लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ की विशेषता मिलती है, जैसे—उसके मुँह में <u>कालिख</u> लग गई, वह मेरे सौ रुपए <u>खा गया,</u> वह बेचारा तो

गाय है, वह छात्र तो साल भर सोता रहा आदि में रेखांकित अंशो के अर्थ क्रमशः कलंक लगने, हड़प जाने, सीधापन और लापरवाह होने का अर्थ प्रकट होता है। अतः ऐसे शब्द प्रयोगों की ओर यथाप्रसंग विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।

4. **अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान :** किसी-किसी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पाठ में ऐसे शब्द आने पर प्रासंगिक अर्थ बताने के साथ-साथ अन्य अर्थ भी बता देने चाहिएँ।
5. **विलोमार्थी शब्दों का परिचय :** ऐसे शब्दों का उल्लेख इससे पहले कैप्सूल 4.1 में किया जा चुका है। शब्द का विलोम शब्द बताने के साथ-साथ यह भी बताना उपयोगी होता है कि मूल शब्द में किस प्रकार कोई उपसर्ग लगने से विलोम शब्द बन जाता है, जैसे—मान के साथ "अप" लगकर अपमान हो गया तथा देश के साथ "वि" लगाकर विदेश हो गया।
6. **पारिभाषिक एवं योगरूढ़ शब्द :** पारिभाषिक शब्दों के पर्याय नहीं होते। अतः ऐसे शब्दों का अर्थ व्याख्या द्वारा स्पष्ट कर देना चाहिए। इसी तरह योगरूढ़ शब्दों का भी अर्थ निश्चित होता है, उसे भी स्पष्ट करना चाहिए।
7. **शब्द निर्माण एवं खंड विधि द्वारा शब्द रचना :** इस प्रसंग में कैप्सूल 4.2 में यह लिखा जा चुका है कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा शब्द निर्माण होता है। अतः पाठ में ऐसे शब्द आने पर उसके खण्ड द्वारा उसकी निर्माण प्रक्रिया समझा देनी चाहिए। संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय के द्वारा पाठ में आए हुए शब्दों के आधार पर विद्यार्थियों में स्वयं शब्द-रचना की योग्यता पैदा होती है। इसी प्रकार युग्म शब्दों को भी स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि इनके द्वारा किस प्रकार भाव और विचार की अभिव्यक्ति में एक चमत्कार आ जाता है। युग्म शब्दों के विभिन्न प्रकारों पर भी यथाप्रसंग प्रकाश डाला जा सकता है।
8. **शब्द-परिवार के आधार पर :** किसी मूल शब्द के आधार पर उसके मेल से बने हुए अनेक शब्दों की जानकारी देकर विद्यार्थियों की शब्द-भंडार वृद्धि की जा सकती है जैसे—सरल से सरलता, सरलतम, सरलीकरण आदि।

(ख) मौखिक एवं लिखित रचना के समय शब्द ज्ञान : पाठ्यपुस्तक और व्याकरण शिक्षण के समय जिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, उनके उचित प्रयोग और अभ्यास का अवसर मौखिक और लिखित रचना के शिक्षण में मिलता है। शिक्षक को इन अवसरों पर विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। इस दृष्टि से निम्नांकित युक्तियाँ अधिक उपयोगी होंगी :

1. दी हुई शब्द सूची के आधार पर यथाप्रसंग शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करवाते हुए बोलने या लिखने का कार्य संपन्न कराना।
2. किसी प्रसंग में उपयुक्त और अनुपयुक्त शब्दों को पहचानकर उपयुक्त शब्दों को छाँटना और उनका प्रयोग करवाना। किसी प्रकरण पर बोलने या लिखने के लिए निर्देश देते समय शिक्षक इन शब्दों की सूची विद्यार्थियों को दे सकता है।
3. किसी कथन का रूपांतर, जैसे—एक वचन में प्रस्तुत कथन को बहुवचन में, अन्य पुरुष से उत्तम पुरुष के रूप में, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के रूप में, वर्तमान काल से भूतकाल या भविष्यकाल के रूप में रूपांतरण।
4. दिए हुए शब्दों के द्वारा रिक्तपूर्ति कराना। रिक्तपूर्ति पृथक-पृथक वाक्यों में अथवा किसी पूरे अनुच्छेद में कराई जा सकती है।
5. विशिष्ट प्रकरणों का चयन करके उन पर बोलने एवं लिखने का कार्य करने के लिए अपेक्षित शब्दों की सूची विद्यार्थियों को दी जाए।

(ग) विविध प्रकार के सहशैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन के समय : वाद-विवाद, भाषण, तथा कविता पाठ

प्रतियोगिता के द्वारा मौखिक कार्यों के माध्यम से शब्दों का ज्ञान कराना चाहिए। निबंध, कहानी, जीवनी आदि लिखने की प्रतियोगिताओं द्वारा लिखित रचना का आयोजन करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को शब्दों के प्रयोग का अवसर मिले और उनका अधिकाधिक अभ्यास हो। इससे विद्यार्थियों की सक्रिय शब्दावली के भंडार में वृद्धि होती है।

विद्यार्थियों को उपयुक्त गद्यांश और कविताएँ कंठस्थ करने तथा उन्हें कक्षा के सामने सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार कंठस्थ की गई सामग्री की शब्दावली विद्यार्थी की भाषा में अपने-आप घुल-मिल जाती है और वह उनका प्रयोग सहज ही करने लगता है।

4.3.3 शब्द-भंडार अभिवृद्धि की दृष्टि से उपयुक्त युक्तियाँ

1. **विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना :** विद्यार्थी जितना अधिक पढ़ता है, उतना ही उसका शब्द ज्ञान बढ़ता है। पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य रुचिकर तथा ज्ञानवर्द्धक पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और पठन रुचि का विस्तार करना चाहिए। इससे विविध विषयों से संबंधित शब्दावली का ज्ञान होता है। इतर सामग्री पढ़ते समय नए शब्दों के आने पर विद्यार्थियों को कोश देखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
2. **शिक्षक का आदर्श :** शिक्षक द्वारा प्रयुक्त भाषा का अनुकरण करने में विद्यार्थी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अतः शिक्षक को अपनी बातचीत, व्याख्या तथा शिक्षण कार्यों के समय अच्छी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए।
3. **शब्द संग्रह की प्रवृत्ति का विकास :** विद्यार्थियों में विविध विषयों से संबंधित आवश्यक शब्दों की सूची तैयार करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। उत्सव, त्योहार, स्वागत, धन्यवाद, बधाई तथा अन्य शिष्टाचार संबंधी शब्दों की सूची, औपचारिक अवसरों और भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि के अवसरों पर प्रयुक्त शब्दों की सूची, कविताओं से ललित शब्दावली, शब्द रचना से संबंधित शब्द सूची, जैसे—उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, तथा समास प्रक्रिया से बने शब्दों की सूची, समानार्थी, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्दों की सूची तैयार करने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार की आदत पड़ जाने पर वे अपनी पाठ्यपुस्तकों से स्वयं शब्द सूची तैयार करने में आनंद का अनुभव करेंगे।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ पाठ्यपुस्तक पढ़ाते समय शब्द-भंडार वृद्धि के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? सोदाहरण समझाइए।	सोदाहरण चर्चा कीजिए
❑ शब्द निर्माण विधि में आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।	सोदाहरण चर्चा कीजिए
❑ विद्यार्थियों में शब्द-संग्रह की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए विविध अवसरों पर प्रयुक्त शब्दों की सूची तैयार कीजिए।	सूची निर्माण कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. भाषा-शिक्षण में विद्यार्थियों को शब्द-भंडार की वृद्धि के लिए मुख्यतः तीन अवसर मिलते हैं—
   (क) पाठ्यपुस्तक शिक्षण के समय;
   (ख) मौखिक एवं लिखित रचना कराते समय; और
   (ग) विविध सहशैक्षिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों के समय।
2. विद्यार्थियों के शब्द-भंडार को बढ़ाने के लिए हमें स्वाध्याय और विभिन्न प्रकार के शब्द-संग्रह की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए।

मूल्यांकन

1. पाठ्यपुस्तक पढ़ाते समय पाठ में आए हुए अज्ञात शब्दों के आधार पर विद्यार्थियों के शब्द-भंडार को आप कैसे बढ़ाएंगे?
2. लिखित रचना-कार्य के समय विद्यार्थियों के शब्द-भंडार की अभिवृद्धि कैसे की जा सकती है?
3. विद्यार्थियों के शब्द-भंडार की अभिवृद्धि के लिए निम्नांकित का क्या महत्त्व है?
   (क) पूरक एवं अतिरिक्त पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन।
   (ख) विविध विषयों से संबंधित शब्द सूची तैयार करना।

कैप्सूल 4.4

मुहावरे और लोकोक्तियाँ

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. भाषा-व्यवहार में मुहावरों और लोकोक्तियों के महत्त्व को बता सकेंगे।
2. मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर बता सकेंगे, पाठ्यपुस्तक में आए हुए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का चयन कर सकेंगे और उनका अर्थ बता सकेंगे।

4.4.0 मुहावरे और लोकोक्तियों का भाषा में स्थान और महत्त्व

भाषा को सशक्त, सजीव और प्रभावपूर्ण बनाने की दृष्टि से लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये जन सामान्य के कंठ में बसी हुई भाषा में इस तरह घुले-मिले होते हैं कि उनके प्रयोग से व्यक्ति कोई भी बात सहज ही समझ लेता है और आनंद विभोर हो उठता हैं। इनके प्रयोग की एक और बड़ी उपयोगिता यह है कि कम से कम शब्दों में अधिक-से-अधिक भावों को सहजता के साथ व्यक्त किया जा सकता है। अतः विद्यार्थियों को अपनी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों के यथोचित प्रयोग के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना चाहिए।

4.4.1 मुहावरा—अर्थ तथा विशेषताएँ

मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है—बातचीत या अभ्यास। किन्तु इसका प्रयोगमूलक अर्थ है—वह शब्द समूह जो अपने सामान्य (वाच्यार्थ) अर्थ से भिन्न किसी लाक्षणिक अर्थ में रूढ़ हो गया हो। मुहावरे का सामान्य अर्थ न लेकर लाक्षणिक अर्थ ही लिया जाता है। उदाहरण के लिए "बाग-बाग होना", "मुँह में पानी भर जाना", "दाँत खट्टे करना", "नाक कटाना" के शाब्दिक अर्थ तो कुछ और हैं, पर प्रयोग में उनके अर्थ हैं—"बहुत प्रसन्न होना", "खाने के लिए ललच उठना", "बुरी तरह हराना", "इज्जत गंवा देना"।

मुहावरा एक वाक्यांश या पदबंध होता है, जब कोई वाक्यांश (पदबंध) अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है, तब उसे मुहावरा कहते हैं।

मुहावरे की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :

1. मुहावरा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जैसे हम "पेट काटना" कहें तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं, पर हम कहें कि उसने "अपना पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया" तो इसके अर्थ में नवीनता, और चमत्कार आ जाता है।

   हम कह सकते हैं कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है और अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य पर आश्रित होता है। वाक्य से अलग उसके स्वतंत्र रूप का कोई अर्थ नहीं।
2. मुहावरे के रूप में कोई परिवर्तन या हेर-फेर नही होता। उदाहरण के लिए "फूल कर कुप्पा हो जाना" एक मुहावरा है। अब यदि किसी स्त्री के संबंध में इसका प्रयोग करें तो यह नहीं कहेंगे कि "वह फूलकर कुप्पी हो गयी।" सही प्रयोग यही होगा कि "वह फूलकर कुप्पा हो गई।"
3. मुहावरे का "वाच्यार्थ" नहीं किया जाता। उसका लक्ष्यार्थ ही लिया जाता है। "नाकों चने चबाना" का वाच्यार्थ है—नाक से चने चबाना। पर यह अर्थ लेना सरासर गलत होगा। इसका लक्ष्यार्थ है—"अधिक परेशान करना" "शिवाजी ने औरंगजेब को नाकों चने चबवाए" का अर्थ यही

है कि शिवाजी ने औरंगजेब को बहुत परेशान किया।

4.4.2 लोकोक्ति का अर्थ तथा उसका मुहावरे से अंतर

लोकोक्ति शब्द "लोक" और "उक्ति" शब्दों के मेल से बना है। लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। सामाजिक जीवन के अनुभवों के आधार पर लोकोक्तियाँ बनती हैं। प्रसंग आने पर हम उनका प्रयोग करते हैं। अपने कथन की पुष्टि के लिए अथवा उपदेश देने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग प्रभावशाली सिद्ध होता है।

लोकोक्तियाँ मुहावरों की तरह वाक्य का अंग नहीं बनती वे प्रायः पूर्ण वाक्य होती हैं, जैसे—"कोयल होय न ऊजली, सौ मन साबुन लाय"।

लोकोक्तियों के शब्दों का कभी सामान्य अर्थ और कभी विशेष या सांकेतिक अर्थ लिया जाता है, जैसे ऊपर की लोकोक्ति में कोयल का कालापन उसके जन्मजात गुण को प्रकट करता है, उजली होना उस गुण के परिवर्तन को प्रकट करता है और "सौ मन साबुन लाय" विभिन्न प्रयत्नों और उपायों का बोध कराता है। यहाँ इसका विशेष अर्थ है "भिन्न-भिन्न उपायों या प्रयत्नों से भी व्यक्ति के जन्मजात गुण या अवगुण को बदला नहीं जा सकता।"

मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर

1. मुहावरे अपना शाब्दिक या कोशगत अर्थ छोड़कर कोई नया (सांकेतिक या लाक्षणिक) अर्थ देते हैं, किन्तु लोकोक्ति में शब्दों का कहीं कोशगत अर्थ लगता है और कहीं विशेष अर्थ। लोकोक्तियों में वस्तुतः पूरे वाक्य का सार ग्रहण करके अर्थ निकाला जाता है।
2. मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश की भाँति होता है, पर लोकोक्ति का प्रयोग कथन के अंत में वाक्य की भांति होता है।
3. मुहावरे में क्रियापद (धातु+ना) आवश्यक होता है, पर लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता।

मुहावरों की संख्या बहुत है। एन.सी.ई.आर.टी. से प्रकाशित व्याकरण की पुस्तकों से, अन्य व्याकरण ग्रंथों से तथा मुहावरा कोशों से उनका चयन किया जा सकता है। प्रारंभिक विद्यालयी स्तर पर उन्हीं मुहावरों का चयन अपेक्षित है जिनका इस स्तर पर प्रयोग होता हो। इस स्तर पर प्रयुक्त पाठ्यपुस्तकों में आए हुए मुहावरे हमारे चयन के आधार बन सकते हैं। इस दृष्टि से एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों की पुस्तकों से कुछ मुहावरे नीचे लिखे जा रहे हैं :

1. आँखें भर आना
2. दंग रह जाना
3. स्वर्ग सिधारना
4. हाथ बंटाना
5. गुस्से से लाल होना
6. नाम कमाना
7. ठहाका लगाना
8. हिम्मत न हारना
9. प्राणों से हाथ धोना
10. पीठ थपथपाना
11. चौकड़ी भरना
12. नौ-दो ग्यारह होना
13. प्रसन्नता की लहर दौड़ना
14. होश उड़ जाना
15. फूला न समाना
16. जुबान पर होना
17. हृदय से लगाना
18. थक कर चूर होना
19. आँखों में चमक आना
20. बिजली दौड़ना
21. आँख लगना
22. प्राण सूख जाना
23. खुशी का ठिकाना न रहना
24. हवा से बातें करना
25. खुशी के दीए जलाना

26. आँखों के सामने अंधेरा छाना
27. दांत खट्टे करना
28. शोक के बादल छाना
29. वीर गति को प्राप्त होना
30. मुँह की खाना
31. दिल टूट जाना
32. मुँह मोड़ना
33. लोहा लेना
34. गोद सूनी होना
35. मांग का सिंदूर पोंछना
36. खून की प्यास बुझाना
37. दस्तक देना
38. धावा बोलना
39. पीठ ठोकना
40. मिट्टी में मिलाना

कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ

1. अंत भला तो सब भला	:	काम का अंत अगर अच्छा हो तो भोगे हुए कष्ट भूल जाते हैं।
2. अंधा क्या चाहे दो आँखें	:	इच्छित वस्तु की प्राप्ति ही अभीष्ट होती है।
3. अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए	:	जो व्यक्ति दुख दूर नहीं कर सकता उसके सामने अपना दुख कहना व्यर्थ होता है।
4. अंधों में काना राजा	:	मूर्खों में कुछ कम मूर्ख का सम्मान होता है।
5. अंधे के हाथ बटेर	:	संयोग से सफलता प्राप्त कर लेना।
6. अंधेर नगरी चौपट राजा	:	अन्याय का बोलबाला होना।
7. अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता	:	सहयोग से ही कार्य होता है।
8. अधजल गगरी छलकत जाए	:	ओछा आदमी बढ़चढ़ कर बोलता है।
9. अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग	:	प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग-अलग राय होना।
10. आँख का अंधा गांठ का पूरा	:	मूर्ख परन्तु धनी होना।
11. अब पछताए क्या होत है, जब चिड़ियां चुग गई खेत	:	अवसर बीत जाने पर पछतावा व्यर्थ है।
12. आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास	:	आए थे अच्छा काम करने, लेकिन व्यर्थ का काम करने लगे।
13. आगे कुआँ पीछे खाई	:	चारों ओर से संकट से घिरा रहना।
14. आम के आम गुठलियों के दाम	:	एक काम से दो लाभ।
15. आसमान से गिरा खजूर पर अटका	:	एक मुसीबत से बचकर दूसरी मुसीबत में पड़ जाना।

ऊपर लिखे गए मुहावरों और लोकोक्तियों पर कक्षा स्तर अनुसार विद्यार्थियों से चर्चा करें और उनके अर्थ प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। पाठों में आए मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ और प्रयोग पाठ पढ़ाते समय ही यथा प्रसंग बताना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पठित मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ अपनी पाठ्यपुस्तकों से बीस मुहावरे और दस लोकोक्तियाँ चुनिए।	चयन कीजिए
❑ नीचे खंड-क के वाक्यांशों के साथ खंड-ख के उपयुक्त मुहावरों को मिलाकर वाक्य पूरा कीजिए।	मिलान करके रचना कीजिए

<u>खंड क</u>	<u>खंड ख</u>
क. पुलिस को आते देखकर चोर	नाक में दम होना
ख. मैंने तो उसकी बड़ी मदद की थी पर अवसर आने पर उसने	फूला न समाना
ग. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के समाचार से वह	अंगूठा दिखाना
घ. रात भर लड़कों द्वारा शोरगुल होने से	हाथ मलना
ङ. गाड़ी छूट जाने पर	नौ दो ग्यारह होना

❑ एक कहानी लिखिए जिसमें पाँच मुहावरों और तीन लोकोक्तियों का प्रयोग हो।	रचना कीजिए
❑ इस कैप्सूल में 4.4.2 के अंतर्गत मुहावरों के अर्थ नहीं दिए गए हैं। उनके अर्थ लिखिए और कम से कम दस मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए।	रचना कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सजीव, रोचक और प्रभावपूर्ण बन जाती है। इनके प्रयोग से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति हो जाती है।
2. मुहावरे का अर्थ है—वह शब्द समूह जो अपने सामान्य अर्थ से भिन्न किसी लाक्षणिक या सांकेतिक अर्थ में रूढ़ हो गया हो।
3. लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति कहते

हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यांश की भांति होता है, पर लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन के अंत में वाक्य की भांति होता है। मुहावरे में क्रिया पद (ना अंत्य) अवश्य होता है, पर लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता।

मूल्यांकन

1. भाषा व्यवहार में मुहावरों और लोकोक्तियों का क्या महत्त्व है?
2. मुहावरे किसे कहते हैं? उनकी क्या विशेषताएँ हैं? सोदाहरण समझाइए।
3. लोकोक्ति किसे कहते हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
4. मुहावरों और लोकोक्तियों का अंतर स्पष्ट कीजिए।

मॉड्यूल–5

वाक्य रचना

5.0 प्रस्तावना

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं भावाभिव्यक्ति और बोधन की दृष्टि से भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई वाक्य है। किसी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की शक्ति वाक्य में होती है। कभी-कभी भाव प्रकट करने के लिए अथवा बातचीत के बीच में एक शब्द या शब्द समूह भी वाक्य की भाँति कार्य करता है किन्तु वह प्रयोग लाघवता के कारण सांकेतिक रूप में होता है। छोटा बच्चा जब "पानी" कहता है तो हम समझ लेते हैं कि वह कह रहा है—मुझे पानी चाहिए। यहाँ "पानी" पद से एक वाक्य का बोध होता है। आवश्यक पदों का अध्याहार कर लिया जाता है और वाक्य पूरा हो जाता है, इसी प्रकार आओ। = तुम आओ। सुनिए। = आप सुनिए। नहीं। = मैं नहीं आऊँगा। बहुत अच्छा। = यह बहुत अच्छा है। यह कैसे? = यह कैसे हो गया? = क्यों नहीं? = ऐसा क्यों नहीं होगा? धन्यवाद। = मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आदि प्रयोगों से स्पष्ट है कि यद्यपि हम कभी-कभी एक या दो पदों द्वारा अपनी बात कह देते हैं तथापि सैद्धांतिक दृष्टि से भाषा की व्यावहारिक इकाई वाक्य ही है। वाक्यों के समूह से ही भाषा का महल खड़ा होता है। हमें अपनी बात पूरी तरह व्यक्त करने के लिए सुसंबद्ध वाक्यों का ही प्रयोग करना पड़ता है।

भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता वाक्य रचना के सही ज्ञान पर ही आधारित है। इस दृष्टि से शुद्ध वाक्य रचना का शिक्षण भाषा-शिक्षक का एक महत्त्वपूर्ण दायित्व हो जाता है। इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शुद्ध वाक्य रचना का ज्ञान और प्रयोग कराना है।

प्रस्तुत मॉड्यूल में तीन कैप्सूलों का समावेश किया गया है—

कैप्सूल 5.1	में वाक्य रचना के अन्तर्गत वाक्य की परिभाषा, उसके प्रमुख अंग, वाक्य पदक्रम, अन्विति, वाक्य के प्रकार, वाक्य-रूपांतरण तथा वाक्य रचना शिक्षण की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
कैप्सूल 5.2	में वाक्य विश्लेषण तथा उसकी शिक्षण विधि पर प्रकाश डाला गया है।
कैप्सूल 5.3	में विराम चिह्नों के प्रयोग को समझाया गया है।

कैप्सूल 5.1

वाक्य रचना

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. वाक्य की परिभाषा तथा उसके प्रमुख अंग— "उद्देश्य" और "विधेय" बता सकेंगे।
2. वाक्य में पदक्रम की व्यवस्था के नियम बता सकेंगे और तद्नुसार शुद्ध वाक्य रचना कर सकेंगे।
3. वाक्य में विभिन्न पदों (कर्त्ता, क्रिया, कर्म आदि) की परस्पर अन्विति के नियम लिख सकेंगे और शुद्ध वाक्य रचना कर सकेंगे।
4. वाक्य के विविध प्रकारों को बता सकेंगे।
5. वाक्यों का रूपांतरण (एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना) कर सकेंगे।
6. वाक्य रचना संबंधी उपर्युक्त ज्ञान के आधार पर वाक्य रचना शिक्षण की उचित प्रक्रिया अपना सकेंगे।

5.1.1 वाक्य की परिभाषा और उसके अंग

(क) वाक्य की परिभाषा : वाक्य सार्थक पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं : "वाक्य विशिष्ट क्रम से संयोजित ऐसे सार्थक पदों का समूह है, जिनमें परस्पर योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति हो"। इस परिभाषा के अनुसार प्रत्येक वाक्य में तीन विशेषताएँ होनी चाहिएँ। ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

योग्यता : पदों में परस्पर संबंध स्थापन में तर्क संगति या औचित्य का होना ही *योग्यता* है। "माली पौधों को आग से सींचता है।" यह वाक्य शब्द क्रम की दृष्टि से शुद्ध है, पर "आग" और "सींचना" दोनों में कोई संगति या औचित्य नहीं है। अतः यह वाक्य योग्यताहीन है। इस कारण निरर्थक है। योग्यता की दृष्टि से शुद्ध वाक्य होगा—"माली पौधों को पानी से सींचता है।"

आकांक्षा : वाक्य के अर्थ की पूर्ति के लिए अन्य पदों की अपेक्षा या जिज्ञासा का बना रहना *आकांक्षा* है। उदाहरण के लिए हम कहें—गाय का दूध। शेर, बकरी, भेड़। अब इन पदों में अर्थबोध की आकांक्षा बनी रहती है। "गाय का दूध" कहने से स्पष्ट नहीं है कि गाय का दूध चाहिए अथवा गाय का दूध ख़राब हो गया आदि। अतः यह वाक्य पूरा नहीं है और इसमें अर्थ प्रकट करने की शक्ति नहीं है। इसी प्रकार शेर, बकरी, भेड़ शब्दों से भी अर्थ बोध की आकांक्षा बनी रहती है। इसकी जगह "शेर, बकरी, भेड़ एक साथ पानी पी रहे हैं" जैसा वाक्य सार्थक होगा।

आसत्ति : वाक्य की रचना में पदों को उनके परस्पर संबंध के अनुसार अपने उचित स्थान पर रखना *आसत्ति* है। आसत्ति को ही "सन्निधि" भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए— वह...गाय...का...दूध...पीता...है।

इस वाक्य में एक-एक शब्द के बाद लंबा विराम है। इसलिए वाक्य का अर्थ ठीक नहीं निकलता। सही अर्थ के लिए इस वाक्य में सभी पदों को एक साथ बोलना आवश्यक है।

इस प्रकार वाक्य की पूर्णता के लिए योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति तीनों ही का होना आवश्यक है।

(ख) वाक्य के अंग—उद्देश्य और विधेय

रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग होते हैं—उद्देश्य और विधेय। राम आया। इस वाक्य के दो अंग हैं— 1. राम और 2. आया। यहाँ राम के बारे में बात कही गई है अर्थात् राम वाक्य का उद्देश्य है। राम के बारे में कहा गया है कि वह "आया"। "आया" उद्देश्य का विधेय है। अतः कह सकते हैं कि जिसके बारे में बात कही जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं।

वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके ये दो अंग उद्देश्य और विधेय अवश्य होते हैं। उद्देश्य प्रायः वाक्य के प्रारंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है।

ऊपर के वाक्य "राम आया" में उद्देश्य और विधेय एक-एक पदीय हैं पर उद्देश्य और विधेय के विस्तार भी होते हैं, जैसे—

उद्देश्य	*विधेय*
(जिसके बारे में बात कही जाए)	(उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए)
दशरथ का पुत्र **राम**	अयोध्या वापस **आया**।
मोहन का **घोड़ा**	बहुत तेज **दौड़ता है**।
वह निर्धन **बालक**	कैसे *पढ़* **सकता है**।
महाभारत की **कहानियाँ**	बड़ी रुचि से **पढ़ी जाती हैं**।

इन वाक्यों में राम, घोड़ा, बालक, कहानियाँ मुख्य उद्देश्य हैं, शेष "दशरथ का पुत्र", "मोहन का", "वह निर्धन", "महाभारत की" क्रमशः "राम", "घोड़ा", "बालक" और "कहानियाँ" उद्देश्य के विस्तार हैं। उद्देश्य की विशेषता बतलाने वाले शब्द या समूह को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं।

विधेय में "आया", "दौड़ता है", "पढ़ सकता है", "पढ़ी जाती है", मुख्य विधेय हैं, शेष पद "अयोध्या वापस" "बहुत तेज", "कैसे" और "बड़ी रुचि से" क्रमशः "दौड़ता है", "पढ़ सकता है", "पढ़ी जाती है" विधेय के विस्तार हैं। विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द या शब्द समूह को विधेय का विस्तार कहते हैं।

उद्देश्य का विस्तार विशेषण का-सा काम करते हैं और विधेय का विस्तार क्रिया विशेषण का-सा काम करते हैं, जैसे— नामी चोर तुरंत पकड़ा गया। इस वाक्य में "चोर" उद्देश्य है और "नामी" उद्देश्य का विस्तार है जो विशेषण का काम कर रहा है "पकड़ा गया" विधेय है और 'तुरंत' विधेय का विस्तार है, जो क्रिया विशेषण का काम कर रहा है।

वाक्य में कभी-कभी उद्देश्य प्रकट नहीं होता। "आओ" एक लघु वाक्य है। इसमें "तुम" (उद्देश्य) अप्रकट है। पूरा वाक्य है—"तुम आओ।"

वाक्य में कभी-कभी विधेय भी लुप्त होता है। जैसे कोई पूछता है, "कौन जाएगा"? उत्तर है— "मैं"। पूरा वाक्य होगा "मैं जाऊँगा"। पर केवल "मैं" कहने पर "जाऊँगा" विधेय अप्रकट है।

उद्देश्य और विधेय के विस्तार अनेक रूपों में प्रयुक्त होते हैं। यथा प्रसंग विद्यार्थियों को इन प्रयोगों से परिचित कराते रहना चाहिए।

अभ्यास कार्य	**निर्देश**
❑ योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति के दो-दो उदाहरण दीजिए।	रचना कीजिए
❑ अपनी पाठ्यपुस्तक से उद्देश्य और विधेय के विस्तार के तीन-तीन उदाहरण दीजिए।	चयन कीजिए

5.1.2 पदक्रम

वाक्य के पदों के उचित स्थान का निर्धारण *पदक्रम* कहलाता है। सामान्यतः भाषा में अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्य में पदों को एक विशेष क्रम में रखते हैं। इनमें व्यतिक्रम होने पर अर्थ बदल सकता है अथवा अर्थ स्पष्ट नहीं होता। राम क्या पढ़ रहा है? क्या राम पढ़ रहा है? इन दोनों वाक्यों में पदक्रम (क्या) बदल जाने से उनका अर्थ बदल गया है। अतः वाक्य रचना करते समय यह विचार करना पड़ता है कि कर्त्ता, कर्त्ता का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, पूरक (यदि वाक्य में है तो), पूरक का विस्तार, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि पदों को किस क्रम में रखें। पदों को उचित क्रम में न रखने पर वाक्य का कोई अर्थ निकलना कठिन हो जाता है जैसे—"देखता हूँ मैं श्याम को" इसके स्थान पर "मैं श्याम को देखता हूँ" वाक्य में क्रम ठीक होने से अर्थ स्पष्ट एवं सुसंगत हो जाता है।

पदक्रम के मुख्य नियम नीचे दिए जा रहे हैं—

1. हिंदी वाक्य में सामान्यतः कर्त्ता पहले और क्रिया अंत में होती है, जैसे—श्याम आता है।
2. अपूर्ण क्रिया होने पर कर्त्ता के बाद पूरक और फिर क्रिया को रखते हैं, जैसे—श्याम विद्यार्थी है।
3. सकर्मक क्रिया होने पर कर्त्ता के बाद कर्म और फिर क्रिया होती है, जैसे—रमेश पुस्तक पढ़ता है।
4. द्विकर्मक क्रियाओं में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म पीछे रखते हैं, जैसे—मैंने राम को पुस्तक दी। (राम गौण कर्म है, पुस्तक मुख्य कर्म।)
5. सार्वजनिक विशेषण अन्य विशेषणों से पहले आते हैं जैसे—"*मेरा* छोटा भाई *चौथी* कक्षा में पढ़ता है। *कोई अच्छी* सी पुस्तक ले लो।"
6. क्रिया विशेषण प्रायः क्रिया से पहले आता है, जैसे—वह *धीरे-धीरे* चलता है। लेकिन एक से अधिक क्रिया विशेषण होने पर प्रायः पहले कालवाचक, फिर स्थान वाचक और तब रीतिवाचक क्रिया विशेषण आता है जैसे—*कल शाम 6 बजे / हमारे घर पर /* नियमपूर्वक समारोह संपन्न हुआ।
7. समुच्चय बोधक अव्यय जिन शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उनके बीच में आते हैं, जैसे—दिल्ली *और* आगरा प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर हैं। श्याम तो आ गया, परंतु भीम अभी तक नहीं आया। वह चाहता है *कि* मैं ना जाऊँ।
8. निषेधवाचक अव्यय "न", "नहीं", "मत" प्रायः क्रिया के पूर्व आते हैं, जैसे—मैं नहीं जाऊँगा। जब तक मैं न जाऊँ तब तक तुम मत जाना। तुम मत जाओ।
9. "भी", "ही", "भर", "तो", "तक", "केवल" आदि उन्हीं शब्दों के बाद आते हैं, जिन पर *बल* देना होता है, जैसे—मैं *ही* बाज़ार गया था। मैं बाज़ार ही गया था। मैं *केवल* पुस्तक पढ़ता हूँ। *केवल* मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मोहन *तक* ने नहीं पूछा। मोहन ने पूछा तक नहीं।
10. मात्र, सिवा और बिना का प्रयोग संबंधित पद के पहले भी होता है और बाद में भी, जैसे—*मात्र* पाँच रुपए के लिए तुम नाराज हो गए। पाँच रुपए *मात्र* के लिए तुम रूठ गए। तुम्हारे *बिना* मैं यहाँ नहीं रह सकता। *बिना* तुम्हारे मैं यहाँ नहीं रह सकता।
11. विस्मयादि बोधक और संबोधन वाक्य के आरंभ में आते हैं—
    1. *हाय*! यह क्या हुआ?
    2. *मित्र*! तुम अब तक कहाँ थे?
    3. *श्याम*! तुम यहाँ आओ।

अध्याहार : कभी-कभी वाक्य में संक्षिप्तता और गरिमा लाने के लिए कुछ शब्द छोड़ दिए जाते हैं, पर वाक्य का अर्थ स्पष्ट रहता है। भाषा के इस रूप को अध्याहार कहते हैं, जैसे—

1. मैं तुम्हारी एक भी न सुनूँगा।—(बात)
2. तुम्हारी और उसकी अच्छी निभेगी।—(मित्रता)
3. राम पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है जितना श्याम। —(अच्छा है)

इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलेंगे। विद्यार्थियों से ऐसे उदाहरण ढूंढ़ने और छोड़े गए स्थान में सही शब्द रखने के लिए कहें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ कर्त्ता, कर्म, कर्म का विशेषण, कर्त्ता का विशेषण और क्रिया विशेषण के सही पदक्रम के अनुसार दो वाक्यों के उदाहरण दीजिए।	रचना कीजिए
❑ पदक्रम ठीक कीजिए : (1) आई कक्षा शीला प्रथम में। (2) एक फूल की लाओ माला। (3) जंगल में करेगा शिकार वह।	रचना कीजिए
❑ अध्याहार के दो उदाहरण दीजिए	रचना कीजिए

5.1.3 अन्विति

वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि से संबंधित पदों की परस्पर संगति को अन्विति या अन्वय कहते हैं। छोटा बालक रोता है, छोटी बालिका रोती है। इन वाक्यों में "छोटा" पद (विशेषण) का "बालक" (विशेषण) शब्द से लिंग और वचन की अन्विति है और "रोता है" (क्रिया) की "बालक" (कर्त्ता) के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार अन्विति है। इसी प्रकार "छोटी" शब्द (विशेषण) की "बालिका" (विशेष्य) से लिंग और वचन की अन्विति है और रोती है (क्रिया) की "बालिका" (कर्त्ता) के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार अन्विति है।

अन्विति संबंधी कुछ सामान्य नियम आगे दिए जा रहे हैं:

(क) कर्त्ता और क्रिया की अन्विति

(1) विभक्ति रहित ("ने" चिह्न रहित) कर्त्ता के अनुसार क्रिया की अन्विति (लिंग, वचन, पुरुष की दृष्टि से) होती है। उस पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे—*राम* पुस्तक *पढ़ता* है। *सीता* पुस्तक *पढ़ती* है। *लड़का* पुस्तक *पढ़ता* है। *लड़के* पुस्तक *पढ़ते* हैं। *लड़की* पुस्तक *पढ़ती* है। *लड़कियाँ* पुस्तक *पढ़ती* हैं।

(2) विभक्ति रहित दो कर्त्ता यदि एक वचन में हैं पर भिन्न लिंग के हैं तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी, जैसे—राजा-रानी आए। बाघ और बकरी एक घाट पानी *पीते* हैं।

(ख) कर्म और क्रिया की अन्विति

(1) विभक्ति सहित कर्त्ता के साथ विभक्ति रहित कर्म के रहने पर क्रिया कर्म के अनुसार होगी, जैसे—राम ने *रोटी खाई*। सीता ने पाठ *पढ़ा*। संजय ने पुस्तकें *पढ़ीं*।

(2) कर्त्ता और कर्म दोनों में विभक्ति रहने पर क्रिया एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी, जैसे—राजीव गांधी ने 1984 के चुनाव में सभी विरोधी राजनैतिक दलों को *हराया*।

(3) कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, जैसे—मुझसे पत्र नहीं *लिखा जाता*। मुझसे चिट्ठी नहीं *लिखी जाती*। मुझसे चिट्ठियाँ नहीं *लिखी जातीं*।

(ग) संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति

(1) सर्वनाम अपनी संज्ञा के लिंग-वचन का अनुसरण करता है, जैसे—*मोहन* से कहना कि **वह** शाम को अवश्य आ जाए।

(2) कई संज्ञाओं के बदले एक सर्वनाम के प्रयोग करने पर उस सर्वनाम का लिंग, वचन संज्ञा-समूह के लिंग-वचन जैसा होगा, जैसे—*माता-पिता* और भाई घर पर नहीं हैं, वे कहीं बाहर गए हैं।

(घ) विशेष्य और विशेषण की अन्विति

(1) विशेषण विशेष्य के पहले हो या पीछे, सदा विशेष्य के लिंग, वचन के अनुसार होता है जैसे—वह *काला* लड़का है या वह लड़का *काला* है। वह *काली* लड़की है, या वह लड़की *काली* है।

(2) एक ही विशेष्य के यदि कई विशेषण हों तो सभी विशेषणों के लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार होंगे, जैसे—काली, भूरी, चितकबरी बकरियाँ। मोटे, पतले, दुबले, घोड़े।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ कर्त्ता और क्रिया की अन्विति के चार विभिन्न स्थितियों में उदाहरण दीजिए।	रचना कीजिए
❑ तीन ऐसे विशेषण बताइए जो विशेष्य के लिंग-वचन के अनुसार नहीं बदलते और उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं।	उदाहरण दीजिए
❑ द्विकर्मक क्रिया में क्रिया की अन्विति किसके अनुसार होती है? तीन उदाहरण दीजिए।	रचना कीजिए
❑ वाक्यों को शुद्ध कीजिए— राम, श्याम और राधा आती है। मैं पुस्तकें खरीदनी चाहती हूँ। सीता ने फल खाई और चाय पीया। छात्रों को कहानी शिक्षक सुनाई।	शुद्ध रूप लिखिए

5.1.4 वाक्य के प्रकार

वाक्य के प्रकार का निर्धारण दो आधार पर किया जाता है—

(क) अर्थ और भाव द्योतन के आधार।

(ख) रचना के आधार पर।

(क) अर्थ और भाव द्योतन की दृष्टि से वाक्य *आठ प्रकार* के होते है—

1. **विधानवाचक** : जिस वाक्य से किसी बात या कार्य का होना बताया जाए, जैसे—राम घर गया। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। राम ने पुस्तक पढ़ ली।

2. **निषेधवाचक :** जिस वाक्य से किसी कार्य का न होना सूचित होता है, जैसे—राम घर नहीं गया। वह भोजन नहीं करेगा। यहाँ कोई नहीं रहता।
3. **आज्ञावाचक :** जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव सूचित होता है, जैसे—तुम पढ़ने जाओ। मुझे घर जाने दीजिए। सदा सत्य बोलो।
4. **इच्छावाचक :** जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद या शाप का बोध होता हो, जैसे—चलिए, प्रदर्शनी देख आएं। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। तुम सदा फलो-फूलो। जा, तेरा नाश हो।
5. **संदेहवाचक :** जिस वाक्य से संदेह या संभावना प्रकट हो, जैसे—शायद आज पानी बरसे। यह काम उस लड़के ने किया होगा। संभव है वह कल आ जाए। हो सकता है, संभव है, शायद, कदाचित् आदि शब्दों के प्रयोग वाले वाक्य इसी प्रकार के होते हैं।
6. **संकेतवाचक :** जिस वाक्य से संकेत या शर्त का बोध हो, जैसे—आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। यदि तुम थोड़ा और परिश्रम करते तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते। ऐसे वाक्यों में 'यदि', 'अगर' शब्दों का प्रयोग होता है।
7. **प्रश्नवाचक :** जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है, जैसे—क्या वह कल जाएगा? तुम स्कूल क्यों नहीं गए?

   ऐसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाची चिह्न (?) का प्रयोग होता है। 'क्या', 'कब', 'कैसे', 'क्यों' आदि प्रश्नसूचक शब्दों के प्रयोग से प्रश्नवाची वाक्यों की पहचान होती है।
8. **विस्मयवाचक :** जिस वाक्य से विस्मय (आश्चर्य), हर्ष, प्रशंसा, शोक, घृणा या संबोधन का बोध होता है, जैसे—अरे! घंटा बज गया। (विस्मय), वाह! आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। (शाबाश), उसने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। (प्रशंसा), हाय! वह देशभक्त क्रान्तिकारी आज शहीद हो गया। (शोक), छिः! इस पापी को यहाँ क्यों लाए? (घृणा), राम! यहाँ आओ! (संबोधन)।

(ख) रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं :

1. सरल वाक्य 2. संयुक्त वाक्य 3. मिश्र वाक्य

1. **सरल वाक्य :** जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे—
   1. मोहन आया। (एक उद्देश्य, एक विधेय)।
   2. अध्यापिका और अध्यापक पहुँच गए। (दो उद्देश्य, एक विधेय)।
   3. राधा, पीटर और सलीम आ गए हैं। (तीन उद्देश्य, एक विधेय)।
2. **संयुक्त वाक्य :** जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समानाधिकरण उपवाक्य होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन उपवाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ा जाता है, जैसे—
   1. विद्या से ज्ञान बढ़ता है और सम्मान मिलता है। ("और" समुच्चय बोधक अव्यय)
   2. वह चला तो था, परंतु रास्ते से लौट गया। ("परंतु" समुच्चय बोधक अव्यय)
3. **मिश्र वाक्य :** वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या अधिक समापिका क्रियाएँ रहती हैं, जैसे—
   1. मैंने पूछा कि तुम कहाँ गए थे।
   2. हम जानते हैं कि वे आज नहीं आएँगे, जबकि उनकी अत्यंत आवश्यकता है।

पहले वाक्य में "मैंने पूछा" मुख्य उपवाक्य है और "तुम कहाँ गए थे" आश्रित उपवाक्य है। इस वाक्य में क्रियाएँ भी दो हैं।

दूसरे वाक्य में "हम जानते हैं" मुख्य उपवाक्य है और बाद के दोनों उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हैं।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ अर्थ और भावद्योतन की दृष्टि से वाक्य के विभिन्न प्रकारों का एक-एक उदाहरण दीजिए।	रचना कीजिए
❑ आज्ञावाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक वाक्यों का अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।	तुलना कीजिए
❑ संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।	तुलना कीजिए
❑ उपवाक्य किसे कहते हैं? उसके प्रकार बताइए और प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।	चर्चा कीजिए और रचना कीजिए

5.1.5 वाक्य रूपांतरण

एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य के रूप में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखना होता है कि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन न हो अर्थात् पहले वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य में बना रहे। वाक्य रचना की योग्यता और कुशलता बढ़ाने के लिए वाक्य रूपांतरण का अभ्यास विद्यार्थियों से कराना चाहिए।

यह रूपांतरण अनेक प्रकार से हो सकता है—

1. सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण

(1) प्रातःकाल उठकर उसने माता-पिता को प्रणाम किया। (सरल वाक्य)

(2) वह प्रातःकाल उठा और उसने माता-पिता को प्रणाम किया। (संयुक्त वाक्य)

2. सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण

(1) वह मुझसे आने को कहता है। (सरल वाक्य)

(2) वह मुझसे कहता है कि आओ। (मिश्र वाक्य)

(1) गरीबों की सहायता करने वाले सदा सुखी रहते हैं। (सरल वाक्य)

(2) जो गरीबों की सहायता करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। (मिश्र वाक्य)

3. संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण

(1) मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। (संयुक्त वाक्य)

(2) मोहन जो पुस्तक चाहता था, वह उसे मिल गई। (मिश्र वाक्य)

4. विधानवाचक वाक्य का निषेधवाचक में रूपांतरण

(1) वह निर्धन है। (विधानवाचक)

(2) उसके पास धन नहीं है (निषेधवाचक)

इसी प्रकार निषेधवाचक से विधानवाचक में रूपांतरण किया जा सकता है।

5. विधानवाचक या निषेधवाचक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों का रूपांतरण

(1) गाँधी जी का नाम किसने नहीं सुना?(प्रश्नवाचक)

(2) गाँधी जी का नाम सबने सुना है। (विधानवाचक)

6. विधानवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों का रूपांतरण

(1) वह बहुत ही सुंदर बालक है। (विधानवाचक)

(2) वाह! इतना सुंदर बालक! (विस्मयादिबोधक)

इस प्रकार वाक्य के विभिन्न प्रकारों का परस्पर रूपांतरण विद्यार्थियों से करा कर उन्हें शुद्ध वाक्य रचना करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए।

अभ्यास कार्य

- निर्देशानुसार वाक्यों का रूपांतरण कीजिए?

  क. साधारण से मिश्र वाक्य में

  उसने परिश्रम किया। वह परीक्षा में फेल हो गया।

  ख. मिश्र से संयुक्त वाक्य में

  धनंजय विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह अस्वस्थ था।

निर्देश

अनुप्रयोग एवं निर्माण कीजिए

5.1.6 कक्षा में वाक्य रचना शिक्षण के अवसर एवं शिक्षण-प्रक्रिया

वाक्य रचना-शिक्षण के लिए निम्नांकित अवसर प्राप्त हो सकते हैं—

(1) गद्य पाठों के शिक्षण के समय
(2) रचना शिक्षण के समय
(3) व्याकरण शिक्षण के समय
(4) सहशैक्षिक कार्यक्रमों के समय

1. **गद्य पाठों के शिक्षण के समय :** भाषा का मानक और परिनिष्ठित रूप गद्य में मिलता है। अतः गद्य-शिक्षण के समय विद्यार्थियों को शुद्ध वाक्यों में विचार प्रकट करने और वाक्य-अशुद्धियों को दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है। गद्य शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों को—

   (1) गद्य पाठों में वाक्यों के पदक्रम, अन्विति तथा वाक्य के अंगों की ओर विद्यार्थियों का ध्यान खींचा जा सकता है।

   (2) वस्तुबोध एवं व्याख्या संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते समय विद्यार्थियों की वाक्य रचना का विश्लेषण किया जा सकता है।

   (3) पठित अंश का सारांश मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रस्तुत करते समय विद्यार्थियों की वाक्य रचना संबंधी भूलों को सुधारा जा सकता है।

   (4) पठित अंश में आए हुए तथ्यों एवं विचारों को अपनी भाषा में लिखने के लिए कहा जा सकता है।

   (5) पाठ में आए हुए विविध वाक्य-रूपों का चयन और संकलन करने के लिए कहा जा सकता है।

   (6) वाक्य रूपांतरण अर्थात् मिश्र अथवा संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में अथवा सरल वाक्यों को संश्लिष्ट रूप में प्रस्तुत करने के अवसर दिए जा सकते हैं।

2. **रचना शिक्षण के समय :** मौखिक एवं लिखित रचना में प्रायः विषय सामग्री पर अधिक बल दिया जाता है और अभिव्यक्ति पर कम। परंतु अभिव्यक्ति पर ध्यान देने से ही विद्यार्थियों की भाषा और शैली में परिपक्वता आती है। अभिव्यक्ति की योग्यता शुद्ध वाक्यों के प्रयोग पर ही निर्भर है, अतः भाषाभिव्यक्ति में विद्यार्थियों से होने वाली वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियों का संशोधन और शुद्ध वाक्य रचना के प्रयोग पर विशेष बल देना चाहिए। रचना की तैयारी कराते समय अथवा उसकी रूपरेखा प्रस्तुत कराते समय वाक्यों की शुद्धता, स्पष्टता एवं उनके क्रमबद्ध संयोजन की ओर विद्यार्थियों का ध्यान केन्द्रित करते रहना चाहिए।

3. **व्याकरण शिक्षण के समय :** व्याकरण शिक्षण में शुद्ध वाक्य रचना के प्रयोग और अभ्यास का यथेष्ट अवसर मिलता है। प्रारंभिक स्तर पर यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त वाक्यों में स्थानीय बोलियों के प्रभाव से अथवा अन्य कारणों से जो दोष या अशुद्धियाँ हों, उन्हें दूर किया जाए और शुद्ध वाक्य रचना एवं प्रयोग

की आदत विद्यार्थियों में डाली जाए। इस दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के अभ्यास विशेष उपयोगी सिद्ध होंगे—

(i) वाक्य में शुद्ध पदक्रम संबंधी अभ्यास।

(ii) कर्त्ता-क्रिया, कर्म-क्रिया, संज्ञा-सर्वनाम, विशेष्य-विशेषण आदि की सही अन्विति के अभ्यास।

(iii) अपूर्ण वाक्यों को पूरा कराना, रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि।

(iv) दिए गए वाक्य में अशुद्ध शब्द को रेखांकित करवाना और उनके स्थान पर शुद्ध शब्द का प्रयोग करवाना।

(v) शब्दों को एक वचन से बहुवचन एवं बहुवचन से एक वचन में परिवर्तित कराते हुए वाक्य रूपांतरण के अभ्यास।

(vi) काल परिवर्तन द्वारा वाक्य रूपांतरण।

(vii) विभक्ति परिवर्तन द्वारा वाक्य रूपांतरण।

(viii) कर्त्ता अथवा कर्म की स्थिति में परिवर्तन।

(ix) संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग संबंधी अभ्यास।

(x) संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों की विविध रूपों में रचना के अभ्यास।

(xi) अर्थ की दृष्टि से अस्पष्ट और दोषपूर्ण वाक्यों को शुद्ध करने के अभ्यास।

विद्यार्थियों द्वारा होने वाली वाक्य रचना संबंधी त्रुटियों का संकलन एवं उनके आधार पर त्रुटि-निवारण के लिए और भी अभ्यास कराए जा सकते हैं।

4. **सहशैक्षिक कार्यक्रमों के समय :** साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे उन्हें विषय के अनुकूल भाषा के प्रयोग का अवसर मिलता है। भाषण, वाद-विवाद, कहानी-कथन, कविता पाठ, लेख-प्रतियोगिताएँ आदि ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनके द्वारा शुद्ध वाक्य प्रयोग का अभ्यास अपने-आप होता है। इन अवसरों पर विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त अशुद्ध वाक्यों का संकलन करना चाहिए और उचित अवसर पर उनका संशोधन होना चाहिए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ व्याकरण शिक्षण में वाक्य रचना के व्यावहारिक रूपों को लेकर किस-किस प्रकार के अभ्यास कराएँगे? पदक्रम और रूपांतर संबंधित एक-एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।	अनुप्रयोग तथा रचना कीजिए
❑ अपनी कक्षा में एक ऐसी कहानी प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए जिसमें सरल वाक्यों का ही प्रयोग किया जाए।	आयोजन कीजिए
❑ निम्नांकित विषयों में से किसी एक विषय पर दस वाक्यों का एक भाषण तैयार कीजिए जिनमें दो संयुक्त वाक्य और दो मिश्र वाक्यों का प्रयोग अवश्य हुआ हो। 1. स्वतंत्रता दिवस 2. गणतंत्र दिवस 3. गांधी जयंती	रचना कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. वाक्य भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई है। भावों एवं विचारों की स्पष्टता और संप्रेषणीयता शुद्ध वाक्य रचना पर ही निर्भर है। यह विशिष्ट क्रम से संयोजित सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है, जिनमें योग्यता,-

आकांक्षा और आसत्ति होना आवश्यक है।

2. वाक्य रचना शिक्षण का उद्‌देश्य है विद्यार्थियों को शुद्ध हिंदी वाक्य रचना का ज्ञान और उनके उचित प्रयोग की योग्यता प्रदान करना।
3. रचना की दृष्टि से वाक्य के मुख्यतः दो अंग हैं—उद्‌देश्य और विधेय।
4. हिंदी वाक्य रचना में पदक्रम का विशेष महत्त्व है। पदक्रम का सामान्य नियम है—पहले कर्त्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया। कर्त्ता का विस्तार कर्त्ता के पहले, कर्म का विस्तार कर्म के पहले और क्रिया विशेषण क्रिया के पहले। बल के लिए इस क्रम में अंतर हो सकता है।
5. वाक्य में अन्विति का भी विशेष महत्त्व है। कर्त्ता और क्रिया की अन्विति, कर्म और क्रिया की अन्विति, संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति, विशेष्य और विशेषण की अन्विति जानना आवश्यक है।
6. कभी-कभी संक्षिप्तता और गरिमा लाने के लिए वाक्य में कुछ शब्द छोड़ दिए जाते हैं, पर वाक्य का अर्थ स्पष्ट बना रहता है। भाषा के इस व्यवहार को अध्याहार कहते हैं।
7. अर्थ की दृष्टि से वाक्य आठ प्रकार के होते हैं—विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक।
8. रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार हैं—सरल, संयुक्त और मिश्र। हिंदी वाक्य रचना सिखाने की दृष्टि से वाक्य के विभिन्न प्रकारों का परस्पर रूपांतरण सिखाना उपयोगी सिद्ध होता है।
9. वाक्य रचना शिक्षण के अनेक अवसर हैं, जैसे—गद्य पाठ पढ़ाते समय, मौखिक और लिखित रचना शिक्षण के समय, व्याकरण शिक्षण के समय, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समय। अध्यापक को इन सभी अवसरों का यथासंभव उपयोग करना चाहिए।

मूल्यांकन

1. वाक्य के मुख्य अंग क्या हैं? उनके उदाहरण भी दीजिए।
2. वाक्य के लिए उसमें किन-किन तत्वों का होना आवश्यक है?
3. हिंदी वाक्य की पदव्यवस्था के नियम बताइए।
4. अन्विति का क्या तात्पर्य है हिंदी वाक्य की रचना में उसका क्या महत्त्व है?
5. संयुक्त और मिश्र वाक्य का अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
6. आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए।
7. रूपांतरण का क्या अर्थ है? चुने हुए किन्हीं दो सरल वाक्यों का रूपांतरण एक सरल वाक्य में और एक संयुक्त वाक्य में कीजिए।
8. कक्षा-शिक्षण की दृष्टि से वाक्य रचना शिक्षण की प्रक्रिया पर विचार कीजिए और इस संबंध में अपने सुझाव दीजिए।

कैप्सूल 5.2

वाक्य विश्लेषण

5.2.0 प्रस्तावना

वाक्य विश्लेषण का तात्पर्य है—वाक्य के पदों या पद बंधों को पृथक-पृथक करना और व्याकरणिक दृष्टि से उनके पारस्परिक संबंधों को बताना। इन पदों या पदबंधों को पृथक-पृथक करने की प्रक्रिया से वाक्य-संरचना को समझने में सहायता भी मिलती है। इससे वाक्य के विभिन्न घटकों—उद्‌देश्य (कर्त्ता, कर्त्ता का विस्तार), विधेय (क्रिया, क्रिया का विस्तार; कर्म, कर्म का विस्तार; पूरक, पूरक का विस्तार आदि) के परस्पर संबंध तथा वाक्य में उनके सही क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। संयुक्त वाक्य में मुख्य तथा समानाधिकरण वाक्य तथा मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य होता है। अतः विद्यार्थियों को वाक्य विश्लेषण की प्रक्रिया से अवगत करना वाक्य रचना शिक्षण का आवश्यक अंग है। इस कैप्सूल में वाक्य विश्लेषण प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है।

व्यवहारगत उद्‌देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. किसी अनुच्छेद में सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को पहचान सकेंगे और उन्हें अलग-अलग कर सकेंगे।
2. वाक्य विश्लेषण की शिक्षण विधि से परिचित होकर उसे कक्षा में अपना सकेंगे।

5.2.1 वाक्य विश्लेषण

(क) **सरल वाक्य :** सरल वाक्य में एक ही विधेय होता है, उद्‌देश्य भले ही एक से अधिक हों, जैसे—मोहन ने पुस्तक पढ़ी। राम और श्याम स्कूल गए। शीला, रीता और सलमा वहाँ पहुँच गई। इनमें पहले वाक्य में एक उद्‌देश्य (मोहन), दूसरे वाक्य में दो उद्‌देश्य (राम और श्याम), और तीसरे वाक्य में तीन उद्‌देश्य (शीला, रीता और सलमा) हैं किन्तु तीनों वाक्यों में एक-एक (पढ़ी, गए, गई) ही विधेय हैं।

सरल वाक्य के विश्लेषण में सबसे पहले उद्‌देश्य और विधेय का दो खंडों में विभाजन किया जाता है। उद्‌देश्य के अंतर्गत उद्‌देश्य का विस्तार दिखाया जाता है। विधेय के अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, पूरक और पूरक का विस्तार दिखाया जाता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं—

1. उद्‌देश्य 2. उद्‌देश्य का विस्तार 3. विधेय तथा विधेय के अंतर्गत—

(क) क्रिया	(ख) क्रिया का विस्तार
(ग) कर्म	(घ) कर्म का विस्तार
(ङ) पूरक	(च) पूरक का विस्तार

उदाहरण की दृष्टि से : निम्नलिखित सरल वाक्यों का विश्लेषण देखिए :

1. रमा अच्छी लड़की है।
2. राम के भाई श्याम ने शीला को चार पुस्तकें दीं।
3. भारतीय सैनिकों ने एक दिन में ही आक्रमणकारी शत्रुओं को मार भगाया।
4. तेज विद्यार्थी मन लगाकर अपना पाठ पढ़ते हैं।

(ख) **संयुक्त वाक्य :** संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं—

1. मुख्य उपवाक्य
2. मुख्य उपवाक्य का समानाधिकरण उपवाक्य
3. समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय।

फिर प्रत्येक उपवाक्य का सरल वाक्य की भाँति विश्लेषण किया जाता है। अर्थात कर्त्ता, कर्त्ता का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, पूरक, पूरक का विस्तार।

उद्देश्य		विधेय					
उद्देश्य (कर्त्ता)	उद्देश्य का विस्तार (कर्त्ता का विस्तार)	क्रिया	क्रिया का विस्तार	कर्म	कर्म का विस्तार	पूरक	पूरक का विस्तार
1. रमा	x	है	x	x	x	लड़की	अच्छी
2. श्याम ने	राम के भाई	दी	x	(मुख्य कर्म) पुस्तकें (गौण कर्म) शीला को	चार	x	x
3. सैनिकों ने	भारतीय	मार भगाया	एक दिन में ही	शत्रुओं को	आक्रमण-कारी	x	x
4. विद्यार्थी	तेज़	पढ़ते हैं	मन लगाकर	पाठ	अपना	x	x

उद्देश्य		विधेय					
कर्त्ता	कर्त्ता का विस्तार	क्रिया	क्रिया का विस्तार	कर्म	कर्म का विस्तार	संबंध बोधक	प्रधान समानाधि-करण
1. अनीता	शीला की बहन	आई थी	पढ़ने कल	-	-	-	मुख्य उप-वाक्य
2. (वह)	-	आई	आज नहीं	-	-	परंतु	समानाधि-करण उपवाक्य

उदाहरण : "शीला की बहन अनीता कल पढ़ने आई थी परंतु आज नहीं आई।" इस वाक्य में—

1. शीला की बहन अनीता कल पढ़ने आई थी। मुख्य उपवाक्य।
2. (वह) आज नहीं आई। समानाधिकरण उपवाक्य। परन्तु—संबंधबोधक अव्यय।

(ग) **मिश्र वाक्य :** मिश्र वाक्य के विश्लेषण में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं—

1. मुख्य उपवाक्य
2. आश्रित उपवाक्य
3. आश्रित उपवाक्य का प्रकार
4. समुच्चय बोधक अव्यय

फिर प्रत्येक उपवाक्य का विश्लेषण सरल वाक्य की भांति किया जाता है।

उदाहरण

मिश्र वाक्य : जब तेज पानी बरसने लगा तब ऋतु तुरंत घर की ओर लौट आई।

1. ऋतु तुरंत घर की ओर लौट आई। मुख्य उपवाक्य।
2. तेज पानी बरसने लगा। आश्रित (क्रिया विशेषण) उपवाक्य। (यह आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया "लौट आई" की विशेषता बताता है और कालबोधक क्रिया विशेषण का काम कर रहा है।)
3. "जब", "तब" व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। अब इन दोनों उपवाक्यों का अलग-अलग विश्लेषण नीचे किया जा रहा है—

उपवाक्य	*उपवाक्य का भेद*	*समुच्चय बोधक अव्यय*	*उद्देश्य*	*उद्देश्य का विस्तार*	*क्रिया*	*क्रिया का विस्तार*	*कर्म एवं कर्म का विस्तार*	*पूरक एवं पूरक का विस्तार*
1. ऋतु तुरंत घर की ओर लौट आई	मुख्य उपवाक्य	तब (व्यधिकरण)	ऋतु	-	लौट आई	तुरंत घर की ओर	-	-
2. पानी बरसने लगा	आश्रित उपवाक्य (क्रिया विशेषण)	जब (व्यधिकरण)	पानी	तेज	बरसने लगा	-	-	-

अभ्यास कार्य

❑ निम्नलिखित वाक्यों में से सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को अलग-अलग लिखिए और उनका विश्लेषण कीजिए—

(1) श्याम किशोर प्रतिभाशाली छात्र है।
(2) मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है।
(3) अध्यापक ने पूछा कि कल तुम कहाँ गए थे?
(4) उसने गायत्री को चार पुस्तकें दीं।
(5) वह चला तो था परंतु रास्ते से ही लौट गया।
(6) वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया क्योंकि उसने परिश्रम से अध्ययन नहीं किया था।

निर्देश
वर्गीकरण और विश्लेषण कीजिए

5.2.2 वाक्य विश्लेषण की शिक्षण विधि

वाक्य रचना शिक्षण के संदर्भ में बताया गया है कि गद्य शिक्षण, रचना शिक्षण, व्याकरण शिक्षण एवं साहित्यिक तथा सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से वाक्य रचना शिक्षण के पर्याप्त अवसर मिलते हैं और उन अवसरों का यथोचित सदुपयोग करना चाहिए किंतु वाक्य विश्लेषण की शिक्षा के लिए केवल व्याकरण शिक्षण में अवसर मिलता है। गद्य अथवा रचना शिक्षण में इसकी शिक्षा अप्रासंगिक हो जाती है। वाक्य विश्लेषण की प्रक्रिया सिखाना वाक्य रचना शिक्षण का अभिन्न अंग है, अतः उसी के साथ इसका ज्ञान और अभ्यास कराना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित क्रम अपनाना उपयोगी हो सकता है—

1. सरल वाक्यों का विश्लेषण—व्याकरण के अनुसार प्रत्येक पद का अलग-अलग उल्लेख।
2. संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण—मुख्य एवं समानाधिकरण उपवाक्यों का अलग-अलग उल्लेख, समुच्चय बोधक अव्यय का उल्लेख।
3. मिश्र वाक्यों का विश्लेषण—मुख्य एवं आश्रित उपवाक्यों का अलग-अलग उल्लेख, आश्रित उपवाक्यों के प्रकारों का उल्लेख, समुच्चय बोधक अव्यय का उल्लेख।

वाक्य विश्लेषण के शिक्षण में आगमन विधि का अनुसरण करना अपेक्षित है। इस विधि के अन्तर्गत पहले उदाहरण, फिर उसके आधार पर सिद्धांत, लक्षण और नियम बताएं तथा उसके अनुसार दिए हुए भिन्न-भिन्न वाक्यों का विश्लेषण कराएँ। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वाक्य विश्लेषण के अधिकाधिक अभ्यास से वाक्य रचना की योग्यता विकसित करने में बहुत सहायता मिलती है।

अभ्यास कार्य

❑ वाक्य विश्लेषण के शिक्षण के लिए अभ्यास योजना बनाइए।

निर्देश
निर्माण कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. वाक्य के पदों, पदबंधों को पृथक-पृथक करना और व्याकरणिक दृष्टि से उनके पारस्परिक संबंध बताना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। सरल वाक्यों के विश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत कर्त्ता और कर्त्ता का विस्तार बताया जाता है और विधेय के अंतर्गत क्रिया और क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार, पूरक और पूरक का विस्तार बताया जाता है।
2. संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में मुख्य उपवाक्य, समानाधिकरण उपवाक्य तथा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय बताए जाते हैं। फिर प्रत्येक उपवाक्य का विश्लेषण सरल वाक्य की भाँति किया जाता है।
3. मिश्र वाक्य के विश्लेषण में मुख्य उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य के प्रकार तथा समुच्चय बोधक अव्यय बताए जाते हैं। फिर प्रत्येक उपवाक्य का विश्लेषण सरल वाक्य की भांति किया जाता है।
4. वाक्य विश्लेषण सिखाने के लिए व्याकरण शिक्षण में ही अवसर मिलता है। इनके शिक्षण में आगमन विधि अधिक उपयोगी सिद्ध होती है, अर्थात पहले उदाहरण दें, उनके आधार पर नियम बतायें, फिर नियमों के अनुसार नए उदाहरणों के अभ्यास कराएँ।

मूल्यांकन

1. वाक्य विश्लेषण से क्या तात्पर्य है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
2. सरल वाक्य के विश्लेषण से मिश्र वाक्य का विश्लेषण किस प्रकार भिन्न है? दोनों के उदाहरण देकर समझाइए।
3. संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

कैप्सूल 5.3

विराम चिह्नों का प्रयोग

लिखित भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिह्न कहते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ है—ठहराव। लेखक लिखते समय अपने भावों और विचारों को सुगम और सुबोध बनाने के लिए विराम चिह्नों का प्रयोग करता है। इससे वाक्य रचना और भावाभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है।

जिस प्रकार बोलने में प्रश्न करते समय, आदेश देते समय, संबोधित करते समय, विस्मय प्रकट करते समय अपनी वाणी में उतार-चढ़ाव, बल, अनुतान, उच्च या मंद स्वर का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार लेखन में अपने भाव प्रकाशन के लिए विराम चिह्नों का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों को इन विराम चिह्नों के प्रयोग से भली-भाँति अवगत करा देना चाहिए।

हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिह्न निम्नलिखित हैं :

1. पूर्ण विराम (।)
2. अल्प विराम (,)
3. अर्द्ध विराम (;)
4. प्रश्न सूचक (?)
5. विस्मयादिबोधक या संबोधन सूचक (!)
6. निर्देशक (डैश) (—)
7. योजक (-)
8. अवतरण या उद्धरण चिह्न ("......")
9. कोष्ठक ( )
10. विवरण चिह्न (:-)
11. हंसपद (‸)

इनमें कुछ विराम चिह्न वाक्य के अंत में लगते हैं, जैसे— पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, संबोधन या विस्मयादिबोधक तथा कुछ वाक्य के बीच में, जैसे—अल्प विराम, अर्द्ध विराम आदि।

1. **पूर्ण विराम** (।) सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। वाक्य चाहे लंबा हो, छोटा हो, सरल हो, संयुक्त हो या मिश्र हो, उसके अंत में पूर्ण विराम ही लगता है, जैसे— "जाओ। वह अच्छा लड़का है। उसने कहा कि राम कल आएगा। राम आया और तुम चले गए।"
2. **अल्प विराम** (,) अल्प विराम वाक्य के बीच में लगता है। इसका प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है—
   (1) एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले "और" का प्रयोग होता है, जैसे—"बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम् और पुरी भारत के प्रसिद्ध चार धाम हैं।"
   (2) एक ही प्रकार के कई पदबंधों या उपवाक्यों का एक वाक्य में प्रयोग होने पर प्रत्येक के अंत में अल्प विराम लगाया जाता है, पर अंतिम पदबंध के उपवाक्य के पहले "और" का प्रयोग होता है, जैसे—"जब हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं और मनन करते हैं तभी हमारा ज्ञान बढ़ता है।"
   (3) वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त "हाँ", "नहीं" के बाद अल्प विराम लगता है जैसे—"नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते।"
   (4) कभी-कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद विकल्प से अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे—"मोहन, तुम यह पुस्तक पढ़ो।"
   (5) जब संज्ञा उपवाक्य मुख्य उपवाक्य से किसी समुच्चय बोधक द्वारा नहीं जोड़ा जाता है,

जैसे—"अध्यक्ष ने कहा, मैं इस समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ।"

(6) उद्धरण चिह्न से पूर्व, जैसे—राम ने कहा, "साथियो! मैंने समाज-सेवा का व्रत ले लिया है।"

3. **अर्द्ध विराम (;)**—अर्द्ध विराम का प्रयोग अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय तक ठहरने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग अल्प विराम एवं पूर्ण विराम की तुलना में कम होता है। प्रायः लोग इसके स्थान पर अल्प विराम का ही प्रयोग कर देते हैं जो ठीक नहीं है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थलों पर होता है—

(1) किसी नियम के बाद आने वाले उदाहरण सूचक "जैसे" शब्द के पूर्व। उदाहरण के लिए "स्त्रियों" के नामों के साथ प्रायः "देवी" शब्द आता है; जैसे—"गायत्री देवी।"

(2) जब संयुक्त वाक्य के मुख्य या प्रधान उपवाक्यों में परस्पर संबंध नहीं रहता तो उन्हें पृथक करने के लिए, जैसे—"आज जिसे हम मित्र समझते हैं, कल वही हमारा शत्रु हो सकता है; आज जिसे हम प्यार करते हैं, कल उससे घृणा कर सकते हैं।"

(3) उन कई मिश्रित उपवाक्यों के बीच में जो एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, जैसे—"जब तक शिक्षक यह नहीं जानता कि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, उसकी बौद्धिक योग्यता कैसी है; उसकी अभिरुचियाँ क्या हैं; उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है; तब तक वह उसके शिक्षण में सफल नहीं हो सकता।"

4. **प्रश्नसूचक चिह्न (?)** प्रश्नसूचक चिह्न निम्नलिखित स्थितियों में वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है—

(1) प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर, जैसे—तुम किस कक्षा में पढ़ते हो?

(2) यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक वाक्य हों और वे एक ही प्रधान उपवाक्य पर अवलंबित हों तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्नसूचक चिह्न लगाया जाता है और बीच के प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्पविराम लगाया जाता है, जैसे—मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यह सब आप क्यों जानना चाहते हैं?

5. **विस्म्यादिबोधक या संबोधन सूचक (!)** विस्म्यादिबोधक चिह्न वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है।

(1) हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, आज्ञा आदि मनोवेग सूचक शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों तथा वाक्यों के अंत में जैसे—आह! उसे कितना दुख हो रहा है। (शब्द, विषाद) इतनी लंबी दीवार! (पदबंध, आश्चर्य) कैसा सुंदर दृश्य है! (वाक्य, हर्ष)

(2) जहाँ संबोधन हो, जैसे—साथियो!... मोहन!..

6. **निर्देशक (—)** वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। यह योजक चिह्न (-) से थोड़ा बड़ा होता है।

(1) किसी उद्धरण के या कथन के पहले अल्प विराम के स्थान पर, जैसे—कबीर का कथन है—"राम नाम की महिमा अपार है।"

(2) किसी संवाद या कथोपकथन या प्रश्न-उत्तर के रूप में प्रत्येक वक्ता के बाद, जैसे—
शिक्षक—भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
विद्यार्थी—राजेन्द्र प्रसाद।

7. **योजक या विभाजक (-)** निम्नलिखित स्थलों पर योजक या विभाजक चिह्नों का प्रयोग किया जाता है—

(1) सामाजिक पदों, पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य, जैसे—भारत-रत्न, सुख-दुख, तन-मन-धन, घर-घर, देश-विदेश आदि।

(2) "मध्य" के अर्थ में, जैसे—अंगद-रावण संवाद, भीष्म-परशुराम युद्ध।

8. **अवतरण या उद्धरण चिह्न** इसके दो रूप हैं। दुहरा ("......"), इकहरा ('......')।

(1) **दुहरे अवतरण चिह्न ("......") का प्रयोग**— लेखक या वक्ता के कथन को यथावत् उद्धृत करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे— रामचंद्र वर्मा,— "बोलने और लिखने में दो बातों का महत्त्व सबसे अधिक है—एक तो अर्थ का और दूसरा भाव का।"

(2) **इकहरे अवतरण चिह्न ('......') का प्रयोग**— इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक का उपनाम, पाठों का शीर्षक, पुस्तक, समाचारपत्र, पत्रिकाओं आदि का नाम लिखने में होता है।

(क) सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' का 'परिमल' ग्रंथ।

(ख) दूसरा पाठ पढ़ो, जिसका शीर्षक है, 'उत्साह'।

(ग) 'बाल भारती' बच्चों की पुस्तक है।

9. कोष्ठक ( ) कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है—

1. क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ— दिशाएँ चार होती हैं (1) पूर्व (2) पश्चिम (3) उत्तर (4) दक्षिण।
2. कभी-कभी वाक्य के प्रवाह से भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्ठक में रखा जा सकता है, जैसेः भरत (दशरथ के पुत्र) बड़े तपस्वी थे।

10. विवरण चिह्न (:-) किसी विषय अथवा बातों को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है, जैसे—
संज्ञा के तीन प्रमुख भेद हैं—

1. व्यक्तिवाचक, 2. जातिवाचक, 3. भाववाचक। इसकी जगह प्रायः डैश (-) से काम चला लिया जाता है।

11. हंसपद (‸) जब लिखने में भूल से कोई शब्द या पदबंध छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए यह चिह्न लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं, जैसे—सुरेश बहुत ‸ही अच्छा लड़का है। वह यहाँ आ जाएगा। इस चिह्न को त्रुटिबोधक भी कहते हैं।

अभ्यास कार्य

❑ निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित स्थानों पर सही विराम चिह्न लगाइए।

राष्ट्रध्वज ही किसी देश की शान मर्यादा सम्मान और संप्रभुता का प्रतीक है। साथियो इसके मान की रक्षा प्राणों की आहुति देकर भी करनी चाहिए। क्या राष्ट्रध्वज के बिना हम स्वतंत्र देश के नागरिक कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं।

निर्देश
अनुप्रयोग कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

वाक्य में अर्थ और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए यथास्थान उपयुक्त विराम चिह्नों का प्रयोग आवश्यक है। ये विराम चिह्न हैं— पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्द्ध विराम, प्रश्न सूचक चिह्न, विस्मय सूचक या संबोधन चिह्न, निर्देशक चिह्न, योजक चिह्न, कोष्ठक, अवतरण या उद्धरण चिह्न, विवरण चिह्न तथा हंसपद।

मूल्यांकन

1. विराम चिह्नों की क्या उपयोगिता है?
2. अल्प विराम और अर्द्ध विराम के अंतर को स्पष्ट कीजिए।
3. योजक चिह्न क्यों आवश्यक है?

मॉड्यूल-6

श्रवण कौशल शिक्षण

6.0 प्रस्तावना

चार भाषायी कौशलों (सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना) में से श्रवण (सुनना) एक महत्त्वपूर्ण कौशल है। शिशु के जन्म से ही इस कौशल को सीखने का क्रम आरम्भ हो जाता है और जीवन-पर्यन्त चलता रहता है। हम अधिकतर ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करते हैं। सामान्यतः हम जाग्रत अवस्था का लगभग 42% समय सुनने में व्यतीत करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार बच्चा कक्षा के बाहर खेलकूद, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के कार्यक्रम सुनने में प्रतिदिन लगभग चार घंटे का समय व्यतीत करता है। इतना ही नहीं, श्रवण का भाषण और पठन से सीधा संबंध है। कुशाग्र बुद्धि बालक श्रेष्ठ श्रोता माना गया है। ध्यानपूर्वक सुनने वाला विद्यार्थी सावधान पाठक भी होता है और अच्छा वक्ता भी।

हमारी परीक्षा प्रणाली में लेखन कौशल पर अधिक बल होने के कारण सामान्यतः श्रवण कौशल उपेक्षित रहता है।

किन्तु भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर पुनर्विचार के बाद अब श्रवण-कौशल को फिर से महत्त्व दिया जा रहा है। प्रस्तुत मॉड्यूल में निम्नलिखित दो कैप्सूल सम्मिलित किए गए हैं :

कैप्सूल 6.1	में श्रवण कौशल की प्रकृति, श्रवण कौशल का महत्त्व, श्रवण कौशल-विकास के अवसर, श्रवण कौशल का मूल्यांकन, श्रवण दोष, कारण, निदान और उपचारात्मक सहायता के लिए मार्गदर्शक निर्देश दिए गए हैं।
कैप्सूल 6.2	का संबंध श्रवण कौशल संबंधी पाठयोजना निर्माण से है। इस कैप्सूल में पाठयोजना का एक नमूना दिया गया है।

कैप्सूल-6.1

श्रवण कौशल

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. श्रवण की प्रकृति को स्पष्ट कर सकेंगे।
2. श्रवण शिक्षण के निर्धारित उद्देश्यों को समझ कर उनके महत्त्व को बता सकेंगे।
3. श्रवण कौशल-विकास के अवसरों को बता सकेंगे।
4. विद्यार्थियों में श्रवण कौशल के विकास के परिणामस्वरूप आए परिवर्तनों का मूल्यांकन कर सकेंगे।
5. अपने विद्यार्थियों के श्रवण दोषों को पहचान कर उन्हें उपचारात्मक सहायता दे सकेंगे।

6.1.1 श्रवण की प्रकृति

सुनना एक प्रकृति प्रदत्त शक्ति है। इसका लाभ वही उठा सकते हैं जिनकी श्रवणेन्द्रिय ठीक हो। इसमें विकार होने से श्रवण दोष उत्पन्न हो जाते हैं।

सामान्यतः श्रवण का अर्थ किसी ध्वनि, बातचीत, वाद्य-संगीत आदि के सुनने से लिया जाता है। किन्तु यह सुनने का बहुत सीमित अर्थ है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में "श्रवण" का अर्थ सुनकर भाव-अधिगम या भावग्रहण करना है। इसका अर्थ मात्र ध्वनियों का सुनना ही नहीं है।

श्रवण में किसी कथन को **ध्यानपूर्वक सुनने,** सुनी हुई बात पर **चिन्तन-मनन करने, अपना मंतव्य स्थिर करने** और तदनुसार **आचरण या व्यवहार करने** जैसी जटिल प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ श्रवण के समय विद्यार्थियों की मुखाकृति पर ध्यान दीजिए और बताइए कि सुनने की प्रक्रिया के समय उनमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं।	अवलोकन कीजिए

6.1.2 श्रवण कौशल का महत्त्व

सुनना भाषा के चार प्रमुख कौशलों में से एक है। यह मानव जीवन में भाषा व्यवहार का एक अनिवार्य पक्ष है। एक शोधकर्ता के अनुसार मनुष्य अपनी दिनचर्या में भाषा-व्यवहार के अंतर्गत 45% समय सुनने में, 30% बोलने में तथा शेष 25% पठन तथा लेखन को लगाता है। विद्यालय में भी विद्यार्थियों का लगभग आधा समय सुनने में लगता है।

श्रवण केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है। यदि कर्णेन्द्रिय दोष रहित है तो कानों को सुनाई देगा ही। किन्तु अच्छे श्रवण में इससे कहीं अधिक अपेक्षित है। एक अच्छा श्रोता सुनने के साथ प्रस्तुत वार्तालाप के सूत्र को, विचार के विकास को, तर्क बिंदुओं को तथा वक्ता के मनोभावों को भी समझता है। अतः मुख्यतः श्रवण एक मानसिक क्रिया है। व्यक्ति अपने पूर्वानुभव के संदर्भ में श्रुत सामग्री को समझता है, उस पर विचार करता है। ध्यान भटक जाने पर वह श्रुत विषय का पूरा बोध नहीं कर पाता। फलस्वरूप उसे श्रवण के मुख्य लक्ष्य—सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता की प्राप्ति नहीं हो पाती। स्पष्ट है कि श्रवण कौशल का विकास भाषा शिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है और अध्यापक के नाते हमें अपने विद्यार्थियों में इसके विकास के लिए समुचित प्रयास करना चाहिए।

मातृभाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों का वर्णन करते समय "बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना" उद्देश्य के अंतर्गत अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का विस्तृत विवरण मॉड्यूल 1 (कैप्सूल 1.2) में दिया जा चुका है। आप उनको ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को श्रवण कौशल के विकास के अवसर प्रदान करें।

6.1.3 श्रवण कौशल के विकास के अवसर

विद्यार्थियों को मोटे तौर पर निम्नलिखित स्थितियों में सार्थक श्रवण के अवसर प्राप्त होते हैं :

(1) कक्षा शिक्षण के दौरान
(2) सहशैक्षिक क्रियाओं के दौरान
(3) कक्षेतर कार्यकलापों के दौरान

(1) कक्षा शिक्षण के दौरान

कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को बालगीत, कविता, कहानी आदि के माध्यम से श्रवण कौशल के विकास के अवसर प्राप्त कराए जा सकते हैं।

(क) बालगीत/कविता के माध्यम से :

विद्यार्थियों को कोई बालगीत अथवा सरल कविता दो-तीन बार सुनाएँ। फिर, उसी बालगीत/कविता की दो-दो, तीन-तीन पंक्तियाँ अलग से सुनाएँ और विद्यार्थियों से उन पंक्तियों को दुहरवाएँ। दो-दो, तीन-तीन पंक्तियों को सामूहिक रूप से दुहरवाने के बाद अलग-अलग विद्यार्थियों को उन पंक्तियों को सुनाने के लिए कहें। इस प्रकार पूरी कविता को सुनाने का अभ्यास कराएँ।

पूरी कविता सुन लेने के बाद सामान्य बोध के प्रश्न पूछकर पता लगाएँ कि विद्यार्थियों ने कविता को कहाँ तक समझा है।

(ख) कहानी के माध्यम से :

श्रवण कौशल विकास के लिए कहानी एक अत्यंत उपयुक्त साधन है। बच्चों को कहानी सुनना सदा ही अच्छा लगता है। किन्तु कहानियों का चयन करते समय यह ध्यान रखें कि कहानी ऐसी हो जिसको सुनने में विद्यार्थी में उत्सुकता एवं कौतूहल बना रहे। उनमें यह जानने की इच्छा बनी रहे कि अब आगे क्या होने वाला है। विद्यार्थियों को सामान्यतः राजा-रानी की कहानियाँ, रोमांचक कहानियाँ, लोककथाएँ आदि रुचिकर एवं प्रिय होती हैं।

कक्षा में कहानी सुनाने के पश्चात् विद्यार्थियों से कहानी पर "किसने कहा", "किससे कहा", "कब कहा", "क्यों कहा" जैसे कुछ सरल प्रश्न पूछना उचित रहता है। विद्यार्थियों को बारी-बारी से कहानी को छोटे-छोटे अंशों में सुनाने के लिए भी कहा जा सकता है। और इस प्रकार पूरी कहानी सुनी जा सकती है।

(ग) किसी एक कथन को विभिन्न मनोभावों में व्यक्त करके :

वक्ता के मनोभाव (हर्ष, क्रोध, आश्चर्य आदि) को समझना श्रवण कौशल का एक प्रमुख पक्ष है। शिक्षक किसी एक कथन को विभिन्न मनोभावों, जैसे—आश्चर्य, क्रोध और हर्ष में व्यक्त करके यह पूछे कि कथन विशेष में क्या मनोभाव व्यक्त हो रहा है।

(2) सहशैक्षिक क्रियाओं के दौरान

सहशैक्षिक क्रियाओं द्वारा भी श्रवण शक्ति का विकास कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए जिस एकांकी को विद्यार्थियों ने कक्षा में पढ़ा है उसका कक्षाभिनय कराएँ। इससे विद्यार्थियों को श्रवण लाभ होगा और साथ ही साथ मनोरंजन भी। ऐसे श्रवण बाधित विद्यार्थी जिन्हें कुछ कम या ऊँचा सुनता है, उन्हें इन कार्यक्रमों में विशेषरूप से सम्मिलित करें।

नीचे श्रवणशक्ति के विकास के लिए कुछ उपयोगी सहशैक्षिक कार्यक्रम सुझाए जा रहे हैं। इनके आयोजन से विद्यार्थी उत्तरोत्तर लाभान्वित होंगे :

1. वाद विवाद प्रतियोगिता
2. कहानी प्रतियोगिता
3. कविता वाचन प्रतियोगिता
4. आशुभाषण प्रतियोगिता

5. समाचार वाचन
6. प्रार्थना कालीन भाषण।

3. **कक्षेतर कार्यकलापों के दौरान**
कक्षेतर कार्यकलापों द्वारा भी श्रवण कौशल का विकास कराया जा सकता है। नीचे इस संबंध में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं :

1. **आकाशवाणी कार्यक्रम द्वारा** : अनेक राज्यों में आकाशवाणी से विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। कक्षा के अनुसार इन कार्यक्रमों को निश्चित रूप से सुनने का अवसर प्रदान करें। शिक्षण अभ्यास के समय अपने अध्यापन को आकाशवाणी के कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करें।
2. **दूरदर्शन द्वारा** : दूरदर्शन के कुछ उपयोगी कार्यक्रमों को देखकर सुनने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना।
3. **साप्ताहिक छात्र सभाओं द्वारा** : विद्यार्थियों को इन सभाओं में सम्मिलित होने को प्रेरित करना।
4. **वृत्त चल-चित्रों द्वारा** : वृत्त चल-चित्रों को दिखाकर सुनने के अवसर देना।
5. **टेप-रिकार्ड द्वारा** :उपयोगी कार्यक्रमों को टेप-रिकार्डर पर रिकार्ड करके विद्यार्थियों को सुनाना।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ पाठ्यपुस्तक से ऐसे अनुच्छेद चुनिए जिसमें हर्ष, आश्चर्य, क्रोध और व्यंग्य के भाव प्रकट होते हों।	चयन कीजिए
❑ पाठ्यपुस्तक में दी हुई कहानियों में से ऐसे अंश चुनिए जिनमें निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हों— (क) किसने कहा? (ख) क्यों कहा? (ग) कब कहा? (घ) कैसे कहा?	चयन और निर्माण कीजिए
❑ आस पास के तीन-चार विद्यालयों में जाकर इस बात का पता लगाएँ कि वहाँ श्रवण कौशल के विकास के लिए किस प्रकार की सहशैक्षिक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है।	सर्वेक्षण कीजिए
❑ शिक्षण-अभ्यास के समय पढ़ाई गई कहानी का कक्षाभिनय कराएँ।	कक्षाभिनय कराइए

6.1.4 श्रवण कौशल का मूल्यांकन

मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होता है। श्रवण कौशल का मूल्यांकन करते समय इसके उद्देश्यों को लघु इकाईयों में विभाजित कर लें।

मूल्यांकन सतत चलने वाली क्रिया है। हर विद्यार्थी के श्रवण स्तर का व्यक्तिगत रिकार्ड भी रखा जा सकता है। कर्ण संबंधी रोग से ग्रस्त विद्यार्थियों की पहचान करके उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्रवण संबंधी कौशल का मूल्यांकन व्यक्तिगत स्तर पर करना श्रेष्ठ है। यदि समयाभाव हो तो सामूहिक रूप से भी मूल्यांकन संभव है। मूल्यांकन के समय श्रवण संबंधी मशीनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रेक्षण भी मूल्यांकन की पद्धति हो सकती है। आइए, मूल्यांकन की इन्हीं विधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करें।

आप मूल्यांकन से पहले श्रवण कौशल का कोई उद्देश्य निश्चित करें और फ़िर उस पर परीक्षण प्रश्नों का निर्माण करें। उदाहरण के लिए आप यह जानना चाहते हैं कि क्या विद्यार्थियों ने वक्ता के कथन में निहित महत्त्वपूर्ण तथ्यों को

सुनकर समझ लिया है।

इस उद्देश्य के लिए आप कोई अनुच्छेद लें। इसे विद्यार्थियों को सुनाएं, इस प्रकार का मूल्यांकन व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी।

उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ पुस्तक से सुनाएं और फिर इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछें।

"देश देशान्तर का भ्रमण करते हुए एक दिन अर्जुन हरिद्वार के निकट पहुँचे। गंगा में स्नान करते समय नागराज कैरव्य की कन्या उलूपी की दृष्टि उन पर पड़ी और वह मोहित हो गई। वह उन्हें खींच कर पाताल लोक ले गई। वहाँ उसने अर्जुन से विवाह का आग्रह किया। अर्जुन ने उलूपी से विवाह कर लिया। वे एक रात नागलोक में रहे। उलूपी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को वरदान दिया कि जल में भी आप स्थल की तरह विचरण कर सकेंगे और कोई जलचर आपके मार्ग में बाधक न बन सकेगा।"

(संक्षिप्त महाभारत पृ० 27-28, कक्षा-7 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली)

प्रश्न : किस नदी के तट पर उलूपी की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी?

प्रश्न : अर्जुन और उलूपी एक रात्रि कहाँ रहे?

प्रश्न : उलूपी ने अर्जुन को क्या वरदान दिया?

यदि विद्यार्थी इन प्रश्नों का सही उत्तर देता है तो इसका अभिप्राय हुआ कि उसने कही हुई बात को मनोयोग पूर्वक सुना है और परिणामस्वरूप वह कथन के तथ्यों की आवृत्ति कर सकता है।

6.1.5 श्रवण दोष, कारण, निदान और उपचार

अभ्यास कार्य

- किशोर भारती भाग 2 के पाठ संख्या 13 "भक्ति पदावली" के तीनों पदों को कक्षा में सुनाइए। फिर विद्यार्थियों से कहिए कि उन्हें पंक्ति के अन्त का एक शब्द सुनाया जाएगा। सुनी हुई पदावली के आधार पर उसकी तुक वाला शब्द विद्यार्थी स्वयं बताएंगे।

निर्देश

ध्यानपूर्वक श्रवण और ग्रहण का मूल्यांकन कीजिए।

श्रवण दोष : सुनने की क्षमता का अभाव ही श्रवण दोष कहलाता है। सामान्य रूप से सुनने की जो शक्ति प्रत्येक बालक को प्रकृति से मिली रहती है उससे कम मात्रा में सुनना ही श्रवण क्षमंता में कमी या श्रवण असमर्थता मानी जाती है।

श्रवण दोष की मुख्य दो श्रेणियाँ होती हैं : (1) सामान्य रूप से ऊँचा सुनना, और (2) गंभीर बहरापन। सामान्यतः विद्यालय में पहले प्रकार के ही विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं। विशेष शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे श्रवण बाधित विद्यार्थियों का सामान्य विद्यार्थियों के साथ विशेष उपकरणों की सहायता से शिक्षण पद्धति तथा कक्षा प्रबंध में कुछ फेर-बदल करके भाषा विकास किया जा सकता है।

कारण : बालकों में श्रवण दोष के कई कारण होते हैं। यथा—वंशानुगत, पर्यावरण, कुपोषण, दुर्घटना या आघात, उपचार का अभाव, माता-पिता की उपेक्षा, मानसिक अवरुद्धता अथवा मंदबुद्धि आदि।

पहचान : कान संबंधी दोष अदृश्य होने के कारण श्रवण बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में तुरन्त पहचानना कठिन होता है। ऐसे विद्यार्थियों को आप उनकी छवि एवं हाव-भाव और विद्यार्थी तथा अध्यापक के बीच कक्षा में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं द्वारा पहचान सकते हैं।

इनके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं :

(क) छवि एवं हाव-भाव

1. बच्चे का हर समय कान दर्द की शिकायत करना।
2. उसके कान का बहना।
3. उसका अपने कान को हर समय खुजाना।

(ख) विद्यार्थी तथा अध्यापक की पारस्परिक क्रियाएँ

4. कक्षा में कही गई बात को बच्चे का कान के पीछे हाथ रखकर सुनना।
5. अध्यापक द्वारा दिए गए मौखिक निर्देशों या पूछे गए प्रश्नों को अक्सर दोहराने का अनुरोध करना।
6. उसके शब्दों में अतिरिक्त अनुनासिकता या गुनगुनाहट का होना तथा अशुद्ध उच्चारण करना।
7. बार-बार अपनी गर्दन को एक ओर मोड़कर सुनने का प्रयत्न करना।
8. बच्चे का बोलने वाले की बात को समझने के लिए अपनी दृष्टि उसके चेहरे पर टिकाए रखना।
9. श्रुतलेख या मौखिक रूप से समझाई बात को लिखने में अपने को असमर्थ पाना अथवा बहुत गलतियाँ करना तथा इस कार्य के लिए बार-बार अपने साथी की मदद लेना।

मानसिक रूप से बाधित बालक की अवधान तथा स्मरण शक्ति सामान्य बालकों की अपेक्षा कमजोर होती है। वह अध्यापक या अन्य सहपाठी की बात को ध्यानपूर्वक सुनने तथा सुनकर समझने में कठिनाई अनुभव करता है। कक्षा में अक्सर वह इधर-उधर देखता है। श्रवण बाधित बच्चे की तरह उसमें भी उपर्युक्त वर्णित लक्षण 5 तथा 9 पाए जाते हैं।

उपचारात्मक सहायता हेतु मार्गदर्शक निर्देश : विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (श्रवण बाधित तथा मानसिक रूप से बाधित) की पहचान हो जाने पर अध्यापक उनके दोषों में यथासंभव सुधार लाने तथा उसकी भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक सहायता कर सकते हैं :

1. जिन बच्चों को सुनने में कठिनाई होती है उनके माता-पिता या अभिभावकों से तुरन्त संपर्क करें।
2. ऊँचा सुनने/कम सुनने तथा मानसिक रूप से बाधित बच्चों को कक्षा में अगली पंक्ति में बैठाने की व्यवस्था करें ताकि वे अध्यापक के चेहरे के हाव-भाव को ध्यान से देख सकें तथा उसके द्वारा कही गई बात को अच्छी तरह समझ सकें। ऐसे बच्चों को अध्यापक के ओंठ हिलते हुए दिखाई पड़ने चाहिए ताकि वे ओंठों के हिलने से यह पता लगा सकें कि क्या कहा जा रहा है। इससे उन्हें शुद्ध उच्चारण सीखने में भी सहायता मिलेगी।
3. पढ़ाते समय शब्दों को ऊँची और स्पष्ट आवाज में तथा उचित गति से बोलें।
4. श्रवण शक्ति तथा स्मरण शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए अधिकाधिक दृश्य संकेतों तथा दृश्य सामग्री जैसे—चार्ट, चित्र, मॉडल आदि का प्रयोग करें। मनोरंजक कार्यकलापों का आयोजन करके ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा में अतिरिक्त श्रवण के अवसर प्रदान करें, जैसे—चित्र कार्डों को दिखाकर छोटी-छोटी कहानियाँ तथा बालगीत अभिनयपूर्ण ढंग से सुनाना और घटनाओं का वर्णन करना आदि।
5. कठिन शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उसे बालक के अनुभव या ठोस वस्तु या परिस्थिति से जोड़ दें।
6. इन बच्चों में श्रवण कौशल के विकास के लिए लघु प्रश्न पूछने की पद्धति अपनाएँ।
7. संवेगात्मक तथा सूक्ष्म संकल्पनाओं को समझाने के लिए कक्षा में क्रियात्मक परिस्थितियाँ निर्मित करें, जैसे—प्रसन्नता, नाराजगी, घृणा, आशा, निराशा आदि भावों की अभिव्यक्ति को नाटकीय स्थिति में ढालकर समझाएँ।
8. सुनने में कठिनाई अनुभव करने वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते समय उनके सहपाठियों का सहयोग भी लें। सहपाठियों को प्रोत्साहित करें कि वे इन बच्चों के साथ घुल-मिल

जाएँ और भाषा सीखने में उनकी सहायता करें। इस तकनीक को सहपाठी अनुशिक्षण (Peer Tutoring) कहते हैं। इससे दोनों प्रकार के बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ती है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ किसी उँचा सुनने वाले विद्यार्थी का विशेष अध्ययन करें और पता लगाएँ कि उसमें यह दोष किन कारणों से उत्पन्न हुआ।	खोज कीजिए
❑ श्रवण बाधित तथा मानसिक रूप से बाधित बच्चों की श्रवण क्षमता बढ़ाने के लिए उनके सहपाठियों का सहयोग लें और सहपाठी अनुशिक्षण तकनीक की प्रभावशीलता का अध्ययन करें।	प्रयोग कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. चार भाषायी कौशलों में श्रवण कौशल प्रमुख है। ध्यानपूर्वक सुनने वाला ही एक अच्छा वक्ता और पाठक बनता है।
2. किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उस पर चिन्तन-मनन कर अपना मंतव्य स्थिर करने और उसके अनुसार व्यवहार करने की प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं।
3. मुख्यतः तीन स्थितियों में सार्थक श्रवण के अवसर मिलते हैं, यथा—कक्षा शिक्षण के समय, सहशैक्षिक क्रियाओं के समय तथा पाठ्येत्तर क्रियाकलापों के समय। इन अवसरों पर विभिन्न शैक्षणिक उपायों को अपनाया जा सकता है।
4. श्रवण कौशल का मूल्यांकन व्यक्तिगत स्तर पर करना सर्वोत्तम रहता है। समय का अभाव रहने पर सामूहिक रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है।
5. श्रवण दोष के कई कारण होते हैं, जैसे—वंशानुगत, पर्यावरण, कुपोषण, दुर्घटना, उपचार का अभाव, माता-पिता की उपेक्षा, मंद बुद्धि आदि। इनमें सही कारणों का पता लगा कर आरंभ में ही तदनुकूल सुधार के उपाय करने चाहिए। श्रवण बाधित तथा मानसिक रूप से बाधित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ विशेष उपकरणों की सहायता से, शिक्षण पद्धति तथा कक्षा प्रबंध में कुछ फेर-बदल करके भाषा विकास किया जा सकता है। इन बच्चों को कक्षा में अगली पंक्ति में बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अधिकाधिक दृश्य संकेतों तथा दृश्य सामग्री का प्रयोग करके भी अध्यापक इन बच्चों को भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने में सहायता प्रदान कर सकता है। सूक्ष्म संकल्पनाओं को नाटकीय पद्धति से समझाया जा सकता है। इन बच्चों को पढ़ाते समय सहपाठी अनुशिक्षण तकनीक का प्रयोग भी उपयोगी सिद्ध होता है।

मूल्यांकन

1. विद्यालय में श्रवण कौशल के विकास के कौन-कौन से अवसर होते हैं? सहशैक्षिक क्रियाओं द्वारा इसका विकास किस प्रकार कराया जा सकता है?
2. प्रेक्षण के आधार पर बताइए कि विद्यार्थियों में श्रवण संबंधी गुणों का विकास कैसे होता है?
3. श्रवण कौशल के मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? कोई उद्देश्य निश्चित करके व्यक्तिगत मूल्यांकन का उदाहरण दीजिए।
4. श्रवण दोष के क्या कारण हैं? श्रवण बाधित तथा मानसिक रूप से बाधित विद्यार्थियों के भाषा विकास के लिए आप क्या उपाय करेंगे।

कैप्सूल–6.2

पाठ योजना

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप श्रवण कौशल की पाठ योजना निर्माण की प्रक्रिया को समझकर तदनुरूप पाठ योजना का निर्माण कर सकेंगे।

पाठ-योजना निर्माण की प्रक्रिया

कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले उसकी योजना बना लेने से वह सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो सकता है। पाठ योजना का निर्माण भी उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। पाठ योजना निर्माण के मुख्यतः निम्नलिखित सोपान होते हैं :

1. उद्देश्य निर्धारण
2. विषयवस्तु का चुनाव
3. सहायक सामग्री का चुनाव
4. प्रस्तावना संबंधी प्रश्न तथा उद्देश्य कथन
5. पाठ का प्रस्तुतीकरण या विकास
6. मूल्यांकन या पुनरावृत्ति
7. गृहकार्य

आइए, यहाँ इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर विद्यार्थियों में श्रवण कौशल के विकास के लिए एक पाठ योजना बनाएँ।

पाठ योजना

कक्षा—पहली

विषय—श्रवण कौशल विकास

विद्यार्थियों की औसत आयु—6 वर्ष

शीर्षक—दो बकरियाँ

1. उद्देश्य

कहानी सुनने के बाद विद्यार्थी—

1. कहानी में आए पशु का नाम और उनकी संख्या बता सकेंगे।
2. कहानी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे।
3. कहानी का घटनाक्रम बता सकेंगे।
4. कहानी को मौखिक रूप से सुना सकेगें।

2. विषयवस्तु

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित बाल भारती भाग-1 की पृष्ठ संख्या 88-92 पर दी गई "दो बकरियाँ" नामक कहानी।

3. सहायक सामग्री

कहानी को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित चार्ट प्रयोग में लाए जाएँगे।

चार्ट संख्या-1 काले रंग की एक बकरी (चार्ट का आकार 12" x 12")।

चार्ट संख्या-2 लाल रंग की एक बकरी (चार्ट का आकार 12" x 12")।

चार्ट संख्या-3 पुस्तक की पृष्ठ संख्या 90 पर दिए गए चार्ट का दृश्य जिसमें दो बकरियाँ पुल पर आमने-सामने खड़ी हैं (पूरे आकार का चार्ट)।

चार्ट संख्या-4 पुस्तक की पृष्ठ संख्या 91 पर दिए गए चार्ट का दृश्य जिसमें लाल बकरी नीचे बैठी है और काली बकरी उसे लाँघने की मुद्रा में है (पूरे आकार का चार्ट)।

4. प्रस्तावना

प्रस्तावना के रूप में पहले तथा दूसरे चार्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। इन चार्टों में दिखाई गई काले और लाल रंग की बकरियाँ घास खा रही हैं। चार्टों की ओर संकेत करते हुए विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएं।

प्रश्न : (काली बकरी की ओर संकेत करके) बच्चो इस बकरी का रंग कैसा है?

प्रश्न : (लाल बकरी की ओर संकेत करके) बच्चो इस बकरी का रंग कैसा है?

प्रश्न : बच्चो ये कौन-कौन से रंग की बकरियाँ हैं?

छात्र क्रिया :

1. बच्चो चित्र की दोनों बकरियों की पूंछ को उँगली से छुओ।
2. दोनों बकरियों के कानों को उँगली से छुओ।
3. दोनों बकरियों के सीगों को छुओ।
4. दोनों बकरियों की टाँगें गिनो।

प्रश्न : ये दोनों बकरियाँ क्या कर रही हैं?

प्रश्न : घास का रंग कैसा है?

प्रश्न : बच्चो, क्या तुमने वह कहानी सुनी है जिसमें आमने-सामने से आती दो बकरियाँ बड़ी चतुराई से नाले का पुल पार करती हैं? (समस्यात्मक प्रश्न)

उद्‌देश्य कथन

बच्चो, आओ आज तुम्हें इन्हीं दो बकरियों की कहानी सुनाते हैं।

5. पाठ का प्रस्तुतीकरण

विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को देखते हुए पाठ को तीन अन्वितियों में विभाजित करके पढ़ाया जाएगा।

प्रथम अन्विति—एक जंगल था.......जाकर घास खाऊँ।

दूसरी अन्विति—नाला गहरा था......तक हम क्या करें।

तीसरी अन्विति—दूसरी बकरी कुछ........दूसरे किनारे चली गई।

प्रथम अन्विति

अध्यापक क्रिया : अध्यापक चार्ट की ओर संकेत करते हुए कहानी की प्रथम अन्विति की विषय सामग्री मौखिक रूप से विद्यार्थियों को सुनाएगा।

बोध-प्रश्न : मौखिक रूप से प्रथम अन्विति की "कथन सामग्री" के बाद विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएँगे :

1. नाले के पास कितनी बकरियाँ रहती थीं?
2. नाले के किनारे घास कैसी थी?
3. पहली बकरी नाले के उस पार क्यों जाना चाहती थी?
4. उस किनारे की घास में कौन-कौन सी दो बातें नई थीं?

दूसरी अन्विति

"नाला गहरा था.......... ... तक हम क्या करें।"

दूसरी अन्विति की विषय सामग्री को मौखिक रूप से सुनाया जाएगा तथा चार्ट संख्या तीन का प्रयोग किया जाएगा।

कहानी सुनाते समय इन शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ चित्र का संदर्भ देकर समझाया जाएगा।

गहरा, किनारा, पुल-सा, पार करना, ठीक बीच में, वापस।

अर्थ समझाते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कथा का तारतम्य न टूटे।

छात्र क्रिया : (1) नाले के किनारे पर खड़े पेड़ों को गिनो (2) नाले पर पड़े पेड़ को छुओ (3) काली बकरी की टाँग को छुओ।

बोध प्रश्न : कहानी कथन के बाद निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएँगे :

1. बकरी किनारे-किनारे क्यों चलने लगी?
2. बकरी ने नाले पर क्या देखा?
3. बकरी किस पर चल कर नाला पार करने लगी?
4. बकरी ने दूसरी तरफ से किसे आते देखा?
5. पहली बकरी ने उसे क्या कहा?

तीसरी अन्विति

"दूसरी बकरी कुछ..........दूसरे किनारे चली गई।"

तीसरी और अंतिम अन्विति की विषय सामग्री को भी मौखिक रूप से सुनाया जाएगा।

बोध प्रश्न : कहानी सुनाने के बाद निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएँगे।

1. लाल रंग की बकरी पेड़ पर क्या कर रही है?
2. किस रंग की बकरी लाल रंग की बकरी पर टाँग रख रही है?

3. यह किसने कहा "नहीं, नहीं मैं बैठती हूँ तुम पहले निकल जाओ?"
4. यदि बकरियाँ आपस में झगड़तीं तो क्या होता?

6. मूल्यांकन या पुनरावृत्ति

(क) इन दोनों में से कौन-सी बात पहले हुई—

प्रश्न 1. बकरी ने नाला पार किया।

2. उसने नाले पर पुल देखा।

प्रश्न 1. पहली बकरी उठकर खड़ी हुई।

2. पहली बकरी पुल पर बैठ गई।

(ख) कहानी का वह अंश सुनाओ जिसमें दोनों बकरियाँ पुल पार करने के बारे में बातचीत करती हैं।

7. गृहकार्य

बच्चों से कहा जाएगा कि वे अपने माता-पिता से इस कहानी को सुनाने के लिए अथवा इसे पुस्तक से पढ़कर सुनाने के लिए कहें। संभव हो तो पशुओं से संबंधित अन्य कहानियाँ भी परिवार के सदस्यों से सुनें।

अभ्यास कार्य

- कक्षा छः और आठ की पाठ्यपुस्तकों से दो-दो कहानियाँ चुनकर उन पर पाठ योजना का निर्माण करें।

निर्देश

चयन और निर्माण कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. पहले पाठ योजना के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं।
2. उद्देश्यों के अनुकूल विषय सामग्री का चयन किया जाता है।
3. विषयवस्तु को अधिक स्पष्ट करने के लिए सहायक सामग्री का चयन या निर्माण किया जाता है।
4. पाठ का विकास विषय सामग्री को अन्वितियों में बाँट कर किया जाता है।
5. मूल्यांकन संबंधी प्रश्न-अन्विति या सोपान के अनुसार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को बोध प्रश्न भी कहते हैं।
6. विषय सामग्री से संबंधित गृहकार्य भी दिया जाता है।

मूल्यांकन

1. श्रवण कौशल विकास की पाठ योजना के मुख्य सोपान कौन-कौन से हैं?
2. विद्यार्थियों के श्रवण कौशल विकास का मूल्यांकन आप किस आधार पर करेंगे?

मॉड्यूल–7

मौखिक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण

7.0 प्रस्तावना

मौखिक अभिव्यक्ति भाषायी चार कौशलों में से एक कौशल है। साधारण भाषा में इसे "बोलचाल" कहा जाता है। समाज में हम अपने अधिकांश कार्य-व्यवहार बोलचाल द्वारा ही संपन्न करते हैं। यह विचारों के आदान-प्रदान का सरलतम माध्यम है। लिपि के आविष्कार से पूर्व समस्त ज्ञान बोलकर ही दिया जाता था और वह सिलसिला पीढ़ियों तक चलता रहता था। आज भी जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का एक साधन मौखिक अभिव्यक्ति में कुशलता है। इस दृष्टि से विद्यालय के हर स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास महत्त्वपूर्ण है।

मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के महत्त्व को देखते हुए प्रस्तुत मॉड्यूल में निम्नलिखित दो कैप्सूल सम्मिलित किए गए हैं :

कैप्सूल 7.1 में मौखिक अभिव्यक्ति के विविध पक्ष तथा रूप, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के साधनों, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के मौखिक अभिव्यक्ति दोष, कारण, निदान तथा उपचार पर प्रकाश डाला गया है।

कैप्सूल 7.2 में मौखिक अभिव्यक्ति की पाठ योजना का एक नमूना दिया गया है।

कैप्सूल 7.1

मौखिक अभिव्यक्ति के विविध पक्ष तथा रूप

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. मौखिक अभिव्यक्ति के विविध पक्षों का वर्णन कर सकेंगे।
2. मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों—अनौपचारिक तथा औपचारिक में भेद कर सकेंगे।
3. औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति के साहित्यिक तथा व्यावहारिक दोनों रूपों की विशेषताओं को समझकर उन्हें व्यवहार में ला सकेंगे।
4. मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के साधनों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा कक्षा शिक्षण में उनका प्रयोग कर सकेंगे।
5. मौखिक अभिव्यक्ति के दोष तथा उनके कारण बता सकेंगे तथा दोषों को सुधारने के लिए उचित उपाय अपना सकेंगे।

7.1.1 मौखिक अभिव्यक्ति के विविध पक्ष

अपने भावों और विचारों को प्रभावी ढंग से सार्थक शब्दों में बोलकर व्यक्त करने को 'मौखिक अभिव्यक्ति' कहते हैं। इसमें वक्ता तथा श्रोता दोनों का होना आवश्यक होता है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षा में पहुँचते-पहुँचते बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी योग्यता का उचित विकास होने से उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का विस्तृत विवरण मॉड्यूल 1 (कैप्सूल 1.2) में दिया जा चुका है। यहाँ हम मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के निम्नांकित पक्षों पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे :

1. शुद्ध उच्चारण 2. निस्संकोच भावाभिव्यक्ति 3. उचित गति, बलाघात तथा अनुतान 4. उचित हाव-भाव 5. विचारों में क्रमबद्धता

1. **शुद्ध उच्चारण :** शुद्ध उच्चारण शिक्षित व्यक्ति का लक्षण है। वक्ता के शुद्ध उच्चारण का श्रोता पर प्रभाव पड़ता है। श-स, न-ण, छ-क्ष, व-ब, त्र, द्य, प्र, आदि ऐसी ध्वनियाँ या व्यंजन गुच्छ हैं जिनका अशुद्ध उच्चारण उपहास का कारण बनता है। यह ध्यान रहे कि उच्चारण के समय एक-एक वर्ण या शब्द स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए।
2. **निस्संकोच भावाभिव्यक्ति :** आरम्भ से ही बच्चों को बिना झिझके बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि किसी कारणवश वे अपनी बात प्रकट करने में झिझकते हैं तो उस कारण का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को समय-समय पर बोलने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए।
3. **उचित गति, बलाघात तथा अनुतान :** बोलने की गति तेज, मन्द या सामान्य होती है। यदि वक्ता तेज गति से भावाभिव्यक्ति करता है तो श्रोता को भाव ग्रहण करने में कठिनाई होती है। बहुत धीमे बोलने से भी विचारों का तारतम्य टूट जाता है। अतः भावाभिव्यक्ति की गति सामान्य होनी चाहिए।

   अपने किसी कथ्य को प्रमुखता देने के लिए वक्ता एक वाक्य में किसी अक्षर/शब्द पर बल देता है ताकि श्रोता को भाव विशेष की गंभीरता या विशेषता का पता लग जाए। अक्षर/शब्द विशेष पर बल देने की प्रक्रिया बलाघात है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य पढ़ें और मोटे अक्षर वाले शब्दों से बलाघात के महत्त्व को समझें :

   1. आप को आना **ही** पड़ेगा।

2. आप **कैसे** नहीं आएँगे।

वाक्य का उच्चारण करते समय भावों के अनुसार होने वाले सुर का उतार-चढ़ाव अनुतान कहलाता है। इससे शब्दार्थ अथवा वाक्यार्थ में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए "अब" शब्द को लें। "अब" शब्द को सामान्य, आश्चर्यबोधक और प्रश्न वाचक भाव में उच्चरित करें तो इसके अर्थ में भिन्नता प्रकट होने लगेगी, यथा—

सामान्य कथन — अब ।

आश्चर्यबोधक — अब !

प्रश्नबोधक — अब ?

4. **उचित हाव-भाव :** श्रोता पर वक्ता के उचित हाव-भाव या अंग संचालन का भी प्रभाव पड़ता है। हाव-भाव या अंग संचालन से अभिप्राय है गर्दन घुमा कर दाएँ और बाएँ बैठे श्रोताओं को निहारना ताकि वे वक्ता से निकटता का संबंध अनुभव कर सकें, मुखाकृति पर भावानुकूल हर्ष, उत्साह, करुणा, क्रोध आदि भाव लाना, हाथ की मुद्राओं द्वारा अपनी बात को प्रभावोत्पादक बनाना। अंग संचालन के समय यह ध्यान रहे कि उसमें किसी प्रकार का बनावटीपन न आए। इसी प्रकार हाव-भाव उचित सीमा तक रहने चाहिए।

5. **विचारों में क्रमबद्धता :** शुद्ध उच्चारण के साथ अपने भावों व विचारों को सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रकट करना मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ सातवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों से 10-10 ऐसे शब्दों की सूचियाँ बनाइए जिनमें श-ष-स, न-ण, छ-क्ष आदि अक्षरों का प्रयोग हो जैसे, शंकर, ऊष्ण, संकट आदि। इन शब्दों का इस प्रकार मुखर पठन कराएँ कि उच्चारण भेद स्पष्ट हो।	उच्चारण भेद स्पष्ट कीजिए
❑ पांचवीं कक्षा की पुस्तक से दस-दस ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं वाले शब्द छांटिए तथा विद्यार्थियों से उनका शुद्ध उच्चारण करवाइए।	शुद्ध उच्चारण करवाइए
❑ कक्षा में प्रयोग में आने वाली किसी सामग्री के विषय में मौखिक रूप से 2-3 मिनट अपने विचार अभिव्यक्त करें और फिर विद्यार्थियों से कहें कि वे भी अपने बस्ते में रखी किसी सामग्री पर उचित गति से आठ-दस वाक्य बोलें।	बोलने की गति पर ध्यान दिलाइए
❑ विद्यार्थियों से कहें कि वे अपनी छठी, सातवीं और आठवीं की पाठ्य-पुस्तकों या सहायक पुस्तकों से ऐसे वाक्य छाँटें जिनमें शब्दों पर बलाघात से अर्थ में भिन्नता आ जाती है।	चयन करवाइए

7.1.2 मौखिक अभिव्यक्ति के रूप

मौखिक अभिव्यक्ति के मोटे-तौर पर दो रूप हैं— अनौपचारिक तथा औपचारिक। घर-परिवार, हाट-बाजार, यात्राकाल तथा खेल-कूद आदि स्थानों पर व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है वह अनौपचारिक वार्ता कहलाती है। अनौपचारिक अभिव्यक्ति की शब्दावली, वाक्य विन्यास तथा विषय बहुत अधिक व्यवस्थित नहीं होते। औपचारिक अभिव्यक्ति का विषय सीमाबद्ध होता है। विचारों में शृंखलाबद्ध व्यवस्था होती है तथा शब्दावली और वाक्य विन्यास में शुद्धता पर ध्यान रखा जाता है।

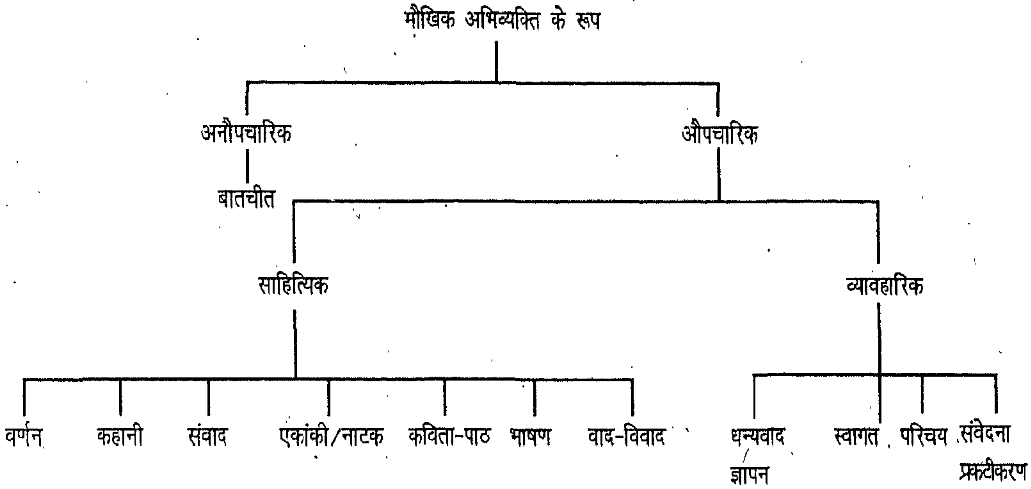
औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति को दो उप भागों में बांटा जा सकता है—साहित्यिक तथा व्यावहारिक।

साहित्यिक मौखिक अभिव्यक्ति से अभिप्राय है—साहित्यिक विधाओं के रूप में अपने विचारों को श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करना, जैसे–कहानी, नाटक, कविता-पाठ, भाषण, वाद-विवाद आदि।

हम समाज में अनेक व्यक्तियों से मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं तथा परिचय अथवा विदाई के समय शिष्टाचार के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति का व्यावहारिक पक्ष है।

मौखिक अभिव्यक्ति के इन रूपों को नीचे दिए गए आरेख में स्पष्ट किया गया है।

आइए, औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति के दोनों रूपों–साहित्यिक तथा व्यावहारिक पर कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करें।



(क) मौखिक अभिव्यक्ति के साहित्यिक रूप

1. **वर्णन :** वर्णन से अभिप्राय है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना आदि का यथातथ्य वर्णन करना अथवा उसके मुख्य गुण, विशेषता, तथ्य आदि को ब्यौरेवार प्रस्तुत करना। इस विधि के विकास से विद्यार्थियों में अवलोकन शक्ति का भी विकास होता है।

   विद्यार्थी प्रातः से सायं तक अनेक व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं, अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, अनेक स्थानों पर जाते हैं तथा अनेक घटनाओं को देखते हैं। विद्यार्थियों से कहिए कि वे सावधानीपूर्वक पर्यावरण का अवलोकन करें तथा देखी गई वस्तुओं का मौखिक विवरण प्रस्तुत करें।

2. **कहानी :** मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में कहानी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों को कहानी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। इन कहानियों के विषय आयु के साथ बदलते रहते हैं। जैसे आरंभ में पशु-पक्षियों तथा परियों की-कहानी रुचिकर लगती है किन्तु धीरे-धीरे, साहस, संघर्ष, युद्ध आदि की कहानियों में रुचि होने लगती है। किशोरावस्था में कहानियों के माध्यम से समस्या समाधान बहुत अच्छा लगता है। अतः विद्यार्थियों की रुचि, अवस्था एवं स्तर के अनुरूप कहानी का चयन किया जाना चाहिए।

साथ-ही-साथ चयन में विविधता का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे–साहस कथाएँ, हास्य कथाएँ, बोध कथाएँ, कल्पनाशील कथाएँ आदि। किन्तु इन सभी प्रकार की कहानियों का कथानक सरल हो अर्थात् ऐसी कहानियाँ हों जिन्हें बच्चे याद करके स्वयं सुना सकें। अन्ततः हमारा उद्देश्य तो कहानी के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास है। कहानी चुनते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि उसमें हाव-भाव एवं स्वर के उतार-चढ़ाव की पर्याप्त संभावना हो।

3. **संवाद-एकांकी, नाटक** : विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए पहली कक्षा से ही कुछ पाठ संवादात्मक रूप में दिए जाते हैं। कक्षा आठ तक आते-आते यही संवादात्मक पाठ एकांकी का रूप धारण कर लेते हैं। बच्चों में भावानुरूप बोलने एवं पढ़ने की क्षमता के विकास, आत्माभिव्यक्ति के प्रदर्शन तथा व्यक्ति स्थिति के अनुरूप भाषा व्यवहार करने की योग्यता के विकास का यह सशक्त साधन है। आप स्वयं भी इन पाठों के पात्रानुकूल तथा भावानुकूल वाचन का आदर्श विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करें। पाठों का व्यक्तिगत वाचन कराएं तथा फिर विभिन्न पात्रों की भूमिका के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा कक्षाभिनय के रूप में प्रदर्शित कराएँ। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए यह विधा अधिक सशक्त है।

4. **कविता पाठ** :छंदबद्ध तथा छंदमुक्त कविता का सस्वर पाठ मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता के विकास में सहायक होता है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में प्रायः बालगीतों तथा नाद सौन्दर्य वाली कविताएँ दी जाती हैं। आप स्वयं इन कविताओं को उचित गति, लय और भाव के अनुसार पढ़ें तथा विद्यार्थियों को इसी प्रकार सस्वर पाठ के लिए कहें। इन कविताओं को विद्यार्थियों को कंठस्थ करने के लिए भी प्रोत्साहित करें।

5. **भाषण** : दिए गए किसी विषय पर कक्षा या सभा में अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना भाषण है। इसे निश्चित समय में पूरा करना होता है। भाषण श्रोताओं के भावों और विचारों को उत्प्रेरित तथा प्रभावित करने का साधन है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो भाषण का विशेष महत्त्व होता है।

आप अपने प्रशिक्षण काल में तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता तथा समसामायिक विषयों पर आयोजित भाषण कार्यक्रमों में बढ़चढ़ कर भाग लें तथा शिक्षण अभ्यास के समय इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करें। भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए उस विषय का व्यापक अध्ययन करना वांछनीय है क्योंकि सफल वक्ता बनने के लिए विषय का ज्ञाता होना आवश्यक है।

6. **वाद-विवाद** : वाद-विवाद के माध्यम से विद्यार्थियों में तर्कशक्ति, हाजिर जबाबी, हास्य-व्यंग, विनोद-प्रियता, विचारों को संक्षिप्त रूप से अवसर के अनुकूल कहने तथा दूसरे के विचारों को धैर्यपूर्वक सुनने और समझने जैसे गुणों का विकास होता है। पूर्ववक्ता के विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता भी विकसित होती है। इसमें भाग लेने से वक्ता में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है।

वाद-विवाद के विषयों का सावधानीपूर्वक चुनाव करते हुए प्रतियोगिताएँ आयोजित करें। वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करें और उनका पूरी तरह पालन करें।

(ख) मौखिक अभिव्यक्ति का व्यावहारिक रूप

साहित्यिक पक्ष के अतिरिक्त मौखिक अभिव्यक्ति का व्यावहारिक रूप भी है जिसका अभ्यास घर में माता-पिता और परिवार जनों के बीच छोटी आयु में ही आरंभ हो जाता है। बच्चा बहुत-सा व्यवहार परिवार और आस-पास के परिवेश से सीखता है। यहाँ इसी व्यावहारिक पक्ष के कुछ महत्त्वपूर्ण रूपों—धन्यवाद ज्ञापन, स्वागत तथा परिचय पर चर्चा की जाएगी।

1. **धन्यवाद ज्ञापन** : किसी सेवा, सहायता, कृतज्ञता

आदि के प्रतिदान स्वरूप कहे गए शब्द धन्यवाद ज्ञापन कहलाते हैं। धन्यवाद ज्ञापन शिष्टाचार और शिष्टता का द्योतक है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम उचित अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करने में चूक न करें। विद्यार्थियों में भी इस गुण का विकास करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे धन्यवाद ज्ञापन में सामान्यतः प्रयुक्त औपचारिक कथनों को सीखें। कुछ कथन इस प्रकार हो सकते हैं—धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा, आदि।

2. **स्वागत :** किसी अतिथि, पदाधिकारी, सम्मानित व्यक्ति के आगमन, सभा में उपस्थित आदि के समय उसके सम्मानार्थ या कृतज्ञता ज्ञापन में जो प्रशंसापरक कथन प्रयोग में लाए जाते हैं वे स्वागत के शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के कथनों का प्रयोग शिष्टाचार का लक्षण है। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम स्वागत के लिए कार्यक्रम तथा सम्मानित अतिथि के अनुकूल यथोचित शब्दों का प्रयोग करें। सभा में सम्मिलित प्रधान, मुख्य अतिथि आदि के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए भी स्वागत के कुछ शब्दों का प्रयोग करना न भूलें।

3. **परिचय :** किसी सभा या समारोह में आमंत्रित मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट व्यक्तियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण देना परिचय कहलाता है। परिचय देते समय व्यक्ति का नाम, पद, व्यवसाय, अनुभव आदि के विषय में जानकारी दी जाती है। इससे व्यक्ति अपने आपको सम्मानित अनुभव करता है तथा उपस्थित व्यक्तियों को भी उसकी महत्ता का बोध होता है। आरंभ में विद्यार्थी कक्षा में एक-दूसरे का परिचय कराने का अभ्यास करें।

4. **संवेदना प्रकटीकरण :** किसी के दुख में शोकपूर्ण घटना पर सहानुभूति प्रकट करना शिष्टाचार का लक्षण है। अतः हमारा प्रयत्न रहना चाहिए कि ऐसे अवसरों पर हम अपनी सहानुभूति के द्वारा शोक पीड़ित व्यक्ति को ढाढस बंधाएँ। विद्यार्थियों को ऐसे अवसरों पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों/प्रयोगों से परिचित कराएँ।

उचित होगा कि आप विद्यार्थियों से धन्यवाद ज्ञापन, संवेदना प्रकटीकरण, स्वागत तथा परिचय के समय प्रयुक्त होने वाले कथनों तथा प्रयोगों की सूचियाँ बनवाएँ। ये सूचियाँ चार्ट रूप में हो सकती हैं।

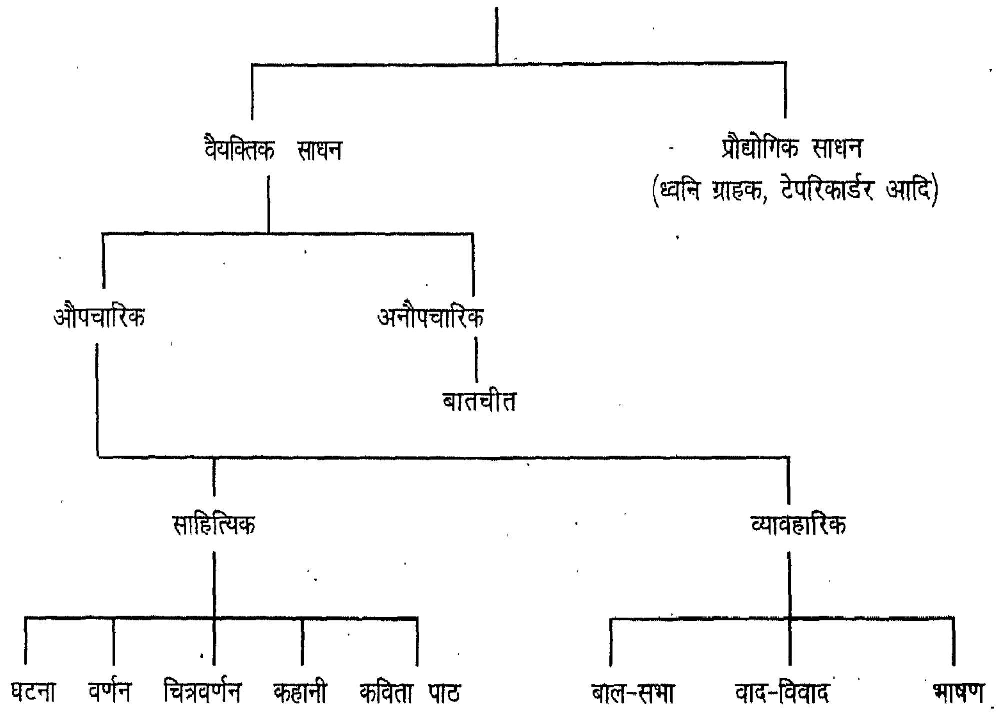
अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ विद्यार्थियों से उन व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा घटनाओं का 3-4 मिनट के लिए मौखिक वर्णन प्रस्तुत करने को कहें जिनसे वे गत सप्ताह प्रभावित हुए हैं। जैसे—मित्र, भोजन, वस्त्र, खेल, त्योहार आदि।	वर्णन करवाएँ
❑ पाठ्यपुस्तकों में से किन्हीं दो कहानियों को संवाद रूप में लिखकर विद्यार्थियों से उन्हें मौखिक रूप में कक्षा में प्रस्तुत कराएँ।	मौखिक प्रस्तुतीकरण करवाएँ
❑ कक्षा में कविता प्रतियोगिता का आयोजन करें।	आयोजन कीजिए
❑ विद्यार्थियों की रुचि के विषयों पर कक्षा में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें।	आयोजन कीजिए
❑ विद्यार्थियों से पाठ्य तथा पूरक पुस्तकों से वे संदर्भ निकलवाएँ जहाँ धन्यवाद ज्ञापन, स्वागत तथा परिचय के अवसर आए हों।	चयन करवाएँ

7.1.3 मौखिक अभिव्यक्ति विकास के साधन

मौखिक अभिव्यक्ति के औपचारिक तथा अनौपचारिक विविध रूपों की चर्चा की जा चुकी है। उनके विकास के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाता है :

कक्षा तथा कक्षा के बाहर सहशैक्षिक कार्यक्रमों में औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमों से मौखिक

मौखिक अभिव्यक्ति विकास के साधन



अभिव्यक्ति को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है इनकी विस्तृत चर्चा पहले की जा चुकी है।

अनौपचारिक रूप में बातचीत करने से भी बालक विचारों को प्रकट करना सीखता है। विभिन्न स्थितियों— खेलकूद के मैदान में, रेलवे स्टेशन पर, मेले में, प्रदर्शनी में वह बातचीत में भाग लेता है और अभिव्यक्ति की नई-नई शब्दावली सीखता है।

प्रौद्योगिकी के इस युग में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए ध्वनियंत्रों की सहायता ली जा सकती है।

बाल सभा के समय ध्वनि ग्राहक यंत्र (माइक्रोफोन) पर बुलवाने का अभ्यास करवाना चाहिए। आजकल कहानियों तथा कविताओं को कैसेट पर प्रस्तुत करने का प्रचलन हो गया है। सुनी हुई कहानी या कविता को टेपरिकार्डर पर टेप करवाया जा सकता है। विद्यार्थी आदर्श वाचन भी सुन सकते हैं और अपना वाचन भी। इस प्रकार अपने पठन का आदर्श वाचन से मिलान कर अपनी कमियों का पता लगा सकते हैं और अपने वाचन में स्वयं सुधार कर सकते हैं।

अभ्यास कार्य

- विद्यार्थियों से दृश्य आदि के चित्र इकट्ठा करवा कर उनके परिदृश्य का मौखिक वर्णन करवाएँ।
- यदि टेपरिकार्डर उपलब्ध हो तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को रिकार्ड कर उन्हें उसे पुनः सुनने का अवसर प्रदान करें।

निर्देश
मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर दीजिए
रिकार्ड की सामग्री सुनने का अवसर प्रदान कीजिए

7.1.4 विशेष आवश्यकता वाले बालकों के मौखिक अभिव्यक्ति दोष, कारण, निदान तथा उपचार

विद्यालयों में ऐसे बच्चे भी प्रवेश पाते हैं जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से बाधित हों। शारीरिक रूप से बाधित बच्चों में प्रायः तीन प्रकार की असमर्थताएँ पाई जाती हैं—दृष्टि संबंधी, श्रवण तथा वाक् संबंधी और अस्थि संबंधी। मानसिक रूप से बाधित बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। ऐसे बच्चों की सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएँ होती हैं। इसीलिए उन्हें "विशेष आवश्यकता वाले बालक" कहा जाता है। यहाँ पर हम इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों विशेषकर श्रवणेन्द्रिय, वागेन्द्रिय तथा मानसिक विकार वाले बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी दोष, उनके कारण, निदान तथा उपचार पर चर्चा करेंगे। सामान्य बच्चों के उच्चारण दोषों की चर्चा मॉड्यूल-2 (2.2.1) में की जा चुकी है।

मौखिक अभिव्यक्ति दोष : बोलते समय तथा सस्वर पठन करते समय तुतलाना, हकलाना, नकियाना, शब्दों का चबाना आदि मौखिक अभिव्यक्ति दोष कहलाते हैं।

कारण : मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी दोषों के मुख्यतः तीन कारण होते हैं : 1. शारीरिक विकार 2. भय और आतंक का वातावरण और 3. मानसिक अवरुद्धता।

1. **शारीरिक विकार :** मौखिक अभिव्यक्ति का सीधा संबंध वागेन्द्रियों अथवा उच्चारण अवयवों—जिह्वा, कंठ, दाँत, नाक, कौवा, तालू आदि से है। इनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होने से उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता। मौखिक अभिव्यक्ति के अधिकांश दोष उच्चारण संबंधी होते हैं, जैसे—तुतलाना, भारी आवाज होना, अतिरिक्त अनुनासिकता, शब्दों को चबाना आदि। श्रवणेन्द्रिय (कान) में दोष भी मौखिक अभिव्यक्ति में आड़े आता है, जिसके कारण उच्चारण दोष आ जाता है। जो बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते उन्हें बोलने में भी कठिनाई होती है। इस संबंध में मॉड्यूल-6 (6.1.5) में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।
2. **भय और आतंक का वातावरण :** चाहे घर हो या विद्यालय, भय और आतंक का वातावरण बच्चे का सांवेगिक संतुलन बिगाड़ देता है। क्रोधी माता-पिता के बच्चे हकलाने लगते हैं। अध्यापक की निरंतर डाँट-फटकार से बच्चे में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को दोषपूर्ण बना देती है।
3. **मानसिक अवरुद्धता :** बालक की मानसिक अवरुद्धता उसकी मौखिक अभिव्यक्ति में बाधक होती है। ऐसे बालक की बुद्धिलब्धि का स्तर सामान्य बच्चों की तुलना में दो वर्ष पीछे होता है तथा वे अपेक्षाकृत देर से बोलना सीखते हैं।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान : अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी दोषों से ग्रस्त विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आरंभिक अवस्था में ही पहचान करें। श्रवणेन्द्रिय दोष से युक्त बच्चों की पहचान के विषय में मॉड्यूल-6 में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। वागेन्द्रिय दोष वाले बच्चों को निम्नलिखित

लक्षणों से पहचाना जा सकता है :

1. ऐसे बच्चे समान ध्वनि वाले वर्णों के उच्चारण में विभेद नहीं कर पाते और एक ही समान उनका उच्चारण करके पढ़ते हैं, जैसे—श, व, स। वे अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों में भी ठीक से विभेद नहीं कर पाते, जैसे—क, ख, ट, ठ आदि।
2. ऐसे बच्चे बोलते तथा पढ़ते समय हकलाते हैं, कभी एक वर्ण पर और कभी एक शब्द पर ही उनकी वाणी रुक जाती है। फलतः अगला वर्ण या अगला शब्द देर में मुखरित होता है। इस कारण उनकी मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवाह नहीं रह पाता और श्रोता उनके कथन या सस्वर पठन का ठीक से अनुसरण नहीं कर पाते।
3. ऐसे बच्चे बोलते समय तुतलाते हैं जिससे श्रोता को उनका कथन समझने में कठिनाई होती है। फलतः उनमें हीनता की भावना घर कर जाती है और वे दूसरों के साथ बोलने या सस्वर वाचन करने से घबराने लगते हैं।
4. ऐसे बच्चों में अलिजिह्व (कौवा) की स्थिति ठीक न होने के कारण ध्वनियों के उच्चारण में नकियाने का दोष पाया जाता है, जैसे—"राजा" को "रांजां" कहना।

मानसिक रूप से बाधित बालकों के मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी व्यवहार में निम्नलिखित लक्षण दिखाई पड़ते हैं :

1. ऐसे बालकों की अवधान शक्ति की परिधि बहुत छोटी तथा स्मरण शक्ति कमजोर होती है। इस कारण वे सुनी हुई ध्वनियों का सम्प्रेषण करने, सस्वर वाचन करने से और प्रश्नों का उत्तर देने में झिझकते हैं।
2. ऐसे बच्चे आत्म विश्वास की कमी के कारण रुक-रुक कर बोलते हैं तथा उच्चारण संबंधी बहुत अशुद्धियाँ करते हैं। कथन में क्रमबद्धता का अभाव होने के कारण श्रोता को उसकी बात को समझने में कठिनाई होती है।

उपचारात्मक सहायता हेतु मार्गदर्शक निर्देश : मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी दोषों तथा उनके कारणों का पता लगा लेने के पश्चात् अध्यापक उन्हें सुधारने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक सहायता कर सकते हैं :

1. तुतलाने तथा नकियाने वाले बच्चों को ध्वनियों का निरंतर उच्चारण अभ्यास कराएँ। यदि अनेक बार अभ्यास करने के पश्चात् भी उनके ये दोष दूर न हों तो उनकी शारीरिक जाँच के लिए विद्यालय के अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक के पास भेजने की व्यवस्था करें। संभव है उनके उच्चारण अवयवों, जैसे—मुखविवर, नासिका-विवर, कौए की स्थिति, तालु आदि में गंभीर दोष हो जिससे किसी ध्वनि का उच्चारण संभव ही न हो। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी के माता-पिता को तुरंत सूचित करें ताकि वे किसी वाक् चिकित्सक से उसका सही इलाज कराएँ।
2. हकलाने तथा मानसिक रूप से बाधित बच्चों को यथासंभव बोलने तथा सस्वर पठन के अतिरिक्त अवसर दें। उनका मनोबल ऊँचा करने के लिए उन पर व्यक्तिगत ध्यान दें। उनके साथ प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि इन बच्चों के उच्चारण का कक्षा के अन्य बच्चे मज़ाक न उड़ाएँ।
3. इन बच्चों के सहपाठियों को प्रोत्साहित करें कि वे इनके साथ घुल-मिल जाएँ और उनका उच्चारण तथा सस्वर पठन ठीक करने में हर प्रकार से उनकी सहायता करें।
4. मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यकलाप कराएँ। इस संबंध में "मौखिक अभिव्यक्ति-विकास के साधन" (7.1.3) को देखें।
5. कक्षा में उनके प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएँ। यदि कोई बच्चा किसी विशेष शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता या किसी वाक्यांश को सही नहीं बोल सकता, लेकिन उसका अर्थ समझता है एवं लिखित वाक्यों में उनका सही-सही प्रयोग कर सकता है, ऐसी स्थिति में उस शब्द या वाक्यांश का सही उच्चारण

करने के लिए उस बच्चे को बाध्य न करें।

6. कठिन ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए टेप-रिकार्डर, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन आदि दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग करें।

7. पता लगाएँ कि कहीं घर पर माता-पिता की निरंतर प्रताड़ना के कारण तो उसका सांवेगिक संतुलन नहीं बिगड़ गया है। ऐसी स्थिति में उन्हें तथा उनके माता-पिता को वैज्ञानिक ढंग से परामर्श तथा निर्देशन देने का प्रयास करें।

8. श्रवण दोषयुक्त बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को सुधारने के लिए मॉड्यूल-6 (6.1.5) देखें।

उपर्युक्त चर्चा के आधार पर स्पष्ट है कि अध्यापक की सूझ-बूझ, जागरुकता, सतत कठिन परिश्रम, बच्चों के प्रति प्रेम तथा उदारता का व्यवहार आदि उनके मौखिक अभिव्यक्ति के विकास तथा अभिव्यक्ति दोषों को दूर करने में सहायक होते हैं।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ शिक्षण अभ्यास के समय मौखिक अभिव्यक्ति दोषयुक्त विद्यार्थियों की पहचान करें। उनके दोषों के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अभ्यास के अवसर प्रदान करें।	पहचान कीजिए तथा अभ्यास कराइए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. वक्ता द्वारा अपने भावों और विचारों को प्रभावी ढंग से सार्थक शब्दों के माध्यम से श्रोता के सम्मुख प्रकट करना मौखिक अभिव्यक्ति है।
2. मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित पाँच पक्ष होते हैं :
   1. शुद्ध उच्चारण
   2. निस्संकोच भावाभिव्यक्ति
   3. उचित गति, बलाघात तथा अनुतान
   4. उचित हाव-भाव
   5. विचारों में क्रमबद्धता
3. मौखिक अभिव्यक्ति के अनौपचारिक तथा औपचारिक दो रूप हैं, जिन्हें साहित्यिक तथा व्यावहारिक रूपों में बाँटा जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के अनेक साधन हैं।
4. शारीरिक विकार, भय तथा आतंक के वातावरण और मानसिक अवरुद्धता के कारण मौखिक अभिव्यक्ति में प्रायः दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें आरंभ में कुछ विशेष उपायों को अपनाकर सुधारा जा सकता है।

मूल्यांकन

1. विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए आप किन पक्षों पर ध्यान देंगे? सोदाहरण वर्णन कीजिए।
2. मौखिक अभिव्यक्ति के साहित्यिक रूप कौन-कौन से हैं?
3. मौखिक अभिव्यक्ति का व्यावहारिक जीवन में क्या महत्त्व है? उदाहरणों द्वारा अपने मत की पुष्टि करें।
4. मौखिक अभिव्यक्ति के दोषों के कौन-कौन से कारण हैं?
5. मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए आप किन-किन साधनों को अपनाएँगे?

कैप्सूल 7.2

पाठ योजना

व्यवहारगत उद्‌देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन और इस पर आधारित अभ्यास कार्य के पश्चात् आप—

मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के लिए पाठ योजना की रूपरेखा का निर्माण कर सकेंगे।

मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के अनुसार उसके शिक्षण उद्‌देश्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। यहाँ हम उदाहरण के लिए चित्र वर्णन द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए एक पाठ योजना प्रस्तुत कर रहे हैं।

पाठ योजना

कक्षा—पाँच समयावधि—30 मिनट

शीर्षक : चित्र वर्णन द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास

व्यवहारगत उद्‌देश्य

विद्यार्थी पाठ के अन्त तक इस योग्य हो जाएंगे कि वे :

1. ''संक्षिप्त महाभारत'' के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए चित्र का संदर्भ और शीर्षक बता सकेंगे।
2. चित्र के मुख्य पात्रों का उनकी वेष-भूषा के आधार पर वर्णन कर सकेंगे।
3. चित्र में दिए गए वाहन (रथ) का वर्णन कर सकेंगे।
4. सैनिकों की पोशाक तथा आयुधों का वर्णन कर सकेंगे।
5. रथवान, सारथी, पताका, कवच, दुर्ग आदि का अर्थ समझ सकेंगे तथा इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे।
6. महाभारत की कथा का चित्र के संदर्भ में वर्णन कर सकेंगे।

पूर्वज्ञान : विद्यार्थियों को महाभारत की कथा का सामान्य ज्ञान है। अधिकांश विद्यार्थी ''महाभारत'' टी.वी. सीरियल भी देख चुके हैं।

सहायक सामग्री : ''संक्षिप्त महाभारत'' पूरक पाठ्‌यपुस्तक के आवरण पृष्ठ का चित्र।

विषय सामग्री : प्रश्नोत्तर के माध्यम से चित्र को ही विषय सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा।

प्रस्तावना

(प्रस्तावना प्रश्नोत्तर विधि से की जाएगी)

प्रश्न : कुरुक्षेत्र की भूमि किस घटना के लिए प्रसिद्ध है?

प्रश्न : पाँचों पाण्डवों के नाम बताओ?

उद्‌देश्य कथन

आज हम महाभारत के युद्ध के एक चित्र को देखकर उसका मौखिक वर्णन करेंगे। यह चित्र ''संक्षिप्त महाभारत'' नाम की आपकी पुस्तक के मुख पृष्ठ पर दिया हुआ है।

पाठ का विकास

पाठ के विकास के लिए चित्र को तीन सोपानों में बाँटेंगे।

पहला सोपान

कृष्ण, अर्जुन, उनके रथ का वर्णन तथा अर्जुन का विमुख मुद्रा में बैठने के कारण पर चर्चा करवाकर।

दूसरा सोपान

रथ के दोनों ओर खड़ी सेनाओं का वर्णन करवाकर।

तीसरा सोपान

गीता उपदेश और महाभारत की कथा का वर्णन करवाकर।

पहला सोपान

प्रश्न-उत्तर द्वारा चित्र वर्णन करवाकर पाठ का विकास किया जाएगा। अध्यापक-क्रिया में मुख्य बल प्रश्न पूछने पर होगा तथा विद्यार्थी चित्रों का अवलोकन करके प्रश्नों का उत्तर देंगे।

प्रश्न : चित्र में प्रमुख दो व्यक्ति किस वाहन पर सवार हैं?

प्रश्न : वाहन में कितने घोड़े जुते हैं?

प्रश्न : घोड़ों के रंग-रूप, उन पर सजाए गए वस्त्र आदि का पाँच वाक्यों में वर्णन करो।

प्रश्न : चित्र के रथ का पाँच वाक्यों में वर्णन करो।

प्रश्न : रथ पर कौन-कौन दो व्यक्ति सवार हैं?

प्रश्न : श्रीकृष्ण और अर्जुन का चित्र के आधार पर पाँच-पाँच वाक्यों में वर्णन करो।

दूसरा सोपान

प्रश्न : चित्र में दोनों सेनाओं द्वारा धारण किए गए शस्त्रों का पाँच-पाँच वाक्यों में वर्णन करो।

प्रश्न : चित्र की पृष्ठभूमि में दिए गए खेमों या तंबुओं का अपने शब्दों में वर्णन करो।

प्रश्न : युद्ध भूमि में अर्जुन ने युद्ध करने से क्यों इंकार कर दिया?

तीसरा सोपान

प्रश्न : श्रीकृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया?

प्रश्न : महाभारत युद्ध में किसकी विजय हुई और क्यों?

श्यामपट्ट कार्य

पाठ विकास के साथ-साथ बिन्दुओं तथा आए हुए नामों को श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा, जैसे—रथ, सारथी, पताका, धनुष, कुरुक्षेत्र का मैदान, कौरव-पांडव सेना आदि।

आवृत्ति

पाठ की आवृत्ति के लिए चित्र वर्णन संबंधी तीन-चार बोध प्रश्न पूछें।

गृहकार्य

महाभारत से संबंधित अन्य चित्र इकट्ठे करो और अपने साथियों के सम्मुख उसका वर्णन करो।

अभ्यास कार्य

- मौखिक अभिव्यक्ति के अन्य साहित्यिक रूपों, जैसे—कहानी, कविता-पाठ, वाद-विवाद आदि को आधार बनाकर पाठ योजनाओं का निर्माण करें।

निर्देश

निर्माण कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के अनुसार उसके शिक्षण उद्देश्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।
2. चित्र वर्णन द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की पाठ योजना बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना अनिवार्य है—
   1. व्यवहारगत उद्देश्यों का निर्धारण
   2. विषयवस्तु का चयन
   3. सहायक सामग्री का निर्माण या चयन
   4. पाठ का विकास
   5. आवृत्ति
   6. गृहकार्य।

मूल्यांकन

"स्वागत भाषण" की पाठ योजना बनाते समय किस आधारभूत सामग्री का प्रयोग करेंगे? उदाहरण सहित लिखो।

मॉड्यूल-8

पठन कौशल शिक्षण

8.0 प्रस्तावना

पठन भाषा के चारों कौशलों—सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना—में से एक कौशल है। सुनना और बोलना तो बच्चे विद्यालय में आने से पूर्व ही सीख लेते हैं, किन्तु पढ़ना और लिखना सीखने के लिए उन्हें विद्यालय में विधिवत् शिक्षा लेनी पड़ती है। शिक्षा की तीन आधारभूत योग्यताओं (पढ़ना, लिखना, अंकगणित) में से दो—पढ़ना और लिखना भाषा से ही संबंधित हैं। इससे स्पष्ट है कि भाषा शिक्षा-प्राप्ति का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। भाषा के बिना ज्ञानार्जन नहीं किया जा सकता। ज्ञान प्राप्ति में पठन का अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि यह ज्ञानार्जन का मुख्य साधन है। ज्ञान विस्फोट के इस युग में पठन के द्वारा ही हम अपने ज्ञान को अधुनातन बना सकते है। पठन का उपयोग विद्यार्थी काल में ही नहीं जीवन पर्यन्त रहता है। अतः भाषा-शिक्षण में विद्यार्थियों के पठन-कौशल के विकास पर विशेष बल देना चाहिए। इसी दृष्टि से "पठन" पर यह मॉड्यूल प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तीन कैप्सूलों का समावेश किया गया है :

कैप्सूल 8.1 में पठन के स्वरूप के अन्तर्गत पठन का महत्त्व, प्रकृति, पठन की परिभाषा, पठन-प्रक्रिया के सोपान, पठन के प्रकार तथा स्तर का उल्लेख किया गया है।

कैप्सूल 8.2 में पठन शिक्षण की विधियाँ, पठन संप्राप्ति का मूल्यांकन तथा पठन-दोषों के निदान और उपचार का उल्लेख किया गया है।

कैप्सूल 8.3 में पठन की पाठ योजना बनाने की विधि तथा उसका एक नमूना दिया गया है।

कैप्सूल 8.1

पठन का स्वरूप

व्यवहारगत उद्देश्य

प्रस्तुत कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. पठन के महत्त्व तथा उसकी प्रकृति बता सकेंगे।
2. पठन की परिभाषा तथा उसकी प्रक्रिया को बता सकेंगे।
3. पठन के प्रकार तथा स्तरों के विषय में चर्चा कर सकेंगे।

8.1.1 पठन का महत्त्व तथा प्रकृति

पठन का महत्त्व : पठन भाषा के चार कौशलों (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) में से एक कौशल है किन्तु पठन-योग्यता पर ही बहुत कुछ अन्य कौशलों (सुनकर समझना, बोलना, लिखना) का उत्तरोत्तर विकास संभव है। हम जितना ही अधिक पढ़ते हैं उतना ही अधिक समझने की शक्ति बढ़ती है। परिणामतः उतना ही अच्छा बोल और लिख सकते हैं।

पठन भाषा-ज्ञान का ही नहीं, अपितु समस्त विषयों के ज्ञानार्जन का मुख्य साधन है। इस कारण उसका अर्थ व्यापक हो गया है और वह शिक्षा का पर्याय बन गया है 'तुमने कहाँ तक पढ़ा है?', 'तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो?', 'अब आगे क्या पढ़ने का विचार है?' आदि वाक्य पठन के महत्त्व को ही प्रकट करते हैं। इसलिए पठन-शिक्षण पर हमें विशेष बल देने की आवश्यकता है।

वस्तुतः पठन-शिक्षण की सफलता पर भाषा के विविध कौशलों का विकास, विविध विषयों का ज्ञानार्जन, आनंद और प्रेरणा की प्राप्ति, बौद्धिक और भावात्मक विकास तथा भाषिक एवं साहित्यिक योग्यताओं की संवृद्धि निर्भर है। अतः हमें पठन कौशल के विकास पर अधिकाधिक बल देना चाहिए।

पठन की प्रकृति : पठन कौशल भी है और योग्यता भी। यह कौशल के रूप में प्रारम्भ होता है और योग्यता के रूप में इसकी परिणति होती है। निम्न प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा एक और दो) में पठन के यांत्रिक पक्ष (उच्चारण, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति आदि) पर बल रहता है, जिसका विकास सस्वर वाचन के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद कक्षा तीन, चार और पाँच में सस्वर पठन कौशल के साथ-साथ पठन योग्यता (अर्थ-ग्रहण, पठित वस्तु में आए तथ्यों, भावों और विचारों का ग्रहण) पर भी ध्यान रहता है जिसका विकास मौन पठन द्वारा किया जाता हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा छह से आठ) तक पठन-योग्यता के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

ऊपर की गई चर्चा से यह स्पष्ट है कि पठन एक बहु-आयामी जटिल प्रक्रिया है जिसमें लिपि प्रतीकों की पहचान तथा उनके उच्चारण की कुशलता के साथ-साथ पठित सामग्री के अर्थग्रहण एवं उसके पूर्ण आशय समझ लेने की योग्यता का समावेश है। इसमें ग्रहण किए गए अर्थ की व्याख्या, मत निर्धारण तथा अर्जित ज्ञान का प्रयोग शामिल है।

अतः प्रकृति की दृष्टि से पठन कौशल तथा योग्यता दोनों का समन्वित विकास करना आवश्यक है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ पठन, शिक्षा तथा जीवन दोनों के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए।	चर्चा कीजिए

8.1.2 पठन के प्रकार तथा स्तर

पठन के प्रकार : पठन के दो प्रकार हैं—सस्वर और मौन। सस्वर पठन में शब्दों का उच्चारण, वाक्यों का सार्थक शब्द समूहों में विभाजन, अनुतान, विराम चिह्न, प्रवाह आदि महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वह मौखिक अभिव्यक्ति के बहुत निकट हैं। मौन पठन में स्वरहीनता, पठन गति, तथा अर्थग्रहण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षण की दृष्टि से सस्वर पठन कौशल के रूप में विकसित किया जाता है और मौन पठन योग्यता के रूप में। मौन पठन में विकसित योग्यताएँ अध्ययन योग्यता में भी सहायक होती हैं। सस्वर पठन का कौशल मौन पठन की योग्यता के लिए आधारभूत सोपान है और मौन पठन की योग्यता अध्ययन की योग्यता के लिए। व्यावहारिक दृष्टि से मौन पठन की आवश्यकता सस्वर पठन की अपेक्षा अधिक होती है।

सस्वर और मौन पठन की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

सस्वर पठन

1. सस्वर पठन एक कौशल है।
2. सस्वर पठन के शिष्टाचार के अंतर्गत पाठक के खड़े होने का ढंग, उसके पुस्तक पकड़ने की विधि, पुस्तक की आँखों से दूरी, सिर न हिलाना, पुस्तक पर उंगली न रखना तथा सहज एवं स्वाभाविक रूप में पढ़ना शामिल है।
3. सस्वर पठन दूसरों के लिए किया जाता है, अतएव यह औपचारिक है। इसके अन्तर्गत अभिनन्दन पत्र, प्रतिवेदन तथा लिखित अभिभाषण पढ़े जाते हैं।
4. सस्वर पठन में श्रोताओं की संख्या व दूरी तथा सामग्री की प्रकृति पर सुर की ऊंचाई तथा गति निर्भर करती है।
5. इनमें शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध बलाघात, अनुतान, वाक्यों का सार्थक पदबंधों में विभाजन, विराम चिह्नों का ध्यान, सामग्री की प्रकृति के अनुकूल भावपूर्ण वाचन आवश्यक है।

मौन पठन

1. मौन पठन में अर्थग्रहण पर बल होता है। इसीलिए वह ज्ञानार्जन का मुख्य आधार है।
2. मौन पठन में पुस्तक को पढ़ते समय सामान्य दूरी पर रखना, बिना होंठ हिलाए तथा बुदबुदाए पढ़ना, पृष्ठ पर उंगली न रखना तथा स्वयं अर्थग्रहण करते जाना आदि बातें सम्मिलित हैं।
3. मौन पठन विभिन्न संदर्भों में अपने लिए ही किया जाता है। अतएव यह अनौपचारिक है। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की शैक्षिक, कार्यालयी, व्यावसायिक, अनौपचारिक सामग्री का पठन सम्मिलित है।
4. मौन पठन में पठन की गति तीव्र होती है, किन्तु सामग्री की प्रकृति तथा संदर्भ के अनुसार पठन की गति घटाई-बढ़ाई जा सकती है।
5. मौन पठन के अनेक रूप हैं, जैसे—गंभीर अध्ययन, निश्चित सामग्री को ढूंढने के लिए पढ़ना, सरसरी दृष्टि से द्रुत गति से पढ़ना आदि।

शिक्षण की दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओं (1-5) तक सस्वर पठन पर बल देना चाहिए, पर विद्यार्थियों की संप्राप्ति को देखते हुए मौन पठन कक्षा चार से प्रारम्भ किया जा सकता है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6-8) में मौन वाचन पर बल देना चाहिए पर विद्यार्थियों की पठन-योग्यता कम होने पर सस्वर वाचन भी कराया जा सकता है। मौन पठन तो हर प्रकार की सामग्री का कराया जा सकता है पर संवाद और कविता में सस्वर पठन अपेक्षित है। निबंध, कहानी और जीवनी के लिए मौन पठन उपयुक्त है।

पठन के स्तर : पठन सस्वर हो या मौन, अर्थग्रहण की अपेक्षा दोनों में ही है। अर्थग्रहण के बिना पठन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। पठित सामग्री का अर्थग्रहण तीन स्तरों पर होता है—सूचनात्मक, व्याख्यात्मक एवं आलोचनात्मक तथा सर्जनात्मक। सूचनात्मक स्तर के पठन में तथ्यों, भावों एवं

विचारों की जानकारी मात्र प्राप्त की जाती है। उससे पाठक के ज्ञान का विस्तार होता है। आवश्यकता पड़ने पर पाठक उन तथ्यों, भावों तथा विचारों का केवल प्रत्यास्मरण करता है। व्याख्यात्मक एवं आलोचनात्मक स्तर पर पाठक उन तथ्यों, भावों और विचारों की व्याख्या के द्वारा उनकी शुद्धता तथा विश्वसनीयता आँकता है। सर्जनात्मक स्तर पर पठित सामग्री के अध्ययन-मनन से उसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है और वह स्वयं लिखने के लिए प्रेरित होता है। पठन के इन तीनों स्तरों को अंग्रेजी में क्रमशः 'Reading on the Lines', 'Reading between the Lines' तथा 'Reading beyond the Lines' कहा जाता है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षा में पहुँचते-पहुँचते बालकों में पठन की कुशलता व योग्यता का उचित विकास होने से पठन के समय उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। पठन संबंधी अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का विस्तृत विवरण मॉड्यूल 1 (कैप्सूल 1.2) में दिया जा चुका है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ सस्वर तथा मौन पठन की विशेषताएँ बताते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए।	तुलना कीजिए
❑ कक्षा पाँच के विद्यार्थियों के लिए सस्वर तथा मौन पठन के लिए उनकी पाठ्यपुस्तक से एक-एक अवतरण छांटिए।	चयन कीजिए
❑ अर्थ ग्रहण की दृष्टि से उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में व्याख्यात्मक एवं आलोचनात्मक और सृजनात्मक स्तर का पठन कौशल विकसित करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे?	सुझाव दीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. पठन भाषा के चार कौशलों—सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना—में से एक कौशल है किन्तु उन कौशलों में इसका सर्वोपरि महत्त्व है। पठन-योग्यता पर ही बहुत कुछ अन्य कौशलों का उत्तरोत्तर विकास संभव है। पठन, विविध विषयों के ज्ञानार्जन, मनोरंजन और प्रेरणा प्राप्ति का मुख्य साधन है। अतः भाषा-शिक्षण में विद्यार्थियों के पठन-कौशल के विकास पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है।
2. पठन कौशल और योग्यता दोनों है। यह कौशल के रूप में प्रारम्भ होता है और योग्यता के रूप में इसकी परिणति होती है। सस्वर पठन कौशल है और मौन पठन योग्यता।
3. पठन एक बहुआयामी जटिल प्रक्रिया है जिसमें वर्णों को पहचानने तथा उनका उच्चारण करने से लेकर पठित सामग्री में निहित तथ्यों, विचारों एवं भावों को ग्रहण करने एवं संवृद्ध ज्ञान को व्यवहार में लाने और व्यक्तित्व के विकास तक की सभी प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं।
4. पठन के दो प्रकार हैं— सस्वर और मौन। शिक्षण की दृष्टि से सस्वर पठन कौशल के रूप में विकसित किया जाता है और मौन पठन योग्यता के रूप में। दोनों प्रकार के पठन की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं।
5. पठित सामग्री का अर्थग्रहण तीन स्तरों पर होता है— सूचनात्मक, व्याख्यात्मक एवं आलोचनात्मक और सर्जनात्मक।

मूल्यांकन

1. पठन का महत्त्व बताते हुए उसकी परिभाषा दीजिए।
2. विशेषताओं सहित पठन के प्रकार बताइए।
3. पठन के स्तरों का उल्लेख कीजिए।

कैप्सूल 8.2

पठन-शिक्षण विधियाँ तथा पठन-योग्यता का मूल्यांकन

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल का अध्ययन करने के पश्चात् आप—

1. विभिन्न स्तरों के लिए पृथक-पृथक पठन-शिक्षण विधियों का उल्लेख कर सकेंगे।
2. विभिन्न विधाओं के पाठों के संदर्भ में अभीष्ट एवं संगत शिक्षण विधियों का चयन कर सकेंगे।
3. विद्यार्थियों में पठन के प्रति रुचि विकसित करने के उपाय बता सकेंगे।
4. पठन योग्यता का उद्देश्य-आधारित मूल्यांकन कर सकेंगे।
5. विद्यार्थियों की पठन कौशल तथा पठन योग्यता की कमियों की जानकारी कर उन्हें दूर करने की दृष्टि से प्रयास कर सकेंगे।
6. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पठन संबंधी कठिनाइयों को जानकर उनका उपचारात्मक हल प्रस्तुत कर सकेंगे।

8.2.1 पठन-प्रक्रिया के स्तर तथा शिक्षण विधियाँ

पहले कहा जा चुका है कि भाषा के चार कौशलों में से बालक सुनना और बोलना विद्यालय में आने से पहले ही बहुत कुछ सीख लेते हैं पर पढ़ना-लिखना सीखने के लिए उन्हें विद्यालय में विधिवत शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। इनमें से भी "पढ़ना" लिखना सीखने से पहले सीखा जाता है।

कक्षा आठ तक पठन-प्रक्रिया के स्तरों को क्रमिक रूप में निम्नलिखित प्रकार से रख सकते हैं :

1. पठनारंभ की तैयारी
2. पठनारंभ
3. प्राथमिक स्तर पर पठन
4. उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन

विभिन्न स्तरों के अनुसार पढ़ाई जाने वाली सामग्री, पठन का स्वरूप और अर्थग्रहण के स्तरों को निम्नलिखित तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

पठन प्रक्रिया के स्तर	*पठन की सामग्री*	*पठन का स्वरूप*	*अर्थग्रहण के स्तर*
1. पठनारंभ की तैयारी	आकृतियाँ, चित्र आदि	आकृति विभेदीकरण, चित्र-पठन, चित्रावली-पठन, कथन आदि	सूचनात्मक
2. पठनारंभ (वर्णबोध)	वर्णमाला शब्द	सस्वर	सूचनात्मक
3. प्राथमिक कक्षाएँ	लेख, कहानी, जीवनी, संवाद, कविता आदि	सस्वर (अधिक) मौन (कम)	सूचनात्मक और व्याख्यात्मक
4. उच्च प्राथमिक कक्षाएँ	लेख, कहानी, जीवनी,संवाद, कविता, मानचित्र या ग्राफ पठन, कोश/विश्व कोश-पठन	सस्वर (कम) मौन (अधिक)	सूचनात्मक, व्याख्यात्मक और सर्जनात्मक

आइए, पठन-विकास स्तरों के अनुसार उनकी शिक्षण विधियों की चर्चा करें।

8.2.2.1 पठनारंभ की तैयारी तथा शिक्षण विधि

बालकों को पढ़ना सिखाने से पूर्व उन्हें पढ़ने के लिए तैयार करना अनिवार्य है। इसके लिए बालकों को ऐसे सहज तथा अनौपचारिक शैक्षिक अनुभव देने की आवश्यकता है जिससे उनकी पठन के प्रति रुचि जागृत हो सके। इस संबंध में क्रिया आधारित निम्नलिखित अनुभव उपयोगी हो सकते हैं :

- बालकों से सहज रूप में वार्तालाप कराना।
- बालकों को कहानी सुनाना तथा उनसे कहानियाँ कहलवाना।
- बालकों को चित्रमय पुस्तकें दिखाना।
- उनसे छोटी-छोटी बालोपयोगी कविताएँ याद करवाना तथा कविता के साथ अभिनय कराना।
- वस्तुएँ तथा उनके चित्र दिखाकर उनके नाम याद कराना।
- उनसे घर तथा मित्रों के अनुभव सुनना।
- विभिन्न आकृतियाँ (आड़ी-तिरछी, खड़ी, पड़ी रेखाएँ, त्रिभुजाकार, अर्द्धवृत्ताकार, वृत्ताकार, आदि ज्यामितीय आकार आदि) दिखाकर उनकी पहचान कराना तथा उनमें अंतर कराना।
- समान सी ध्वनियों में अन्तर कराना, जैसे क-ख, क-ग, ख-ग, ग-घ आदि।

विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार विशेष प्रयास अपेक्षित हैं। बहुत कमजोर या सीमित दृष्टि वाले बालकों की स्पर्श करने तथा सुनने की योग्यता का उपयोग किया जा सकता है और ऊँचा सुनने वाले बालकों की दृष्टि का। सीमित दृष्टि वाले बालकों को लकड़ी या धातु के बने हुए बड़े आकार के वर्ण देने चाहिएँ। उनके द्वारा वर्णों को स्पर्श करते समय शिक्षक को संबंधित ध्वनि बोलनी चाहिए जिससे वे वर्णों की आकृतियों के साथ ध्वनियों का संबंध स्थापित कर सकें। इसी प्रकार ऊँचा सुनने वाले बालकों को वर्णों की आकृतियाँ या चित्र दिखाकर मुख, होंठ तथा हाथों की सहायता से विभिन्न वर्णों की आकृतियों का पढ़ना सिखाया जा सकता है। इससे वे लिपि और ध्वनि की आकृतियों का संबंध स्थापित करना सीख लेते हैं। मानसिक रूप से बाधित बालकों को भी मूर्त तथा जानी-पहचानी वस्तुओं के माध्यम से वर्णों के पठन का बार-बार अभ्यास कराना उपयोगी है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ पठनारंभ की तैयारी करने के लिए बालकों से किए जाने वाले वार्तालाप का एक नमूना तैयार कीजिए।	नमूना बनाइए
❑ बालकों की जानी-पहचानी ऐसी वस्तुएँ छाँटिए जिनकी आकृति नागरी के वर्णों से मिलती-जुलती हो। उनकी आकृति बनाइए और बच्चों को दिखाइए।	चयन करके प्रदर्शन कीजिए

8.2.2.2 पठनारंभ (वर्ण बोध) की शिक्षण विधियाँ : पठनारंभ की तैयारी के बाद दूसरा सोपान है पठन का आरम्भ करना। पठनारंभ में विद्यार्थियों में दो कौशलों का विकास करना होता है—वर्णों के लिखित रूप को पहचानना और उनके साथ भाषा की ध्वनियों का संबंध स्थापित करना। इसके लिए निम्नलिखित विधियाँ उपयुक्त हो सकती हैं :

(क) वर्ण विधि : वर्ण विधि के अंतर्गत वर्णों की सीधे पहचान कराई जाती है, यथा—अ, आ, इ, ई आदि स्वरों तथा क, ख, ग, घ आदि व्यंजनों के लिखित रूप की पहचान कराना और उन्हें उनकी ध्वनियों के साथ संबंधित

करना। इसके लिए लकड़ी या किसी धातु के बने हुए वर्णों की सहायता भी ली जाती है। इस विधि में वर्णमाला पर विशेष बल दिया जाता है। वर्णमाला के बाद बारहखड़ी याद कराई जाती है। शुद्ध रूप में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि अर्थहीन होने के कारण बालक वर्णों को नहीं जान पाते। वर्ण विधि का ही एक और रूप है शब्द आधारित वर्ण विधि। इस विधि द्वारा अपरिचित वर्ण को परिचित वस्तु के चित्र तथा उसके परिचित नाम की सहायता से सिखाया जाता है, यथा—कबूतर का चित्र, कबूतर शब्द तथा कबूतर शब्द में आया 'क' वर्ण सिखाना। इस विधि में वर्णों का शिक्षण वर्णमाला के क्रम में पढ़ाने पर बल दिया जाता हैं। जिस कारण विद्यार्थी तब तक वर्ण बोध ही करता रहता है, जब तक सारे वर्णों को न जान जाए। परिणामस्वरूप, कई महीने तक वर्ण विद्यार्थी के लिए अर्थहीन ही रहते हैं और वह पढ़ने में रुचि नहीं ले पाता।

(ख) **शब्द विधि** : शब्द विधि में शब्दों पर बल होता है। शब्द के माध्यम से वर्ण सिखाए जाते हैं और अधिक शब्द बनाने की क्षमता वाले वर्णों को पहले पढ़ाया जाता है और कम क्षमता वाले वर्णों को बाद में सिखाया जाता है। इस विधि में वर्णों को वर्णमाला के क्रम से नहीं सिखाया जाता। परिचित वस्तु के परिचित नाम का प्रयोग ही वर्ण बोध के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ प्रथम पाठ में वर्ण बोध के लिए "नल" और "बस" शब्द की सहायता से "नल" और "बस" शब्दों को तोड़कर "न", "ल", "ब", तथा "स" वर्णों का बोध कराया जा सकता है। ये वर्ण वर्णमाला के क्रम में, तो नहीं होते हैं पर इनसे अनेक शब्द बन सकते हैं, जैसे—सब, सन, नस, बल आदि।

इस विधि के द्वारा विद्यार्थी पहले पाठ से ऐसे वर्णों को सीख जाता है जिनसे शब्द बनते हैं। इसके कारण विद्यार्थी को सीखने में रुचि भी होती है और उनमें विश्वास पैदा होता है कि वह कुछ शब्दों को पहचान सकता है और पढ़ सकता है। इसके विरोध में यह कहा जा सकता है कि इस विधि से विद्यार्थियों को वर्णमाला का ज्ञान ठीक प्रकार नहीं हो पाता और इसका प्रयोग करने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को अपेक्षाकृत अधिक परिश्रम करना पड़ता है।

(ग) **वाक्य विधि** : यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि वाक्य ही भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है इसलिए वर्णों को सिखाने के लिए भी प्रारंभ में वाक्य ही प्रस्तुत करना चाहिए। उस वाक्य में इस प्रकार के मूल शब्द होने चाहिए जिनके विश्लेषण से अपेक्षित वर्ण प्राप्त हो सकें। इसके लिए आज्ञार्थक वाक्य उपयुक्त होते हैं क्योंकि वे लघुतम होते हैं, जैसे—अमर आ। घर चल। छत पर चढ़। चित्रों और वाक्यों द्वारा सार्थक संदर्भ उपस्थित करके वाक्यों के शब्दों को अलग-अलग कर एक-एक का विश्लेषण किया जाता है।

इस पद्धति का लाभ यह है कि वाक्यों और शब्दों को सार्थक संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार वर्ण भी संदर्भ के अंग बन जाते हैं। परन्तु इस पद्धति में मात्राहीन शब्दों से बने वाक्य अस्वाभाविक से हो जाते हैं।

(घ) **व्यावहारिक अथवा संयुक्त विधि** : शिक्षण विधियाँ साधन हैं, साध्य नहीं। इन सभी विधियों का उद्देश्य वर्ण बोध कराना है। प्रत्येक विधि की अपनी सीमाएँ और अपने गुण हैं। व्यावहारिक दृष्टि यह है कि विद्यार्थियों की आयु, रुचि, स्वभाव तथा समय और सामग्री की सीमाओं को देखते हुए इनमें से कोई दो या दो से अधिक विधियाँ एक साथ उपयोग में लाई जाएँ या उपयोग में आने वाली दो या दो से अधिक विधियों के सभी तत्व एक ही समय पर उपयोग में आएँ।

अभ्यास कार्य

- पहली कक्षा के विद्यार्थियों को छोटे-छोटे वर्गों में विभाजित कर भिन्न-भिन्न विधियों से वर्ण बोध कराने पर प्रयोग कीजिए।

निर्देश
प्रयोग कीजिए

8.2.2.3 प्राथमिक कक्षाओं में पठन-शिक्षण विधियाँ

इन कक्षाओं में पठन-शिक्षण विधि की चर्चा दो भागों में की जा सकती है।

1. वाक्य पठन की शिक्षण विधियाँ, तथा
2. विभिन्न विधाओं के पठन की शिक्षण विधियाँ।

वाक्य पठन की शिक्षण विधियाँ

वाक्य भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई है। जब कभी कोई एक शब्द के माध्यम से अपनी भावना या विचार को व्यक्त करना चाहता है तो वह शब्द भी वाक्य के समकक्ष माना जाता है। पर सामान्यतः वाक्य विभिन्न पदबंधों तथा शब्दों से निर्मित होता है और विद्यार्थी सस्वर पठन करते हुए शब्द, पदबंध तथा वाक्य पढ़ता है। अतएव वाक्य के पठन के संबंध में शब्द, पदबंध तथा वाक्य, इन तीनों स्तरों पर विचार करना अपेक्षित है।

(क) **शब्द और पदबंध पठन विधियाँ :** शब्दों और पदों के पठन शिक्षण में मुख्य दो विधियाँ अपनाई जा सकती हैं :

1. **ध्वनि साम्य विधि :** इस विधि के अनुसार ध्वनि में समान शब्दों का साथ-साथ उच्चारण सिखाया जाता है, जैसे—कल-खल-फल-चल-जल, लोटा-खोटा-मोटा, पक्का-धक्का, प्रकार-प्रचार-प्रसार आदि। बालक समान ध्वनि वाले शब्दों के उच्चारण में रुचि लेते हैं। इसलिए उन्हें इस प्रकार के खेल खिलाए जा सकते हैं।
2. **देखो-कहो विधि :** इस विधि के अनुसार ऐसे कार्ड बनाए जाते हैं जिन पर शब्दों से संबंधित चित्र बने होते हैं और उनके नीचे शब्द लिखे होते हैं। बालक चित्र को देखकर पहचानता है और उसके नीचे लिखे शब्द को पढ़ता है। यह एक रोचक विधि है।

(ख) **वाक्य पठन विधि :** इस विधि के अनुसार बालक को प्रारंभ से ही छोटे-छोटे वाक्य पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। धीरे-धीरे वाक्यों की लम्बाई बढ़ती जाती है। साथ ही प्रारंभ में बिना मात्रा वाले शब्दों वाला वाक्य दिया जाता है, फिर मात्राओं वाले शब्दों के वाक्य और संयुक्ताक्षर वाले शब्दों से युक्त वाक्य दिए जाते हैं। प्रारंभ के वाक्यों में छोटे शब्द (एकाक्षरी) दिए जाते हैं और धीरे-धीरे बड़े शब्दों (द्वि-अक्षरी, त्रि-अक्षरी आदि) वाले वाक्य दिए जाते हैं। यह विधि सार्थक भी है और व्यावहारिक भी। अर्थपूर्ण वाक्य होने के कारण शब्द भी अर्थपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के शब्दों वाले वाक्य सुगमता से बनाए जा सकते हैं। वाक्य में पदों के रूप में शब्दों के विभिन्न व्याकरणिक रूप भी सहज रूप में दिए जा सकते हैं। इस विधि को अपनाने में असुविधा इसलिए नहीं होती क्योंकि बालक पढ़ना प्रारंभ करने से पूर्व पूरा वाक्य सुनता और बोलता है। वाक्य विधि को अपनाने का एक लाभ यह भी है कि बालक वाक्य में उचित शब्द पर बलाघात देने तथा वाक्य की प्रकृति पर आधारित उपयुक्त अनुतान तथा वाक्य को सार्थक पदबंधों में विभाजित कर पठन करना सीख सकता है।

2. विभिन्न विधाओं की पठन-शिक्षण विधियाँ

प्राथमिक कक्षाओं की मातृभाषा की पाठ्यपुस्तकों में सामान्यतया वर्णनात्मक निबंध, कहानी, जीवनी, संवाद, पत्र तथा कविताएँ सम्मिलित की जाती हैं।

वर्णनात्मक निबंध का सस्वर वाचन और ज्ञानात्मक निबंध का मौन पठन उपयुक्त रहता है। कक्षा तीन तक कहानी का सस्वर वाचन कराया जा सकता है पर कक्षा चार

व पाँच में मौन पठन कराना चाहिए। जीवनी दोनों प्रकार के पठन के लिए उपयुक्त हो सकती है। संवाद का सस्वर वाचन कराना चाहिए। ध्वन्यात्मक तथा वर्णनात्मक कविताओं का सस्वर पाठ कराना चाहिए पर भावात्मक तथा विचारात्मक कविताओं का मौन पठन कराना चाहिए। कुछ विद्वानों की दृष्टि में प्राथमिक कक्षाओं में कविताओं का सस्वर पाठ ही होना चाहिए, मौन पठन नहीं।

विभिन्न विधाओं के पठन शिक्षण में ध्यान रखने योग्य विशेष बातें

(क) निबंध

1. निबंध में आए नए तथा कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास पाठ के प्रारंभ में कराया जाए जिससे प्रवाहपूर्ण पठन में व्यवधान न पड़े।
2. निबंध को छोटी-छोटी इकाइयों में बाँट कर अलग-अलग विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक इकाई का पठन कराया जाए।
3. पठन से पूर्व विद्यार्थियों को कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न बताए जा सकते हैं जिनका उत्तर पठन के पश्चात् पूछा जा सकता है। प्रश्न ज्ञानवर्धक होने चाहिएँ।
4. सस्वर पठन की त्रुटियों की संख्या तथा प्रकृति को देखकर यदि आवश्यक हो तो पठन के बीच में अन्यथा अंत में विद्यार्थियों के सहयोग से संशोधन किया जाए।

(ख) कहानी

1. सप्रवाह भावपूर्ण वाचन कहानी के लिए आवश्यक है। कहानी के पठन में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए।
2. यदि एक कहानी कई विद्यार्थियों से पढ़वानी हो तो उसे घटनाओं अथवा दृश्यों के आधार पर कुछ इकाइयों में बाँटना चाहिए। विभिन्न विद्यार्थियों के पठन के कारण कहानी के वातावरण में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए।
3. कहानी पठन के बीच में उच्चारण की त्रुटियों का संशोधन करना उचित नहीं है। किंतु विद्यार्थियों द्वारा कहानी के वाचन से पूर्व शिक्षक द्वारा स्वयं कहानी का आदर्श वाचन उपयोगी होगा।
4. पूरी कहानी का वाचन होने के पश्चात् ही उस पर प्रश्न पूछने चाहिएँ।

(ग) जीवनी

1. शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था के आधार पर जीवनी की इकाइयाँ बनाई जा सकती हैं।
2. एक इकाई के पठन के पश्चात् प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पर जीवनी पाठ के अंत में संपूर्ण जीवनी पर कुछ ऐसे प्रश्न पूछने चाहिएँ जिससे विद्यार्थियों को प्रेरणा प्राप्त हो।
3. जन्मजात गुणों की अपेक्षा उन गुणों पर अधिक बल देना चाहिए जिनका अर्जन उस महापुरुष ने किया हो।

(घ) संवाद

1. विद्यार्थियों में पात्रानुसार संवाद बाँटे और उनसे अपना-अपना संवाद पढ़वाएँ।
2. संवाद के पाठों को दृश्यों के आधार पर छोटी इकाइयों में बाँटा जा सकता है।
3. संवाद का पठन उसी रूप में होना चाहिए जैसे वक्ता अपनी ही बात कह रहा हो।
4. संवाद पढ़ते समय उपयुक्त शब्दों पर बल देना चाहिए।

(ङ) पत्र

1. पत्र का पठन मौन ही करना चाहिए।
2. मौन पठन के बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें ताकि उनके पठन बोध का मूल्यांकन हो सके।

(च) कविता

कविता पठन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए :

1. ध्वन्यात्मक कविताओं को तुक और लय का

ध्यान रखते हुए पढ़ा जाए।

2. वर्णनात्मक कविता का वाचन कविता में वर्णित घटना की प्रकृति के अनुसार हाव-भाव के साथ किया जाए।
3. भावात्मक कविता-पाठों को कविता में निहित हर्ष, शोक, उत्साह, प्रेम आदि भावों को व्यंजित करते हुए पढ़ा जाए।
4. विचारात्मक कविता को धीमी गति से पढ़ें ताकि विचार का बिंब बन सके।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ शिक्षण विधि की दृष्टि से कौन-कौन सी विधाएँ परस्पर निकट हैं और क्यों?	चर्चा कीजिए
❑ सस्वर तथा मौन पठन के लिए उपयुक्त विधाओं का वर्गीकरण कीजिए।	वर्गीकरण कीजिए

8.2.2.4 उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6-8) में पठन शिक्षण

उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पठन शिक्षण में केवल दो बातों पर विशेष बल दिया जाता है। एक, प्राथमिक कक्षाओं में मौन वाचन की अपेक्षा सस्वर वाचन पर अधिक बल दिया जाता है जबकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सस्वर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन पर अधिक बल देना होता है। दो, प्राथमिक कक्षाओं में सूचनात्मक तथा व्याख्यात्मक स्तर के अर्थग्रहण की योग्यता का विकास किया जाता है, जबकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इनके अतिरिक्त सर्जनात्मक स्तर के अर्थग्रहण की योग्यता का भी विकास करना चाहिए। अर्थग्रहण के इन स्तरों की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए नीचे उदाहरण दिया जा रहा है। इस संदर्भ में अर्थग्रहण के विभिन्न स्तरों के लिए प्रश्नों की सहायता ली जा सकती है।

पठन या अर्थग्रहण के स्तर

संदर्भ : बाल भारती भाग-5, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, प्रथम संस्करण, फरवरी 1989, पाठ—अभ्यास का महत्त्व।

(i) सूचनात्मक स्तर

प्रश्न : शिक्षा प्राप्त न कर सकने पर घर वापस जाते हुए वरदराज क्या सोच रहा था।

उत्तर : उसके पिता विद्वान थे। वह निरक्षर रह गया। वह अपने आप को मंदबुद्धि समझ रहा था। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा।

ये तीनों बातें पाठ में ज्यों की त्यों दी गई हैं। अतएव, विद्यार्थी को केवल जानकारी प्राप्त करनी है, किसी प्रकार की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) व्याख्यात्मक/आलोचनात्मक स्तर

प्रश्न : क्या वरदराज मंदबुद्धि बालक था? कारण सहित उत्तर दीजिए।

उत्तर : वरदराज मंदबुद्धि बालक नहीं था क्योंकि जब उसने ध्यानपूर्वक परिश्रम से शिक्षा ग्रहण की तो वह विद्वान बन गया। यदि वह मंदबुद्धि बालक होता तो वह विद्वान नहीं बन सकता था। पर पहली बार शिक्षा प्राप्त न करने पर वह अपने आपको मंदबुद्धि समझने लगा।

इस प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थी कथन के अभिधार्थ को न लेकर प्रसंग के अनुसार उसकी व्याख्या करता है।

(iii) सर्जनात्मक स्तर

प्रश्न : इस पाठ में वरदराज के कौन से दो रूप दिखाए गए हैं?

उत्तर: पहले रूप में वरदराज बुद्धू, मूर्खराज, बुद्धिहीन तथा निरक्षर दिखाई दिया है। दूसरे रूप में वरदराज परिश्रमी, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली तथा विद्वान।

इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए विद्यार्थी को पूरे पाठ को तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ना होगा और अपना निष्कर्ष निकालना होगा।

अभ्यास कार्य

- कक्षा छह की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के किसी एक पाठ पर अर्थग्रहण के तीनों स्तरों सूचनात्मक, व्याख्यात्मक तथा सर्जनात्मक पर एक-एक प्रश्न बनाइए।

निर्देश
प्रश्न निर्माण कीजिए

8.2.3 पठन रुचि का विकास

पठन के प्रति रुचि जागृत करने के आवश्यक कारक हैं—पठन का वातावरण, पठन की सुविधाएँ तथा रुचि जागृत करने के लिए किए जाने वाले प्रयास।

(क) **पठन का वातावरण :** जिन परिवारों में पठन का वातावरण होता है उन परिवारों के बालकों को पठन के प्रति रुचि सहज हो जाती है। इसी प्रकार आस-पड़ोस, बस्ती और नगर का वातावरण भी बच्चों की पठन रुचि को प्रभावित करता है। इसी प्रकार जिन विद्यालयों में अतिरिक्त पठन का वातावरण होता है उनके विद्यार्थियों में पठन के प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो जाती है।

(ख) **पठन की सुविधाएँ :** पठन-रुचि पैदा करने के लिए सबसे आवश्यक सुविधा है—पुस्तकालय। पुस्तकालयों में विभिन्न आयु और बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के रुचिकर विषयों पर चित्र-कथाओं से लेकर गंभीर अध्ययन की पुस्तकें उपलब्ध हों। विद्यालयी-पुस्तकालयों के प्रयोग की सुविधा विद्यालय के विद्यार्थियों के अतिरिक्त बस्ती के अन्य बच्चों के लिए भी रहनी चाहिए।

(ग) **पठन-रुचि के विकास के लिए प्रयास :** पाठकों की रुचि अवस्था के साथ बदलती हैं, उदाहरणार्थ प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी पशु-पक्षियों की कहानियों, परी-कथाओं, मेले-त्योहार, खेल-खिलोने, विभिन्न स्थानों की सैर आदि के वर्णन में रुचि लेते हैं। माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थी साहसिक कथाओं, देश-विदेश के लोगों के जीवन, सामाजिक तथा ऐतिहासिक कहानियों, महापुरुषों की जीवनियों, खेल-कूद, पौराणिक कथाओं, देशभक्त वीरों की कथाओं आदि के पठन में रुचि लेते हैं। विद्यार्थियों में पठन के प्रति रुचि विकसित करने के लिए अध्यापक को कक्षा में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का परिचय देना चाहिए जिससे पुस्तक की विषयवस्तु की जानकारी भी विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके। विद्यालय में आई नई पुस्तक को उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाए ताकि विद्यार्थियों को उसकी सहज जानकारी हो जाए। बालकों में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ने की रुचि पैदा करने का प्रयास भी करना चाहिए। इससे उनमें पठन की आदत पड़ती है जो शैक्षिक संप्राप्ति में भी सहायक होती है।

अभ्यास कार्य

- ❑ कक्षा पाँच तथा कक्षा सात के विद्यार्थियों में पठन रुचि का विकास करने के लिए आप जो-जो प्रयास करेंगे उनको अलग-अलग तालिका के रूप में प्रस्तुत करें।

निर्देश
सूचीबद्ध कीजिए

8.2.4 पठन-कौशल तथा पठन योग्यता का मूल्यांकन

किसी भी पठन-मूल्यांकन कार्यक्रम में पठन की प्रकृति, प्रकार, पक्ष तथा स्तर सभी समाहित होने चाहिएँ। प्रकृति की दृष्टि से पठन योग्यता की परीक्षा कौशल तथा योग्यता दोनों दृष्टियों से की जानी चाहिए। कौशल के अन्तर्गत पठन का यांत्रिक पक्ष, यथा शब्दों का शुद्ध उच्चारण, बलाघात, अनुतान, गति आदि आते हैं और योग्यता के अन्तर्गत अर्थग्रहण के विभिन्न स्तर, यथा सूचनात्मक, व्याख्यात्मक तथा सर्जनात्मक निहित हैं। प्रकार की दृष्टि से सस्वर तथा मौन दोनों प्रकार के पठन की परीक्षा करनी चाहिए। पक्ष की दृष्टि से संदर्भ, विषयवस्तु, विधा, भाषा और शैली का मूल्यांकन होना चाहिए। स्तर की दृष्टि से पठन योग्यता का परीक्षण अर्थग्रहण के विभिन्न स्तरों (सूचनात्मक, व्याख्यात्मक तथा सर्जनात्मक) पर करना चाहिए। सामग्री की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो उस कक्षा के स्तर तथा अनुभव की हो जिनके लिए पठन परीक्षण बनाए जा सकें। इस प्रकार पठन मूल्यांकन के चार आयाम हो जाते हैं :

1.	पठन की प्रकृति	-	कौशल तथा योग्यता
2.	पठन के प्रकार	-	सस्वर तथा मौन
3.	पठन के पक्ष	-	यांत्रिक तथा मानसिक (अर्थग्रहण संबंधी)
4.	पठन के स्तर	-	सूचनात्मक, व्याख्यात्मक तथा सर्जनात्मक

पठन के ये सारे आयाम एक परीक्षण में समाहित नहीं हो सकते। अतएव इनके लिए परीक्षण माला की रचना करना आवश्यक है। कक्षा और स्तर के अनुसार प्राश्निक परीक्षण की सीमाएं निर्धारित करता है। ये परीक्षण अवस्था के अनुसार भी हो सकते हैं और कक्षा के अनुसार भी। कक्षा और अवस्था को ध्यान में रखते हुए प्राश्निक को परीक्षण के आयाम तथा उनका अनुपात निश्चित करना चाहिए। **परीक्षण सामग्री :** परीक्षण सामग्री की विषयवस्तु विद्यार्थियों के अनुभव के दायरे की होनी चाहिए। ये अनुभव बालक को पाठ्यक्रम में प्रस्तावित पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त हो सकते हैं अथवा कक्षा से बाहर पाठ्येत्तर क्रियाओं में भाग लेने से या परिवार, पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त हो सकते हैं।

अभ्यास कार्य

- ❑ कक्षा चार के विद्यार्थियों के सस्वर पठन के परीक्षण के लिए एक अनुच्छेद, पाँच वाक्य तथा दस शब्द छाँटिए।

निर्देश
चयन कीजिए

8.2.5 पठन कौशल तथा योग्यता संबंधी दोषों का निदान तथा उपचार

पठन कौशल के अन्तर्गत पठन की यांत्रिक कुशलता का निदान और उपचार आता है और पठन योग्यता के मानसिक पक्ष के अन्तर्गत अर्थग्रहण की योग्यता का निदान तथा उपचार अपेक्षित है।

1. पठन के यांत्रिक पक्ष संबंधी दोष

पठन के यांत्रिक पक्ष के दो दोष हैं :

(क) शिष्टाचार संबंधी :
बैठने या खड़े होने की स्थिति, पुस्तक को ठीक प्रकार न पकड़ना, सिर हिलाना, पृष्ठ पर उँगुली रखना, ऊँची और तनावपूर्ण आवाज़ आदि।

(ख) उच्चारण संबंधी :

(i) **शब्द के स्तर पर :** अशुद्ध उच्चारण करना, अक्षर छोड़ना या जोड़ना, अक्षर की पुनरावृत्ति करना आदि।

(ii) **वाक्य के स्तर पर :** त्रुटिपूर्ण अनुतान तथा बलाघात, शब्द छोड़ना या जोड़ना, एक-एक शब्द पढ़ना, वाक्य को अर्थपूर्ण अन्वितियों में न बाँटना, विराम चिह्नों का ध्यान न रख पाना आदि।

2. **पठन के मानसिक पक्ष (अर्थग्रहण) से संबंधित दोष**

(i) **संदर्भ :** देश-काल न जानना, भौतिक तथा मानवीय पक्ष को समझने में कमी आदि।

(ii) **विषयवस्तु :** तथ्यों, विचारों तथा भावों और उनके परस्पर संबंध को न समझना, लेखक के मन्तव्य तथा उसकी मूल भावना को न समझना, पाठ का सारांश न समझना आदि।

3. **भाषा :** नए शब्दों के तथा परिचित शब्दों के नए अर्थ न जानना, वाक्यों के विभिन्न अंगों का परस्पर संबंध तथा वाक्यों का परस्पर संबंध न समझना आदि।
4. **विधा :** विधा के संदर्भ में भाषा तथा प्रस्तुतीकरण को न समझना तथा न सराहना, शैली की अनुकूलता न समझना आदि।
5. **शैली :** नए मौलिक प्रयोगों, बिम्बों तथा प्रतीकों को न समझना।
6. **अर्थग्रहण के स्तर :** सूचनात्मक (जानकारी प्राप्त करने में कमी) व्याख्यात्मक अथवा आलोचनात्मक (विषयवस्तु की व्याख्या या आलोचना करने की योग्यता का अभाव) सर्जनात्मक (विषयवस्तु, भाषा या प्रस्तुतीकरण में परिष्कार करने की योग्यता का अभाव)।

पठन के यांत्रिक पक्ष का संबंध सस्वर वाचन से है और मानसिक पक्ष का संबंध मुख्यतया मौन पठन से है। अध्यापक को सस्वर वाचन का निदान तथा उपचार करते समय यांत्रिक पक्ष को देखना चाहिए और मौन पठन का निदान तथा उपचार करते समय मानसिक या अर्थग्रहण संबंधी पक्ष को देखना चाहिए।

विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पठन योग्यता का निदान और उपचार

मानसिक रूप से बाधित बच्चे पढ़ना-लिखना सीखने में विशेष कठिनाई अनुभव करते हैं। दूसरी ओर, शारीरिक दृष्टि से बाधित बच्चों में प्रायः तीन प्रकार की शारीरिक असमर्थताएँ पाई जाती हैं— दृष्टि संबंधी, श्रवण और वाक् संबंधी तथा अस्थि संबंधी। दृष्टि संबंधी असमर्थता वाले अथवा सीमित दृष्टि वाले बालक नज़र अधिक कमजोर होने के कारण उन क्षमताओं से वंचित होते हैं जो पठन योग्यता के अर्जन में सहायक हैं। श्रवण तथा वाक् संबंधी असमर्थता वाले बालक श्रवण तथा वाक् शक्ति से काफी सीमा तक वंचित होते हैं, अतः वे बहुत ऊँचा सुनने के कारण बोलने तथा पढ़ने में कठिनाई अनुभव करते हैं। ऐसे बालक शिक्षा प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग अधिक करते हैं। अस्थि संबंधी असमर्थता वाले बालक जिन्हें मांसपेशियाँ या जोड़ों में विकार के कारण उठने-बैठने, चलने-फिरने तथा लेखन सामग्री पकड़ने में कठिनाई होती है उन्हें पढ़ने की अपेक्षा लिखने में अधिक कठिनाई होती है। अतः यहाँ केवल दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों की पठन संबंधी कठिनाइयों के निदान तथा उपचारात्मक सहायता के संबंध में कुछ मार्गनिर्देश दिए गए हैं ताकि अध्यापक उन्हें अपनाकर उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ना सिखा सकें। वागेन्द्रिय विकार वाले बालकों की पठन संबंधी कठिनाइयों के निदान एवं उपचार के लिए मॉड्यूल-7 (7.2.3) देखें।

1. **दृष्टि बाधित बालकों के पठन कौशल का निदान और उपचार**

वे बच्चे जिनकी आँखों में अभी कुछ रोशनी बाकी है, या सीमित रोशनी है, कई नामों से जाने जाते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. के विशेष शिक्षा विशेषज्ञों ने इन्हें "शेष दृष्टि वाले बालक" नाम दिया है। इन बच्चों की शेष बची हुई तथा सीमित रोशनी का प्रयोग विशेष युक्तियाँ अपनाकर मुद्रित सामग्री पढ़ने में किया जा सकता है, या ये बच्चे विशेष सहायता उपकरणों से तथा कक्षा में बेहतर प्रकार की व्यवस्था करके सामान्य बच्चों के साथ मुद्रित सामग्री पढ़ सकते हैं।

पहचान : ऐसे बच्चों की पहचान अध्यापक स्वयं निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं :

1. **आँखें देखकर** : ऐसे बच्चों की आँखें तिरछी अथवा भैंगी दिखती हैं। आँखें लाल रहती हैं तथा उनसे पानी बहता रहता है। आँखें बार-बार हिलती हैं। बच्चा उन्हें बार-बार मलता है।
2. **आँखों के प्रयोग संबंधी शिकायतें सुनकर** : ऐसे बच्चे अक्सर पढ़ते समय सिर दर्द, सिर चकराने, आँखों में दर्द, जलन तथा खुजली, किसी समय धुंधला दिखाई देने, शब्द और पंक्तियों के एक दूसरे में मिल जाने आदि की शिकायत करते हैं।
3. **पठन के समय बालक का व्यवहार देखकर** : पढ़ते समय सीमित दृष्टि वाले बालक अपना सिर पुस्तक या डैस्क के समीप ले जाते हैं। कभी त्योरियाँ चढ़ाते हैं तो कभी आवश्यकता से अधिक पलकें झपकाते हैं। उनका ध्यान पढ़ते समय शीघ्र बट जाता है और वे अपने स्थान से हट जाते हैं। पढ़ते समय लाइन खो जाने के भय से अक्सर लाइन पर उँगुली का प्रयोग करते हैं। इन्हें पुस्तक में लिखे या श्यामपट्ट पर लिखे परिचित तथा समान दिखाई देने वाले शब्दों को पहचानने तथा पढ़ने में कठिनाई होती है। वे तेज रोशनी में जाने से हिचकिचाते हैं। वे अक्सर उसी दिशा में देखते हैं जिस ओर से उन्हें बोलने वाले की आवाज़ सुनाई देती है।

उपचारात्मक सहायता के लिए मार्गदर्शक निर्देश

- बहुधा शेष या सीमित दृष्टि वाले बालकों में पठन के संबंध में आत्मविश्वास नहीं होता। अतएव यह आवश्यक है कि पठन से पूर्व उन्हें मानसिक तथा भावनात्मक दृष्टि से तैयार किया जाए। इसके लिए उन्हें सहज और अनौपचारिक शैक्षिक अनुभव दिए जाएँ। इस सबंध में विस्तृत चर्चा 8.2.2.1 में की जा चुकी है।
- इन बच्चों की विभिन्न आकार वाले आवर्धक काँच (मैग्नीफाईंग ग्लास) की सहायता से पढ़ने में मदद की जानी चाहिए। आवर्धक काँच के प्रयोग से अक्षरों तथा शब्दों का आकार बालक की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
- पठनारंभ सामान्यतः हम अर्थपूर्ण शब्दों या वाक्यों से करते हैं लेकिन सीमित दृष्टि वाले बच्चों को अक्षरों से पढ़ना सिखाएँ। अक्षर से शब्द तथा शब्द से वाक्य पर जाएँ। ये अक्षर इतने बड़े तथा विपरीत रंगों में होने चाहिएँ कि बच्चा आसानी से पढ़ सके। अक्षर बोध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टि संबंधी खेल तथा क्रियाकलाप कराएँ। उदाहरणार्थ फ्लैश कार्ड का प्रयोग करते हुए अक्षरों से परिचित कराना, मोटे आकार के अक्षर गत्ते पर काटकर उन्हें फैल्ट पेन्सिल से रंगने को कहना, विभिन्न अक्षरों के कार्डों में से अक्षर विशेष को उठाने और जोर से पढ़ने को कहना, समान दिखाई देने वाले लिपि चिह्नों जैसे—ब-व, प-फ, थ-य, भ-म-झ, ख-र-व आदि को भेद करके पढ़ने का अभ्यास कराना आदि।
- वर्णों तथा शब्दों का बोध कराने के लिए शब्दों के न्यूनतम जोड़े दिए जाएँ। इनमें दो प्रकार की स्थितियाँ हों। एक स्थिति में समान लगने वाले लिपि चिह्नों से बने शब्द हों जैसे—बार-वार, पल-फल, थम-यम,

भरना-झरना आदि। दूसरी प्रकार की स्थिति में वे शब्द हों जिनमें ध्वनि साम्य हो और एक ही ध्वनि के कारण भिन्न शब्द बनते हों, जैसे गल-घल, चल-छल, तोड़ा-घोड़ा, बारी-भारी आदि। शब्दों में तुलनात्मक विश्लेषण की सहायता से वे नए शब्दों और वाक्यों को पढ़ सकते हैं।

- पठित सामग्री के अक्षरों और शब्दों में ठीक दूरी होनी चाहिए। वे बहुत पास या बहुत दूर न लिखे हों।
- मात्राएँ, अनुस्वार तथा विराम चिह्नों का स्पष्ट प्रयोग होना चाहिए।
- शिक्षक को श्यामपट्ट या बच्चे की कापी पर इतना बड़ा लिखना चाहिए कि वह आसानी से पढ़ सके।
- रंगों की विषमता से भी सीमित दृष्टि वाले बच्चों की पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे—पीली या सफेद पृष्ठभूमि पर चमक रहित काले अक्षर पढ़ने में आसानी होती है।
- कक्षा में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे बच्चों को खुली खिड़की या किवाड़ के पास बिठाया जाए जिससे उन्हें स्वाभाविक प्रकाश मिल सके।
- पढ़ने के लिए आगे से उठा हुआ डैस्क या लकड़ी का समायोजक फट्टा भी सीमित दृष्टि वाले बच्चे के लिए उपयोगी हो सकता है जिसके ऊपरी हिस्से को बच्चे की सुविधा के अनुसार ऊपर-नीचे या आगे-पीछे किया जा सकता है।

2. **श्रवण बाधित बालकों के पठन कौशल का निदान और उपचार**

पहचान : इन बालकों की समस्या ध्वनि से संबंधित है। चूँकि ये ठीक ढंग से सुन नहीं पाते, अतएव, वर्णों तथा शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। श्रवण बाधित बच्चे लिपि चिह्नों को तो देख सकते हैं परन्तु ऊँचा सुनने के कारण भाषा की ध्वनियों से सही ढंग से उनका संबंध स्थापित नहीं कर पाते। सामान्यतया ये उच्चारण में स्थान संबंधी तथा प्रयत्न संबंधी दोनों प्रकार की त्रुटियाँ करते हैं। जैसे, 'क' और 'ख' के स्थान पर त, 'म' के स्थान पर प, 'ल' के स्थान पर य, 'द' के स्थान पर ल आदि अनेक प्रकार की उच्चारण की त्रुटियाँ करते हैं। ये बालक पठन के लिए दृष्टि का उपयोग अधिक करते हैं। निम्नलिखित लक्षणों से ऐसे बच्चों को आसानी से पहचाना जा सकता है :

1. कान का बहना
2. कान में दर्द की शिकायत करना
3. कान का खुजाना
4. सुनने के लिए कान पर हाथ रखकर एक ओर सिर झुकाना
5. बार-बार अध्यापक से वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि को दोहराने के लिए कहना
6. अध्यापक की बात सुनते समय उसके चेहरे पर दृष्टि जमाना
7. पढ़ते समय उच्चारण संबंधी त्रुटियाँ करना
8. क्रिया विशेषण तथा सहायक क्रियाओं को समझने में कठिनाई अनुभव करना।

उपचारात्मक सहायता के लिए मार्गदर्शक निर्देश

- जिन बच्चों को ठीक से सुनने में कठिनाई होती है उन्हें वर्णों तथा शब्दों को पढ़ना सिखाने के लिए अध्यापक को अपने पास बिठाना चाहिए ताकि वे अच्छी तरह सुनकर उन्हें दोहरा सकें।
- पाठ्यपुस्तक से पढ़ते समय या श्यामपट्ट पर लिख कर बोलते समय इन बच्चों को अध्यापक के होंठ हिलते हुए दिखाई पड़ने चाहिएँ ताकि होंठ के हिलने से वे यह पता लगा सकें कि क्या कहा जा रहा है और किस शब्द या ध्वनि का उच्चारण कैसे किया जा रहा है। इससे ध्वनि विभेदीकरण करने में सहायता मिलती है।
- उच्चारण संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए ऐसे शब्दों को बोलने का अभ्यास कराना चाहिए जिनमें विभिन्न ध्वनियाँ शब्द के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में आती हैं।

- ये बालक निकट संपर्क वाले तथा स्थूल संज्ञा तथा क्रिया शब्दों को तो पढ़ना सीख लेते हैं परन्तु क्रिया 'विशेषण तथा सहायक क्रियाओं जैसे सूक्ष्म शब्दों को समझने में उन्हें कठिनाई होती है। उनकी यह कमी ऐसी स्थूल संकल्पना वाली संज्ञाओं और क्रियाओं की सहायता से पूरी की जा सकती है जो उनके सामने समस्यापूर्ण शब्दों का स्थूल रूप प्रस्तुत करती हों।
- इन बालकों में पठन कौशल का विकास करने के लिए छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए।
- इन बच्चों को अलग से या समूह में शब्द-चित्रों, चित्र कथाओं, क्रियाकलाप युक्त वाक्यों आदि की सहायता से सस्वर पठन करना सिखाएँ।

3. मानसिक रूप से बाधित बालकों के पठन कौशल का निदान और उपचार

पहचान : मानसिक तथा बौद्धिक विकास में अवरुद्धता के कारण इन बालकों की अवधान तथा स्मरण शक्ति कमजोर होती है। ऐसे बच्चों को निम्नलिखित लक्षणों से आसानी से पहचाना जा सकता है—

1. वर्णों तथा शब्दों को सामान्य बच्चों की अपेक्षा देर से पहचानना सीखना।
2. सीखे हुए वर्णों, शब्दों तथा मात्रा चिह्नों को कुछ समय बाद ही भूल जाना।
3. अनुतान और बलाघात की उपेक्षा करके पढ़ना।
4. विराम चिह्नों की उपेक्षा करके पढ़ना।
5. अशुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ना।
6. कक्षा में इधर-उधर देखना।
7. बार-बार एक ही वर्ण, शब्द तथा वाक्य को दोहराने के लिए कहना।
8. अपने को हीन समझना तथा दूसरों के सामने सस्वर वाचन करने से घबड़ाना।

उपचारात्मक सहायता के लिए मार्गदर्शक निर्देश

- इन बच्चों को अभ्यास और आवृत्ति की आवश्यकता सामान्य बच्चों से अधिक होती है। उन्हें वर्णों, शब्दों तथा मात्रा चिह्नों का उच्चारण-अभ्यास बार-बार कराएँ।
- जिन वर्णों या शब्दों की पढ़ने की अशुद्धियाँ वे अक्सर करते हैं उनकी सूची बनाएँ तथा उन वर्णों को मूर्त या ठोस वस्तुओं के माध्यम से पढ़ना सिखाएँ, जैसे—वर्ण विशेष की आकृति, चित्र, फ्लैश कार्ड दिखाकर उसे पढ़ने का अभ्यास कराना।
- पठन में रुचि उत्पन्न करने के लिए शब्दों, वाक्यों आदि के खेल बनाएँ तथा उनका कक्षा में आवश्यकतानुसार प्रयोग करें।
- सही सस्वर वाचन करने पर इन बच्चों की तुरन्त प्रशंसा करें।

ऊपर बताए गए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए सहपाठी अनुशिक्षण तकनीक का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए इनके सहपाठियों को प्रोत्साहित करें कि इनके साथ घुल-मिल जाएँ और सस्वर पठन करने में उनकी सहायता करें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ कक्षा चार के दो विद्यार्थियों से अनुच्छेद, वाक्य तथा शब्द पढ़वाइए और उनकी कमियों को अंकित कीजिए।	कमियाँ अंकित कीजिए
❑ सीमित दृष्टि वाले अथवा श्रवण बाधित किसी एक बालक को पहचान कर उसकी पठन संबंधी कठिनाइयों को कम करने के उपाय कीजिए।	निदान एवं उपचार कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. पठन शिक्षण विधियों पर विचार निम्नलिखित स्तरों पर किया जाना चाहिए—
   (क) पठनारंभ की तैयारी (ख) पठनारंभ योग्यता
   (ग) प्राथमिक कक्षाएँ (घ) उच्च प्राथमिक कक्षाएँ।
2. पठनारंभ की तैयारी के लिए क्रिया आधारित अनुभव उपयोगी है। श्रवण बाधित बालकों की दृष्टि-शक्ति और सीमित दृष्टि वाले बालकों की स्पर्शानुभूति तथा श्रवण शक्ति का उपयोग करना चाहिए।
3. वर्णबोध शिक्षण विधियाँ हैं—वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि तथा व्यावहारिक या संयुक्त विधि।
4. प्राथमिक कक्षाओं में वाक्य पठन विधि तथा शब्द और पदबंध पठन विधि पर पृथक्-पृथक विचार करना चाहिए।
5. निबन्ध, जीवनी, कहानी, संवाद, पत्र तथा कविता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पठन शिक्षण विधि अपनानी चाहिए।
6. कक्षा 1 से 5 तक पठन सूचनात्मक तथा व्याख्यात्मक स्तर पर कराना चाहिए और कक्षा 6 से 8 तक सर्जनात्मक स्तर पर भी पठन कराना चाहिए।
7. विद्यार्थियों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए आवश्यक कारक हैं— पठन का वातावरण, पठन की सुविधाएँ तथा पठन-रुचि के लिए किए जाने वाले प्रयास।
8. पठन कौशन तथा योग्यता के मूल्यांकन में सभी आयामों को स्थान देना चाहिए। परीक्षण सामग्री को कक्षानुसार विकसित करना चाहिए।
9. पठन कौशल और योग्यता दोनों का अलग-अलग निदान और उपचार होना चाहिए।
10. विशेष आवश्यकता वाले बालकों, यथा—दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वागेन्द्रिय बाधित तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों के पठन कौशल तथा योग्यता का निदान और उपचार करने के लिए विशेष शिक्षण युक्तियाँ तथा उपकरण अपनाने चाहिएँ।

मूल्यांकन

1. भारतीय विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में पठनारंभ योग्यता का महत्त्व बताइए।
2. वर्ण शिक्षण विधियों की विशेषता तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए।
3. प्राथमिक कक्षाओं के लिए वाक्य-पठन विधि की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए।
4. विभिन्न विधाओं का पठन कराते समय आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे?
5. आप पठन कौशल का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे?
6. सीमित दृष्टि वाले अथवा श्रवण बाधित बच्चों की पठन संबंधी कठिनाइयों का निदान और उपचार कैसे करेंगे?

कैप्सूल 8.3
पाठ योजना

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल को पढ़ने के बाद आप पठन शिक्षण के लिए पाठ योजना बना सकेंगे।

पाठ योजना के उदाहरण के लिए एन.सी.ई.आर.टी. की पाँचवीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक—बाल भारती, भाग-5, प्रथम संस्करण का पाँचवाँ पाठ "हम और हमारा स्वास्थ्य" लिया जा रहा है। इस पाठ में पठन संबंधी निम्नलिखित बातें ली गई हैं :

1. कक्षा स्तर – पाँच
2. पठन सामग्री – अनुच्छेदों में वाक्य एवं शब्द
3. पठन के प्रकार – सस्वर तथा मौन
4. पठन के पक्ष – संदर्भ—स्वास्थ्य
   विषयवस्तु—स्वास्थ्य का महत्त्व, तन की सफाई, घर-पड़ोस की सफाई, शुद्ध जल, भोजन, हवा तथा व्यायाम।
   भाषा—विभिन्न प्रकार के वाक्य तथा चौदह नए शब्द।
   विधा—निबंध
5. पठन के स्तर – सूचनात्मक, व्याख्यात्मक तथा सर्जनात्मक

उपर्युक्त पाठ को निम्नलिखित इकाइयों में विभाजित करके दो दिन में पढ़ाना उचित होगा :

विषयवस्तु

1. पहले तीन अनुच्छेद – स्वास्थ्य का महत्त्व
2. 4-6 अनुच्छेद – तन की सफाई
3. 7-8 अनुच्छेद – घर-पड़ोस की सफाई
4. 9-11 अनुच्छेद – शुद्ध जल व भोजन
5. 12-14 अनुच्छेद – शुद्ध हवा तथा व्यायाम

पाठ योजना

कक्षा : पाँच

विषय : पठन शिक्षण (गद्य पाठ)

विद्यार्थियों की औसत आयु : 11 वर्ष

शीर्षक : हम और हमारा स्वास्थ्य

उद्देश्य :

इस पाठ के अध्ययन के उपरांत विद्यार्थी :

1. मस्तिष्क, त्वचा, छिद्र, पोटेशियम, पौष्टिक, स्फूर्ति, योगाभ्यास आदि नए शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे तथा उनका अर्थ जान सकेंगे।
2. साधारण, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक संबोधनों तथा वाक्यों का भावानुरूप मुखर पठन कर सकेंगे।
3. मौन पठन द्वारा विषयवस्तु के विभिन्न स्तरों पर अर्थग्रहण करने की योग्यता विकसित कर सकेंगे।

पूर्वज्ञान : विद्यार्थी स्वास्थ्य के महत्त्व तथा उसके लिए आवश्यक बातों से परिचित हैं।

प्रस्तावना

प्रश्न : 1 जब आप बीमार हो जाते हैं तो क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं?

उत्तर : हम खेल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, अच्छी-अच्छी चीज़ें नहीं खा पाते।

प्रश्न : 2 आप बीमार न पड़ें, इसके लिए क्या-क्या करेंगे?

उत्तर : रोज़ नहाएंगे, गंदी चीज़ें नहीं खाएंगे, घर में और आस-पास सफाई रखेंगे।

उद्देश्य कथन : इस विषय पर विस्तार से जानने के लिए आज हम स्वास्थ्य संबंधी पाठ पढ़ेंगे।

निर्देश : आप अपनी पाठ्यपुस्तक का पाँचवाँ पाठ "हम और हमारा स्वास्थ्य" खोलिए।

पाठ का विकास : पाठ की पाँचों इकाइयों को एक-एक करके पढ़ाया जाएगा।

प्रथम इकाई : पहले तीन अनुच्छेद : निम्नलिखित सोपान अपनाए जाएंगे।

सोपान 1. सस्वर वाचन

(i) अध्यापक के मार्गदर्शन में निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कराया जाएगा—स्वास्थ्य, अत्यंत, स्वस्थ, प्रसन्न, उल्लास, हृदय, अस्वस्थ, स्वभाव, मस्तिष्क, स्वच्छता।

(ii) तीसरे अनुच्छेद के पहले प्रश्नवाचक वाक्य का उच्चारण कराया जाएगा।

(iii) तीसरे अनुच्छेद में "स्वच्छता" का उच्चारण कराया जाएगा।

(iv) अध्यापक या किसी एक विद्यार्थी द्वारा आदर्श वाचन।

(v) कुछ विद्यार्थियों द्वारा सस्वर वाचन।

(vi) सस्वर वाचन में हुई त्रुटियों का संशोधन।

सोपान 2. मौन पठन—मौन पठन का उद्देश्य अर्थग्रहण करने की योग्यता का विकास करना है। इसके लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रश्न दिए जाएंगे :

प्रश्न : 1. स्वस्थ व्यक्ति कैसा दिखाई देता है? (सूचनात्मक स्तर)

प्रश्न : 2. अस्वस्थ व्यक्ति कैसा दिखाई देता है? (सूचनात्मक स्तर)

प्रश्न : 3. स्वस्थ रहने के लिए पहली आवश्यकता क्या है? (सूचनात्मक स्तर)

प्रश्न : 4 मन की स्वच्छता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। (व्याख्यात्मक स्तर)

प्रश्न : 5 कौन सी स्वच्छता सबसे अधिक आवश्यक है? (सर्जनात्मक स्तर)

नोट : विद्यार्थियों द्वारा प्रश्नों के उत्तरों पर यथावश्यक चर्चा की जाएगी। अध्यापक का कार्य मार्गदर्शन तथा संयोजन होगा।

मूल्यांकनः विद्यार्थियों की संप्राप्ति का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न-अभ्यास दिए जाएंगे :

1. कठिन शब्दों का उच्चारण कराना
2. कठिन शब्दों के अर्थ पूछना
3. कुछ विद्यार्थियों से अनुच्छेदों का सस्वर वाचन कराना
4. विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे :
   (क) स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या महत्त्व है?
   (ख) सदैव स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

विशेष : इसी प्रकार दूसरी इकाई की शिक्षण योजना बनाएँ।

गृहकार्य : गृहकार्य में भाषा संबंधी और सामान्य व्यवहार संबंधी दोनों प्रकार का कार्य दिया जा सकता है, यथा—

1. स्वच्छता के महत्त्व के संबंध में परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए।
2. अपने घर की सफाई में अपने माता-पिता की सहायता कीजिए।

अभ्यास कार्य

- ❑ इस पाठ की अन्य इकाइयों पर पाठ-योजनाएँ बनाइए।
- ❑ कक्षा छह की पाठ्यपुस्तक के एक गद्य पाठ की विषय-वस्तु बताते हुए, विषयवस्तु के आधार पर उसकी शिक्षण इकाइयाँ बनाइए।

निर्देश

पाठ योजना निर्माण कीजिए

शिक्षण इकाइयाँ बनाइए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. पाठ योजना बनाने के लिए अध्यापक को कक्षा का स्तर, पठन सामग्री, प्रकार, पक्ष तथा अर्थग्रहण के स्तर के संबंध में निर्णय लेना चाहिए।
2. पाठ की विषयवस्तु के आधार पर शिक्षण इकाई बनानी चाहिए।
3. सामान्य उद्देश्यों के अतिरिक्त इकाइयों के विशेष शिक्षण उद्देश्य निश्चित करने चाहिएँ।
4. पाठ योजना के सोपान हैं—पूर्वज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, पाठ का विकास, मूल्यांकन तथा गृहकार्य।

मॉड्यूल-9

लेखन कौशल शिक्षण

9.0 प्रस्तावना

लेखन-कला मानव समाज का एक महत्त्वपूर्ण आविष्कार है। इसने वर्तमान रूप में पहुँचते-पहुँचते सहस्त्रों वर्षों की यात्रा तय की है। सभ्यता के विकास के साथ मानव ने अपने भावों को चित्रित करने के स्थान पर ध्वनियों को चित्रों के प्रतीकों के माध्यम से अंकित करना सीखा और इस प्रकार लिपि का आविष्कार हुआ। अतः लिपि चिह्न मान्य ध्वनियों के लिए स्वीकृत भिन्न-भिन्न आकृति प्रतीक हैं, जैसे— हिंदी भाषा में "कमल" शब्द में उच्चरित "क", "म" तथा "ल" की ध्वनियों के लिए **क**, **म** तथा **ल** आकृति प्रतीक हैं।

लेखन-कला के विकास का ही यह परिणाम है कि मनुष्य का अर्जित ज्ञान लिपिबद्ध रूप में प्राप्त है। आज हम लेखन के बिना सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः लेखन कला में कुशलता का विकास शिक्षण का महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है।

इस मॉड्यूल में लेखन कौशल के निम्नलिखित चार कैप्सूलों को समाहित किया गया है :

कैप्सूल 9.1 में लेखन की प्रकृति तथा लेखन के प्रकार पर प्रकाश डाला गया है।

कैप्सूल 9.2 में लेखन-आरंभ योग्यता, लेखन शिक्षण विधियों, लेखन-मूल्यांकन तथा लेखन दोष और उनके निवारण के उपायों पर चर्चा की गई है।

कैप्सूल 9.3 में हिंदी वर्तनी के विभिन्न पहलुओं को चर्चा का विषय बनाया गया है।

कैप्सूल 9.4 में लेखन कौशल शिक्षण से संबंधित पाठ योजना का एक नमूना दिया गया है।

कैप्सूल 9.1

लेखन कौशल

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात आप—

1. लेखन की प्रकृति को समझ कर उस पर चर्चा कर सकेंगे।
2. लेखन के विभिन्न प्रकार यथा— सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख के महत्त्व को समझकर उनका उपयोग कर सकेंगे।

9.1.1 लेखन की प्रकृति

लेखन एक कला है जो दो चरणों में विकसित होती है। पहला चरण भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करके उनको शुद्ध, सुपाठ्य एवं सुंदर रूप में प्रस्तुत करने की कुशलता से संबंधित है तो दूसरे चरण में लिपि-प्रतीकों के माध्यम से अपने भावों/विचारों की सुस्पष्ट, अर्थपूर्ण एवं प्रभावी अभिव्यक्ति की योग्यता सन्निहित है। शिक्षक के नाते हमें इन दोनों पक्षों के समुचित विकास का प्रयत्न करना चाहिए।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुँचते-पहुँचते विद्यार्थियों में लेखन के उपरोक्त दोनों पक्षों का उचित विकास होने से लेखन के समय उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। लेखन कौशल संबंधी अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का विस्तृत विवरण मॉड्यूल 1 (कैप्सूल 1.2) में दिया जा चुका है।

9.1.2 लेखन के प्रकार

देवनागरी लिपि की मानक वर्णमाला (मॉड्यूल 3 के कैप्सूल 3.1 को पुनः देखें) के ज्ञान के बाद विद्यार्थियों को लेखन अभ्यास कराया जाता है। आप अपने शिक्षण अभ्यास के समय इस प्रकार का अभ्यास विद्यार्थियों से कराएँ। सामान्यतया यह अभ्यास तीन प्रकार का होता है : सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख।

1. **सुलेख** : सुन्दर लेख को सुलेख कहते हैं। यह लेखन का प्रथम और आवश्यक गुण है। सुलेख लिखते समय वर्ण के विभिन्न अवयवों की बनावट, उनकी स्पष्टता तथा सुडौलता, वर्णों में स्वर-मात्राओं का उचित योग, वर्ण से वर्ण और शब्द से शब्द के बीच की उचित दूरी, सीधी शिरोरेखा आदि बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अभ्यास के लिए लिपि या मानक रूप मोटे अक्षरों में श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए। देवनागरी लिपि के लेखन के लिए चार रेखाओं वाली अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अनुसार मध्य की दो लाइनों में वर्ण लिखें तो ऊपर और नीचे की लाइनों को मात्रा लगाने के लिए काम में लाएँ। पहली तथा दूसरी कक्षा में सुलेख लेखन के लिए अलग से समय निर्धारित होना चाहिए।
2. **अनुलेख** : अनुलेख से अभिप्राय है श्यामपट्ट अथवा पुस्तक की सामग्री को ज्यों का त्यों देखकर लेख लिखना। अनुलेख का मुख्य उद्देश्य है—शुद्ध वर्तनी सहित लेखन का अभ्यास कराना। अनुलेख में सुलेश का ध्यान रखना चाहिए। कक्षा एक, दो तथा तीन तक इस प्रकार का अभ्यास बहुत उपयोगी रहता है। गृहकार्य के रूप में इस प्रकार का अभ्यास लाभकारी रहता है। सप्ताह में इसे दो-तीन बार दिया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि इस कार्य की जाँच अवश्य की जाए। अनुलेख अभ्यास पुस्तिका के आधे या एक पृष्ठ से अधिक न हो।
3. **श्रुतलेख** : सुनकर लिखे गए लेख को श्रुतलेख कहते हैं। इसका उद्देश्य वक्ता द्वारा उच्चरित ध्वनियों को कान लगाकर सुनना तथा तदनुरूप उचित गति स्पष्टता एवं शुद्धता से लिखने का स्वच्छतापूर्वक अभ्यास करना है।

श्रुतलेख सूक्ष्म ध्वनि भेद वाले वर्णों तथा ड-ढ, ढ-ढ़, ड-ड़ आदि का लेखन अथवा ह्रस्व-दीर्घ मात्रा के श्रवण अभ्यास के लिए देना अधिक उपयुक्त रहता है। दूसरी तथा तीसरी कक्षा में यह लेखन कठिन शब्दों (मस्जिद, मक्खन, गृह, ग्रह) तथा सरल वाक्यों के रूप में हो सकता है। उच्च कक्षाओं में विद्यार्थियों को कोई पाठ सावधानी पूर्वक पढ़कर आने को कहा जा सकता है और उसके किसी अंश का श्रुतलेख दिया जा सकता है। विराम चिह्नों को ध्वनि या उच्चारण के आधार पर सावधानी से सुनने को आधार बनाकर श्रुतलेख की सामग्री की रचना की जा सकती है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सप्ताह में एक दो दिन श्रुतलेख अवश्य दिया जाना चाहिए।

श्रुतलेख की जाँच की कई विधियाँ हो सकती हैं। विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं को व्यक्तिगत जाँच द्वारा, शुद्ध लेखन लिखने वाले विद्यार्थियों की सहायता से तथा कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को स्वयं जाँच करने का अवसर देकर अशुद्धि शोधन हो सकता है। ऐसा करते समय कक्षा के स्तर का विशेष ध्यान रखा जाए। कक्षा में अशुद्धियों का सुधार हो जाने के बाद विद्यार्थियों से उनके शुद्ध लेखन का अभ्यास अवश्य कराया जाए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ प्रशिक्षण संस्थान में लेख-सुधार-श्यामपट्ट पर सुलेख में सुरुचिपूर्ण सूक्तियाँ लिखें।	अभ्यास कीजिए
❑ प्रशिक्षण अभ्यास के समय कुछ वर्णों का खंडशः लेखन सुलेख की दृष्टि से कराएँ।	अभ्यास कराइए
❑ अनुलेख के लिए एक ऐसे अनुच्छेद को श्यामपट्ट पर लिखें जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनि भेद पर आधारित अधिकाधिक शब्दों का प्रयोग हो, यथा— हंस की क्रीड़ा को देखकर हम हँस पड़े। तत्पश्चात् विद्यार्थियों से उसका अनुलेख कराएँ।	लिखिए तथा अभ्यास कीजिए
❑ श्रुतलेख के लिए एक ऐसे सार्थक अनुच्छेद का निर्माण करें जिसमें ख, ष, ज्ञ, ण, ध, भ, श आदि वर्णों का विशेष रूप से प्रयोग हो जैसे— खरगोश झाड़ी को छलाँगता हुआ प्राण बचा कर भागा। इस प्रकार के अनुच्छेदों का श्रुतलेख दें तथा उसकी जाँच भी करें।	निर्माण कीजिए श्रुतलेख दीजिए तथा उसकी जाँच कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

लेखन कला समाज का एक महत्त्वपूर्ण आविष्कार है। इसके विकास की लम्बी परम्परा है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इसका विकास अपने ढंग से हुआ है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेखन में प्रत्येक लिपि चिह्न किसी ध्वनि का प्रतीक है। लेखन कला में भाषा की विभिन्न ध्वनियों को लिपिबद्ध करके शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने से लेकर भावों तथा विचारों की सुस्पष्ट एवं प्रभावी अभिव्यक्ति करना तक सम्मिलित है।

देवनागरी लिपि विकासमान लिपि है और इसका मानक रूप अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। लेखन के कई प्रकार हैं—सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख आदि। अध्यापक को इन तीनों प्रकार के लेखन का समुचित अभ्यास कराना चाहिए।

मूल्यांकन

1. लेखन की प्रकृति से आप क्या समझते हैं?
2. सुलेख और अनुलेख के शिक्षण के उद्देश्यों में क्या-क्या भिन्नता है?
3. श्रुतलेख की तैयारी के लिए किन-किन उपायों पर विचार करना चाहिए?

कैप्सूल 9.2

लेखन शिक्षण की विधियाँ तथा लेखन का मूल्यांकन

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल की सामग्री पढ़ने तथा इस पर आधारित व्यावहारिक कार्य करने के बाद आप—

1. लेखनारंभ योग्यता के विकास के महत्त्व को बता सकेंगे और उसके लिए उचित विधि का प्रयोग कर सकेंगे।
2. लेखन शिक्षण विधियों से परिचित होकर आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग कर सकेंगे।
3. विशेष आवश्यकता वाले बालकों को लिखना सिखा सकेंगे।
4. लेखन कार्य का मूल्यांकन कर सकेंगे।
5. लेखन के मुख्य दोष तथा उनके कारण जानकर उनके निवारण के उपाय अपना सकेंगे।

9.2.1 लेखन की तैयारी

लेखनारंभ की तैयारी वर्ण लिखना सिखाने की प्रथम सीढ़ी है। वास्तविक लेखन में रुचि जगाने के लिए बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से लेखन के लिए तैयार करना श्रेयस्कर है। लेखनारंभ की तैयारी से अभिप्राय है बालक में उन गुणों का विकास करना जो वर्ण, शब्द तथा वाक्य लिखने की क्रिया में सहायक होते हैं।

लेखनारंभ की तैयारी के लिए निम्नलिखित अभ्यास अपेक्षित हैं :

1. उँगलियों की माँस पेशियों के संचालन का अभ्यास।
2. उँगलियों में लेखन सामग्री—पेंसिल, कलम, ब्रुश आदि पकड़ने का अभ्यास।
3. उचित लेखन मुद्रा में बैठने का अभ्यास।
4. लेखन सामग्री के उचित रख-रखाव का अभ्यास।
5. देवनागरी लिपि के वर्णों के आकृति-विभेद कर सकने का अभ्यास।
6. वर्णों की आकारगत सुडौलता की पहचान करने के अभ्यास।

विद्यार्थियों में लेखनारंभ की तैयारी के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं :

1. लकड़ी, गत्ते, प्लास्टिक आदि में ढले वर्णों के ऊपर या चारों ओर उँगली घुमाने या फेरने का अभ्यास।
2. बालू, स्लेट या कागज आदि पर इच्छानुसार रेखा खींचने का अभ्यास।
3. देवनागरी वर्णमाला में प्रयुक्त खड़ी रेखा, शिरोरेखा, विभिन्न प्रकार के वक्र या वृत्त बनाने का अभ्यास।
4. चित्र और उसके नाम से सह-संबंध के आधार पर चित्र के नीचे लिखे नाम के पहले वर्ण का उच्चारण अभ्यास।
5. कंकड़, तिनके आदि जोड़कर किसी वर्ण की आकृति बनाना।
6. बाएँ से दाएँ पेंसिल आदि चलाने का अभ्यास।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ लेखनारंभ की तैयारी के लिए आप बच्चों से कौन-कौन से अभ्यास कार्य करवाएँगे।	सूचीबद्ध कीजिए

9.2.2 लेखन शिक्षण की विधियाँ

10-15 दिन तक लेखनारंभ तैयारी संबंधी अभ्यास के बाद विद्यार्थियों को वास्तविक लेखन की ओर अग्रसर करना चाहिए। वास्तविक लेखन से पूर्व यह आवश्यक है कि विद्यार्थी

कुछ वर्णों को वाचन की दृष्टि से पहचानता हो तथा जिस शब्द में वह वर्ण प्रयुक्त हुआ है वह उसको पढ़ सकता हो और शब्द का अर्थ भी समझता हो।

कौन-सा वर्ण पहले सिखाया जाए, इस पर मतभेद हो सकता है। उदाहरण के लिए स्वरों में "अ" और व्यंजनों में "क" वर्ण आते हैं। यह आवश्यक नहीं कि इन्हीं वर्णों का लेखन उसी क्रम से सिखाया जाए। हम पठित शब्द के लेखन को प्राथमिकता दे सकते हैं और वह शब्द भी ऐसा जिसका पहला वर्ण लेखन की दृष्टि से सरल हो। जैसे—"नल", "बटन" आदि पठित शब्दों का पहला वर्ण क्रमशः "न" तथा "ब" है। ये दोनों वर्ण लेखन की दृष्टि से सुगम हैं अतः इन्हें पहले लिखना सिखाया जा सकता है। आइए, अब लेखन की विधियों पर संक्षिप्त चर्चा करें।

(क) **खंडशः लेखन विधि :** खंडशः लेखन विधि से अभिप्राय है कि जिस वर्ण को लिखना सिखाना है उसे खंडों अथवा अवयवों में बाँट लें और फिर उन्हें क्रमशः विकसित करके संपूर्ण वर्ण का रूप दें। जैसे—"व" वर्ण को लें। इसके अवयव या खंड हैं : C I : इन तीन अवयवों को जोड़िए—व।

इस प्रकार ब, न, त आदि वर्णों का खंडशः विभाजन किया जा सकता है।

वर्ण लिखना सिखाने में "सरलता से कठिनता की ओर", शिक्षण सूत्र को अपनाना चाहिए।

(ख) **रूपरेखा या रूप अनुसरण विधि :** इस विधि में पहले विद्यार्थी के सम्मुख बिन्दुओं के रूप में किसी वर्ण को उकेरा या लिखा जाता है। विद्यार्थी अध्यापक की देख-रेख में उस आकृति पर पेंसिल या कलम फेरता है और इस प्रकार उस वर्ण की आकृति स्पष्ट उभर आती है। विद्यार्थी को इसे देखकर सफलता की अनुभूति होती है। रूपरेखा को अधिक स्पष्ट करने के लिए इस पर तीर का चिह्न भी लगा दिया जाता है ताकि बच्चा उसी के अनुसार लेखनी चलाए। यथा—शिरोरेखा तथा खड़ी पाई के लिए क्रमशः ये चिह्न— → ↓ अपनाए जा सकते हैं।

(ग) **अनुलेखन विधि :** इस विधि के अनुसार श्यामपट्ट पर पूरा वर्ण लिख दिया जाता है। विद्यार्थी उसे देखकर स्वयं लिखता है। यदि लेखन आरंभ की तैयारी यथेष्ट की गई तो विद्यार्थी थोड़े प्रयत्न के बाद इस विधि से लिखना सीख लेगा। इस विधि के द्वारा क वर्ण, व वर्ण आदि के वर्ण क्रमानुसार लिखना सिखाए जाते हैं।

(घ) **तुलना विधि :** यदि उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई ऐसा विद्यार्थी प्रवेश पाता है जिसने गुरुमुखी, बंगला या गुजराती आदि के माध्यम से लिखना सीखा है तो उसके पूर्वज्ञान का लाभ देवनागरी लिपि शिक्षण में उठाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए ऐसे वर्णों की तुलनात्मक तालिका बनाइए जो हिंदी भाषा के वर्णों से मिलते हों। ऐसा करने से इस विद्यार्थी को लक्ष्य भाषा सीखने में आसानी रहेगी।

9.2.3 विशेष आवश्यकता वाले बालकों को लेखन सिखाना

कक्षा में दो-चार बालक ऐसे भी होते हैं या हो सकते हैं जो ऊँचा सुनते हों या जिनकी नज़र कमजोर हो। शरीर के ऊपरी अंग, जैसे—हाथ, उँगली, अँगूठा, कमर आदि में कोई अस्थि विकार होने के कारण लेखन सामग्री को पकड़ने या उचित मुद्रा में बैठकर लिखने में जिन्हें असुविधा होती हो। मानसिक रूप से बाधित होने के कारण कुछेक बालकों की लेखन कौशल सीखने की गति सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी हो तथा बार-बार अभ्यास कराने पर भी लेखन के अनुकरण में वे उनसे पिछड़े रहते हों। इन विशेष आवश्यकता वाले बालकों की लेखन संबंधी कठिनाइयों को आरंभ में ही जानना तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की विधियों पर ध्यान देना अनिवार्य है।

उपचारात्मक सहायता के लिए मार्गदर्शक निर्देश : विशेष आवश्यकता वाले बालकों को लिखना सिखाने के लिए

निम्नलिखित मार्गदर्शक निर्देश सुझाए जाते हैं :

1. दृष्टिदोषयुक्त अथवा शेष दृष्टि वाले बालकों को लिखना सिखाने के लिए देवनागरी हिंदी में प्रयुक्त रेखाओं की नकल करने का अभ्यास कराएँ। इसके लिए मोटी, चौड़ी और चटक रेखाओं का प्रयोग उपयुक्त है। सफेद या पीले रंग के कागज पर काली स्याही ऐसे बच्चों के लिए सर्वोत्तम है। इन बालकों के लिए आगे से उठे हुए डेस्क या लकड़ी के समायोजक (एडजस्टिंग) फट्टे का प्रयोग करें क्योंकि नज़र कमजोर होने के कारण समतल सतह पर लिखते समय नाक और कलम बीच में आ जाती है। अध्यापक वर्णों तथा शब्दों के साधारण कार्ड बनाकर उनका अनुरेखन करने और उनमें रंग भरने को दें। इससे बालक को वर्णों तथा शब्दों की सीमाओं और उनके लिखने के रूप का ज्ञान हो जाता है। सूक्ष्म अंतर वाले वर्णों (प-य, व-ब, ट-ढ, ध-घ, त-न आदि) की बनावट की ओर उनका विशेष ध्यान दिलाएँ। इसी प्रकार स्वर मात्रा (े, ै, ो, ौ) लिखने का अतिरिक्त अभ्यास कराएँ। ऐसे बालकों से कहें कि वह बड़े आकार की कॉपी (जैसी आलेख या ड्राइंग में प्रयोग करते हैं) में मोटी कलम से लिखें और वर्णों तथा शब्दों की दूरी कुछ अधिक रखें।
2. श्रवण दोषयुक्त बालक क-ख, च-छ, ट-ठ आदि ध्वनियों में सरलता से भेद नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप वे वर्तनी की अशुद्धियाँ अधिक करते हैं। श्रुतलेख लिखवाते समय इन बच्चों को आगे की पंक्ति में बिठाएँ तथा प्रत्येक शब्द का कुछ ऊँची आवाज़ में तथा धीमी गति से उच्चारण करें। श्यामपट्ट पर लिखते हुए जब आप कुछ बोल रहे हों तो आपका चेहरा इन बच्चों की ओर होना चाहिए न कि श्यामपट्ट की ओर। इसलिए अध्यापक को बोलते समय घूमना नहीं चाहिए।
3. शरीर के ऊपरी अंग में अस्थिदोष वाले बालक को लेखन सामग्री को पकड़ने में असुविधा होती है। उँगली या हाथ के किसी भाग में टेढ़ापन होने अथवा कमर में कोई अस्थिदोष होने के कारण वह इच्छा होते हुए भी वर्ण का मानक रूप नहीं लिख पाता। लिखने के लिए उन्हें विशेष प्रकार के सहायता उपकरणों की आवश्यकता होती है। विशेष प्रकार की पेंसिलें या होल्डर, विभिन्न वर्णों के आकार वाले प्लास्टिक स्टेंड, पन्ना पलटने में मदद करने वाले उपकरण, कलम को थामने के लिए सहायक उपकरण, लकड़ी के समायोजक फट्टे या डेस्क आदि उपलब्ध कराएँ। श्रुतलेख देते समय शब्द का धीमी गति से उच्चारण करें। इनके लेखन कार्य का मूल्यांकन करते समय उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएँ।
4. मंदबुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों की अवधानशक्ति तथा स्मरणशक्ति कक्षा के अन्य बच्चों की अपेक्षा कमजोर होती है। लिखना सीखते समय वे वर्णों, शब्दों, मात्राओं आदि पर ठीक प्रकार से ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को उच्चारण सहित लिखने का अभ्यास कराएँ। वर्णों तथा शब्दों के रंग-बिरंगे कार्ड बनाकर उनका बार-बार अनुरेखन करने को कहें। वाक्यों को श्यामपट्ट पर मोटे आकार में लिखकर उनका आवृत्यात्मक अनुलेख कराएँ तथा श्रुतलेख के पश्चात् सही की गई वर्तनी संबंधी त्रुटियों का बार-बार अभ्यास कराएँ।

उपर्युक्त वर्णित इन विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए सहपाठी अनुशिक्षण तकनीक का प्रयोग करें। इनके सहपाठियों को प्रोत्साहित करें कि वे इनके साथ घुल-मिल जाएँ और लिखना सीखने में उनकी सहायता करें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ शिक्षण अभ्यास विद्यालय की प्रथम कक्षा के अध्यापक से संपर्क करें और कक्षा अध्यापक के सहयोग से विद्यार्थियों को 8-10 वर्ण खंडशः विधि से लिखना सिखाएँ और अपने अनुभवों को लेखनीबद्ध करें।	अभ्यास कीजिए तथा प्रतिवेदन लिखिए
❑ शिक्षण अभ्यास विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले किसी एक विद्यार्थी के लेखन सीखने में आने वाली बाधाओं का प्रेक्षण करें तथा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सुझाव दें कि इन बाधाओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है।	प्रेक्षण के आधार पर सुझाव दीजिए

9.2.4 लेखन का मूल्यांकन

लेखन की अशुद्धियों का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। इसके द्वारा आप विद्यार्थियों को उनकी स्थिति से अवगत करा सकते हैं, स्वयं अपनी लेखन शिक्षण विधि में सुधार कर सकते हैं, अशुद्धियों के कारणों की जाँच करके अशुद्धियों का वर्गीकरण कर सकते हैं और उनके अनुसार उपचार कार्य कर सकते हैं।

लेखन मूल्यांकन के प्रमुख आधार बिन्दु : मूल्यांकन के आधार बिन्दु कक्षानुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, यथा—

1. **अक्षरों की बनावट तथा मात्राओं का संयोग :** पहली तथा दूसरी कक्षा में अक्षर विन्यास या लिपि की मूलभूत शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। अतः इस स्तर पर वर्णों की सुडौलता, वर्णों के समानानुपात आदि की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार वर्ण से वर्ण और शब्द से शब्द के बीच की दूरी भी मूल्यांकन का आधार है।

   वर्णों के साथ मात्राओं के उचित संयोग का भी मूल्यांकन में ध्यान रखा जाए।

2. **संयुक्ताक्षर का शुद्ध रूप :** कक्षा तीन और कक्षा चार में लगभग सभी संयुक्ताक्षर और व्यंजन-गुच्छ पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से बच्चा पढ़ लेता है। अतः इन कक्षाओं में हमारे मूल्यांकन बिन्दु अधिकतर यही होने चाहिएँ। आपकी सुविधा के लिए हम संयुक्ताक्षरों और व्यंजन गुच्छों के शुद्ध रूपों का एक बार फिर उल्लेख कर रहे हैं (पूर्व उल्लेख के लिए देखिए मॉड्यूल-3 कैप्सूल 3.2)। इससे आपको उनके मूल्यांकन में अपेक्षित सहायता मिल सकेगी।

व्यंजन-गुच्छ के कुछ नियम इस प्रकार हैं :

(1) जिन वर्णों के अंत में खड़ी पाई रहती है, उनकी पाई हटाकर दूसरा वर्ण मिलाया जाता है, जैसे—सुयोग् + य = ग्य।

(2) जिन वर्णों में बीच में खड़ी पाई होती है उनकी खड़ी पाई के बाद वाले अंश में दूसरा वर्ण मिलाया जाता है, जैसे—क्यारी, हफ्ता।

(3) जिन वर्णों के नीचे गोलाकार रूप होता है उनमें हल् चिह्न लगाकर वर्ण जोड़ा जाता है, जैसे—खट्टा।

(4) "र" संयोग निम्नलिखित रूप में होता है, जैसे—

   1. जब पूरा "र" स्वर रहित व्यंजनों में मिलता है तो पहले वर्ण के नीचे (्र) लगता है, जैसे—क्रम, ट्रक।
   2. जब पूरा "र" स्वर सहित व्यंजनों में मिलता है तो दूसरे वर्ण के ऊपर (र्‍) लगता है, जैसे—कर्म।

3. **सुलेख :** प्राथमिक स्तर पर शुद्ध लेखन के साथ-साथ सुलेख को भी मूल्यांकन का आधार माना जाए। उसके

लिए श्रुतलेख तथा सुलेख प्रतियोगिताएँ आयोजित करें। सुलेख के लिए कुछ अंक अलग से निश्चित किए जाएँ।

बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाओं की जाँच करते समय उनके प्रत्येक कार्य को सुविधा के लिए "क", "ख", "ग", "घ" की श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है पर बच्चों को हमेशा उच्च श्रेणी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें।

अभ्यास कार्य

- आप अपनी कक्षा में सामूहिक चर्चा द्वारा लेखन मूल्यांकन के आधारबिन्दु निश्चित कर लें, फिर पाँच-पाँच ग्रुपों में बाँटकर किन्हीं दस विद्यार्थियों के लेखन कार्य का मूल्यांकन करें। अंत में दिए गए अंक अथवा श्रेणी पर मतभेद के कारणों पर विचार-विमर्श करें।

निर्देश

सामूहिक चर्चा कीजिए तथा मूल्यांकन कीजिए

9.2.5 लेखन-दोष, कारण तथा निराकरण के उपाय

लेखन-दोष : मानक लिपि को शुद्ध रूप में न लिखना, लेखन में दोष कहलाता है। लेखन-दोष कई प्रकार के हो सकते हैं, यथा—मानक लिपि का शुद्ध अनुसरण न कर सकना, लेख सुपाठ्य न हो सकना, मात्राओं का उचित योग न कर सकना, वर्णों की बनावट सानुपाती न होना, शिरोरेखा सीधी न खींच पाना, पंक्ति को सीधा न लिख पाने के कारण वर्णों तथा शब्दों का ऊपर नीचे होना, लेखन सामग्री (कलम-दवात) ठीक न होने के कारण धुँधला या अस्पष्ट लेखन, अभ्यास की कमी के कारण वर्णों में भ्रम, वर्तनी की अशुद्धियाँ तथा विकलांगता के कारण लेखन-दोष, आदि।

लेखन-दोष के कारण : लेखन में दोष आने के कई कारण हो सकते हैं, यथा—

1. **लेखन सिखाने में उचित विधि को न अपनाना** : सामान्यतः देखा जाता है कि लेखनारंभ तैयारी कराने से पूर्व बालकों को वास्तविक लेखन में लगा दिया जाता है। खंडशः लेखन या रूपरेखा अनुसरण की विधि की जानकारी न होने के कारण आकारादिक्रम से पूरे वर्ण को लिखना सिखाना आरंभ कर दिया जाता है।
2. **अपरिपक्व अवस्था में लेखन** : अति उत्साही माता-पिता जगह-जगह खुले हुए पूर्व प्राथमिक केन्द्रों में बच्चों को भरती करवा देते हैं और उचित अवस्था से पूर्व ही हाथ में लेखन सामग्री पकड़ा दी जाती है। परिणामस्वरूप बच्चा ठीक से अभ्यास न होने के कारण मानक वर्णमाला का शुद्ध अनुकरण नहीं कर पाता। इस अवस्था में उँगलियों और मांसपेशियों का उचित समायोजन नहीं हो पाता। इसी कारण बच्चा उस सामग्री का उपयोग नहीं कर पाता और लेखनकार्य में प्रारंभ से ही दोष आ जाते हैं।
3. **उचित लेखन सामग्री का अभाव** : बच्चे के पास उचित लंबाई की कलम या पेंसिल भी नहीं होती और ऐसी हालत में उसे लिखना पड़ता है। तख्ती, स्लेट या कॉपी का आकार-प्रकार बच्चे की आवश्यकता से छोटा या बड़ा होता है। कई बार तख्ती की सतह बहुत खुरदरी होती है।
4. **उचित मार्गदर्शन का अभाव** : अनेक स्थितियों में बालक को माता-पिता तथा अध्यापक-अध्यापिका का उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। बच्चे के लेखन की

अशुद्धियों की ओर वे उचित ध्यान नहीं दे पाते। वे अच्छे लेखन के महत्त्व के प्रति उन्हें सजग और जागरूक नहीं बना पाते। बहुत कम विद्यालयों में सुलेख प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है।

5. **बच्चों को सुलेख के लिए उत्साहित न कर पाना :** अनेक बच्चे लेखन को भार मात्र समझते हैं।
6. **लिपि की अनभिज्ञता :** लिपि का सही-सही ज्ञान न होना भी लेखन-दोष का महत्त्वपूर्ण कारण है। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजन, स्वर की मात्राएँ, "रेफ" की स्थिति आदि का सही-सही ज्ञान न होने के कारण लेखन में अशुद्धियाँ आ जाती हैं।
7. **क्षेत्रीय भिन्नता :** हिंदी भाषा-भाषियों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। राजस्थान से बिहार तक हिंदी की उपबोलियों में विविधता है। परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों का उच्चारण, लिंग विधान, वचन-परिवर्तन विधि तथा कारकीय प्रयोग आदि शुद्ध न होने के कारण लेखन में अशुद्धियाँ आ जाती हैं।

लेखन-दोष निराकरण के उपाय : लेखन-दोष के प्रकार और कारणों के आधार पर इन दोषों का निराकरण संभव हैं। आइए, लेखन-दोष दूर करने के उपायों पर चर्चा करें।

1. **उचित अवस्था में लेखन कौशल सिखाएँ :** अल्पायु में लेखन कौशल न सिखाया जाए। 5+ वर्ष आयु वर्ग का बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से लिखना सीखने के योग्य हो जाता है। इस अवस्था से पूर्व लिखना सीखने का प्रयास उचित नहीं है।
2. **बालक के व्यक्तित्व का सम्मान :** हर बच्चे की अपनी शारीरिक और मानसिक सीमा है। प्रत्येक बालक के प्रति स्नेह और सम्मान का बर्ताव किया जाए और उसे उचित विधि से लेखन के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को लेखन सिखाने के लिए और भी सावधानी बरतनी चाहिए।
3. **उचित लेखन विधियों का प्रयोग :** पहले लेखन विधियों की चर्चा की जा चुकी है। वहाँ संकेत दिया जा चुका है कि वास्तविक लेखन सिखाने से पूर्व लेखन प्रारंभ तैयारी पर बल दिया जाना चाहिए। खंडशः लेखन विधि तथा रूपरेखा-अनुसरण विधि के प्रयोग से लेखन दोषों का निराकरण बहुत कुछ हो जाता है।
4. **व्यक्तिगत अशुद्धि संशोधन :** व्यक्तिगत स्तर पर अशुद्धि संशोधन के बिना लेखन दोषों का निराकरण कठिन है। प्राथमिक स्तर पर तो इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध लिखे गए शब्दों को उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका के अन्तिम 10-15 पृष्ठों में शुद्ध रूप में लिखने के लिए कहें और उनका अभ्यास कराएँ। उनसे कहा जाए कि सप्ताह में कम से कम एक बार उन शब्दों पर निगाह अवश्य डाल लें ताकि आवृत्ति से वे शब्द उनकी लिखित शब्दावली का सक्रिय भाग बन जाएँ। इस कार्य का समय-समय पर श्रुतलेख करवाएँ।

5. **उच्चारण अभ्यास :** विद्यार्थी जिन शब्दों को अशुद्ध लिखता है बहुत संभव है उसका कारण अशुद्ध उच्चारण हो। यथा— श-ष-स, प्र-पर, छ-क्ष, त्र-तर आदि का उच्चारण अशुद्ध होने से लेखन में भी दोष आ सकता है। अतः इन ध्वनियों से युक्त शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन का अभ्यास कराया जाए।
6. **श्रुतलेख का अभ्यास :** शब्दों के शुद्ध उच्चारण को सुनने, उचित गति से लिखने तथा अशुद्धियों की जाँच के लिए श्रुतलेख श्रेष्ठ साधन है। सप्ताह में एक-दो दिन श्रुतलेख के लिए अवश्य निश्चित कर लिया जाए। श्रुतलेख की चर्चा पहले (कैप्सूल 9.1) हो चुकी है।
7. **शुद्धि कोष :** यदि बहुलता से अशुद्ध लिखे जाने वाले शब्दों का आकारादिक्रम से कोष बना लिया जाए तो

अच्छा रहेगा। हर कक्षा की एक सीमित लिखित शब्दावली होती है। अतः यह कोष कक्षा के स्तर के अनुसार ही बनाना उचित होगा। कक्षा में ऐसे शुद्ध शब्दों की सूची भी लटकाई जाए।

अभ्यास कार्य

❑ किन्हीं दो कक्षाओं के 5-5 विद्यार्थियों की रचना कार्य में पाई जाने वाली अशुद्धियों का वर्गीकरण करें तथा अशुद्धियों के कारणों का पता लगाएँ।

निर्देश

अध्ययन कीजिए, वर्गीकरण कीजिए तथा निदान कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. लेखन सिखाने से पूर्व उन गुणों का विकास कराया जाता है जो वास्तविक लेखन में सहायक होंगे। इस प्रकार की क्रिया को लेखनारंभ योग्यता के विकास की क्रिया कहा जाता है।
2. वास्तविक लेखन शिक्षण की कई विधियाँ हैं, जैसे— खंडशः लेखन विधि, रूपरेखा अनुसरण विधि, अनुलेख विधि, तुलना विधि आदि।
3. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को कक्षा के सामान्य विद्यार्थियों के साथ लेखन सिखाते समय विशेष सावधानियाँ बरती जाती हैं तथा विशेष शिक्षण तकनीकें और सहायता उपकरण अपनाए जाते हैं।
4. लेखन की अशुद्धियों का मूल्यांकन करना अनिवार्य है। मूल्यांकन के आधार बिन्दु कक्षानुसार हो सकते हैं।
5. लेखन-दोष कई प्रकार के हैं और हर दोष का कोई न कोई कारण होता है। हर दोष के निराकरण का उपाय है।

मूल्यांकन

1. लेखनारंभ तैयारी क्या है? इस योग्यता का वास्तविक लेखन से क्या संबंध है?
2. बच्चों में लेखनारंभ तैयारी के विकास के लिए आप क्या उपाय करेंगे?
3. खंडशः लेखन विधि और रूपरेखा अनुसरण विधि में से आप किस विधि को लेखन सिखाने के लिए चुनना चाहेंगे और क्यों?
4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लेखन सिखाते समय आप किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे?
5. लेखन-दोष से क्या अभिप्राय है? लेखन-दोषों के कारणों को उदाहरण सहित लिखिए।
6. विद्यार्थियों के लेखन कार्य के मूल्यांकन के लिए क्या युक्ति अपनाएंगे?
7. कक्षा दो के विद्यार्थियों के लेखन-दोषों को दूर करने के लिए क्या उपाय अपनाएँगे?

कैप्सूल 9.3

वर्तनी शिक्षण

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल की सामग्री पढ़ने तथा अभ्यास कार्य करने के बाद आप—

1. वर्तनीगत समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया बता सकेंगे।
2. वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को पहचान कर उनका वर्गीकरण कर सकेंगे।
3. वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को सुधारने के उपाय अपना सकेंगे।

9.3.1 वर्तनीगत समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया

कैप्सूल 3.2.2 और 3.2.3 में आप हिंदी वर्तनी के नियम और समस्याओं का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। जैसा कि कैप्सूल 3.2.3 में उल्लेख किया गया है कि वर्तनी कि समस्याएँ और कारण जानने के उपरांत अध्यापक को विद्यार्थियों की वर्तनीगत समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक उपाय और तत्संबंधी अभ्यास कार्य का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार के आयोजन के लिए विद्यार्थियों के वर्तनीगत सामान्य दोषों का चयन और वर्गीकरण करके उसके आधार पर उपाय और अभ्यास कराना होगा। इस दृष्टि से वर्तनीगत समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए :

1. विद्यार्थियों की वर्तनीगत अशुद्धियों का चयन और वर्गीकरण;
2. अशुद्धियों के निराकरण के लिए अपेक्षित उपायों का निर्धारण तथा अभ्यास।

9.3.2 वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ और उनका वर्गीकरण : सामान्यतया विद्यार्थियों के लेखन कार्य में निम्नलिखित प्रकार की वर्तनीगत अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। शिक्षण की दृष्टि से उनको वर्गीकृत करना उपयोगी होगा—

1. **स्वर संबंधी अशुद्धियाँ :** लिखते समय विद्यार्थी प्रायः हृस्व तथा दीर्घ मात्रा चिह्नों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। कभी वे मात्राएँ लगाना भूल जाते हैं, कभी अनावश्यक या अशुद्ध मात्राएँ लगाते हैं और कभी जिस वर्ण पर मात्रा लगाई जानी चाहिए उस पर न लगाकर किसी अन्य वर्ण पर लगा देते हैं, यथा—

शुद्ध	अशुद्ध
बाज़ार	बजार (मात्रा का लोप)
दवाइयाँ	दवाईयाँ (अनावश्यक मात्रा का प्रयोग)
हिन्दू	हिन्दु (अशुद्ध मात्रा का प्रयोग)
ससुराल	सुसराल (मात्रा का स्थान परिवर्तन)

2. **व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ :** कभी-कभी विद्यार्थी शब्द लिखते समय किसी व्यंजन का लोप कर देते हैं, कभी उसके साथ अनावश्यक व्यंजन जोड़ देते हैं, कभी उसका स्थान परिवर्तन कर देते हैं, कभी आधे वर्ण के स्थान पर पूरा तथा पूरे के स्थान पर आधा लिख देते हैं, यथा—

शुद्ध	अशुद्ध
प्रकाश	परकाश (आधे वर्ण के स्थान पर पूरा वर्ण)
उज्ज्वल	उज्वल (व्यंजन का लोप)
दाढ़ी	डाढ़ी (स्थान परिवर्तन)
रोटी	रोट्टी (अनावश्यक व्यंजन का प्रयोग)

3. **संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ :** संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखते समय गलत उच्चारण के कारण विद्यार्थी निम्नलिखित अशुद्धियाँ करते हैं :

शुद्ध	अशुद्ध
परिश्रम	परिशरम
प्रह्लाद	प्रल्हाद
ज्ञान	ग्यान

4. **रेफ (र्) के योग में अशुद्धि :** ट्रेन, ड्रम, द्रव, क्रम,

कार्तिक, आशीर्वाद आदि शब्द लिखते समय रेफ संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं।

5. **वर्ग के पंचम व्यंजन में अशुद्धि :** देवनागरी लिपि में हर वर्ग का पंचम व्यंजन (ङ, ञ, ण, न, म) भिन्न हैं। जिस समय पंचम व्यंजन स्वर रहित हो और उसके आगे उस वर्ग का कोई अक्षर हो तो उसी वर्ग के पंचम व्यंजन का योग होता है अन्य वर्ग के पंचम व्यंजन का नहीं। इस सूत्र का ज्ञान अनेक अशुद्धियों को बचा सकता है। नीचे इस सूत्र को सोदाहरण दिया जा रहा है :

शुद्ध	**अशुद्ध**
झण्डा	झन्डा
दन्त	दण्त
पम्प	पन्प
चंचल/चञ्चल	चन्चल

अब झंडा, दंत, पंप, चंचल को शुद्ध माना जाता है।

अभ्यास कार्य

- कक्षा पाँच और सात के किन्हीं पाँच विद्यार्थियों के लिखित कार्य की जाँच के आधार पर पाई जाने वाली वर्तनी अशुद्धियों को अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत कीजिए।

निर्देश
मूल्यांकन के आधार पर वर्गीकरण कीजिए

9.3.3 वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के सुधार के उपाय और अभ्यास

आइए, वर्तनी संबंधी दोषों के निराकरण के लिए कुछ उपाय और अभ्यास कार्यों पर विचार करें :

1. **स्वरों और मात्रा रहित व्यंजनों के प्रयोग का अभ्यास :** जिस समय तक सभी स्वर और व्यंजनों का पूरा ज्ञान न हो जाए, तब तक विद्यार्थियों से मात्रा रहित दो, तीन, चार वर्णों से निर्मित शब्द लिखवाने का अभ्यास करवाएँ, यथा—अब, आज, कलम, मखमल।

विद्यार्थियों से ऐसे शब्द लिखवाएँ जिनमें कभी वह वर्ण शब्द के आरंभ में, कभी मध्य में और कभी अंत में आए, यथा—कमल, अकबर, चमक।

2. **मात्राएँ लगाने का उचित अभ्यास :** देवनागरी लिपि में स्वरों की मात्राएँ वर्णो के साथ आगे-पीछे, ऊपर-नीचे आदि जिन-जिन स्थितियों में लगती हैं उनका बार-बार अभ्यास कराएँ, यथा—काम, किस, शीश, कुल, भूत, कैसा, कौन आदि।

3. **व्यंजन गुच्छों या संयुक्त व्यंजनों का अभ्यास :** देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग एक अपनी विशिष्टता है। प्रत्येक व्यंजन का योग प्रत्येक व्यंजन के साथ नहीं होता। जिन-जिन व्यंजनों का योग होता है उनका स्वयं पता लगाएँ और उन शब्दों को लिख लें। उदाहरण के लिए यहाँ केवल "क्" वर्ण के साथ अन्य वर्णों का योग दिया जा रहा है। आप इसी प्रकार ख, ग आदि सभी व्यंजनों की तालिका या चार्ट बना सकते हैं।

क् + क = क्क - चक्की
क् + र = क्र - क्रम
क् + ष = क्ष - कक्षा
क् + ख = क्ख - मक्खन

4. **व्यंजन गुच्छों में "इ" की मात्रा लगाने का अभ्यास :** व्यंजन गुच्छों में "इ" की मात्रा के योग में बहुधा वर्तनी की अशुद्धि की जाती है क्योंकि इसकी मात्रा स्वर रहित वर्ण से पहले जुड़ती है। विद्यार्थियों को इसका विशेष अभ्यास कराएँ, यथा—मस्जिद, शक्ति, टिड्डियाँ।

5. **"र्" के योग का उचित अभ्यास :** स्वर रहित (र) का किसी वर्ण के साथ योग होने पर यह रूप " र्‍ " बनता है। इसका योग उस वर्ण की पाई पर होता है जिससे पहले इसका उच्चारण (ध + र्म) होता है। यदि इससे आगे आने वाले वर्ण में मात्रा लगी हो तो इसका योग मात्रा पर होता है। इस सिद्धान्त से विद्यार्थियों को अवगत कराएँ तथा यथेष्ट अभ्यास दें, जैसे—

धर्म, अधर्म, कर्म, कार्यों कीर्ति, आशीर्वाद।

6. **स्वर रहित पंचम वर्ण के योग का अभ्यास :** देवनागरी लिपि में हर वर्ग का अपना पंचम वर्ण होता है, यथा—कवर्ग में "ङ"। चवर्ग में "ञ"। टवर्ग में "ण"। तवर्ग में "न"। पवर्ग में "म"।

यदि पंचम अक्षर स्वर रहित है और उसके आगे सवर्णी (अपने ही वर्ग का वर्ण) हो तो यह दो प्रकार से जोड़कर लिखा जाता है—

1. उसी वर्ण का पंचम अक्षर लिखकर, जैसे—गङ्गा, दण्ड, चञ्चल, दन्त, चम्पा।
2. विकल्प से अनुस्वार लगाकर, जैसे—गंगा, चंचल, दंड, दंत, चंपा।

नोट :

1. अब अनुस्वार लगाकर लिखे हुए रूप ही मान्य हैं।
2. ध्यान रहे दन्ड, पन्डा, झन्डा आदि अशुद्ध हैं क्योंकि ये पंचम वर्ण वाले नियम के अनुसार नहीं हैं।

7. **व्याकरणिक नियमों से संबंधी अभ्यास :** व्याकरण संबंधी नियमों की जानकारी के अभाव में भी वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं। अतः उनके शुद्ध रूप का अभ्यास करवाया जाए, जैसे—

(क) **बहुवचन करते समय "ई", "ऊ" की मात्रा का ह्रस्व होना—**

नदी	नदियाँ
दवाई	दवाइयाँ
भालू	भालुओं
हिन्दू	हिन्दुओं

(ख) **संधि नियम के ज्ञान के अभाव में**

शुद्ध	**अशुद्ध**
(अन् + अधिकार) अनधिकार	अनाधिकार
(अति + अधिक) अत्यधिक	अत्याधिक

8. **सावधानी से पठन सामग्री पढ़ने का अभ्यास :** विद्यार्थियों से कहा जाए कि वे जिस पुस्तक को भी पढ़ें वर्तनी की दृष्टि से भी शब्दों को सावधानी से पढ़ें। सावधानीपूर्वक कठिन शब्दों को बार-बार पढ़ने के अभ्यास से भी वर्तनी की अशुद्धियाँ कम होती हैं।

9. **वर्तनीकोश का प्रयोग :** कक्षा स्तर के अनुसार कक्षा वर्तनीकोश बनाया जाए। इस कोश की प्रविष्टियाँ दो प्रकार से हो सकती हैं—

1. वर्तनी की दृष्टि से नए और कठिन शब्दों को आकारादिक्रम से रखा जाए। सामान्यतः ये शब्द 400-500 से अधिक नहीं होंगे।
2. वर्तनी की अशुद्धि के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण करके उनकी प्रविष्टियाँ दी जाएँ, जैसे—स्वर तथा उनकी मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ—आ (ा), इ (ि), ई (ी), उ (ु), ऊ (ू) आदि संबंधी अशुद्धियाँ।

व्यंजन गुच्छ संबंधी अशुद्धियाँ—च्छ, क्ष, श्र, त्र, ज्ञ आदि संबंधी अशुद्धियाँ।

कक्षा शिक्षण की परिस्थिति में पुनर्बलन की दृष्टि से कठिन वर्तनीयुक्त शब्दों के फ्लैश कार्डों, चार्टों, रेखाचित्रों आदि को तैयार करके कक्षा में टांगा जा सकता है, जिससे विद्यार्थी उन्हें देखकर सही वर्तनी सीख सके और उन्हें व्यवहार में ला सकें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों के अंत में दी गई कठिन शब्दों की सूची को सावधानी से पढ़कर उन शब्दों की सूची बनाइए जो वर्तनी की दृष्टि से कठिन हैं।	सूची बनाइए
❑ वर्तनी की दृष्टि से कठिन शब्दों में से 20-20 का श्रुतलेख दें।	श्रुतलेख कराएं,
❑ विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए अशुद्ध शब्दों का अशुद्धियों के प्रकार की दृष्टि से वर्गीकरण करें तथा इन वर्गीकृत अशुद्धियों के अलग-अलग चार्ट बनाएं।	अभ्यास कीजिए तथा सामग्री निर्माण कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

विद्यार्थियों की वर्तनीगत समस्याओं के निराकरण के लिए हमें निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिएँ :

1. विद्यार्थियों की वर्तनीगत अशुद्धियों का चयन और वर्गीकरण,
2. अशुद्धियों के निराकरण के लिए अपेक्षित उपायों का निर्धारण तथा अभ्यास।

मूल्यांकन

1. वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए आप किन-किन उपायों को अपनाएंगे?
2. अनुनासिक और अनुस्वारयुक्त शब्दों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से बचने के लिए आप विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की सामग्री की रचना करेंगे?
3. पंचम अक्षर नियम क्या है? कुछ उदाहरण देकर इस नियम को स्पष्ट करें।
4. नोट लिखें :
   1. देवनागरी में वर्णों के साथ मात्राओं का योग।
   2. वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का वर्गीकरण।
   3. "र" वर्ण के साथ अन्य वर्णों का संयोग।

कैप्सूल 9.4

पाठ योजना

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप लेखन के किसी पक्ष पर पाठ योजना का निर्माण करके कक्षा में उसका उचित उपयोग कर सकेंगे।

इस मॉड्यूल के पिछले तीन कैप्सूलों में आप लेखन कौशल के विभिन्न पक्षों से परिचित हो चुके हैं। कक्षा में उनके सुनियोजित शिक्षण की दृष्टि से पाठ योजना बनाना उपयुक्त रहता है। लेखन कौशल के इन पक्षों के लिए अलग-अलग पाठ योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है, यथा—

1. लेखनारंभ की तैयारी संबंधी पाठ योजना (कई पाठ योजनाएँ हो सकती हैं)
2. वर्णमाला सिखाने के लिए पाठ योजना (वर्णों की संख्या अधिक होने के कारण कई पाठ योजनाएँ होंगी)
3. स्वर मात्राओं के योग के शिक्षण के लिए पाठ योजना
4. शब्द निर्माण संबंधी पाठ योजना
5. संयुक्त व्यंजनों पर पाठ योजना
6. श्रुतलेख संबंधी पाठ योजना

यहाँ नमूने के लिए लेखन कौशल शिक्षण से संबंधित एक पाठ योजना प्रस्तुत की जा रही है।

पाठ योजना : विषय-लेखन कौशल शिक्षण

उप-विषय : र (्र) तथा र् (र्) वर्ण का विभिन्न वर्णों के साथ योग

कक्षा—तीन समय : 35 मिनट

विद्यार्थियों की औसत आयु : 8 वर्ष

व्यवहारगत उद्देश्य

विद्यार्थी इस पाठ को पढ़ने के पश्चात् इस योग्य हो जाएगा कि वह—

1. "र" के तीनों रूपों (र, ्र तथा ^) को भली प्रकार पढ़ लेगा तथा पहचान सकेगा।
2. "र" तथा "र्" व्यंजन का शुद्ध योग कर सकेगा।
3. "र" तथा "र्" व्यंजन युक्त शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकेगा।
4. "र" तथा "र्" वर्ण के योग से बने शब्दों को शुद्ध लिख सकेगा।

पूर्वज्ञान

विद्यार्थी "र" वर्ण के सामान्य योग से परिचित हैं किन्तु वे इनके उच्चारण और लेखन में प्रायः अशुद्धि करते हैं।

सहायक सामग्री

गत्ते की पट्टियों पर लिखित "र" तथा "र्" वर्ण के योग से बने कुछ शब्द, जैसे—

(क) "र" के साथ अन्य वर्णों का योग

1. अंत पाई वाले वर्ण में

   व्रत नम्र भ्रम प्रमाण

2. मध्य पाई वाले वर्ण में

   क्रम फ्राक क्रेन

3. शीर्ष मध्य अर्द्ध पाई वाले वर्ण में

   ट्रक द्रव ड्रम

(ख) "र्" वर्ण (ᐟ) का अन्य वर्णों के साथ योग

1. अंत पाई वाले वर्ण के साथ

खर्च अर्थ धर्म गर्व

2. मध्य पाई वाले वर्ण के साथ

बर्फ कर्क बर्फी

3. मध्य अर्द्ध पाई वाले वर्ण के साथ

दर्द चार्ट कार्ड

विषय सामग्री

गत्ते की पट्टियों पर लिखित "र" वर्ण के साथ विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाले शब्द।

श्यामपट्ट कार्य

उपर्युक्त पट्टियों पर लिखित शब्दों को श्यामपट्ट पर आवश्यकतानुसार लिखा जाएगा।

प्रस्तावना

बच्चों को पट्टी पर अंकित निम्नलिखित वाक्य पढ़ने को कहा जाएगा :

पानी एक द्रव पदार्थ है

1. बच्चों से पूछा जाएगा कि "द्र" में प्रयुक्त "र" आधा अर्थात् स्वर रहित है अथवा पूरा अर्थात् स्वर सहित?
2. "र्थ" में प्रयुक्त " ᐟ " स्वर सहित है या स्वर रहित?
3. "र" और "र्" के उच्चारण में क्या अंतर है?

उद्देश्य कथन

बच्चो, आज हम "र" वर्ण के विविध रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। "र" के विभिन्न रूपों का उचित योग तथा इनसे निर्मित शब्दों का शुद्ध उच्चारण भी सीखेंगे।

पाठ का विकास

पाठ का विकास दो चरणों में किया जाएगा।

पहला चरण

स्वर सहित "र" वर्ण के निम्नलिखित तीन रूप हैं— र, ्र तथा ‸ । आओ, इन्हीं बातों को उदाहरण के साथ समझें।

1. अंत पाई वाले वर्ण में जब "र" का योग होता है तो उस वर्ण की पाई हट जाती है और उसमें इसका यह रूप "्र" जुड़ता है, यथा—

   व् = ᒣ + ्र = व्रत

   म् = ᒥ + ्र = नम्र

   प् = ᑊ + ्र = प्रेम

   भ् = ᒧ + ्र = भ्रम

2. मध्य पाई वाले वर्ण में "र" का योग होता है तो उसकी मध्य पाई हट जाती है और उसका यह रूप "्र" वर्ण के मध्य भाग में जुड़ता है, यथा—

   क् + र = क्र = क्रम

   फ + र = फ्र = फ्राक

3. मध्य अर्द्ध पाई वाले वर्ण में "र" का योग होता है तो "र" का प्रायः यह रूप " ‸ " वर्ण के नीचे जुड़ता है, यथा—

   ट् + र = ट्र = ट्रक

   ड् + र = ड्र = ड्रम

   ह् + र = ह्र = ह्रास

दूसरा चरण

स्वर रहित "र" (ᐟ) वर्ण का अन्य वर्णों में योग—

1. जिस वर्ण पर " ᐟ " का योग होता है, र् का उच्चारण उस वर्ण से पहले होता है, यथा—

   धर्म = ध र् म

   कर्म = क र् म

2. "र्" का योग ठीक पाई के ऊपर होता है, यथा—

   1. अंत पाई वाले वर्ण में = कर्म, धर्म।
   2. मध्य पाई वाले वर्ण में = बर्फ, कर्क, बर्फी।

3. मध्य अर्द्ध पाई वाले वर्ण के साथ = दर्द, चार्ट, कार्ड।

उपर्युक्त उदाहरणों से अब आप समझ गए होंगे कि—

1. स्वरयुक्त "र" का योग शिरोरेखा तथा वर्ण से नीचे होता है।
2. स्वर रहित "र" (र्‍) शिरोरेखा से ऊपर रहता है।

आवृत्ति

उपर्युक्त पट्टियों में से हर पट्टी से एक-एक शब्द का उदाहरण दोहराया जाएगा। बच्चे इन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे।

मूल्यांकन

प्रत्येक बच्चे को मूल्यांकन पत्र देकर उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा।

मूल्यांकन पत्र

विद्यार्थी का नाम : समय : 5 मिनट

कक्षा : कुल अंक : 10

निर्देश : पहले उदाहरण को पढ़ें। फिर रिक्तस्थान में पूर्ण शब्द लिखें।

क्रम संख्या	विश्लेषित शब्द	शब्द	मूल्यांकन
1	2	3	4
उदाहरण	प् + र + थ + म	प्रथम	
1.	न + म् + र	...	
2.	प् + र + का + र	...	
उदाहरण	क् + र + म	क्रम	
1.	च + क् + र	...	
2.	फ् + रा + क	...	
उदाहरण	ट् + र + क	ट्रक	
1.	ड् + र + म.	...	
2.	ड् + रा + इ + व + र	...	
उदाहरण	ग + र् + म	गर्म	
1.	क + र् + म	...	
2.	ख + र् + च	...	
उदाहरण	ब + र् + फ	बर्फ	
1.	स + र् + क + स	...	
2.	द + र् + द	...	

प्राप्तांक................

गृहकार्य

बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तक से "र" तथा "र्" के योग से बने शब्द छाँटकर लाने को कहा जाएगा। इन शब्दों में अंत, मध्य तथा मध्य अर्द्ध पाई वाले वर्णों के उदाहरण होंगे।

अभ्यास कार्य

- रेफ से संबंधित 2-3 अन्य पाठ योजनाओं का निर्माण कीजिए।

निर्देश

पाठ योजना बनाइए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

— कक्षा में वास्तविक शिक्षण से पूर्व पाठ योजना का निर्माण करना आवश्यक है। लेखन कौशल इसका अपवाद नहीं है। लेखन कौशल के भी कई पक्ष हैं, *यथा— लेखनारंभ योग्यता का विकास, वर्तनी शिक्षण,* वर्णों में स्वर मात्राओं का योग, दो-तीन-चार वर्णों से निर्मित शब्द, श्रुतलेख आदि। इन सभी क्षेत्रों में अलग-अलग पाठ योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप लेखन कौशल में र (्र) तथा र् (र्‍) वर्ण का विभिन्न वर्णों के साथ योग जैसा विषय ले सकते हैं। इस विषय की पाठ योजना के अनेक उपयोगी बिन्दु हो सकते हैं। पाठ के विकास में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और गृहकार्य पर विशेष ध्यान दें तथा उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन करें।

मॉड्यूल–10

लिखित रचना शिक्षण

10.0 प्रस्तावना

मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। अतः अभिव्यक्ति के दो रूप हैं— मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। इन्हीं को हम मौखिक रचना और लिखित रचना भी कहते हैं। किन्तु रचना शब्द से कुछ और भी व्यंजित होता है। रचना का अर्थ है— निर्माण करना, सृजन करना, सजाना, सवारना। सृजन में नवीनता और मौलिकता का भाव निहित रहता है और सजाना तथा सवारना में भाषा के परिष्कृत तथा ललित रूप का। अतः रचना का अर्थ है अपने भावों और विचारों को शुद्ध, परिनिष्ठित और ललित भाषा में इस प्रकार व्यक्त करना, जिसमें कुछ नवीनता और मौलिकता की झलक मिले। मौखिक रचना के संबंध में मॉड्यूल 7 (7.1.2) में चर्चा हो चुकी है। यहाँ लिखित रचना के संबंध में विचार किया जा रहा है।

भाषा की शुद्धता, विषय सामग्री की सुसंबद्धता और विचारों में क्रमबद्धता किसी भी रचना की सामान्य विशेषताएँ हैं। रचना के विविध अंगों में तालमेल होना चाहिए। रचना किसके लिए लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखकर भाषा का स्तर, विषयवस्तु का चयन, उसका विस्तार, संयोजन तथा कलेवर होना चाहिए।

लिखित रचना शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी लिखित रचना के विविध रूपों—पत्रों, प्रपत्र, निबंध, जीवनी, कहानी, संवाद आदि से परिचित होते हैं और रचना करने की योग्यता का विकास करते हैं। इससे वे सृजनात्मक साहित्य की रचना की ओर प्रवृत्त होते हैं।

लिखित रचना शिक्षण के उपर्युक्त महत्त्व को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत मॉड्यूल में निम्नांकित तीन कैप्सूलों का समावेश किया गया है :

कैप्सूल 10.1 में लिखित रचना के रूप के अन्तर्गत निर्देशित रचना और स्वतंत्र रचना के महत्त्व, उद्देश्य तथा उनके विविध रूपों की रचना-प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।

कैप्सूल 10.2 में लिखित रचना शिक्षण की विधियों तथा लिखित कार्य के मूल्यांकन एवं संशोधन पर प्रकाश डाला गया है।

कैप्सूल 10.3 में निर्देशित और स्वतंत्र रचना की एक-एक पाठ योजना दी गई है।

कैप्सूल 10.1

लिखित रचना के रूप

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. निर्देशित रचना के विविध रूपों—पत्र, प्रपत्र, टिप्पणी, संक्षेपन, पल्लवन, अनुच्छेद, जीवनी, निबंध और डायरी की रचना प्रक्रिया से अवगत होकर उन्हें लिखने में सक्षम हो सकेंगे।
2. स्वतंत्र रचना के विविध रूपों विशेषतः कहानी और संवाद लेखन की प्रक्रिया से अवगत होकर उन्हें लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे।

10.1.1 लिखित रचना के रूप

लिखित रचना के सामान्यतः दो रूप दिए जाते हैं :

1. निर्देशित रचना
2. स्वतंत्र रचना

10.1.1.1 निर्देशित रचना

इसका तात्पर्य है कक्षा में दिए गए निर्देशनों अथवा दी गई रूप रेखा के आधार पर रचना करना। इसके अंतर्गत रचना के अनेक रूप आ जाते हैं। निर्देशित रचना की कुशलता प्राप्त हो जाने से ही विद्यार्थी धीरे-धीरे स्वतंत्र रचना की ओर उन्मुख होता है।

प्रारम्भिक स्तर पर निर्देशित रचना के निम्नलिखित रूपों का शिक्षण आवश्यक है— 1. पत्र, 2. प्रपत्र, 3. टिप्पणी, 4. संक्षेपण, 5. पल्लवन, 6. अनुच्छेद, 7. निबंध, 8. जीवनी और 9. डायरी।

आइए, इन विविध रूपों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।

1. पत्र

पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, किन्तु उन्हें सामान्यतः तीन वर्गों में बाँट सकते हैं : (क) पारिवारिक पत्र (ख) व्यावसायिक पत्र तथा (ग) आवेदन पत्र।

(क) **पारिवारिक पत्र :** हम परिवार के लोगों, संबंधियों या मित्रों को अपना समाचार भेजने और उनका कुशल समाचार जानने के लिए जो पत्र लिखते हैं उन्हें पारिवारिक पत्र कहते हैं। निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र आदि भी पारिवारिक पत्रों के अंतर्गत माने जाते हैं।

(ख) **व्यावसायिक पत्र :** इन पत्रों का प्रयोग किसी व्यावसायिक कार्य के लिए होता है जैसे, कोई माल या सामान मँगाना, कोई माल सामान भेजना, किसी चीज की कीमत जानना, सामान भेजने या सामान मिलने की सूचना देना आदि।

(ग) **आवेदन पत्र :** ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे (1) छात्रों द्वारा अवकाश प्राप्ति के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए, आर्थिक सहायता के लिए, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र (2) सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए विभिन्न अधिकारियों को आवेदन पत्र, ग्राम सभापति या नगरपालिका के अध्यक्ष को सफाई, रोशनी अथवा व्यवस्था के लिए, पुलिस अधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए और चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सा संबंधी व्यवस्था के लिए आदि। जब किसी बड़े अधिकारी को कोई शिकायत भेजी जाती है तो वह *शिकायती पत्र* कहलाता है और यही सूचना यदि किसी सार्वजनिक असुविधा के विषय में पत्र के संपादक को भेज दी जाती है तो वह *संपादकीय पत्र* कहलाता है।

पत्र लिखने की सुनिर्धारित विधि होती है। इस दृष्टि से पूरे पत्र को हम निम्नलिखित छः भागों में बाँट सकते हैं :

1. **पत्र लिखने वाले का पता :** पत्र में ऊपर दायीं ओर पत्र लिखने वाला (प्रेषक) अपना पता लिखता है। प्राप्तकर्ता उस पते पर पत्र का उत्तर भेजता है।

2. **पत्र भेजने की तिथि :** पत्र की दाहिनी ओर प्रेषक के पते के नीचे दिनांक, महीना और सन् लिखा जाता है।
3. **सम्बोधन और अभिवादन :** पत्र के ऊपर बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है, जैसे—पूज्य पिताजी, श्रद्धेय गुरुजी आदि। व्यावसायिक या सरकारी पत्रों में सम्बोधन की विधि निश्चित सी होती है; जैसे महोदय, प्रिय महोदय, प्रिय श्री... आदि।
   अभिवादन के लिए व्यक्ति के पद और मर्यादा के अनुरूप शब्द—प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद आदि लिखा जाता है। शिक्षक को इनका विस्तृत विवरण विद्यार्थियों को देना चाहिए।
4. **पत्र की विषय सामग्री :** यह पत्र का मुख्य भाग होता है। अपना समाचार तथा हाल-चाल, कोई विशेष सूचना अथवा पत्र प्राप्तकर्ता से कोई जानकारी आदि बातें अलग-अलग अनुच्छेदों में लिखी जाती हैं।
5. **पत्र का अंत :** पत्र समाप्त होने पर अंत में दाहिनी ओर पत्र लिखने वाला प्राप्तकर्ता के साथ अपने संबंध के अनुसार उपयुक्त शब्द का प्रयोग करता है, जैसे—आपका आज्ञाकारी, शुभेच्छु, भवदीय आदि। फिर वह इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करता है। अब यह पत्र के अंत में बाईं ओर भी लिख दिया जाता है।
6. **पत्र पाने वाले का पता :** पत्र समाप्त करने के बाद पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफ़ाफ़े के ऊपर पत्र पाने वाले का स्पष्ट पता लिखा जाता है। इसी पते पर वह पत्र डाक द्वारा भेजा जाता है। अंतर्देशीय पत्र के एक ओर पत्र प्राप्तकर्ता का पता और दूसरी ओर प्रेषक का पता लिखने के लिए स्थान बना होता है। लिफ़ाफ़े पर भी ऊपर दाहिनी ओर पत्र प्राप्तकर्ता का पता और बाईं ओर नीचे प्रेषक का पता लिखना चाहिए।

पारिवारिक पत्रों के नमूने के रूप में यहाँ केवल संवेदना पत्र को ही दिया गया है। अन्य प्रकार के पारिवारिक पत्रों के नमूने छात्राध्यापक अपने अनुभव के आधार पर प्रस्तुत करें।

संवेदना पत्र

ऐसे पत्र किसी दुखद समाचार मिलने पर दुखी व्यक्ति या परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने तथा उन्हें सांत्वना देने के लिए लिखे जाते हैं। इसका नमूना यहाँ दिया जा रहा है।

24, राजेन्द्र नगर,
नई दिल्ली
20, अक्टूबर 1993

प्रिय सुरेश,

तुम्हारे चाचाजी के निधन का समाचार जानकर बड़ा दुख हुआ। मेरे परिवार के सभी लोग इस समाचार से बड़े शोक-संतप्त हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह उनकी आत्मा को शांति और तुम लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।

तुम्हारा
उमेश

व्यावसायिक पत्र

व्यावसायिक पत्रों की शैली या विधि व्यक्तिगत पत्रों से भिन्न होती है। इसका एक नमूना नीचे दिया जा रहा है–

पुस्तक विक्रेता के नाम पत्र

सेवा में,

व्यवस्थापक,
हिंदी प्रचारक संस्थान,
वाराणसी-221002

महोदय,

निम्नलिखित पुस्तकों की एक-एक प्रति मेरे नाम से वी.पी.पी. द्वारा भेजने की कृपा करें।

1. निराला ग्रंथावली (सम्पूर्ण सैट)
2. कामायनी... जयशंकर प्रसाद
3. आधुनिक भारत का इतिहास (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित)

भवदीय
दिनेश कुमार

मेरा पता:-
14 शास्त्री नगर,
कानपुर (उ.प्र.)

आवेदन पत्र

आवेदन पत्र के भी अनेक रूप हैं। इसकी विधि और शैली पारिवारिक और व्यावसायिक पत्रों से भिन्न है।

शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाध्यापक,
जूनियर हाई स्कूल,
टैगोर टाउन,
मेरठ (उ.प्र.)

महोदय,

निवेदन है कि मैं कक्षा छह का निर्धन विद्यार्थी हूँ। मेरे माता-पिता की आय इतनी कम है कि वे मुझे विद्यालय में पढ़ाने के लिए शुल्क देने में असमर्थ हैं। अतः प्रार्थना है कि मुझे माहवारी शुल्क देने से मुक्त करने की कृपा करें।

प्रार्थी,
अकिंचन शर्मा

दिनांक 3.7.92

2. प्रपत्र

हमें विविध कार्यों के लिए प्रायः अनेक प्रकार के प्रपत्रों को भरना पड़ता है; जैसे—रुपये भेजने के लिए मनीआर्डर प्रपत्र, तार भेजने के लिए तार-प्रपत्र, बैंक या पोस्ट ऑफ़िस में बचत खाते में रुपये जमा करने के लिए प्रपत्र, रुपये निकालने के लिए प्रपत्र, रेल यात्रा के लिए आरक्षण प्रपत्र आदि।

कक्षा 4 और 5 में ही इन प्रपत्रों को भरना विद्यार्थियों को सिखा देना चाहिए। ये प्रपत्र डाकघर से, बैंक से, रेलवे काउंटर से आसानी से मिल जाते हैं। विद्यार्थियों को उनको भरना सिखाना चाहिए। कक्षा 6-7 में और भी प्रकार के प्रपत्र भरने सिखाए जा सकते हैं, जैसे—विद्यालय में नाम लिखाने के लिए प्रवेश पत्र, तार भेजने का प्रपत्र, पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए प्रपत्र, नौकरी के लिए प्रपत्र आदि।

इन प्रपत्रों को भरना सिखाने के लिए कोई विशेष विधि नहीं है। शिक्षक प्रपत्र में पूछी गई सूचनाओं के सामने आवश्यक सूचनाएँ लिखता जाता है और शिक्षार्थी उसका अनुसरण करते जाते हैं। पूरा प्रपत्र भर लेने के बाद शिक्षक पुनः प्रारंभ से अंत तक विद्यार्थियों के सामने उसका मिलान कर लेता है कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है अथवा गलत सूचना तो नहीं लिखी गई है। दो चार बार अभ्यास करा देने के बाद विद्यार्थी स्वयं प्रपत्र भरना जान जाते हैं।

नोट : जहाँ मुद्रित प्रपत्र सुलभ हो वहाँ इन्हीं सूचनाओं को भरकर दिया जाना चाहिए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ अपने मित्र को पत्र लिखकर उसकी माता जी के स्वर्गवास पर संवेदना प्रकट कीजिए।	रचना कीजिए
❑ अपने डाकघर के डाकपाल को पत्र वितरण में गड़बड़ी होने के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए।	रचना कीजिए
❑ पाठ्यपुस्तकों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता हेतु अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए।	रचना कीजिए
❑ अपने डाकघर से मनीआर्डर भेजने के लिए और बचत खाता खोलने के प्रपत्र प्राप्त कीजिए और उन्हें भरिए।	प्रपत्र प्राप्त करके भरिए

3. टिप्पणी

किसी भाषण, वार्तालाप, पत्र, पुस्तक, दृश्य, घटना, आदेश आदि पर अपना मत प्रकट करना टिप्पणी कही जाती है। टिप्पणी संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए।

सामान्य रूप से टिप्पणी तीन प्रकार से हो सकती है :

1. **सामान्य टिप्पणी :** किसी घटना अथवा सरकारी निर्णयों पर की गई टिप्पणी सामान्य टिप्पणी कही जाती है।
2. **संपादकीय टिप्पणी :** समाचारपत्रों अथवा पत्रिकाओं के संपादकों द्वारा किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी निर्णयों, आंदोलन अथवा घटना पर की गई टिप्पणी संपादकीय टिप्पणी कही जाती है।
3. **कार्यालयी टिप्पणी :** यह टिप्पणी कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्रों, शासनादेशों आदि पर लिपिक, सहायक, अधिकारी द्वारा लिखी जाती है।

अभ्यास कार्य

- इस सप्ताह में छपे किसी समाचार अथवा विद्यालय में हुए किसी भाषण पर टिप्पणी लिखिए।

निर्देश

रचना कीजिए

4. संक्षेपण

किसी गद्यांश को इस प्रकार संक्षेप में लिखना कि उसका मुख्य भाव या विचार बना रहे, संक्षेपण कहलाता है। इसके लिए सार-लेखन, संक्षेपीकरण आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है। किसी विस्तृत लेख, विवरण, पत्र, सूचना, कहानी आदि में निहित तथ्यों को सरल, सुबोध भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना कि मूल रचना की मुख्य बात लगभग उसके एक तिहाई में आ जाए इसे ही संक्षेपण या सार-लेखन कहते हैं। संक्षेपण के लिए अवतरण का मूल भाव समझना आवश्यक होता है; क्योंकि सामान्यतः शीर्षक भी उसी पर आधारित होता है। नीचे संक्षेपण के लिए एक गद्यांश दिया जा रहा है :

गद्यांश

क्रोधोन्मत अर्जुन ने धनुष फेंक कर तलवार से उस पर आक्रमण किया; पर उसकी देह से टकराकर तलवार टुकड़े-टुकड़े हो गई, तब अर्जुन किरात से मल्ल युद्ध करने लगे, पर थक जाने से अचेत होकर गिर पड़े। किरात वैसे ही खड़ा रहा। चेतना आने पर अर्जुन ने सोचा मैंने इष्टदेव की पूजा नहीं की। पहले पूजा कर लूँ, फिर किरात से युद्ध करूँगा। उन्होंने यही बात किरात से भी कही। किरात ने हँसकर कहा, "अच्छी बात है, पूजा करके शक्ति बढ़ा लो।" इस अपमान को पीकर अर्जुन पूजा करने लगे; लेकिन उनके मन में बार-बार यह बात उठती रही कि किरात के रूप में कहीं देवाधिदेव शंकर ही तो नहीं हैं? वे मंत्र जाप करते हुए शिव की मूर्ति को माला पहनाकर जब उठे तो उन्होंने देखा कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाई हुई माला व्याघ्र के गले में पड़ी है। अर्जुन को समझते देर न लगी कि भगवान शंकर ही किरात वेश में प्रस्तुत हैं। उन्होंने भक्तिभाव से करबद्ध हो उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने तत्काल ही सामने देखा कि महादेव पार्वती के साथ शोभित हैं। भगवान शंकर ने गंभीर स्वर में कहा "वीर अर्जुन, तुम्हारी तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वरदान माँग लो।" अर्जुन का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र प्रदान करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दे दिया और उसके प्रयोग तथा संवरण के मंत्र भी बतला दिए। यह भी कह दिया कि इसका प्रयोग मनुष्यों पर वर्जित है।

(संक्षिप्त महाभारत, कक्षा-7, पृष्ठ 47-48)

मूल अवतरण का संक्षिप्त रूप

क्रोध में भरकर अर्जुन ने किरात पर तलवार से आक्रमण कर दिया, फिर मल्ल युद्ध किया। किरात पर कोई असर नहीं पड़ा किन्तु अर्जुन थककर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। होश आने पर अर्जुन ने किरात से कहा मैं पहले अपने इष्टदेव की पूजा कर लूँ फिर युद्ध करूँगा। पूजा करते समय उसके मन में शंका बनी रही कि कहीं भगवान शंकर ही तो किरात के रूप में नहीं हैं। जब उसने पूजा की माला शिव की मूर्ति पर चढ़ाई तो उसने देखा कि वह माला किरात के गले में पड़ी है। वह समझ गया कि यही भगवान शंकर हैं। उसने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसे पाशुपत अस्त्र प्रदान किया।

5. पल्लवन

किसी उक्ति, सूत्र वाक्य, भाव या विचार-प्रेरक कथन अथवा रूपरेखा में निहित मूल संदेश को विस्तारपूर्वक समझने-समझाने का कार्य ही पल्लवन कहलाता है। इसे वृद्धीकरण, भाव विस्तार, भाव पल्लवन, विचार विस्तार आदि भी कहते हैं।

पल्लवन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है—

1. कथन में निहित मूल संदेश की सही पकड़ होनी चाहिए इससे विचार विस्तार करते समय मूल संदेश से हटने का भय नहीं रहता है।
2. पल्लवन व्याख्या से भिन्न है। किसी कथन या अवतरण की व्याख्या करते समय संदर्भ, प्रसंग, सौंदर्य तत्वों का विश्लेषण, सराहना आदि का भी उल्लेख किया जाता है; पर पल्लवन में इनकी आवश्यकता नहीं रहती। केवल मूल भाव, विचार या संदेश को ही विस्तार से समझाया जाता है।

उदाहरण

मूल कथन—मानसिक शांति में ही सच्चा सुख है।

पल्लवन—हर व्यक्ति जीवन में सुख प्राप्त करना चाहता है। पर यह सुख केवल धन, वैभव और भौतिक सुविधाओं से नहीं मिलता। अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा मकान आदि मिल जाए, हमारी सारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने पर भी यदि मन में किसी बात की चिंता बनी रहे; मन चंचल बना रहे; कुछ और पाने की लालसा हमें बेचैन करती रहे; तो हम सुखी नहीं रह सकते। कम धन और कम सुविधा होते हुए भी यदि मन में संतोष है, शांति है, तो मनुष्य सच्चे सुख का अनुभव करता है। इसीलिए कहा गया है कि मानसिक शांति में ही सच्चा सुख है।

पल्लवन के लिए पाठ्यपुस्तक में से भाव या विचार प्रेरक उक्तियाँ या कथन चुने जा सकते हैं और विद्यार्थियों को उनके पल्लवन का अभ्यास कराया जा सकता है।

अभ्यास कार्य

- ❑ अपनी पाठ्यपुस्तक से दो अवतरण चुनकर उनका संक्षेपण कीजिए।
- ❑ निम्नांकित कथनों का पल्लवन कीजिए—
  (क) बगुलों में हंस।
  (ख) जल ही जीवन है।
  (ग) अधजल गगरी छलकत जाए।

निर्देश

चयन और रचना कीजिए

रचना कीजिए

6. अनुच्छेद

किसी भी विषय पर रचना प्रस्तुत करते समय हमें विषय से संबंधित अनेक विचार बिन्दुओं को संयोजित करना पड़ता है। ये विचार बिन्दु परस्पर संबंधित होते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता तथा क्रमबद्धता बनाए रखते हुए एक विचार बिन्दु को जितने वाक्यों में लिखते हैं; उतने वाक्यों के समूह को अनुच्छेद कहते हैं। किसी रचना में अनेक अनुच्छेद हो सकते हैं। एक अनुच्छेद में कितने वाक्य हों उसकी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। कभी-कभी एक ही विचार बिन्दु के इतने पक्ष होते हैं कि उसको दो तीन अनुच्छेदों में बाँटना पड़ता है। इसी का विस्तृत रूप निबंध है।

7. निबंध

रचना शिक्षण के अंतर्गत निबंध, लेखन की शिक्षा का विशेष महत्त्व है।

निबंध को गद्य की कसौटी माना जाता है। किसी भी भाषा में गद्य के सर्वोत्कृष्ट रूप के उदाहरण के लिए निबंध को ही सामने रखा जाता है। अतः निबंध शिक्षण में विद्यार्थियों का ध्यान सदा इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहिए कि वे अपने भावों और विचारों को शुद्ध और

परिनिष्ठित भाषा में ही प्रस्तुत करें।

निबंध के प्रकार—प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से निबंध के अनेक प्रकार हैं, किन्तु प्राथमिक स्तर के लिए वर्णनात्मक/विवरणात्मक तथा कथात्मक निबंध अधिक रुचिकर तथा उपयोगी होते हैं।

1. वर्णनात्मक या विवरणात्मक निबंधों के अंतर्गत किसी मेले/उत्सव, त्योहार अथवा यात्रा का वर्णन होता है तथा विवरणात्मक निबंधों में किसी ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है।
2. कथात्मक निबंध किसी कथा या घटना पर आधारित होते हैं।

उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विचार प्रधान, कल्पनात्मक तथा संस्मरणात्मक निबंध अधिक उपयुक्त हैं। विचार प्रधान निबंधों में देश-भक्ति, विद्यार्थी जीवन, गणतंत्र दिवस, श्रम का महत्त्व आदि विषय; कल्पनात्मक निबंधों में "यदि मैं चाँद पर पहुँच पाता", "यदि मुझे जादू का चिराग मिल जाता" आदि; तथा संस्मरणात्मक में "विद्यालय में पहला दिन", "जब मैं कक्षा में प्रथम आया" आदि विषय लिए जा सकते हैं।

रूपरेखा बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि सामान्यत: निबंध के तीन अंग होते हैं—

1. प्रस्तावना
2. विषय सामग्री का प्रस्तुतीकरण
3. उपसंहार

1. प्रस्तावना संक्षिप्त और रोचक होनी चाहिए। प्रस्तावना से ही निबंध के विषय का परिचय मिल जाना चाहिए। प्रस्तावना लम्बी नहीं होनी चाहिए। थोड़े शब्दों में ही प्रस्तावना समाप्त कर मुख्य विषय पर आ जाना चाहिए।
2. विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण निबंध का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। इसमें विषय संबंधी सभी तथ्य, भाव, विचार, प्रमाण आदि क्रमबद्ध और सुसंबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। विषय के प्रतिपादन के लिए आवश्यक उद्धरण, दृष्टांत और तर्क इसी भाग में दिए जाते हैं। उद्धरण गद्य या पद्य किसी से भी हो सकते हैं। प्रस्तुतीकरण में स्पष्टता लाने के लिए विषय सामग्री से संबंधित तथ्यों, भावों और विचारों को प्रसंगानुसार अलग-अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि इन अनुच्छेदों में पूर्वापर संबंध बना रहे।
3. निबंध का उपसंहार संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। इसमें पूरे विषय का निष्कर्ष झलकना चाहिए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ निम्नलिखित विषयों पर एक-एक अनुच्छेद लिखिए जिनमें अधिक से अधिक आठ-आठ वाक्य हों : 1. गणतंत्र दिवस 2. बाल दिवस 3. मेरा प्रिय मित्र।	रचना कीजिए
❑ निम्नलिखित विषयों पर निबंध की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए : 1. हमारे राष्ट्रीय प्रतीक 2. स्वदेश 3. वर्षा ऋतु।	रूपरेखा तैयार कीजिए

निबंध की रूपरेखा का नमूना

ईद

1. **प्रस्तावना**— ईद का व्यापक अर्थ, ईदुलफितर और ईदुलजुहा में अंतर, ईद का दूज के चाँद से संबंध।
2. **विषय सामग्री**— ईद और भाईचारा, मस्जिद में नमाज पढ़ने की विधि, रमजान उपवास, कोई व्यक्तिगत अनुभव।
3. **उपसंहार**— परस्पर प्रेम और सद्‌भाव प्रकट करने का त्योहार।

8. जीवनी

जीवनी किसी व्यक्ति का लिखित वृतांत है। उसे किसी सीमा तक व्यक्ति का इतिहास भी कहा जा सकता है। जीवनी में चरितनायक के जीवन का वर्णन सत्य घटनाओं के आधार पर होता है। उसकी जन्मतिथि, जन्मस्थान, शिक्षा-दीक्षा, परिवार, जीवन में किए गए महत्त्वपूर्ण कार्य, चरित्र, स्वभाव, जीवन दर्शन, सिद्धांत आदि का परिचय दिया जाता है। यह व्यक्ति के कार्यों का लेखा-जोखा है, इसमें कल्पना के चमत्कार के लिए स्थान नहीं रहता। पर यह लेखा-जोखा रोचक ढंग से चित्रित होना चाहिए। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर रोचकता की दृष्टि से कथात्मक शैली का प्रयोग अधिक संग्राह्य और प्रभावपूर्ण रहता है।

सामान्यतः प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं, देशभक्तों, क्रांतिकारियों, राष्ट्रीय महापुरुषों, संतों, समाजसुधारकों, वैज्ञानिकों आदि की जीवनियाँ दी जाती है। वे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होती हैं और उनमें देशभक्ति, त्याग, बलिदान, सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम, समाज सुधार आदि भावनाओं का संचार करती हैं।

इन जीवनियों के अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों में न केवल सद्‌गुणों के विकास का प्रयास किया जाए बल्कि उनका ध्यान इस ओर भी दिलाएँ कि जीवनी लिखते समय निम्नलिखित बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है :

1. व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्म-स्थान, परिवार, शिक्षा आदि का उल्लेख,
2. व्यक्ति के जीवन के प्रेरणादायी प्रसंग, घटनाएँ और कार्य;
3. व्यक्ति के जीवन से प्राप्त संदेश, शिक्षा।

9. डायरी

डायरी को दैनन्दिरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम प्रतिदिन होने वाली घटनाओं, देखे गए स्थानों, संपर्क में आए व्यक्तियों आदि के संबंध में अपने विचार लिखते हैं।

डायरी के आरंभ में अपना नाम, पता तथा अन्य आवश्यक विवरण लिखा जाता है। डायरी लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

1. विवरण अति संक्षिप्त हो।
2. महत्त्वपूर्ण बातें और घटनाएँ ही लिखी जाएं।
3. घटनाओं के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया या विचार भी लिखा जाए।
4. डायरी में मनोभावों की सच्ची-सच्ची अभिव्यक्ति की जाती है जिससे डायरी लेखक स्वयं अपने जीवन के क्रियाकलापों पर दृष्टि डालकर उनमें आवश्यक परिवर्तन कर सके।

महानुभावों की डायरी में उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ सामाजिक तथा राष्ट्रीय कार्यों और परिस्थितियों का भी विवरण मिलता है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर जीवनी लिखने के लिए दो-दो महापुरुषों के नाम बतलाइए तथा उनमें से किसी एक की जीवनी संक्षेप में लिखिए।	रचना कीजिए
❑ किसी ऐसे दिन की डायरी लिखिए, जिस दिन आप किसी पिकनिक पर गए हों और कोई अनोखी घटना घटी हो।	रचना कीजिए

10.1.1.2 स्वतंत्र रचना

स्वतंत्र अथवा मुक्त रचना से तात्पर्य ऐसी रचना से है जिसमें लेखक किसी विशिष्ट विषय पर सामग्री को अपने ढंग और अपनी दृष्टि से संयोजित करता है। उसमें उसे शब्द चयन और भाषा प्रयोग की स्वतंत्रता रहती है। वह निर्देशित रचना की भांति किसी विशिष्ट या नियमों से बंधा नहीं रहता। इस प्रकार की रचना में उसकी मौलिकता झलकती है। यद्यपि हम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों से पूर्ण स्वतंत्र और मौलिक रचना की अपेक्षा नहीं कर सकते फिर भी इसके लिए हम उचित दिशा अवश्य प्रदान कर सकते हैं। अतः इस स्तर के विद्यार्थियों को पहले सरल, ज्ञात और स्थूल विषयों पर मार्गदर्शन करते हुए कुछ स्वतंत्रता के साथ लिखने के अवसर देने चाहिए। इससे उनमें धीरे-धीरे स्वतंत्र रूप से लिखने की क्षमता आ जाएगी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी और संवाद लेखन के अभ्यास द्वारा हम विद्यार्थियों को स्वतंत्र रचना कार्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं।

1. कहानी

विद्यार्थियों के लिए कहानी सबसे लोकप्रिय विधा है वे बड़े चाव से कहानी सुनते, पढ़ते और कहते हैं। अतः उन्हें स्वयं कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उनकी सृजनात्मक और कल्पना शक्ति को विकसित होने के उचित अवसर मिलेंगे।

प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को मनोरंजक, काल्पनिक और चमत्कार पूर्ण कहानियाँ रुचिकर लगती हैं, जैसे— परियों की कहानियाँ, पशु-पक्षी और जीव-जंतुओं की कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, साहस और शौर्य की कहानियाँ, नैतिक बोध की कहानियाँ। उच्च प्राथमिक स्तर पर उन्हें घटना प्रधान कहानियाँ, त्याग और बलिदान की कहानियाँ, देश भक्ति की कहानियाँ, विनोदात्मक और व्यंग्यात्मक कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, वैज्ञानिक चमत्कारों की कहानियाँ और नीति प्रधान कहानियाँ अच्छी लगती हैं।

इस संदर्भ में रा.शै.अ.प्र. परिषद् द्वारा निर्मित (बाल भारती) कक्षा 2 से 5 तक की पाठ्यपुस्तक भाग 2, 3, 4, 5 और कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों (किशोर भारती भाग 1, 2, 3) में आई हुई कहानियों के कथानक, चरित्र और जीवन मूल्यों की ओर ध्यान दिलाइए और स्तरानुसार कहानी रचना के लिए प्रोत्साहित कीजिए।

कहानी रचना में ध्यान देने योग्य बातें

(क) कहानी लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें रोचकता बनी रहे और उसके कथा-सूत्र का विकास स्वाभाविक रूप से हो।

(ख) कहानी में कथानक और पात्र काल्पनिक भी हो सकते हैं और व्यावहारिक जीवन से संबंधित भी। किन्तु कहानी के काल्पनिक पात्रों में मानव व्यवहार की झलक मिलनी चाहिए और वर्णित घटना सच्ची प्रतीत होनी चाहिए।

कहानी रचना के लिए विविध अभ्यास

कहानी रचना सिखाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के

अभ्यास उपयोगी सिद्ध होते हैं—

1. चित्रों के आधार पर कहानी लिखने का अभ्यास।
2. किसी कहानी को पढ़कर उसे अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास।
3. पढ़ी हुई कहानी की घटनाओं को अपनी कल्पना से नया मोड़ देते हुए कहानी लिखने का अभ्यास।
4. किसी अधूरी कहानी को पूरा करने का अभ्यास।
5. किसी घटना, संकेत अथवा रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने का अभ्यास।
6. किसी चुटकुले या लोकोक्ति आदि को आधार बनाकर कहानी सिखाने का अभ्यास।
7. किसी कहानी के प्रारंभ, मध्य या अंत के आधार पर पूरी कहानी लिखने का अभ्यास।
8. किसी देखी हुई अथवा सुनी हुई घटना के आधार पर स्वयं स्वतंत्र रूप से कहानी लिखने का अभ्यास।

2. संवाद

किसी उपन्यास, कहानी, नाटक या एकांकी में पात्रों के बीच होने वाले वार्तालाप या बातचीत को संवाद या कथोपकथन कहते हैं।

संवाद कुशलता से उचित अवसर पर उचित बात कहने की क्षमता बढ़ती है। अतः भाषा पर अधिकार प्राप्त करने की दृष्टि से भी संवाद कहने और लिखने का विशेष महत्त्व है।

संवाद रचना के लिए ध्यान देने योग्य बातें

(क) संवाद की भाषा पात्र के चरित्र, स्वभाव, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और मर्यादा के अनुरूप होनी चाहिए।

(ख) संवाद सरल, रोचक और संक्षिप्त होना चाहिए।

(ग) संवाद कथानक के अनुरूप हो।

संवाद रचना के लिए अभ्यास

1. कहानी, एकांकी अथवा संवादात्मक पाठों से संवादों का संकलन कीजिए और विद्यार्थियों को सुनाइए तथा उन्हें भी सुनाने के लिए कहिए। इससे उनमें संवाद कहने के साथ-साथ संवाद लिखने की रुचि जाग्रत होगी।
2. कुछ घटनाओं या विषयों पर विद्यार्थियों से वार्तालाप या परिचर्चा करनी चाहिए और वार्तालाप या परिचर्चा को संवाद के रूप में लिखवाना चाहिए।
3. किसी पढ़ी हुई कहानी को संवाद के रूप में लिखने का अभ्यास करवाना चाहिए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ी हुई किसी कहानी को नया मोड़ देकर अपनी भाषा में लिखिए।	रचना कीजिए
❑ किसी देखी हुई अथवा सुनी हुई घटना के आधार पर मनोरंजक कहानी लिखिए।	रचना कीजिए
❑ निम्नलिखित कहानियों में से किसी एक कहानी को संवाद रूप में लिखिए— हंस किसका, हार की जीत, लड़की का पिता। (ये कहानियाँ परिषद् द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों में दी गई हैं।)	रचना कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. लिखित रूप में भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को लिखित रचना कहते हैं। रचना का अर्थ है—अपने भावों और विचारों को शुद्ध, परिनिष्ठित भाषा में इस प्रकार व्यक्त करना जिसमें नवीनता और मौलिकता

की झलक मिले।

2. लिखित रचना में भाषा की शुद्धता तथा तथ्यों, भावों और विचारों की क्रमबद्धता, संबद्धता और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति पर ध्यान रखना पड़ता है।
3. लिखित रचना के सामान्यतः दो प्रमुख रूप हैं— निर्देशित रचना और स्वतंत्र रचना। निर्देशित रचना के अंतर्गत पत्र, प्रपत्र, टिप्पणी, संक्षेपण, पल्लवन, अनुच्छेद, निबंध, जीवनी, डायरी आदि आते हैं। स्वतंत्र रचना के अंतर्गत कहानी और संवाद लिए गए हैं। पत्रों के अंतर्गत पारिवारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र के अतिरिक्त, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शोक संवेदना पत्र आदि भी लिए जाते हैं।
4. प्रपत्र अनेक प्रकार के हैं। इस स्तर पर मनीआर्डर प्रपत्र, तार प्रपत्र, बैंक या पोस्ट आफ़िस में खाता खोलने, रुपया जमा करने, रुपया निकालने के प्रपत्र, रेलयात्रा के लिए प्रपत्र आदि भरना सिखा देना चाहिए।
5. संक्षेपण में किसी अवतरण को इस प्रकार संक्षेप में लिखा जाता है कि उसका मुख्य भाव या विचार बना रहे। मोटे तौर पर यह मूल अवतरण के एक तिहाई आकार में आ जाता है। पल्लवन ठीक इसके विपरीत रचना है। इसमें किसी सूत्र कथन या सूक्ति को विस्तार से समझाया जाता है जिससे उसका भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाए।
6. टिप्पणी में किसी भाषण, वार्तालाप, घटना, आदेश आदि पर अति संक्षेप में अपना मत प्रकट किया जाता है। डायरी में पूरे दिन भर के कार्यों में से महत्त्वपूर्ण बातों का संक्षेप में उल्लेख किया जाता है।
7. विचारों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता बनाए रखने के लिए एक विचार बिन्दु को जितने वाक्यों में लिखते हैं, उस वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं।
8. लिखित रचना में निबंध का विशेष महत्त्व है। निबंध लेखन के द्वारा ही गद्य की भाषा के मानक, शुद्ध और परिष्कृत रूप का प्रयोग करना आता है। निबंध लेखन के लिए उपयुक्त विषयों का चयन आवश्यक होता है।
9. जीवनी में व्यक्ति के कार्य, चरित्र, स्वभाव, गुण आदि का रोचक ढंग से वर्णन किया जाता है।
10. स्वतंत्र रचना सिखाने में कहानी और संवाद का विशेष महत्त्व है। कहानी में जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को घटना और परिस्थितियों तथा पात्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही प्रिय विधा है। अतः कहानी रचना सिखाने के लिए प्रचुर अभ्यास देना चाहिए।
11. पात्रों के बीच होने वाले वार्तालाप या बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद की भाषा सरल, रोचक और पात्र के स्वभाव और मर्यादा के अनुकूल होनी चाहिए।

मूल्यांकन

1. लिखित रचना से क्या तात्पर्य है?
2. लिखित रचना के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
3. निर्देशित रचना से क्या तात्पर्य है? इसके प्रमुख रूपों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए।
4. पत्र में प्रमुख रूपों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए।
5. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के प्रपत्रों को भरना सिखाना आवश्यक समझते हैं?
6. निम्नलिखित रचना रूपों की विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए—1. संक्षेपण, 2 पल्लवन, 3 टिप्पणी, 4. अनुच्छेद, तथा 5. जीवनी। इनके लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
7. डायरी लिखने में किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है?
8. निबंध रचना में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
9. कहानी रचना की क्या विशेषताएँ हैं? प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की कहानियाँ रुचिकर होती हैं?
10. संवाद किसे कहते हैं? संवाद लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कैप्सूल 10.2

लिखित रचना शिक्षण की विधियाँ तथा मूल्यांकन

व्यवहारगत उद्‌देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. लिखित रचना के विभिन्न रूपों की शिक्षण विधियों से अवगत हो सकेंगे और उनका उचित प्रयोग कर सकेंगे।
2. लिखित रचना कार्य के मूल्यांकन और संशोधन की विधियों से परिचित हो सकेंगे तथा उनका यथोचित प्रयोग कर सकेंगे।
3. लिखित रचना को प्रभावी बनाने के लिए उपचार और उपाय कर सकेंगे।

लिखित रचना के अनेक रूप हैं। निर्देशित और स्वतंत्र रचना के अंतर्गत उनका उल्लेख किया जा चुका है। उन सभी रूपों के शिक्षण की एक विधि नहीं हो सकती। वैसे भी किसी विधि के प्रयोग से पूर्व विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक स्तर और भाषिक योग्यता को भी ध्यान में रखना होता है। अतः लिखित रचना के रूप, उनके विषय और प्रकरण तथा विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार ही उचित विधि अपनानी चाहिए।

10.2.1 लिखित रचना शिक्षण की प्रमुख विधियाँ

लिखित रचना शिक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं :

1. आदर्श अनुकरण विधि

किसी विशेष प्रकार की रचना का आदर्श या नमूना देखकर उसके अनुकरण के आधार पर रचना कार्य करना अनुकरण विधि का प्रयोग कहा जाता है। इसे "देखो और लिखो" विधि भी कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर निम्नांकित रचना कार्य सिखाने के लिए यह विधि उपयुक्त मानी जाती है—

1. पत्र रचना शिक्षण 3. संक्षेपण और पल्लवन करना
2. प्रपत्र भरना 4. टिप्पणी और डायरी लिखना

इनके नमूने प्रस्तुत करके उन पर विद्यार्थियों से चर्चा की जाती है। प्रश्नोत्तर के आधार पर आवश्यक बिन्दुओं को श्यामपट्ट पर लिखकर उन्हें रचना करने को कहा जाता है।

2. चित्र वर्णन विधि

चित्रों के आधार पर किसी घटना का वर्णन करने अथवा कहानी लिखने की विधि चित्र वर्णन विधि कहलाती है। इस विधि में किसी एक चित्र को अथवा एक से अधिक चित्रों को क्रम से प्रस्तुत करते हुए उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं।

प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के शिक्षण के लिए चित्र वर्णन विधि विशेष उपयोगी मानी जाती है। इस विधि के प्रयोग की सफलता चित्रों पर शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर निर्भर है। इस प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया में उभरे मुख्य बिन्दुओं का श्यामपट्ट पर उल्लेख करते जाना चाहिए जिससे कहानी की स्वतः ही रूपरेखा बन जाए।

3. रूपरेखा विधि

इस विधि में एक निश्चित रूपरेखा अथवा संकेत सूत्र देकर विद्यार्थियों को रचना कार्य करने के लिए कहा जाता है। जो विषय विद्यार्थियों के लिए कठिन या अज्ञात से होते हैं, उन पर रचना कार्य कराने के लिए यह विधि उपयोगी मानी जाती है। इस विधि को सूत्र विधि या प्रबोधन विधि भी कहते हैं।

4. परिचर्चा तथा तर्क विधि

उच्च प्राथमिक स्तर पर निबंध रचना के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। रचना में वांछित विषय सामग्री के लिए शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा, विचार-विमर्श तथा तर्क-वितर्क करता है जिससे विषय के संबंध में पर्याप्त सामग्री एकत्र हो जाती है। विद्यार्थी को भी खुलकर परिचर्चा

में भाग लेने और अपने भाव, विचार और मत प्रकट करने के अवसर मिलते हैं।

5. स्वाध्याय विधि

इस विधि में रचना की विषय सामग्री पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं में ढूंढने और उनका चयन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षक आवश्यक पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं विद्यार्थियों को दे देता है और सामग्री चयन, संकलन और संयोजन में उनकी सहायता करता है। इस विधि का लाभ यह है कि विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृति विकसित होती है तथा विषय सामग्री की स्वयं खोज करने और उसके आधार पर रचना करने में उन्हें संतोष का अनुभव होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जीवनी या निबंध रचना के लिए यह विधि उपयोगी सिद्ध होती है।

उपर्युक्त विधियों के विषय में इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि केवल एक विधि रचना शिक्षण के लिए पूर्ण सिद्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए अनुकरण विधि, रूपरेखा विधि या परिचर्चा विधि में प्रश्नोत्तर विधि का योग लिए बिना काम नहीं चलता है। अतः शिक्षक को रचना विषय की आवश्यकता के अनुसार अपने विवेक के आधार पर उपर्युक्त विधि/विधियों का प्रयोग करना चाहिए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ पत्र शिक्षण में आदर्श अनुकरण विधि का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।	चर्चा कीजिए
❑ चित्र वर्णन विधि द्वारा किसी कहानी की रचना कीजिए।	रचना कीजिए
❑ किसी रचना के लिए रूपरेखा या संकेत सूत्र देना आप क्यों आवश्यक समझते हैं? कक्षा 6 के लिए "स्वच्छता" विषय पर एक निबंध लिखवाने की रूपरेखा तैयार कीजिए।	चर्चा कीजिए और रूपरेखा तैयार कीजिए

10.2.2 लिखित कार्य का मूल्यांकन तथा संशोधन

मूल्यांकन और संशोधन दोनों एक साथ जुड़ी हुई प्रक्रियाएँ हैं। रचना के मूल्यांकन से पता चलता है कि वह रचना विषय, भाव प्रकाशन, तथ्यों, भावों और विचारों के क्रमायोजन तथा मौलिकता की दृष्टि से किस कोटि की है। इन बिन्दुओं में से प्रत्येक के संबंध में विद्यार्थी की कमियों तथा अशुद्धियों को चिह्नित किया जाता है। संशोधन कार्य में इन अशुद्धियों का शुद्ध रूप लिखकर विद्यार्थियों से उनका अभ्यास कराया जाता है।

लिखित रचना के मूल्यांकन और संशोधन में ध्यान देने योग्य बातें

लिखित रचना के मल्यांकन में भाषिक शुद्धता, विषय सामग्री तथा रूप और शैली की ओर ध्यान देना अनिवार्य है—

1. **भाषिक शुद्धता :** इसके अन्तर्गत लिपि, वर्तनी, शब्द, वाक्य रचना, लिंग, वचन, विभक्ति, पदक्रम, अन्विति, विराम चिह्न, अनुच्छेदीकरण तथा शुद्ध भाषा प्रयोग मूल्यांकन के महत्त्वपर्ण बिन्दु हैं।
2. **विषय सामग्री संबंधी :** इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना अनिवार्य है—
   (1) रचना की दृष्टि से अपेक्षित विषय सामग्री की पर्याप्तता-अपर्याप्तता, तथ्यों तथा विचार सामग्री की पूर्णता-अपूर्णता।
   (2) विषय सामग्री का क्रमायोजन, प्रस्तुतीकरण— सुसंबद्ध अथवा बिखरा हुआ।

(3) विद्यार्थी की रचना की मौलिकता झलकती है या नहीं। उसमें उसके अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है या नहीं।

3. **रूप और शैली संबंधी** : रचना के विभिन्न प्रकारों का अपना-अपना रूप तथा अपनी शैली होती है। मूल्यांकन करते समय ध्यान रखा जाए कि रचना के प्रकार के अनुकूल रूप और शैली का ठीक-ठीक निर्वाह हुआ है या नहीं।

मूल्यांकन संबंधी उपर्युक्त बिन्दुओं को ही आधार बनाकर संशोधन कार्य करना चाहिए। तभी संशोधन रचना-परिष्कार के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकता है। संशोधन के संबंध में निम्नलिखित बातों की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए—

1. विद्यार्थी कुछ अशुद्धियाँ अज्ञानता के कारण करते हैं और कुछ असावधानी अथवा भूल के कारण। असावधानी या भूल के कारण हुई अशुद्धियों के लिए संकेत मात्र, प्रश्न सूचक चिह्न अथवा गलत(x)चिह्न लगा देना चाहिए। इस चिह्न मात्र से विद्यार्थी अपनी गलती समझ लेते हैं और स्वयं संशोधन कर लेते हैं। पर अज्ञानता के कारण होने वाली अशुद्धियों का संशोधित रूप श्यामपट्ट पर लिखना आवश्यक है। विद्यार्थियों को इन संशोधित रूपों के अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है।
2. अशुद्धियों के लिए कुछ संकेत चिह्न निश्चित कर लेना चाहिए, जैसे— वर्तनी अशुद्धि = व, वाक्य रचना की अशुद्धि = वा, विराम चिह्न = वि, आदि। इन चिह्नों का निर्धारण शिक्षक स्वयं कर सकता है। इन चिह्नों से विद्यार्थियों को अवगत करा देना चाहिए जिससे चिह्न देखते ही विद्यार्थी समझ जाएँ और आवश्यक संशोधन कर लें।
3. विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली सामान्य अशुद्धियों की सूची तैयार करें और उन्हें वर्गीकृत और क्रमायोजित करके कक्षा में विद्यार्थियों को बताएँ। ऐसी अशुद्धियों के संशोधित रूप भी पूरी कक्षा के सामने बता देने चाहिएं तथा विद्यार्थियों से संशोधित रूप का अधिकाधिक अभ्यास कराते रहना चाहिए। विद्यार्थी यदि पुरानी अशुद्धि पुनः करता है तो उसका ध्यान उस ओर अवश्य दिलाएँ और उसके संशोधित रूप को देखें।
4. विद्यार्थियों की रचना का संशोधन विद्यालय में ही और यथासंभव उसी दिन पूरा कर लेना चाहिए। इससे वे संशोधन पर विशेष ध्यान देते हैं।

रचना कार्य के संशोधन की विधियाँ : आवश्यकतानुसार संशोधन की दो विधियाँ अपनाई जाती हैं— व्यक्तिगत संशोधन और सामूहिक संशोधन।

(क) **व्यक्तिगत संशोधन विधि** : इसमें प्रत्येक विद्यार्थी की रचना का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन और संशोधन किया जाता है। यह संशोधन कार्य सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इस विधि में प्रत्येक विद्यार्थी की अलग-अलग अशुद्धियों को संशोधित करने का प्रयास किया जाता है। किन्तु यह विधि बहुत ही समय-साध्य विधि है। अतः आवश्यकतानुसार सामूहिक संशोधन विधि अपनानी पड़ती है।

(ख) **सामूहिक संशोधन विधि :** इसमें रचना संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ सभी विद्यार्थियों को एक साथ बता दी जाती हैं और विद्यार्थी स्वयं अपनी-अपनी रचनाओं में संशोधन कर लेता है। इसका एक तरीका यह भी है कि विद्यार्थी एक-दूसरे की रचनाएँ बदल लेते हैं और शिक्षक के निर्देशानुसार संशोधन करते हैं। इससे संशोधन कार्य में समय की बचत होती है और कोई अशुद्धि संशोधन से छूट नहीं पाती। देखा जाता है कि स्वयं अपने संशोधन में असावधानी के कारण कोई न कोई अशुद्धि रह जाती है पर एक-दूसरे की रचना बदल कर संशोधन करने से अशुद्धि छूटने की संभावना कम रहती है।

सामूहिक संशोधन विधि में समय की बचत होने के

बावजूद व्यक्तिगत संशोधन को अधिक अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का अवसर मिलता है और वह उसकी कठिनाइयों से परिचित हो जाता है। किंतु प्रयास यह हो कि विद्यार्थी धीरे-धीरे सामूहिक संशोधन के आधार पर स्वतः संशोधन की क्षमता विकसित कर लें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ कक्षा के किसी विद्यार्थी की कोई रचना लेकर उसके मूल्यांकन और संशोधन का नमूना प्रस्तुत कीजिए।	क्रियापरक उदाहरण दीजिए
❑ सामूहिक और व्यक्तिगत संशोधन के गुण दोष के आधार पर तुलना कीजिए।	तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए

10.2.3 रचना कार्य को प्रभावी बनाने के लिए उपचार और उपाय

अच्छी रचना का आधार शुद्ध और सटीक भाषा का प्रयोग है। विद्यार्थी को शुद्ध वर्तनी, शब्द-प्रयोग, वाक्य-रचना, अनुच्छेद-लेखन, उचित विराम चिह्न के प्रयोग की जितनी अच्छी जानकारी होगी उतनी ही रचना प्रभावी होगी। वर्तनी की अशुद्धियाँ रचना को कमजोर बनाती हैं अतएव शुद्ध लेखन सिखाने की दृष्टि से निरन्तर उपचारात्मक अभ्यास करवाने चाहिए और अशुद्धियाँ न हों इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसकी ओर विस्तार से मॉड्यूल-9 (कैप्सूल 9.3) में विचार किया गया है। भाषा के साथ शैली का भी अटूट संबंध है। अनुच्छेद, निबंध, कहानी, जीवनी, संवाद आदि की रचना-प्रक्रिया और भाषा-शैली अलग-अलग होती है, अतः इन सभी रूपों की शैलियों से विद्यार्थियों को परिचित करा देना चाहिए। प्रपत्र के कॉलम ठीक-ठीक भरने के लिए विद्यार्थियों को सचेत करना चाहिए। छात्राध्यापक मूल्यांकन करते समय विद्यार्थियों के रचना कार्यों में पाई जाने वाली अशुद्धियों की सूची बनाते रहें और उनके सुधार के लिए यथानुरूप उपचारात्मक अभ्यास कराते रहें।

शुद्ध, सहज, मुहावरेदार सरल भाषा का प्रयोग ही रचना को प्रभावी बनाता है। यहाँ कुछ अन्य उपायों की ओर संकेत किया जा रहा है :

1. **उपयुक्त प्रकरणों का चयन :** लिखित रचना के कुछ रूप ऐसे होते हैं जिनमें उपयुक्त प्रकरणों के चयन का विशेष महत्त्व है। ये प्रकरण ऐसे हों जो बालकों के लिए रोचक, प्रेरक और उनके जीवन तथा परिवेश से संबंधित हों। उदाहरणतः जीवनी के लिए ऐसे महापुरुषों का चयन करना चाहिए जिनकी जीवनी उनके लिए विशेष प्रेरक हो। अनुच्छेद और निबंध रचना के लिए ऐसे विषयों का चयन करना चाहिए जो सरल और परिचित हों तथा उनके जीवन और परिवेश से संबंधित हों। ऐसे प्रकरणों का उल्लेख कैप्सूल 10.1 में किया जा चुका है।
2. **उचित प्रस्तावना :** किसी भी विषय से संबंधित लिखित रचना शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व उस विषय की ओर विद्यार्थियों को प्रवृत्त करने के लिए उचित और प्रभावपूर्ण प्रस्तावना आवश्यक है। सरल, सुबोधगम्य और रोचक भाषा में प्रस्तावना प्रस्तुत करने से विद्यार्थियों में रचना कार्य के लिए रुचि जाग्रत होती है। निबंध में प्रस्तावना का विशेष महत्त्व है जिसका उल्लेख कैप्सूल 10.1.1 में किया गया है।
3. **विषय सामग्री का ज्ञान :** किसी भी विषय पर रचना कार्य कराने से पूर्व यह देख लेना जरूरी है कि विद्यार्थियों के पास विषय संबंधी पर्याप्त जानकारी हो। इसीलिए विषय संबंधी परिचर्चा, विचार विमर्श और प्रश्नोत्तर विधि द्वारा विद्यार्थियों को विषय सामग्री का

ज्ञान कराया जाता है। इसी कारण लिखित रचना की तैयारी के लिए मौखिक रचना को महत्त्व देने का भी यही कारण है। मौखिक रूप से किसी विषय पर चर्चा हो जाने के बाद उस पर लिखित रचना प्रस्तुत करना सरल हो जाता है।

4. **स्वतंत्र भाव-प्रकाशन की क्षमता :** इस क्षमता के विकास में रचना कार्य विशेषतः स्वतंत्र रचना कार्य से विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा का विकास होता है। इसमें प्रेक्षण का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यार्थी विविध स्थानों, प्राकृतिक दृश्यों, घटनाओं और सामूहिक क्रियाकलापों, उत्सवों, शिक्षाप्रद चलचित्रों, नाटकों आदि के प्रेक्षण से प्राप्त अनुभवों को अपनी कल्पना का पुट देते हुए स्वतंत्र रचना की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अतः उन्हें अवलोकन और स्वानुभव के आधार पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अभ्यास कार्य

- अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के रचना कार्य में पाई जाने वाली सामान्य अशुद्धियों को छांटिए और उनके सुधार के लिए उपचारात्मक अभ्यास कराइए।

निर्देश

सूची बनाइए और अभ्यास कराइए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. लिखित रचना के अनेक रूप हैं। अतः उनकी विधा तथा शैलीगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए तदनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग वांछित है। इस दृष्टि से रचना शिक्षण की प्रमुख पाँच विधियाँ हैं—
   1. आदर्श अनुकरण विधि जिसका प्रयोग पत्र, प्रपत्र, संक्षेपण, पल्लवन, प्रतिवेदन आदि रचनाओं के शिक्षण में उपयोगी होता है।
   2. चित्र वर्णन विधि प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना की दृष्टि से उपयुक्त विधि मानी जाती है। इस विधि के प्रयोग की सफलता चित्रों पर पूछे गए प्रश्नों पर निर्भर करती है। प्रश्नोत्तर युक्ति की सहायता से चित्र वर्णन करते समय विद्यार्थियों को अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं और वे पाठ विकास में सक्रिय भागीदार बने रहते हैं।
   3. रूपरेखा विधि विषय सामग्री को संयोजित करने तथा क्रमबद्ध रूप से उसके लेखन के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है।
   4. परिचर्चा तथा तर्क विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को विचार विमर्श तथा तर्क-वितर्क करने का अवसर देता है। इससे रचना कार्य के संबंध में पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो जाती है।
   5. स्वाध्याय विधि में विद्यार्थियों को रचना कार्य की सामग्री का चयन, संकलन तथा क्रमायोजन स्वयं करना पड़ता है। इससे विद्यार्थियों में खोज की प्रवृत्ति विकसित होती है।

   ये विधियाँ परस्पर पूरक हैं; अतः रचना शिक्षण में उनका यथावश्यक समन्वित रूप में प्रयोग करना उचित रहता है।
2. मूल्यांकन और संशोधन का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी रचना संबंधी अपनी त्रुटियों और अशुद्धियों को दूर करें और उसे परिष्कृत तथा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रयत्नशील बने रहे।
3. मूल्यांकन और संशोधन दोनों एक साथ जुड़ी हुई

प्रक्रियाएँ हैं। मूल्यांकन में रचना किस स्तर की है, इसकी जाँच की जाती है और उसकी अशुद्धियों को चिह्नित किया जाता है। संशोधन कार्य में अशुद्धियों का रूप लिखा जाता है, विद्यार्थी इन शुद्ध रूपों का ही अभ्यास करते हैं। मूल्यांकन में भाषा संबंधी, विषयवस्तु संबंधी और रूप तथा शैली संबंधी बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाता है और संशोधन द्वारा इनसे संबंधित त्रुटियों का सुधार सुझाया जाता है। संशोधन के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों विधियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाता है।

4. रचना शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उपयुक्त विषयों का चयन, उचित और प्रभावपूर्ण प्रस्तावना, विषय सामग्री का ज्ञान, स्वतंत्र भाव प्रकाशन की क्षमता आदि पर बल देना अनिवार्य है।

मूल्यांकन

1. पत्र-प्रपत्र रचना शिक्षण के लिए आप किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं और क्यों?
2. प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए चित्र वर्णन विधि क्यों उपयोगी मानी जाती है?
3. निम्नांकित विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : आदर्श अनुकरण विधि, परिचर्चा विधि तथा स्वाध्याय विधि।
4. रचना शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि अन्य विधियों के प्रयोग में किस प्रकार सहायक होती है?
5. रूपरेखा विधि से क्या अभिप्राय है? रचना शिक्षण में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।
6. निश्चित रूपरेखा पर आग्रह न करके विद्यार्थियों को स्वतंत्र भाव प्रकाशन के लिए प्रोत्साहन को आप क्यों उपयुक्त समझते हैं?
7. लिखित रचना के परिष्कार की दृष्टि से मूल्यांकन और संशोधन का क्या महत्त्व है?
8. मूल्यांकन में रचना संबंधी किन-किन पक्षों का ध्यान रखना आवश्यक है?
9. सामूहिक संशोधन से क्या तात्पर्य है?
10. रचना शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के क्या-क्या उपाय हैं?

कैप्सूल 10.3

पाठ योजना

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

रचना के विविध रूपों के शिक्षण के लिए उनकी पाठ योजना का निर्माण कर सकेंगे और कक्षा में उनका उचित प्रयोग कर सकेंगे।

आप इस मॉड्यूल के कैप्सूल 10.1 में लिखित रचना के विविध रूपों से तथा कैप्सूल 10.2 में उनकी शिक्षण विधियों से परिचित हो चुके हैं। किन्तु कक्षा में उनके सुनियोजित प्रयोग तथा प्रभावपूर्ण शिक्षण के लिए उनकी पाठ योजना के निर्माण का ज्ञान आवश्यक है। अतः यहाँ निर्देशित रचना शिक्षण की दृष्टि से निबंध रचना शिक्षण और स्वतंत्र रचना शिक्षण की दृष्टि से कहानी रचना शिक्षण से संबंधित एक-एक पाठ योजना का नमूना प्रस्तुत किया जा रहा है।

निबंध लेखन की पाठ योजना

विषय—निबंध लेखन

कक्षा—8

प्रकरण—दैनिक समाचारपत्र

उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के बाद विद्यार्थी—

1. स्थानीय दैनिक समाचारमत्रों के नाम बता सकेंगे।
2. दैनिक समाचारपत्र में छपने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री के विषय में बता सकेंगे।
3. समाचारपत्रों से होने वाले लाभ के विषय में अपने विचार प्रकट कर सकेंगे।
4. समाचारपत्र के विषय में लगभग 200 शब्दों में निबंध लिख सकेंगे।

पूर्वज्ञान

1. विद्यार्थी समाचारपत्र के विषय में सामान्य रूप से परिचित हैं। संभव है कि वे स्थानीय समाचारपत्रों के नाम जानते हों और उन्हें कभी-कभी पढ़ते भी हों, पर उन्हें समाचारपत्रों के विभिन्न अंगों तथा महत्त्व के विषय में अधिक जानकारी नहीं है।
2. संभव है, कुछ विद्यार्थियों ने कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक बाल भारती भाग-5 में "समाचारपत्र" पाठ पढ़ा भी हो।

सहायक सामग्री

1. हिंदी के कुछ दैनिक समाचारपत्र (नवभारत टाइम्स, दैनिक हिन्दुस्तान, आज, दैनिक जागरण आदि या इनमें से कोई), साप्ताहिक पत्र (साप्ताहिक हिन्दुस्तान, धर्मयुग आदि) और मासिक पत्रिकाएँ (नंदन, चंदामामा, चंपक आदि)।

प्रस्तावना

1. प्राचीन काल में समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचाए जाते थे?
   (संदेशवाहकों द्वारा)
2. आजकल तुम देश-विदेश के समाचार किस तरह प्राप्त करते हो?
   (समाचारपत्र, टेलिफोन, तार, रेडियो, दूरदर्शन द्वारा)
3. इन साधनों में सबसे सुलभ और सस्ता कौन है?
   (समाचारपत्र)
4. तुम लोगों के सामने कुछ समाचारपत्र तथा पत्र-पत्रिकाएँ यहाँ प्रस्तुत हैं। इन्हें देखकर बताओ कि इनमें से कौन से समाचारपत्र और पत्रिकाएँ तुम्हारे घर तथा विद्यालय में आते हैं।
   (विद्यार्थियों द्वारा बताए गए नामों को शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा)

शिक्षक कथन : बच्चो! तुमने देखा कि इनमें कुछ दैनिक

समाचारपत्र हैं, कुछ साप्ताहिक पत्र हैं और कुछ मासिक बाल पत्रिकाएँ हैं। साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं में सप्ताह या माह के प्रमुख समाचार, कहानियाँ और समसामयिक लेख होते हैं। नंदन और चंदामामा जैसी मासिक बाल पत्रिकाओं में मनोरंजक कहानियाँ, चुटकुले और सरल लेख होते हैं। पर दैनिक समाचारपत्रों में प्रतिदिन देश-विदेश के समाचार तथा अन्य अनेक प्रकार की सामग्री छपी होती है। आज हम दैनिक समाचारपत्र के विषय में उसमें छपी विषय सामग्री, उसकी उपयोगिता आदि पर चर्चा करते हुए एक निबंध लिखेंगे।

विकासात्मक प्रश्न

1. बच्चो! देखो यह आज का समाचारपत्र है। इस दैनिक समाचारपत्र के पहले पृष्ठ को देखो और बताओ—कौन-कौन से समाचार इस पृष्ठ पर छपे हैं?
   (देश-विदेश के अनेक समाचार)
2. अब इस पृष्ठ को देखो और बताओ इस पर क्या सामग्री छपी है?
   (संपादकीय, लेख, टिप्पणी आदि)

शिक्षक कथन—संपादकीय में किसी महत्त्वपूर्ण समस्या या देश-विदेश की घटनाओं या समाचारों पर संपादक अपने विचार और दृष्टिकोण व्यक्त करता है। संपादकीय समाचारपत्र का महत्त्वपूर्ण अंश माना जाता है क्योंकि इसका प्रभाव जनमत पर पड़ता है।

3. अब अगले पृष्ठ को देखो और बताओ कि इस पर मुख्य समाचार क्या है?
   (खेल संबंधी समाचार)
4. समाचारपत्र के इस पृष्ठ को देखो और बताओ क्या सामग्री छपी है?
   (व्यापारिक समाचार, वस्तुओं के भाव, शेयर बाजार...)
5. (चित्र और कार्टून दिखाते हुए) यह देखो, यह किस प्रकार की सामग्री छपी है?
   (चित्र, कार्टून आदि)
6. इन पृष्ठों पर जगह-जगह और क्या सामग्री छपी है?
   (विज्ञापन है, साइकिल, मोटर से लेकर नाना प्रकार की वस्तुओं के विज्ञापन)।

शिक्षक कथन : बच्चों! तुमने देखा कि समाचारपत्र में देश-विदेश के समाचार, संपादकीय लेख, टिप्पणी, समसामयिक लेख, खेल, व्यापार संबंधी समाचार, विज्ञापन, चित्र, कार्टून आदि अनेक प्रकार की सामग्री छपती है।

7. बच्चो! सोचकर बताओ कि समाचारपत्र में छपी यह विभिन्न प्रकार की सामग्री किसने तैयार की होगी?
   (संभव है बच्चे इस का सही-सही उत्तर न दे पाएं)

अध्यापकीय कथन : समाचारपत्र के प्रकाशन में मुख्यतः दो विभाग कार्य करते हैं। एक सम्पादकीय विभाग तथा दूसरा प्रेस विभाग। संपादकीय विभाग में एक प्रधान संपादक होता है जिसके साथ कई अन्य सहायक संपादक, संवाददाता आदि होते हैं। ये जगह-जगह से प्राप्त समाचारों और लेखों को एकत्र करके उनमें आवश्यक परिवर्तन करते हैं और उनके लिए अलग-अलग पृष्ठ का संकेत देते हैं, फिर प्रेस विभाग उन्हें छापता है।

8. दैनिक समाचारपत्र पढ़ने से क्या लाभ होता है?
   (ज्ञानवर्धन, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और समाचारों की जानकारी)
9. ज्ञानवर्धन के अलावा और क्या लाभ होता है?
   (मनोरंजन, सामाजिक और राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा समस्याओं के प्रति जागरूकता)

श्यामपट्ट लेख और रूपरेखा निर्माण

शिक्षक विषय सामग्री का विकास करते समय मुख्य-मुख्य बिन्दुओं को श्यामपट्ट पर लिखता जाएगा :

1. कुछ प्रमुख समाचारपत्रों के नाम– दैनिक, साप्ताहिक, मासिक।
2. समाचारपत्र में छपने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री, जैसे : देश-विदेश की प्रमुख घटनाएँ, समाचार, संपादकीय लेख, टिप्पणी, समसामयिक लेख, खेल समाचार, व्यापार समाचार, विज्ञापन, चित्र, कार्टून आदि।

3. समाचारपत्र के दो प्रमुख विभाग—संपादकीय विभाग और प्रेस विभाग।
4. समाचारपत्र से लाभ—ज्ञानवर्धन, मनोरंजन, समसामयिक घटनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं की जानकारी और उनके प्रति जागरूकता।

रचना कार्य

उपर्युक्त रूपरेखा के आधार पर निबंध लेखन के लिए विद्यार्थियों को निर्देश। यदि कक्षा में लेखन कार्य पूरा न हो सके, तो घर से पूरा करके ले आने का निर्देश। विद्यार्थियों को अपने विचार और अनुभव लिखने की स्वतंत्रता भी दी जाए भले ही निर्धारित रूपरेखा से वह भिन्न हो।

संशोधन

विद्यार्थियों द्वारा लिखे हुए निबंध का संशोधन। त्रुटियों के संकेत के साथ-साथ उनके संशोधित रूप लिखे जाएँ और रचना-परिष्कार की दृष्टि से उचित सुझाव भी दिए जाएँ।

चित्रों के आधार पर कहानी लेखन की पाठ योजना

कक्षा : 5

विषय : कहानी की रचना

प्रकरण : चित्रों के आधार पर कहानी लिखना

उद्देश्य

प्रस्तुत चित्रों के आधार पर विद्यार्थी—

1. प्रत्येक चित्र में चित्रित घटनाओं तथा प्राणियों और व्यक्तियों की भाव-मुद्रा का वर्णन कर सकेंगे।
2. क्रम से प्रथम चित्र में वर्णित घटना का दूसरे चित्र में वर्णित घटना से संबंध जोड़ते हुए चित्रों में प्रदर्शित प्राणियों या व्यक्तियों के वार्तालापों तथा संवादों का अनुमान कर सकेंगे।
3. सभी चित्रों के आपसी संबंधों तथा अनुमानित संवादों के आधार पर पूरी कहानी का विकास कर सकेंगे और उसे उचित भाषा में प्रस्तुत कर सकेंगे।
4. कहानी में निहित संदेश को स्पष्ट रूप में व्यक्त कर सकेंगे।

पूर्वज्ञान

1. विद्यार्थियों ने पाठ्यपुस्तकों में कहानी के पाठों में दिए गए चित्रों को देखा है और वे उनसे कहानी की घटनाओं तथा कथावस्तु का संबंध जोड़ लेना जानते हैं।
2. विद्यार्थियों ने चित्रमाला-पुस्तकें देखी हैं और चित्रों के नीचे लिखे गए कथनों को जोड़कर वे पूरी कहानी का वर्णन कर लेते हैं।

सहायक सामग्री : निम्नलिखित 5 चित्र :

चित्र 1. जवान पुत्र गधे पर, बूढ़ा पिता पैदल, तीन दर्शक, एक दर्शक अपना हाथ गधे पर बैठे पुत्र की ओर उठाए हुए।

चित्र 2. पिता गधे पर, पुत्र पैदल, चार दर्शक, एक दर्शक गधे पर बैठे पिता की ओर हाथ से इशारा करते हुए।

चित्र 3. पिता और पुत्र दोनों गधे पर, चार दर्शक, दो दर्शक गधे पर बैठे पिता-पुत्र की ओर हाथ से इशारा करते हुए।

चित्र 4. पिता-पुत्र दोनों पैदल, दोनों के बीच चलता हुआ गधा, चार-पाँच आदमी आश्चर्य से हँसते हुए और एक दर्शक हाथ उठा कर कुछ कहता हुआ।

चित्र 5. पिता-पुत्र गधे को लाठी पर टाँग कर कंधे पर उठाकर जाते हुए। चार-पाँच आदमी आश्चर्य चकित हो ताली पीटते हुए।

प्रस्तावना

बच्चो! हमारे पास कुछ चित्र हैं। बारी-बारी से एक-एक चित्र ध्यान से देखो। उनमें चित्रित दृश्यों और घटनाओं का वर्णन करो। अंत में सभी चित्रों को देखने तथा घटनाओं को जान लेने के बाद उनके आधार पर एक कहानी लिखो।

कथावस्तु का विकास

पहला चित्र दिखाते हुए :

1. इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो?
   (पुत्र गधे पर है, पिता पैदल चल रहा है)
2. इस चित्र में और क्या देख रहे हो?
   (तीन आदमी उनकी ओर देख रहे हैं)

3. एक आदमी गधे की ओर हाथ उठाकर क्या कहना चाहता है?...
(पुत्र तो गधे पर बैठा है और बूढ़ा पैदल है कितनी लज्जा की बात है)
4. उसकी इस बात का पुत्र और पिता पर क्या असर हुआ होगा?
(हो सकता है पुत्र गधे पर से उतर जाए और पिता गधे पर बैठ जाए)
(शाबाश, तुमने ठीक कहा, देखो यह दूसरा चित्र)
5. इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो?
(पिता गधे पर और पुत्र पैदल)
6. इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो?
(चार आदमी उनकी ओर देख रहे हैं)
7. एक आदमी पिता की ओर हाथ उठाकर क्या कह रहा है?
(पिता तो गधे पर है और पुत्र बेचारा पैदल चल रहा है)
8. उसके इस कथन का पिता और पुत्र पर क्या असर हुआ होगा?
(1) हो सकता है, पिता गधे से उतर जाए।
(2) हो सकता है, पिता और पुत्र दोनों गधे पर चढ़ जाएँ)
(हाँ ठीक कहते हो, देखो यह तीसरा चित्र)
9. इस चित्र में तुम लोग क्या देख रहे हो?
(पिता-पुत्र दोनों गधे पर हैं)
10. चित्र में और क्या देख रहे हो?
(चार आदमी उनकी ओर देख रहे हैं? दो आदमी हाथ उठाए उनकी ओर कुछ कहते हुए इशारा कर रहे हैं)
11. वे दोनों क्या कह रहे होंगे?
(ये पिता-पुत्र कितने निर्दयी हैं, दोनों गधे पर बैठे हैं, बेचारा गधा बोझ से दबा जा रहा है)
12. उनकी इस बात का क्या असर पड़ा होगा?
(हो सकता है, दोनों गधे पर से उतर गए हों)
(हाँ, ठीक कहा देखो यह चौथा चित्र)
13. इस चित्र में क्या देख रहे हो?
(पिता-पुत्र दोनों पैदल, गधा उनके साथ-साथ चल रहा है)
14. इस चित्र में और क्या देख रहे हो?
(चार-पाँच आदमी हँस रहे हैं, एक कुछ कह भी रहा है)
15. वे आदमी क्यों हँस रहे हैं?
(गधे के रहते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं)
16. एक आदमी उनकी ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है?
(ये कितने मूर्ख हैं, सवारी रहते हुए भी पैदल चल रहे हैं)
17. उनके हँसने और कहने का पिता-पुत्र पर क्या असर हुआ होगा?
(दोनों गधा छोड़कर भाग गए होंगे)
18. इसके अलावा और क्या हो सकता है?
(देखो, यह पाँचवाँ चित्र और बताओ)
19. इस चित्र में क्या देख रहे हो?
(पिता-पुत्र लाठी पर गधे को टाँग कर ले जा रहे हैं)
20. चित्र में और क्या देख रहे हो?
(कुछ आदमी आश्चर्य से देख रहे हैं और ताली पीट रहे हैं)
21. उनके ताली पीटने का क्या कारण है?
(गधे को लाठी पर टँगा हुआ देखकर, उनकी मूर्खता पर हँसना)
22. ताली पीटने और हँसने का क्या प्रभाव पड़ा होगा?
(वे शायद गधा छोड़कर भाग गए होंगे। शायद गधे को मारते-पीटते तेजी से भगा ले गए होंगे)
(ठीक है, तुम इसका परिणाम अपनी कल्पना से लिखना)
23. इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है?
(उचित अनुचित का निर्णय स्वयं करना चाहिए। दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए)

ठीक है, अब तुम इन चित्रों के आधार पर क्रम से पूरी कहानी लिखो। कहानी का अंत क्या हुआ होगा और इससे क्या शिक्षा मिलती है, इसे तुम स्वतंत्र रूप से अपनी कल्पना से लिखो।

श्यामपट्ट लेख

चित्रों पर आधारित कहानी रचना

1. गधे पर पुत्र को देखकर उसे बुरा-भला कहना।
2. पुत्र का गधे पर से उतर जाना, पिता का गधे पर बैठना।
3. गधे पर पिता को देखकर उसे बेशर्म कहना।
4. पिता और पुत्र दोनों का गधे पर बैठना।
5. गधे पर दोनों को देखकर उन्हें दोष देना और गधे पर तरस खाना।
6. पिता-पुत्र दोनों को पैदल चलते देख उन्हें मूर्ख कहना।
7. गधे को लाठी पर टाँग कर ले जाने पर लोगों का हँसना और ताली पीटना। इसके बाद क्या हुआ होगा, अपनी दृष्टि और कल्पना से लिखना।

कहानी लेखन

उपर्युक्त चर्चा और रूपरेखा के आधार पर विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा में कहानी लिखने का निर्देश देना। चित्रों को क्रम से श्यामपट्ट पर टाँग देना, जिससे विद्यार्थी कथावस्तु के विकास में उनकी सहायता ले सकें।

मूल्यांकन और संशोधन

विद्यार्थियों के रचना कार्य को देखना, उनका मूल्यांकन करना, संशोधन करना और सुधार के लिए उचित सुझाव देना।

मॉड्यूल–11

गद्य शिक्षण

11.0 प्रस्तावना

गद्य के विषय में एक उक्ति प्रचलित है— "गद्य कवीना निकषा वदन्ति" अर्थात् गद्य कवियों अथवा लेखकों की कसौटी मानी जाती है। इसका कारण यह है कि भाषा का जितना निखरा हुआ, जीवन्त और मानक रूप गद्य में मिलता है उतना अन्य विधाओं में नहीं मिलता। इसलिए भाषा को शुद्ध और परिनिष्ठित रूप में सीखने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि गद्य साहित्य के पाठों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाए।

गद्य पाठ में भाषिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने-कराने का विशेष अवसर प्राप्त होता है। भाषिक तत्वों में भाषा के संरचकों या घटकों—ध्वनि, रूप, शब्द, पदबंध, वाक्य आदि का समावेश होता है। इनके अतिरिक्त शब्द-भंडार, वाक्य संरचना, अनुच्छेद रचना, मुहावरों और लोकोक्तियों का शिक्षण भी गद्य शिक्षण का अभिन्न अंग है। भाषा कौशलों के विकास एवं अभ्यास में भी गद्य शिक्षण की विशेष भूमिका होती है। गद्य पाठ विद्यार्थियों को सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने के अनेक अवसर प्रदान करते हैं। गद्य पाठों में प्रस्तुत विषयवस्तु के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का परिचय प्राप्त करते हैं।

गद्य साहित्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अन्तर्गत निबंध, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा-चित्र, एकांकी, यात्रा-वृत्त आदि अनेक विधाएँ आती हैं। प्रत्येक विधा की अपनी-अपनी शैली होती है। गद्य शिक्षण-अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को गद्य की अनेक विधाओं और शैलियों की जानकारी प्राप्त हो सकती है।

गद्य के विविध रूपों का शिक्षण-अधिगम प्रस्तुत मॉड्यूल का उद्देश्य है। गद्य-विधाओं की विषयवस्तु की अनेक रूपता को ध्यान में रखकर इस मॉड्यूल को निम्नलिखित चार कैप्सूलों में विभक्त किया गया है :

कैप्सूल 11.1 में निबंध शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण की विधि, शिक्षण प्रक्रिया के सोपान और पाठ योजना-निर्माण पर चर्चा की गई है।

कैप्सूल 11.2 में जीवनी शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण की विधि, शिक्षण प्रक्रिया के सोपान और पाठ योजना-निर्माण पर विचार किया गया है।

कैप्सूल11.3 में एकांकी शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण की विधि, शिक्षण प्रक्रिया के सोपान और पाठ योजना-निर्माण का वर्णन किया गया है।

कैप्सूल 11.4 में कहानी शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण की विधि, शिक्षण-प्रक्रिया के सोपान और पाठ योजना-निर्माण के संबंध में चर्चा की गई है।

कैप्सूल 11.1
निबंध शिक्षण

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. निबंध शिक्षण के उद्देश्यों को बता सकेंगे।
2. निबंध शिक्षण की विधि एवं शिक्षण-प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों पर चर्चा कर सकेंगे।
3. निबंध शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण कर सकेंगे।

11.1.0 प्रस्तावना

गद्य विधा के पाठों में दो प्रकार के पाठों का समावेश होता है— गहन अध्ययन के पाठ और द्रुत पाठ। शिक्षण की दृष्टि से निबंध गहन अध्ययन का पाठ है। इसके अंतर्गत निबंध की विषयवस्तु तथा भाषिक तत्वों का गहन अध्ययन किया जाता है।

सर्वप्रथम किसी निबंध पाठ के शिक्षण बिंदुओं का चयन किया जाता है। फिर उनको ध्यान में रखकर शिक्षण-उद्देश्यों का निर्धारण और शिक्षण-प्रक्रिया के सोपानों को निश्चित किया जाता है।

11.1.1 निबंध शिक्षण के उद्देश्य

निबंध शिक्षण से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है :

1. वाचन संबंधी

i) **सस्वर वाचन**—शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण, उचित गति, अनुतान तथा आरोह-अवरोह के साथ सस्वर वाचन की योग्यता।

ii) **मौन पठन**—अर्थग्रहण करते हुए तीव्र गति से मौन पठन करने की योग्यता।

2. विषयवस्तु संबंधी

i) पाठ में आए प्रमुख तथ्यों, विचारों और भावों से अवगत होने की योग्यता।

ii) भावों और विचारों के बोध और अर्थग्रहण की क्षमता प्राप्त करने की योग्यता।

iii) पाठ में निहित जीवन मूल्यों और नैतिक गुणों से परिचित होकर उन्हें जीवन में अपनाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करने की योग्यता।

3. भाषा संबंधी

i) शब्द-भंडार में वृद्धि करने की योग्यता।

ii) पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता।

iii) संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय द्वारा शब्द रचना करने की योग्यता।

iv) विशिष्ट पदबंधों और वाक्य संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर उनका उचित प्रयोग करने की योग्यता।

v) सूक्तियों, मुहावरों और लोकोक्तियों का भाषा-व्यवहार में प्रयोग करने की योग्यता।

सामान्यतः निबंध शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में उपर्युक्त योग्यताओं का विकास अपेक्षित है। पाठ विशेष के संदर्भ में तदनुरूप वाचन संबंधी, भाषा संबंधी, विषयवस्तु संबंधी और जीवन मूल्य संबंधी विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ पाठ्यपुस्तक से किसी निबंध पाठ का चयन करके उससे प्राप्त शिक्षण उद्देश्य लिखिए।	अभ्यास कीजिए

11.1.2 निबन्ध शिक्षण विधि और शिक्षण प्रक्रिया के सोपान

उपर्युक्त उद्देश्यों की संप्राप्ति की दृष्टि से शिक्षण विधि और शिक्षण प्रक्रिया के सोपान अपनाए जाते हैं। किन्तु इनके सफल कार्यान्वयन के लिए पाठोपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री तथा विद्यार्थियों के पूर्व-ज्ञान को भी ध्यान में रखना उचित रहता है।

नीचे निबंध शिक्षण के लिए शिक्षण विधि एवं शिक्षण-प्रक्रिया के सोपानों का सामान्य परिचय दिया जा रहा है—

शिक्षण सहायक सामग्री एवं प्रस्तावना

छात्राध्यापक पाठ की प्रस्तावना को सजीव, रोचक और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए पाठ से संबंधित किसी चित्र, फ्लैश कार्ड, चार्ट, ग्राफ या रेखाचित्र आदि का प्रयोग कर सकता है। प्रस्तावना पाठ-विशेष की प्रकृति, स्वरूप और उसकी पाठ्य-वस्तु पर आधारित होनी चाहिए।

प्रस्तुतीकरण

प्रत्येक पाठ कक्षा स्थिति तथा पाठ की प्रकृति के आधार पर अन्वितियों में विभक्त कर लिया जाता है। निबंध पाठ यदि लम्बा है और उसमें शिक्षण कार्य अधिक है तो उसे विद्यार्थियों की सुविधा और रुचि के अनुसार दो या दो से अधिक अन्वितियों में विभक्त कर लेना उचित होगा। निबंध पाठ में प्रस्तुतीकरण का आरंभ प्रथम अन्विति के आदर्श वाचन या विद्यार्थियों के मौन वाचन से होता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वाचन संबंधी दक्षताओं का विकास करना है।

आदर्श वाचन

प्रथम अन्विति की सामग्री को छात्राध्यापक स्वयं आरोह-अवरोह, गति, प्रवाह और विराम चिह्नों का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण के साथ प्रस्तुत करें। इससे श्रोताओं को उनकी बात समझने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सस्वर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन का अधिक महत्त्व हो जाता है। इसलिए आदर्श वाचन से पाठ आरंभ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और विद्यार्थियों के मौन पठन से ही पाठ आरंभ कर दिया जाता है।

अनुकरण वाचन

आदर्श वाचन के पश्चात् विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन कराना चाहिए, ताकि वे अध्यापक के वाचन के अनुरूप सही और शुद्ध रूप में वाचन करने में अभ्यस्त हो सकें। अनुकरण वाचन से पहले विद्यार्थियों को उससे संबंधित आवश्यक निर्देश दें ताकि विद्यार्थी निर्देशों के अनुसार पाठ्य-सामग्री की विषयवस्तु पर ध्यान देते हुए सस्वर वाचन कर सकें।

यदि विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण के साथ सही ढंग से वाचन करना सीख गए हों, तो उच्च कक्षाओं में विशेषतः छठी कक्षा के बाद विद्यार्थियों से मौन वाचन ही कराना चाहिए। परन्तु मौन वाचन के निर्देश भी विद्यार्थियों को पहले से ही दे दिए जाने चाहिएँ। उन्हें बताएँ कि मौन वाचन केवल आँखों के सहारे ही किया जाता है। उसमें मुँह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए।

बोध परीक्षण

सस्वर एवं अनुकरण वाचन या मौन वाचन के बाद एक-दो बोध प्रश्न इस उद्देश्य से पूछे जाएँ जिससे पता चल सके कि विद्यार्थियों ने वाचन की सामग्री को कितना ग्रहण किया है। ये प्रश्न कठिन नहीं होने चाहिएँ।

स्पष्टीकरण एवं व्याख्या

व्याख्या निबंध पाठ का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत कठिन शब्दों, उक्तियों, मुहावरों, वाक्यांशों, वाक्यों तथा गहन स्थलों के स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की आवश्यकता होती है। इस सोपान को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं–शब्दों का स्पष्टीकरण, सूक्तियों, मुहावरों, वाक्यांशों और लोकोक्तियों का प्रयोग और कठिन स्थलों की व्याख्या।

कठिन शब्दों के स्पष्टीकरण में अध्यापक को शब्दों का अर्थ स्वयं नहीं बताना चाहिए, बल्कि विभिन्न साधनों या युक्तियों द्वारा विद्यार्थियों से अर्थ निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। स्पष्टीकरण की इन युक्तियों में प्रत्यक्ष वस्तुओं, चित्रों, रेखाचित्रों, अंतर्कथाओं, उदाहरणों, दृष्टान्तों आदि का प्रयोग प्रभावकारी होता है। इनके अतिरिक्त

संधि-विच्छेद, समास-विग्रह, परिभाषा, व्युत्पत्ति, तुलना, पर्याय, विलोम तथा अर्थकथन और प्रयोग को भी यथावसर उपयोग में लाया जा सकता है। इसी प्रकार मुहावरों, सूक्तियों, लोकोक्तियों और लाक्षणिक प्रयोगों की व्याख्या में भी अंतर्कथाओं के प्रयोग, चित्र प्रदर्शन, अर्थकथन आदि युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। वाक्यों की संरचना सिखाने के लिए वाक्य विश्लेषण, वाक्य विच्छेद तथा वाक्य प्रयोग विधि को उपयोग में लाया जा सकता है। कठिन एवं गहन स्थलों की व्याख्या में विभिन्न प्रसंगों, अलंकारों, अंतर्कथाओं, दृष्टान्तों, उदाहरणों और समीक्षात्मक प्रश्नों का सहारा लिया जाता है।

वस्तु बोध एवं विचार विश्लेषण

पाठ के भाषा पक्ष के साथ-साथ विषयवस्तु के बोध के लिए पाठ में आए हुए तथ्य, सूचना, भाव, विचार आदि से विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहिए। इनकी जानकारी के बिना विद्यार्थी पाठ के अर्थग्रहण में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अर्थग्रहण के उपरांत विषयवस्तु में निहित भावों एवं विचारों का विश्लेषण करना चाहिए। इस कार्य में प्रश्नोत्तर द्वारा विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लेना चाहिए। इन प्रश्नों में क्यों और कैसे वाले प्रश्नों की प्रधानता हो। विचार-विश्लेषण की दृष्टि से क्लिष्ट एवं भावपूर्ण स्थलों के स्पष्टीकरण एवं व्याख्या पर विशेष बल देना चाहिए। यह स्मरण रहे कि यही सोपान शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन

संपूर्ण पाठ के विकास के पश्चात् पाठ से संबद्ध विषयवस्तु और भाषा-ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं। इनसे पाठ की पुनरावृत्ति कराई जाती है। मूल्यांकन के प्रश्न ऐसे होने चाहिएँ जो मुख्य विचारों और उद्देश्यों से संबंधित हों। यदि ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ और पूरी पठित सामग्री पर आधारित हों, तो मूल्यांकन अधिक सार्थक सिद्ध हो सकता है।

गृहकार्य

शिक्षण कार्य के अंत में पाठ से अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को गृहकार्य दिया जाता है। गृहकार्य शब्द-रचना, विचाराभिव्यक्ति, प्रयोग, सारांश और भाषा-कार्य आदि के रूप में दिया जा सकता है। परन्तु यह कार्य उतनी ही मात्रा में दिया जाए, जितनी मात्रा में विद्यार्थी उसे सरलता से पूरा कर सकें।

अभ्यास कार्य

- ❑ निबन्ध शिक्षण के सोपानों और युक्तियों का आरेख तैयार कीजिए।

निर्देश

सामग्री निर्माण कीजिए

11.1.3 पाठ योजना

कक्षा में शिक्षण कार्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षण से पूर्व प्रस्तुत पाठ के संबंध में एक सुविचारित और व्यवस्थित रूपरेखा तैयार कर ली जाए। यहाँ निबंध पाठ योजना का एक नमूना दिया जा रहा है।

निबंध

"झाँसी की रानी"

रानी के सेवक उन्हें पास ही एक साधु की कुटिया में ले गए। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे पहले कि अंग्रेज सैनिक वहाँ पहुँचते, साधु ने अपनी कुटिया का घास-फूस और लकड़ियाँ शव पर डालकर उनकी चिता में आग लगा दी। इस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए रानी ने अपने प्राण अर्पण कर दिए।

न तो रानी लक्ष्मीबाई के पास कोई बहुत बड़ी सेना थी और न कोई बहुत बड़ा राज्य। फिर भी इस स्वतंत्रता संग्राम में जो वीरता उन्होंने दिखाई, उसकी प्रशंसा उनके शत्रुओं ने भी की है। अपने बलिदान से रानी ने सिद्ध कर दिया कि समय पड़ने पर भारतीय नारी भी शत्रुओं के दाँत

खट्टे कर सकती है। ऐसी वीरांगनाओं से देश का मस्तक सदैव ऊँचा रहेगा।
(बाल भारती, भाग-5, पृष्ठ-18)

पाठ-योजना

कक्षा—5

विषय—निबंध समय—35 मिनट

शीर्षक—झाँसी की रानी

उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी—

1. लक्ष्मीबाई के बलिदान, त्याग और वीरतापूर्ण घटनाओं पर चर्चा कर सकेंगे।
2. निम्नलिखित भाषिक इकाईयों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे तथा यथावसर उनका सही प्रयोग कर सकेंगे।

2.1 प्रयोग—दम तोड़ देना, प्राण अर्पण कर देना और दाँत खट्टे कर देना।

2.2 संधि विच्छेद—वीरांगनाओं, सदैव।

2.3 समास विग्रह—स्वतंत्रता संग्राम।

2.4 विलोम शब्द—स्वतंत्रता, वीरता, ऊँचा, शत्रु और प्रशंसा।

2.5 शब्द रचना—"ता" प्रत्यय लगाकर बने शब्द—स्वतंत्रता, वीरता आदि और— "ईय" प्रत्यय लगाकर बने शब्द—भारतीय आदि।

2.6 वाक्य रचना—न तो...और न...।

2.7 की/कि का संरचनागत प्रयोग।

शिक्षण उपकरण

1. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।
   बुन्देलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी।।
   — रोलर बोर्ड पर लिखी कविता की उपर्युक्त पक्तियाँ (प्रस्तावना में)
2. — "ता" प्रत्यय लगाकर बने शब्दों के फ्लैश कार्ड (भाषा कार्य)
3. किं/कीं से रिक्त स्थानों की पूर्ति का चार्ट (मूल्यांकन में)

पूर्वज्ञान

विद्यार्थियों ने लक्ष्मीबाई से संबंधित वीरतापूर्ण कुछ कविताओं को सुना है।

प्रस्तावना

(शिक्षण उपकरण–1 रोलर बोर्ड पर लिखी कविता की पंक्तियाँ प्रस्तुत करके)

1. इस कविता में किसकी प्रशंसा की गई है?
   (झांसी की रानी की)
2. झाँसी की रानी का क्या नाम था? (लक्ष्मीबाई)
3. झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है?

उद्देश्य-कथन

आज हम पढ़ेंगे कि लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार शत्रुओं के दाँत खट्टे कर दिए और उनकी वीरता और बलिदान ने भारत के इतिहास में उनका नाम सदा के लिए अमर कर दिया।

आदर्श वाचन

अध्यापक द्वारा

अनुकरण वाचन

दो-तीन विद्यार्थियों द्वारा।

बोध-परीक्षण

1. साधु ने रानी का दाह संस्कार किस प्रकार किया?
2. शत्रुओं ने भी रानी की प्रशंसा क्यों की?

स्पष्टीकरण एवं व्याख्या

1. दम तोड़ देना से क्या अभिप्राय है? (प्राण त्याग देना, मर जाना)

प्रयोग—(वीर लोग संग्राम में लड़ते-लड़ते अपना दम तोड़ देते हैं, कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाते)

2. "प्राण अर्पण करना" से क्या तात्पर्य है? (प्राणों का बलिदान कर देना)

प्रयोग—(देशभक्त मातृभूमि पर अपने प्राण अर्पण कर देते हैं)

3. "दाँत खट्टे कर देना" से तुम क्या समझते हो? (हरा देना)

प्रयोग—(शिवाजी ने मुगलों के दाँत खट्टे कर दिए थे)

4. वीरांगनाओं शब्द का संधि विच्छेद कीजिए—वीर+अंगनाओं (बहादुर महिलाओं)

5. "सदैव" शब्द के टुकड़े कीजिए—सदा+एव (हमेशा ही)

मौन वाचन

विद्यार्थियों द्वारा (यथा विधि)

विचार विश्लेषण

1. साधु ने रानी की चिता कैसे तैयार की?
2. "देश की स्वतंत्रता के लिए रानी ने अपने प्राण अर्पण कर दिए" इस कथन से लेखक का क्या तात्पर्य है?
3. शत्रु अंग्रेजों ने रानी की वीरता की प्रशंसा क्यों की?
4. अपने बलिदान से रानी ने क्या सिद्ध कर दिया?
5. ऐसी वीरांगनाओं से देश का मस्तक सदैव ऊँचा रहेगा? इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट रूप से समझाइए।

भाषा कार्य

(शिक्षण उपकरण-2— फ्लैश कार्ड दिखाकर)

1. स्वतंत्रता के समान— "ता" प्रत्यय लगाकर अन्य शब्द बनाइए।
   (सरल-सरलता, कुशल-कुशलता, कठोर-कठोरता आदि।)
2. भारतीय के समान— "ईय" प्रत्यय लगाकर बने अन्य शब्द बतलाइए।
   (नारकीय, पुस्तकीय, राजकीय आदि।)
3. न तो.......और न.......की सराहना से वाक्य बनाइए।
   (उसने आज न तो खाना खाया और न पानी ही पीया।)
4. "की" का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए।
   (शीशम की लकड़ी मजबूत होती है। यह सुरेश की पुस्तक है।)
5. "कि" का वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
   (अध्यापक ने कहा कि अपनी-अपनी पुस्तक खोलो। विमला ने देखा कि उसकी सहेली सरला भी उसके पीछे आ रही है।)
6. स्वतंत्रता का विलोम शब्द बतलाइए।
   (स्वतंत्रता : परतंत्रता)
   अन्य विलोम— सुख : दुख; ऊँचा : नीचा; वीरता : कायरता; प्रशंसा : निन्दा

पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन

1. शत्रुओं के पहुँचने से पहले ही साधु ने रानी की चिता में आग क्यों लगाई?
2. झाँसी की रानी ने हमारे देश का मस्तक कैसे ऊँचा किया?
   (शिक्षण उपकरण-3— अधूरे वाक्यों का चार्ट प्रस्तुत करके)
3. "कि/की" की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए—
   हिरणों का झुंड झील...ओर बढ़ा।
   मेरे पास इतना पैसा नहीं...मैं कार खरीद सकूँ।
   हरीश...बहन हाई स्कूल में पढ़ती है।
   पाण्डव सोच रहे थे...अर्जुन के बिना चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा?

श्यामपट्ट कार्य

दम तोड़ देना = प्राण त्याग देना
शव = मरा हुआ शरीर, लाश
स्वतंत्रता : परतंत्रता; प्रशंसा : निन्दा
दाँत खट्टे कर देना = हरा देना
वीरांगनाओं = वीर+अंगनाओं (बहादुर महिलाओं)
शत्रु : मित्र
सदैव = सदा + एव (हमेशा ही)
प्रशंसा : निन्दा

गृहकार्य

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाइए—

1. झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है?
2. वाक्य प्रयोग कीजिए—
   सदैव, वीरांगना, प्रशंसा
3. झाँसी की रानी से संबंधित एक कविता कंठाग्र करके लाइए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ अपनी पाठ्यपुस्तकों से किसी निबंध पाठ का चयन करके उस पर पाठ योजना तैयार कीजिए।	पाठ योजना बनाइए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. निबंध गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। सूक्ष्म या गहन पाठों में इसका विशेष स्थान है। निबंध शिक्षण में विषय-सामग्री और भाषिक तत्वों की व्याख्या पर विशेष बल दिया जाता है।
2. पाठ-शिक्षण की प्रक्रिया पाठ-विकास के सोपानों की शिक्षण-विधियों पर आधारित होती है। अतः पाठ विशेष की शिक्षण विधि और पाठ सोपानों का साथ-साथ विवेचन करना युक्तिसंगत होता है।
3. निबंध पाठ को विकसित करने के लिए उसकी प्रकृति के अनुसार उसके उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्वज्ञान, प्रस्तुतीकरण, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या मौन वाचन, बोध-परीक्षण, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या, विचार-विश्लेषण, पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन और गृहकार्य आदि शिक्षण सोपानों और शिक्षण विधि का निर्धारण एवं विवेचन किया जाता है।

मूल्यांकन

1. निबंध शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
2. निबंध शिक्षण-प्रक्रिया के प्रमुख सोपानों पर प्रकाश डालिए।
3. निबंध की पाठयोजना के निर्माण में किन-किन शिक्षण बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है?
4. निबंध पाठ की व्याख्या में किन-किन युक्तियों का प्रयोग आवश्यक है?

कैप्सूल 11.2
जीवनी शिक्षण

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. जीवनी शिक्षण के उद्देश्यों को बता सकेंगे।
2. जीवनी शिक्षण की विधि एवं शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों पर चर्चा कर सकेंगे।
3. जीवनी शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण कर सकेंगे।

11.2.0 प्रस्तावना

जीवनी से हमें महापुरुषों, नेताओं, शिक्षाशास्त्रियों, समाज सेवियों और वैज्ञानिकों की महान उपलब्धियों का परिचय प्राप्त होता है। उनके आदर्शों से प्रेरणा मिलती है। जीवनी पाठ का शिक्षण वस्तुतः विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का एक उत्तम और रोचक साधन है। इसके अध्ययन से विद्यार्थी महापुरुषों के आचरण का अनुसरण कर समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करने को प्रेरित होते हैं।

11.2.1 जीवनी शिक्षण के उद्देश्य

जीवनी शिक्षण से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है :

1. वाचन संबंधी

(1) मौन पठन द्वारा विषयवस्तु को हृदयंगम करने की योग्यता।

(2) सस्वर वाचन की कुशलता में संवृद्धि करने की योग्यता।

2. विषयवस्तु संबंधी

(1) पाठगत भावों और विचारों को ग्रहण करने की योग्यता।

(2) महान पुरुषों के चरित्र, स्वभाव, असाधारण व्यक्तित्व की विशेषताओं तथा क्रियाकलापों का वर्णन करने की योग्यता।

(3) उनके जीवन मूल्यों, आदर्शों, लक्ष्यों एवं सिद्धांतों का उल्लेख करने की योग्यता।

3. भाषा संबंधी

अर्थ ग्रहण की दृष्टि से आवश्यक भाषिक तत्वों का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता।

4. अभिवृत्ति संबंधी

महान विभूतियों के जीवन-कार्यों से प्रेरणा लेकर समाज सुधार, राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र निर्माण आदि में योगदान करने के लिए प्रेरित होने की योग्यता।

जीवनी पाठ के शिक्षण में भाषा संबंधी कार्य प्रासंगिक ही रहता है। उसका विस्तृत विश्लेषण नहीं किया जाता। विशेष बल जीवन-मूल्यों पर रहता है।

11.2.2 जीवनी शिक्षण—विधि तथा सोपान

जीवनी की शिक्षण विधि और उसके सोपान क्रमानुसार निम्नलिखित रूप में दिए जा सकते हैं :

प्रस्तावना

पाठ्य-सामग्री के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने और उनकी अभिरुचि जाग्रत करने के लिए अध्यापक आवश्यकतानुसार पाठ की ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा पौराणिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। यह पृष्ठभूमि यथासंभव विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए।

बोध परीक्षण

विधिपूर्वक मौन पठन के बाद विद्यार्थियों के बोध की जाँच करने के लिए कुछ उपयुक्त प्रश्न पूछे जाएँ। इनसे विद्यार्थियों के अर्थबोध और ग्रहणशीलता का तो परीक्षण होता ही है साथ ही उनकी मौन पठन क्रिया की भी जाँच हो जाती है।

वस्तुबोध एवं विचार विश्लेषण

बोध परीक्षण के बाद यदि आवश्यक हो तो विद्यार्थियों को पुनः पाठ्य-सामग्री के मौन पठन का अवसर दिया जाए और तदुपरांत पाठ्य-सामग्री में निहित तथ्यों, भावों और विचारों का विस्तार से विवेचन किया जाए। विवेचन में प्रश्नोत्तर विधि द्वारा विद्यार्थियों के सक्रिय सहयोग से जीवनी

में वर्णित व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, नैतिक गुण, महान कार्यों आदि पर प्रश्न पूछे जाएँ और उनसे मिलने वाले नैतिक संदेशों को विद्यार्थियों से स्पष्ट कराया जाए।

पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन

जीवन मूल्यों पर तथ्यात्मक एवं अभिवृत्त्यात्मक प्रश्नों द्वारा पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन कार्य किया जाए।

गृहकार्य

जीवनी पाठ में गृहकार्य से संबंधित प्रश्न, वर्णित महापुरुषों के कार्यों तथा उनकी जीवन घटनाओं पर आधारित होते हैं।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ जीवनी शिक्षण के मुख्य सोपानों को लिखिए।	सूची बनाइए
❑ अपनी पाठ्यपुस्तकों से जीवनी पाठों का चयन कर उनकी सूची तैयार कीजिए।	सूची बनाइए

11.2.3 पाठ योजना

निबंध पाठ में व्याख्या और भाषा कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। किन्तु जीवनी पाठ में तथ्य ग्रहण एवं जीवन मूल्यों के विवेचन पर विशेष बल दिया जाता है। पाठ योजना निर्माण की दृष्टि से जीवनी पाठ के सोपान भी निबंध पाठ के समान होते हैं। अंतर केवल यह है कि भाषा कार्य और सस्वर वाचन का महत्त्व गौण हो जाता है। भाषा कार्य केवल बोध और विचार विश्लेषण की दृष्टि से किया जाता है, शब्द भंडार वृद्धि तथा भाषा विश्लेषण की दृष्टि से नहीं। अतः उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिवर्तन के साथ जीवनी की पाठ योजना बनाई जा सकती है। इसी कारण यहाँ उसका नमूना नहीं दिया जा रहा है।

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. जीवनी पाठ से विद्यार्थियों को महापुरुषों के आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त होती है।
2. जीवनी पाठ के शिक्षण के सोपानों में सामान्यतः उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रस्तुतीकरण, मौन वाचन, बोध परीक्षण, विचार विश्लेषण, पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन और गृहकार्य का समावेश होता है।
3. निबंध के पाठ के समान ही इसकी पाठ योजना का भी निर्माण होता है। इसके शिक्षण में भाषा कार्य और सस्वर वाचन पर बल न देते हुए पाठ में निहित जीवन मूल्यों को उभारने का प्रयत्न किया जाता है। इस दृष्टि से निबंध पाठ योजनाओं में उचित परिवर्तन करके जीवनी की पाठ योजना तैयार की जा सकती है।

मूल्यांकन

1. निबंध और जीवनी के उद्देश्यों का अंतर स्पष्ट कीजिए?
2. नीचे दिए गए कथनों में से सही कथनों पर सही (✓) का और गलत-कथनों पर क्रॉस (x) का निशान लगाइए।
   (i) निबंध शिक्षण में भाषा की संरचना शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ☐
   (ii) जीवनी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन की किसी एक घटना पर प्रकाश डाला जाता है। ☐
   (iii) निबंध और जीवनी पाठों के सोपानों में अन्तर होता है। ☐
   (iv) जीवनी पाठ का एक प्रमुख उद्देश्य महापुरुषों के जीवन मूल्यों और आदर्शों से शिक्षा ग्रहण करना है। ☐
   (v) निबंध पाठ में विषयवस्तु के विश्लेषण पर विशेष बल रहता है जबकि जीवनी पाठ में भाषा-विश्लेषण पर। ☐
3. निबंध और जीवनी पाठ शिक्षण की समानता और भिन्नता पर प्रकाश डालिए।

कैप्सूल 11.3
एकांकी शिक्षण

व्यवहारगत उद्देश्य—

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. एकांकी शिक्षण के उद्देश्यों को बता सकेंगे।
2. एकांकी शिक्षण की विधि एवं शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों पर चर्चा कर सकेंगे।
3. एकांकी शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण कर सकेंगे।

11.3.0 प्रस्तावना

दृश्य-श्रव्य होने के कारण जनसमुदाय के मनोरंजन का जितना प्रिय सांधन नाटक है, उतनी और कोई साहित्यिक विधा नहीं। अपनी शैलीगत विशेषताओं के कारण भावों की सौन्दर्यानुभूति तथा रसानुभूति कराना नाटक का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके संवाद या कथोपकथन भावानुकूल भाषा के ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनको यथोचित रूप से बोलने के अभ्यास द्वारा विद्यार्थियों को परिस्थिति और भावों के अनुकूल आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। वे भाषा संप्रेषण की कला में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं।

नाटक की उपर्युक्त विशेषताएं बहुत सीमा तक एकांकी में भी पाई जाती हैं। यह नाटक की अपेक्षा कलेवर में बहुत छोटा होता है और कक्षा शिक्षण की दृष्टि से अधिक सहज और सरल है। इसीलिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्यपुस्तकों में एकांकी पाठों को रखा जाता है।

11.3.1 एकांकी शिक्षण के उद्देश्य

एकांकी शिक्षण से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है :

1. एकांकी में निहित सौन्दर्य तत्वों का बोध और भावों की अनुभूति करने की योग्यता।
2. विभिन्न पात्रों के संवादों और वार्तालाप को उचित आरोह-अवरोह के साथ प्रसंगानुकूल प्रस्तुत करने की योग्यता।
3. जीवन की विभिन्न परिस्थितियों तथा आचार-व्यवहार में भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करने की योग्यता।
4. अभिनय-क्षमता विकसित करने की योग्यता।
5. एकांकी में प्रयुक्त कठिन शब्दों, सूक्तियों और मुहावरों को स्पष्ट करने की योग्यता।
6. एकांकी में निहित उच्च आदर्शों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करने की योग्यता।

एकांकी शिक्षण के माध्यम से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों में सामान्यतः उपर्युक्त योग्यताओं का विकास अपेक्षित है। पाठ विशेष के संदर्भ में तदनुरूप विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है।

11.3.2 एकांकी शिक्षण विधि तथा सोपान

एकांकी शिक्षण के लिए अनेक विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें आदर्श नाट्य विधि, व्याख्या-विधि और अभिनय विधि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। अभिनय विधि दो प्रकार की होती है— रंगमंच अभिनय विधि और कथाभिनय विधि। इनके अतिरिक्त एक संयुक्त विधि भी प्रयोग में लाई जाती है जिसमें उक्त तीनों विधियों का समावेश रहता है। आदर्श नाट्य विधि में अध्यापक स्वयं अभिनेता के संपूर्ण कार्यों का संचालन करता है। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता के रूप में एकांकी का रसास्वादन करते हैं। व्याख्या विधि में अध्यापक एकांकी के सभी तत्वों पर स्वयं प्रकाश डालता है और उनकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। साथ ही वह एकांकी की समीक्षा करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। अभिनय विधि के अंतर्गत रंगमंच पर या कक्षा में अभिनय पर बल दिया जाता है। इन तीनों विधियों में कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी। अतः शिक्षण में इन तीनों का संयुक्त प्रयोग अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार उपर्युक्त विधियाँ एक-दूसरे की पूरक बनकर एकांकी

शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण एवं प्रभावी बना सकती हैं। संयुक्त विधि के अनुसार एकांकी शिक्षण के सोपानों का वर्णन नीचे किया जा रहा है :

प्रस्तावना

प्रस्तावना के अंतर्गत पाठ से संबंधित प्रसंग की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति अध्यापक एकांकी का संक्षिप्त परिचय देकर या एकांकी के केन्द्रीय भाव को स्पष्ट कर अथवा कुछ भावोत्तेजक प्रश्न पूछकर कर सकता है। प्रस्तावना का संबंध विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा रहना चाहिए।

प्रस्तुतीकरण

एकांकी को प्रस्तुत करते समय यह आवश्यक नहीं कि संपूर्ण एकांकी को एक दिन में ही समाप्त कर दिया जाए। एक बार में एक दृश्य पढ़ाना उपयुक्त होगा अथवा उतने ही दृश्यों को एक बार में पढ़ाया जाए जितने कि एक कालांश में विधिपूर्वक पढ़ाए जा सकें।

आदर्शवाचन

अध्यापक द्वारा पाठ्य-सामग्री का भावानुकूल हाव-भाव के साथ वाचन। आंगिक अभिनय की इसमें आवश्यकता नहीं होती।

अनुकरणवाचन

विद्यार्थी द्वारा उचित हाव-भाव, स्वरारोह-अवरोह के अनुसार सस्वर वाचन।

केंद्रीय भाव परीक्षण

एकाधिक प्रश्नों द्वारा पाठ के केन्द्रीय भाव एवं विषयवस्तु पर विद्यार्थियों के बोध की जाँच।

स्पष्टीकरण एवं भाव-विश्लेषण

एकांकी अनुभूति पाठ है। अतः अध्यापक को ऐसे शब्दों, उक्तियों और मुहावरों आदि का स्पष्टीकरण पहले ही कर देना चाहिए जो भाव के सौन्दर्य बोध एवं अनुभूति में बाधक होते हैं। इसके बाद भावात्मक स्थलों की व्याख्या की जाए और कथावस्तु, चरित्र चित्रण और संवादात्मक विशेषताओं के गुण दोषों का विश्लेषण एवं विवेचन किया जाए।

पाठाभिनय

स्पष्टीकरण और भाव विश्लेषण के बाद अध्यापक पात्रों के अनुकूल विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें उन पात्रों के संवादों और अभिनय का दायित्व सौंप देता है। विद्यार्थी अपने-अपने संवादों को याद करके कक्षा में शिक्षक के निर्देशानुसार वाचिक अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इस अभिनय से विद्यार्थियों को भावों एवं पात्रों के अनुकूल विश्वास के साथ संभाषण या संवाद प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं और वे प्रसंग तथा पात्रों के अनुसार भावानुकूल भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं।

पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन

इस सोपान के अंतर्गत अध्यापक द्वारा संपूर्ण पठित सामग्री तथा कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, अभिनय और उद्देश्य आदि एकांकी तत्वों पर समालोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थी पाठ को दोहरा भी लेते हैं और उनकी ग्रहण शक्ति का परीक्षण भी हो जाता है।

गृहकार्य

एकांकी के इस सोपान में अध्यापक विद्यार्थियों को कुछ अच्छे संवादों को वाचिक अभिनय के साथ याद करने को दे सकता है अथवा एकांकी की विषयवस्तु, पात्रों के चरित्र चित्रण या भाषा-शैली पर प्रश्न लिखने को दे सकता है। एकांकी का सार लेखन या उसका कहानी में रूपान्तरण भी कराया जा सकता है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ एकांकी शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त समझते हैं और क्यों?	चर्चा कीजिए
❑ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में दिए गए एकांकी एवं संवादात्मक पाठों की सूची बनाइए तथा कुछ संवादों को संकलित कीजिए।	संकलन कर सूचीबद्ध कीजिए

11.3.3 पाठ योजना

उपर्युक्त सोपानों के आधार पर आगे एकांकी शिक्षण की एक पाठ योजना का नमूना दिया जा रहा है।

"अश्वमेघ का घोड़ा"

(एकांकी)

(आश्रम में घोड़े का प्रवेश)

कुश— अहा ! कितना सुन्दर घोड़ा ! भैया, लव भैया ! इधर आओ ! देखो, कितना सुन्दर घोड़ा हमारे आश्रम में आ गया है। आओ, उसे पकड़ें।

लव— कुश, घोड़े को मत छेड़ो। देखो, यह इधर ही आ रहा है। हम पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। घोड़ा इधर आएगा तो पकड़ लेंगे।

कुश— कितना समीप आ गया है। अभी इसे पकड़ लेंगे। इस पर सवार होकर सारा वन-प्रांत घूमेंगे।

लव— लो, यह पकड़ा। कुश, इस पर तो सोने की काठी है। लाल कपड़े की यह झूल कितनी सुन्दर है ! अरे! इसके गले में एक पत्र भी लटक रहा है। (नेपथ्य से आवाज—छोड़ दो, छोड़ दो, अश्वमेघ का घोड़ा है। ऋषिपुत्रो, इस घोड़े को मत पकड़ो। सैनिकों का प्रवेश)

सैनिक— ऋषिपुत्रो, यह पवित्र यज्ञ का घोड़ा है। बालक इसे नहीं पकड़ते।

कुश— क्यों नहीं पकड़ते ! हम पकड़ते हैं इसे। देखें, तुम क्या करते हो?

सैनिक— नहीं, नहीं। यह घोड़ा कई शूरवीर राजाओं, महाराजाओं की सीमा लाँघकर आया है, परन्तु किसी ने इसे पकड़ने का साहस नहीं किया। तुम इसे पकड़ोगे?

लव— क्यों नहीं पकड़ेंगे ! हमने तो घोड़ा पकड़ लिया। हमें यह घोड़ा अच्छा लगता है। हम इसे अपने पास इसी आश्रम में रखेंगे।

सैनिक— अब तुम्हें कैसे समझाऊँ। यह अयोध्यापति महाराज श्री रामचंद्रजी का घोड़ा है। तुम व्यर्थ ही युद्ध को निमंत्रण दे रहे हो। तुम यह घोड़ा पकड़ोगे तो तुम्हें राजा श्री रामचंद्रजी की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। घोड़ा छोड़ दो।

लव-कुश—घोड़ा छोड़ दो, घोड़ा छोड़ दो—बस यही रट लगा रखी है। युद्ध से कौन भयभीत है? हम युद्ध करेंगे।

सैनिक— हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं—वीर बालकों, घोड़ा छोड़ दो।

लव— नहीं कभी नहीं। कुश ! घोड़े को वटवृक्ष से बाँध दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पहला तीर मैं छोड़ता हूँ। (धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ता है, कुश भी घोड़ा बाँधकर आता है)

सैनिक— ऋषिपुत्रो, तुमसे युद्ध करना पाप है। आश्रम में युद्ध होना नहीं चाहिए। तुम घोड़ा दे दो, हम लौट जाएँगे।

कुश— सैनिक होकर युद्ध से भयभीत हो। उठाओ धनुष। मैं तीर छोड़ रहा हूँ।

एक सैनिक—आह ! इतना तीक्ष्ण बाण! अब उन्हें समझाने

का अवसर नहीं। छोड़ो तीर।

(दोनों तरफ से घमासान युद्ध। सैनिक भागने लगते हैं)

लव-कुश—देखा ऋषिपुत्रों का बल ! भाग गए कायर। चलो, घोड़े की सवारी करें।

(दोनों भाई घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं)

दूसरा दृश्य

कुछ सैनिक—यह वन तो बहुत ही घना है। यहाँ दिन में भी अंधकार है। अरे, घोड़े की टाप! यह आवाज इधर ही आ रही है। यह तो अश्वमेघ का घोड़ा है। ये बालक इस पर कैसे सवार हैं?

शत्रुघ्न— पकड़ो, पकड़ो, भागने न पाएँ। अश्वमेघ के घोड़े का इतना अपमान और वो भी मेरे होते हुए?

सैनिक— अरे ! इनके तीक्ष्ण बाणों का प्रहार असह्य है। इतने छोटे बालकों में इतना रण-कौशल।

(कुछ सैनिक पृथ्वी पर गिरने लगते हैं)

शत्रुघ्न— आओ, मेरे सम्मुख आओ। मेरे प्रहार का सामना करो। ऋषिपुत्रो मैं शत्रुघ्न हूँ।

कुश— वह लगा ! वह गिरा शत्रुघ्न और वह भागा उसका घोड़ा ! अरे यह क्या मारेगा अपने शत्रुओं को !

लव— अब तो सब भाग गए ! चलो आश्रम में चलें। माँ को घोड़ा दिखाएँगे।

(आश्रम की ओर लौटते हैं। राम का अन्य सैनिकों सहित प्रवेश)

राम— मैं अयोध्या का राजा राम ऋषिपुत्रों को प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हारे शौर्य का सम्मान करता हूँ। बालको, घोड़ा छोड़ दो।

(लव-कुश महाराज के चरणों में दो तीर प्रणाम के लिए छोड़ते हुए)

लव— महाराज! आपके चरणों में लव-कुश का प्रणाम। सुना है जो यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है, युद्ध में परास्त होने पर ही उसे लौटाता है। अभी हम परास्त नहीं हुए हैं। अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दीजिए, महाराज !

राम— नहीं, नहीं ! ऋषिपुत्रो से युद्ध नहीं होगा। मेरी प्रार्थना पर विचार करो और घोड़ा लौटा दो।

कुश— युद्ध के बिना घोड़ा वापस नहीं मिलेगा।

(लव-कुश तथा सैनिकों का युद्ध)

राम— कितने शूरवीर और तेजस्वी हैं ये बालक ! अरे, सेना तो पीठ दिखाकर भाग रही है ! रणक्षेत्र खाली हो गया।

लव-कुश—महाराज, अब आप ही धनुष उठाइए। हमारे प्रहार के लिए तैयार हो जाइए।

(जैसे ही दोनों धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, सीता दौड़ती हुई आती हैं)

सीता— नहीं, नहीं ! लव-कुश, नहीं। महाराज तुम्हारे पूज्य पिता हैं ! इन पर बाण मत छोड़ना।

लव-कुश—पिता ! माँ यह क्या कह रही हो? अयोध्यापति श्री रामचंद्र हमारे पिता।

राम— मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता ! सीता, सीता !

(लव और कुश भागकर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी उन्हें गले से लगा लेते हैं।)

राम— इतने शूरवीर और शक्तिशाली बालक मेरे पुत्र ! आज मैं धन्य हुआ।

लव-कुश—महाराज। हमें क्षमा कीजिए। पिताजी ! हमें क्षमा कीजिए।

(बाल भारती, भाग-4, पृ. 73-78)

पाठ-योजना

विषय—एकांकी

शीर्षक—अश्वमेघ का घोड़ा

कक्षा—4 समय—35 मिनट

उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के बाद विद्यार्थी—

1. अश्वमेघ यज्ञ की संकल्पना से अवगत हो सकेंगे और

उस पर चर्चा कर सकेंगे।

2. "अश्वमेघ का घोड़ा" एकांकी की भाषा और शैली से परिचित हो सकेंगे।
3. संवाद शैली में वाद-विवाद करने की योग्यता विकसित कर सकेंगे।
4. प्रस्तुत एकांकी का कक्षा में पात्रानुकूल अभिनय प्रस्तुत कर सकेंगे।

पूर्वज्ञान

विद्यार्थी एकांकी में आए प्रमुख पात्रों—राम, लव-कुश, सीता और शत्रुघ्न आदि से सामान्यतः परिचित हैं।

शिक्षण उपकरण

1. धनुष बाण लिए राम का चित्र (प्रस्तावना में)
2. सैनिकों के साथ जाते हुए, सजे हुए घोड़े का चित्र (भाव परीक्षण में)
3. "अ" उपसर्ग लगाकर बने शब्दों का फ्लैशकार्ड (स्पष्टीकरण में)
4. लव-कुश के बाणों से घायल शत्रुघ्न का चित्र (भाव विश्लेषण में)
5. लव-कुश को गले लगाते राम का चित्र। (मूल्यांकन में)

प्रस्तावना

(चित्र-1 प्रदर्शित करके)

1. इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? (धनुष बाण लिए राम को)
2. राम ने कौन-सा यज्ञ किया था? (अश्वमेघ)
3. अश्वमेघ यज्ञ कैसे पूरा किया जाता है?

उद्देश्य कथन

आज हम "अश्वमेघ का घोड़ा" नामक एकांकी पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि सीता के शक्तिशाली और तेजस्वी पुत्रों—लव-कुश ने राम के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़कर राम को सेना के साथ किस प्रकार रण-कौशल दिखलाया था और उसे परास्त किया था।

प्रस्तुतीकरण

संपूर्ण एकांकी एक ही अन्विति में पढ़ाया जाएगा।

आदर्शवाचन

अध्यापक हाव-भाव प्रदर्शन और स्वर के उतार-चढ़ाव के साथ विराम चिह्नों पर ध्यान देते हुए पात्रों के अनुकूल अभिनय के साथ वाचन करेगा।

सस्वर वाचन

अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आदर्शवाचन के समान विद्यार्थियों द्वारा सस्वर वाचन प्रस्तुत किया जाएगा।

भाव-परीक्षण

चित्र-2 (सैनिकों के साथ सजे हुए घोड़े का चित्र दिखाकर)

1. अश्वमेघ का घोड़ा किस प्रकार सजाया गया था?
2. सैनिक लव-कुश से युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे?
3. लव-कुश के बाणों से सैनिकों की क्या दशा हुई?
4. राम के प्रार्थना करने पर भी लव-कुश घोड़ा क्यों नहीं लौटाना चाहते थे?
5. लव-कुश ने राम पर बाण क्यों नहीं छोड़े?

स्पष्टीकरण

1. अश्वमेघ से क्या तात्पर्य है?
   (जिस यज्ञ में विजय के प्रतीक घोड़े की आहुति दी जाती है उसे अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं)
2. भयभीत से क्या अभिप्राय है?
   (भय से भीत : डर से डरा हुआ)
3. असह्य से आप क्या समझते हैं?
   (अ+सह्य : न सहा जाने योग्य। जिसे सहा न जा सके)
   फ्लैशकार्ड दिखाकर "अ" उपसर्ग लगाकर बने अन्य शब्दों का स्पष्टीकरण।
4. रण-कौशल से क्या अभिप्राय है?
   (युद्ध करने की कुशलता)
5. शौर्य किसे कहते हैं?
   (पराक्रम, वीरता)

प्रयोग—स्वतंत्रता संग्राम में झाँसी की रानी ने जो शौर्य दिखाया वह भारत के इतिहास में हमेशा स्मरण रहेगा।

भाव विश्लेषण

1. लव-कुश को अश्वमेघ का घोड़ा क्यों अच्छा लगा?
2. सैनिकों ने ऋषिपुत्रो को घोड़ा पकड़ने के लिए क्यों मना किया?
3. लव-कुश ने सैनिकों के साथ युद्ध में क्या रण-कौशल दिखाया?
4. लव-कुश और राम युद्ध क्यों नहीं कर सके?

पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन

1. लव-कुश ने अश्वमेघ का घोड़ा क्यों पकड़ा?
2. "अश्वमेघ के घोड़े का इतना अपमान और वह भी मेरे होते हुए" शत्रुघ्न के इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए।
3. लव-कुश ने घोड़ा न छोड़ते हुए, "अभी हम परास्त नहीं हुए हैं" ऐसा क्यों कहा?

   (लव-कुश को गले लगाते राम का चित्र दिखाकर चित्र-4)
4. राम ने लव-कुश को गले लगाते हुए अपने को धन्य क्यों समझा?
5. इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? लेखक को उसकी प्राप्ति में कितनी सफलता मिली है?

गृहकार्य

अश्वमेघ का घोड़ा एकांकी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखकर लाइए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ एकांकी पाठ के पाठ संकेत का एक नमूना प्रस्तुत कीजिए।	निर्माण कीजिए
❑ एकांकी के संवादों को पात्रों के आधार पर विद्यार्थियों में वितरित करके उन्हें भावों के अनुसार बोलने का अभ्यास कराइए।	अभ्यास कराइए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. साहित्य की सभी विधाओं में एकांकी एक रोचक विधा है। वस्तुतः दृश्य-श्रव्य होने के नाते एकांकी जनसमुदाय को अत्यधिक प्रभावित करता है। भावों की सौन्दर्यानुभूति तथा रसानुभूति कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
2. एकांकी पाठ के शिक्षण में आदर्श नाट्य विधि, व्याख्या विधि और अभिनय विधि में से किसी एक को प्रयोग में लाया जा सकता है। किन्तु इन तीनों का समन्वित प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है।

मूल्यांकन

1. एकांकी पाठ के शिक्षण सोपानों पर प्रकाश डालिए।
2. एकांकी शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए।
3. एकांकी शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

कैप्सूल 11.4
कहानी शिक्षण

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. कहानी शिक्षण के उद्देश्यों को बता सकेंगे।
2. कहानी शिक्षण की विधि एवं शिक्षण-प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों पर चर्चा कर सकेंगे।
3. एकांकी शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण कर सकेंगे।

11.4.0 प्रस्तावना

कहानी में मानव जीवन एवं चरित्र का वर्णन अत्यंत मर्मस्पर्शी, कलात्मक और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी भाव-प्रधान होने के कारण अनुभूति पाठ के अंतर्गत आती हैं। इसमें लेखक किसी एक उद्देश्य को लेकर चलता है। इसकी पूर्ति ही कहानी की चरमावस्था होती है।

11.4.1 कहानी शिक्षण के उद्देश्य

कहानी शिक्षण से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है—

1. कहानी में निहित भावों, विचारों, सौन्दर्य तत्वों और नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने की योग्यता।
2. मौखिक एवं लिखित रूप से कहानी का वर्णन करने की योग्यता।
3. कल्पनाशक्ति और तर्कशक्ति विकसित करने की योग्यता।
4. कहानी-साहित्य में रुचि लेने तथा सौन्दर्य बोध और भावानुभूति की क्षमता विकसित करने की योग्यता।
5. सर्जनात्मक शक्ति का विकास तथा संवेगों का परिष्कार कर आदर्श चरित्र-निर्माण के लिए प्रेरित होने की योग्यता।

11.4.2 कहानी शिक्षण-विधि तथा सोपान

कहानी शिक्षण के लिए शिक्षक को स्वयं भी कहानी में रुचि लेना और कहानी कहने की कला में कुशल होना आवश्यक है ताकि वह विद्यार्थियों में भावानुभूति एवं रसास्वादन की भावना को विकसित कर सके। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से कहानी के निम्नांकित सोपान हो सकते हैं :

1. प्रस्तावना

कहानी की प्रस्तावना किसी सरल और रोचक कविता, चित्र अथवा उपयुक्त प्रश्नों द्वारा की जा सकती है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पूर्वानुभवों के आधार पर कौतुहलवर्धक सामग्री अथवा प्रश्नों के माध्यम से उनमें प्रस्तुत कहानी के प्रति जिज्ञासा जागृत की जा सकती है।

2. प्रस्तुतीकरण

इस सोपान में अध्यापक प्रभावपूर्ण ढंग से संपूर्ण कहानी अथवा उसकी एक अन्विति का परिस्थिति के अनुसार वर्णन करें और उचित प्रश्नों द्वारा उसकी आवृत्ति विद्यार्थियों से कराएँ। यदि कहानी एक से अधिक अन्वितियों में पढ़ाई जा रही हो, तो एक अन्विति को पढ़ाने के बाद कथा सूत्र को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछें।

अध्यापक कहानी के भावपूर्ण स्थलों को ज्यों का त्यों पढ़कर सुना सकता है। इससे विद्यार्थियों को कहानी की भाषा शैली का परिचय प्राप्त होता है और विद्यार्थी उसकी रोचकता के कारण उसमें तन्मय हो जाते हैं। कहानी पूरी होने पर विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तरों द्वारा पूरी कहानी को स्वयं विकसित करने के लिए कहा जाए। कहानी के मार्मिक स्थलों की व्याख्या और चरित्र चित्रण संबंधी प्रश्न भी प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत ही पूछे जाने चाहिएँ। कहानी शिक्षण में भाषा कार्य पर बल देना अपेक्षित नहीं है। ऐसे शब्दों, मुहावरों, उक्तियों और कहावतों आदि का स्पष्टीकरण ही पर्याप्त है

जिनसे कहानी के भावग्रहण और सौंदर्य बोध में बाधा आती हो।

3. विद्यार्थियों द्वारा कहानी वर्णन

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् किसी उत्तम विद्यार्थी से पूरी कहानी का संक्षेप में वर्णन कराना चाहिए। फिर समयानुसार अन्य कुछ विद्यार्थियों को भी कहानी कहने का अवसर दिया जाए। यदि कहानी लम्बी है, तो कई विद्यार्थियों से छोटे-छोटे अंशों में उसका वर्णन कराया जा सकता है। इससे विद्यार्थी कहानी प्रस्तुत करने के ढंग से भी परिचित होंगे और उन्हें मौखिक आत्म प्रकाशन की आदत भी पड़ेगी। इससे उनकी कल्पना शक्ति, संभाषण पटुता और बौद्धिक सजगता का विकास होता है।

4. पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन

समूची कहानी की एकसूत्रता तथा रसात्मकता को पुष्ट करने के लिए कहानी पर आधारित कथा सूत्रों, घटनाओं और पात्रों के चरित्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों से कहानी की पुनरावृत्ति हो जाती है और विद्यार्थी उन अंशों को भी पूरी तरह समझ लेते हैं जो किसी कारणवश छूट जाते हैं।

सरल कहानी को द्रुतपाठ के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के मौन पठन के परीक्षण, घटना के क्रमिक विकास, चरित्र चित्रण और भाव विश्लेषण से संबंधित प्रश्नों की सहायता से भी कहानी को विकसित किया जा सकता है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ अपनी पाठ्यपुस्तकों से कहानी पाठों को पढ़कर उन्हें रोचक ढंग से कहने का अभ्यास कीजिए।	अभ्यास कीजिए

11.4.3 पाठ योजना

पाठ योजना निर्माण की दृष्टि से कहानी भी एकांकी की तरह अनुभूति पाठ है। इस कारण कहानी पाठ का शिक्षण भी थोड़े बहुत अंतर के साथ एकांकी के समान ही होता है। अतः एकांकी पाठ योजना में आवश्यक परिवर्तन करके कहानी की पाठ योजना बनाई जा सकती है। इसी दृष्टि से कहानी की पाठ योजना का नमूना नहीं दिया जा रहा है।

सारांश

अब तक आपने सीखा :

एकांकी के समान कहानी भी एक भाव प्रधान रचना है, परन्तु अपनी विशिष्ट शैली और विशेषताओं के कारण इसकी शिक्षण विधि और सोपानों में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। कहानी एक रोचक एवं आकर्षक विधा है। इससे विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, तर्कशक्ति एवं बौद्धिक सजगता का विकास होता है।

मूल्यांकन

1. एकांकी और कहानी पाठों के उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
2. एकांकी और कहानी पाठों की शिक्षण विधियों की समानता और असमानता को स्पष्ट कीजिए।
3. कहानी पाठ की शिक्षण विधियों और सोपानों के आधार पर कहानी पाठ का एक नमूना प्रस्तुत कीजिए।
4. नीचे दिए गए कथनों में से सही कथनों पर सही (✓) का और गलत कथनों पर क्रॉस (x) का निशान लगाइए—

(i) व्याख्या कहानी पाठ का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। ☐

(ii) अर्थ सहित मौन वाचन ही एकांकी पाठ का प्रमुख लक्ष्य है। ☐

(iii) कहानी पाठ में हमें महापुरुषों के जीवन से शिक्षा मिलती है। ☐

(iv) एकांकी और कहानी के शिक्षण सोपानों में कोई अंतर नहीं है। ☐

(v) एकांकी और कहानी के संवादों में अंतर पाया जाता है। ☐

मॉड्यूल–12

कविता शिक्षण

12.0 प्रस्तावना

कविता मानव भावनाओं का सुन्दर तथा कलात्मक शब्दों में किया गया चित्रण है। कविता आदिकाल से ही मानव-हृदय में आनन्द और रस का संचार करती रही है। मनुष्य कविता को सुनकर जितना आनन्द-विभोर होता है उतना साहित्य की किसी अन्य विधा से नहीं। कविता में मानवीय गुणों का विकास करने की अद्‌भुत शक्ति है।

विभिन्न भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों ने अपने-अपने ढंग से कविता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। किसी ने "रसात्मक वाक्य" को काव्य की आत्मा माना, तो किसी ने "अलंकृत" शब्दों और अर्थों को। किसी ने "ध्वनि" को काव्य की संज्ञा दी तो किसी ने वक्रोक्ति को। एक "संगीतमय भावों" को कविता कहता है तो दूसरा हृदय की मुक्तावस्था के लिए किए गए "सुन्दर शब्द विधान" को। प्रत्येक विद्वान ने कविता के किसी एक तत्त्व या गुण को ही प्रधान मानकर उसकी परिभाषा दी है। कविता इन सभी तत्त्वों का सम्मिश्रण है। इन तत्त्वों का सम्यक् बोध कराना ही कविता शिक्षण का उद्‌देश्य है। कविता छन्दोबद्ध तथा नियमित यति-गति पर आधारित होने के कारण लय और ताल पर चलती है और इससे मानव-हृदय में रसात्मक अनुभूति होती है जिसे काव्यानन्द कहते हैं। कविता पढ़ाते समय विद्यार्थियों को इसी काव्यानन्द की अनुभूति होनी चाहिए।

प्रस्तुत मॉड्यूल में निम्नलिखित दो कैप्सूल दिए गए हैं :

कैप्सूल 12.1 इसमें कविता शिक्षण का महत्त्व तथा उपयोगिता, उसके शिक्षण उद्‌देश्य, कविता के सौन्दर्य तत्त्व, कविता शिक्षण के अंग, कविता शिक्षण की विधियाँ और कविता में रुचि उत्पन्न करने के उपायों पर चर्चा की गई है।

कैप्सूल 12.2 में कविता शिक्षण की पाठ योजना निर्माण के सोपान तथा पाठ योजना का एक नमूना दिया गया है।

कैप्सूल 12.1
कविता शिक्षण के उद्देश्य तथा शिक्षण विधियाँ

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल का अध्ययन करने के पश्चात् आप—

1. कविता शिक्षण के महत्त्व एवं उपयोगिता को बता सकेंगे।
2. कविता शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपने शिक्षण कार्य का आधार बना सकेंगे।
3. कविता के सौन्दर्य तत्त्वों की विशेषताएं बता सकेंगे।
4. कविता शिक्षण के अंगों को समझ कर अपने शिक्षण में उनका समुचित रूप में उपयोग कर सकेंगे।
5. कविता की प्रकृति के अनुकूल कविता शिक्षण की विधियों का कक्षा-शिक्षण में प्रयोग कर सकेंगे।
6. कविता में रुचि उत्पन्न करने के उपाय अपना सकेंगे।

12.1.1 कविता शिक्षण का महत्त्व एवं उपयोगिता

भाषा शिक्षण में कविता शिक्षण का विशेष महत्त्व है। इसके अध्ययन से विद्यार्थियों को भावात्मक संतुष्टि मिलती है। उनकी सौन्दर्यानुभूति तथा कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है और सद्वृत्तियों का विकास होता है।

कविता सीधे हृदय को स्पर्श करती है। इस दृष्टि से अध्यापक को कविता के माध्यम से विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करने में सहायता मिलती है।

कविता सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् तीनों गुणों से युक्त होने के कारण आनन्द का प्रमुख माध्यम है। अतः कविता शिक्षण के समय अध्यापक विद्यार्थियों को कविता विशेष के अर्थ बोध पर बल न देकर उसके भाव-सौन्दर्य की ओर भी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करें। सौन्दर्यानुभूति की यही भावना विकसित होकर विद्यार्थियों के कार्यों तथा विचारों को प्रभावित करती है और उन्हें जीवन तथा संसार में सौन्दर्य का दर्शन कराती है। वे उस सौन्दर्य को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं।

कविता शिक्षण से विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। वह भी कवि की भावनाओं से तादात्मय स्थापित कर जीवन की कटुताओं एवं कुरूपताओं से दूर कल्पना के सुन्दर एवं सुनहरे लोक में विचरण करने लगते हैं। इससे उनमें मौलिकता तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है।

भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी कविता शिक्षण का बहुत महत्त्व है। कविता शिक्षण से विद्यार्थी को भाषा के विविध रूपों और अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों का ज्ञान प्राप्त होता है। वही ज्ञान उसे अपनी विशेष रचना-शैली विकसित करने में भी सहायता देता है।

अभ्यास कार्य

- ❑ कविता शिक्षण से विद्यार्थियों की भावनाओं का परिष्कार किस प्रकार संभव है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें।

निर्देश

चर्चा कीजिए

12.1.2 कविता शिक्षण के उद्देश्य

कविता शिक्षण के उद्देश्य कक्षा स्तरानुसार भिन्न-भिन्न होंगे। प्रस्तुत विवेचना में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं को ध्यान में रखकर कविता शिक्षण से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है।

प्राथमिक स्तर

प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का प्रारंभ कक्षा तीन से किया जाना चाहिए। इससे पूर्व की दो कक्षाओं में छोटे-छोटे

बाल गीतों का कण्ठस्थीकरण गेयता के साथ कराने एवं कक्षा में उन्हें वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप में सुनवाने तक ही सीमित रखना चाहिए।

कक्षा तीन से पाँच के विद्यार्थियों के लिए कविता शिक्षण के उद्देश्यों को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है।

- शुद्धता, स्पष्टता, यति, गति, आरोह-अवरोह, लय, हाव-भाव और भाव के अनुसार कविता के सस्वर पठन की कुशलता।
- पठित कविता के अर्थ एवं भावों को सुनकर एवं पढ़कर ग्रहण करने की योग्यता।
- पठित कविता के अर्थ को मौखिक एवं लिखित रूप में अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने की योग्यता।
- पठित कविता या उसके अंशों को कण्ठस्थीकरण करने की योग्यता।
- पठित कविता के अंतर्गत भावों में रुचियों एवं वृत्तियों को परिष्कृत करने की योग्यता।

उच्च प्राथमिक स्तर

उच्च प्राथमिक स्तर पर उक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य जिन उद्देश्यों का समावेश युक्तियुक्त होगा वे इस प्रकार हैं :

- कविता के सस्वर पठन की कुशलता को और अधिक विकसित करने की योग्यता (विशेषतः लय, आरोह-अवरोह, हाव-भाव एवं भावानुकूल पठन के अवयवों के समावेश पर बल देते हुए)।
- पठित कविता के अर्थ एवं भावों के ग्रहण के साथ-साथ उनकी व्याख्या की योग्यता।
- पठित कविता में समभाव रखने वाली कविताओं के पठन एवं अभ्यास-पुस्तिकाओं में संकलन करने की योग्यता।
- कविता के भाव-सौन्दर्य एवं भाषिक सौन्दर्य का सामान्य परिचय देने की योग्यता।
- काव्य-पाठ प्रतियोगिताओं में भाग लेने की योग्यता।
- व्यक्तित्व के भावात्मक एवं मानसिक पक्ष का विकास करने की योग्यता।
- तुकान्त कविता लिखने की योग्यता।

सामान्यतः कविता शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में उपर्युक्त योग्यताओं का विकास अपेक्षित है। पाठ विशेष के संदर्भ में विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ **प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्यों में मुख्य अंतर क्या है?**	अंतर कीजिए
❑ **पाँचवीं तथा सातवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में से एक-एक कविता को चुनकर उनके शिक्षण उद्देश्य लिखिए।**	रचना कीजिए

12.1.3 कविता के सौन्दर्य तत्व

कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सौन्दर्यानुभूति कराना है। इसकी अनुभूति अध्यापक तभी करा सकता है जब उसे स्वयं कविता में निहित सौन्दर्य तत्त्वों की जानकारी हो। कविता में मुख्यतः चार प्रकार के सौन्दर्य तत्त्व होते हैं— भाव सौन्दर्य, भाषा सौन्दर्य, कल्पना सौन्दर्य तथा विचार सौन्दर्य। आइए, इन सौन्दर्य तत्त्वों के विषय में चर्चा करें।

1. **भाव सौन्दर्य** : कविता में भावों की प्रधानता होती है। कविता में वर्णित हर्ष, शोक, करुणा, उत्साह, प्रेम, वात्सल्य आदि भावों के सौन्दर्य का परिचय देने से विद्यार्थियों में कविता के रसास्वादन की क्षमता विकसित होती है। इस परिचय के आधार पर वे स्वयं कविता के मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान कर उनका आनन्द अनुभव करने में समर्थ होने लगते हैं। प्रारम्भिक कक्षाओं के

विद्यार्थियों को कविता के सस्वर वाचन द्वारा भाव सौन्दर्य की अनुभूति कराई जा सकती है।

2. **भाषा सौन्दर्य :** कवि अपने भावों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए सशक्त एवं सरस भाषा का सहारा लेता है। भाषा सौन्दर्य में निम्नलिखित तत्त्व निहित होते हैं :
   - (i) **नाद सौन्दर्य :** कविता में वर्णों और शब्दों की आवृत्ति, माधुर्य, प्रवाह एवं गेयता लाने के लिए एक निश्चित यति-गति का अनुसरण तथा तुकान्त पदों और छन्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे ही कविता का नाद कहा जाता है।
   - (ii) **शब्द योजना :** अपने भावों को सुन्दर ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए कवि सुन्दर शब्द योजना अपनाता है। इसमें वह अर्थालंकारों (उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि); शब्द-शक्तियों (अभिधा, लक्षणा और व्यंजना); गुणों (ओज, प्रसाद और माधुर्य); तथा भावानुकूल भाषा एवं छन्दों का प्रयोग करता है।
   - (iii) **चित्रात्मकता :** भावों की चित्रात्मक व्यंजना के लिए कवि ऐसे शब्द-चित्रों का प्रयोग करता है जिससे भाव चित्र की भांति आंखों के सामने चित्रित हो सके तथा अमूर्त को मूर्त या मानवीय रूप प्रदान किया जा सके।

3. **कल्पना सौन्दर्य :** कविता के माध्यम से कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। एक चित्रकार की भांति वह नई-नई कल्पनाएँ करता है। इसके लिए वह नवीन उपमाओं, दृश्य-चित्रों और नए-नए रूपों और आकारों का प्रयोग करता है, जैसे—कभी वह काले-काले बादलों को भूतों के आकार में चित्रित करता है तो कभी संध्याकाल को सितारों वाली काली साड़ी पहने एक सुन्दर नारी के रूप में देखता है। कवि की नवीन तथा मौलिक कल्पनाएँ ही कविता में कल्पना सौन्दर्य की सृष्टि करती हैं।

4. **विचार सौन्दर्य :** कविता में निहित जीवन मूल्यों, आदर्शों, उदात्त गुणों और नैतिक संदेश के द्वारा विचार सौन्दर्य की अनुभूति कराने से विद्यार्थियों में सद्वृत्तियाँ विकसित की जा सकती हैं। कबीर, तुलसी, रहीम आदि के नीति-परक दोहों में विचार सौन्दर्य की प्रधानता पाई जाती है। शिक्षक कविता पढ़ाते समय विद्यार्थियों को उपर्युक्त सौन्दर्य तत्त्वों की अनुभूति कराने का प्रयास करें। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का ध्यान नाद सौन्दर्य, चित्रात्मक सौन्दर्य और विचार सौन्दर्य की ओर आकृष्ट करना उचित होगा। उच्च प्राथमिक स्तर तथा उसके आगे की कक्षाओं में सभी सौन्दर्य तत्त्वों की अनुभूति करानी चाहिए। कविता का हाव-भाव सहित सस्वर वाचन, उदाहरण तथा प्रवचन देकर भावों का स्पष्टीकरण, कविता के सौन्दर्य की अनुभूति कराने में सहायक होगा। इस स्तर पर सौन्दर्य तत्त्वों के शास्त्रीय नामों का परिचय न दिया जाए। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की विश्लेषण शक्ति विकसित हो जाती है। अतः वहाँ उन्हें इन तत्त्वों का शास्त्रीय नाम बताना, उनका दर्शन तथा अनुभूति कराना सार्थक होगा।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता के सौन्दर्य की अनुभूति आप किस प्रकार कराएंगे?	चर्चा कीजिए
❑ नाद सौन्दर्य, शब्द चित्र सौन्दर्य, भाव सौन्दर्य तथा विचार सौन्दर्य संबंधी एक-एक कविता का संकलन कीजिए।	एकत्र कीजिए

12.1.4 कविता शिक्षण के अंग

कविता शिक्षण के महत्त्व, उद्देश्यों तथा सौन्दर्य तत्वों पर चर्चा करने के पश्चात् आइए अब कविता शिक्षण के अंगों पर चर्चा करें।

कविता के तीन प्रमुख अंग होते हैं— वाचन, व्याख्या, भाव-विश्लेषण एवं सौन्दर्यानुभूति।

1. **वाचन :** कविता शिक्षण में वाचन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कविता का सम्बन्ध कान से होता है, आँख से नहीं। अंग्रेजी भाषा के सुप्रसिद्ध प्राध्यापक हैडो ने कविता को "श्रवण की कला" कहा है। कविता का आनन्द सुनकर अधिक लिया जा सकता है। लययुक्त तथा छन्दबद्ध कविताओं का अध्यापक द्वारा उचित लय, ताल और गति से किया गया सस्वर वाचन विद्यार्थियों को अधिक आनन्द प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार भावात्मक कविताओं को भावानुकूल स्वरों में पढ़कर भाव सौन्दर्य की अनुभूति कराई जा सकती है। कविता के सस्वर वाचन से कक्षा में काव्यमय वातावरण की सृष्टि होती है और यह काव्यमय वातावरण भावानुभूति में सहायक होता है।

कविता पाठ अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों द्वारा किया जाना चाहिए।

(क) **अध्यापक द्वारा आदर्श पाठ :** अध्यापक द्वारा कविता के आदर्श पाठ को ही कविता शिक्षण का प्रथम सोपान माना जाता है। अध्यापक द्वारा कविता का आदर्श पाठ जितना भावानुरूप स्वर, उचित यति-गति तथा हाव-भाव से किया जाएगा, उसका भावार्थ विद्यार्थियों को उतनी ही सरलता से समझ में आएगा और उसकी रसानुभूति भी वे उतनी ही अधिक कर पाएंगे। अध्यापक द्वारा कविता पाठ न तो गाकर किया जाए और न ही उसमें गद्य जैसी नीरसता विद्यमान हो। वाचन करते समय स्वर में मधुरता होना अनिवार्य है। प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठ विशेषकर बाल गीतों तथा दोहों का पाठ गाकर किया जा सकता है परन्तु उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्णनात्मक तथा सरल साहित्यिक कविताओं का वाचन भावानुकूल स्वर में किया जाना ही अपेक्षित है। कविता शिक्षण प्रक्रिया में कविता पाठ कम से कम तीन बार करना चाहिए। पहले आदर्श पाठ के द्वारा कविता के अर्थ ग्रहण करने के लिए वातावरण तैयार किया जाता है। दूसरे आदर्श पाठ से कविता के भाव-बोध में सहायता मिलती है। तीसरे आदर्श पाठ के द्वारा पूरी कविता या उसके पद्यांश की विद्यार्थियों के मनोमस्तिष्क पर छाप छोड़ना है ताकि कविता पढ़ने के पश्चात् भी वे उसके आनन्द से विभोर रहें।

(ख) **विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण पाठ :** कविता का अनुकरण पाठ दो प्रकार से करवाया जाता है—व्यक्तिगत तथा सामूहिक। व्यक्तिगत पठन में सम्पूर्ण पद्यांश का या कविता के कुछ अंशों, जैसे—दोहा, कवित्त आदि का तीन-चार विद्यार्थियों द्वारा अलग-अलग सस्वर वाचन करवाया जाता है। सामूहिक अनुकरण पाठ सम्पूर्ण कक्षा द्वारा समवेत स्वर में किया जाता है। इसमें पहले अध्यापक कविता की एक पंक्ति को मधुर स्वर में पढ़ता है तत्पश्चात् सभी विद्यार्थी उसे उसी स्वर में दोहराते हैं। प्राथमिक स्तर पर अनुकरण पाठ दोनों ही रूपों से कराया जा सकता है। बाल गीतों को पढ़ाने के लिए समवेत पाठ कराना उत्तम है क्योंकि इसमें बच्चों को अधिक आनन्द आता है। उच्च प्राथमिक तथा उसके आगे की कक्षाओं में कविता शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में भाव पक्ष तथा कला पक्ष के सौन्दर्य की सराहना करने की क्षमता विकसित करना होता है। अतः उन स्तरों के विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत अनुकरण विधि ही श्रेयस्कर है। व्यक्तिगत पाठ करते समय यदि कोई विद्यार्थी उच्चारण संबंधी भूल करता है तो उसे उस समय नहीं टोकना चाहिए क्योंकि इससे वह हतोत्साहित हो जाता है और उसे कविता पाठ में रस नहीं आ पाता। उच्चारण संबंधी भूलों का संशोधन आदर्श पाठ द्वारा अन्त में करना उचित है।

2. **व्याख्या :** प्राथमिक कक्षाओं के लिए चयन किए गए बाल गीत, तुकान्त पद्य और वर्णनात्मक कविताएं मुख्यतः लयपूर्वक गाने के लिए होती हैं। सामान्यतः इन कविताओं की शब्दावली सरल होती है परन्तु यदि कुछ कठिन या नए शब्द आएं तो

उनके अर्थ वार्तालाप, अभिनय तथा उदाहरण के द्वारा बताए जा सकते हैं। प्रयास यह होना चाहिए कि वार्तालाप या प्रश्नोत्तर युक्ति से शब्दार्थ विद्यार्थियों द्वारा अभिव्यक्त हो जाएं। इनकी प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या आवश्यक नहीं है। ऐसी कविताओं में जहाँ शब्द सौन्दर्य या भाव सौन्दर्य हो, उसी की ओर विद्यार्थियों का ध्यान दिलाया जाना चाहिए।

उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए चयन की गई कविताओं के विषय, भाव और भाषा अपेक्षाकृत गूढ़ होते हैं। अतः इस स्तर के विद्यार्थियों को कुछ स्थलों पर व्याख्या की आवश्यकता होती है परन्तु कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति करवाना है। गद्य शिक्षण की भांति एक-एक शब्द की व्याख्या करके शब्द-भंडार वृद्धि करना नहीं इसलिए केवल जो उनके कठिन तथा अपरिचित शब्द कविता की रसानुभूति में बाधा बनते हों उनके अर्थों को सीधे ही स्पष्ट कर देना चाहिए। कविता पढ़ाते समय ब्रज और अवधी भाषा में आए शब्दों के खड़ी बोली के रूप भी बता देने चाहिएँ। इससे अर्थ बोध में सहायता मिलती है जैसे : लरका-लड़का, जोगी-योगी, मोरी-मेरी, सारी-साड़ी आदि। इसी प्रकार कविता में प्रसंगानुकूल आई धार्मिक, पौराणिक तथा ऐतिहासिक अंतर्कथाओं को भी संक्षेप में बता देना चाहिए। जहां कहीं प्रतीकात्मक (काले बादल—विपत्ति के लिए), लाक्षणिक (श्रवण कुमार—आज्ञाकारी तथा पितृ भक्त के लिए), अलंकारिक (चन्द्रमुखी—सुन्दर स्त्री के लिए) शब्द आएं, उनकी व्याख्या कविता पढ़ाते समय करनी चाहिए। इस प्रकार किया गया काठिन्य निवारण कविता के अर्थ ग्रहण तथा भावानुभूति में सहायक होता है।

3. भाव विश्लेषण एवं सौन्दर्यानुभूति : भाव विश्लेषण कविता शिक्षण का अंतिम सोपान होता है। कविता में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष प्रधान माना जाता है। शिक्षक का दायित्व केवल कविता में आए कठिन शब्दों या नए प्रसंगों की व्याख्या तक ही सीमित नहीं है। उसे तो अपने विद्यार्थियों को रसानुभूति करने में सक्षम बनाना है। यह तभी संभव है जब वह अपने विद्यार्थियों को कविता में आए भाव, विचार, कल्पना और भाषा संबंधी सौन्दर्य तत्वों का बोध कराएं।

प्रथम दो कक्षाओं में भाव तथा विचार सौन्दर्य पर ही बल देना चाहिए क्योंकि इसमें कवि का संदेश तथा कविता का मूलभाव निहित होता है। भाव सौन्दर्य की अनुभूति कराने का सर्वोत्तम साधन कविता का सस्वर वाचन है। तीसरी कक्षा से आगे कविता के सस्वर वाचन के साथ समान भाव की अन्य सरल और गेय कविताओं का वाचन भी किया जाना चाहिए। इससे पढ़ाई जाने वाली कविता का केंद्रीय भाव अधिक स्पष्ट होता है और कविता के प्रति रुचि जागृत होती है। परन्तु उद्धृत की गई कविता अपेक्षाकृत सरल हो तथा विद्यार्थियों ने पहले पढ़ या सुन रखी हो।

उच्च प्राथमिक कक्षाओं को कविता पढ़ाते समय अध्यापक को मुख्य भावात्मक स्थलों को पहचान कर उन पर ऐसे उत्प्रेरक प्रश्न पूछने चाहिएँ जो कविता में अभिव्यक्त भाव तथा विचार सौन्दर्य को स्वयं समझने में उनकी सहायता करें।

माध्यमिक तथा उससे आगे वाली कक्षाओं में भाव-पक्ष के साथ-साथ कला पक्ष (रस, अलंकार, छन्द, गुण, भाषा-शैली आदि सौन्दर्य तत्त्व) की अनुभूति भी करानी चाहिए। परन्तु कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को तो केवल सुर, लय एवं ताल से ही परिचित कराना पर्याप्त है। इन सौन्दर्य तत्त्वों के नामों को बताने की आवश्यकता नहीं है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ कक्षा सात की पाठ्यपुस्तक से दो-तीन कविताओं को चुनकर अपने कुछ सहयोगियों के समक्ष उनके आदर्श पाठ का अभ्यास कीजिए और इस संबंध में उनकी प्रतिक्रियाएं लीजिए।	चयन, अभ्यास और विश्लेषण कीजिए
❑ कक्षा तीन के विद्यार्थियों से किन्हीं दो बाल गीतों का सामूहिक अनुकरण पाठ कराइए।	आयोजन कीजिए
❑ कक्षा पाँच के विद्यार्थियों को कविता में आए नए तथा कठिन शब्दों की व्याख्या किस प्रकार कराएंगे?	चर्चा कीजिए तथा उदाहरण दीजिए
❑ कक्षा आठ के विद्यार्थियों को कविता का विश्लेषण तथा सौन्दर्यानुभूति कैसे कराएंगे?	-वही-

12.1.5 कविता शिक्षण की विधियाँ

कविता शिक्षण की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं। अध्यापक कविता पढ़ाते समय किस विधि को अपनाए यह कविता के प्रकार, विषय तथा कक्षा स्तर पर निर्भर है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर मुख्यतः बाल गीत, वर्णनात्मक तथा सरल साहित्यिक कविताएँ पढ़ाई जाती हैं। इसी संदर्भ में यहाँ कविता शिक्षण की मुख्य पाँच विधियों की चर्चा की गई है, ये हैं— (1) गीत एवं अभिनय विधि, (2) अर्थ बोध विधि, (3) खण्ड विधि, (4) व्याख्या विधि, और (5) मिश्रित विधि।

1. गीत एवं अभिनय विधि : नर्सरी तथा कक्षा एक से तीन तक के बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में संगीत प्रधान बाल गीतों तथा तुकांत पदों का समावेश होता है। इन गीतों में ध्वन्यात्मकता होती है जिन्हें मधुर स्वर तथा लय के साथ गाने में उन्हें आनंद आता है। अतः इस स्तर के बच्चों को बाल-कविताओं को पढ़ाने के लिए गीत तथा अभिनय विधि को अपनाना अधिक लाभदायक है। इन कविताओं को व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूपों में गाया जा सकता है। इस विधि में सर्वप्रथम अध्यापक उस गीत का मधुर स्वर में लय के साथ वाचन करता है। उसके पश्चात् अध्यापक और बच्चे हाथ से ताल देते हुए समवेत स्वर में गाते हैं और उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। इन कविताओं के शिक्षण में कठिन शब्दों के अर्थ बताने तथा भावों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें तो बार-बार गाकर पढ़ने से ही कविता शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। इस विधि के अनुसार अध्यापक का आदर्श वाचन, विद्यार्थियों का अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन आदि कविता शिक्षण की प्रक्रिया के मुख्य सोपान बन जाते हैं।

कुछ बाल गीत *अभिनय प्रधान* होते हैं जिन्हें भाव के अनुसार अंग-संचालन करते हुए गाकर पढ़ाया जा सकता है। इनमें गीत एवं अभिनय दोनों का योग होता है। अभिनय प्रधान बाल गीतों में कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनमें एक ही पात्र होता है और कुछ गीतों में एक से अधिक पात्र होते हैं। इस दृष्टि से अभिनय गीत व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इन गीतों को पढ़ाते समय अध्यापक बच्चों के सामने लय, स्वर एवं ताल के साथ आदर्श पाठ करता है। साथ ही उन गीतों के भावों को अंग-संचालन द्वारा स्पष्ट करता जाता है। फिर बच्चों को विभिन्न पात्रों की भूमिका में खड़ा कर दिया जाता है और बच्चे पात्रानुसार अभिनय सहित कविता पाठ करते हैं। यदि कविता में पशु-पक्षी आदि पात्र हैं तो बच्चों को वैसी वेशभूषा, मुखौटे, प्रतीक चिह्न आदि पहनकर कविता को अभिनय सहित गाने के लिए कहा जा सकता है।

यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इसके द्वारा खेल ही खेल में बच्चों को बहुत-सी कविताएं कंठस्थ हो जाती हैं और उनमें कविता के प्रति रुचि भी उत्पन्न हो जाती है। ध्यान रहे कि कविता पाठ में अंग-संचालन उसी सीमा तक हो जहाँ तक कक्षा में शालीनता और अनुशासन बना रहे।

2. अर्थ बोध विधि : इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को कविता की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ बताया जाता है, किंतु इस विधि के अनुसरण से शिक्षण में नीरसता आ जाती है और पाठ गद्य जैसा बन जाता है। इस विधि से विद्यार्थी कविता का अर्थ तो समझ लेता है परन्तु उसे कविता की भावानुभूति और रसानुभूति नहीं हो पाती। इस विधि का एक और सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता न्यूनतम हो जाती है। परिणामतः अभीष्ट अधिगम नहीं हो पाता। इसीलिए इसे स्वतंत्र रूप से किसी भी स्तर के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रश्नोत्तर विधि, तुलना विधि आदि की सहायता से करना उचित होगा।

3. प्रश्नोत्तर या खण्डान्वय विधि : कोई-कोई प्रबन्धात्मक कविता बहुत बड़ी होती है और उसे एक कालांश में पढ़ाना संभव नहीं होता ऐसी स्थिति में उसे कक्षा के आधार पर उचित खंडों या अन्वितियों में विभक्त कर लिया जाता है और एक-एक खण्ड पढ़ाते हुए पूरी कविता का शिक्षण किया जाता है परन्तु इस विधि में भी पहले पूरी कविता का एक साथ वाचन किया जाता है जिससे पूरा प्रसंग सामने आ जाए। फिर शिक्षण के लिए प्रस्तावित खण्ड का वाचन किया जाता है। उसके बाद प्रश्नोत्तर युक्ति की सहायता से उस खण्ड विशेष

का विश्लेषण किया जाता है। फिर सभी खंडों या अन्वितियों को पढ़ा लेने के बाद पूरी कविता का सुसंबद्ध रूप से समग्र भाव स्पष्ट किया जाता है। यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्णनात्मक एवं प्रबंधात्मक कविताओं के शिक्षण के लिए उपयुक्त है ताकि प्रश्नोत्तरों द्वारा ही विद्यार्थियों को भाव-विश्लेषण हो सके। साहित्यिक कविताओं को इस विधि द्वारा पढ़ाना उचित नहीं है।

4. **व्याख्या विधि :** इस विधि द्वारा अध्यापक कविता में आए कठिन शब्दों की व्याख्या करता है। वह प्रत्येक पद का भावार्थ, प्रासंगिक कथाओं की चर्चा, छन्द, रस और अलंकार का स्पष्टीकरण तथा कवि-संदेश की व्याख्या करता चलता है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः साहित्यिक कविताएँ पढ़ाते समय माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं के लिए किया जा सकता है क्योंकि इन कक्षाओं के विद्यार्थी मानसिक विकास की दृष्टि से कुछ परिपक्व होते हैं। कविता की व्याख्या यदि अध्यापक स्वयं न करके विद्यार्थियों की सहायता से करे तो अधिक अच्छा होगा। व्याख्या विधि के तीन रूप हैं—व्यास विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि।

(क) **व्यास विधि :** इसमें अध्यापक कथावाचक की भांति कविता के एक-एक शब्द के अर्थ और विशिष्ट भावार्थ विस्तृत रूप में समझाने के लिए कभी उदाहरण और दृष्टांत देता है तो कभी प्रवचन, अवान्तर कथाओं और उद्धरणों को प्रस्तुत करता है।

(ख) **तुलना विधि :** इस विधि द्वारा किसी कविता के एक अंश के भाव को समझाने के लिए समान भाव वाली अथवा विरोधी भाव वाली उसी कवि की या अन्य कवि की कविता के साथ तुलना की जाती है। यह ध्यान रहे कि तुलना के लिए ली गई पंक्तियाँ पढ़ाई जाने वाली कविता से कठिन न हों।

(ग) **समीक्षा विधि :** इस विधि में कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष की प्रश्नोत्तर विधि द्वारा शास्त्रीय समीक्षा की जाती है। इसमें कविता के सौन्दर्य तत्त्व-छंद, अलंकार, रस, शब्दयोजना, शब्द-शक्तियाँ आदि का विश्लेषण करते हुए भावानुभूति का प्रयास किया जाता है। यह विधि उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है।

5. **मिश्रित विधि :** इस विधि को आदर्श विधि भी कहा जाता है। इसमें समस्त विधियों के आवश्यक गुणों को कविता की विषयवस्तु और भाव सौन्दर्य के अनुसार अपनाने का प्रयास किया जाता है।

कविता शिक्षण की उपर्युक्त वर्णित विधियों की अपनी-अपनी विशेषताएं और सीमाएं हैं। अतः कविता पढ़ाने से पूर्व अध्यापकों को चाहिए कि वे कविता की प्रकृति, कक्षा के स्तर, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कर लें। तदुपरान्त उनके अनुकूल उचित विधि या दो-तीन विधियों को संयुक्त रूप से अपनाएं।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ कक्षा दो या तीन की पाठ्यपुस्तकों से चार-चार बाल गीत/तुकांत कविताएं छांटकर अभिनय विधि से पढ़ाएँ।	चयन और अभ्यास कीजिए
❑ कक्षा सात तथा आठ के लिए तीन वर्णनात्मक तथा सरल साहित्यिक कविताओं का चयन कर उन्हें अर्थ-बोध एवं तुलना विधियों से पढ़ाएँ।	चयन और अभ्यास कीजिए

12.1.6 कविता में रुचि उत्पन्न करने के उपाय

अध्यापक कक्षा में तथा विद्यालय में ऐसा वातावरण निर्मित करें कि विद्यार्थी कविता में स्वतः रुचि लेने लगें। इस दृष्टि से निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं—

1. विद्यार्थियों के समक्ष प्रभावशाली ढंग से लय, ताल, आरोह-अवरोह आदि का ध्यान रखते हुए कविता का आदर्श पाठ प्रस्तुत किया जाए। इससे उन्हें आनन्द आएगा और वे स्वयं भी कविताओं का सस्वर वाचन करने के लिए उत्साहित होंगे।
2. विद्यार्थियों को कविता को सस्वर पढ़ने का अभ्यास कराया जाए।
3. विद्यार्थियों को कविताएं कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
4. विद्यार्थियों को कविताएं संग्रह करने के लिए प्रेरित किया जाए। उनके द्वारा संगृहीत कविताओं को बाल सभा में पढ़कर सुनाने के अवसर दिए जाएँ।
5. विद्यालय में विभिन्न उत्सवों पर काव्य-गोष्ठियों का आयोजन कर विद्यार्थियों को कविताओं का सस्वर पाठ करने के अवसर दिए जाएँ।
6. विद्यालय में प्रमुख कवियों के जन्म दिवसों पर कवि-जयंती का आयोजन किया जा सकता है। इस अवसर पर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके साहित्य से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाए।
7. वर्ष में एक या दो बार विद्यालय में कवि-सम्मेलनों का आयोजन किया जाए।
8. विद्यालय तथा अन्तर्विद्यालय स्तर पर अन्त्याक्षरी तथा कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए तथा उत्तम ढंग से सस्वर पाठ करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाए।
9. विद्यालय में कवि-दरबार का आयोजन किया जाए जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी किसी युग विशेष के कवियों की वेश-भूषा में सज्जित होकर अभिनय तथा भाव-भंगिमा के साथ मंच पर आकर उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को पढ़कर सुनाएँ।
10. सत्र में चार-पाँच बार सुभाषित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएँ जिसमें विद्यार्थियों को प्रसिद्ध कवियों की सुन्दर कविताओं को अभिनयपूर्वक प्रस्तुत करने को कहा जाए।
11. विद्यार्थियों को तुकांत अथवा अतुकांत कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें विद्यालय पत्रिका अथवा भिति पत्रिका में स्थान दिया जाए।
12. आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली छात्रोपयोगी कविताओं को टेपरिकार्डर पर रिकार्ड करके कक्षा में सुनवाया जाए।

अभ्यास कार्य

❑ विद्यार्थियों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए कुछ कार्यकलापों को कक्षा तथा विद्यालय में आयोजित कीजिए।

निर्देश

आयोजन कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. कविता मानव भावनाओं का सुन्दर तथा कलात्मक शब्दों में किया गया चित्रण है जिसे पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता आनन्द विभोर हो जाते हैं। भाषा शिक्षण में कविता शिक्षण का विशेष महत्त्व है। कविता अध्ययन से विद्यार्थियों को भावात्मक संतुष्टि मिलती है। उनकी सौन्दर्यानुभूति और कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है तथा सद्वृत्तियों का विकास होता है।
2. प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों

में उचित यति-गति, लय, ताल, हाव-भाव के साथ कविता पाठ करने की क्षमता विकसित करना, उनके भावों का परिष्कार करना, कल्पना शक्ति को विकसित करना तथा कवि के संदेश को समझने की योग्यता विकसित करना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इन उद्देश्यों के अतिरिक्त विद्यार्थियों में कविता में वर्णित भाव और भाषा सौन्दर्य की सराहना करने की क्षमता विकसित करना है।

3. कविता के मुख्य सौन्दर्य तत्त्व हैं— भाव सौन्दर्य, भाषा सौन्दर्य, कल्पना सौन्दर्य और विचार सौन्दर्य।
4. कविता शिक्षण के तीन अंग होते हैं— वाचन, व्याख्या, भाव विश्लेषण और सौन्दर्यानुभूति।
5. कविता शिक्षण की मुख्य विधियाँ हैं— गीत एवं अभिनय विधि, शब्दार्थ कथन विधि, खण्ड विधि, व्याख्या विधि और मिश्रित विधि।
6. कविता में रुचि उत्पन्न करने के उपाय हैं— अध्यापक द्वारा कविता का आदर्श पाठ, विद्यार्थियों का कविता का सस्वर वाचन, कविता कंठस्थ कराना, बाल सभा, काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, कवि-दरबार आदि का आयोजन, अन्त्याक्षरी तथा सुभाषित प्रतियोगिताओं का आयोजन, कविता लिखने का अभ्यास और उपयोगी कविताओं को टेप करके सुनवाना।

मूल्यांकन

1. जीवन में कविता की उपयोगिता को बताते हुए शिक्षण में उसके महत्त्व को समझाइए।
2. अपनी मौलिकता का परिचय देते हुए कविता शिक्षण से प्राप्य तीन उद्देश्य निर्धारित कीजिए।
3. कविता के सौन्दर्य तत्त्व क्या हैं? कविता पढ़ाते समय इन तत्त्वों पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है?
4. कविता शिक्षण में वाचन पर अधिकाधिक बल क्यों दिया जाता है? तर्क सहित समझाइए।
5. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को कविता पढ़ाने की दो-दो विधियों की चर्चा कीजिए।
6. अपने विद्यार्थियों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु आप क्या-क्या प्रयास करेंगे?

कैप्सूल 12.2
पाठ योजना

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. कविता शिक्षण की पाठ योजना निर्माण के सोपानों पर चर्चा कर सकेंगे।
2. कविता की पाठ योजना बना सकेंगे।

12.2.1 कविता की पाठ योजना निर्माण के सोपान

कविता की पाठ योजना विकसित करने के लिए निम्नलिखित सोपान अपनाए जा सकते हैं :

1. **उद्देश्य :** उद्देश्यों का निर्धारण कविता विशेष में वर्णित भाव और विचारों पर निर्भर करता है। स्तर विशेष के विद्यार्थियों में पढ़ाई जाने वाली कविता के संदर्भ में जो ज्ञान, कौशल, रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ विकसित की जाती हैं वही उस कविता के उद्देश्य कहलाते हैं।

2. **प्रस्तावना :** कविता की प्रस्तावना कई विधियों से की जा सकती है, जैसे— अध्यापक के आदर्श पाठ द्वारा, कवि परिचय द्वारा, कविता में वर्णित भाव से संबंधित चित्र दिखाकर, प्रसंग अथवा पृष्ठभूमि द्वारा, समान भाव वाली कविता पाठ द्वारा, तथा प्रश्नोत्तर युक्ति द्वारा। प्रस्तावना के लिए कौन-सी विधि सर्वोत्तम है इसका निर्णय अध्यापक स्वयं कविता की प्रकृति तथा विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार ले सकता है।

3. **प्रस्तुतीकरण :** भावों में तारतम्य की दृष्टि से संपूर्ण कविता को एक ही अन्विति में पढ़ाना उचित है। यदि कविता लम्बी हो तो उसे अर्थपूर्ण अन्वितियों में बाँट कर भी पढ़ाया जा सकता है। कविता प्रस्तुतीकरण के निम्नलिखित सोपान हैं :

(क) **आदर्श पाठ :** अध्यापक द्वारा संपूर्ण कविता का आदर्श पाठ (कम से कम दो बार)।

(ख) **अनुकरण पाठ :** दो-तीन विद्यार्थियों द्वारा सस्वर अनुकरण पाठ। आदर्श पाठ तथा अनुकरण पाठ के संबंध में कैप्सूल 12.1.5 का पुनरावलोकन उपयोगी होगा।

(ग) **केंद्रीय भाव ग्रहण :** कविता में वर्णित मुख्य भाव और विषय को विद्यार्थियों ने कहाँ तक ग्रहण किया है जाँचने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि विद्यार्थी केंद्रीय भाव को नहीं बता पाते तो अध्यापक दूसरी बार आदर्श पाठ प्रस्तुत कर सकता है।

(घ) **शब्दार्थ स्पष्टीकरण :** कविता में आए नए तथा कठिन शब्दों और विशिष्ट संदर्भों के अर्थ तथा अंतर्कथाओं का यथावश्यक एवं यथास्थान स्पष्टीकरण।

(ङ) **भाव विश्लेषण और सौन्दर्यानुभूति :** निम्न प्राथमिक स्तर पर सस्वर पठन द्वारा भाव सौन्दर्य की अनुभूति कराना उचित होता है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर छोटे-छोटे भावात्मक प्रश्न पूछकर भाव-पक्ष की अनुभूति करानी चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सूक्ष्म भावों का विश्लेषण तथा उनकी सौन्दर्यानुभूति कराने के लिए समान भाव वाली कविता की पंक्तियों को उद्धृत करना भी उचित होता है।

(च) **आदर्श पाठ :** अध्यापक द्वारा संपूर्ण कविता का तीसरी बार आदर्श पाठ।

(छ) **सस्वर पाठ :** कविता के प्रभाव को सुदृढ़ करने के लिए पठन में कुशल दो-तीन विद्यार्थियों द्वारा सस्वर पाठ।

4. **पुनरावृत्ति तथा मूल्यांकन :** पाठ को अधिक स्पष्ट कराने के लिए प्रारंभिक स्तर पर शृंखलाबद्ध ढंग से प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जिससे यह पता चल जाए कि विद्यार्थियों ने पठित कविता के भाव तथा सौंदर्य तत्त्वों का बोध कहाँ तक किया है। इसके लिए अध्यापक बोधात्मक प्रश्नों, अभ्यासों, कथनों आदि युक्तियों की सहायता ले सकता है।

5. **गृहकार्य :** गृहकार्य कई रूपों में दिया जा सकता है, जैसे— पठित कविता को कंठस्थ करना, उस कविता को शुद्ध उच्चारण तथा भावानुकूल ढंग से पढ़ने का अभ्यास

कविता के भावार्थ लिखकर लाना, समान भाव ाएँ संगृहीत करना, कविता की एक पंक्ति देकर दूसरी पंक्ति लिखने को कहना, समान भाव वाली मौलिक कविता लिखने को कहना आदि।

अभ्यास कार्य

❑ कविता की पाठ योजना बनाते समय आप किन-किन सोपानों को अपनाएँगे?

निर्देश

चर्चा कीजिए

पाठ योजना

ोपानों के आधार पर कविता शिक्षण की दो पाठ (कक्षा चार तथा सात के लिए) के नमूने दिए जा नमूने अपने आप में अंतिम नहीं हैं। इसमें आपको परिवर्तन की पूरी-पूरी छूट है।

हिमालय (कविता)

लय बता रहा है
ंधी-पानी में,
ुम अविचल होकर
तूफानी में।

डिगो न अपने प्रण से, तो तुम
सब कुछ पा सकते प्यारे,
तुम भी ऊँचे उठ सकते हो,
छू सकते नभ के तारे।

अचल रहा जो अपने पथ पर
लाख मुसीबत आने में,
मिली सफलता जग में उसको
जीने में, मर जाने में।

(बालभारती, भाग 4, पृष्ठ 12, मई 1993)

पाठ योजना (1)

विषय : हिंदी कविता — कक्षा : 4

प्रसंग : हिमालय — समय :35मिनट

उद्देश्य : इस कविता के अध्ययन के बाद विद्यार्थी—

1. उचित स्वर, प्रवाह और आरोह-अवरोह के साथ कविता पढ़ सकेंगे।
2. हिमालय पर्वत की विशेषताओं का उल्लेख कर सकेंगे।
3. कविता का मुख्य भाव तथा कवि का संदेश बता सकेंगे।

पूर्वज्ञान

विद्यार्थी हिमालय पर्वत के विषय में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं।

सहायक सामग्री

लपेट श्यामपट्ट पर लिखी "भारत भूमि" शीर्षक बाल कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ :

"है यह भारत भूमि हमारी, हमको प्राणों से भी प्यारी।
...यही हिमालय है दिखलाता, जग है जिसको शीश झुकाता।
विंध्याचल भी खड़ा यहीं है और सतपुड़ा पड़ा यहीं है।"

प्रस्तावना

अध्यापक कविता की उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा—

1. इस कविता में भारत के किन-किन पर्वतों का उल्लेख किया गया है? (हिमालय, विंध्यांचल और सतपुड़ा)

2. हिमालय पर्वत के आगे संसार के सभी पर्वत क्यों सिर झुकाते हैं? (वह सबसे ऊँचा है)।

उद्देश्य कथन

हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊँचा तथा बड़ा पर्वत माना जाता है। उसकी आकाश को छू लेने वाली ऊँची चोटियाँ हजारों वर्षों से उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी तथा तूफानी हवाओं तथा आक्रमणकारियों से हमें बचाती रही हैं। वह आज भी एक संतरी की तरह अडिग तथा अटल खड़ा अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। आज हम इसी भाव की एक अन्य कविता "हिमालय" का अध्ययन करेंगे जो सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है।

प्रस्तुतीकरण

आदर्श पाठ : "खड़ा हिमालय---मर जाने में।"

अध्यापक द्वारा संपूर्ण कविता का भावानुकूल स्वर में वाचन किया जाएगा। इस समय विद्यार्थी पुस्तकें बंद रखेंगे।

केंद्रीय भाव : इस कविता में हिमालय के द्वारा कवि क्या संदेश दे रहा है? (अपने पथ पर अटल रहो।)

शब्दार्थ स्पष्टीकरण

शब्द	*अर्थ*
अविचल	अडिग
संकट	मुसीबत
डिगो	हटो
प्रण	प्रतिज्ञा
नभ	आकाश
अचल	स्थिर/अडिग
पथ	रास्ता
नभ के तारे छूना	असंभव कार्य को संभव कर दिखाना।

आदर्श पाठ : अध्यापक द्वारा दूसरी बार आदर्श पाठ किया जाएगा। इस समय विद्यार्थी पुस्तकें खोलकर कविता सुनेंगे और मौन वाचन करते हुए भाव ग्रहण करेंगे।

अनुकरण पाठ (सामूहिक) : अध्यापक प्रत्येक पद की दो-दो पंक्तियों को सस्वर पढ़ेगा और विद्यार्थियों को उच्चरित पंक्तियों को उसी प्रकार आरोह-अवरोह के साथ दोहराने के लिए कहेगा।

अनुकरण पाठ (दो तीन विद्यार्थियों द्वारा)

भाव विश्लेषण तथा सौन्दर्यानुभूति

1. प्रथम पद में हिमालय हमें क्या कह रहा है? (निडर होकर अपने काम में डटे रहो।)
2. मुसीबतों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए? (बहादुरी से)
3. किन पंक्तियों में यह भाव दर्शाया गया है कि व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहकर सब कुछ प्राप्त कर सकता है? ("डिगो न अपने प्रण से, तो तुम सब कुछ पा सकते प्यारे।")
4. "छू सकते नभ के तारे" से कवि का क्या अभिप्राय है? (असंभव बात को संभव करके दिखाना।)
5. इस संसार में किन व्यक्तियों को सफलता मिलती है? (कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करने वालों को)

उदाहरण : अध्यापक द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कविता "बढ़े चलो" से समान भाव वाली निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धृत करके बहादुर और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तियों के गुणों की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करेगा। इससे उन्हें सौन्दर्यानुभूति में सहायता मिलेगी।

"वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।
---सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो।
तुम निडर, हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं।
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।"

6. "जीने में, मर जाने में" से कवि का क्या तात्पर्य है? (विद्यार्थियों के उत्तर न देने पर अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण)

अध्यापकीय कथन : जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना बहादुरी से करते हैं वे ही जीवन में महान लक्ष्य प्राप्त कर

सकते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि मुसीबतों से लड़ते-लड़ते मर भी जाएँ तो मृत्यु के बाद भी उनके महान कार्यों के कारण उन्हें संसार याद रखता है। भगतसिंह, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी आदि आज भी स्मरणीय हैं।

7. तुम्हें इस कविता की कौन-सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगीं और क्यों?

आदर्श पाठ : अध्यापक द्वारा तीसरी बार।

सामूहिक अनुकरण पाठ : सभी विद्यार्थियों द्वारा।

मूल्यांकन

1. इस कविता का मुख्य भाव क्या है?
2. "खड़ा हिमालय बता रहा है----तूफानी में" इन पंक्तियों के क्या अर्थ हैं?
3. इस संसार में तुम किस प्रकार ऊँचे उठ सकते हो?
4. सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

गृहकार्य

"हिमालय" के बारे में कोई अन्य कविता याद करके कक्षा में सुनाओ।

शक्ति और क्षमा (कविता)

क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल
सबका लिया सहारा।
पर नर-व्याघ्र, सुयोधन तुमसे
कहो, कहाँ, कब हारा।
क्षमाशील हो रिपु समक्ष
तुम हुए विनत जितना ही।
दुष्ट कौरवों ने तुमको
कायर समझा उतना ही।
क्षमा शोभती उस भुजंग को
जिसके पास गरल हो,
उसको क्या, जो दंतहीन,
विषरहित, विनीत, सरल हो।
तीन दिवस तक पंथ माँगते
रघुपति सिन्धु-किनारे,
बैठे पढ़ते रहे छंद
अनुनय के प्यारे-प्यारे।
उत्तर में जब एक नाद भी
उठा नहीं सागर से,
उठी अधीर धधक पौरुष से,
आग राम के शर से।
सिंधु देह धर "त्राहि-त्राहि"
करता आ गिरा चरण में,
चरण पूज, दासता ग्रहण की,
बंधा मूढ़ बंधन में।
सच पूछो तो शर में ही
बसती है दीप्ति विनय की,
संधि-वचन संपूज्य उसी का
जिसमें शक्ति विजय की।
सहनशीलता, क्षमा, दया को
तभी पूजता जग है,
बल का दर्प चमकता उसके
पीछे जब जगमग है।

(किशोर भारती, भाग-2, पृष्ठ 50-51, सितंबर 1993)

पाठ योजना (2)

विषय : हिंदी   कक्षा : सात

विधा : कविता   समय : 40 मिनट

प्रकरण : शक्ति और क्षमा

उद्देश्य : इस कविता के अध्ययन के बाद विद्यार्थी—

1. कविता में वर्णित अंतर्कथाओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
2. शक्तिशाली तथा निर्बल व्यक्तियों को क्षमा-प्रयोग के अंतर बता सकेंगे।
3. कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे।
4. जीवन में सद्गुणों के साथ शक्ति के योग का महत्त्व समझ सकेंगे।

पूर्वज्ञान

विद्यार्थियों को महाभारत की कथा की सामान्य जानकारी है। अधिसंख्य विद्यार्थी "महाभारत" टी.वी. सीरियल भी देख चुके हैं।

सहायक सामग्री

एक चित्र जिसमें भीष्म पितामह शर-शय्या पर लेटे हुए धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। युधिष्ठिर दुखी मुद्रा में हाथ जोड़े पितामह के चरणों में बैठे हैं।

प्रस्तावना

(प्रश्नोत्तर तथा चित्र प्रदर्शन विधि द्वारा)

1. महाभारत का युद्ध किन-किन पक्षों के बीच हुआ था? (कौरवों और पांडवों के बीच)
2. युद्ध को रोकने के लिए युधिष्ठिर ने क्या उपाय किया था? (श्री कृष्ण को दुर्योधन के पास शांति दूत बनाकर भेजा)
3. युद्ध में जीत जाने के पश्चात् युधिष्ठिर का मन क्यों अशान्त हुआ? (युद्ध में भीषण रक्तपात को देखकर)
4. (चित्र दिखाकर) इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? (भीष्म पितामह शर-शय्या पर लेटे हैं। युधिष्ठिर दुखी मन से हाथ जोड़े उनके पास बैठे हैं।)

उद्‌देश्य कथन

युधिष्ठिर युद्ध में अपने भाइयों-संबंधियों के संहार से दुखी होकर शर-शय्या पर पड़े भीष्म पितामह के पास आए। भीष्म पितामह उन्हें समझाते हैं कि उस स्थिति में युद्ध अनिवार्य था। वे धर्मयुद्ध में हुई हिंसा को उचित बताते हैं और उससे कहते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति को ही विनम्रता तथा क्षमा शोभा देती है। आज हम इसी संदर्भ में कवि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य ग्रंथ "कुरुक्षेत्र" से लिए गए काव्यांश "शक्ति और क्षमा" का अध्ययन करेंगे।

प्रस्तुतीकरण

(संपूर्ण कविता को एक ही अन्विति में पढ़ाया जाएगा)

आदर्श पाठ : अध्यापक द्वारा संपूर्ण कविता का दो बार आदर्श पाठ किया जाएगा। पहली बार आदर्श पाठ के समय विद्यार्थी पुस्तकें बंद करके ध्यानपूर्वक कविता सुनेंगे।

दूसरी बार आदर्श पाठ के समय विद्यार्थी पुस्तकें खोलकर कविता सुनेंगे और उसका मौन वाचन करते हुए अर्थ ग्रहण करेंगे।

अनुकरण पाठ : दो-तीन विद्यार्थियों द्वारा कविता का अनुकरण पाठ किया जाएगा।

केंद्रीय भाव : कवि क्षमा को किस अवस्था में उपयोगी समझता है? (जब वह शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा अपनाई जाए)

शब्दार्थ स्पष्टीकरण : अध्यापक निम्नलिखित नए तथा कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण करते हुए उन्हें श्यामपट्ट पर भी लिखेगा।

रिपु	=	शत्रु
त्याग	=	छोड़ देना
नर-व्याघ्र	=	नर रूपी बाघ
विनत	=	नम्र/विनीत
कायर	=	डरपोक
समक्ष	=	सामने
भुजंग	=	साँप
गरल	=	जहर
अनुनय	=	प्रार्थना
पौरुष	=	पराक्रम
त्राहि-त्राहि	=	बचाओ-बचाओ
संधि-वचन	=	मैत्री प्रस्ताव
दर्प	=	घमंड

भाव विश्लेषण : अध्यापक कविता की प्रथम आठ पंक्तियों का सस्वर वाचन करके निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा तथा भाव स्पष्टीकरण के लिए प्रवचन विधि का प्रयोग करेगा—

1. युद्ध को रोकने के लिए युधिष्ठिर ने किन-किन बातों का सहारा लिया था? (क्षमा, दया, तप और त्याग का)

2. इन सब प्रयत्नों का दुर्योधन पर क्या प्रभाव पड़ा? (दुर्योधन ने युधिष्ठिर के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया)
3. कविता की किन पंक्तियों में यह भाव दर्शाया गया है कि दुर्योधन ने युधिष्ठिर की नम्रता को कायरता समझा? (क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको, कायर समझा उतना ही)
4. बाघ किस स्वभाव का जानवर है? (अत्याचारी)
5. दुर्योधन को कवि ने "नर-व्याघ्र" क्यों कहा है? (उसके क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के कारण)
(अध्यापक श्री कृष्ण को दुर्योधन के पास शांति संदेश लेकर जाने की अन्तर्कथा को संक्षेप में बताएगा)
अध्यापक कविता की अगली आठ पंक्तियाँ "क्षमा शोभती...बंधन में" को सस्वर पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न करेगा —
6. कविता की किन पंक्तियों में यह भाव व्यक्त किया गया है कि दया दिखाना विषैले साँप द्वारा ही उचित है? (क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो)
7. जहरीले दाँतों से हीन साँप यदि किसी को हानि नहीं पहुँचाता उसे आप क्या समझेंगे? (शक्तिहीन)

अध्यापकीय कथन : शक्ति होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग नहीं करता वह उसी प्रकार प्रशंसनीय है जिस प्रकार जहरीला साँप जहर होते हुए भी किसी को नहीं काटता। अतः हे युधिष्ठिर! तुमने सैन्य शक्ति होते हुए भी बार-बार कौरवों को क्षमा किया यह तुम्हारी महानता है।

8. सागर पार करने के लिए श्री राम ने समुद्र से क्या प्रार्थना की? (मार्ग दे दे)
9. राम की प्रार्थना पर सागर ने क्यों ध्यान नहीं दिया? (अभिमान के कारण)
10. राम की बात को समुद्र ने कब माना? (राम के तीर साधने पर जब समुद्र में आग लग गई)
(अध्यापक द्वारा राम का सागर पर सेतु बाँधने की अन्तर्कथा का स्पष्टीकरण)

अध्यापक कविता की अंतिम आठ पंक्तियों "सच पूछो... जगमग है" को सस्वर पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा—

11. कविता की किन पंक्तियों का यह आशय है कि शक्तियुक्त होने पर ही विनम्रता शोभा देती है? (सच पूछो तो ... विजय की)
12. युद्ध में संधि की बात किस पक्ष की मानी जाती है? (शक्तिशाली पक्ष की)
13. सहनशील, क्षमाशील और दयालु व्यक्ति का सम्मान लोग कब करते हैं? (उसकी शक्ति को पहचानने के बाद)

अध्यापकीय कथन : भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि इस संसार में उसी व्यक्ति की नम्रता सम्मानित होती है जिसमें तीर के समान बेध डालने की अपार शक्ति है। मैत्री-प्रस्ताव भी उसी का मान्य होता है जिसकी युद्ध में विजय निश्चित हो। सहनशीलता, क्षमा और दया करने वाले उसी व्यक्ति का इस संसार में आदर होता है जिसकी शक्ति का कीर्तिमान पहले से ही स्थापित हो चुका हो। इसलिए हे युधिष्ठिर! प्रजा की भलाई तथा दुर्योधन के अहंकार को तोड़ने के लिए तुम्हारा धर्मयुद्ध करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना अनिवार्य था।

अध्यापक विद्यार्थियों के ज्ञान-विस्तार के लिए अंत में यह भी बताएगा कि युगीन परिस्थितियों का प्रभाव समकालीन कवियों तथा उनकी रचनाओं पर पड़ता है। जिस समय कवि दिनकर ने "कुरुक्षेत्र" काव्य की रचना की थी उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उनसे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए स्वतंत्रता सेनानी अपने-अपने ढंग से प्रयत्न कर रहे थे। एक ओर सुभाष, भगतसिंह आदि थे जो हिंसा का सहारा लेने से भी नहीं झिझकते थे और दूसरी ओर गाँधी, नेहरू आदि थे जो अहिंसा के पक्ष में थे। कवि भीष्म पितामह को माध्यम बनाकर कह रहा है कि किसी अच्छे काम के लिए यदि हिंसा का मार्ग भी अपनाना पड़े तो अनुचित नहीं है।

सौन्दर्यानुभूति : अध्यापक निम्नलिखित तुकांत शब्दों के द्वारा

कविता में निहित नाद सौन्दर्य की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करेगा—

"सहारा ... ... हारा"
"गरल हो ... ... सरल हो"
"जितना ही ... ... उतना ही"
"विनय की ... ... विजय की"
"जग है ... ... जगमग है"

आदर्श पाठ : अध्यापक द्वारा तीसरी बार।

सस्वर पाठ : दो-तीन विद्यार्थियों द्वारा।

मूल्यांकन

भाव सौन्दर्य और कला सौन्दर्य बोध की जाँच के लिए अध्यापक निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा :

1. इस कविता में किन-किन पात्रों में बात हो रही है?
2. दुर्योधन के बारे में कविता में किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है?
3. कवि ने समुद्र पर सेतु बाँधने का प्रसंग किस उद्देश्य से दिया है?
4. संसार में किस प्रकार के व्यक्ति का सम्मान होता है?
5. इस कविता की वे पंक्तियाँ बताओ जिनमें शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दी गई है?
6. इस कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है?
7. कविता में प्रयुक्त तुकांत शब्दों की सूची बनाओ।

गृहकार्य

1. इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो।
2. प्रस्तुत कविता की वे पंक्तियाँ कंठस्थ करो जो तुम्हें सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी हों।

मॉड्यूल-13

व्याकरण शिक्षण

13.0 प्रस्तावना

प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि-व्यवस्था, शब्द-व्यवस्था, अर्थ-व्यवस्था और वाक्य-व्यवस्था होती है। भाषा शिक्षक को इन व्यवस्थाओं की सही जानकारी होनी चाहिए, तभी वह शिक्षार्थियों को व्याकरण-सम्मत भाषा की शिक्षा दे सकता है, तभी उसके लिए उनकी अशुद्धियों को सुधारना सम्भव हो सकेगा।

भाषा शिक्षण में भाषा के प्रयोग में शुद्धता और स्पष्टता लाने के लिए व्यावहारिक व्याकरण के शिक्षण की अहम् भूमिका है। व्यावहारिक व्याकरण की उपयोगिता का प्रतिपादन तथा कक्षा-शिक्षण में उसके प्रयोग की विधि से परिचित कराना इस मॉड्यूल का उद्देश्य है। इस दृष्टि से मॉड्यूल में दो कैप्सूल समाहित किए गए हैं—

कैप्सूल 13.1 में व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण के महत्त्व, उद्देश्य तथा शिक्षण विधियों पर चर्चा की गई है।

कैप्सूल 13.2 में व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना के सोपान तथा पाठ योजना निर्माण पर प्रकाश डाला गया है।

कैप्सूल 13.1
व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य तथा शिक्षण विधियाँ

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यावहारिक व्याकरण के स्थान तथा उसके शिक्षण उद्देश्य बता सकेंगे।
2. व्याकरण शिक्षण विधियों का कक्षा शिक्षण में उचित उपयोग कर सकेंगे।

13.1.1 व्याकरण की संकल्पना तथा भाषा शिक्षण में उसका स्थान

व्याकरण भाषा की प्रकृति, उसकी विशेषताओं का अध्ययन है, भाषा की संरचना को समझने का एक वैज्ञानिक प्रयत्न है। यह भाषा के नियमों की संहिता है जो हमें भाषा विशेष की वाक्य-रचना, शब्द-रचना की व्याख्या और भाषा संबंधी व्यवस्थाओं का ज्ञान देती है। डॉ. स्वीट ने व्याकरण को "भाषा का शरीर-विज्ञान" कहा है। इस दृष्टि से भाषा *शिक्षक के लिए व्याकरण का ज्ञान उतना ही महत्त्वपूर्ण हो* जाता है जितना किसी चिकित्सक के लिए मनुष्य के शरीर-विज्ञान का। जिस प्रकार मानव के शरीर-विज्ञान की जानकारी चिकित्सक को मानव शरीर की संरचना, उसमें आए हुए विकारों को समझने तथा यथानुरूप निदान एवं उपचार में सहायता प्रदान करता है, उसी प्रकार व्याकरण का ज्ञान शिक्षक को भाषा-संरचना को समझकर विद्यार्थी की भाषा में आए हुए विकारों के निदान और उपचार में सहायता प्रदान करता है।

भाषा शिक्षण में शिक्षक अपने व्याकरण ज्ञान का प्रयोग इस प्रकार करे कि विद्यार्थी व्याकरण-सम्मत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सही रूप से बोलना और लिखना सीख सकें। वे अपनी भाषाई अशुद्धियों को जानकर उनका स्वयं निराकरण कर सकें।

व्याकरण शिक्षण में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध भाषा का प्रयोग एक कला है, कोरा किताबी ज्ञान नहीं। शुद्ध भाषा सिखाने के लिए व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान उतना महत्त्वपूर्ण नहीं जितना कि व्याकरण के व्यावहारिक नियमों का प्रयोग। इस दृष्टि से आधुनिक भाषाविद् एवं व्याकरणवेत्ता *व्यावहारिक व्याकरण* के शिक्षण पर बल देते हैं। इसका आशय यह है कि भाषा-प्रयोग की दृष्टि से *व्याकरण का उपयोग किया जाए। शब्द-भेदों—संज्ञा,* सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया-विशेषण आदि के नियमों, परिभाषाओं की अपेक्षा उनके व्यावहारिक संरचनात्मक उदाहरणों, प्रयोगों और अभ्यासों पर ही बल दिया जाए ताकि विद्यार्थी जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावशाली ढंग से भाषा के परिनिष्ठित रूप का प्रयोग करने में सक्षम हो सके।

अभ्यास कार्य	निर्देश
☐ निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों पर कोष्ठकों में सही (✓) का और गलत पर क्रॉस (x) का निशान लगाइए।	सही छाँटिए
(i) व्याकरण शब्दों की व्याख्या करता है और वाक्य में उनका स्थान नियत करता है।	( )
(ii) भाषा विकारों को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक नहीं है।	( )
(iii) व्याकरण के सैद्धांतिक अध्ययन से ही विद्यार्थी की भाषा व्याकरण-सम्मत बन सकती है।	( )

13.1.2 व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है।

(क) प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पाँच)

— संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया पदों को पहचानने की योग्यता।
— व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध रखने की योग्यता।
— भाषा के शुद्ध प्रयोग की योग्यता।
— समानार्थक-विपरीतार्थक शब्द तथा उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता।

विशेष टिप्पणी : प्राथमिक कक्षाओं में व्यावहारिक व्याकरण का ही ज्ञान कराया जाए, व्याकरणिक परिभाषाओं का परिचय न दिया जाए।

(ख) उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छः से आठ)

— उच्च प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों के पाठों में प्रयुक्त भाषिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता।
— हिंदी भाषा की प्रकृति, रचना और गठन को समझने की योग्यता।
— हिंदी भाषा के विभिन्न अवयवों का विश्लेषण करने की योग्यता।
— मानक तथा शुद्ध भाषा लिखने की योग्यता।
— प्रत्येक व्याकरणिक इकाई के प्रयोग की योग्यता।
— भाषा के शुद्ध-अशुद्ध रूपों को परखने और अशुद्ध रूपों का निराकरण करने की योग्यता।

व्याकरण शिक्षण के द्वारा कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों में उपर्युक्त योग्यताओं का विकास करना अपेक्षित है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण से प्राप्त उद्देश्यों को लिखिए।	सूचीबद्ध कीजिए

13.1.3 व्याकरण शिक्षण विधियाँ

भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्याकरण शिक्षण की उपयोगिता तभी सिद्ध की जा सकती है, जबकि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि अपनाई जाए। यह अध्यापक के विवेक पर निर्भर करता है कि विद्यार्थियों के स्तर, उनकी आवश्यकता और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार किस विधि को प्रयोग में लाना उचित होगा जिससे वह अपने व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो सके। इस दृष्टि से यहाँ व्याकरण शिक्षण की विधियों पर विचार करना युक्तिसंगत होगा।

निगमन विधि : निगमन विधि के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम या परिभाषाएँ बतलाकर उनके उदाहरण दे दिए जाते हैं। इसके दो रूप हैं— सूत्र विधि और पाठ्यपुस्तक विधि। सूत्र विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम, सूत्र या सिद्धांत और उनके लक्षण तथा उदाहरण बता देता है। अतएव यह विधि उपयोगी नहीं मानी जाती क्योंकि इसमें प्रयोगात्मक पक्ष के स्थान पर सैद्धांतिक पक्ष पर बल होता है। पाठ्यपुस्तक विधि में भी विद्यार्थी व्याकरण की पुस्तक में दी गई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया-विशेषण आदि की परिभाषाएँ और नियम रट लेते हैं। इससे भी विद्यार्थियों को भाषा के प्रयोग का ज्ञान और अभ्यास नहीं हो पाता। व्याकरण के सभी नियम याद कर लेने के बाद विद्यार्थी भाषा के मौखिक और लिखित व्यवहार में कुशलता नहीं प्राप्त कर सकते। इस विधि को उपयोगी बनाने की दृष्टि से इसमें भाषा-प्रयोग की शुद्धता के उदाहरणों पर अधिक बल देना चाहिए।

आगमन विधि : इस विधि के अनुसार विद्यार्थी विभिन्न उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के सामान्य नियमों, परिभाषाओं अथवा सिद्धान्तों का निर्धारण करते हैं। यह विधि निगमन विधि की ठीक उलटी है। इसमें विद्यार्थियों को व्याकरण की संरचनाओं का व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता है और विद्यार्थी उन्हीं संरचनाओं के आधार पर स्वयं व्याकरण के नियमों को खोजते हैं तथा उन्हें निर्धारित करते हैं। आगमन विधि के भी दो रूप माने जाते हैं— समवाय विधि और प्रयोग विधि। समवाय विधि के अनुसार जैसा प्रारंभ में कहा जा चुका है व्याकरण का शिक्षण गद्य या रचना के पाठों के साथ ही किया जाता है। इन पाठों के साथ ही प्रसंग के अनुकूल शब्द-रचना, वर्तनी, उच्चारण और वाक्य-रचना आदि के उदाहरण और अभ्यास दे दिए जाते हैं जिनसे अध्यापक विद्यार्थियों को व्याकरणिक रूपों और नियमों का ज्ञान तथा अभ्यास भाषा शिक्षण से जोड़कर कराते हैं। प्रयोग विधि से व्याकरण शिक्षण करते समय अध्यापक विद्यार्थियों के सामने सबसे पहले समाज में विभिन्न परिस्थितियों में प्रयुक्त होने वाली व्याकरणिक संरचनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी उदाहरणों में प्रयुक्त समान गुण, कार्य और लक्षण वाले अंशों को पहचानता है और उन्हीं के आधार पर नियमों या सिद्धान्तों का निर्धारण करता है। अध्यापक विद्यार्थियों से उनका प्रयोग और अभ्यास कराता है। इस विधि में चार सोपानों का अनुसरण किया जाता है— उदाहरण, उनकी तुलना एवं विश्लेषण, नियमीकरण और परीक्षण तथा अभ्यास।

निगमन विधि की अपेक्षा आगमन विधि अधिक उपयुक्त, वैज्ञानिक और स्वाभाविक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को चिंतन, परिवीक्षण, सामान्यीकरण और अभ्यास का उचित अवसर प्राप्त होता है। इससे विद्यार्थियों का न केवल मानसिक विकास होता है, अपितु उन्हें स्वयं सीखने का अवसर भी प्राप्त होता है। वह स्वयं अन्वेषण द्वारा जो कुछ भी सीखता है, वह स्थायी होता है। इसके अतिरिक्त इसमें शिक्षाशास्त्र के शिक्षण सूत्रों— सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात आदि का भी यथाविधि पालन होता है। अतः आगमन विधि को व्याकरण शिक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना जा सकता है। फिर भी कक्षा स्तर, आवश्यकता, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार दोनों ही विधियों का समन्वय यथावसर अपेक्षित होता है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ व्याकरण शिक्षण के लिए कौन-सी विधि अधिक उपयोगी है और क्यों?	चर्चा कीजिए
❑ निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों पर कोष्ठकों में सही (✓) का और गलत पर क्रॉस (x) का निशान लगाइए।	सही छाँटिए
(i) निगमन विधि में व्याकरण के नियम बताकर उनके उदाहरण दिए जाते हैं।	( )
(ii) आगमन विधि के अनुसार विद्यार्थी व्याकरण के नियमों की खोज नहीं करते।	( )
(iii) समवाय विधि के अनुसार व्याकरण का शिक्षण गद्य या रचनाओं के शिक्षण के साथ ही किया जाता है।	( )

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. व्याकरण शब्दों के प्रयोग को अनुशासित करता है। इसलिए उसे 'शब्दानुशासन' भी कहते हैं। व्याकरण भाषा के सर्वमान्य रूप को स्थायी बनाता है। विद्यार्थी व्याकरण का अध्ययन करके भाषिक तत्वों का ज्ञानार्जन करते हैं और वे भाषा की प्रकृति और उसके गठन से अवगत हो जाते हैं। व्याकरण शिक्षण के लिए अध्यापकों को व्याकरण का सम्यक् ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि वे भाषा के परिष्कृत मानक रूप का प्रयोग तभी कर सकते हैं, जब उन्हें व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो। अध्यापक का अनुकरण करके विद्यार्थी भी भाषा को सही रूप से बोलना और लिखना सीख लेते हैं।
2. व्याकरण शिंक्षण की विधियों में दो विधियों—निगमन और आगमन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। आगमन विधि के भी दो रूप हैं—समवाय विधि और प्रयोग विधि। समवाय विधि में गद्य या रचना पाठों के साथ व्याकरण के तत्वों का अध्ययन कराया जाता है, जबकि प्रयोग विधि में उदाहरण देकर विद्यार्थियों से व्याकरण के नियम निकलवाये जाते हैं। व्याकरण शिक्षण की दृष्टि से आगमन विधि अधिक उपयोगी और वैज्ञानिक विधि है।

मूल्यांकन

1. व्यावहारिक व्याकरण में किन बातों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
2. भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण की उपयोगिता सिद्ध कीजिए।
3. निगमन और आगमन विधियों का अंतर स्पष्ट कीजिए।
4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—
   (क) सूत्र विधि
   (ख) समवाय विधि
   (ग) प्रयोग विधि

कैप्सूल 13.2
व्याकरण शिक्षण के सोपान और पाठ योजना

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. व्याकरण शिक्षण के सोपानों की विधिवत् जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उनके आधार पर पाठ-संकेतों का निर्माण कर सकेंगे।
2. कक्षा शिक्षण की परिस्थितियों में पाठ-संकेत का समुचित विधि से प्रयोग करने और अपने शिक्षण व्यवहार को सुधारने में सक्षम हो सकेंगे।

13.2.1 व्याकरण शिक्षण के सोपान

जैसा पहले कहा जा चुका है कि व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि अधिक उपयुक्त और वैज्ञानिक है इसलिए व्याकरण शिक्षण की दृष्टि से कक्षा में आगमन विधि के अन्तर्गत निम्नलिखित सोपानों को अपनाया जा सकता है :

(क) **उद्देश्य** : पाठ का कोई निश्चित उद्देश्य पहले निश्चित कर लेना चाहिए, जैसे, कर्त्ता-क्रिया में अन्विति। इसके आधार पर ही समूचे पाठ का विकास होता है।

(ख) **प्रस्तावना** : अन्य साहित्यिक विधाओं और भाषा कौशलों के पाठों की प्रस्तावना के समान उपयुक्त उदाहरणों, फ्लैश कार्डों, चित्रों और प्रश्नों आदि के माध्यम से विद्यार्थियों के पूर्वज्ञान को आधार बनाकर और प्रस्तुत पाठ की विषयवस्तु से जोड़कर पाठ का आरंभ किया जाता है और उससे संबंधित कुछ सारभूत वाक्य उद्देश्य कथन के रूप में इस प्रकार रोचक ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं कि विद्यार्थी पाठ के प्रति जिज्ञासु हो सकें।

(ग) **प्रस्तुतीकरण** : इसके अंतर्गत व्याकरण के पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के वाक्य समाज की बहुविध परिस्थितियों से जोड़कर प्रस्तुत किए जाते हैं और उनमें पाठ्य-बिन्दुओं के समान निहित लक्षणों और विशेषताओं को प्रकाश में लाया जाता है ताकि विद्यार्थी स्वयं अपनी खोज प्रवृत्ति से उन्हें पहचान सकें।

(घ) **नियमीकरण** : उक्त उदाहरणों के प्रकाश में समान लक्षणों और विशेषताओं की तुलना, विश्लेषण और व्याख्या द्वारा विद्यार्थियों से सामान्य नियम, सिद्धान्त अथवा परिभाषा निर्धारित करवाई जाती है।

(ङ) **परीक्षण एवं दृढ़ीकरण** : निर्धारित नियम अथवा परिभाषा के दृढ़ीकरण, पुष्टि और सत्यता की प्रामाणिकता हेतु अनेक प्रश्न, प्रयोग और अभ्यास दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत दिए गए प्रयोग और अभ्यास विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान के परीक्षण के रूप में होते हैं।

इन प्रमुख सोपानों के अतिरिक्त पाठों की विषयवस्तु और उनकी प्रकृति के अनुसार पूर्वज्ञान, सहायक सामग्री, उद्देश्य कथन और गृहकार्य आदि अन्य सोपानों का पालन किया जाता है।

अभ्यास कार्य

- ❑ व्याकरण और निबन्ध पाठ के शिक्षण सोपानों का तुलनात्मक चार्ट तैयार कीजिए।

निर्देश
सामग्री निर्माण कीजिए

13.2.2 पाठ योजना निर्माण

व्याकरण की पाठ योजना तैयार करते समय अध्यापक को इस मूलभूत तथ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें भाषाई इकाइयों के प्रयोग और अभ्यास पर ही सहज रूप

में अधिक बल दिया जाए ताकि विद्यार्थी अपने अनुभवों और खोज प्रवृत्ति के आधार पर व्याकरण के नियमों का स्वतः निर्धारण कर सकें। व्याकरण पाठ के संरचनात्मक पाठ-संकेत का एक नमूना छात्राध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए यहाँ दिया जा रहा है।

पाठ योजना का नमूना

विषय : वाक्य संरचना

शीर्षक : "नित्य संबंधी" भाषाई घटकों के सहयोग से वाक्य संरचना।

1. जिस प्रकार .... उसी प्रकार
2. जैसा .... वैसा
3. ज्यों .... त्यों
4. जितना .... उतना

कक्षा : आठ समय : 40 मिनट

उद्देश्य : इस पाठ के अध्ययन के बाद विद्यार्थी—

1. दिए गए नित्य संबंधी भाषाई घटकों में से किस भाषाई घटक के साथ कौन-सा नित्य संबंधी घटक प्रयुक्त हुआ है इसकी जानकारी दे सकेंगे।
   (क) जिस प्रकार .... उसी प्रकार
   (ख) जैसा .... वैसा
   (ग) ज्यों .... त्यों
   (घ) जितना .... उतना
2. उक्त घटकों का भाषा की विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे।

सहायक सामग्री

1. फ्लैश कार्ड : अनुरूपण (प्रस्तुतीकरण)
2. चार्ट : वाक्यों का प्रयोग (प्रस्तुतीकरण)
3. चार्ट : रिक्त स्थानों की पूर्ति (परीक्षण)
4. फ्लैश कार्ड : वाक्य शुद्धीकरण (परीक्षण)

पूर्वज्ञान : विद्यार्थियों के भाषाई व्यवहार में जिस प्रकार ......उसी प्रकार, ज्यों.......त्यों, जितना.......उतना और जैसा.....वैसा का प्रयोग सुना तथा देखा है।

प्रस्तावना : जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि हैं मैं नाहिं।
प्रेम गली अति सांकरी,
जामें दो न समाहिं।।

1. इस दोहे को पढ़िए।
2. प्रथम पंक्ति में रेखांकित शब्द कौन-कौन से हैं?
3. इनका आपस में क्या संबंध है? (जब के साथ सदा तब आता है।)

उद्देश्य कथन : जैसे उपर्युक्त दोहे में "जब" के साथ "तब" का प्रयोग हुआ है, वैसे ही "जिस प्रकार" के साथ "उसी प्रकार", "जैसा" के साथ "वैसा", "ज्यों" के साथ "त्यों", "जितना" के साथ "उतना" का प्रयोग होता है। इसके साथ यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि इनका प्रयोग भाषा के विभिन्न संदर्भों में किस प्रकार किया जा सकता है।

प्रस्तुतीकरण (फ्लेश कार्ड-1 दिखाकर)

निर्देश : वर्ग "क" और वर्ग "ख" में से एक-एक सही इकाई चुनकर दोनों को मिलाइए :

वर्ग-क	*वर्ग-ख*
जिस प्रकार	त्यों
ज्यों	उसी प्रकार
जैसा	उतना
जितना	वैसा

1. "जब-तब" का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए।
   (अ) जब रामू सो रहा था, तब मैं पढ़ रहा था।
   (ब) जब माँ सो गई, तब राधेश्याम भोजन की माँग करने लगा।
2. "जैसा-वैसा" को वाक्य में प्रयोग कीजिए :
   (अ) जैसा वे काम करेंगे, वैसा उनको फल मिलेगा।
   (ब) जैसा देश, वैसा वेश।
3. "ज्यों-त्यों" का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए :
   (अ) ज्यों ही हम स्कूल पहुँचे, त्यों ही प्रधानाध्यापक मुझसे प्रश्न करने लगे।
   (ब) ज्यों ही घंटी बजी, त्यों ही सभी विद्यार्थी कक्षा से बाहर आ गए।
4. "जितना-उतना" से वाक्य बनाइए :
   (अ) जितना खेलो, उतना पढ़ो भी।

(ब) जितना पढ़ोगे, उतना फल पाओगे।

5. "जिस प्रकार-उसी प्रकार" को वाक्य में प्रयोग कीजिए।
   (अ) जिस प्रकार मैं बोलता हूँ, उसी प्रकार मेरा छोटा भाई भी बोलता है।
   (ब) जिस प्रकार साबुन चिकना होता है, उसी प्रकार सर्फ भी चिकना होता है।

(शिक्षण उपादान चार्ट-2 दिखाकर)

1. जिस प्रकार आग हमें जलाती है, उसी प्रकार चिंता भी हमें जला देती है।
2. जैसा मकान होता है, वैसा ही उसका दरवाजा भी होना चाहिए।
3. जब मेहमान चले गए, तब नौकर मिठाई लाया।
4. ज्यों ही सुशीला ने गाना शुरू किया, त्यों ही दर्शक उठकर चले गए।
5. जितना लिखोगे, उतना ही लिखने का अभ्यास बढ़ेगा।

(उपर्युक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और उनके प्रयोग पर विचार कीजिए)

नियमीकरण : इन वाक्यों के आधार पर आप किस नियम का निर्धारण करेंगे।

छात्र— नित्य संबंधी भाषाई इकाइयाँ—जिस प्रकार-उसी प्रकार, जैसा-वैसा, जब-तब, ज्यों-त्यों और जितना-उतना आदि वाक्यों में साथ-साथ प्रयुक्त होकर वाक्य रचना करती हैं।

परीक्षण एवं दृढ़ीकरण—

(शिक्षण उपादान चार्ट-3 दिखाकर)

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नांकित शब्दों में से उपयुक्त शब्द छाँटकर कीजिए—
   — जब, त्यों, उतना, जितना, जैसे
   (क) जितना खाना खाना है.......खा लीजिए।
   (ख) ....नौकर आएगा तब मैं घर जाऊँगा।
   (ग) ज्यों ही शिक्षक ने महेन्द्र को डांटा......ही वह डर से काँपने लगा।
   (घ) ......मालिक काम कराना चाहेगा उतना श्यामू को करना होगा।
   (ड़) ....सुदामा के दिन फिरे वैसे ही सबके दिन फिरें।

(शिक्षण उपादान चार्ट-4 दिखाकर)

2. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए—
   (क) जिस प्रकार सविता की शादी हुई, वैसे ही कविता की शादी हुई।
   (ख) ज्यों ही मैं स्टेशन पहुँचा, वैसे ही पुलिस से मुलाकात हो गई।
   (ग) जितनी शक्कर डालोगे, चाय वैसी मीठी बनेगी।
   (घ) जबसे मैंने होश सम्हाला, त्यों ही केशव का भार मुझे वहन करना पड़ा।
   (ड़) जैसे उसका भाई होशियार है, उतना वह भी होशियार है।

गृहकार्य : दो-दो वाक्यों में प्रयोग करके लाइए।

ज्यों	....	त्यों
जैसा	....	वैसा
जिस प्रकार	....	उसी प्रकार

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ निम्नांकित पर व्याकरण शिक्षण के अभ्यास के नमूने तैयार कीजिए : (क) अपना/अपनी/अपने का प्रयोग वाक्यों में अलग-अलग करके। (ख) "वह......जो" का वाक्यों में प्रयोग करके।	सामग्री निर्माण कीजिए
❑ "कि"/"की" प्रयोग करते हुए वाक्य संरचना के पाठ का एक नमूना तैयार कीजिए।	सामग्री निर्माण कीजिए
❑ विशेषण तथा क्रिया-विशेषण से युक्त वाक्यों को एकत्र करके तुलनात्मक चार्ट तैयार कीजिए।	निर्माण कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. व्याकरण शिक्षण के प्रमुख सोपान हैं— उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रस्तुतीकरण, नियमीकरण, परीक्षण एवं दृढ़ीकरण। इन सोपानों के अतिरिक्त पाठों की विषयवस्तु और प्रकृति के अनुसार, पूर्वज्ञान सहायक उपादान, उद्देश्य कथन और गृहकार्य जैसे सोपानों का भी प्रयोग किया जा सकता है।
2. कक्षा शिक्षण की स्थिति में व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना भी उतनी ही उपयोगी है जितनी कि अन्य पाठों की पाठ योजनाएँ। पाठ का प्रत्येक सोपान उद्देश्यपूर्ण और सार्थक होता है। पाठ के उद्देश्य पाठ के विकास का दिशा निर्देशन करते हैं। इनसे पाठ के सोपानों का क्रमिक विकास होता है और पाठ की सफलता भी पाठ के उद्देश्यों की पूर्ति पर ही निर्भर होती है।

मूल्यांकन

1. "कि"/"की" का प्रयोग करते हुए वाक्य संरचना के पाठ का एक नमूना तैयार कीजिए।
2. निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों पर कोष्ठकों में सही (✓) और गलत पर क्रॉस (x) का निशान लगाइए।
   (i) प्रत्येक पाठ की प्रकृति और विषयवस्तु के अनुसार उसकी पाठ योजना तैयार की जाती है। ☐
   (ii) व्याकरण के पाठ का प्रत्येक सोपान महत्त्वपूर्ण नहीं होता। ☐
   (iii) व्याकरण के पाठ का विकास उसके उद्देश्यों के आधार पर होना आवश्यक नहीं। ☐
   (iv) पाठ के विकास में विद्यार्थी का सक्रिय योगदान नितांत आवश्यक है। ☐

मॉड्यूल–14

मातृभाषा शिक्षण में मूल्यांकन

14.0 प्रस्तावना

बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है। किन्तु सामान्यत: बालक के मानसिक विकास को तथा उसकी ज्ञानोपलब्धि को ही शिक्षा का लक्ष्य मान लिया जाता है। इसी दृष्टि से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक बालक के शैक्षिक विकास की कसौटी बन जाते हैं; यद्यपि ये प्राप्तांक केवल उसकी ज्ञानोपलब्धि के स्तर के ही सूचक होते हैं। स्पष्ट है कि ऐसी कसौटी के आधार पर बालक के व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं के विकास-स्तर की जाँच नहीं हो पाती है। शिक्षा पद्धति की इस कमी को दूर करने के लिए बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास-स्तर का सही-सही मूल्य आंकने के लिए शिक्षाविदों ने एक नवीन उपागम अपनाया है, जिसे "मूल्यांकन" की संज्ञा दी गई। मूल्यांकन का अर्थ है, 'किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना।' बालक की शिक्षा में इस संकल्पना का बड़ा महत्त्व है। मूल्यांकन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि बालक की शिक्षा के निर्धारित उद्‌देश्य, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, प्रदत्त तथा अधिगम-अनुभव किस सीमा तक बालक में अपेक्षित परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं और उनमें क्या संशोधन तथा सुधार वांछनीय हैं। इस दृष्टि से बालक के लिए शिक्षा को अर्थवान बनाने की दिशा में 'मूल्यांकन' एक प्रयोग हैं अतएव यह आवश्यक है कि छात्राध्यापक शिक्षण की कला के साथ-साथ मूल्यांकन की संकल्पना, उद्‌देश्य, प्रकार, विधियाँ तथा निदान और उपचार की संकल्पना से परिचित हों।

प्रस्तुत मॉड्यूल के अंतर्गत निम्नलिखित तीन कैप्सूल हैं :

कैप्सूल 14.1 में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन की संकल्पना, उद्‌देश्य तथा विषेशताओं पर चर्चा की गई है।

कैप्सूल 14.2 में मूल्यांकन की विधियों तथा उपकरणों पर प्रकाश डाला गया है।

कैप्सूल 14.3 में निदान एवं उपचार की संकल्पना तथा उनके विविध सोपानों पर चर्चा की गई है।

कैप्सूल 14.1
व्यापक एवं सतत मूल्यांकन—संकल्पना, उद्देश्य तथा विशेषताएँ

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. व्यापक तथा सतत मूल्यांकन की संकल्पना पर विचार-विमर्श कर सकेंगे।
2. शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्यों पर चर्चा कर सकेंगे।
3. शैक्षिक मूल्यांकन की विशेषताएँ बता सकेंगे।

शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है और यह विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस नाते यह आवश्यक हो जाता है कि बालक को दी जाने वाली शिक्षा के प्रत्येक चरण में हम यह जानते चलें कि वह शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसके लिए हमें निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों, प्रयुक्त शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण-विधियों की उपयोगिता का समय-समय पर मूल्यांकन करते रहना होगा। इस दृष्टि से शैक्षिक मूल्यांकन एक सतत तथा व्यापक प्रक्रिया हो जाती है।

14.1.1 व्यापक तथा सतत मूल्यांकन की संकल्पना

जीवनोपयोगी तथा समाजोपयोगी शिक्षा वही है जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करे। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान, विभिन्न कौशल तथा उसकी रुचियाँ एवं सद्वृत्तियाँ आती हैं। इसी दृष्टि से शिक्षण से पूर्व प्रत्येक विषय के शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट रूप से निश्चित किए जाते हैं। इन उद्देश्यों के अंतर्गत विषयवस्तु के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, कौशल तथा रुचियों और प्रवृत्तियों की व्याख्या की जाती है। ये उद्देश्य ही सारी शैक्षणिक प्रक्रिया के केंद्र बिन्दु होते हैं। इसी कारण शिक्षण और परीक्षण दोनों ही उद्देश्योन्मुख रहते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है और परीक्षण उनकी संप्राप्ति की जाँच के लिए।

शिक्षण की सफलता तथा विद्यार्थियों के यथेष्ट विकास की सीमाओं का पता लगाने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों की संप्राप्ति का मूल्यांकन उन सभी क्षेत्रों में किया जाए जिनमें उनका विकास वांछित हो। इसलिए शिक्षण का क्षेत्र जितना व्यापक होगा उतना ही व्यापक मूल्यांकन का क्षेत्र भी होगा। वास्तव में, शैक्षिक मूल्यांकन की व्यापकता का अर्थ है विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल तथा रुचियों एवं प्रवृत्तियों सभी का मूल्यांकन।

सतत मूल्यांकन का अर्थ यह नहीं है कि विद्यार्थियों की प्रतिदिन परीक्षा ली जाए। सतत मूल्यांकन की संकल्पना गुणात्मक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सोपान आते हैं—शिक्षण, संप्राप्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण, पुनः संप्राप्ति परीक्षण, शिक्षक तथा विद्यार्थी द्वारा स्वमूल्यांकन आदि। सतत मूल्यांकन के इन सोपानों द्वारा विद्यार्थियों की क्षमता एवं कमजोरियों को नियमित रूप से जानने में मदद मिलती है जिनके आधार पर शिक्षक उपचारात्मक कार्य योजना बना सकता है ताकि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ सतत मूल्यांकन के सोपानों का चार्ट बनाइए।	रचना कीजिए

14.1.2 मूल्यांकन की विशेषताएँ

उत्तम मूल्यांकन की दो विशेषताएँ हैं—वैधता और विश्वसनीयता। वह परीक्षण वैध है जो विद्यार्थी की उसी योग्यता का मापन करे, जिसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त

करना चाहते हैं। किसी भाषा कौशल के लिए निर्धारित परीक्षण उस कौशल की ही जाँच करे न कि विद्यार्थी के ज्ञान की। उदाहरणार्थ, किसी कविता का रटा रटाया अर्थ लिख देना, विद्यार्थी की अर्थग्रहण करने की योग्यता की परीक्षा नहीं मानी जा सकती। अर्थग्रहण की योग्यता की परीक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को ऐसा प्रश्न दिया जाए जिसका उत्तर लिखने के लिए उन्हें परीक्षण स्थिति में ही पाठ्यांश का अर्थग्रहण करना पड़े।

मूल्यांकन की दूसरी अनिवार्य विशेषता विश्वसनीयता है। परीक्षण की विश्वसनीयता को कम करने वाली त्रुटियों में से कुछ त्रुटियाँ हैं— प्रश्नों के निर्माण में प्राश्निक की व्यक्तिपरकता, परीक्षा देते समय परीक्षार्थी की मनःस्थिति तथा उत्तरों के अंकन में परीक्षक की व्यक्तिपरकता। इनमें से प्रथम दो को दूर करना अत्यंत कठिन है। पर उत्तरों के अंकन में व्यक्तिपरकता को नियंत्रित किया जा सकता है। अंकन जितना व्यक्तिपरक होगा उतना ही अविश्वसनीय होगा। अलग-अलग परीक्षक लघूत्तर तथा निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर की अलग-अलग बातों को महत्त्वपूर्ण मान सकते हैं और तदनुसार अंक दे सकते हैं। साथ ही यह भी संभव है कि एक ही व्यक्ति किसी एक प्रश्न के उत्तर के अंकन में भिन्न अवसरों पर भिन्न बिन्दुओं को महत्त्व दे। अतएव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंकन पर आधारित निर्णय अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होता है।

उपर्युक्त विचार-विमर्श से स्पष्ट है कि सही-सही मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन उपकरणों का वैध एवं विश्वसनीय होना आवश्यक है।

अभ्यास कार्य

- उच्च प्राथमिक कक्षा की किसी पाठ्यपुस्तक के दो पाठों पर प्रश्न-अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उद्देश्य निर्धारित कीजिए और उन उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों की वैधता का मूल्यांकन कीजिए।

निर्देश

उद्देश्य आधारित मूल्यांकन कीजिए

14.1.3 मूल्यांकन के उद्देश्य

शैक्षिक मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. वर्गीकरण
2. चयन
3. निदान

1. वर्गीकरण : मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना है। परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अतः किसी भी परीक्षण में कठिन (20%) सामान्य (60%) और सरल (20%) इन तीनों स्तरों के प्रश्न होने चाहिएं, जिससे श्रेष्ठ, सामान्य और कमजोर विद्यार्थियों में अंतर किया जा सके। साधारण स्तर के प्रश्न, साधारण और कमजोर विद्यार्थियों में परस्पर अंतर कर सकेंगे और कठिन स्तर के प्रश्नों में प्राप्तांकों की सहायता से श्रेष्ठ, सामान्य तथा कमजोर विद्यार्थियों में अंतर किया जा सकेगा। जो परीक्षण इस अंतर को जितनी भली प्रकार दर्शा सकेगा वह परीक्षण वर्गीकरण की दृष्टि से उतना ही उत्तम होगा।

2. चयन : मूल्यांकन का दूसरा उद्देश्य किसी विशेष प्रयोजन के लिए विद्यार्थियों का चयन करना होता हैं। उदाहरणार्थ, छात्रवृत्ति देने के लिए अथवा सृजनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए विद्यार्थियों का चयन करना। ऐसे परीक्षण के प्रश्नों की दो विशेषताएँ होनी चाहिएँ। एक

यह कि वे उद्देश्य के अनुकूल हों। सृजनात्मक योग्यता वाले विद्यार्थियों का चयन करने के लिए प्रश्नों का स्वरूप सृजनात्मक हो। इस दृष्टि से कविता रचना, समस्यापूर्ति, मौलिक कहानी अथवा लेखक के लेखन द्वारा परीक्षण उपयुक्त होगा। अच्छे वक्ताओं का चयन करने के लिए भाषण, परिचर्चा, वाद-विवाद जैसे साधनों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरे, ऐसे प्रश्न अत्यंत कठिन होने चाहिएँ क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियों का चयन तभी किया जा सकेगा जब प्रश्न अत्यन्त कठिन होंगे।

3. निदान : मूल्यांकन का तीसरा उद्देश्य शैक्षिक संप्राप्ति में विद्यार्थियों की कमजोरी जानना है और उस जानकारी के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करना है। निदानात्मक प्रश्न-पत्रों का निर्माण संप्राप्ति परीक्षण द्वारा प्राप्त संकेतों के आधार पर किया जाता है। निदानात्मक प्रश्न-पत्र से यह जानकारी हो जाती है कि किस क्षेत्र में तथा किस पक्ष में विद्यार्थी की संप्राप्ति संतोषजनक नहीं है। फिर इस कमजोरी का कारण ज्ञात करके उपचारात्मक शिक्षण के लिए सामग्री तैयार की जाती है।

अभ्यास कार्य

- संप्राप्ति परीक्षण, चयन परीक्षा तथा निदानात्मक परीक्षणों की तुलना निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कीजिए :

  उपयोग, उद्देश्य, प्रश्नों की प्रकृति और कठिनाई का स्तर।

निर्देश

तुलना कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. शैक्षिक संप्राप्ति के मूल्यांकन में शिक्षण उद्देश्य महत्त्वपूर्ण हैं।
2. व्यापक मूल्यांकन के लिए सभी शैक्षणिक उद्देश्यों की संप्राप्ति का मूल्यांकन आवश्यक है।
3. सतत मूल्यांकन के सोपान हैं— संप्राप्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, पुनः संप्राप्ति परीक्षण एवं मूल्यांकन।
4. मूल्यांकन की विशेषताएँ हैं— वैधता तथा विश्वसनीयता।
5. मूल्यांकन के उद्देश्य हैं— विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना, उनका चयन करना तथा शैक्षिक संप्राप्ति में उनकी कमजोरी का निदान करना।

कैप्सूल 14.2
भाषा संप्राप्ति मूल्यांकन की विधियाँ तथा उपकरण

व्यवहारगत उद्देश्य

प्रस्तुत कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. भाषा संप्राप्ति के मूल्यांकन की मौखिक तथा लिखित विधियों और उपकरणों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग कर सकेंगे।
2. विभिन्न उपकरणों की रचना-विधि को समझ कर उनकी रचना कर सकेंगे।

14.2.0 मूल्यांकन की विधियाँ

भाषा शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा के चारों कौशलों— सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना—की योग्यता विकसित करना है। इनमें से प्रथम दो का संबंध भाषा के मौखिक रूप से है और शेष दो का संबंध लिखित रूप से। अतएव भाषा संप्राप्ति के क्षेत्र में मूल्यांकन दो प्रकार से किया जा सकता है— मौखिक एवं लिखित। स्वाभाविक है कि मौखिक कौशलों की योग्यता के मूल्यांकन के लिए मौखिक विधियाँ उपयुक्त होंगी और लिखित कौशलों के लिए लिखित। इन विधियों के अंतर्गत निम्नलिखित विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है :

I. मौखिक विधि के उपकरण
   1. मौखिक परीक्षा : वार्तालाप, प्रश्नोत्तर और भाषण
   2. सस्वर वाचन

II. लिखित विधि के उपकरण
   1. प्रतिलेख
   2. अनुलेख
   3. श्रुतलेख
   4. लिखित प्रश्न-पत्र

आइए, इनके विषय में विस्तृत चर्चा करें।

14.2.1 मौखिक विधि के उपकरण

प्रकृति की दृष्टि से वार्तालाप, प्रश्नोत्तर तथा भाषण एक वर्ग में आते हैं क्योंकि इनमें केवल मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग होता है और उसी की परीक्षा भी होती है पर सस्वर वाचन इन तीनों से दो बातों में भिन्न है— एक, इसमें लिखित सामग्री का प्रयोग होता है और दूसरे, इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं— सस्वर वाचन की कुशलता का परीक्षण तथा अर्थग्रहण का परीक्षण।

1. मौखिक परीक्षा : मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता के मूल्यांकन के लिए तीन उपकरण सम्मिलित किए जा सकते हैं— वार्तालाप, प्रश्नोत्तर तथा भाषण।

(I) **वार्तालाप :** वार्तालाप दो रूपों में हो सकता है— परीक्षक और परीक्षार्थी के बीच तथा परीक्षार्थियों में परस्पर। ये दोनों रूप अपेक्षाकृत अनौपचारिक होते हैं।

वार्तालाप के प्रथम रूप के अंतर्गत परीक्षकों द्वारा ऐसे बिन्दु उठाए जा सकते हैं, जिनकी सहायता से परीक्षक को परीक्षार्थी का परिचय मिल सके और परीक्षार्थी की झिझक निकल जाए। दूसरे शब्दों में वार्तालाप के इस रूप का प्रयोग परीक्षकों तथा परीक्षार्थियों में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। वार्तालाप के दूसरे रूप में विद्यार्थियों द्वारा परस्पर विचार-विमर्श करने के लिए परीक्षार्थियों को वर्गों में विभाजित कर प्रत्येक वर्ग को कोई एक विषय दिया जा

सकता है। यह विषय शीर्षक के रूप में दिया जा सकता है या अनुच्छेद के रूप में। विषय अथवा अनुच्छेद परीक्षार्थियों को पाँच मिनट पूर्व देना चाहिए। वार्तालाप के ये दोनों रूप सृजनात्मक स्तर की अभिव्यक्ति की परीक्षा करने के लिए अधिक उपयोगी हैं।

(ii) **प्रश्नोत्तर :** लघूत्तर प्रश्न किसी भी मौखिक परीक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं। इनके अंतर्गत ऐसे छोटे-छोटे सूचनात्मक, विचारात्मक तथा भावात्मक प्रश्न किए जाते हैं जिनका उत्तर परीक्षार्थी तुरंत तथा थोड़े समय में ही दे सके। इससे यह लाभ होता है कि विभिन्न पृष्ठभूमि तथा रुचि वाले परीक्षार्थियों के अनुकूल विषयवस्तु पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न प्रत्त्यास्मरणात्मक तथा रचनात्मक स्तर की अभिव्यक्ति की परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं।

(iii) **भाषण :** मौखिक अभिव्यक्ति का परीक्षण करने के लिए परीक्षार्थियों से भाषण दिलवाया जा सकता है। पर भाषण के विषय अभिव्यक्ति के विभिन्न स्तरों के अनुसार ही चुने जाने चाहिएँ। परीक्षा से दस मिनट पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी को भाषण के तीन विषय दिए जाने चाहिएँ जिससे वह उन पर वहीं विचार करके किसी एक विषय पर भाषण दे सके। भाषण के विषयों में ऐसी समस्याएँ देनी चाहिएँ कि वे परीक्षार्थियों को तुरन्त अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करें।

2. **सस्वर पठन :** यह परीक्षा की ऐसी विधि है जो बहुत कुछ मौखिक परीक्षा जैसा है। एक दृष्टि से मौखिक अभिव्यक्ति का यांत्रिक पक्ष तथा सस्वर पठन एक समान हैं। पर दोनों में अंतर यह है कि सस्वर पठन में परीक्षार्थी को कोई लिखित सामग्री दी जाती है, जिसका उसे स्वर सहित अर्थपूर्ण वाचन करना होता है। मौखिक परीक्षा में परीक्षार्थी बिना किसी सामग्री के सहारे से बोलता है।

सस्वर पठन के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है :

(क) **उद्देश्य :** सस्वर पठन की योग्यता के दो पक्ष हैं—पहला यांत्रिक और दूसरा मानसिक। सस्वर पठन के माध्यम से एक ओर बलाघात, अनुतान, गति, मुद्रा तथा हाव-भाव की परीक्षा की जा सकती है तो दूसरी ओर परीक्षार्थी की अर्थपूर्ण वाचन क्षमता की।

(ख) **परीक्षण सामग्री :** परीक्षण सामग्री के अंतर्गत एक अनुच्छेद, कुछ स्वतंत्र वाक्य तथा कुछ शब्द सम्मिलित किए जा सकते हैं। अर्थपूर्ण वाचन के लिए अनुच्छेद उपयोगी होता है। अनुतान या बलाघात के सभी नमूने आ जाएँ, इसके लिए परीक्षण सामग्री में कुछ स्वतंत्र वाक्यों को सम्मिलित करना उपयोगी होगा। ध्वनियों तथा संयुक्ताक्षरों के परीक्षण के लिए कुछ स्वतंत्र शब्दों को भी सम्मिलित करना उपयोगी होगा।

(ग) सस्वर पठन के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को पाँच से दस मिनट का समय देना चाहिए। अनुच्छेद तथा वाक्यों के वाचन और शब्दों के उच्चारण के लिए अलग-अलग अंक निश्चित करने चाहिएँ और सस्वर पठन के लिए वाचन के महत्त्वपूर्ण अपेक्षित पक्षों का मूल्यांकन करना चाहिए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित सामग्री तैयार कीजिए— 1. वार्तालाप के लिए दो संवाद 2. प्रश्नोत्तर के लिए दो प्रश्न 3. भाषण के लिए पाँच विषय	रचना कीजिए
❑ दो विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति की परीक्षा लीजिए।	आयोजन कीजिए
❑ मौखिक परीक्षा के अनुभव के आधार पर सामग्री का परिष्कार कीजिए।	परिष्कार कीजिए
❑ उच्चारण की परीक्षा के लिए ऐसे दस शब्द छाँटिए जिनमें अधिक से अधिक प्रकार के संयुक्ताक्षर तथा मात्राएँ हों।	सूची बनाइए
❑ दो विद्यार्थियों के सस्वर पठन की परीक्षा लीजिए। इसके लिए अपनी पुस्तक का एक ऐसा अनुच्छेद छाँटिए जिसमें विभिन्न प्रकार के वाक्य हों।	आयोजन तथा चयन कीजिए

14.2.2 लिखित विधि के उपकरण

1. प्रतिलेख : प्रतिलेख के अंतर्गत विद्यार्थी से लिपि चिह्नों को अंकित कराया जाता है। इसे नकल करना भी कहते हैं। इसका उद्देश्य यह जानना है कि विद्यार्थी सुपाठ्य लेख लिख पाते हैं या नहीं। इसका उपयोग एकदम प्रारंभिक कक्षाओं के लिए किया जाता है। प्रतिलेख के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा लिखित लेख में निम्नलिखित बातें देखी जाती हैं :

1. अलग-अलग लिपि चिह्नों का आकार तथा आकृति और विभिन्न रेखाओं की दृष्टि से उसका सुडौलपन पूर्ण वर्ण तथा संयुक्ताक्षर दोनों रूपों में।
2. शब्दों में लिपि चिह्नों का आनुपातिक आकार तथा उपयुक्त फासला।
3. वाक्य तथा वाक्यांश में शब्दों का आनुपातिक आकार तथा फासला।

लेख की सुपाठ्यता तथा सुडौलपन के परीक्षण के अतिरिक्त प्रतिलेख की परीक्षा द्वारा यह भी देखा जा सकता है कि किसी लिपि चिह्न के लिखने के लिए खींची जाने वाली रेखाओं का क्रम तथा उनकी दिशा उपयुक्त है या नहीं। शिक्षण तथा परीक्षण करते समय लेख तथा लेखन-प्रक्रिया दोनों पर ध्यान देना चाहिए।

2. अनुलेख : इसमें अध्यापक श्यामपट्ट पर कुछ लिखता जाता है और विद्यार्थी श्यामपट्ट की सामग्री को देख-देख कर उसे अपनी कापी या पट्टी पर उतारते जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि विद्यार्थी हस्तलिपि को देखकर लगभग उसी गति से शुद्ध लिख पाते हैं या नहीं, जिस गति से अध्यापक लिखता है। श्यामपट्ट पर लिखवाने का कार्य कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी से कराने पर अध्यापक को कक्षा या परीक्षा-कक्ष में घूमकर विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया के निरीक्षण का अवसर भी मिल जाता है। इस विधा का उपयोग भी प्रारंभिक कक्षाओं में ही किया जाता है।

3. श्रुतलेख : यह विधा प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होती है। सामान्यतया प्रतिलेख तथा अनुलेख तो अधिक से अधिक दूसरी कक्षा तक प्रयुक्त होते हैं पर श्रुतलेख का उपयोग सुविधापूर्वक प्रारंभिक पाँच वर्ष तक किया जा सकता है और कहीं-कहीं और आगे तक भी हो सकता है।

श्रुतलेख का उद्देश्य सुनी हुई सामग्री को गतिपूर्वक

शुद्ध लिखने की योग्यता की परीक्षा करना है। श्रुतलेख में शुद्ध लिखने तथा गतिपूर्वक लिखने की योग्यता की परीक्षा होनी चाहिए। गतिपूर्ण श्रुतलेख की परीक्षा शुद्ध श्रुतलेख का थोड़ा अभ्यास होने के बाद प्रारंभ की जा सकती है।

4. लिखित प्रश्न-पत्र : शैक्षिक विषयों में विद्यार्थियों की संप्राप्ति के मूल्यांकन के लिए लिखित प्रश्न-पत्र सशक्त, सुविधाजनक तथा सर्वाधिक प्रचलित साधन है, पर इसकी सहायता से पढ़ने और लिखने की परीक्षा ही हो पाती है, सुनने और बोलने की नहीं।

आइए, लिखित प्रश्न-पत्र के निर्माण, उसमें सम्मिलित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के लाभ तथा सीमाओं और एक अच्छे प्रश्न-पत्र की विशेषताओं पर चर्चा करें।

(क) प्रश्न-पत्र निर्माण : किसी कक्षा के लिए प्रश्न-पत्र बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में निर्णय लेने होते हैं :

(i) **भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का आनुपातिक मान :** सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बिन्दु भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का आनुपातिक मान निश्चित करना है। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम तथा कक्षाओं के लिए निम्नलिखित आनुपातिक मान (अंकों में) प्रस्तावित किया जा सकता है :

भाषा शिक्षण के उद्देश्य	अंकों में आनुपातिक मान
1. ज्ञान	40
2. पठित अर्थग्रहण	10
3. लिखित अभिव्यक्ति	50
योग	100

(ii) **विषयवस्तु का आनुपातिक मान :** प्राश्निक को प्रश्न-पत्र बनाने से पूर्व अंकों की दृष्टि से प्रश्न-पत्र में सम्मिलित की जानी वाली विषयवस्तु का भी आनुपातिक मान निश्चित करना चाहिए। सामान्यतया किसी कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम में निहित विषयवस्तु इकाइयों में बँटी होती है। यदि पाठ्यक्रम में विषयवस्तु की इकाइयों का आनुपातिक मान अंकों में न दिया गया हो तो प्राश्निक को उसे निश्चित कर लेना चाहिए। प्राश्निक को अलग-अलग प्रश्नों के लिए उपयुक्त विषयवस्तु के चयन के साथ-साथ संपूर्ण प्रश्न-पत्र के लिए भी विषयवस्तु तथा शिक्षण उद्देश्यों में परस्पर तालमेल बैठाना चाहिए।

(iii) **प्रश्नों का स्वरूप तथा उनका आनुपातिक मान :** प्रश्न-पत्र में निबंधात्मक, लघूत्तर तथा वस्तुनिष्ठ—तीनों प्रकार के प्रश्न सम्मिलित करना श्रेयस्कर है। तीनों प्रकार के प्रश्नों के अपने लाभ और अपनी सीमाएं हैं। उनके संबंध में आगे "प्रश्नों के प्रकार" में विस्तार से विचार किया गया है।

प्रश्न अथवा प्रश्न-पत्र के संबंध में प्राश्निक को दूसरा निर्णय "कठिनाई के स्तर" के संबंध में लेना चाहिए। संप्राप्ति के मूल्यांकन के लिए रचित प्रश्न-पत्र में दिए गए प्रश्न कठिनाई के स्तर की दृष्टि से 15% कठिन, 70% सामान्य तथा 15% सरल हो सकते हैं। प्रश्न-पत्र में विभिन्न स्तरों के प्रश्न सम्मिलित करने का एक महत्त्वपूर्ण लाभ यह होता है कि प्रश्न-पत्र का प्रत्येक प्रश्न, सामान्य तथा मंद विद्यार्थियों में अंतर दर्शाने में समर्थ होता है, जो परीक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षण उद्देश्यों, विषयवस्तु तथा विभिन्न स्वरूप के प्रश्नों के आनुपातिक मान का तालमेल बैठाने के लिए प्राश्निक तालिका बना सकता है, जिसे प्रश्न-पत्र की रूपरेखा (ब्लू प्रिंट) कहा जाता है।

प्राथमिक कक्षाओं के प्रश्न-पत्र की रूपरेखा

उद्देश्य → विषयवस्तु ↓	ज्ञान			अर्थग्रहण			लिखित अभिव्यक्ति			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
इकाईयाँ	नि०	ल०	व०	नि०	ल०	व०	नि०	ल०	व०	अंकों का योग
1. भाषाई विषयवस्तु			8 (8)		2 (2)			2 (2) 8 (8)		20
2. पाठ्यपुस्तकीय वैचारिक विषयवस्तु	4 (1)		3 (3)		3 (3)		2 (1)		3 (3)	15
3. रचना के विविध रूप	4 (1)		1 (1)			5 (5)				10
4. अर्थग्रहण के लिए गद्यांश तथा पद्यांश		4 (2) 3 (3) 3 (3)						2 (2) 3 (3)		15
5. निबंध, पत्र, प्रार्थना पत्र आदि	10 (1)						10 (1) 20 (1)			40
अंकों का योग	40			10			50			100

नोट : कोष्ठकों में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की संख्या को तथा कोष्ठकों के बाहर उन प्रश्नों के लिए निर्धारित अंकों को दर्शाया गया है।

		निर्धारित अंक	प्रश्नों की संख्या
नि०—निबंधात्मक प्रश्न	=	50	6
ल०—लघूत्तर प्रश्न	=	30	28
व०—वस्तुनिष्ठ	=	20	20
योग	=	100	54

विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति, उनके लाभ तथा उनकी सीमाओं को दृष्टि में रखते हुए प्राश्निक को प्रश्न-पत्र के लिए उनका आनुपातिक मान इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए कि शिक्षण उद्देश्यों तथा विभिन्न प्रकार की विषयवस्तु को दिए आनुपातिक मान को क्रियान्वित किया जा सके। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का मान निम्नलिखित रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है :

प्रश्न का स्वरूप	आनुपातिक मान	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1. निबन्धात्मक	30	50
2. लघूत्तर	60	30
3. वस्तुनिष्ठ	10	20
अंकों का योग	100	100

(iv) **विकल्प योजना :** प्राश्निक को प्रश्न-पत्र की विकल्प योजना के संबंध में भी निर्णय लेना चाहिए। सामान्यतः प्रश्न-पत्रों में समग्रतः विकल्प देने की प्रथा है, उदाहरणार्थ, "निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई पाँच प्रश्न कीजिए।" किन्तु अच्छा हो कि इस प्रकार का विकल्प न देकर एक ही प्रश्न के लिए ऐसे दो विकल्प दिए जाएँ जो उद्देश्य, विषयवस्तु की प्रकृति, प्रश्नों के स्वरूप तथा कठिनाई के स्तर, सभी दृष्टियों से परस्पर तुलनीय हों।

वस्तुनिष्ठ तथा अति लघूत्तर प्रश्नों में विकल्प देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अधिक से अधिक एक अंक के होते हैं। लघूत्तर प्रश्नों में विकल्प दिया जा सकता है पर यह विकल्प 40% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(v) **निर्देश :** प्रश्न-पत्र किस प्रकार करना है तथा करते समय क्या सावधानियाँ रखनी हैं, इस संबंध में निर्देश प्रश्न-पत्र के आरंभ में दिए जाने चाहिएँ। यदि कुछ प्रश्नों को करने में किसी एक सामान्य बात का ध्यान रखना हो तो उसके लिए निर्देश भी दिया जा सकता है। ये निर्देश संक्षिप्त, स्पष्ट तथा सरल भाषा में इस प्रकार लिखे जाएँ कि वे प्रश्न-पत्र हल करने में विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध हों।

(ख) प्रश्नों के प्रकार : पहले चर्चा की जा चुकी है कि लिखित प्रश्न-पत्र में तीन प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जा सकता है— निबंधात्मक, लघूत्तर तथा वस्तुनिष्ठ।

आइए, इन प्रश्नों के लाभ तथा उनकी सीमाओं पर विचार करें।

1. निबंधात्मक प्रश्न : प्रश्न-पत्रों में निबंधात्मक प्रश्न दो प्रकार के होते हैं— (1) निबन्ध लेखन के लिए पूछे गए प्रश्न (2) निश्चित पाठ्य-सामग्री पर पूछे गए निबंधात्मक प्रश्न।

इन प्रश्नों की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं :

(i) निबंधात्मक प्रश्न उत्तर की दृष्टि से मुक्त होते हैं। वस्तुनिष्ठ और लघूत्तर प्रश्नों की अपेक्षा निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने में परीक्षार्थी अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र होता है।

(ii) निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर लघूत्तर तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों की अपेक्षा बड़े होते हैं।

(iii) निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निश्चित किए गए अंक भी अधिक होते हैं।

उपर्युक्त विशेषताओं के कारण निबंधात्मक प्रश्न के लाभ और सीमाएँ निम्नलिखित हैं :

लाभ

(i) निबंधात्मक प्रश्न अपनी मुक्त-उत्तर प्रकृति के कारण परीक्षार्थी की रचनात्मक तथा सृजनात्मक स्तर की अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं।

(ii) निबंधात्मक प्रश्न अत्यंत सरलता से बनाए जा सकते हैं।

सीमाएँ

(i) उत्तर की दृष्टि से मुक्त होने के कारण निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने में परीक्षार्थी अनुमान का प्रयोग भी करते हैं। चूंकि उत्तर की विषय-सामग्री अपेक्षाकृत अधिक होती है इसलिए परीक्षार्थी असंगत सामग्री भी दे देते हैं।

(ii) उत्तर की लंबाई और विषय-सामग्री अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण विभिन्न विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना

विश्वसनीय नहीं रह पाती। अविश्वसनीय मूल्यांकन का एक कारण यह भी है कि मूल्यांकन करते समय परीक्षक भी सभी बिन्दुओं का ध्यान नहीं रख पाता है।

(iii) प्रश्न-पत्र के लिए निर्धारित सीमित समय में प्रश्न-पत्र में थोड़े निबंधात्मक प्रश्न रखे जा सकते हैं।

2. लघूत्तर प्रश्न : इन प्रश्नों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :

(i) लघूत्तर प्रश्नों के उत्तर लिखने में परीक्षार्थी निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा कम स्वतंत्र होता है।

(ii) लघूत्तर प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्यांश से लेकर सौ शब्दों तक हो सकते हैं।

(iii) लघूत्तर प्रश्नों के अंक निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा कम होते हैं।

(iv) लघूत्तर प्रश्नों में विषयवस्तु की व्याप्ति निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा कम होती है।

लघूत्तर प्रश्नों की उपर्युक्त विशेषताओं के कारण उनके लाभ और सीमाएँ निम्नलिखित हैं :

लाभ

(i) लघूत्तर प्रश्नों की सहायता से निश्चित ज्ञान अथवा कौशल की परीक्षा सुनिश्चित रूप में की जा सकती है।

(ii) निश्चित परीक्षण बिन्दुओं के कारण इन प्रश्नों का मूल्यांकन निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय रूप में किया जा सकता है।

(iii) इनके कारण प्रश्न-पत्र में विभिन्न प्रकार की विषयवस्तु की व्याप्ति बढ़ जाती है और इससे परीक्षा में आकस्मिकता का तत्व कम हो जाता है।

(iv) परीक्षार्थी इस संबंध में आश्वस्त रहता है कि प्रश्न-पत्र में अधिक से अधिक पाठों पर प्रश्न दिए जाएंगे और इसलिए उसे अध्ययन के लिए विषयों का अत्यंत सीमित चयन करने की आवश्यकता नहीं है।

सीमाएँ

(i) लघूत्तर प्रश्नों के द्वारा परीक्षार्थियों की अभिव्यक्ति की ठीक-ठीक परीक्षा कठिन है।

(ii) इनके द्वारा परीक्षार्थियों की तर्कशक्ति का पता लगाना कठिन है।

3. वस्तुनिष्ठ प्रश्न : जिन प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन पूर्णतया वस्तुनिष्ठ रूप में किया जा सकता है, वे प्रश्न वस्तुनिष्ठ कहलाते हैं। इनके मूल्यांकन में व्यक्तिनिष्ठता का कोई स्थान नहीं है। परिणामतः इनका मूल्यांकन विश्वसनीय होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं : "सत्य/असत्य", "हाँ/नहीं", "युगलीकरण" तथा "बहुविकल्पी"।

(क) सत्य/असत्य प्रश्नों में कुछ कथन दिए जाते हैं और परीक्षार्थी से पूछा जाता है कि दिए हुए कथनों में से कौन-सा सत्य है और कौन-सा असत्य है, उदाहरणार्थ—

प्रश्न : नीचे लिखे कथनों में से जो सत्य हैं उनके आगे (✓) का और जो असत्य हैं उनके आगे (x) का चिह्न बनाओ—

प्रेमचन्द जी भारतेन्दु काल में हुए थे। ( )
रामचरित मानस के रचयिता
महाकवि सूरदास थे। ( )
भूषण वीर रस के कवि हैं। ( )

(ख) युगलीकरण के प्रश्नों में दो खाने बनाए जाते हैं। कुछ परीक्षण बिन्दु बाईं ओर के खाने में रहते हैं और कुछ दाईं ओर के खाने में। दोनों खानों के परस्पर संबंधित बिन्दुओं के युगल बनाए जाते हैं, उदाहरणार्थ—

प्रश्न: बाईं ओर कुछ विशेषण लिखे है और दाईं ओर कुछ संज्ञाएँ। जिस संज्ञा के साथ जो विशेषण सही बैठता हो उसकी संख्या कोष्ठक में लिखिए—

	विशेषण	***संज्ञा***	**विशेषण संख्या**
1.	काला	दूध	( )
2.	घनघोर	घोड़ा	( )
3.	चार किलो	युद्ध	( )
4.	घमासान	घटा	( )

(ग) बहुविकल्पी प्रश्न में एक मूल कथन दिया होता है जिसमें समस्या दी होती है और उसके समाधान के रूप में चार या पाँच विकल्प दिए होते हैं जिनमें से शुद्ध विकल्प को परीक्षार्थी को या तो चिह्नित करना होता है या उसका क्रमांक अक्षर अलग से लिखना होता है। विकल्पों की संख्या जितनी कम होगी उत्तर देने में परीक्षार्थी के अनुमान की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तम माना जाता है और इनमें भी पाँच विकल्पों वाले बहुविकल्पी प्रश्न को श्रेष्ठ, उदाहरणार्थ—

प्रश्न : राम को अपने निकट संबंधी की मृत्यु पर बहुत .....हुआ। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से ठीक प्रकार होगी?

(क) दुःख
(ख) खेद
(ग) क्षोभ
(घ) शोक
(ङ) विषाद

बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लाभ और सीमाएँ निम्नलिखित हैं—

लाभ

(i) बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है। इन प्रश्नों द्वारा किया हुआ मूल्यांकन वैध तथा विश्वसनीय होता है। उदाहरणार्थ यदि किसी परीक्षार्थी की अर्थग्रहण की योग्यता की परीक्षा करनी है तो अभिव्यक्ति की सहायता के बिना अर्थग्रहण परीक्षा इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा की जा सकती है।

(ii) इन प्रश्नों से प्रश्न-पत्र में उद्देश्यों तथा विषयवस्तु की व्याप्ति बढ़ जाती है।

सीमाएँ

(i) बहुविकल्पी प्रश्न बनाना बहुत कठिन है। यह कठिनाई दो रूपों में आती है : पहला, इन प्रश्नों को बनाने के लिए पाठ्य-सामग्री का गहन अध्ययन करना होता है। दूसरा, शुद्ध उत्तर वाले विकल्प के अतिरिक्त किसी भी शिक्षण बिन्दु से संबंधित अन्य चार या पाँच अशुद्ध विकल्प मिलना अत्यंत कठिन है। (अच्छे विकल्प प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की त्रुटियों को विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है)

(ii) बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा अभिव्यक्ति की अप्रत्यक्ष परीक्षा की जा सकती है, पर अभिव्यक्ति जैसे सक्रिय कौशल की अप्रत्यक्ष रूप में परीक्षा करना उपयुक्त नहीं है।

(iii) बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तरों में नकल करना सरल है।

(ग) अच्छे प्रश्न-पत्र की विशेषताएँ : एक अच्छा प्रश्न-पत्र बनाने के लिए हमें प्रश्न की निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए :

(1) प्रत्येक प्रश्न, प्रश्न-पत्र की रूपरेखा के अनुसार पूर्व निश्चित शिक्षण उद्देश्य पर आधारित हो। इससे प्रश्नों में विविधता आएगी और उद्देश्यों के विभिन्न पक्षों की व्याप्ति भी हो सकेगी।

(2) प्रश्न की विषयवस्तु भी स्पष्ट रूप से निश्चित हो।

(3) प्रश्न का आकार भी निश्चित होना चाहिए। यदि प्रश्न के उत्तर में अपेक्षित सामग्री की सीमा निर्धारित करने से उत्तर का आकार निश्चित हो सके तो उत्तम है, अन्यथा शब्दों, पंक्तियों अथवा पृष्ठों की संख्या के रूप में उत्तर का आकार निश्चित किया जा सकता है।

(4) प्रश्न की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। सरल भाषा का तात्पर्य ऐसी भाषा से है जो कमजोर से कमजोर परीक्षार्थी की समझ में आ सके। प्रश्न सीधे रूप में पूछना चाहिए, घुमा-फिरा कर नहीं। प्रश्न की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सभी परीक्षार्थियों की दृष्टि में प्रश्न का अर्थ एक ही हो। परीक्षा का उद्देश्य यह जानना है कि परीक्षार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है या नहीं, न कि वह प्रश्न को समझता है या नहीं।

(5) प्रश्न में दिए गए निर्देश सार्थक होने चाहिए। "वर्णन कीजिए", "व्याख्या कीजिए"; "अपना मत प्रकट कीजिए" आदि निर्देशों का प्रयोग करने में सावधानी रखनी चाहिए। इसी प्रकार "भावार्थ लिखिए", "सप्रसंग व्याख्या कीजिए", "अर्थ लिखिए" आदि निर्देशों में भी अंतर करना चाहिए। शिक्षण उद्‌देश्य तथा विषयवस्तु की प्रकृति को देखकर ही निर्देश देना चाहिए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ प्रतिलेख, अनुलेख तथा श्रुतलेख का अंतर स्पष्ट कीजिए।	अंतर कीजिए
❑ प्रतिलेख तथा अनुलेख के लिए एक-एक अनुच्छेद छाँटिए।	चयन कीजिए
❑ श्रुतलेख के लिए ऐसे दस शब्द छाँटिए जिन्हें लिखते समय अधिकतर विद्यार्थी त्रुटि करते हैं।	विचार-विमर्श के आधार पर छाँटिए
❑ भाषा शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्‌देश्य के अंतर्गत प्रत्येक अपेक्षित परिवर्तन पर एक-एक प्रश्न भाषाई सामग्री पर बनाइए।	रचना कीजिए
❑ कक्षा सात की पाठ्‌यपुस्तक के किन्हीं तीन निबंधात्मक प्रश्नों का मूल्यांकन कीजिए और परिष्कार कीजिए।	चयन, मूल्यांकन तथा विचार-विमर्श कीजिए
❑ अपनी पाठ्‌यपुस्तक के किसी पाठ पर एक निबंधात्मक प्रश्न बनाइए। तदुपरान्त उसी निबन्धात्मक प्रश्न की विषयवस्तु पर कुछ लघूत्तर प्रश्न बनाइए।	रचना कीजिए
❑ किसी निबंधात्मक प्रश्न की विषयवस्तु पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाइए।	रचना कीजिए
❑ अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न-पत्र की रूपरेखा बनाइए।	रचना कीजिए

सारांश :

अब तक आपने सीखा :

1. भाषा संप्राप्ति मूल्यांकन की विधियाँ हैं— मौखिक एवं लिखित।
2. मौखिक विधि के उपकरण हैं— वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, भाषण और सस्वर वाचन।
3. लिखित विधि के उपकरण हैं— प्रतिलेख, अनुलेख, श्रुतलेख तथा लिखित प्रश्न-पत्र।
4. मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं— उपयुक्त उपकरण, परीक्षण सामग्री, परीक्षण का संचालन।
5. लिखित प्रश्न-पत्र के लिए महत्त्वपूर्ण हैं— उद्‌देश्यों का आनुपातिक मान, विषयवस्तु का आनुपातिक मान, प्रश्नों का स्वरूप तथा उनका आनुपातिक मान, विकल्प योजना और निर्देश।

मूल्यांकन

1. मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधियों के अंतर्गत कौन-कौन से उपकरण आते हैं?
2. मौखिक परीक्षा तथा मौखिक अभिव्यक्ति की परीक्षा में क्या अंतर है?
3. मौखिक अभिव्यक्ति की परीक्षा का आयोजन करने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
4. लिखित प्रश्न-पत्र की रचना के विभिन्न सोपानों की व्याख्या कीजिए।
5. एक उत्तम लिखित प्रश्न-पत्र की विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं?

कैप्सूल 14.3
मातृभाषा शिक्षण में निदान तथा उपचार

व्यवहारगत उद्देश्य

प्रस्तुत कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. शैक्षिक निदान और उपचार की उपयोगिता तथा संकल्पना पर प्रकाश डाल सकेंगे।
2. शैक्षिक निदान और उपचार के सोपानों को समझ कर निदानात्मक प्रश्न-पत्र तथा उपचारात्मक अभ्यास की रचना कर सकेंगे।

14.3.1 शैक्षिक निदान और उपचार : उपयोगिता तथा संकल्पना

उपयोगिता : शिक्षा के क्षेत्र में निदान और उपचार कार्यक्रम प्रारंभ से चला आ रहा है। अध्यापक सदैव अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों की जाँच कर, उन्हें सुधारता रहा है। जहाँ अध्यापन का उद्देश्य विद्यार्थियों को नया ज्ञान देना तथा उनमें नई क्षमताएँ विकसित करना है— वहाँ उसका एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थियों की संप्राप्ति का पता लगाकर उसकी कमियों का निराकरण करना भी है। विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को जानकर अध्यापक भी अध्यापन करते समय उनके संबंध में सजग रह सकते हैं और अपने विद्यार्थियों को भी सावधान कर सकते हैं।

संकल्पना : निदान और उपचार मूलतः आयुर्विज्ञान की संकल्पनाएँ हैं। आजकल इनका उपयोग शिक्षा जगत में होने लगा है। आयुर्विज्ञान का डॉक्टर और रोगी क्रमशः शिक्षा जगत का अध्यापक और विद्यार्थी है। विद्यार्थी के संप्राप्ति संबंधी दोषों अथवा उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने और उनके कारणों को विधिपूर्वक जानने की प्रक्रिया शैक्षिक निदान है। प्राप्त जानकारी के आधार पर उन दोषों एवं कठिनाइयों का निराकरण करने की प्रक्रिया शैक्षिक उपचार है।

निदान और उपचार शिक्षण प्रक्रिया के दो अभिन्न पहलू हैं। निदान के आधार पर ही उपचार किया जाता है। विद्यार्थी की संप्राप्ति की सामान्य जानकारी कक्षा में किए गए कार्य, गृहकार्य तथा संप्राप्ति परीक्षण के प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन करते समय प्राप्त हो जाती है। परन्तु उसकी संप्राप्ति के दोषों की स्पष्ट और निश्चित जानकारी नहीं हो पाती और न उन दोषों के कारणों की जानकारी हो पाती है। इसके लिए संप्राप्ति परीक्षण से संकेत प्राप्त कर निदानात्मक प्रश्न-पत्रों की रचना की जाती है। निदानात्मक प्रश्न-पत्रों में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के विश्लेषण द्वारा संप्राप्ति के दोषों और उनके कारणों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। दोषों और कारणों के आधार पर उपचारात्मक अभ्यास तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार शैक्षिक निदान और उपचार के कार्यक्रम के दो अंग हो जाते हैं।

1. निदानात्मक प्रश्न-पत्र
2. उपचारात्मक अभ्यास

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ मातृभाषा शिक्षण में निदान और उपचार की उपयोगिता पर कक्षा में चर्चा कीजिए।	विचार-विमर्श कीजिए
❑ अपने किन्हीं दो विद्यार्थियों के गृहकार्य की जाँच कीजिए और उनके द्वारा की गई त्रुटियों की सूची बनाइए।	सूची बनाइए

14.3.2 शैक्षिक निदान और उपचार के सोपान

शैक्षिक निदान और उपचार के निम्नलिखित नौ सोपान हैं। इनमें से प्रथम पाँच शैक्षिक निदान के तथा अन्तिम चार उपचारात्मक अभ्यास के सोपान हैं—

(1) विषय का चयन
(2) विषयवस्तु का विश्लेषण
(3) निदानात्मक प्रश्न-पत्र की रचना
(4) विद्यार्थियों द्वारा निदानात्मक प्रश्न-पत्रों का हल
(5) उत्तरों की जाँच और त्रुटियों का विश्लेषण
(6) उपचारात्मक अभ्यास की रचना
(7) विद्यार्थियों द्वारा उपचारात्मक अभ्यास
(8) संप्राप्ति परीक्षण
(9) उपचारात्मक शिक्षण अथवा पुनर्शिक्षण

1. **विषय का चयन :** निदानात्मक प्रश्न-पत्र बनाने के लिए विषय का चयन संप्राप्ति परीक्षण के आधार पर किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन करने से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किन विद्यार्थियों ने उस विषय के अन्तर्गत किस वर्ग के शिक्षण बिन्दुओं के उत्तरों में त्रुटि की है। संप्राप्ति परीक्षण में निहित शिक्षण बिन्दुओं में से जिस वर्ग के शिक्षण बिन्दुओं के उत्तर अधिक बालकों द्वारा गलत रूप में दिए जाते हैं उसी वर्ग के शैक्षणिक बिन्दुओं पर निदानात्मक प्रश्न-पत्र बनाया जाता है। संप्राप्ति परीक्षण के आधार पर कई निदानात्मक प्रश्न-पत्रों की रचना करने की आवश्यकता हो सकती है।

2. **विषयवस्तु का विश्लेषण :** विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि की प्रकृति तथा उसका कारण जानने के लिए विषयवस्तु का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। किसी विषय के अन्तर्गत विषयवस्तु के विश्लेषण से न केवल शिक्षण बिन्दुओं की जानकारी होती है, अपितु समानता तथा अंतर के आधार पर उन शिक्षण बिन्दुओं का परस्पर संबंध भी स्पष्ट होता है। भाषा में यह संबंध भाषा के विभिन्न तत्वों के रूप, अर्थ तथा व्याकरण के आधार पर होता है, यथा—वर्तनी की त्रुटियाँ, समानार्थी शब्दों के अर्थ तथा प्रयोग में भ्रम, वाक्य संरचनात्मक त्रुटियाँ आदि।

3. **निदानात्मक प्रश्न-पत्र की रचना :** निदानात्मक प्रश्न-पत्र दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले प्रकार के निदानात्मक प्रश्न-पत्र में विषयवस्तु की व्याप्ति सीमित की जा सकती है और उसमें ज्ञान, अर्थग्रहण तथा अभिव्यक्ति आदि एक से अधिक उद्देश्यों को लिया जा सकता है। दूसरे प्रकार के ऐसे निदानात्मक प्रश्न-पत्र बनाए जा सकते हैं जिनमें अपेक्षाकृत विषयवस्तु अधिक हो पर केवल किसी एक उद्देश्य तक सीमित हो। इनमें से कौन-सा निदानात्मक प्रश्न-पत्र अधिक उपयोगी होगा यह बात विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों की प्रकृति पर निर्भर होगी।

   चूँकि निदानात्मक प्रश्न-पत्र का उद्देश्य त्रुटि और उनका कारण जानना है इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक उपयोगी होते हैं। निदानात्मक प्रश्न-पत्रों के सामान्य निर्देश, विभागशः तथा प्रश्नानुसार स्पष्ट और निश्चित होने चाहिएँ। निर्देशों में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। प्रश्न का जो भी उत्तर उन्हें आता है उसे लिख देना चाहिए तथा प्रश्नों के उत्तर अनुमान से नहीं लिखने चाहिएँ। प्रश्नों की रचना करते समय प्राश्निक को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी साथ-साथ तैयार कर लेना चाहिएँ।

4. **विद्यार्थियों द्वारा निदानात्मक प्रश्न-पत्रों का हल :** संप्राप्ति परीक्षा के प्रश्नों के शुद्ध एवं अशुद्ध उत्तरों के आधार पर ही विद्यार्थियों को निदानात्मक प्रश्न-पत्र देने चाहिएँ। प्रत्येक निदानात्मक प्रश्न-पत्र प्रत्येक विद्यार्थी को देने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न-पत्र विद्यार्थियों को गृहकार्य के रूप में भी दिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि तैयार की गई उत्तरमाला की सहायता से वे अपनी

त्रुटियों को स्वयं जान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। अध्यापक केवल उनकी सहायता कर रहा है। साथ ही इन्हें यह भी सलाह देनी चाहिए कि उन्हें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने में किसी की सहायता नहीं लेनी है। विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को जाँचने और अपनी त्रुटियों की जानकारी प्राप्त करने की विधि समझा देनी चाहिए।

5. **उत्तरों की जाँच और उनकी त्रुटियों का विश्लेषण :** निदानात्मक प्रश्न-पत्र के प्रश्नों की जाँच अध्यापक अथवा विद्यार्थी द्वारा की जा सकती है। पर विद्यार्थी द्वारा की गई जाँच अधिक उपयोगी होती है क्योंकि वह अपनी त्रुटियों को स्वयं जानकर दूर करने में रुचि लेता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्ति अपनी त्रुटि को स्वयं दूर करना चाहता है।

त्रुटियों का विश्लेषण तीन दृष्टियों से होना चाहिए। पहली, अधिकतर विद्यार्थियों की त्रुटियाँ किस शिक्षण बिन्दु तथा योग्यता से संबंधित हैं। दूसरी, शिक्षण बिन्दुओं की दृष्टि से कौन-कौन से विद्यार्थी एक वर्ग में आते हैं। तीसरी, उन विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का क्या रूप है और वे शुद्ध रूप से कितनी भिन्न हैं। किसी भी शिक्षण बिन्दु का शुद्ध रूप तो एक होता है पर उसके अशुद्ध रूप अनेक होते हैं। अशुद्ध रूपों की प्रकृति विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के कारण जानने में सहायक होती है। त्रुटियों के विश्लेषण के लिए उदाहरण स्वरूप एक तालिका दी जा रही है।

त्रुटियों का विश्लेषण

शिक्षण बिन्दु →	पूर्ण विराम			प्रश्नवाचक चिह्न			विस्मयादि बोधक			अर्धविराम			अल्प विराम		
विद्यार्थी ↓ : प्रश्न →	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.				✓	x	✓	✓	x	x	✓	x	x	✓	x	x
2.															
3.				✓	x	x	✓	x	✓	✓	x	x	✓	x	✓ ✓
4.										✓	x	x	✓	x	x
5.										✓	✓	x	✓	x	x
6.										✓	x	x	✓	x	x
7.					x	✓	✓	x	x						
8.															
9.															
10.					x	x		x	x						
अशुद्ध उत्तरों का योग	–	–	–	–	4	2	–	4	3	–	4	5	–	5	4
विशेष				वाक्य के बीच तथा अंत में						वाक्य के मध्य में					

तालिका में सबसे ऊपर बाएँ से दाएँ शिक्षण बिन्दु अथवा उनके शीर्षक दिए गए हैं। उनके नीचे प्रत्येक शिक्षण बिन्दु पर दिए गए प्रश्नों की क्रम संख्या दी गई है। बाईं ओर विद्यार्थियों का नाम या उनका क्रमांक दिया गया है। तालिका में शिक्षण बिन्दुओं पर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन कर प्रत्येक विद्यार्थी के सामने सही या गलत का चिह्न लगाया जाता है। इस प्रकार तालिका की सहायता से यह चित्र स्पष्टतः उभर आता है कि विद्यार्थी किस प्रकार की त्रुटि करते हैं। त्रुटियों की प्रकृति को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्यार्थियों के लिए दो उपचारात्मक अभ्यास बनाने चाहिएँ। एक अर्द्धविराम और अल्पविराम पर और दूसरा प्रश्नवाचक चिह्न तथा विस्मयादिबोधक चिह्न पर। ये दोनों उपचारात्मक अभ्यास अलग-अलग विद्यार्थियों के दो दलों के लिए संगत होंगे।

6. **उपचारात्मक अभ्यास की रचना :** उपचारात्मक अभ्यास के तीन भाग होते हैं। पहले भाग में त्रुटियों के कारणों की समीक्षा की जाती है। दूसरे भाग में उन कारणों को दूर करने के लिए व्याख्या प्रस्तुत की जाती है और तीसरे भाग में कुछ अभ्यास दिए जाते हैं जिनकी सहायता से विद्यार्थियों को उनके शुद्ध रूप का पर्याप्त अभ्यास हो सके।

पहले दी गई तालिका से स्पष्ट है कि विद्यार्थी प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक चिह्नों में त्रुटि करते हैं। इसके संबंध में उपचारात्मक अभ्यास के निम्नलिखित तीन भाग होंगे :

(क) **त्रुटियों के कारण**

(1) विद्यार्थी प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक चिह्नों में अंतर नहीं कर पाते।

(2) वे ये भूल जाते हैं कि प्रश्नवाचक चिह्न वाक्य के मध्य में नहीं लगाया जाता है, जबकि विस्मयादिबोधक चिह्न वाक्यों के मध्य तथा अंत दोनों स्थितियों में लगाए जाते हैं।

(ख) **व्याख्या**

(1) प्रश्नवाचक कथन के उत्तर की अपेक्षा होती है जबकि विस्मयादिबोधक प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा नहीं होती। उसमें केवल अपने मन का भाव प्रकट किया जाता है, जैसे— तुम कहाँ जाओगे? (प्रश्नवाचक) हाय! यह क्या हो गया। (विस्मयादिबोधक)

(2) प्रश्नवाचक चिह्न केवल वाक्य के अंत में लगाया जाता है, मध्य में नहीं। पर विस्मयादिबोधक चिह्न ओ, ओ हो, हाय, छि, धन्य, वाह आदि शब्दों के बाद भी लगाया जाता है और वाक्य के अंत में भी। पर जब ये शब्द संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं तो इनके बाद विस्मयादिबोधक चिह्न नहीं लगाया जाता, जैसे—वहाँ हाय-हाय मची है।

(ग) **अभ्यास के प्रश्न :** अभ्यास के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न दिए जा सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिह्न लगाइए :

(1) अरे क्या तू अंधा है

(2) हाय वह जख्मी हो गया

(3) तुम मुम्बई कब जाओगे

7. **विद्यार्थियों द्वारा उपचारात्मक अभ्यास :** त्रुटियों की जानकारी के आधार पर विभिन्न विद्यार्थियों को विभिन्न उपचारात्मक अभ्यास देने चाहिएँ। उपचारात्मक अभ्यास सामान्य अभ्यासों से इस रूप में भिन्न है कि इनमें विषयवस्तु के संबंध में धारणाएँ स्पष्ट की जाती हैं; त्रुटियों के कारणों को दूर करने के लिए व्याख्या की जाती है, और तब शुद्ध रूप का अभ्यास किया जाता है। इससे न केवल उनकी विशेष त्रुटि दूर होती हैं वरन् भविष्य में भी उस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है।

8. ***संप्राप्ति परीक्षण*** : विद्यार्थियों द्वारा उपचारात्मक अभ्यास करने के बाद अध्यापक को एक बार पुनः संप्राप्ति परीक्षण करना चाहिए। यह परीक्षण पहले संप्राप्ति परीक्षण से दो बातों में भिन्न होगा। एक, उनकी संप्राप्ति के परीक्षण द्वारा अध्यापक आश्वस्त हो सकें कि प्रस्तुत विषय विद्यार्थियों को ठीक प्रकार समझ में आ गया है। दूसरे, विभिन्न विषयवस्तु पर निर्मित विभिन्न प्रश्न-पत्र उन्हीं विद्यार्थियों को दिए जाएँगे जिनकी संप्राप्ति का निदान और उपचार किया गया है। इस प्रकार परीक्षण सामग्री और परीक्षणार्थी दोनों की दृष्टि से यह परीक्षण सीमित होगा।

9. ***उपचारात्मक शिक्षण अथवा पुनर्शिक्षण*** : निदान और उपचार के बाद किए गए संप्राप्ति परीक्षण से यदि यह ज्ञात होता है कि लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बहुत कम हैं तो उपचारात्मक अभ्यास में आवश्यक सुधार कर पुनः परीक्षण करना चाहिए। पर यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकतर विद्यार्थी किसी शिक्षण बिन्दु को नहीं समझ सके हैं तो उसका दोबारा शिक्षण करना चाहिए। पुनर्शिक्षण आयोजित करने से पूर्व अध्यापक को स्वयं अपनी अध्यापन पद्धति और विद्यार्थी की अध्ययन पद्धति का मूल्यांकन करना होगा।

अभ्यास कार्य	**निर्देश**
❑ वाक्य रचना से संबंधित विद्यार्थियों की त्रुटियों का संकलन कीजिए और त्रुटियों की प्रकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए।	संकलन, वर्गीकरण और विचार-विमर्श कीजिए
❑ वाक्य रचना से संबंधित विद्यार्थियों की त्रुटियों के आधार पर पंद्रह प्रश्नों का एक निदानात्मक प्रश्न-पत्र बनाइए। प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए।	रचना कीजिए
❑ उपचारात्मक अभ्यास बनाने के लिए तालिका की सहायता से विद्यार्थियों के उत्तरों का विश्लेषण कीजिए तथा विश्लेषण के आधार पर एक उपचारात्मक अभ्यास बनाइए।	मिलान, विश्लेषण और रचना कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. शिक्षण में निदान और उपचार महत्त्वपूर्ण सोपान हैं।
2. शैक्षिक निदान तथा उपचार के सोपान हैं— विषय का चयन, विषयवस्तु का विश्लेषण, निदानात्मक प्रश्न-पत्र की रचना, प्रश्नों का हल, उत्तरों की जाँच तथा त्रुटियों का विश्लेषण, अभ्यास की रचना, विद्यार्थियों द्वारा उपचारात्मक अभ्यास, संप्राप्ति परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण अथवा पुनर्शिक्षण।

मूल्यांकन

1. शैक्षिक निदान और उपचार की संकल्पना को स्पष्ट रूप से समझाइए।
2. शैक्षिक निदान तथा उपचार के कौन-कौन से सोपान हैं? उन पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
3. निदानात्मक प्रश्न-पत्र की रचना करते समय आप कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतेंगे?
4. उपचारात्मक अभ्यास की रचना करते समय आप किन-किन बातों पर विशेष ध्यान देंगे? उदाहरण सहित उत्तर दें।

मॉड्यूल–15

हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय

(एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ में)

15.0 प्रस्तावना

हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000ई० के आस-पास माना जाता है, क्योंकि तब से ही हमें ऐसा साहित्य मिलने लगा है जिसमें हिंदी भाषा की संरचना मिलती है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस साहित्य की भाषा को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम की दृष्टि से चार कालों में विभाजन किया है। ये चार काल हैं :

1. आदिकाल (वीरगाथा काल) 1000 ई० से 1400 ई० तक
2. भक्तिकाल 1400 ई० से 1700 ई० तक
3. रीति काल 1700 ई० से 1850 ई० तक
4. आधुनिक काल 1850 ई० से अब तक

मोटेतौर से इस काल में रचे गए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर काल का नामकरण किया गया है।

छात्राध्यापकों को हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय देने के लिए इस मॉड्यूल को निम्नलिखित तीन कैप्सूलों में बाँटा गया है :

कैप्सूल 15.1 में पाठ्यपुस्तकों में समाविष्ट प्रमुख साहित्यकारों का सामान्य परिचय दिया गया है। यह परिचय उनकी रचना के देश-काल के संदर्भ में है न कि जीवनी के रूप में।

कैप्सूल 15.2 में साहित्यिक विधाओं—कविता, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा आदि का सामान्य परिचय दिया गया है।

कैप्सूल 15.3 में हिंदी शिक्षण के लिए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों में आए सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक संदर्भों पर प्रकाश डाला गया है। इन संदर्भों एवं संदर्भ साहित्य के स्रोत ग्रंथों का ज्ञान छात्राध्यापकों के शिक्षण कार्य में उपयोगी सिद्ध होगा।

कैप्सूल 15.1
प्रमुख साहित्यकारों से संबंधित देश-काल का परिचय

व्यवहारगत उद्‌देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. पाठ्‌यपुस्तक में सम्मिलित साहित्यकारों के विषय में देश-काल की स्थिति तथा आधार स्रोतों के महत्त्व पर प्रकाश डाल सकेंगे।
2. हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्रम बता सकेंगे।
3. कुछ प्रमुख साहित्यकारों के विषय में देश-काल संबंधी जानकारी के आधार पर चर्चा कर सकेंगे।

15.1.0 साहित्यकार के विषय में देश-काल की स्थिति और आधार स्रोत का महत्त्व

(क) **साहित्यकार तथा देश-काल के विषय में जानकारी का महत्त्व :** रचनाकार या साहित्यकार जिस पर्यावरण या समाज में रहता है उससे अछूता नहीं रह सकता। वह जिस स्थान तथा प्रदेश में रहता है उसे "देश" कहते हैं और जिस समय में वह रचना करता है उसे "काल" कहते हैं। उदाहरण के लिए गांधी युग के साहित्य को लें। इस युग के बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि सभी प्रदेशों के साहित्यकारों ने अपने-अपने स्थान (देश) के लोगों की दुर्दशा, आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों के उत्साह आदि का वर्णन विभिन्न विधाओं के माध्यम से किया है। इस प्रकार आजादी की लड़ाई में साहित्यकारों ने अपना-अपना योगदान दिया और स्वतंत्रता के यज्ञ को सफल किया। यदि अध्यापक को इस बात का आभास हो कि जिस रचना (कविता, जीवनी, नाटक आदि) को पढ़ा रहा है वह किस देश (स्थान) तथा समय (काल) में रची गई तो वह उसकी व्याख्या उस संदर्भ में कर सकता है। किसी रचना को देश-काल के संदर्भ में पढ़ाना अधिगम-प्रक्रिया को सहज और साकार बनाता है।

(ख) **साहित्यकारों के देश-काल की जानकारी के आधार स्रोत :** पाठ्‌यपुस्तक के पाठों के कुछ लेखक तो इतने प्रसिद्ध होते हैं कि उनके विषय में आसानी से विस्तृत जानकारी मिल जाती है। कुछ रचनाकार समसामयिक होते हैं जिनका परिचय उनकी पुस्तकों या परिचितों से मिल जाता है।

15.1.1 कुछ प्रमुख साहित्यकारों की देश-काल संबंधी जानकारी

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्‌यपुस्तकों के पाठों में भक्तिकाल तथा आधुनिक काल के साहित्यकारों की कुछ रचनाओं का चयन किया गया है। भक्तिकाल के साहित्य में कबीर, सूर और रहीम की कविताएँ हैं। आधुनिक काल के साहित्य में से कविता, कहानी, एकांकी, पत्र, जीवनी, आत्मकथा आदि सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ हम इन साहित्यकारों के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। साहित्यकारों के संबंध में जानकारी देने से पूर्व उनके रचनाकाल का सामान्य परिचय देना भी उपयोगी होगा।

भक्तिकाल : इस काल में भक्ति संबंधी साहित्य की रचना हुई। भक्ति साहित्य में राम और कृष्ण की भक्ति को प्रमुखता मिली। भक्ति के मुख्य दो रूप थे : निर्गुण रूप और सगुण रूप। कबीर, रैदास, गुरुनानक, दादूदयाल आदि निर्गुण उपासक संत कवि हैं। सूर, तुलसी, मीरा, नंददास आदि सगुण उपासक भक्त हैं। रहीम ने भक्तिपरक रचनाओं के साथ-साथ नीतिपरक दोहे भी रचे।

रीतिकाल : रीतिकाल में भक्ति की अंतर्धारा के साथ रस, अलंकार आदि पर सैद्धान्तिक ग्रंथ लिखे जाने लगे। इस

काल में प्रेम और शृंगारपरक रचनाओं की बहुलता रही। बिहारी जैसे शृंगार रस के कवि और भूषण जैसे वीर रस के कवि भी इस युग में हुए।

आधुनिक काल : उन्नीसवीं शताब्दीं से आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। इस काल का मोटा-मोटा विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है— भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद तथा स्वतंत्रता के बाद से अब तक का युग। यहाँ कुछ कवियों का परिचय आप हिंदी साहित्य कोश, भाग-2 में ढूँढ़ सकते हैं।

(क) पाठ्यपुस्तक में आए कवि

यहाँ किशोर भारती भाग-2 और 3 में आए कवियों के संदर्भ में कुछ सामान्य जानकारी दी जा रही है ताकि इन्हें पढ़ाते समय देशकाल का संदर्भ दिया जा सके।

1. कबीर

कबीर भक्तिकाल के निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञान मार्गी कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1397 ई० के आस-पास तथा मृत्यु 1518 ई० के आस-पास मानी जाती है। कबीरदास ने उस काल की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। हिन्दू-मुसलमानों दोनों को ही आड़े हाथ लेते हुए उसने कहा— "रे इन दोउन राह न पाई"?। कबीर की भाषा भोजपुरी, अवधी और खड़ी बोली का मिश्रण है। इसे सधुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। इनके पद कबीर बीजक, कबीर वाणी आदि ग्रंथों में संगृहीत हैं। इनके पद 'सबद' और 'साखी' नाम से प्रसिद्ध हैं। किशोर भारती भाग-2 में 'दोहा एकादश' में कबीर के विचार और भाषा के मुँह बोलते उदाहरण हैं।

2. सूरदास

इनका जन्म 1483 ई० के आस-पास तथा मृत्यु अनुमानतः 1583 ई० के लगभग हुई। ये जन्मांध बताए जाते हैं। ये भक्ति की सगुण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि माने जाते है। इन्होंने कृष्ण की जीवन लीलाओं का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया है। सूरसारावली, साहित्य लहरी तथा सूरसागर इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। इनकी काव्य भाषा ब्रज है। किशोर भारती भाग-1 में दिए गए सूरदास के पद बाल वर्णन के अद्वितीय उदाहरण हैं।

3. तुलसीदास

लोकनायक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास (1540-1623 ई०) का जन्म बाँदा जिले (उत्तर प्रदेश) के राजापुर गाँव में हुआ था। ये सगुण भक्ति शाखा के कवि हुए है। इनके आराध्य देव राम है। रामचरित मानस इनका कीर्ति ग्रंथ है। कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी कुल 12 कृतियाँ मानी जाती हैं। विनय पत्रिका को छोड़कर इनकी रचनाएँ अवधी भाषा में हैं। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। किशोर भारती भाग-3 में 'मारीच वध' रामचरित मानस के अरण्य काण्ड से लिया गया है।

4. रहीम

अब्दुलरहीम खाँ खानखाना का जन्म 1553 ई० तथा मृत्यु 1626 ई० में हुई। ये अरबी, तुर्की, फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियाँ बेजोड़ हैं इनकी 11 कृतियाँ उपलब्ध हैं। रहीम अपने बरवै छन्द और दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएँ रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीम कवितावली आदि में संगृहीत हैं।

5. नरोत्तम दास

इनका जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में कान्यकुब्ज परिवार में हुआ। ये कृष्ण भक्त कवि थे। इनके ग्रंथों में सुदामा चरित ग्रंथ प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में कवि ने उस काल के जनजीवन को चित्रित किया है। किशोर भारती भाग-3 में सुदामा चरित का एक अंश उद्धृत है जिसकी भाषा सहज, सरल और मधुर है।

6. मीराबाई

मीराबाई (1516-1546 ई०) का जन्म राजस्थान के मेड़ता परगने के कुडकी गाँव में प्रसिद्ध राठौर वंश में हुआ। बाल्यकाल से ही इनका कृष्ण के प्रति अनुराग था। ये कृष्ण प्रेम के कारण वृन्दावन चली गईं। पति की मृत्यु के बाद वे सदा-सदा के लिए कृष्ण की हो गईं। इनके गीतों में हृदय

की पीड़ा और गहरा समर्पण भाव मिलता है। मीरा की पदावली में इनके गीत संगृहीत हैं। इनकी भाषा राजस्थानी, गुजराती, ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रण है।

7. जयशंकर प्रसाद

जयशंकर प्रसाद (1889-1937 ई०) आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकार हैं। इनका जन्म काशी के प्रसिद्ध सुँघनी साहू परिवार में हुआ था। पिता के निधन के कारण वे अपनी शिक्षा विद्यालय में पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। प्राचीन संस्कृति के प्रति इनका विशेष रुझान था। आधुनिक युग के छायावादी कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। इनके साहित्य में प्राचीनता तथा प्रकृति प्रेम ताने-बाने की तरह मिला हुआ है। इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि कई नाटक लिखे। झरना, आँसू, लहर और कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

8. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (1899-1961 ई०) का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। उनका सारा जीवन संघर्षमय रहा। निराला छायावादी काव्य युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कविता को नवगति, नवलय तथा ताल-छंद सभी कुछ नया दिया। उनके अनुवर्ती कवियों ने उनका अनुसरण किया। उनकी कविता में शोषित एवं पीड़ितों के प्रति पीड़ा व्यक्त हुई है। उनकी "राम की शक्ति पूजा" कविता अत्यंत प्रसिद्ध है। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, आराधना आदि उनकी अमर काव्य कृतियाँ हैं।

9. सुमित्रानंदन पंत

सुमित्रानंदन पंत (1900-1977 ई०) का जन्म प्रकृति की सुरम्य भूमि कूर्मांचल के कौसानी ग्राम में हुआ। बाल्यकाल से माँ का स्नेह न मिल पाने के कारण ये प्रकृति की गोद में जा बैठे। ये छायावाद के आधार स्तंभ हैं। इनकी रचनाओं को तीन भागों में बाँटा जा सकता है— 1. छायावादी (पल्लव, गुंजन, ग्रंथि), 2. प्रगतिवादी (युगवाणी, ग्राम्या), 3. रहस्यवादी (स्वर्ग किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद)। वर्णय विषय मुख्य रूप से प्रकृति रहा। इनका शब्द प्रयोग अद्वितीय था। इसी कारण इन्हें शब्दों का शिल्पी कहा जाता है। इनकी भाषा तत्सम् बहुल भाषा है।

10. महादेवी वर्मा

महादेवी वर्मा (1907-1987 ई०) का जन्म फर्रूखाबाद (उ० प्र०) के सुसम्पन्न परिवार में हुआ था। महादेवी की कविताओं में करुणा की भावना प्रधान है। उनकी कविताओं की करुणा का संबंध लोक में व्याप्त और स्वयं के दुख से है। गीत रचना में उन्हें विशेष सफलता मिली है। इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं—नीहार, रश्मि, नीरजा, साहित्यगीत, दीपशिखा। कवयित्री के अतिरिक्त ये गद्य लेखिका भी हैं। स्मृति की रेखाएँ और अतीत के चलचित्र इनकी संस्मरणात्मक रचनाएँ हैं। इनकी भाषा प्रांजल संस्कृतनिष्ठ है।

11. गोपाल सिंह नैपाली

गोपाल सिंह नैपाली (1913-1963 ई०) का जन्म बेतिया, चंपारन में हुआ। ये प्रारंभिक स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त कर पाए किन्तु पत्रकारिता से संबद्ध होने के कारण इनके लेखन में एक नया निखार आया। इन्हें भारत के प्राकृतिक सौन्दर्य के दर्शन करने के अवसर मिले अतः इनके काव्य में प्रकृति का अत्यंत सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण हुआ है। छायावाद के मानववादी, स्वच्छन्दतावादी कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। इनकी मुख्य कृतियाँ हैं— उमंग, पंछी, रागिनी आदि। इनकी भाषा रसपूर्ण, संगीतमय, सहज और कोमल है।

12. अयोध्यासिंह उपाध्याय "हरिऔध"

हरिऔध जी (1865-1945 ई०) का जन्म वाराणसी में हुआ। खड़ी बोली को सजाने संवारने में इनका योगदान रहा। "प्रियप्रवास" इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी "एक बूँद" कविता घर छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरणा स्रोत बनी।

13. सुभद्रा कुमारी चौहान

सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवनकाल (1904-1948 ई०)

है। इनका जन्म प्रयाग में हुआ। इन्होंने गृहस्थ जीवन के साथ-साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। "झाँसी की रानी" इनकी प्रसिद्ध कविता है। इन्होंने बाल्यावस्था का वर्णन भी अपनी कविताओं में किया है।

14. रामधारी सिंह दिनकर

रामधारी सिंह दिनकर (1908-1974 ई०) का जन्म मुंगेर ज़िले के सिमरिया ग्राम में हुआ। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भाग लिया। इनकी कविताएँ राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। "कुरुक्षेत्र" इनकी प्रसिद्ध रचना है। "शक्ति और क्षमा" कविता (कुरुक्षेत्र से) में अहिंसा की सटीक परिभाषा प्रस्तुत की गई है। इनका कहना है कि अहिंसा शक्तिशाली व्यक्ति का हथियार है। बलहीन का भीरूपन नहीं है। "कृष्ण की चेतावनी" कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि युद्ध हानिकारक है किन्तु ज़ब कोई शांति संदेश स्वीकार नहीं करता तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है।

15. हरिवंश राय बच्चन

श्री बच्चन का जन्म 1901 ई० में प्रयाग में हुआ। ये लोकप्रिय कवि हैं। उनकी रचनाओं में गहन संवेदनशीलता के दर्शन होते हैं। "मधुशाला" उनका सर्वग्राह्य ग्रंथ है। कविता के अतिरिक्त इन्होंने समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं। किशोर भारती भाग-1 में "आ रही कवि की सवारी" कविता में प्रकृति और मानव स्वभाव का अनूठा सम्मिश्रण है।

16. नागार्जुन

श्री नागार्जुन का जन्म 1910 ई० में बिहार के सतलखा नामक ग्राम में हुआ। ये घुमक्कड़ स्वभाव के कवि हैं। इन्होंने मैथिली और हिंदी में कविताएँ लिखी हैं। सहजता इनके काव्य का प्रमुख गुण है। ये प्रगतिवादी कवि हैं और प्रतीक के माध्यम से बहुत कुछ कह जाते हैं। इनकी "कल और आज" कविता में अभावग्रस्त स्थिति में परिवर्तन दिखा कर यह दर्शाया गया है कि कालचक्र परिवर्तनशील है।

17. केदारनाथ अग्रवाल

इनका जन्म 1911 ई० में बाँदा जिले के एक ग्राम में हुआ। ये प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी कविता में नए-नए बिम्ब और उपमा दिखाई देते हैं। "बसंती हवा" इनकी लोकप्रिय कविता है। जिसमें हवा के विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर दर्शन होते हैं।

18. शिवमंगल सिंह "सुमन"

इनका जन्म 1915 ई० में हुआ। इनकी काव्य भाषा सरस तथा ओजपूर्ण है। इनकी कविताओं में वर्ग संघर्ष भी है। किन्तु कुछ कविताएँ एकांत क्षणों में लिखी गई हैं जो मधुर अनुभूतियों को प्रकट करती हैं। किशोर भारती भाग-2 में "हम पक्षी उन्मुक्त गगन के" की कविता में कवि ने पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्त्व को उजागर किया है। परतंत्रता में प्राप्त सुख-सामग्री स्वतंत्रता में मिलने वाले कष्टों, असुविधाओं की तुलना में हेय है, तुच्छ है।

19. गोपाल प्रसाद व्यास

गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म 1915 ई० में मथुरा में हुआ। ये मुख्य रूप से हास्य रस के कवि हैं। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने वाली कविताएँ भी रची हैं। "खूनी हस्ताक्षर" इसी प्रकार की प्रेरणादायक रचना है।

20. देवराज दिनेश

देवराज दिनेश का जन्म 1922 ई० में उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपनी रचना अपने अनुभव के आधार पर स्वतंत्र चिन्तन के रूप में रची। "मजदूर" कविता में इन्होंने भारतीय मजदूर की भावना का हृदयस्पर्शी चित्रण किया है।

21. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना

इनका जीवनकाल 1927-1983 ई० है। इन्होंने अपनी शिक्षा उत्तर प्रदेश में प्राप्त की। इन्होंने अनेक पत्र-पत्रिकाओं के लेख लिखे। इनके बालगीत बड़े रोचक हैं—"मुक्ति और आकांक्षा" कविता में स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना है, भले ही उसमें अनेक कष्ट हैं।

(ख) पाठ्यपुस्तक में आए कुछ गद्य साहित्यकार

आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में गद्य की विभिन्न विधाओं, जैसे—कहानी, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, निबंध आदि का बहुत विकास हुआ। यहाँ हम देशकाल के संदर्भ में कुछ गद्य साहित्यकारों

का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं ताकि पाठों को पढ़ाते समय यह पृष्ठभूमि लेखक के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में सहायक हो।

1. कहानीकार

इस काल की कहानियों में मानव समाज, मानव की व्यक्तिगत भावनाओं, उसकी कल्पनाओं और हास्य विनोद को चित्रित किया गया है। यहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्यपुस्तकों के लिए चुने गए कहानीकारों का संक्षिप्त संदर्भ परिचय दिया जा रहा है।

प्रेमचंद

प्रेमचंद जी का जीवनकाल 1880-1936ई० है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने लगभग 400 कहानियाँ लिखी हैं जिनमें समाज का बहु आयामी चित्रण हुआ है। इनकी भाषा में उर्दू के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है। राष्ट्र चेतना के लिए भी इन्होंने लेखन कार्य किया। "दो बैलों की कथा" में उस काल में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल की प्रवृत्तियों का चित्रण दो बैलों के माध्यम से किया है। उदाहरण के लिए भगतसिंह, चन्द्रशेखर, राजगुरु, सुभाष आदि क्रांतिकारी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे जबकि महात्मा गांधी हर कार्य को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहते थे।

श्रीराम शर्मा

श्रीराम शर्मा का जीवनकाल 1896-1967 ई० है। इनका जन्म मैनपुरी (उ.प्र.) तथा शिक्षा इलाहाबाद में हुई। इनका "शिकार" साहित्य प्रसिद्ध है। इन्होंने गांधीवादी भावना पर आधारित लेख भी लिखे हैं। "लड़की का पिता" ऐतिहासिक कहानी है जो स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़ने वालों के परिवार के कष्ट और उनके प्रति अपना दायित्व निभाने की आवश्यकता को उजागर करती है।

सुदर्शन

सुदर्शन का जन्म 1896 ई० में हुआ। इनकी कहानियों में यथार्थ और आदर्श का मिश्रण है। "हार की जीत" कहानी के माध्यम से इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक तथ्य की अत्यंत मार्मिक प्रस्तुति की है। परहित और त्याग का प्रभाव निर्मम एवं शक्तिशाली डाकू को भी हिला सकता है। इस कहानी में बाबा भारती का यह वचन "लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे।" डाकू खड़कसिंह के हृदय पर सीधी चोट करता है। इस कथन से प्रभावित होकर वह घोड़े को बाबा भारती को लौटा आता है।

2. नाटककार/एकांकीकार

रामकुमार वर्मा

रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 ई० में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक तथा हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी लिखे। "विजय पर्व" इनका ऐतिहासिक एकांकी है जो आक्रमणकारी तैमूर के व्यक्तित्व के एक भिन्न पक्ष को उजागर करता है। इनके द्वारा लिखे गए एकांकियों के दो प्रसिद्ध संकलन "पृथ्वीराज की आँखें" तथा "रेशमी टाई" हैं। ये अंतिम क्षणों तक अपने रचना कार्य में लगे रहे।

जगदीश चंद्र माथुर

जगदीश चंद्र माथुर का जीवनकाल 1917-1978 ई० है। इनका जन्म खुर्जा तहसील (उ.प्र.) में हुआ। इन्होंने धीरे-धीरे नाटककार के रूप में ख्याति प्राप्त की। इनके मशहूर एकांकी हैं— भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, वेदी आदि। इनके एकांकियों में सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य मिलता है। कोणार्क, शारदीया, पहला राजा आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं।

3. जीवनीकार

"जीवनी" की दृष्टि से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित "त्रिविधा" कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक को पढ़ लेना चाहिए। इसमें नौ जीवनियाँ दी गई हैं।

मनमथनाथ गुप्त

इनका जन्म 1908 ई० में वाराणसी में हुआ। इनका लेखन क्रांतिकारी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। "चंद्रशेखर आज़ाद" नामक पाठ उनकी इसी विचारधारा को प्रकट करता है।

4. आत्मकथाकार

महात्मा गांधी

आत्मकथा की दृष्टि से गांधी जी की आत्मकथा महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्तूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ और स्वर्गवास 30 जनवरी 1948 को। गांधीजी पत्रकार और लेखक भी थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" गुजराती में लिखी जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। "जब मैं पढ़ता था" शीर्षक पाठ इनकी आत्मकथा का ही अंश है। इस पाठ में गांधीजी ने स्पष्ट किया है कि बचपन में प्राप्त संस्कार कितने प्रबल होते हैं। बचपन में सत्य, अहिंसा, मातृ-पितृ सेवा के संस्कार जीवन भर उनके साथ बने रहे।

5. संस्मरणकार

विनय मोहन शर्मा

विनय मोहन शर्मा का जन्म 1905 ई० में हुआ। इनका संस्मरण साहित्य सृजन में प्रशंसनीय योगदान है। संस्मरण साहित्य की संवेदनशील विधा है। "डबली बाबू" नामक संस्मरण चित्रमयी शैली में लिखा गया है। पाठ में एक माली के प्रति इतनी संवेदनशीलता दिखाई गई है कि अंतिम भाग पढ़ते-पढ़ते आँखें आर्द्र होने लगती हैं। डबली बाबू की कर्त्तव्यनिष्ठा भी पाठ का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है।

6. पत्र-लेखक

जवाहरलाल नेहरू

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में सन् 1889 में तथा मृत्यु 1964 में दिल्ली में हुई। ये राजनीतिज्ञ ही नहीं उच्चकोटि के लेखक भी थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखीं। इन्होंनें अपने जेल जीवनकाल में अपनी पुत्री इंदिरा को अनेक पत्र लिखे जो "पिता के पत्र पुत्री के नाम" शीर्षक से हिंदी में प्रकाशित हुए। बाल भारती भाग-4 में प्रकाशित पत्र इन्हीं पत्रों में से एक हैं। इन्होंने पत्र की रोचक विधा द्वारा न केवल ज्ञानवर्धक सामग्री दी है अपितु मानवीय मूल्यों को भी बड़े सहज रूप में प्रतिष्ठापित किया है।

7. यात्रा साहित्य लेखक

काका साहेब कालेलकर

काका साहेब कालेलकर का जीवन काल 1885-1981 ई० है। इनका जन्म महाराष्ट्र राज्य के सतारा नगर में हुआ। इन्होंने हिंदी प्रचार-प्रसार के लिए अद्वितीय कार्य किया। इन्होंने कोई 30 पुस्तकें लिखीं। किशोर भारती-3 में "प्रकृति का सान्निध्य" पाठ इनके प्रकृति प्रेम को तो दर्शाता ही है, साथ में आज के नगरीय जीवन की विडंबना को भी उजागर करता है।

भीष्म साहनी

इनका जन्म रावलपिंडी (पाकिस्तान) में हुआ। विभाजन के बाद ये भारत आए और साहित्य सृजन में रत हुए। इनका "तमस" उपन्यास काफी प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने अनेक यात्रा वर्णन भी लिखे। किशोर भारती भाग-1 में "सोवियत रूस की एक झलक" नामक पाठ यात्रा-साहित्य का ज्ञानवर्धक और रोचक प्रसंग है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ कक्षा पाँच, सात एवं आठ की पाठ्यपुस्तकों में संकलित किन्हीं दो साहित्यकारों की देशकाल संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए पुस्तकालय में उपलब्ध स्रोत पुस्तकों का अध्ययन करें और प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम तथा उनकी रचनागत विशेषताओं को चार्ट रूप में प्रस्तुत करें।	चयन और निर्माण कीजिए
❑ वार्षिक उत्सव के अवसर पर पाठ्यपुस्तक से संबंधित साहित्यकारों पर भित्ति पत्रिका तैयार करें।	निर्माण कीजिए
❑ कवि/कवित्रियों के छायाचित्र/चित्र इकट्ठे कर उन्हें एलबम के रूप में प्रस्तुत करें।	निर्माण कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. हिंदी साहित्य का आरंभ 1000 ई० के आस-पास माना जाता है। उस काल की हिंदी को "पुरानी हिंदी" कहा गया है। विद्वानों ने कालक्रम और प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में बाँटा है— आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल।
2. विद्यार्थियों के लिए लिखी गई पाठ्यपुस्तकों में साहित्य की विभिन्न विधाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को धीरे-धीरे साहित्य के कोश में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। वे रचनाओं के माध्यम से उस काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि स्थितियों से परिचित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, सुभद्राकुमारी चौहान, बच्चन, दिनकर, हरिऔध आदि कवि अपने समय की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार प्रेमचंद, सुदर्शन, मनमथनाथ गुप्त आदि कहानीकार अपने काल के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा साहित्य के भी प्रतिनिधि लेखक हैं।

मूल्यांकन

1. रचनाकार के देशकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने से अध्यापक को संबंधित पाठ पढ़ाने में क्या सहायता मिलती है? तर्क सहित उत्तर दो।
2. पाठ लेखकों के विषय में देश-काल की जानकारी के स्रोत कौन-कौन से हैं?
3. अपने प्रिय कवि, कहानीकार अथवा एकांकी लेखक के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

कैप्सूल 15.2
साहित्यिक विधाओं का परिचय

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल का अध्ययन करने के पश्चात् आप—

साहित्य की विभिन्न विधाओं—कविता, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा तथा एकांकी के संबंध में जानकारी प्राप्त कर कक्षा में उनको प्रभावी ढंग से पढ़ा सकेंगे।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की पाठ सूचियाँ देखने मात्र से स्पष्ट है कि इनमें कहानी तथा कविता के अतिरिक्त एकांकी, संस्मरण, यात्रा, पत्र, निबंध, जीवनी, रेखाचित्र आदि से संबंधित पाठ भी हैं। पाठ्यपुस्तकों में इन विधाओं के रखने का कारण यह है कि विद्यार्थी उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात् अनिवार्य शिक्षा का स्तर पार करते समय तक साहित्य की विभिन्न विधाओं के संबंध में सामान्य जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

आइए, इस कैप्सूल में साहित्य की कुछ विधाओं के बारे में आधारभूत जानकारी प्राप्त करें ताकि इन विधाओं पर आधारित पाठों का प्रभावी शिक्षण कर सकें।

1. कविता

कविता अति प्राचीन साहित्यिक विधा है। हिंदी साहित्य का काल की दृष्टि से विभाजन करते समय साहित्यिक कविताओं की परीक्षा उनकी मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर की जाती है, जिसका विभाजन निम्नलिखित रूप से है :

1. वीरगाथा या वीर रस की कविताएँ
2. भक्ति रस की कविताएँ
3. शृंगार रस की कविताएँ
4. आधुनिक कविता—राष्ट्रवादी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, हास्य, व्यंग्यात्मक आदि।

जीवन में कविता के महत्त्व तथा प्रकार के विषय में आप कैप्सूल 12.1 में विस्तार से पढ़ चुके हैं।

2. कहानी

कहानी साहित्य की अत्यंत प्राचीन और रोचक विधा है। विश्व के प्रथम ग्रंथ वेद में भी कहानियाँ उपलब्ध हैं। कहानी के लिए आख्यायिका, कथा, गाथा, गल्प, वृत्तांत आदि शब्द भी प्रचलित हैं।

कहानी में जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव या घटना को प्रदर्शित किया जाता है। इससे मनुष्य की जिज्ञासा, कौतूहल, उत्सुकता वृत्ति शांत होती है। कहानी किसी देश-काल की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों को उद्घाटित करती है। इसके श्रवण-पठन से कल्पना शक्ति, सृजनात्मक शक्ति तथा भाषायी कौशलों का विकास होता है।

कहानी के तत्व : कहानी की रचना की दृष्टि से इसके निम्नलिखित तत्व हैं : कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, उद्देश्य और शैली।

कहानियों के प्रकार : आकार, कथानक, मनोभाव, उद्देश्य आदि की दृष्टि से कहानियों का विभाजन किया जाता है। यथा :

1. बाल कथा
2. लघु कथा
3. परियों की कहानी
4. पशु-पक्षियों की कहानी
5. काल्पनिक कहानी
6. पौराणिक कहानी
7. सामाजिक कहानी
8. मनोवैज्ञानिक कहानी
9. वैज्ञानिक कहानी
10. हास्य विनोद की कहानी

11. लोक कथा
12. अनूदित कहानी।

तत्त्वों की दृष्टि से

1. घटना प्रधान
2. चरित्र प्रधान
3. वातावरण प्रधान
4. भाव प्रधान।

शैली की दृष्टि से

1. वर्णनात्मक
2. डायरीपरक
3. पत्रात्मक
4. आत्मकथापरक
5. संवादात्मक
6. रिपोर्ताज
7. रेखाचित्र
8. संस्मरण
9. यात्रा वृत्त

प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पशु-पक्षियों की कहानियों का चयन किया जाता है। इस आयु-वर्ग के बच्चों को परी कथाएँ भी अच्छी लगती हैं।

उच्च प्राथमिक आयु-वर्ग के बच्चों को अपने आयु-वर्ग के संघर्षरत बच्चों की कहानियाँ अच्छी लगती हैं क्योंकि वे कहानी के नायक-नायिका की सफलता में अपनी सफलता मानते हैं। उन्हें न्याय पर आधारित कहानी पसंद आती है क्योंकि यह काल उनके स्वयं चरित्र निर्माण का काल होता है। इसके अतिरिक्त यात्रा वर्णन, आकाश-पाताल की कहानियाँ उनके आकर्षण का कारण बनती हैं। तर्कपरक या विज्ञान के किसी तथ्य पर आधारित कहानी भी इस आयु वर्ग की तर्कशक्ति के विकास में योगदान करती है।

हिंदी के कहानीकार : हिंदी में वास्तविक कहानी लेखन का विकास "सरस्वती" पत्रिका के माध्यम से 1900ई० के बाद हुआ। बंगमहिला की "दुलाईवाली", किशोरीलाल गोस्वामी की "इन्दुमति", रामचंद्र शुक्ल की "ग्यारह वर्ष का समय", जयशंकर प्रसाद की "ग्राम" हिंदी की आरंभिक मौलिक कहानियाँ मानी जाती हैं।

मुंशी प्रेमचन्द्र ने सामाजिक जीवन को आधार बनाकर यथार्थवादी कहानियाँ लिखीं। प्रेमचन्द्र के अन्य साथी कहानीकार चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन आदि थे।

सामाजिक समस्याओं को आधार मानकर कहानी लिखने वाले अन्य कहानीकार हैं— वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद बाजपेयी, सियाराम शरण गुप्त आदि।

अज्ञेय, इलाचंदजोशी, यशपाल, रांगेय राघव, विष्णु प्रभाकर भी मानव भावनाओं के श्रेष्ठ चितेरे कहानीकार हैं। कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव, मनु भंडारी, निर्मल वर्मा, रेणु आदि की कहानियाँ संचार के विभिन्न माध्यमों से पाठकों तक पहुँचती रहती हैं। जैनेन्द्र कुमार जैन हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकारों में हैं। इनकी प्रतिनिधि कहानियाँ वातायन, नीलम देश की राज कन्या, पाजेब आदि में संगृहीत हैं। इनकी कहानियों में राष्ट्रीय, सामाजिक, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्व हैं। यहाँ बाह्य जीवन की बजाए मन की हलचल अधिक चित्रित हुई है।

3. निबंध

निबंध साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण विधा है। निबंध का अर्थ होता है भली प्रकार से बंधा हुआ। निबंध एक ऐसी रचना है जिसमें निबंधकार विषय विशेष पर अपने विचार सुनियोजित विधि से क्रमबद्ध रूप में प्रकट करता है। निबंध आत्म-प्रकाशन का एक सुनियोजित प्रयत्न है। यह आत्म-प्रकाशन जितना सरल, स्वतंत्र और सजीव होगा उतना ही सराहा जाएगा। विद्यार्थियों में क्रमबद्ध सोचने की प्रक्रिया का विकास करने के लिए निबंध लेखन का अभ्यास कराया जाता है।

निबंध के प्रकार : विषय, लेखन, विधा और उद्देश्यों के आधार पर निबंध कई प्रकार के होते हैं। यथा—

1. कथ्यात्मक या विवरणात्मक
2. चिन्तनात्मक या विचारात्मक
3. भावात्मक
4. ललित निबंध

कथ्यात्मक या विवरणात्मक निबंध : इनमें इतिहास की

कथा, साहसपूर्ण कार्य, किसी घटना का विस्तृत विवरण या वर्णन या यात्रा आदि विषय सम्मिलित किए जाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में ये विषय पास-पड़ोस के तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इनमें पुराण, इतिहास आदि विषय सम्मिलित किए जा सकते हैं।

चिन्तनात्मक अथवा विचारात्मक : इन निबंधों में बुद्धि या चिन्तन की प्रधानता होती है। इन निबंधों में तर्क या उदाहरण का आश्रय लेकर अपनी बात का महत्त्व सिद्ध किया जाता है। ये निबंध भी उच्च प्राथमिक कक्षाओं से ही आरंभ कराना अच्छा रहेगा।

ललित निबंध : ललित निबंध ललित साहित्य की अमर धरोहर हैं। इस प्रकार के निबंधों में बोधपक्ष उतना प्रधान नहीं होता जितना भावपक्ष। यहाँ बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की सामर्थ्य अधिक है। डा. विद्या निवास मिश्र के निबंध इस कोटि में आते हैं। किशोर भारती भाग-2 में रामवृक्ष वेनीपुरी का निबंध "मशाल" इसी कोटि का है।

हिंदी के निबंधकार : निबंध साहित्य का विकास उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। हिंदी के निबंध आरंभ में पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने आरंभ हुए क्योंकि सभी निबंधकार पत्रकार थे।

आरंभ के निबंध भारतेन्दु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए जो साहित्यिक निबंधों पर न होकर सामाजिक तथा ऐतिहासिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए। बालकृष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र के निबंध गंभीर होते हुए भी सरल तथा व्यंग्य शैली में हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुन्द गुप्त और पद्मसिंह शर्मा के निबंध बड़ी कसी हुई बोली में हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने तो निबंधों को साहित्यिक प्रौढ़ता प्रदान करके मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया।

वर्तमान युग में दो प्रकार के निबंधकार हैं। एक तो वे जिन्होंने साहित्यिक निबंधों और आलोचनात्मक निबंधों को अपना विषय बनाया और दूसरे वे जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि विषयों को आधार बनाकर लिख रहे हैं। प्रथम वर्ग में नंद दुलारे बाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेन्द्र आदि प्रमुख हैं और दूसरे क्षेत्र में गुलाबराय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र, विद्या निवास मिश्र प्रभृति निबंधकार हैं। वर्तमान काल में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अनेक निबंध प्रकाशित हो रहे हैं। किशोर भारती भाग-1 में 6 निबंध हैं। किशोर भारती भाग-2 में भी उच्च कोटि के 5 निबंध संगृहीत हैं।

हिंदी के कुछ प्रतिनिधि निबंधकार

रामचन्द्र शुक्ल (1884-1941 ई०)

रामचन्द्र शुक्ल का जन्म बस्ती ज़िले के अगोना ग्राम में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फ़ारसी में हुई। 1909-10 ई० में इनका संपर्क नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी से हुआ और इनकी रुचि हिंदी के प्रति बढ़ती गई। बाद में ये काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे। ये कुछ काल बाद आलोचना के क्षेत्र में उतरे और तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास, रस मीमांसा आदि आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे। चिन्तामणि तीन भागों में प्रकाशित इनका प्रसिद्ध निबंध ग्रंथ है।

शुक्ल जी की भाषा-शैली सजीव, प्रौढ़ और भावानुकूल है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के अतिरिक्त अंग्रेजी, अरबी, फ़ारसी आदि के शब्दों का भी पुट मिलता है। इनकी भाषा मुहावरेदार और गंभीर है। हास्य और व्यंग्य का भी पुट इनके लेखन में मिलता है। इनके निबंध और भाषा-शैली ने परवर्ती निबंधकारों को भी प्रभावित किया।

हजारी प्रसाद द्विवेदी (1907-1979)

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक था। उन्होंने संस्कृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्म और संस्कृति में उनकी विशेष रुचि थी।

हिंदी निबंधकारों में आचार्य शुक्ल के बाद उनका ही

नाम आता है। उनके निबंध अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व आदि में संकलित हैं। उनके आलोचना ग्रंथ (सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि) और उपन्यास साहित्य (चारुचंद लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि) उच्च कोटि की रचनाएँ हैं।

द्विवेदी जी की भाषा प्रांजल और प्रवाह युक्त है। उनके निबंध में व्यंग्य और विनोद का भी पुट है। भाषा की दृष्टि से उन्होंने हिंदी गद्य शैली को जो रूप दिया, वह अनुकरणीय है।

4. जीवनी

जीवनी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में उसके जीवन से परिचित किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा लिखी जाती हैं वह सामान्यतः व्यक्ति के कुटुंबी, मित्र, पत्र-व्यवहार आदि को आधार मानकर सामग्री एकत्र करता है। इस आधारभूत सामग्री के आधार पर सभी घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हुए गुण-दोषों के प्रति अपनी तटस्थता बनाए रखता है। जीवनी साहित्य को कोमल साहित्य कहा गया है। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात विधा की शोभा को धूमिल कर सकता है।

जीवनी साहित्य : हिंदी साहित्य में जीवनी लेखन की ओर व्यवस्थित ढंग से पहले पहल ध्यान भारतेन्दु हरिश्चंद्र का गया। इन्होंने विक्रम, कालीदास, रामानुज, जयदेव, मेयो, रिक्सन आदि के संक्षिप्त जीवन चरित्र लिखे। यद्यपि भारतेन्दु हरिश्चंद्र से पूर्व नाभादास ने "भक्तमाल" और वेणी माधव ने "मूल गोसाई चरित" पदबंध लिंखे लेकिन जीवनी साहित्य का विकास भारतेन्दु हरिश्चंद्र के काल में ही हुआ। भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने "पंचपवित्रात्मक" शीर्षक से इस्लाम के पैगंबरों की जीवनी लिखी। इनकी विशेषता रही कि जीवनी साहित्य किबदंतियों पर आधारित न रहकर ऐतिहासिक आधारों पर लिखा जाने लगा। किशोर भारती भाग-2 में "चन्द्रशेखर आज़ाद" (मनमथनाथ गुप्त) इसका एक उदाहरण हैं। अहिंसक सेनापति (अनु. बंद्योपाध्याय), विक्रम साराभाई (निरंजन कुमार सिंह) आदि भी इसी प्रकार के पाठ हैं।

5. आत्मकथा

आत्मकथा से अभिप्राय है व्यक्ति की अपने विषय में स्वयं लिखी गई कहानी। कुछ आत्मकथाएँ मात्र घटना विशेष को लेकर संस्मरण साहित्य के रूप में भी उपलब्ध हैं। आत्मकथा की घटनाएँ विश्वसनीय होती हैं क्योंकि वे स्वयं लेखक द्वारा लिखी जाती हैं।

हिंदी के आत्मकथाकार : आत्मकथा और संस्मरण साहित्य का विकास भारतेन्दु हरिश्चंद्र के उपरांत हुआ। इस साहित्य में मुख्य रूप से डा. श्याम सुन्दर दास कृत "मेरी कहानी", डा. राजेन्द्र प्रसाद की "आत्मकथा" महादेवी वर्मा के "अतीत के चलचित्र", "स्मृति की रेखाएँ", "पंथ के साथी" आदि प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। कुछ समाज सेवियों, राजनीतिज्ञों तथा साहित्यकारों ने भी सुरुचिपूर्ण आत्मकथाएँ लिखी हैं।

6. एकांकी

हिंदी साहित्य में एकांकी विधा का आगमन बीसवीं सदी के तीसरे दशक के आस-पास माना जाता है। एकांकी साहित्य जीवन के किसी पक्ष या घटना का चित्रण उपस्थित करता है। इसका काल नाटक की तरह विस्तृत नहीं होता और न ही उपन्यास की तरह कथा का विस्तार। एकांकी के मुख्य अंग हैं— कथावस्तु, कथोपकथन, चरित्र चित्रण, देश काल, उद्देश्य तथा शैली।

हिंदी के एकांकीकार : हिंदी एकांकी साहित्य को जन्म देने का श्रेय भुवनेश्वर को है। इनका एकांकी संग्रह 1936 ई० में "कारवां" शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसके बाद प्रमुख नाटककारों ने एकांकी लिखे। रामकुमार वर्मा, सेठ गोविन्द दास, उदयशंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर आदि हिंदी के प्रतिनिधि एकांकीकार हैं। सेठ गोविन्द दास ने सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक विषयों को लेकर एकांकी रचे। सप्तराशि, एकादशी, पंचभूत इनके प्रसिद्ध एकांकी संकलन हैं। भट्ट

जी के एकांकियों में सामाजिक रूढ़ियों के प्रति तीखा व्यंग्य हैं। अभिनय की दृष्टि से भी ये एकांकी सफल हैं। किशोर भारती भाग-2 में रामकुमार वर्मा का "विजय पर्व" एकांकी दृष्टव्य है। इसी प्रकार किशोर भारती भाग-1 में बंशीधर श्रीवास्तव का "अशोक का शस्त्र त्याग" श्रेष्ठ कोटि का एकांकी है।

आजकल रंगमंचीय एकांकियों के अतिरिक्त रेडियो एकांकी भी रचे जा रहे हैं। जिसमें न वेश-भूषा की कठिनाई और न ही रंगमंच आदि की।

7. रेखाचित्र

रेखाचित्र कहानी से मिलती-जुलती साहित्यिक विधा है। यह शब्द अंग्रेजी के "स्केच" शब्द के आधार पर बनाया गया है। "स्केच" चित्रकला का अंग है। इसमें चित्रकार इनी-गिनी रेखाओं द्वारा वस्तु या दृश्य को अंकित करता है। रेखाचित्र में शब्दों के माध्यम से यह कार्य संपन्न किया जाता है। इसीलिए इसे शब्द-चित्र भी कहते हैं। रेखाचित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी और भावपूर्ण वर्णन करता है। रेखाचित्र कहानी से मिलता-जुलता अवश्य है परन्तु इसमें कहानी की गहराई का अभाव है। इसी प्रकार यद्यपि व्यक्ति के जीवन पर आधारित रेखाचित्र लिखे जाते हैं। फिर भी रेखांचित्र जीवन चरित्र नहीं है। जीवन चरित्र में समग्रता का आग्रह है। रेखाचित्र में किसी विशेष पक्ष को चित्रित किया जाता है। हिंदी में अनेक विद्वानों ने रेखाचित्र लिखे हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी (रेखाचित्र), महादेवी वर्मा (अतीत के चलचित्र) और रामवृक्ष वेनीपुरी (माटी की मूरतें) के रेखाचित्र काफी प्रसिद्ध हैं।

8. अंतर्वीक्षा या साक्षात्कार

साक्षात्कार या अंतर्वीक्षा हिंदी साहित्य की नवीन विधा है इसके लिए भेंट वार्ता, विशेष चर्चा आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार में लेखक किसी व्यक्ति या समूह से स्वयं वार्ता करता है और उसका प्रमाणित ब्यौरा लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। ब्यौरे के साथ लेखक अपनी प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत करता है। किशोर भारती में खेल जगत की "उड़नपरी" पाठ इसका उदाहरण है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ अभिनयपूर्ण बालगीतों को एकत्रित करके उनका कक्षा में प्रयोग करें।	चयन एवं प्रयोग कीजिए
❑ प्राथमिक तथा उच्च्य प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों की कविताओं और कहानियों का वर्गीकरण करके सूचियाँ तैयार करें।	सूचीबद्ध कीजिए
❑ कहानियों में रुचि जाग्रत करने के लिए बाल पत्रिकाओं में से कहानियों की कतरन काटकर भित्ति पत्रिका विशेषांक तैयार करवाएँ।	निर्माण कीजिए
❑ पत्र-पत्रिकाओं से 8-10 निबंधों की कतरन निकालकर पुस्तकाकार रूप दें।	निर्माण कीजिए
❑ किसी आत्मकथाकार की कथा के कुछ अंश "उत्तम पुरुष" शैली में रिकार्ड करके बच्चों को सुनाएं। यथा— जब मैं .....।	आयोजन कीजिए
❑ पाठ्यपुस्तकों में आए संवादात्मक पाठ का कक्षा में अभिनय कराएँ।	आयोजन कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

साहित्य की विभिन्न विधाएँ हैं। कविता अति प्राचीन साहित्यिक विधा है। छंद, अलंकार और रस इसकी छटा को निखारते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, निबंध, संस्मरण, पत्र, रेखाचित्र आदि साहित्य गद्य कहलाता है। इनके भी कई भेद-उपभेद हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए अध्यापक को इनकी जानकारी अनिवार्य है।

मूल्यांकन

1 अपने प्रिय कवि पर संक्षिप्त निबंध लिखें।
2. शिशु और बाल्यावस्था के छात्र-छात्राओं को किन-किन विषयों पर कहानियाँ पसंद हैं? उनकी पसंद में अंतर का क्या कारण है?
3. अपने लोकप्रिय कहानीकार की कहानियों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
4. प्रमुख निबंधकारों के नामों का उल्लेख करें।
5. जीवनी साहित्य के क्या गुण होने चाहिए? जीवनी साहित्य के विकास में किन-किन लेखकों का मुख्य योगदान है?
6. आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है?
7. अपने प्रिय एकांकीकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

कैप्सूल 15.3
संदर्भ परिचय तथा समानान्तर साहित्यिक उदाहरण

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल को पढ़ने के पश्चात् आप—

1. हिंदी में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के प्रमुख संदर्भ ग्रंथों के नाम आदि जान सकेंगे जिनसे आवश्यकतानुसार जानकारी प्राप्त कर अपने शिक्षण कार्य में उसका समुचित उपयोग कर सकेंगे।
2. पाठ्यपुस्तकों एवं पूरक पाठ्यपुस्तकों में समाविष्ट कुछ प्रमुख सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
3. समानान्तर साहित्यिक उदाहरणों तथा उनकी तुलना द्वारा सौन्दर्य की अनुभूति करते हुए समानान्तर कविताओं का संकलन कर सकेंगे।

15.3.1 संदर्भ ग्रंथ

कोई भी नया ज्ञान पूर्वज्ञान के किसी अंश पर आधारित होता है। जिस प्रकार नदी, जल, तरंग, भंवर, जलकण आदि का मूल एक ही है उसी प्रकार ज्ञान समग्र है। हम अपनी सुविधा के लिए उसे खंड-खंड करके समझते हैं। ऐसा करना आवश्यक भी है क्योंकि विशेष आयवुर्ग के बच्चे विशेष स्तर तक की बात या भाव को ही ग्रहण कर सकते हैं।

हमारी पाठ्यपुस्तकें तथा पूरक पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों की बौद्धिक आवश्यकता के अनुसार उनके पूर्व प्राप्त ज्ञान को स्तरित करके लिखी जाती हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तकें जहाँ भाषा विकास में सहायक होती हैं वहाँ उनमें वर्णित विषय सामग्री धर्म, संस्कृति, इतिहास, विज्ञान आदि क्षेत्रों से चुनी जाती हैं। परिणामस्वरूप हमारी पाठ्यपुस्तकों में सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक अनेक संदर्भ होते हैं। हिंदी की तो अपनी अत्यंत प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। इस कारण हिंदी की पाठ्यपुस्तक में यथाप्रसंग अनेक अंतर्कथाएँ आना स्वाभाविक है। विषयवस्तु के समुचित स्पष्टीकरण के लिए इन विषयों में संबंधित संकल्पनाओं, संदर्भों एवं अंतर्कथाओं को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक होता है। कारण यह है कि भाषा की पुस्तक मात्र पठन की सामग्री नहीं है। वह तो एक ओर विभिन्न प्रकार का ज्ञान देने का साधन है तो दूसरी ओर शिक्षार्थी को अपनी सांस्कृतिक विरासत का बोध कराने का माध्यम। इस आवश्यकता पूर्ति के लिए हमें पाठ्यपुस्तकों एवं पूरक पाठ्यपुस्तकों में समाविष्ट प्रमुख सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों की जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार के संदर्भ ग्रंथों के नाम, प्राप्ति स्रोत आदि का पता होना चाहिए। इस दृष्टि से नीचे कुछ प्रमुख संदर्भ ग्रंथों का उल्लेख किया जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथों की सूची में सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम है "महाभारत"। महर्षि वेदव्यास कृत इस ग्रंथ के बारे में एक अत्यंत प्रसिद्ध उक्ति है कि संसार में जो कुछ ज्ञान है वह महाभारत में उपलब्ध है, जो महाभारत में नहीं वह कहीं नहीं है। यदि हम अत्युक्ति भी मानें तो भी यह निश्चित है कि भारतवर्ष की समग्र प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा महाभारत में ही परिलक्षित होती है। यह पौराणिक कथाओं का तो अनुपम कोश है। प्रत्येक हिंदी अध्यापक को चाहिए कि वह इसका सम्यक् अध्ययन करें।

अन्य संदर्भ ग्रंथों के संबंध में नीचे आवश्यक जानकारी दी जा रही है :

पुस्तक का नाम	लेखक/संपादक	प्रकाशक
1. हिंदी विश्व कोश (भाग 1-12)	–	नागरी प्रचारिणी सभा, काशी
2. मानक हिंदी कोश (5 भाग)	–	हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
3. हिंदी शब्द सागर (1 भाग)	–	नागरी प्रचारिणी सभा, काशी
4. शिक्षार्थी कोश	डा. हरदेव बाहरी	राजपाल एंड संस, दिल्ली
5. भारतीय व्यक्ति कोश	भगवतशरण उपाध्याय	आर्य बुक डिपो, दिल्ली
6. साहित्यिक लोकोक्ति कोश	हरिवंश राय शर्मा	राजपाल एंड संस, दिल्ली
7. हिंदी साहित्य कोश (भाग 1 तथा 2)	धीरेन्द्र वर्मा	ज्ञान मंडल, वाराणसी
8. भारतीय साहित्य कोश	डा. नगेन्द्र (सं.)	नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, दरियागंज, दिल्ली
9. विश्व सूक्ति कोश	श्री शरण	आर्य बुक डिपो, दिल्ली
10. हिंदी मुहावरा कोश	श्री शरण	प्रेम प्रकाशन मंदिर, दिल्ली
11. हिंदी कहावत कोश	श्री शरण	प्रेम प्रकाशन मंदिर, दिल्ली
12. भारतीय अंतर्कथाकोश	श्री भोलानाथ तिवारी	—
13. हिंदी अन्तःकथा परिचायिका	—	राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी, उ० प्र०

टिप्पणी : इनके अतिरिक्त उपर्युक्त संदर्भों पर अन्य कोश भी उपलब्ध हैं। उनके संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए।

सांस्कृतिक संदर्भ ग्रंथ

पुस्तक का नाम	लेखक/संपादक	प्रकाशक
1. भारतीय संस्कृति की कहानी	भगवत शरण उपाध्याय	राजपाल एण्ड संस
2. भारतीय मूर्तिकला की कहानी	भगवत शरण उपाध्याय	राजपाल एण्ड संस
3. भारतीय चित्रकला की कहानी	भगवत शरण उपाध्याय	राजपाल एण्ड संस
4. भारतीय भवनों की कहानी	भगवत शरण उपाध्याय	राजपाल एण्ड संस
5. भारतीय नगरों की कहानी	भगवत शरण उपाध्याय	राजपाल एण्ड संस
6. भारतीय नदियों की कहानी	भगवत शरण उपाध्याय	राजपाल एण्ड संस
7. भारतीय संगीत की कहानी	भगवत शरण उपाध्याय	राजपाल एण्ड संस
8. पुराण परिशीलन	महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना
9. विश्व धर्म दर्शन	साँवलिया बिहारी लाल वर्मा	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों पर हिंदी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी अनेक प्रामाणिक ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें से कुछ के नाम नीचे दिए जा रहे हैं :

पुस्तक का नाम	लेखक/संपादक	प्रकाशक
1. Who's who of Indian Martyrs	P.N. Chopra	Ministry of Education, Govt. of India
2. History and Culture of Indian People	—	Bhartiya Vidya Bhawan, Bombay
3. Cultural Heritage of India (6 Volumes)	—	The Rama Krishna Mission Institute of Culture, Calcutta

विज्ञान पर भारत सरकार के प्रकाशन एवं सूचना विभाग द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित Golden Treasury of Science and Technology एक उपयोगी ग्रंथ है।

संदर्भ ग्रंथों की उपर्युक्त सूची अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। आप पुस्तकालय में अन्य महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। हिंदी भाषा की पत्र-पत्रिकाएँ विशेष अवसरों—स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, विभिन्न भारतीय पर्वों, त्योहारो, विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों आदि पर अपने विशेषांक या परिशिष्टांक प्रकाशित करती हैं। आप इनका यथावसर अवलोकन करें तथा आवश्यक जानकारी एकत्रित करें।

किशोर भारती भाग-1. 2 तथा 3 पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शिक्षण संदर्शिकाओं में भी पाठों में आए पौराणिक, ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक संदर्भों पर यथोचित प्रकाश डाला गया है। उनका अनुशीलन लाभकारी होगा।

अभ्यास कार्य

- ❑ पुस्तकालय से उन संदर्भ ग्रंथों की विस्तृत सूची बनाएँ जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक संदर्भों के संकलन की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी हैं।

निर्देश

सूची बनाइए

15.3.2 पाठ्यपुस्तकों एवं पूरक पाठ्यपुस्तकों से संदर्भ संकलन

आइए, जरा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों और पूरक पाठ्यपुस्तकों को टटोल कर देखें और उनमें आए कुछ प्रमुख संदर्भों के संबंध में जानकारी प्राप्त करें।

1. **सांस्कृतिक संदर्भ** : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित भाषा की पाठ्यपुस्तकों में आए कुछ सांस्कृतिक संदर्भ जिनकी व्याख्या की विशेष आवश्यकता है और जिनके लिए संदर्भ ग्रंथों को देखने की अपेक्षा की जा सकती है, उदाहरण के रूप में नीचे दिए जा रहे हैं :

पाठ्यपुस्तकों से उदाहरण

बाल भारती भाग-5 को ही लें : पाठ-3 "दिलवाड़े के मंदिर" का विशेष संदर्भ जैन संस्कृति से है। इस पाठ में आए "तीर्थंकर" शब्द के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। बताइए

कि जैन धर्म के विशिष्ट महापुरुष 'तीर्थंकर' अथवा 'जिन' कहे जाते हैं। ये 24 हैं। आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ आदि तीर्थंकारों के नाम हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के चौबीसवें तथा अंतिम तीर्थंकर हैं। पाठ-12 "वीर अभिमन्यु" में महाभारत कालीन संस्कृति की छाप है। पाठ-14 "लकड़ी का घोड़ा" में यूनान की संस्कृति की झलक है। बताइए कि इस कथा का स्रोत प्राचीन यूनान के महाकवि होमर द्वारा रचित महाकाव्य "इलियड" है।

यदि हमें पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार के सांस्कृतिक संदर्भ पढ़ाने का अवसर मिले तो संस्कृति और सांस्कृतिक पात्रों की भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए कुछ मूल ग्रंथों के अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। उदाहरण के लिए पुस्तकालयों में संस्कृत तथा हिंदी के मानक कोश या धर्म कोश उपलब्ध हैं जिनमें हमें इन संदर्भों की आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है। पौराणिक तथा विश्व धर्म कोश में भी वांछित सामग्री मिल सकती है। यथा— "झाँसी की रानी" कविता में यह संदर्भ है कि "चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी" तो यहाँ "चित्रा" और "भवानी" के विवाह को आवश्यक विस्तार के साथ वताने की आवश्यकता है। चित्रा या चित्रांगदा मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी। वह पुरुष वेश में रहती थी तथा पुरुषों की भांति शिकार करती थी। उसकी कामना थी कि वह अर्जुन को पति के रूप में प्राप्त करे। पार्वती के लिए भिन्न-भिन्न जन्मों में भिन्न-भिन्न नाम दिए गए हैं। "भवानी" भी उन्हीं नामों में से एक है। पार्वती की भी कामना थी कि उन्हें पति रूप में शिव मिलें। इन दोनों की इच्छाएँ पूरी हुईं। छात्राध्यापक को चाहिए कि वह पाठ योजना निर्माण से पहले इन संदर्भों की सामग्री का संग्रह करें और पाठ योजना में इनकी व्याख्या करें।

वैज्ञानिक संदर्भ : पाठ्यपुस्तकें प्राचीन तथा नवीन ज्ञान का सम्मिश्रण हैं। इनमें जहाँ सांस्कृतिक तथा साहित्यिक संदर्भों के पुरातन संदर्भ मिलते हैं वहाँ बच्चों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने, उन्हें नवीन अनुसंधानों और आविष्कारों से अवगत कराने तथा विज्ञान के कारण उत्पन्न समस्याओं की जानकारी देने के लिए विज्ञान आधारित पठन सामग्री पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। इन पाठों से विद्यार्थियों को अनावश्यक अंधविश्वास और रूढ़ियों से मुक्ति मिलती है और स्वयं कुछ कर दिखाने या खोज निकालने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस क्षेत्र में भी काफी संदर्भ कोशों और विद्यार्थी विज्ञान विश्व कोशों का निर्माण हुआ है। यदि हम शिक्षण से पूर्व इस संदर्भ सामग्री के आधार पर अपने विषय को पढ़ाएँ तो विद्यार्थियों को बहुत लाभ पहुँचेगा।

पाठ्यपुस्तकों से उदाहरण

आइए, हम विद्यार्थियों की कुछ पाठ्यपुस्तकों के पाठों का विश्लेषण करके पता लगाएँ कि उनमें किस प्रकार के वैज्ञानिक संदर्भ उपलब्ध हैं और इनके विस्तार के लिए हमें क्या करना चाहिए।

बाल भारती भाग-5 के पाठ-5 "हम और हमारा स्वास्थ्य" को पढ़ें। इस पाठ में स्वास्थ्य संबंधी महत्त्वपूर्ण जानकारी है। इस विषय की पुष्टि के लिए हमें भोजन तथा व्यायाम संबंधी अतिरिक्त सामग्री का अध्ययन करना पड़ेगा। आवश्यकतानुसार अच्छे कोश या विश्व कोश से कुछ चित्र भी बच्चों को दिखाने पड़ेंगे। मैडम क्यूरी का जीवन (पाठ-10) तो विज्ञान को ही समर्पित था। क्यूरी दंपती के विषय में जानकारी के लिए हमें वैज्ञानिकों का चरित्र कोश देखना पड़ेगा। इसी प्रकार जगदीशचन्द्र वसु (पाठ-15) के विषय में वैज्ञानिक चरित्र कोश की आवश्यकता पड़ेगी।

किशोर भारती भाग-1 के पाठ-23 (रक्त और हमारा शरीर) में "रक्तवाहिका", "रक्तसमूह", "विटामिन" जैसे शब्दों को संदर्भ सहित समझाएँ, जैसे— रक्त के ए. बी., ए.बी., ओ. आदि अनेक समूह हैं। इस समूह क निर्धारण इस आधार पर होता है कि किस रक्त में किस प्रकार के तत्व विद्यमान हैं। समान गुण वाले रक्त को समान गुण वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। पाठ-28 (तां

की खुली खदान में) का संबंध वैज्ञानिक तथ्यों से है। पहले पाठ के लिए हमें शरीर विज्ञान तथा दूसरे पाठ के लिए भूगोल के अच्छे संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता होगी। बिना सहायक सामग्री या चित्र आदि के प्रदर्शन के इन पाठों की मूल आत्मा परख पाना कठिन है।

3. ऐतिहासिक संदर्भ : पाठ्यपुस्तकों में ऐतिहासिक संदर्भों का भी समावेश होता है। कुछ पाठ तो इतिहास की किसी घटना पर आधारित होते हैं और कुछ पाठों में इतिहास पुरुषों तथा ऐतिहासिक घटनाओं का संदर्भ प्रसंगवश आता है। इन दोनों ही स्थितियों के प्रति न्याय करने के लिए पाठ पढ़ाने से पूर्व संदर्भ ग्रंथों से वे अतिरिक्त तथ्य एकत्र करने चाहिएँ जो पाठ की पूर्ति के लिए आवश्यक हों। ये तथ्य पाठ के शिक्षण बिन्दु सिद्ध होंगे।

पाठ्यपुस्तकों के उदाहरण

उदाहरण के लिए बाल भारती भाग-5 का पाठ "गढ़ आया पर सिंह गया" शुद्ध ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। यह सिंहगढ़ पर शिवाजी के सेनापति नानाजी मालसुरे की विजय से संबंधित है। शिवाजी का सिंहगढ़ विजय के संबंध में यह कथन बड़ा मार्मिक है क्योंकि गढ़ तो जीत लिया गया था किन्तु गढ़ को जीतने वाला सिंह—नानाजी मालसुरे युद्ध में मारा गया था। यदि आपके पास यथेष्ठ समय है तो वृहद् इतिहास की पुस्तक पढ़ें अन्यथा जीजाबाई, शिवाजी जैसे पात्रों का संक्षिप्त परिचय इतिहास कोश में उपलब्ध है।

किशोर भारती भाग-1 के पाठ "अहिंसा की विजय", "खूनी हस्ताक्षर", "सेनापति ताँत्या टोपे", "फूलवालों की सैर", "झाँसी की रानी", "अशोक का शस्त्र त्याग" आदि का संबंध इतिहास की घटनाओं से है। अहिंसा की विजय एक प्रसिद्ध जातक कथा है। जातक बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म संबंधी कथानक को पालि साहित्य में "जातक" कहा जाता है। प्रत्येक जातक कथा में किसी महत्त्वपूर्ण उपदेशप्रद घटना का वर्णन होता है। यदि अच्छा हितैषी मित्र मिले तो डाकू भी सन्मार्ग पर आ सकता है। अंगुलिमाल में यही बात प्रदर्शित की गई है। महात्मा बुद्ध ने एक डाकू का विश्वास जीता और उसे सदा के लिए अपना अनुयायी बना लिया। ताँत्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी थे। ये अंग्रेजों के प्रबल विरोधी थे। इन्होंने रानी झाँसी से मिलकर मध्य भारत में भीषण युद्ध छेड़ दिया। इन्हें विश्वासघात करके पकड़वा दिया गया और अंग्रेजों ने इन्हें फाँसी की सजा दी। फूल वालों की सैर हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अशोक का शस्त्र त्याग कलिंग युद्ध की ऐतिहासिक घटना है। इस युद्ध में एक लाख व्यक्ति मारे गए। अशोक को इस दृश्य से युद्ध से घृणा हो गई और वे "धम्म" या बौद्ध धर्म में प्रवृत्त हुए। इसके बाद 31 वर्ष के अपने शासन काल में उन्होंने युद्ध नहीं किया।

"खूनी हस्ताक्षर" सुभाष द्वारा गठित आजाद हिंद फौज की एक घटना से संबंधित कथानक है। कवि ने बताया है कि किस प्रकार सन् 1943 में सिंगापुर पहुँच कर भारतीय सैनिक संगठित कर उनका उत्साह बढ़ाया। उनकी फौज में स्त्री-पुरुष, हिन्दू-मुसलमान सभी सम्मिलित थे। किशोर भारती भाग-2 में 'चन्द्रशेखर आज़ाद', 'अहिंसक सेनापति', 'विजय पर्व' आदि पाठ इतिहास के पृष्ठों पर आधारित हैं। इनकी सम्यक् व्याख्या के लिए संदर्भ ग्रंथों का अनुशीलन करना होगा।

संदर्भों के संकलन के लिए सामूहिक कार्य व्यवस्था

पाठ्यपुस्तकों पर आधारित संदर्भों के लिए सामूहिक कार्य व्यवस्था की कई विधियाँ हो सकती हैं। एक तो यह कि छात्राध्यापक विषय अनुसार संदर्भ ग्रंथों तथा संदर्भ स्थलों की सूची बनाएँ। इस कार्य पद्धति के अनुसार विषय में रुचि रखने वाले छात्राध्यापक विषय-क्लब के रूप में अपने विषय के अध्यापक प्रशिक्षक की देख-रेख में एक समिति का गठन कर लें। तब प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों की सूची तैयार करें। सूची तैयार करने के बाद प्रॉजेक्ट के रूप में इस कार्य को व्यावहारिक रूप प्रदान करें। दूसरी पद्धति के अनुसार एक-एक कक्षा की पाठ्यपुस्तक को आधार बनाकर छात्राध्यापक रुचि अनुसार

संदर्भ सामग्री एकत्र करें। यदि आवश्यक हों तो विषय विशेषज्ञों का सहयोग लें।

यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार का वृहद् कार्य एक सत्र में पूरा हो। अध्यापक प्रशिक्षक की देख-रेख में यह कार्य सत्रानुसार 3-4 वर्ष में पूरा किया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि छात्रशक्ति का दुरुपयोग न हो। यदि इस सामग्री का प्रकाशन न हो सके तो इसे टाइप या हस्तलिखित रूप में जिल्द बाँधकर सुरक्षित रखा जाए।

अभ्यास कार्य — **निर्देश**

- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक संदर्भों को सामूहिक रूप से कक्षावार इकट्ठा करें और विद्यार्थी संदर्भ कोश तैयार करें। — सामूहिक रूप से चयन और निर्माण कीजिए
- संक्षिप्त रामायण और संक्षिप्त महाभारत से कुछ कहानियाँ इकट्ठी करें। इनमें आए वर्णनों को संदर्भ मानक कोशों में देखें और नोट तैयार करें। — चयन और निर्माण कीजिए
- किशोर भारती भाग-1 से कुछ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक संदर्भ शब्दों/पाठों की सूची दी गई है। इसी प्रकार किशोर भारती भाग 2 तथा 3 से तैयार करें। — निर्माण कीजिए।

सांस्कृतिक	*वैज्ञानिक*	*ऐतिहासिक*
अतिथि देवो भव	प्रोटिन	कल्हण
तालगति	प्लाज़्मा	जागीर
भितिचित्र	प्लेट्लैट्स	दरगाह
राजतरंगिणी	मिश्रित धातु	दीवानेखास
हितोपदेश	रक्तवाहिका	नौबतखाना
	रक्त समूह	मयूरध्वज
	विटामिन	महरौली
	सूक्ष्मदर्शी	

15.3.3 कविता के समानान्तर साहित्यिक उदाहरण

एक ही विचार या भावना को विभिन्न कवि अपने-अपने दृष्टिकोण या शैली के माध्यम से कविता में प्रकट करते हैं। इन समानताओं को पहचानना पाठक की पठन रुचि का द्योतक है। आरंभिक कक्षाओं में यह पहचान कठिन है क्योंकि बहुत अध्ययनशील पाठक ही इस प्रकार की तुलना

कर सकता है। यदि विद्यार्थीयों को अतिरिक्त निर्देशित पठन का अवसर प्रदान करें तो इस क्रियाकलाप को पाँचवीं कक्षा से आरंभ कर सकते हैं। इस प्रकार की तुलना की आशा हर विद्यार्थी से न रखें। कविता के समानान्तर साहित्यिक उदाहरण केवल वही अध्यापक दे सकते हैं जो स्वयं कविता में रुचि रखते हों। यहाँ, उदाहरणस्वरूप इस प्रकार का एक अभ्यास प्रस्तुत किया जा रहा है।

फूल और काँटा

"फूल और काँटा" अयोध्यासिंह उपाध्याय "हरिऔध" की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता के माध्यम से एक ही कुल में जन्मे दो पदार्थों (फूल और काँटा) के गुण-अवगुण की तुलना की है। यथा—

छेद कर काँटा किसी की उंगलियाँ
फाड़ देता है किसी का पर बसन
प्यार डूबी तितलियों का पर कतर
भौंरे का है वेध देता श्याम तन।
फूल लेकर तितलियों को गोद में
भौंरे को अपना अनूठा रस पिला
निज सुगंधों और निराले रंग से
है सदा देता कली जी की खिला।
है खटकता एक सब की आँख में
दूसरा है सोहता सुरसीस पर
किस तरह कुल की बड़ाई काम दे
जो किसी में हो बड़प्पन की कसर।

तुलसीदास ने इसी बात को जल में एक ही स्थान पर उगने वाले कमल और जौंक का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। कमल अपनी छवि से स्त्री को आनंदित करता है और जौंक परजीवी होने के कारण संपर्क में आने वाले का रक्त चूस लेती है। उनकी चौपाई इस प्रकार है—

जनमहिंक एक संग जल माही।
जलज जौंक जिमि गुण विलगाहीं।।

कविता शिक्षण में इस प्रकार समानान्तर कविता का उदाहरण देकर अध्यापक विद्यार्थियों में सौन्दर्यानुभूति का विकास कर सकता है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ अपनी पाठ्यपुस्तक से किन्हीं दो कविताओं के समानान्तर भाव वाली कविताएँ संकलित करके उनका कक्षा शिक्षण में प्रयोग करें।	चयन और प्रयोग कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. मातृभाषा की पाठ्यपुस्तकों तथा पूरक पुस्तकों में वर्णित विषय सामग्री धर्म, संस्कृति, इतिहास, विज्ञान आदि विषय क्षेत्रों से चयन की जाती है। इसी कारण इन पुस्तकों में सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक आदि अनेक संदर्भ होते हैं। पृष्ठों की सीमा को देखते हुए पाठ्यपुस्तकों में अनेक बातें संकेत रूप में कह दी जाती हैं। विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि के लिए पुस्तकों में दिए गए विभिन्न संदर्भ बिन्दुओं की विस्तृत व्याख्या करना भाषा अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है।
2. साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध लेखकों तथा प्रसिद्ध पुस्तकों के संदर्भ कोश उपलब्ध हैं। इन संदर्भ ग्रंथों में साहित्यिक प्रविष्टियों के अतिरिक्त सांस्कृतिक तथा पौराणिक संदर्भ भी उपलब्ध होते हैं। इतिहास तथा विज्ञान के संदर्भ ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। ये संदर्भ ग्रंथ

विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं। पाठ्यपुस्तक पढ़ाने की तैयारी करते समय साहित्य कोश, सूक्ति कोश, लोकोक्ति कोश, मानक कोश आदि संदर्भ ग्रंथों की सहायता लेना बहुत उपयोगी है। छात्राध्यापक संदर्भों को पहचान कर उनसे संबंधित संदर्भ सामग्री को व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार से एकत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं।

3. कविता में रुचि उत्पन्न करने तथा सौन्दर्यानुभूति का विकास करने के लिए समानान्तर साहित्यिक उदाहरणों तथा कविताओं का संकलन भी किया जाना अपेक्षित है।

मूल्यांकन

1. भाषा शिक्षण की दृष्टि से संदर्भ का क्या महत्त्व है?
2. पाठ्यपुस्तकों एवं पूरक पाठ्यपुस्तकों में सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक संदर्भों से क्या अभिप्राय है?
3. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों के आधार पर सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक संदर्भों का एक-एक उदाहरण दें।
4. विभिन्न संदर्भों को समझाने के लिए आप किन-किन कार्यकलापों का आयोजन करना चाहेंगे?

मॉड्यूल–16

विद्यालयी पाठ्यचर्या के केंद्रिक घटक

16.0 प्रस्तावना

सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सारे देश के लिए समान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित विद्यालयी शिक्षा की एक राष्ट्रीय पद्धति अपनाने की सिफारिश की गई है। इसके अनुसार समान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में कुछ विषय अथवा घटक तो वैकल्पिक होंगे पर कुछ घटक ऐसे होंगे जिन्हें पाठ्यचर्या में अनिवार्य रूप से स्थान दिया जाएगा। इन घटकों को केंद्रिक घटक (कोर कम्पोनेंट) कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्ययोजना में निम्नलिखित केंद्रिक घटकों को विद्यालयी पाठ्यचर्या में समाविष्ट करने का उल्लेख है :

1. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास
2. संवैधानिक दायित्व
3. राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान और उसका पोषण करने वाली आवश्यक विषयवस्तु
4. भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत
5. लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समतावाद
6. स्त्री-पुरुष की समानता
7. पर्यावरण संरक्षण
8. सामाजिक अवरोधों को दूर करना
9. लघु परिवार की मान्यता
10. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास

इन केंद्रिक घटकों से संबंधित विषय सामग्री को अनिवार्यतः पाठ्यचर्या में समाविष्ट किया जाएगा किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी घटकों का समावेश एक ही पाठ्यपुस्तक अथवा एक ही कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में होगा। इसका तात्पर्य केवल यह है कि किसी विद्यालयी स्तर की विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों में इन्हें यथोचित स्थान दिया जाए ताकि विद्यार्थी उनसे परिचित होकर उनमें निहित जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। उदाहरणतः प्रारंभिक स्तर को लें। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों में इन घटकों से संबंधित सामग्री का यथाप्रसंग समावेश होना आवश्यक है और वांछित भी क्योंकि विद्यार्थी के भावी जीवन की नींव इन्हीं कक्षाओं में पड़ती है। भाषा की पाठ्यपुस्तकों में केंद्रिक घटक 1, 3, 4, 6, 8 से संबंधित सामग्री सहज एवं स्वाभाविक रूप में आ जाती है। पर्यावरण अध्ययन (समाज विज्ञान एवं विज्ञान) संबंधी पाठ्यपुस्तकों में केंद्रिक घटक 2, 3, 5, 7, 9, 10 से संबंधित सामग्री का यथोचित रूप में समावेश हो जाता है। फिर यह भी विचारणीय है कि इन घटकों से संबंधित सामग्री किस कक्षा में, किस विषय में कितनी और किस रूप में दी जाए जिससे विद्यार्थी आसानी से उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

वस्तुतः उपर्युक्त केंद्रिक घटकों के आधार बिन्दु हमारे संविधान में उल्लिखित हैं। संविधान के आमुख में कहा गया है; "हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, **धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक** गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, **प्रतिष्ठा और अवसर की समता** प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, सं. 2006 विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं।"

इस आमुख में स्पष्टतः लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समतावाद को संविधान का आधार माना गया है (केंद्रिक घटक-5)। यही नहीं, अपितु संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत 'समता' संबंधी विस्तृत विवरण दिया गया है।

संविधान के भाग 3, 4, 4क में मूल अधिकारों, कर्त्तव्यों और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है, उनमें अनेक केंद्रिक घटकों का पूरा-पूरा संकेत मिल जाता है, यथा— प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि—

1. वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे (केंद्रिक घटक-1)।
2. वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे (केंद्रिक घटक-2,3)।
3. वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे (केन्द्रिक घटक-3)।
4. वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे (केंद्रिक घटक-4)।
5. राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करे कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो (केंद्रिक घटक-6)।
6. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत, वन, झील, नदी और वन्य जीवन है, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करें तथा प्राणिमात्र के लिए दया का भाव रखे (केंद्रिक घटक-7)।
7. वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद की भावना का विकास करे (केंद्रिक घटक-10)।
8. संविधान की सातवीं अनुसूची, 3-20 क में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का उल्लेख है, जो लघु परिवार की मान्यता का द्योतक है (केंद्रिक घटक-9)।

निश्चित ही इन केंद्रिक घटकों से संबंधित विषय सामग्री की जानकारी और उनमें निहित जीवन मूल्यों से अभिप्रेरित होकर हम राष्ट्र के उत्थान और उत्कर्ष में सक्रिय सहयोग दे सकेंगे। अतः इन केंद्रिक घटकों के महत्त्व से आपको परिचित कराना और उनके अनुसार व्यवहार करने की प्रेरणा देना इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है।

इस मॉड्यूल में उपर्युक्त घटकों को दो कैप्सूलों में बाँटा गया है :

कैप्सूल 16.1	में उन केंद्रिक घटकों पर चर्चा की गई है जिनका अपना विशिष्ट राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक महत्त्व है, यथा— 1. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, 2. संवैधानिक दायित्व, 3. राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान और उसकी पोषक विषयवस्तु, 4. भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत, 5. लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समतामूलक समाज।
कैप्सूल 16.2	में सामाजिक परिवेश से संबंधित केंद्रिक घटकों का वर्णन किया गया है, यथा— 6. स्त्री-पुरुष की समानता, 7. पर्यावरण संरक्षण, 8. सामाजिक अवरोधों को दूर करना, 9. लघु परिवार की मान्यता और 10. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।

कैप्सूल 16.1

राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पक्षों से जुड़े केंद्रिक घटक

(भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास : संवैधानिक दायित्व, राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान और उसका पोषण करने वाली आवश्यक विषयवस्तु, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समतावाद)

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की प्रमुख घटनाओं और प्रेरक प्रसंगों से अवगत हो सकेंगे।
2. राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणात्मक आदर्शों—देशभक्ति, राष्ट्रीयता, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की संकल्प शक्ति आदि के महत्त्व को समझ सकेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील होंगे।
3. संविधान में निर्दिष्ट दायित्व—नागरिक के मूल अधिकार और कर्त्तव्य से अवगत हो सकेंगे और उनका पालन कर सकेंगे।
4. राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित प्रमुख विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे, जैसे— विविधता में एकता, सर्व धर्म समभाव, धर्म, भाषा, जाति आदि से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि स्थान देने की भावना।
5. राष्ट्रीय प्रतीकों—राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रचिह्न, राष्ट्रीय पशु-पक्षी आदि के प्रति सम्मान की भावना विकसित कर सकेंगे।
6. भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, सामाजिक संस्कृति की विशेषता, उसकी समन्वयात्मक मिली-जुली जीवन शैली की प्रवृत्ति आदि से परिचित होकर उसके इस स्वरूप को बनाए रखने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेंगे।
7. लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और समतावाद की प्रमुख विशेषताओं, जैसे— सरकार और शासन के गठन में जनता की प्रतिभागिता, मताधिकार की स्वतंत्रता और उसका उचित प्रयोग, सभी धर्मों और मतों के प्रति सहिष्णुता और सद्भावना, सबके लिए समान अधिकार और विकास के समान अवसर आदि से परिचित हो सकेंगे और तदनुकूल आचरण कर सकेंगे।

16.1.1 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास हमारे लिए विशेष महत्त्व रखता है। यह आंदोलन हमारे देश प्रेम, त्याग, बलिदान और कठोर संघर्ष का, हमारी अटूट राष्ट्रीय एकता का इतिहास है।

इस आंदोलन में सभी धर्मों, संप्रदायों और जातियों के लोगों ने एक होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था। किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी, स्त्री-पुरुष, सभी ने एक-जुट होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। यह इतिहास उन क्रांतिकारी देशभक्तों के बलिदानों की कहानी है जिन्होंने हँसते-हँसते राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे। यह आंदोलन हमारे उस धैर्य, कष्ट, सहिष्णुता और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जूझते रहने की भावना का इतिहास है जिसने हमें विदेशी सत्ता के दमन और बर्बर अत्याचारों का सामना करने की शक्ति दी।

स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ प्रेरक प्रसंगों, तथ्यों या घटनाओं की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट कीजिए, जैसे—

1. सन् 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हिन्दू मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया।
2. उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध का नवजागरण काल

जिसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ।

3. सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।
4. बंगभंग आंदोलन, स्वदेशी आन्दोलन और विदेशी माल का बहिष्कार।
5. सन् 1916 से गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ।
6. रौलट एक्ट के विरोध में सन् 1919 में गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन।
7. जलियांवाला बाग हत्याकांड।
8. सन् 1921 का असहयोग आंदोलन, अखिल भारतीय जन आंदोलन तथा आंदोलन का धर्मनिरपेक्ष रूप।
9. क्रांतिकारी आंदोलन, चंद्रशेखर आज़ाद, भगतसिंह आदि की शहादत।
10. सन् 1930 में पंडित ज़वाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित, 26 जनवरी सन् 1930 को स्वतंत्रता का प्रतिज्ञा पत्र।
11. 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, राष्ट्रव्यापी आन्दोलन।
12. प्रमुख नेताओं पं. नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेन्द्रबाबू का योगदान।
13. सन् 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन।
14. सन् 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति, भारत का विभाजन, देशी रियासतों का विलय और स्वतंत्र भारत का संविधान।
15. स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कृत संकल्प रहना।

शैक्षणिक उपागम

स्वतंत्रता संग्राम के गौरवपूर्ण इतिहास से विद्यार्थियों को परिचित कराना हमारी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग है। भाषा की पाठ्यपुस्तकों में इस आंदोलन का क्रमबद्ध इतिहास देना संभव नहीं है। यह इतिहास और सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में मिलेगा। किंतु भाषा की पुस्तक में स्वतंत्रता संग्राम के दो एक प्रेरक प्रसंग अवश्य दिए जा सकते हैं और दिए जाते हैं, जैसे— स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किसी महापुरुष की जीवनी, किसी क्रांतिकारी की शहादत की गाथा अथवा उस काल की कोई प्रसिद्ध घटना आदि। उन्हें पढ़ाते समय तथ्यात्मक परिचय के साथ-साथ विद्यार्थियों में उन आदर्शों और मूल्यों के प्रति प्रेरणा जगानी चाहिए जिनसे प्रभावित होकर देशवासियों ने यह आंदोलन छेड़ा था। ये आदर्श हैं— देश भक्ति, राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता प्राप्त करने की अदम्य इच्छा, विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने की संकल्पशक्ति, अहिंसात्मक सत्यागृह के उच्च नैतिक मूल्य, सत्य और अहिंसा पर अडिग रहना, प्रतिशोध की भावना नहीं रखना, अपने अधिकारों के लिए सतत संघर्ष करते रहना, राष्ट्रीय एकता आदि।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उपर्युक्त आदर्शों के प्रति विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के निम्नलिखित पाठ उल्लेखनीय हैं :

कक्षा-2 बाल भारती भाग-1
1. चितरंजन दास,
2. पंडित जवाहरलाल नेहरू

कक्षा-3 बाल भारती भाग-3
1. बढ़े चलो (राष्ट्रध्वज का सम्मान)
2. 26 जनवरी की परेड।

कक्षा-4 बाल भारती भाग-4
1. जब मैं पढ़ता था (गांधी जी की जीवनी)
2. हमारा राष्ट्रीय झंडा
3. भारत कोकिला सरोजिनी नायडू
4. राष्ट्रीय पक्षी मोर
5. पत्र (नेहरू जी का पत्र बेटी इंदिरा के नाम)

कक्षा-5 बाल भारती भाग-5
1. झाँसी की रानी

2. बाबा आम्टे

कक्षा-6 किशोर भारती भाग-1

1. खूनी हस्ताक्षर
2. सेनापति तांत्या टोपे
3. लड़की का पिता
4. झाँसी की रानी (कविता)

कक्षा-7 किशोर भारती भाग-2

1. और भी दूं (कविता)
2. चंद्रशेखर आज़ाद
3. मनचाहा कालापानी
4. अहिंसक सेनापति

कक्षा-8 किशोर भारती भाग-3

1. राजेन्द्र बाबू
2. विजय बेला

इन पाठों के शिक्षण के माध्यम से हम यह प्रयत्न करें कि हमारे विद्यार्थियों में देश प्रेम और देश के लिए आत्मत्याग तथा समर्पण की भावना विकसित हो।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं पर कक्षा में चर्चा कीजिए।	चर्चा कीजिए
❑ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए निर्धारित हिंदी की पाठ्यपुस्तकों में से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पाठों का चयन कीजिए।	चयन कीजिए
❑ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कुछ महान व्यक्तियों के नाम बताइए।	सूचीबद्ध कीजिए

16.1.2 संवैधानिक दायित्व

राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से हमारे संविधान में कुछ महत्त्वपूर्ण दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ ऐसे दायित्व हैं जो नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्त्तव्यों से संबंधित हैं तथा कुछ ऐसे दायित्व हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में हैं। प्रत्येक नागरिक से इन दायित्वों की पूर्ति की अपेक्षा की जाती है। दायित्वों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

क. मूल अधिकार

1. कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। कोई भी कानून के संरक्षण से वंचित नहीं होगा।
2. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा।
3. राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता रहेगी।
4. अस्पृश्यता अमान्य है। अतः अब कोई अस्पृश्य नहीं है, सभी एक समान हैं।
5. सभी नागरिकों को अपने भावों, विचारों और मतों के प्रकाशन की स्वतंत्रता है। सभी को अपने धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार है।
6. शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का सभी को अधिकार है।
7. सभी को संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों का अधिकार है।

ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि व्यक्ति अपने

उत्कर्ष के साथ-साथ सामाजिक और राष्ट्रीय उत्कर्ष में सहयोग प्रदान करें। हमारा संवैधानिक दायित्व यह है कि इन अधिकारों का सदुपयोग हो।

ख. कर्त्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—

1. संविधान का पालन करे, राष्ट्रीय आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च्य आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे।
4. देश की रक्षा को अपना कर्त्तव्य मानें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आएं।
5. भारत के सभी लोगों में समानता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। ऐसी भावनाएँ जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव को प्रोत्साहित करती हों तथा ऐसी प्रथाएँ जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं उन सबका त्याग करे।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊँचाइयों को छू सके।

कक्षा शिक्षण में इन कर्त्तव्यों की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट किया जाए, उनके महत्त्व से उन्हें परिचित कराया जाए तथा विद्यालयी गतिविधियों में उनके पालन के प्रति उन्हें प्रेरित किया जाए।

ग. राज्य की नीति के निर्देशक तत्व

1. राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करेगा जिसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, जिसमें सामाजिक और राजनैतिक न्याय हेतु राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं का योग प्राप्त हो।
2. राज्य व्यक्तियों के बीच आय की असमानता कम करने का तथा विभिन्न क्षेत्रों में रहने वालों, विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के बीच असमानता को भी कम करने का प्रयास करेगा।
3. समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम संरक्षण हो सके।
4. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था इस प्रकार की हो कि सबको समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो।
5. राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी तथा शिष्ट जीवन स्तर का अवसर प्रदान करेगा। ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।
6. राज्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य निर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा।

7. राज्य राष्ट्रीय महत्त्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करेगा।

कक्षा शिक्षण में दृष्टांतों, प्रसंगों और उदाहरणों द्वारा यथासंभव विद्यार्थियों को यह अहसास कराएँ कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व राष्ट्रीय एवं वैयक्तिक उत्थान की दृष्टि से कितने महत्त्वपूर्ण हैं और इनके पालन में प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग आवश्यक है।

16.1.3 राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान और उसका पोषण करने वाली आवश्यक विषयवस्तु

राष्ट्रीय अस्मिता का अर्थ है उन लक्षणों और विशेषताओं की पहचान, जिनसे राष्ट्र का अपना एक स्वरूप बनता है, विश्व में उसकी अपनी अलग पहचान बनती है, वह एक स्वतंत्र, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित होता है। इस पहचान से ही हमारे मन में राष्ट्र के प्रति अपनत्व, प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना पैदा होती है। हम धर्म, संप्रदाय, वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि से परे एकजुट होकर राष्ट्रीय विकास के लिए प्रयत्नशील होते हैं। देश के किसी कोने में आई हुई विपत्ति को अपनी विपत्ति मानकर वहाँ के लोगों की सहायता करते हैं। हम समस्त भारतवासी एक हैं, यह राष्ट्र हमारा है, इसके प्रति हमारा दायित्व है, इसके अस्तित्व और अभ्युत्थान में ही हमारा अस्तित्व और कल्याण निहित है आदि मनोभाव ही राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान के आधार हैं।

संक्षेप में राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान और उसकी पोषक विषयवस्तु के अंतर्गत निम्नांकित बातें उल्लेखनीय हैं—

1. भारत एक भौगोलिक इकाई है।
2. भारतीय संस्कृति की दीर्घकालीन अविच्छिन्न परंपरा; अनेकता में एकता (विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, धर्मों, प्रजातियों के लोगों का आपस में मिलजुल कर रहना, भावात्मक एकता), सामासिकता एवं समन्वयकारी प्रवृत्ति।
3. राष्ट्रीय प्रतीकों—राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रचिह्न और राष्ट्रीय पशु-पक्षी के प्रति सम्मान की भावना।

1. **भारत एक भौगोलिक इकाई :** हमारा देश एक विशाल देश है। इसी कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता हैं ऐसे विशाल देश में भौगोलिक विविधता एक स्वाभाविक बात है। दुर्गम उच्च शिखर वाले पर्वतीय क्षेत्र, पठारी भाग, मैदानी भाग, रेगिस्तानी भाग आदि अनेक प्राकृतिक भू-रचना देखने को मिलती है। जलवायु की विविधता, आजीविका के साधनों की विविधता और रहन-सहन की विविधता। किंतु इन विभिन्नताओं के रहते हुए भी भारत एक भौगोलिक इकाई रहा है। यहाँ तक कि समय-समय पर अनेक राजनैतिक सत्ताओं में विभक्त रहने पर भी धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों, संस्कारों और आस्थाओं ने इसे एक सूत्र में बाँधे रखा। उत्तर के हिमालय, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के सागरों ने इसे एक भौगोलिक इकाई के रूप में सीमांकित किए रखा। जब भी हमारे शास्त्रों, महाकाव्यों आदि में भौगोलिक सीमा और विस्तार की बात हुई है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल तक भारत को एक भौगोलिक इकाई के रूप में वर्णित किया गया है।
2. **भारतीय संस्कृति :** भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह अविच्छिन्न रूप से सतत विकासशील और जीवंत बनी रही जबकि विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियाँ विलुप्त हो गईं। इस दीर्घकालीन और जीवंत परंपरा के मूल में सबसे बड़ा कारण इसकी समन्वयकारी सामासिक प्रवृत्ति रही है। विभिन्न विचारों और मतों के प्रति सहिष्णुता की भावना, उनके श्रेयस्कर तत्वों को अपने में समाहित कर लेने की भावना एवं क्षमता ने ही भारतीय संस्कृति को एक सामासिक संस्कृति के रूप में विकसित किया है। ऐतिहासिक कालक्रम में यहाँ अनेक जातियाँ आईं

और घुल-मिलकर एक होती चली गईं। वे सब भारतीयता के रंग में रंग गईं और इस प्रकार एक मिली-जुली साँझी या सामासिक संस्कृति का विकास होता गया। इसलिए अनेकता में एकता हमारी संस्कृति की विशिष्टता मानी जाती है। बाह्य रूप से अनेक धर्म, संप्रदाय, भाषा, रहन-सहन आदि के रहते हुए भी उनमें आंतरिक एकता बनी हुई है। इसे ही हम भावात्मक एकता भी कहते हैं क्योंकि भावात्मक एकता का अर्थ है धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि की बाहरी भिन्नता रहते हुए भी परस्पर प्रेम, सद्भाव और सौहार्द्र की भावना से जुड़े रहना। प्रत्यक्षतः भारत विविधता का देश है, किन्तु इस विविधता में सदा ही एकता परिलक्षित होती रही है। अनेक धर्म, संप्रदाय, भाषा, रीतिरिवाज, प्रथाएं आदि विद्यमान हैं, पर उनमें सद्भावना और एकता का सूत्र बना रहा। जिस प्रकार एक माला के अनेक मनके अलग-अलग शोभा बिखेरते हैं, पर भीतर एक संबंध-सूत्र उनको जोड़े रहता है, वैसे ही भारत की बाहरी अनेकरूपता में भावात्मक एकता का धागा पिरोया हुआ है।

3. **राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान :** राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना का विशेष महत्त्व है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रचिह्न किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्र सत्ता, राष्ट्र की शान और गौरव के चिह्न हैं। इनके संबंध में विस्तार से विद्यार्थियों को बताना चाहिए। इनके प्रयोग से संबंधित नियमों से उन्हें अवगत कराना चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर के परिरक्षण के प्रति सतर्क रहने की भावना विकसित करानी चाहिए। इस संबंध में उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करें कि इनका शिकार करना वर्जित है।

शैक्षणिक उपागम : यथाप्रसंग विद्यार्थियों को यह स्पष्ट कीजिए कि हमारे देश का साहित्य, चाहे वह उत्तर का हो या दक्षिण का, पूर्व का हो या पश्चिम का, भारतीय एकता और अखंडता का ज्वलंत प्रमाण है। हमारे देश में अनेक भाषाएँ हैं, किन्तु उनके साहित्य में चित्रित आदर्श और विचार बहुत कुछ समान रहे हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत के दो प्राचीनतम महाकाव्यों रामायण और महाभारत को लें। बाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या से कुमारी अंतरीप तक के सुविस्तृत भू-भाग को एक सद्भावना के सूत्र में, एक भौगोलिक इकाई में आबद्ध किया है। भारत की सभी भाषाओं में रामकाव्य का प्रणयन हुआ जो हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता का ज्वलंत उदाहरण है। व्यास ने "महाभारत" में संपूर्ण भारत को ही युद्धभूमि में एकत्र कर दिया है। कालिदास ने भावात्मक एवं सांस्कृतिक धरातल पर भारत की एकता प्रतिष्ठित की हैं। उनके सदियों बाद का भक्ति काव्य तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा की देन है। दक्षिण के महान संत और आचार्य रामानुज, विष्णुस्वामी, बल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निंबाकीचार्य आदि ने भक्ति संप्रदायों का प्रवर्त्तन किया और उनसे प्रेरित होकर उत्तर भारत के कवियों ने भक्ति काव्य की रचना को जनमानस तक पहुँचाया। यदि भारत की एकता का, उसकी सामासिक संस्कृति का कोई साहित्य सच्चे अर्थ में प्रतिनिधित्व करता है तो यह भक्ति साहित्य है। दक्षिण के आलवार भक्त, काशी के कबीर और तुलसी, मथुरा के सूर, राजस्थान की मीरा, सतारा के नामदेव, अहमदनगर के अरवे, आंध्र के वेमन्न, मलयालम के चेसशेरी, बंगला के चंडीदास, असमिया के माधव देव, गुजराती के मालण और प्रेमानंद, सभी की रचनाओं में भक्ति की धारा समान रूप से प्रवाहित हुई है। यह समानता हमारी आंतरिक एकता और अविच्छिन्नता का प्रमाण और हमारी राष्ट्रीय अखंडता की आधारशिला है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर भाषा की पाठ्यसामग्री पढ़ाते समय हमें यथाप्रसंग निम्नांकित बिन्दुओं पर भी बल देना चाहिए—

1. भारत का एक संविधान है, एक राष्ट्रचिह्न है,

एक राष्ट्रध्वज है, एक राष्ट्रगीत है, इनके प्रति सम्मान और निष्ठा रखने में हमारा गौरव है।

2. भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हम सभी इसके नागरिक हैं। हमें समानता का अधिकार है। समता के आधार पर हमारा समाज स्थापित है। धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा और क्षेत्रीयता हमें विलग नहीं कर सकती हैं। राष्ट्रहित हमारा सर्वोपरि धर्म और कर्त्तव्य है।
3. भारत एक भौगोलिक इकाई है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
4. भारत के किसी भी भाग की समृद्धि संपूर्ण भारत की समृद्धि है और किसी भी भाग की पीड़ा संपूर्ण भारत की पीड़ा है।
5. हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की विचारधारा प्रवाहित होती रही है। विभिन्न संप्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता आदि की विविधता उसमें बाधक नहीं रही है।
6. इस राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमें सदा कृतसंकल्प रहना चाहिए।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से संबंधित सभी पाठ राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्वों को उजागर करते हैं, उन पाठों की सहायता से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय दृष्टि विकसित करने का प्रयास करें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
☐ हमारी साहित्यिक परपंरा में राष्ट्रीय एकता और अखंडता किस प्रकार परिलक्षित होती रही है, इसे सोदाहरण समझाइए।	सामग्री चयन कीजिए तथा चर्चा कीजिए

16.1.4 सामासिक सांस्कृतिक धरोहर

भारत की सामासिक संस्कृति के संबंध में 16.1.3 में लिखा जा चुका है। उसका अवलोकन करें। भारत की इस गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा पर किसको गर्व नहीं होगा। सार्वभौमिक एवं शाश्वत मानवीय जीवन मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से है।

शैक्षणिक उपागम : कक्षा शिक्षण में यथाप्रसंग स्पष्ट कीजिए कि भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता रही है— उसकी समन्वयकारी और सामासिक प्रवृत्ति। अति प्राचीन आर्य एवं द्रविड़ सभ्यता काल में जो भारतीय संस्कृति फली-फूली वह इस देश में आने वाली अनेकानेक जातियों की संस्कृतियों को अपने में समेटती चली गई। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत को "महामानवता का सागर" कहा है और अपनी एक कविता में कहा है— "यहाँ आर्य हैं, यहाँ अनार्य हैं, यहाँ द्रविड़ हैं, चीनी हैं, शक, हूण, पठान, मुगल ये सभी एक देश रूपी शरीर में समाकर एकाकार हो गए हैं।" उन सभी की देन से यहाँ एक समन्वयात्मक सामासिक संस्कृति का विकास होता रहा। यह सामासिक संस्कृति विश्व की मानवता के लिए भारत की अपूर्व देन है। सामासिक का अर्थ है विभिन्न संस्कृतियों के मंगलमय मानवीय तत्वों का एक ऐसा मिला-जुला रूप, जिसमें वे तत्व अपनी अलग सत्ता खोकर एकरूप और एकाकार हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं।

बताइए कि इस विशाल देश में प्रादेशिक विविधताएँ भी बहुत हैं। वहाँ रहन-सहन के तरीके अलग-अलग हैं,

पर हमारे आदर्श और विश्वास इस प्रकार संयुक्त और संश्लिष्ट हैं कि बाहरी वेशभूषा, रीति-रिवाज, उत्सव, त्योहार आदि के भीतर वही आदर्श और विश्वास झाँकता रहता है। ऊपरी असमानताओं के बावजूद मूलतः भारतीय संस्कृति एक है।

यह सामासिक सांस्कृतिक धरोहर हमारी अमूल्य अक्षय निधि है। इसकी विकासशील धारा को अमिट बनाए रखने में हमारा कल्याण और गौरव है। इस महिमामयी सामासिक सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की भावना को भाषा और साहित्य की पाठ्य सामग्री के प्रभावपूर्ण शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों तक संप्रेषित करते रहने की आवश्यकता है।

सामासिक सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए परिषद् द्वारा प्रकाशित हिंदी पाठ्यपुस्तक के निम्नांकित पाठ द्रष्टव्य हैं—बाल भारती भाग-2—होली, भाग-3—ईद, भाग-4—कबीर, काबुलीवाला, किशोर भारती भाग-1—संत कवि तिरुवल्लुवर, गौश्रीनगर से श्रीनगर तक, फूलवालों की सैर, किशोर भारती भाग-2—भारतीयता, किशोर भारती भाग-3—इब्राहिम गार्दी।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ हमारी सामासिक संस्कृति ही भारत की विविधता म एकता का सुदृढ़ आधार है। इस कथन पर टिप्पणी लिखिए।	विश्लेषण और रचना कीजिए
❑ राष्ट्रध्वज के प्रयोग संबंधी नियमों की जानकारी भाषा एवं समाज विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से प्राप्त कीजिए और उन्हें लिखिए।	खोजिए और रचना कीजिए

16.1.5 लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और समतावाद

(क) **लोकतंत्र** :लोकतंत्र केवल एक राजनैतिक व्यवस्था नहीं है। वह ऐसा जीवन दर्शन और जीवन पद्धति है जो मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि सभी पक्षों को प्रभावित करती है। **सामाजिक** दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ है— धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग तथा वर्ग विशेष की भावना से ऊपर उठकर सभी नागरिकों को समान अधिकार और मर्यादा देना तथा सार्वजनिक हितों का सर्वदा ध्यान रखना। **आर्थिक दृष्टि से लोकतंत्र** का अर्थ है— शोषणविहीन आर्थिक व्यवस्था का विकास करना और सभी को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर देना। लोकतंत्र के सांस्कृतिक पक्ष का अर्थ है—उदात्त जीवन मूल्यों (सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम, सद्भाव आदि) को अपने चरित्र और आचरण में चरितार्थ करना।

लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत हैं— स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। वस्तुतः स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना के उदय से ही लोकतंत्र का उदय और विकास संभव हुआ। इन्हीं के आधार पर नागरिक अधिकार और कर्त्तव्य भी निर्धारित किए गए।

शैक्षणिक उपागम : शिक्षण प्रक्रिया में लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों और जीवन पद्धति की संकल्पना से विद्यार्थियों को यथाप्रसंग अवगत करते चलना चाहिए। सामाजिक सहयोग और सहभागिता पर आधारित क्रियाकलापों और घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। बाल सभाओं एवं परिषदों के निर्वाचन तथा गठन की प्रक्रिया द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति

को समझना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं, संगठनों एवं परिषदों जैसे— ग्राम पंचायत आदि की निर्वाचन प्रक्रिया को देखने का अवसर देना चाहिए। विद्यालय के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विद्यार्थियों में विकसित करनी चाहिए। "टीम भावना" इस सामूहिक उत्तरदायित्व के निर्वाह का आधार है, यह विद्यार्थियों को स्पष्ट करा देना चाहिए।

लोकतंत्र में व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक अनुशासन का आधार भी विद्यार्थियों को ज्ञात होना चाहिए। उन्हें यह बोध कराना चाहिए कि व्यक्ति स्वातंत्र्य का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता के साथ आत्मानुशासन और सामाजिक नियंत्रण भी आवश्यक है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होनी चाहिए। इसमें सामाजिक हित और सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। इसी प्रकार समानता और बंधुत्व की भावना भी विभिन्न शैक्षिक एवं सहशैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा विकसित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लोकतंत्र ऐसी मानवीय व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का समन्वित विकास और कल्याण निहित है। ऐसे राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों में चेतना जाग्रत करना, उसे आचरण में लाने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना शिक्षा का बहुत बड़ा दायित्व है। जीवन मूल्यों के स्पष्टीकरण में प्रश्नोत्तर विधि एवं यथाप्रसंग उचित उदाहरणों की भी मदद लेना उपयुक्त होगा।

(ख) **धर्म निरपेक्षता :** संविधान के अनुसार हमारा राष्ट्, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ है— सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय मामलों में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।

धर्मनिरपेक्षता के लिए यह आवश्यक है कि हम अन्य धर्मों के प्रति आदर और सहिष्णुता का भाव रखें। इसीलिए सर्वधर्म समभाव के आदर्श पर बल दिया गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, वह व्यक्ति का व्यक्तिगत धर्म है। लोकतंत्र में नागरिकों का सामूहिक धर्म भी होता है और वह है व्यक्तिगत धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म को मानना अर्थात् राष्ट्रहित और उसकी सुरक्षा के लिए समर्पण की भावना, राष्ट्रीय विकास में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करना, राष्ट्र को आंतरिक और बाह्य रूप से एकता के सूत्र में आबद्ध रखना। सच्चे अर्थों में यही धर्मनिरपेक्षता है।

शैक्षणिक उपागम : कक्षा में विभिन्न धर्म, संप्रदाय और जाति के विद्यार्थी पढ़ते हैं। शिक्षक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि किसी भी धर्म के प्रति श्रेष्ठता या हीनता का भाव प्रदर्शित न हो और यथाप्रसंग धार्मिक सद्भावना और सर्वधर्म समभाव पर बल दिया जाए। राष्ट्रहित ही सर्वोपरि धर्म है। इस राष्ट्रीय मूल के प्रति विद्यार्थियों में यथोचित भावना विकसित करनी चाहिए। इस दृष्टि से हमारे देश में सदियों से चली आ रही सामासिक संस्कृति के इतिहास की ओर विद्यार्थियों का ध्यान दिलाया जा सकता है।

परिषद् द्वारा निर्मित किशोर भारती भाग-3 में "इब्राहीम गार्दी" पाठ धर्मनिरपेक्षता का अच्छा उदाहरण है।

(ग) **समतावाद :** समानता के अधिकार का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। उनसे स्पष्ट है कि हमारे देश में समतामूलक समाज की स्थापना एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। सभी को समान रूप से मत प्रकाशन और मत प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। सभी नागरिक राज्य और कानून की दृष्टि में समान हैं। कानून की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से या समान संरक्षण से बंचित नहीं होगा। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान आदि के आधार पर राज्य न तो किसी नागरिक के विरूद्ध कोई विभेद करेगा और न इनके आधार पर किसी नागरिक को अयोग्य माना जाएगा।

आज समतामूलक समाज के राष्ट्रीय मूल्य की भावना विद्यार्थियों में जाग्रत और विकसित करने की अत्यंत आवश्यकता है। इससे उनमें श्रेष्ठ और हीन, ऊँच और नीच आदि की भावना दूर होगी और सभी के साथ समान तथा सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार करने का संस्कार विकसित होगा।

शैक्षणिक उपागम : शिक्षण प्रक्रिया में समतामूलक समाज की संकल्पना स्पष्ट करने के लिए आज की सामाजिक विषमता के दुष्प्रभावों की ओर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान द्वारा राष्ट्र हित की भावनाओं को विकसित करना आज की बुनियादी आवश्यकता है, यह चेतना विद्यार्थियों में जगाइए। इस प्रक्रिया में प्रश्नोत्तर विधि एवं उचित उदाहरणों की सहायता लेना आवश्यक है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ भारत में लोकतंत्र पर अपने विचार दो सौ शब्दों में लिखिए।	रचना कीजिए
❑ अपने विद्यार्थियों में सर्वधर्म समभाव की भावना विकसित करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे?	चर्चा कीजिए
❑ दुर्बल एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को समतामूलक समाज में उचित प्रतिष्ठा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।	उदाहरण सहित चर्चा कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ विषयों को विद्यालयी पाठ्यचर्या में अनिवार्यतः स्थान देने की संस्तुति की गई है। इन विषयों को केंद्रिक घटक की संज्ञा दी गई है। ये केन्द्रिक घटक हैं—
   (1) भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास (2) संवैधानिक दायित्व (3) राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान और उसका पोषण करने वाली आवश्यक विषयवस्तु (4) भारत की सामासिक सांस्कृतिक विरासत (5) लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समतावाद (6) स्त्री-पुरुष समानता (7) पर्यावरण संरक्षण (8) सामाजिक अवरोधों को दूर करना (9) लघु परिवार की मान्यता (10) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इनमें से इस कैप्सूल (16.1) में प्रथम पाँच केन्द्रिक घटकों पर विचार किया गया है।
2. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हमारी देशभक्ति, त्याग, बलिदान और संघर्ष की अदम्य संकल्पशक्ति का द्योतक है। अतः इन जीवन मूल्यों से हमें प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। इसका इतिहास हमारी राष्ट्रीय एकता का परिचायक है। उसके प्रमुख प्रसंगों का परिचय विद्यार्थियों को होना चाहिए, यथा— 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व गांधीजी के हाथ में, असहयोग आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, सन् 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता की प्राप्ति आदि।
3. संवैधानिक दायित्व के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकार, कर्त्तव्य और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया हैं इनसे अवगत होकर ही हम राष्ट्रीय अभ्युत्थान के कार्यों में यथाशक्ति सहयोग दे सकेंगे।
4. राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान के लिए हमें यह जानना चाहिए कि भारत एक भौगोलिक इकाई है। भारतीय संस्कृति के मूल में समन्वयकारी सामासिक प्रवृत्ति रही है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने में ही देश का कल्याण और

विकास निहित है। राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना भी आवश्यक है।

5. सामासिक सांस्कृतिक धरोहर का अर्थ है— विविधता में एकता—अर्थात् विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों आदि की विविधता रहते हुए भी उनमें एकता और सद्भावना का बने रहना। सामासिकता का अर्थ है विभिन्न संस्कृतियों के श्रेयस्कर मानवीय तत्वों का मिला-जुला एक संश्लिष्ट रूप। यह सामासिक सांस्कृतिक धरोहर हमारी अमूल्य निधि है, जिससे भारतीय जीवन सदा पुष्पित और पल्लवित होता रहा है। इसके संरक्षण की भावना विद्यार्थियों में विकसित करना हमारी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

6. लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समतावाद हमारे संविधान के मूल आधार हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विशेष महत्त्व है। हमें इसका आशय विद्यार्थियों को विस्तार से स्पष्ट करना चाहिए जिससे वे एक योग्य नागरिक बन सकें। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है— सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय मामलों में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा, पर प्रत्येक नागरिक को अपने-अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता बनी रहेगी। समतावाद का अर्थ है— सभी नागरिकों को विकास का समान अवसर प्रदान करना। समतामूलक समाज में धर्म, जाति, वंश, संपत्ति आदि के आधार पर न तो कोई श्रेष्ठ है और न कोई हीन, न कोई ऊंच है और न कोई नीच। सभी नागरिक समान हैं।

मूल्यांकन

1. केंद्रिक घटक से क्या तात्पर्य है? विद्यालयी पाठ्यचर्या में किन केंद्रिक घटकों को अनिवार्य रूप से स्थान दिया गया है?
2. स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से हमें किन राष्ट्रीय आदर्शों और जीवन मूल्यों की शिक्षा मिलती है?
3. हमारे संविधान में नागरिक कर्त्तव्य के रूप में किन दायित्वों का उल्लेख किया गया है?
4. राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान के लिए किन-किन बातों की जानकारी आवश्यक है?
5. सामासिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है? हमारी सामासिक संस्कृति राष्ट्रीय एकता के पोषण में किस प्रकार सहायक है?
6. लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं?
7. धर्मनिरपेक्षता और धर्म की स्वतंत्रता के विचारों में क्या अंतर है, स्पष्ट करें।
8. समतामूलक समाज में किस प्रकार की सामाजिक रचना की अपेक्षा की जाती है?
9. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (क) राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान
   (ख) विविधता में एकता
   (ग) "अंग्रेजों! भारत छोड़ो" आंदोलन

कैप्सूल 16.2
सामाजिक परिवेश से संबंधित केंद्रिक घटक
(स्त्री-पुरुष समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक अवरोधों को दूर करना, लघु परिवार की मान्यता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास)

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. स्त्री-पुरुष की समानता की संकल्पना को समझते हुए नारी के प्रति उचित सम्मान की भावना रख सकेंगे और उन सभी कुप्रथाओं के त्याग के लिए तत्पर रहेंगे जिनसे नारी के आत्म सम्मान पर आँच आती हो।
2. जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों में नारी को समान अवसर देने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रह सकेंगे।
3. पर्यावरण प्रदूषण के कारणों को जान सकेंगे और उन्हें दूर कर पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों में अपना सहयोग दे सकेंगे।
4. सामाजिक विकास में अवरोधक तत्वों की जानकारी हासिल कर सकेंगे और उन्हें हटाकर सामाजिक विकास में अपना योगदान दे सकेंगे।
5. जनसंख्या वृद्धि से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत हो सकेंगे और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता को अनुभव कर सकेंगे।
6. वैज्ञानिक दृष्टि की संकल्पना को समझ सकेंगे।
7. जिज्ञासा, सूक्ष्म प्रेक्षणशक्ति, तथ्यों की छानबीन, तर्क, प्रयोग और विश्लेषण के आधार पर उचित निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास कर सकेंगे।

16.2.1 स्त्री-पुरुष समानता

स्त्री-पुरुष समानता के अभाव में समतामूलक समाज की संकल्पना ही निरर्थक हो जाती है। हमारे संविधान में स्त्री-पुरुष दोनों को हर दृष्टि से समान समझा गया है, साथ ही उन सभी प्रथाओं के त्याग की बात कही गई है जिनसे नारी के आत्म सम्मान पर आँच आती हो। यह सर्वमान्य तथ्य है कि हमारी पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय संरचना नर-नारी दोनों के परस्पर सहयोग और सहभागिता पर ही निर्भर है। पारिवारिक व्यवस्था का तो पूरा उत्तरदायित्व ही नारी पर रहता है। मानव समाज की रचना में दोनों का समान योगदान है। यह सब होते हुए भी हमारा समाज पुरुष को श्रेष्ठ और नारी को हीन मानता है।

हमारा वैदिककालीन इतिहास इस देश में नर-नारी समानता का एक उज्जवल उदाहरण है। उस समय समाज में नारी का स्थान बहुत ऊँचा था। परदे की प्रथा नहीं थी। उनके लिए शिक्षा के द्वार खुले थे। अनेक स्त्रियाँ ऋषि-पद पर प्रतिष्ठित थीं। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा आदि विदुषी नारियों के नाम ग्रंथों में मंत्रद्रष्टा के रूप में आते हैं। वे शास्त्रार्थों में खुलकर भाग लेती थीं, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हाथ बँटाती थीं तथा युद्ध में भाग लेती थीं। विवाह के मामले में उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। विधवा विवाह का निषेध नहीं था। सती प्रथा का तो कहीं नाम भी नहीं था। परिवार में स्त्री का बहुत सम्मान था। वह यज्ञ करती थी, दान देती थी। यज्ञ में पति के साथ पत्नी के बैठे बिना यज्ञ पूरा नहीं माना जाता था। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं।

कालांतर में यह स्थिति नहीं रही। सामान्यतः नारी का शिक्षा से संबंध कटता गया। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक जीवन से वह दूर हटती गई। सार्वजनिक कार्यों से हटकर उसका जीवन घरेलू काम-काज में ही बीतने लगा। चूल्हा-चक्की, बच्चों का पालन-पोषण तथा घर के भीतर के सारे काम-काज की देखभाल उसका कर्त्तव्य मान लिया गया। आजीविका की दृष्टि से वह पूर्णतः पति पर निर्भर

रहने लगी। शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पराश्रित हो जाने के कारण धीरे-धीरे समाज में उसका स्थान हीन होता चला गया।

आज उस स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अब भारत में स्त्री-पुरुष को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। आज नारी शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय तथा गैर-राजकीय सेवाओं के क्षेत्र में, व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में, कला, शिल्प और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उसने अपनी प्रतिभा का परिचय देकर सिद्ध कर दिया है कि अवसर मिलने पर वह पुरुष के समान ही सभी कार्य क्षेत्रों में उन्नति कर सकती है। सैद्धांतिक और वैचारिक दृष्टि से स्त्री-पुरुष में समानता सर्वस्वीकृत और सर्वमान्य है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इस समानता को यथार्थ रूप देने के लिए अभी और प्रयास अपेक्षित हैं। अभी नारी को वास्तविक रूप से उचित सम्मान नहीं मिलता है। उसे आजीविका की दृष्टि से आत्मनिर्भर होना है। लड़की को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास के प्रति लड़के की ही भांति सचेत और सचेष्ट होना है। दहेज का तो पूर्णरूप से उन्मूलन करना है। साथ ही नारी के मन से आत्महीनता का भाव दूर करके उसमें आत्म सम्मान का भाव पैदा करना है जिससे वह अपने मानवोचित अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। तभी स्त्री-पुरुष की समानता का विचार साकार हो सकेगा।

शैक्षणिक उपागम : नर-नारी समानता का एक पक्ष शिक्षण कार्य में नारी शक्ति और सामर्थ्य को उजागर करना है। यथाप्रसंग स्पष्ट कीजिए कि अवसर मिलने पर सभी कार्य क्षेत्रों में नारी सफलता प्राप्त कर सकती है। अनेक विदुषियों और वीरांगनाओं के उदाहरण इसके प्रमाण हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्मित हिंदी पाठ्यपुस्तकों में प्रसिद्ध भारतीय महिलाओं की जीवनियाँ दी गई हैं। उन्हें पढ़ाते समय नारी की कुशाग्र बुद्धि, साहस, देश-प्रेम आदि गुणों पर प्रकाश डालिए।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए परिषद् द्वारा निर्मित हिंदी पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित पाठ नारी शक्ति एवं सामर्थ्य के संदर्भ में देखिए बाल भारती भाग-3 रूपा, बाल भारती भाग-4 भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, बाल भारती भाग-5 झाँसी की रानी, किशोर भारती भाग-1 खेल जगत की उड़नपरी, किशोर भारती भाग-3 अमृता शेरगिल।

अभ्यास कार्य	**निर्देश**
❑ वर्तमान भारतीय समाज में स्त्री-पुरुष की असमानता किन बातों में देखी जाती है?	तुलना और विश्लेषण कीजिए
❑ स्त्री-पुरुष समानता के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं?	चर्चा कीजिए

16.2.2 पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण संरक्षण केवल भारत के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। पर्यावरण का प्राकृतिक स्वरूप दिनोदिन बिगड़ता जा रहा है। उसकी स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसकी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण (वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण) की समस्या गंभीर होती जा रही है। इन प्रदूषणों के अनेक कारण हैं, किन्तु सर्व प्रमुख कारण हैं—जनसंख्या की अतिशय वृद्धि, औद्योगिक

विकास के बढ़ते चरण तथा गंदगी दूर करने के पर्याप्त साधनों का अभाव।

शैक्षणिक उपागम : विद्यार्थियों को स्पष्ट कीजिए कि जनसंख्या विस्फोट के कारण खेती के लिए कृषि भूमि की आवश्यकता बढ़ती गई और इसके लिए हरे-भरे वनों से आच्छादित भूमि कृषि के काम में लाई जाने लगी। वन धुआँधार कटते चले गए। जब जनसंख्या वृद्धि के कारण इमारती तथा अन्य प्रकार की लकड़ी जुटाना आवश्यक हो गया तो जंगलों के वृक्ष कटने लगे और वनों से आच्छादित, अनेक हरी-भरी पर्वतमालाएँ आज सूखी तथा नग्न चट्टान के रूप में खड़ी हैं, मैदानी भागों के जंगल कटकर खेत बनते जा रहे हैं। वनों और वृक्षों के कटते जाने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। उनके न रहने से एक ओर अनावृष्टि तथा भू-स्खलन की समस्या उत्पन्न हो गई है तो दूसरी ओर वायुमंडल में प्राणवायु की कमी हो रही है और कार्बनडाईऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। वर्षा के अभाव के कारण ताल, तलैया, झील, नदियाँ आदि जलस्रोत भी सूखते जा रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट से जल प्रदूषण की समस्या भी विकट रूप धारण कर रही है। तीव्रगति से होने वाले औद्योगिक विकास ने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को चिंताजनक स्थिति तक पहुँचा दिया है। नदियों के किनारे बसे हुए औद्योगिक नगरों के कल-कारखानों का कूड़ा-कचरा नदियों में गिरता है। इससे नदियों का जल प्रदूषित होता है। उनकी चिमनियों का धुआँ वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। औद्योगिक नगरों की जनसंख्या इतनी बढ़ी है कि वहाँ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। यातायात के यांत्रिक साधनों—रेल, मोटर, ट्रक आदि के पैट्रोल और धुएँ भी वायु प्रदूषण को हर समय बढ़ा रहे हैं।

नगरों में वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। सड़कों पर दिन-रात दौड़ने वाली गाड़ियों की घरघराहट और भौंपू की आवाजें इतनी तेज होती हैं कि कानों के परदे फटने की आशंका बनी रहती है। लाउडस्पीकरों की आवाजें इन्हें और भी बढ़ा देते हैं।

पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है—वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा। इसका सबसे बड़ा साधन है वनों की रक्षा, वन्य प्राणियों की रक्षा, अधिकाधिक वृक्षारोपण, वनस्पति जगत को हरा-भरा बनाए रखना। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है, जैसे—खनिज, तेल, जल और वनों का अत्यन्त नियंत्रित उपयोग, वृक्षारोपण एवं अधिकाधिक वनों की पुनः वृद्धि, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों—सौर ऊर्जा, वायु और जल ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग।

उपर्युक्त विचार विद्यार्थियों में प्रारंभ से ही विकसित करना चाहिए। उनमें स्वच्छता की आदत डालनी चाहिए। वे गंदगी न फैलाएं, कूड़े-कचरे को इधर-उधर न फेंकें, उनके लिए बने स्थानों पर ही कूड़े को डालें। वायु और जल की शुद्धता का महत्त्व समझें और उन्हें स्वच्छ बनाए रखने के लिए यथासंभव प्रयास करें।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए परिषद् द्वारा प्रकाशित हिंदी पाठ्यपुस्तकों के निम्नांकित पाठ पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान देने योग्य हैं—बाल भारती भाग-2 में आओ बगीचा लगाएं, आम का पेड़, बाल भारती भाग-3 में नीम, गुलमोहर, बाल भारती भाग-4 में शालीमार, निशात, किशोर भारती भाग-2 में प्रदूषण, वन हमारी अमूल्य संपदा और पूरक पाठ्यपुस्तक जीवन और विज्ञान में पौधे और प्राणी। इन पाठों में समाहित विचारों के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना जगाने के प्रयास करें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ पर्यावरण सुरक्षा आज हमारे देश के लिए गंभीर समस्या क्यों बन गई है?	तर्क और विश्लेषण कीजिए
❑ पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिएँ? टिप्पणी लिखिए।	रचना कीजिए
❑ पर्यावरण से संबंधित पाठ्य-सामग्री अपनी पाठ्यपुस्तकों से चुनिए और उन पर टिप्पणी लिखिए।	चयन कीजिए और रचना कीजिए

16.2.3 सामाजिक प्रगति में बाधक तत्वों का निराकरण

सामाजिक विकास का अर्थ है, समाज की शैक्षिक, आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रगति। निस्संदेह ही स्वतंत्रता के वाद इन दिशाओं में यथेष्ठ प्रगति हुई है किन्तु ऐसे अनेक बाधक तत्व हैं जो इस विकास की गति में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, यथा—

क. साम्प्रदायिक एवं जातिगत कलह और विद्वेष, अस्पृश्यता, आर्थिक विषमता तथा ऊँच-नीच का भेदभाव।

ख. सामाजिक कुप्रथाएँ, लड़की-लड़के में असमानता, बाल-विवाह, दहेज प्रथा आदि।

ग. रूढ़ियाँ एवं अंधविश्वास।

क. सांप्रदायिक एवं जातिगत कलह : यह समस्या हमारे सामाजिक विकास में बाधक बन जाती है। ऐसे विघटनकारी तत्वों का जो साम्प्रदायिक एवं जातिगत कलह को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं निराकरण आवश्यक हैं। साम्प्रदायिक सद्भावना, धार्मिक सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव आदि के द्वारा ये बाधाएँ दूर की जा सकती हैं। शिक्षा के द्वारा हमें सभी भारतवासियों में एकता, राष्ट्र प्रेम और सर्वधर्म समभाव की मनोवृत्ति विकसित करनी चाहिए। हम सब में यह चेतना जागृत होनी चाहिए कि राष्ट्रहित और सार्वजनिक हित व्यक्तिगत या वर्गगत हित से ऊपर है।

आर्थिक विषमता सामाजिक विकास में एक बड़ा अवरोधक तत्व है। इससे धनी-निर्धन, शोषक-शोषित का वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है और समाज में अशांति, उथल-पुथल की स्थिति बनी रहती है। फलतः सामाजिक विकास के कार्य रुक जाते हैं। अतः आर्थिक विषमता जितनी जल्दी दूर की जा सके उतनी ही जल्दी सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

समाज में जातिगत विद्वेष और जाति के आधार पर ऊंच-नीच की भावना भी सामाजिक प्रगति में बाधक तत्व है। संविधान के अनुसार हमारे समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। किन्तु अभी भी हम इसे अपने मन से नहीं निकाल पाए हैं और इस कारण सामाजिक- विघटन की आशंका बनी रहती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा द्वारा इस संकीर्ण भावना को मिटाकर ही सामाजिक विकास का पथ प्रशस्त किया जा सकता है।

ख. सामाजिक कुप्रथाएँ : हमारे समाज में प्रचलित कुप्रथाएँ भी सामाजिक प्रगति में बाधक हैं, जैसे— लड़की-लड़के में भेदभाव, दहेज, बाल-विवाह आदि। इस संबंध में नर-नारी समानता के प्रसंग में लिखा जा चुका है। बाल विवाह अभी भी प्रचलित हैं, यद्यपि वह कानूनन अपराध है। सती प्रथा का पूर्ण उन्मूलन हो चुका है।

फिर भी एकाध घटना हो ही जाती है। इन कुप्रथाओं को दूर करके हम सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

जनसंख्या वृद्धि के कारण भी सामाजिक प्रगति में बाधा पड़ती है। हमारे देश में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सामाजिक विकास के लिए किए गए प्रयास बहुत ही अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। अतः, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन अत्यंत आवश्यक हैं।

ग. **रूढ़ियाँ एवं अंधविश्वास :** हमारे समाज में अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ एवं अंधविश्वास प्रचलित हैं जो सामाजिक विकास में बाधक होते हैं। शिक्षा द्वारा लोगों में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करके हम इन अंधविश्वासों से मुक्ति पा सकते हैं।

बिना समझे-बूझे, उचित-अनुचित का विचार किए बिना और तर्क की कसौटी पर कसे बिना ही पूर्व प्रचलित प्रथाओं को मान लेना, अंधविश्वास कहलाता है। ऐसे अंधविश्वासों की संख्या बहुत है, जैसे— शुभ-अशुभ मुहूर्त, शकुन-अपशकुन, झाड़-फूंक, गंडा, ताबीज द्वारा इलाज, आदि।

शैक्षणिक उपागम : सामाजिक प्रगति में अवरोधक इन तत्वों के निराकरण के लिए आवश्यक है कि—

1. विद्यार्थियों को इस प्रकार शिक्षित और जाग्रत किया जाए कि धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव की भावना उनके मन में न उठे।
2. विद्यार्थियों को सही जानकारी देकर अंधविश्वासों को दूर किया जाए और उनमें वैज्ञानिक दृष्टि पैदा की जाए।
3. विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा किया जाए ताकि वे प्रचलित अंधविश्वासों के विरुद्ध कदम उठाने का साहस कर सकें। उन्हें ऐसे अवसर दिए जाएँ कि वे स्वयं अनुभव करके देखें कि अंधविश्वास कितने निराधार हैं। यह ध्यान रहे कि उनका अनुभव और निष्कर्ष एक-दो प्रयोगों पर आधारित न होकर अनेक परिस्थितियों और प्रयोगों पर आधारित हो। जब ये अंधविश्वास व्यर्थ और झूठे सिद्ध होंगे तभी वे इनके फेर में नहीं पड़ेंगे।
4. समाज तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं अंधविश्वासों से बचें और साथ-साथ समाज के अन्य सदस्यों को भी अंधविश्वासों से दूर रहने की प्रेरणा दें।

उपर्युक्त समस्याओं के संदर्भ में किशोर भारती भाग-1 में "फूलवालों की सैर", किशोर भारती भाग-2 में "लड़की", "लाल अंगारों की मुस्कान", किशोर भारती भाग-3 में "चिकित्सा का चक्कर" तथा कक्षा आठ की पूरक पाठ्यपुस्तक जीवन और विज्ञान में "अंधविश्वास से बचिए" पाठ देखिए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ आर्थिक विषमता हमारे विकास में किस प्रकार बाधक है? तर्क प्रस्तुत कीजिए।	तर्क और विश्लेषण कीजिए
❑ कुछ प्रचलित अंधविश्वासों की सूची बनाइए और किन्हीं दो पर अपने अनुभव लिखिए।	एकत्रीकरण और रचना कीजिए।

16.2.4 लघु परिवार की मान्यता

पर्यावरण प्रदूषण के प्रसंग में अतिशय जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की ओर संकेत किया गया है। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमारे राष्ट्रीय विकास की गति अवरुद्ध

कर दी है। यह जनसंख्या वृद्धि ही हमारी निर्धनता, अशिक्षा, बीमारी और हर जगह भीड़-भाड़ का प्रमुख कारण है। इस वृद्धि से परिवार तथा समाज में तनाव और कलह बढ़ता है। पर्यावरण प्रदूषण का तो एक बहुत बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि ही है। अतः जनसंख्या की इस बढ़ती हुई गति को रोकना हमारी प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण लघु परिवार की मान्यता एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है।

शैक्षणिक उपागम : विद्यार्थियों को स्पष्ट कीजिए कि पिछले दशकों में जनसंख्या इतनी तीव्रगति से बढ़ी है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होने वाले आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और शैक्षिक विकास अधूरे ही रह जाते हैं। कृषि उत्पादन में कई गुनी वृद्धि हुई पर वह पूरी आबादी का पेट भरने के लिए काफी नहीं। वस्त्र-उद्योग बहुत बढ़ा है, पर सबका तन ढकने के लिए पूरा नहीं पड़ता। आवासीय व्यवस्था का इतना विकास हुआ पर सबके लिए मकान नहीं। अस्पतालों की संख्या कई गुनी बढ़ी पर रोगियों की संख्या उनके मुकाबले कहीं बढ़कर है। इसी प्रकार विद्यालयों की संख्या में कई गुनी वृद्धि हुई पर सभी को उसमें प्रवेश मिलना कठिन है। एक ओर इतना विकास और दूसरी ओर अभाव ही अभाव। यह स्पष्ट है कि विकास की गति कितनी ही तीव्र क्यों न हो पर वर्तमान गति से बढ़ने वाली जनसंख्या के कारण हम देशवासियों की आवश्कताओं की पूर्ति कभी नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं कि देश के प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, चाहे वह कृषि योग्य भूमि हो, वन संपदा हो, खजिन पदार्थ हो, जल स्रोत हों। अतः इनके अनुसार ही हमें अपनी जनसंख्या सीमित करनी होगी अन्यथा हम निर्धनता के शिकार बने रहेंगे। इस कारण लघु परिवार की मान्यता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। परिवार की संपन्नता, सुख-समृद्धि और सुसभ्य जीवन स्तर लघु परिवार द्वारा ही संभव है। लघु परिवारों से जनसंख्या वृद्धि रुकेगी और देश में प्रगति आएगी।

लघु परिवार की मान्यता के प्रति विद्यार्थियों में उचित जागरुकता पैदा करना हमारी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। इसी दृष्टि से इस विषय को पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कक्षा आठ की पाठ्यपुस्तक 'किशोर भारती' में जनसंख्या शिक्षा से संबंधित "एक दूना दो, दो दूना चार" जैसी पाठ्य सामग्री की सहायता से जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्याओं की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करें और लघु परिवार की मान्यता की अवधारणा उनके मन में सुदृढ़ करने का प्रयास करें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ "लघु-परिवार" हमारे जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अत्यन्त आवश्यक क्यों है?	चर्चा कीजिए
❑ जनसंख्या वृद्धि हमारे राष्ट्रीय विकास में बहुत बड़ी बाधा है। इस विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित कीजिए।	आयोजन कीजिए

16.2.5 वैज्ञानिक दृष्टि का विकास

वैज्ञानिक दृष्टि का अभिप्राय है किसी बात, घटना या विचार को तर्क और प्रयोग की कसौटी पर कसना और सही या प्रामाणिक सिद्ध होने पर ही उसे स्वीकार करना। किसी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि आवश्यक है।

वैज्ञानिक दृष्टि के अभाव में अनेक अंधविश्वास जन्म लेते हैं और समाज में प्रचलित हो जाते हैं। अतः शिक्षा

द्वारा बालकों में स्वयं विचार करने और क़िसी बात के औचित्य और अनौचित्य पर तर्क करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि हमें अंधविश्वासों, विकृत रूढ़ियों, परम्पराओं, तर्कहीन तथा दकियानूसी विचारों, पाखंडों और कर्मकांडों से बचाती है। वैज्ञानिक दृष्टि हमें उदात्त बनाती है। दूसरों के मत और विचार सुनने, उन पर चिंतन तथा उचित बातों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करती है। किसी घटना या सिद्धांत के कार्य-कारण संबंधों को खोजना और पता लगाना वैज्ञानिक दृष्टि से ही संभव है।

मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में वैज्ञानिक दृष्टि का सबसे बड़ा योगदान है। आज हमारी भौतिक प्रगति वैज्ञानिक दृष्टि के कारण ही संभव हो सकी है। अन्वेषणों, अनुसंधानों और आविष्कारों के द्वारा ही आदिम युग का मानव आज के युग में पहुँच सका है।

शैक्षणिक उपागम : विद्यार्थियों को बताइए कि हमारे देश में प्राचीन काल में किसी बात, विचार या सिद्धांत की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए शास्त्रार्थ की परंपरा थी। यह वैज्ञानिक दृष्टि का ही एक रूप था। वैज्ञानिक किसी विचार या सिद्धांत के पक्ष-विपक्ष में अपना मत और तर्क प्रस्तुत करते थे, एक-दूसरे के मत का खंडन या मंडन करते थे और फिर सही निष्कर्ष पर सहमति प्रकट करते थे। शास्त्रार्थ में हार-जीत का महत्त्व नहीं रहता था अपितु सत्य को जानने की अभिलाषा रहती थी। यही वैज्ञानिक दृष्टि का आधार है।

वैज्ञानिक दृष्टि के विकास के लिए विद्यार्थियों में सूक्ष्म प्रेक्षण शक्ति विकसित करनी चाहिए। किसी समस्या के समाधान के लिए वे भली-भांति तथ्यों की छानबीन करना सीखें, तत्संबंधी आंकड़े इकट्ठे करें और उनका विश्लेषण करें। इस विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना सीखें। अनेक बार इस तरह की प्रक्रिया के बाद वही निष्कर्ष प्राप्त हो तो नियम या सिद्धांत स्थिर करें। यह प्रवृत्ति ही उनमें वैज्ञानिक दृष्टि उत्पन्न कर सकेगी।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए परिषद् द्वारा हिंदी पाठ्यपुस्तकों में वैज्ञानिक दृष्टि के विकास के लिए निम्नांकित पाठ ध्यान देने योग्य हैं— कक्षा 2 बाल भारती भाग-2 बादल, कक्षा 3 बाल भारती भाग-3 मलेरिया, एडीसन, कक्षा 4 बाल भारती भाग-4 डॉ. विश्वेश्वरैया, कक्षा 5 बाल भारती भाग-5 मैडम क्यूरी, जगदीश चंद्र बसु, कक्षा 6 किशोर भारती भाग-1 रक्त और हमारा शरीर, कक्षा 7 किशोर भारती भाग-2 श्रीहरिकोटा, विक्रम साराभाई, कक्षा 8 की पूरक पाठ्यपुस्तक जीवन और विज्ञान के सभी पाठ।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ सामाजिक विकास की दृष्टि से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास आवश्यक है। (इस विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित कीजिए।)	आयोजन कीजिए
❑ विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टि कैसे विकसित करेंगे? सोदाहरण कार्य योजना प्रस्तुत कीजिए।	कार्य योजना बनाइए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. हमारे संविधान में स्त्री-पुरुष दोनों को हर दृष्टि से समान समझा गया है। साथ ही उन सभी प्रथाओं के त्याग की बात कही गई है जिनसे नारी आत्मसम्मान पर आंच आती हो। इस विचार को अमल में लाने

का अर्थ है शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों में स्त्री को पुरुष के ही समान अवसर देना। इसके लिए यह आवश्यक है कि बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर विशेष ध्यान दें जिससे वे आगे जीवन के विविध क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दे सकें।

2. पर्यावरण संरक्षण आज हमारे देश के लिए एक गंभीर समस्या है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि से पूरा पर्यावरण ही प्रदूषित हो गया है। अतः पर्यावरण सुरक्षा के लिए वनों की रक्षा करना, अधिकाधिक वृक्षारोपण, जलाशयों, नदियों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना, उद्योगों के कारण निकले कूड़े-कचरे और धुएं से वातावरण को बचाना, किसी प्रकार की गंदगी न फैलने देना अति आवश्यक हो गया है।

3. सामाजिक विकास में अवरोधक तत्व हैं—सांप्रदायिक एवं जातिगत भेदभाव और कलह, ऊँच-नीच की भावना, आर्थिक विषमता, सामाजिक कुप्रथाएँ, विकृत रूढ़ियाँ और अंधविश्वास। इनके निराकरण से ही समाज की प्रगति संभव है। हमें इन अवरोधक तत्वों के निराकरण के लिए संभव प्रयास करना चाहिए।

4. लघु परिवार हमारे राष्ट्रीय विकास का एक आवश्यक साधन है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण हमारे विकास के सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं। हमारी प्राकृतिक संपदा सीमित है पर बढ़ती हुई जनसंख्या असीमित है। अतः हम निर्धनता, अशिक्षा और बीमारी के साथ-साथ विकास के क्षेत्रों में पिछड़ेपन के शिकार होते जा रहे हैं। हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लघु परिवार एवं परिवार नियोजन पर बल देना है। तभी हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठ सकेगा और हमारा देश सुख-समृद्धि की ओर बढ़ सकेगा।

5. वैज्ञानिक दृष्टि का विकास हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय विकास का आधार है। इस विकास के कारण सामाजिक कुप्रथाएँ, विकृत रूढ़ियाँ और अंधविश्वास अपने आप दूर हो जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास से जीवन के हर क्षेत्र में स्वस्थ चिंतन और विचार की क्षमता का विकास होगा, नवाचार, अन्वेषण और आविष्कार के क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ सकेगा।

मूल्यांकन

1. नर-नारी समानता के लिए स्त्री-शिक्षा का प्रसार क्यों आवश्यक है?
2. स्त्री-पुरुष समानता हमारे पारिवारिक और सामाजिक विकास का आधार है। अपने विचार प्रकट कीजिए।
3. "पर्यावरण-प्रदूषण जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम है।" इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं?
4. पर्यावरण संरक्षण के लिए किन-किन उपायों पर जोर देने की आवश्यकता है?
5. "अंधविश्वासों से बचिए" विषय पर संक्षिप्त निबंध लिखिए।
6. "परिवार नियोजन हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक अवलंबन है" इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए।
7. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या तात्पर्य है? विद्यार्थियों में इसके विकास के लिए क्या विधि अपनाएंगे?
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें पूर्वाग्रहों और मिथ्या विश्वासों से मुक्त करता है। सिद्ध कीजिए।

मॉड्यूल–17

मातृभाषा शिक्षण में शैक्षणिक सामग्री

17.0 प्रस्तावना

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। मोटे तौर पर कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त सामग्री को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहले वर्ग में वह सामग्री आती है, जिसका शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों ही नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे—पाठ्यपुस्तक, पूरक पुस्तक तथा अभ्यास-पुस्तिका (विशेषतः प्राथमिक स्तर पर)। वस्तुतः इस प्रकार की सामग्री शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को ही इसके प्रयोग की आवश्यकता होती है।

दूसरे वर्ग में वह सामग्री आती है जो कक्षा में प्रस्तुत विषयवस्तु को विद्यार्थियों के लिए सुस्पष्ट, सुबोध, सुग्राह्य एवं सजीव बनाने में शिक्षक की सहायता करती है। इसके अंतर्गत श्यामपट्ट, चार्ट, चित्र, मॉडल जैसे—पारंपरिक उपकरण तथा स्लाइड, पारदर्शी चित्र, टेप (कैसेट) जैसे आधुनिक उपकरण और रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र जैसे जनसंचार माध्यम आते हैं।

पहले वर्ग की सामग्री केंद्रिक अथवा मूलभूत सामग्री कहलाती है तथा दूसरे वर्ग की सामग्री सहायक अथवा उत्प्रेरक सामग्री। प्रचलित शब्दावली में पहले वर्ग की सामग्री को शैक्षणिक सामग्री कहा जाता है तथा दूसरे वर्ग की सामग्री को सहायक सामग्री अथवा शैक्षणिक उपकरण कहा जाता है। किंतु बहुधा इन दोनों पदों के प्रयोग में यह अंतर नहीं रखा जाता है। प्रायः दोनों वर्ग की सामग्री को शिक्षण/शैक्षणिक सामग्री कह देते हैं। किंतु यहाँ स्पष्टता एवं सुनिश्चितता की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक, पूरक पुस्तक आदि को शैक्षणिक सामग्री तथा श्यामपट्ट, चार्ट, चित्र, स्लाइड, पारदर्शी चित्र, टेप (कैसेट) आदि को शैक्षणिक उपकरण कहा गया है।

प्रस्तुत मॉड्यूल शैक्षणिक सामग्री अर्थात् पाठ्यपुस्तक, पूरक पुस्तक, अभ्यास-पुस्तिका तथा शिक्षक-निर्देशिका से संबंधित है। प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा शिक्षण से अभिन्न रूप से जुड़ी इस शैक्षणिक सामग्री के महत्त्व, विभिन्न पक्षों, उनकी विशेषताओं आदि के संबंध में अपेक्षित जानकारी प्राप्त करे ताकि अपने शिक्षण कार्य में वह इनका उपयुक्त उपयोग कर सके।

व्यवहारगत उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. शिक्षण सामग्री के महत्त्व, प्रकार एवं उनके अंतर को बता सकेंगे।
2. मातृभाषा की पाठ्यपुस्तक के विभिन्न पक्षों एवं उनकी विशेषताओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर चर्चा कर सकेंगे।
3. मातृभाषा की पूरक पुस्तक की विशेषताओं एवं पाठ्यपुस्तक से उसकी भिन्नता को बता सकेंगे।
4. अभ्यास-पुस्तिका एवं शिक्षक-निर्देशिका की उपयोगिता पर प्रकाश डाल सकेंगे।

17.1 पाठ्यपुस्तक का महत्त्व, पक्ष और विशेषताएँ

महत्त्व : किसी भी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। वास्तव में यह संपूर्ण शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की आधारशिला है। यह एक ओर अध्यापक का शिक्षण-विषय के पाठ्यक्रम की सीमा के संदर्भ में मार्गदर्शन करती है तो दूसरी ओर विद्यार्थी के सम्मुख अधिगम-लक्ष्य का स्वरूप स्पष्ट करती है।

मातृभाषा के क्षेत्र में तो पाठ्यपुस्तक का महत्त्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मातृभाषा का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक और बहुमुखी होने के कारण उसकी पाठ्यपुस्तक की सामग्री व्यापक एवं विविधतापूर्ण होती है। इतना ही नहीं, मातृभाषा की पाठ्यपुस्तक में समाहित सामग्री में वैचारिक तथा भाषिक दोनों पक्षों का ध्यान भी रखना होता है और साथ में विविध साहित्यिक रूपों एवं विधाओं का समावेश भी करना होता है। इसके विपरीत अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों की विषय सामग्री केवल विषय विशेष से ही संबंधित रहती है।

विभिन्न पक्ष एवं उनकी विशेषताएँ : किसी भी पाठ्यपुस्तक के दो पक्ष होते हैं :

1. विषयगत अथवा शैक्षिक पक्ष, तथा
2. रूपात्मक पक्ष

1. पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक पक्ष : पाठ्यपुस्तक इस उद्देश्य से तैयार की जाती है कि उसके अध्ययन से विद्यार्थियों में अपेक्षित योग्यताओं का विकास हो सके। ये योग्यताएँ शिक्षण उद्देश्य कहलाती हैं। इन शिक्षण उद्देश्यों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विषयवस्तु का ज्ञान, भाषाई कौशल और सद्प्रवृत्तियाँ आती हैं। पाठ्य-सामग्री के शैक्षिक पक्ष के संदर्भ में उस विषय के शिक्षण उद्देश्यों का अत्यंत महत्त्व है। इस संबंध में निम्नलिखित तीन बातों को ध्यान में रखा जाता है :

(i) विषयवस्तु का चयन।

(ii) विषयवस्तु का क्रमिक स्तरीकरण।

(iii) विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण।

(i) **विषयवस्तु का चयन :** पाठ्य-सामग्री के लिए विषयवस्तु का चयन करते समय यह ध्यान रहे कि विषयवस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए जिसकी सहायता से विद्यार्थियों में अपेक्षित योग्यताओं का विकास हो सके। साथ ही विषयवस्तु इस आयु वर्ग के बालकों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुरूप तथा रोचक होनी चाहिए। यह सब तभी संभव है जब विषयवस्तु विद्यार्थियों की मानसिक, बौद्धिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिससे वे उसमें अपने जीवन और अपनी समस्याओं के दर्शन कर उसके साथ एकात्मकता का अनुभव कर सकें। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के मानसिक और बौद्धिक स्तर तथा उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए विषयवस्तु की मात्रा निश्चित करनी चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विषयवस्तु विद्यार्थी की भाषिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में भी समर्थ हो।

(ii) **विषयवस्तु का क्रमिक स्तरीकरण :** विभिन्न कक्षाओं के लिए सामग्री विभिन्न स्तर की होती है और किसी एक कक्षा के लिए भी निर्धारित सारी पाठ्य-सामग्री एक ही स्तर की नहीं होती है। इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए नीचे की कक्षाओं तक पुस्तक के प्रारंभिक पाठों में दी जाने वाली विषयवस्तु में सूक्ष्म संकल्पनाओं की अपेक्षा स्थूल संकल्पनाओं की मात्रा अधिक होती है और आगे की पुस्तकों तथा पाठों में यह अनुपात बदल जाता है। नीचे की कक्षाओं तथा प्रारंभ के पाठों में सरल संदर्भ होने चाहिएँ और बाद के पाठों में अपेक्षाकृत कठिन। पाठ के क्रमिक स्तरीकरण के लिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटे पाठ नीचे की कक्षाओं और पुस्तक के प्रारंभ में हों और आगे की कक्षाओं की पुस्तकों के पाठ तथा आगे के पाठों का आकार बढ़ता जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान

रखा जाए कि प्रारंभिक पाठों में विषयवस्तु कम हो। वाद के पाठों में विषयवस्तु अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है।

स्तरीकरण की उपर्युक्त संकल्पना को उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। देखिए और विश्लेषण कीजिए, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित—

बाल भारती भाग-3, पुनर्मुद्रण, फरवरी, 1988, पहला पाठ, पृष्ठ 1-3

बाल भारती भाग-5, पुनर्मुद्रण, फरवरी 1987, चौथा पाठ, पृष्ठ 15-19

बाल भारती भाग-3

पाठ की लंबाई	*सामग्री*	*पात्र*	*पात्रों के कार्य*	*सूक्ष्म संकल्पनाएँ*
3 पृ०	1 पृ० चित्र + 2 पृ०	3	16	—

बाल भारती भाग-5

4½ पृ०	½ पृ० चित्र + 4 पृ०	3	26	5

(iii) **विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण** : विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण दो स्तरों पर किया जाता है।

(क) संपूर्ण पुस्तक में विषयवस्तु का संयोजन

(ख) पाठ में विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण

(क) **संपूर्ण पुस्तक में विषयवस्तु का संयोजन** : मातृभाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध वैचारिक सामग्री तथा विभिन्न साहित्यिक विधाओं एवं शैली को समुचित स्थान मिलना चाहिए। इसके साथ ही समाज में होने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक परिवर्तनों, अनेक सामाजिक समस्याओं, जैसे—दहेज प्रथा, पुरुष और स्त्री की असमानता आदि को भी पाठ्य-सामग्री में स्थान देने की आवश्यकता है।

प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा एक से पाँच तक की पाठ्यपुस्तकों के लिए पाठ सामान्यतः लिखे जाते हैं; कक्षा छह से आठ तक की पुस्तकों के कुछ पाठ लिखे जाते हैं और कुछ पाठ प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं में से चुने जाते हैं। अतः पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु के संयोजन में यह ध्यान रखा जाए कि लिखवाए गए पाठों तथा चुने गए पाठों—दोनों के ही वैचारिक पक्ष में अपेक्षित जीवन मूल्यों, सामाजिक समस्याओं, सांस्कृतिक पक्षों पर समुचित बल दिया गया हो। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि इन दोनों प्रकार के पाठों में जीवन मूल्य की प्रस्तुति उपदेशात्मक ढंग से न करके मनोवैज्ञानिक ढंग से की गई हो। किसी भी व्यक्ति को "सच बोलना", "चोरी न करना" और "ईमानदार होना" जैसे मूल्यों को उपदेशात्मक रूप में बताना प्रभावपूर्ण नहीं होता है। यह बात आज के समय में और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो उठी है। आज का बालक ऐसे उपदेशों को स्वीकार करने को तैयार नहीं, जिनमें "यह करो" या "यह मत करो" पर बल दिया गया हो। वह तो यह जानना चाहता है कि वह किसी काम को "क्यों करे" या "क्यों नहीं करे"। इसके लिए आवश्यक है कि वांछित मूल्यों की परिस्थितियों के अंतर्गत इस प्रकार प्रस्तुति हो कि वे बालक के मन और मस्तिष्क पर सहज प्रभाव छोड़ जाएँ। यदि हम बालक को स्वावलंबी होने का महत्त्व बताना चाहते हैं तो वर्णन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें जिनमें स्वावलंबन का महत्त्व सहज रूप से उभर कर आया हो, जैसे—बाल भारती, भाग-3 का पाँचवा पाठ (ईश्वर चन्द्र विद्यासागर)।

साहित्यिक विधाओं और शैली की दृष्टि से अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, यथा—कथा-कहानी, संवाद, संस्मरण, जीवनी, डायरी, पत्र, रिपोर्ताज, कविता आदि। किंतु पाठों में इनका उपयोग करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक कक्षाओं में अभिव्यक्ति की सामान्य विधाओं, जैसे—कहानी, वार्ता, कविता आदि का उपयोग किया जाए और बाद की कक्षाओं में संस्मरण, डायरी, पत्र, जीवनी,

रिपोर्ताज आदि विधाओं को सम्मिलित करना चाहिए। साथ ही प्रारंभिक कक्षाओं में इनके सरल रूप का उपयोग करना चाहिए और बाद की कक्षाओं में साहित्यिक कलात्मक रूप, जैसे—संवाद, नाटक आदि को लिया जाना चाहिए।

(ख) **पाठ में विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण** : पाठ में वैचारिक पक्ष, विधा, शैली के साथ-साथ पाठ की लंबाई तथा भाषा के स्तर को भी ध्यान में रखा जाए। भाषा का स्तर शब्द और वाक्यों के माध्यम से निर्धारित होता है। इसलिए हमें विद्यार्थियों के मानसिक और बौद्धिक स्तर का ध्यान रखते हुए शब्द भंडार का चयन करना चाहिए। शब्दों के चयन के संबंध में दूसरी बात यह है कि शिक्षण सामग्री में अर्थ की दृष्टि से सूक्ष्म संकल्पना वाले शब्दों को परिचित एवं स्थूल संकल्पना वाले शब्दों के माध्यम से लाना चाहिए। शब्दों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। बाल भारती भाग-3 में 170 नए शब्द हैं और बाल भारती भाग-5 में 217 नए शब्द आए हैं।

पाठ्य-सामग्री में शब्द भंडार के अलावा वाक्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। बड़े वाक्य छोटी कक्षाओं के लिए कठिन और अस्वाभाविक होते हैं, जबकि बड़ी कक्षाओं में वर्णन सुनिश्चित एवं सुनिर्दिष्ट होने के कारण बड़े तथा मिश्रित वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। छोटी कक्षाओं में एक वाक्य में बहुत सारी बातें देने के बजाय छोटे-छोटे वाक्यों में अलग-अलग बातों का वर्णन करना उचित होता है। वाक्य की प्रकृति की दृष्टि से सरल वाक्य आसान होते हैं, संयुक्त वाक्य उससे कठिन और मिश्रित वाक्य सबसे कठिन। किसी भी पाठ के भाषिक स्तर के निर्धारण में उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखना उचित होगा।

प्रत्येक पाठ के अंत में विषयवस्तु पर प्रश्न दिए जाते हैं तथा पाठ की भाषा पर अभ्यास कार्य दिया जाता है। प्रश्नों की सहायता से यह जाँच की जाती है कि विद्यार्थियों ने पाठ में दी गई विषयवस्तु को समझा है अथवा नहीं और अभ्यासों की सहायता से विद्यार्थियों को अभ्यास करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए अधिक से अधिक प्रश्न और अभ्यास विषयवस्तु पर होने चाहिएँ। प्रश्न-अभ्यास में निबंधात्मक, लघूत्तर तथा वस्तुनिष्ठ सभी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। पाठों के अंत में या पुस्तक के अंत में कुछ तकनीकी शब्द तथा कठिन शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं। इसके दो उद्देश्य होते हैं—प्रथम, बालक का शब्द भंडार बढ़े और दूसरे वे उन शब्दों की सहायता से विषयवस्तु को समझ सकें। पाठ के अंत में या पुस्तक के अंत में कुछ ऐसे विशेष संदर्भों की व्याख्या की जाती है जिनकी सहायता से विषयवस्तु को समझने में सहायता मिलती है।

2. पाठ्यपुस्तक का रूपात्मक पक्ष : पाठ्य-सामग्री के रूपात्मक पक्ष के अंतर्गत उसके बाहरी और आंतरिक दोनों रूप आते हैं। बाहरी रूप के अंतर्गत पुस्तक का आकार तथा उसकी मोटाई ध्यान में रखने योग्य है। पुस्तक का आकार और मोटाई ऐसी होनी चाहिए जिससे उस आयु वर्ग के बच्चों को उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा हो और पुस्तक को हाथ में उठाकर पढ़ने में भी असुविधा न हो। छोटी कक्षाओं की पुस्तकें आकार में बड़ी किंतु पतली होनी चाहिएँ जिससे उनके चित्रों में व्यक्तियों और वस्तुओं की आकृतियाँ बड़ी और स्पष्ट हों तथा उन्हें पकड़ने में कठिनाई न हो।

पुस्तक के आंतरिक रूप के अंतर्गत उसकी छपाई, शुद्ध वर्तनी एवं चित्र आते हैं। छोटे बालकों के लिए टाइप का आकार बड़ा होना चाहिए। बढ़ती हुई कक्षाओं में यह आकार छोटा होता जाता है। इसमें भी पाठों के टाइप का आकार प्रश्न और अभ्यासों की अपेक्षा बड़ा तथा भिन्न होना चाहिए। टाइप के आकार पर पंक्ति में शब्दों की संख्या निर्भर करती है। स्वाभाविक है कि बड़े टाइप के आकार में छपे शब्द अपेक्षाकृत अधिक होंगे। पंक्ति में आए शब्दों के संबंध में एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके वाक्य का अर्थपूर्ण पदबंध एक ही पंक्ति में होना चाहिए।

छपाई से ही संबंधित एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात शब्दों

की वर्तनी है। वर्तनी के संबंध में सबसे प्रमुख बात यह है कि शब्दों की वर्तनी शुद्ध हो। दूसरी बात भिन्न रूपों वाले— अ, फ, क्ष, झ आदि जैसे अक्षरों का मानक रूप ही पूरी पुस्तक में प्रयुक्त हो। तीसरी बात यह है कि "चाहिए", "जाए", "लाए" जैसे शब्दों को पुस्तक में एक ही रूप में प्रस्तुत किया जाए। ये बातें छोटी कक्षाओं की शिक्षण सामग्री के लिए तो अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं ही परन्तु बड़ी कक्षाओं की शिक्षण सामग्री में भी इनका ध्यान रखना चाहिए।

रूप की दृष्टि से पुस्तक में दिए गए चित्र बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं। पाठ्य-सामग्री में केवल वे चित्र दिए जाने चाहिएँ जो उनका अंग बन सकें और उसके पूरक हों। चित्रों की दृष्टि से उनके प्रकार, उनके रंग और स्थान महत्त्वपूर्ण हैं। चित्रों के बहुत से प्रकार हैं, जैसे—कार्टून, फोटो, तस्वीर, रेखाओं वाले चित्र आदि। इनमें भी कुछ चित्र काल्पनिक होते हैं और कुछ तथ्यात्मक। छोटी कक्षाओं की शिक्षण सामग्री में फोटो तथा तस्वीर वाले चित्र अधिक उपयोगी होते हैं और बड़ी कक्षाओं की सामग्री में कार्टूनों तथा रेखा वाले और तथ्यात्मक फोटो आवश्यक और उपयोगी हैं। चित्रों का स्थान भी इसी आधार पर निर्धारित किया जाए कि उनका लिखित सामग्री के साथ किस प्रकार का संबंध है। यदि किसी चित्र को बार-बार देखने की आवश्यकता हो तो वह सामग्री के बीच में देना चाहिए। यदि कोई चित्र सामग्री की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता हो तो उसे पूरे पृष्ठ पर फैलाना चाहिए। यदि लिखित सामग्री को पढ़ने की प्रेरणा देना चित्र का उद्देश्य हो तो वह सामग्री के प्रारंभ में दिया जा सकता है। चित्रों के रंग भी बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं। उचित तो यह है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वाभाविक रंग में दिखाई जाए। पर यदि अधिक रंगों के प्रयोग से पाठ्यपुस्तक की कीमत अधिक बढ़ती हो तो विषय और सामग्री की प्रकृति को देखते हुए पृष्ठभूमि के रूप में कोई एक या दो रंग पुस्तक में प्रारंभ से अंत तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

पाठ्यपुस्तक सामग्री का एक महत्त्वपूर्ण पहलू उसका मूल्य है। किसी भी शिक्षण सामग्री का मूल्य ऐसा होना चाहिए कि बालकों के माता-पिता उसे खरीदने में असुविधा महसूस न करें।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ अपनी कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ के किसी पाठ की तुलना किसी एक अंतिम पाठ से निम्नलिखित आधारों पर कीजिए : पाठ की लंबाई, शब्दों की संख्या, वाक्यों की संख्या, मुख्य बातें तथा सूक्ष्म संकल्पनाएँ।	विश्लेषण कीजिए
❑ कक्षा दो तथा कक्षा चार की हिंदी की पाठ्यपुस्तकों के लिए पाठों के विषयों की सूची बनाइए।	सूची बनाइए
❑ कक्षा पाँच की पाठ्यपुस्तक के किसी एक गद्य पाठ का मूल्यांकन विषयवस्तु, चित्र तथा प्रश्न-अभ्यास के आधार पर कीजिए।	विश्लेषण तथा मूल्यांकन कीजिए
❑ किसी कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक का रूपात्मक पक्ष के आधार पर विश्लेषण कीजिए।	विश्लेषण कीजिए
❑ कक्षा सात या आठ की पाठ्यपुस्तकों से ऐसे पाठों को चुनिए जो विद्यार्थियों को सबसे अधिक रुचिकर हों। इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया लीजिए और उनके कारण जानिए।	अध्ययन एवं विश्लेषण कीजिए

17.2 पूरक पुस्तक : महत्त्व, पक्ष और विशेषताएँ

महत्त्व : बालकों की भाषा-योग्यता के विकास के लिए केवल पाठ्यपुस्तक ही पर्याप्त नहीं होती है। भाषा में अपेक्षित दक्षता की प्राप्ति के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त ऐसी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता भी होती है जो पाठ्यपुस्तक के माध्यम से प्राप्त योग्यता के दृढ़ीकरण एवं पुनर्बलन की दृष्टि से उपयोगी हो। पूरक पुस्तक इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक उपयोगी साधन है। किंतु पूरक पुस्तक भाषा-योग्यता के संवर्द्धन के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होती है।

इसके द्वारा पूर्ण होने वाले कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. बालक में पठन-रुचि की अभिवृद्धि एवं स्वाध्याय की आदत का निर्माण,
2. द्रुत गति से मौन पठन की योग्यता का विकास,
3. मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान-क्षितिज का विस्तार।

विभिन्न पक्ष तथा उनकी विशेषताएँ : पाठ्यपुस्तक के समान पूरक पुस्तक के भी दो महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं :

1. शैक्षिक पक्ष
2. रूपात्मक पक्ष

पूरक पुस्तक का रूपात्मक पक्ष पाठ्यपुस्तक के रूपात्मक पक्ष से कोई विशेष भिन्न नहीं होता है, केवल इसके कि इसमें पृष्ठों की संख्या पाठ्यपुस्तक के पृष्ठों की संख्या की तुलना में कहीं कम होती है।

शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत पूरक पुस्तक में निम्नलिखित विशेषताएँ अपेक्षित होती हैं :

क. भाषा तथा शब्दावली की दृष्टि से

1. पूरक पुस्तक की भाषा पाठ्यपुस्तक की भाषा से अपेक्षाकृत सरल होनी चाहिए। वाक्य-रचना छोटी हो।
2. इसमें यथासंभव पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जिससे बालक की भाषा-योग्यता का दृढ़ीकरण हो सके।
3. नई शब्दावली अत्यंत सीमित मात्रा में होनी चाहिए। अच्छा हो कि नई शब्दावली का स्पष्टीकरण उसी पृष्ठ के नीचे पाद-टिप्पणी के रूप में दिया जाए।

ख. विषय-सामग्री की दृष्टि से

1. पूरक पुस्तक की सामग्री ऐसी हो जिससे बालकों में पठन के प्रति रुचि उत्पन्न हो। इस दृष्टि से छोटी-छोटी मनोरंजक कहानियाँ, विनोदपूर्ण प्रसंग, नाटकीय अंश, साहसपूर्ण प्रेरक घटनाओं का समावेश उपयोगी सिद्ध होता है।
2. पठन-रुचि की अभिवृद्धि के लिए उपर्युक्त सामग्री के साथ-साथ इसमें ऐसी सामग्री भी हो जो बालकों के चरित्र निर्माण एवं सामान्य ज्ञान के विस्तार में योगदान करे।

पूरक पुस्तक के संबंध में यहाँ यह स्पष्ट करना उपयुक्त रहेगा कि प्राथमिक कक्षाओं के आरंभिक वर्षों में विद्यार्थी अलग से पूरक पुस्तक के प्रयोग में सक्षम नहीं होते हैं। अतः स्वतंत्र रूप से पूरक पुस्तक के प्रयोग की अपेक्षा चौथी या पाँचवीं कक्षा से शुरू होती है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ कक्षा छह के लिए निर्धारित पूरक पुस्तक "संक्षिप्त रामायण" का विश्लेषण भाषा, शब्दावली और विषय-सामग्री की दृष्टि से कीजिए।	विश्लेषण कीजिए
❑ कक्षा सात तथा आठ की पूरक पुस्तकों से ऐसे पाँच-पाँच प्रसंगों का चयन कीजिए जो विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण एवं सामान्य ज्ञान के विस्तार में सहायक हों।	चयन कीजिए

17.3 अभ्यास-पुस्तिका की उपयोगिता

अभ्यास-पुस्तिका एक उपयोगी शिक्षण साधन है। मंदगति के शिक्षार्थियों के शिक्षण में तो इसका बड़ा ही महत्त्व है। अभ्यास-पुस्तिका का उपयोग न केवल शिक्षण सामग्री के रूप में ही अपितु पाठ्यपुस्तक के माध्यम से प्राप्त ज्ञान एवं कौशल के परीक्षण के लिए भी किया जा सकता है।

अभ्यास-पुस्तिका के द्वारा ध्वनि, उच्चारण, वर्तनी, शब्दावली, वाक्य-संरचना, लघु नियंत्रित रचना कार्य आदि के अभ्यास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ कक्षा एक से पाँच तक के लिए तैयार की गई अभ्यास-पुस्तिकाओं की सहायता से विद्यार्थियों को उच्चारण, वर्तनी, शब्दावली, वाक्य संरचना, लघु नियंत्रित रचना आदि का अभ्यास कराएँ।	अभ्यास कराइए

17.4 शिक्षक-निर्देशिका/शिक्षण संदर्शिका की उपयोगिता

पाठ्यपुस्तक, पूरक पुस्तक एवं अभ्यास-पुस्तिका के अतिरिक्त अध्यापक की दृष्टि से एक अत्यंत उपयोगी शिक्षण सामग्री शिक्षक-निर्देशिका होती है। इसमें भाषा के विभिन्न पक्षों के शिक्षण के लिए सामान्य सुझाव, मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, प्रत्येक कक्षा के अनुरूप शिक्षण-उद्देश्यों का निर्धारण, प्रत्येक कक्षा में अपेक्षित संप्राप्ति स्तर, प्रत्येक पाठ के शिक्षण-बिन्दु एवं प्रत्येक महत्त्वपूर्ण शिक्षण-बिन्दु के संबंध में सुझाव आदि पर चर्चा की जाती है।

निस्संदेह, शिक्षक-निर्देशिका अध्यापक के शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं सरल बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ शिक्षक-निर्देशिका/शिक्षण संदर्शिका के महत्त्व तथा उपयोगिता पर कक्षा में चर्चा कीजिए।	चर्चा कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. शिक्षण सामग्री के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक, पूरक पुस्तक, अभ्यास-पुस्तिका तथा शिक्षक-निर्देशिका समाविष्ट होती हैं।
2. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों का ही मार्गदर्शन करती है।
3. मातृभाषा की पाठ्यपुस्तक अपनी विषयवस्तु की विविधता एवं व्यापकता के कारण अन्य विषय की पाठ्यपुस्तकों से भिन्न होती है।
4. पाठ्यपुस्तकों के शैक्षिक तथा रूपात्मक—दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक पक्ष की अपनी-अपनी विशेषताएँ होती हैं।
5. शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत विषयवस्तु का चयन, विषय-वस्तु का क्रमिक स्तरीकरण तथा विषयवस्तु के

प्रस्तुतीकरण पर ध्यान दिया जाता है।

6. भाषा की पाठ्यपुस्तक में विषयवस्तु के अंतर्गत वांछित मूल्यों, सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक, वैज्ञानिक परिवर्तनों आदि से संबंधित सामग्री सम्मिलित की जाती है।
7. पाठ्य-सामग्री की प्रस्तुति के लिए कक्षा-स्तरानुकूल भाषा, साहित्यिक विधाओं एवं शैली का प्रयोग किया जाता है।
8. पाठ्यपुस्तक के रूपात्मक पक्ष के अंतर्गत पुस्तक का आकार, छपाई, चित्र, साज-सज्जा आदि पर ध्यान दिया जाता है।
9. पूरक पुस्तक पाठ्यपुस्तक द्वारा प्राप्त भाषा-योग्यता के संवर्द्धन, छात्रों की पठन-रुचि के विस्तार, द्रुत गति से मौन पठन की क्षमता के विकास एवं चरित्र निर्माण और ज्ञानवर्धन में सहायक होती है।
10. पूरक पुस्तक की भाषा पाठ्यपुस्तक की भाषा से अपेक्षाकृत सरल होती है तथा इसमें नवीन शब्दावली का कम से कम प्रयोग किया जाता है।
11. अभ्यास-पुस्तिका एक उपयोगी शिक्षण सामग्री होने के साथ-साथ पाठ्यपुस्तक के माध्यम से प्राप्त भाषा-योग्यता के परीक्षण का उत्तम साधन भी है।
12. शिक्षक-निर्देशिका अध्यापक के कार्य को प्रभावी एवं सरल बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि इसमें शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सुझावों का समावेश होता है।

मूल्यांकन

1. शिक्षण सामग्री का क्या महत्त्व और उपयोग है? वह कितने प्रकार की होती है?
2. पाठ्यपुस्तक, पूरक पुस्तक तथा अभ्यास-पुस्तिका में क्या अंतर है?
3. पाठ्यपुस्तक के विभिन्न पक्षों एवं उनकी विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
4. पूरक पुस्तक की उपयोगिता तथा उसके विभिन्न पक्षों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
5. अध्यापन की दृष्टि से अभ्यास-पुस्तिका और शिक्षक-निर्देशिका/शिक्षण संदर्शिका की उपयोगिता बताइए।

मॉड्यूल–18

मातृभाषा शिक्षण में उपकरण तथा जनसंचार माध्यम

18.0 प्रस्तावना

बालक अपने सहज परिवेश में प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा अनुकरण करके सीखता है। परन्तु प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा देश-विदेश से संबंधित विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं— समय, दूरी और धन इसमें बाधक हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अतः मनुष्य समय-समय पर ऐसे उपकरणों का निर्माण करता रहा जो समय तथा दूरी की बाधा दूर करने में समर्थ हों। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन भावों और विचारों के स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष अनुभव के लिए शैक्षणिक उपकरणों का निर्माण हुआ। ये अमूर्त, जटिल एवं सूक्ष्म बातों को मूर्त, सरल एवं स्थूल बनाने तथा बालकों को उनका प्रत्यक्ष अनुभव कराने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। जनसंचार के असीम शक्ति संपन्न माध्यमों ने तो आज के मानव जीवन में ही बदलाव ला दिया है। इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध शैक्षणिक उपकरण एवं जनसंचार माध्यम शिक्षण के लिए, विशेषतः भाषा शिक्षण के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि आज के छात्राध्यापकों में ऐसी योग्यता विकसित की जाए कि वे परंपरागत एवं आधुनिक शैक्षणिक उपकरणों तथा जनसंचार माध्यमों का उचित प्रयोग करना सीखकर अपने शिक्षण को अधिक प्रभावपूर्ण और कार्य साधक बना सकें।

व्यवहारगत उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. शैक्षणिक उपकरणों के अर्थ तथा मातृभाषा शिक्षण में उनका महत्त्व बता सकेंगे।
2. मातृभाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की उपयोगिता, प्रकारों और कक्षा शिक्षण में उनकी प्रयोगविधि से अवगत हो सकेंगे।
3. मातृभाषा शिक्षण में उपयोगी अल्पव्ययी उपकरणों की स्वयं रचना कर सकेंगे और कक्षा शिक्षण में उनका यथाविधि प्रयोग कर सकेंगे।
4. मातृभाषा शिक्षण में जनसंचार के माध्यमों के महत्त्व, प्रकार और प्रयोग की समुचित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

18.1 शैक्षणिक उपकरणों से अभिप्राय तथा मातृभाषा शिक्षण में उनका महत्त्व

कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले ऐसे साधनों को शिक्षण उपकरण कहते हैं जिनके प्रयोग से शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक रोचक, जीवंत, आकर्षक, बोधगम्य और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इनकी सहायता से विद्यार्थी पाठ्यवस्तु को अनायास ही हृदयंगम कर लेता है। इनके प्रयोग से विषयवस्तु अधिक स्पष्ट हो जाती है और गहन भाव भी सहज उभर कर सामने आ जाते हैं। ये उपकरण विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं करते हैं वरन् इनके माध्यम से पाठ्य सामग्री को मनोरंजक ढंग से खेल-खेल में समझकर उसे स्थाई रूप से ग्रहण भी कर लेते हैं। मातृभाषा शिक्षण में इनकी उपयोगिता एवं महत्त्व को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है :

1. इन उपकरणों के प्रयोग से विषय का प्रत्यक्ष एवं स्थूल ज्ञान हो जाता है और विद्यार्थी पाठ्यवस्तु को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं।
2. विषयवस्तु को सीखने में विद्यार्थियों की अभिरुचि में

वृद्धि होती है जिससे वे अपेक्षित अधिगम की ओर अभिप्रेरित होते हैं।

3. इनके प्रयोग से शिक्षण की प्रक्रिया में यथार्थता और जीवंतता आती है।
4. इनके द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं सीखने और अन्वेषण करने की प्रेरणा मिलती है। वे मातृभाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
5. इनके द्वारा विचार शृंखला का सतत विकास होता है तथा विचारों में स्पष्टता आती है।
6. इनके प्रयोग से विद्यार्थियों को ऐसे नए-नए अनुभव प्राप्त होते हैं, जिनकी उपलब्धि अन्य प्रकार से संभव नहीं हो पाती।

अभ्यास कार्य

❑ भाषा शिक्षण में शैक्षणिक उपकरणों के महत्त्व पर अपने साथियों से चर्चा कीजिए।

निर्देश

चर्चा कीजिए

18.2 मातृभाषा शिक्षण में प्रयुक्त उपकरणों के प्रकार एवं उपयोगिता

शिक्षण के उपकरणों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इनका वर्गीकरण विभिन्न विद्वान अपने-अपने ढंग से अनेक प्रकार से करते हैं, यथा—मुद्रित तथा अमुद्रित उपकरण, व्ययहीन, अल्पव्ययी तथा व्यय-साध्य उपकरण, परंपरागत तथा नवीन उपकरण, दृश्य, श्रव्य तथा दृश्य-श्रव्य उपकरण, प्रक्षेपित तथा अप्रक्षेपित उपकरण इत्यादि। इन उपकरणों का एक व्यापक वर्गीकरण निम्नांकित तरीके से किया जा सकता है :

1. मुद्रित उपकरण
2. अयांत्रिक उपकरण
3. यांत्रिक उपकरण

आइए, इन शिक्षण उपकरणों तथा उनकी उपयोगिता के विषय में चर्चा करें।

1. मुद्रित उपकरण

मुद्रित उपकरणों से तात्पर्य कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले उन साधनों से है जो मुद्रित या प्रकाशित सामग्री के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। इनके अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें; सहायक पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएँ, पूरक पुस्तिकाएँ, अध्यापक निर्देशिकाएँ आदि आते हैं। इस प्रकाशित सामग्री का उपयोग आधारभूत सामग्री के रूप में भी किया जाता है तथा चित्र, उदाहरण, दृष्टान्त, परिभाषा आदि के रूप में पाठ्यवस्तु को अधिक स्पष्ट करने एवं ज्ञान में पूर्णता लाने के लिए सहायक या पूरक सामग्री के रूप में भी किया जाता है। पुस्तकों में प्रकाशित चित्र पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु को सुस्पष्ट करने में सहायक होते हैं। मुद्रित सामग्री का विस्तृत वर्णन मॉड्यूल-17 में किया जा चुका है।

2. अयांत्रिक उपकरण

ऐसे शिक्षण साधन जिनमें यंत्रों अथवा मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, अयांत्रिक उपकरण कहलाते हैं। इन्हें अप्रक्षेपित उपकरण भी कहा जाता है। इनमें परंपरागत, व्ययहीन और अल्पव्ययी दृश्य साधनों को सम्मिलित किया जा सकता है।

2.1 परंपरागत उपकरण : वे शिक्षण उपकरण जो प्राचीन काल से कक्षा शिक्षण की स्थिति में प्रयोग में आते रहे हैं परंपरागत उपकरण कहे जा सकते हैं। ये उपकरण कक्षा शिक्षण के अनिवार्य अंग हैं। इनके अभाव में कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को दृश्य रूप नहीं दिया जा सकता। इनमें श्यामपट्ट, रोलर वोर्ड, डस्टर, खड़िया और कक्षा स्थिति में अनायास रूप से कक्षा में उपलब्ध होने वाली अन्य वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। प्राचीन काल से अध्यापक श्यामपट्ट पर चाक के टुकड़े की सहायता से अपनी वाणी को सजीव रूप देता चला आ रहा है। ये उपकरण आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने कि पहले थे। विद्यार्थी श्यामपट्ट

पर लिखित विषयवस्तु की रूपरेखा, शब्दार्थ, सारांश आदि को अपनी कापियों में नोट कर अच्छी तरह समझ लेते हैं।

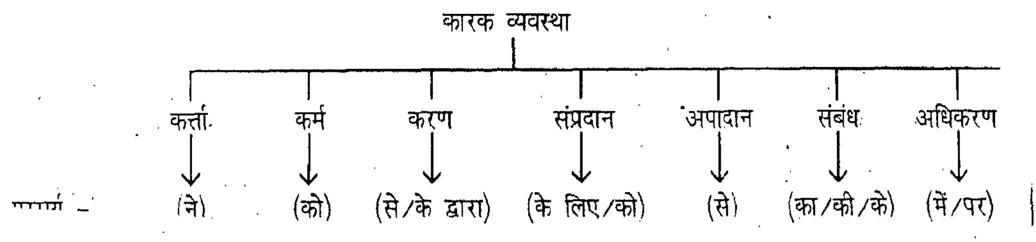
2.2 अल्पव्ययी उपकरण : अल्पव्ययी उपकरण, कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले वे साधन हैं जिनका निर्माण ऐसी साधारण वस्तुओं से होता है जो हमें अपने परिवेश में आसानी से मिल जाती हैं और जिन पर बहुत कम लागत आती है। अल्पव्ययी साधनों में फ्लैश कार्ड, रेखाचित्र, चार्ट, चित्र, डायग्राम, कटआउट्स, पोस्टर, नक्शे, फ्लैनलग्राफ, यथार्थ वस्तुओं के नमूने, प्रतिरूप आदि साधनों को शामिल किया जा सकता है। ये उपकरण बाजार से खरीदे जा सकते हैं। इन्हें अध्यापक और विद्यार्थी आवश्यकतानुसार बिना पैसे खर्च किए या बहुत कम पैसे खर्च करके स्वयं भी बना सकते हैं। इनके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया को रोचक, सरस, बोधगम्य तथा प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है।

अल्पव्ययी उपकरणों के निर्माण में विद्यार्थियों और गाँव के कारीगरों की सहायता भी ली जा सकती है, परन्तु शिक्षण सामग्री को समझाने की दृष्टि से अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि होगी। जिन पिछड़े इलाकों और गाँवों की परिस्थिति में व्यय साध्य साधन उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, वहाँ विषयवस्तु के स्पष्टीकरण के लिए अल्पव्ययी तथा व्ययहीन साधनों के निर्माण की आवश्यकता होती है। इनका निर्माण करते समय विषयवस्तु के स्वरूप और स्रोत साधनों को जुटाने की समस्या पर गंभीरता से विचार करना होगा। उदाहरण के लिए भाषाई तथ्यों को समझाने या वर्गीकरण करने की दृष्टि से कागजों, गत्तों, रंगीन पेंसिलों, पंखों, पत्तियों, फलों के बीजों, बांस की तीलियों, शंखों, ब्रुशों और धागों की सहायता से रंग-बिरंगे फ्लैश कार्डों, चार्टों, रेखाचित्रों, प्रतिरूपों, नमूनों आदि का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। इनके प्रयोग से वर्ण लेखन, वाक्य रचना, व्याकरण के तथ्यों और भेद-प्रभेदों की झलक सरलता से प्रस्तुत की जा सकती है।

यहाँ मातृभाषा शिक्षण में प्रयुक्त कुछ अयांत्रिक उपकरणों की उपयोगिता की चर्चा करना उपयुक्त होगा।

1. **चित्र :** भाषा के कठिन एवं गहन स्थलों को स्पष्ट करने में चित्रों तथा चित्र-शृंखलाओं की उपयोगिता सर्वमान्य है। चित्र शब्दों, वाक्यों, घटनाओं और कहानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्रियाशील चित्र-शृंखला रचना और कहानी शिक्षण का अनुपम साधन है। शब्दों और चित्रों का समन्वय भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को जीवंत बना देता है।
2. **रेखाचित्र** : रेखाचित्रों के अंतर्गत चार्टों, पोस्टरों, कार्टूनों, हास्य-व्यंग्य चित्रों, मानचित्रों आदि का समावेश होता है। फ्लैनलग्राफ या खद्दरोग्राफ पर क्रमबद्ध रूप में व्याकरण के लिंग, वचन, कारक, क्रिया, विशेषण आदि के भेदों को चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। मानचित्रों के प्रयोग से प्रदेशों का भाषावार वर्गीकरण दिखाया जा सकता है। पोस्टर, कार्टून और हास्य-व्यंग्य चित्र किसी व्यक्ति, विचार एवं स्थिति के चित्र होते हैं जिनका जनसमूह पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इनसे उपहासात्मक किंतु विचारपरक हास्य-व्यंग्य एवं अतिशयोक्तिपूर्ण स्थलों के गूढ़ भावों का स्पष्टीकरण होता है। ये विचारों को क्रमबद्ध तथा गतिमय रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं के समान विज्ञापन एवं इश्तहार भी भाषा शिक्षण के प्रभावी तथा भावोत्तेजक साधन हैं।

कारक व्यवस्था सिखाने के लिए रेखाचित्र का एक नमूना इस प्रकार दिया जा सकता है—

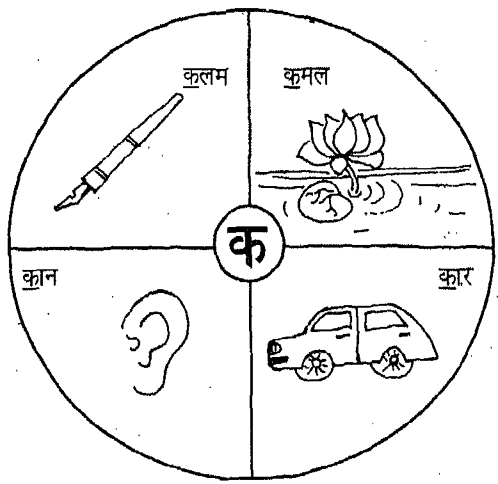


3. **प्रतिरूप, डायोरमा तथा नमूने :** कक्षा शिक्षण में रोचकता लाने में मूलवस्तु के स्थान पर प्रतिरूप और डायोरमा का उपयोग होता है। ये छोटी से छोटी वस्तु को बड़ी और बड़ी से बड़ी वस्तु को छोटी बना सकते हैं। भाषा रचना, अभिव्यक्ति और कविता शिक्षण में ताजमहल, वायुयान, विधान सभा, रेलगाड़ी आदि के प्रतिरूप उपयोगी सिद्ध होते हैं।

डायोरमा त्रिकोणात्मक ठोस पदार्थ होता है। इसके द्वारा प्राकृतिक दृश्यों, रेगिस्तान, हल्दी घाटी, युद्धरत शिवाजी, चेतक और महाराणा प्रताप आदि से संबंधित कविताओं की अनुभूति उत्तम ढंग से कराई जा सकती है। प्रतिरूप और डायोरमा दोनों से ही प्राकृतिक दृश्यों, बांधों आदि के सजीव रूप प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जहाँ किसी भाव, विचार या तथ्य को यथार्थ एवं सहज-स्थिति में स्पष्ट करना होता है, वहाँ वस्तुओं और पदार्थों के नमूने भी कक्षा में प्रस्तुत करके विषयवस्तु को सहज रूप में समझाया जा सकता है। फूल, पत्ती, फल और बीज आदि के नमूने ज्ञान को सही रूप में आत्मसात् करने में बड़े सहायक होते हैं क्योंकि इस प्रकार इन वस्तुओं के आकार, रूप, रंग आदि के विषय में भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

4. **फ्लैश कार्ड :** ये अत्यंत साधारण, व्ययहीन और प्रभावशाली दृश्य उपकरण होते हैं। ये चित्रात्मक और लिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। गतिशील चित्र और उनसे संबंधित वाक्य देकर लिंग, वचन और काल आदि की व्यवस्था सरलता से समझाई जा सकती है।

वर्णमाला-शिक्षण में फ्लैश कार्डों का विशेष महत्त्व है। एक वर्ण को सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड पर अनेक शब्द दिए जाते हैं जो उस वर्ण से आरंभ होते हैं। यथा—क वर्ण के चित्रात्मक फ्लैश कार्ड का एक नमूना देखें :



फ्लैश कार्डों में शब्दों के साथ उनके चित्र भी दिए जाते हैं। आरंभिक कक्षाओं में शब्दों और वाक्यों के चित्र सहित फ्लैश कार्ड अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इनसे किसी एक वस्तु, घटना या तथ्य की झलक एक दृष्टि में प्रस्तुत की जा सकती है। वर्तनी सिखाने के लिए फ्लैश कार्डों का प्रयोग उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

3. यांत्रिक उपकरण

वे शिक्षण साधन जिनके लिए किसी मशीन अथवा यंत्र की आवश्यकता पड़ती है यांत्रिक उपकरण कहलाते हैं। इन्हें प्रक्षेपित उपकरण अथवा आधुनिक उपकरण भी कहा जाता है। इनके अंतर्गत ध्वनियों तथा प्रक्षेपित दृश्य-श्रव्य उपकरणों को सम्मिलित किया जा सकता है। मातृभाषा शिक्षण के संदर्भ में उच्चारण और मौखिक अभिव्यक्ति सिखाने की दृष्टि से ध्वनियंत्रों—ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन रिकार्डों, टेपरिकार्डर, पैलेटोग्राफ, आसिलोग्राफ, काइमोग्राफ और साउण्ड स्पैक्टोग्राफ की सहायता ली जा सकती है। यहाँ इन ध्वनियंत्रों का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है।

ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन रिकार्डों द्वारा उच्चारण के विभिन्न अभ्यासों के अंतर्गत बलाघात, सुर, विवृत्ति और अनुतान का सहज रूप में अभ्यास कराया जा सकता है। इनमें महापुरुषों के भाषणों, उत्कृष्ट कवियों की कविताओं और नाटकीय संवाद को सुना जा सकता है। उच्चारण, सस्वर पाठ और भाषण कला की प्रवीणता प्राप्त करने में इनका प्रयोग विशेष उपयोगी है।

ध्वनियंत्रों में सबसे अधिक उपयोगी और कार्यसाधक यंत्र टेपरिकार्डर है। टेप पर उत्कृष्ट वक्ता के भाषणों, गीतों, नाटकीय कथनोपकथन, कविताओं और भाषा कौशलों विशेषतः उच्चारण और वाचन पाठों का अंकन करके "प्लेबैक उपकरण" (रिकार्डप्लेयर) द्वारा जब चाहें, तब सुना और सुनाया जा सकता है।

पैलेटोग्राफ की सहायता से मुख विवर के अगले भाग में जिह्वा के कार्यकलाप का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता हैं। मुखरंध्र और स्वरतंत्रियों की कंपन गति को मापने के लिए आसिलोग्राफ और काइमोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा सघोष और अघोष ध्वनियों के भेदों को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। काइमोग्राफों से ध्वनियों की अनुनासिकता, महाप्राणता तथा दीर्घता आदि नापी जा सकती है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सहायता से ध्वनियों को अलग-अलग सरलता से गिना जा सकता है। साउण्ड स्पैक्टोग्राफ से दृश्यमान चित्रों को पुनः ध्वनिमय बनाया जा सकता है।

ध्वनियों के चित्र खींचने, उनको महाप्राणत्व, अल्पप्राणत्व, सघोषत्व, अघोषत्व, गुरुत्व, लघुत्व, दीर्घता, आरोह-अवरोह, अनुनासिकता, निरनुनासिकता, बलाघातें और स्वर-तंत्रियों के कंपन आदि की गति को पहचानने की दृष्टि से ध्वनियंत्रों की उपयोगिता अपरिहार्य है।

प्रक्षेपित दृश्य-श्रव्य उपकरणों के अंतर्गत फिल्म, टेलीविजन, वीडियो कैसेट, रिकार्डर, फिल्म-प्रौजेक्टर, स्लाइड प्रौजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र (एपिडायस्कोप), चित्र पट्टियाँ (फिल्म स्ट्रिप्स), दृश्य-श्रव्य कैसेट्स, स्लाइड्स आदि आते हैं। इन उपकरणों की सहायता से एक ओर भाषा के विभिन्न घटकों, जैसे—वाक्य साँचों, सूक्तियों, मुहावरों, वाक्याँशों, शब्दों, लिपि संकेतों और व्याकरण के तथ्यों का अभ्यास कराया जा सकता है; तो दूसरी ओर भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों की जानकारी भी बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से संप्रेषित की जा सकती है।

भाषा शिक्षण के क्षेत्र में फिल्म, टेलीविजन, वीडियो, रेडियो आदि बड़े ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं और इन्होंने जनसंचार माध्यमों के रूप में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन साधनों की विस्तृत चर्चा आगे "जनसंचार के माध्यम" शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ शिक्षण उपकरणों के प्रकारों का एक आरेख तैयार कीजिए।	निर्माण कीजिए
❑ यंत्रों द्वारा संचालित (प्रक्षेपित) और अयांत्रिक उपकरणों का एक तुलनात्मक चार्ट तैयार कीजिए।	निर्माण कीजिए
❑ उच्चारण और मौखिक अभिव्यक्ति सिखाते समय ध्वनियंत्रों, टेपरिकार्डर, लिंग्वाफोन और ग्रामोफोन रिकार्डों का यथासंभव प्रयोग कीजिए।	प्रयोग कीजिए

18.3 जनसंचार के माध्यम

जनसंचार-माध्यम से अभिप्राय उन साधनों से है जिनके द्वारा हमें दूरवर्ती स्थानों, देश-देशान्तरों में घटित होने वाली घटनाओं, दृश्यों, कार्यकलापों और सूचनाओं को बिना किसी विशेष प्रयास के घर बैठे या कक्षा शिक्षण की स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। जनसंचार के इन साधनों में समाचारपत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन और चलचित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। समाचारपत्रों के विषय में मॉड्यूल-22 में

चर्चा की गई है।

रेडियो एक अत्यंत उपयोगी एवं सुलभ साधन है। समाचार, नाटक, भजन, गीत, संगीत, कहानियों, कविताओं, संवादों आदि की आकर्षक एवं प्रभावशाली प्रस्तुति से विद्यार्थी मनोरंजनात्मक ढंग से शुद्ध उच्चारण एवं आत्मप्रकाशन की क्षमता विकसित कर सकते हैं।

दूरदर्शन और चलचित्रों के कार्यक्रम देश-विदेश की घटनाओं, कार्यकलापों और दृश्यों को सजीव एवं यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूरदर्शन आधुनिक युग की सबसे बड़ी देन है। इसके कार्यक्रम हमारी सामाजिक संस्कृति की झलक प्रदर्शित करते हैं। इनसे राष्ट्र के नागरिकों और विद्यार्थियों में एकता और सद्भावना उत्पन्न होती है और वे राष्ट्र की मुख्य धारा में समाहित होने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं।

इनके माध्यम से जन शिक्षा का आसानी से प्रचार-प्रसार और विस्तार किया जा सकता है। ये जीवन के सभी पक्षों से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। इनके द्वारा समाज की मान्यताओं, जीवन मूल्यों, सांस्कृतिक परंपराओं आदि की जानकारी विद्यार्थियों को प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त भाषाई पाठों का प्रसारण भी दूरदर्शन पर होता है जिससे विद्यार्थी सरल एवं रोचक वातावरण में पाठ की विषयवस्तु को अनायास ही सीख लेते हैं। इन कार्यक्रमों से शिक्षकों और छात्राध्यापकों को कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों, तकनीकों और उपागमों का भी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है।

जनसंचार-माध्यमों द्वारा मातृभाषा शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते समय अध्यापक को पाँच बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए—

1. इन माध्यमों की तकनीकों एवं संचालन विधियों का ज्ञान,
2. कार्यक्रम प्रसारण से पूर्व भाषा शिक्षण की योजना का निर्माण,
3. कार्यक्रम का निश्चित उद्देश्य से यथासमय तथा यथाविधि आयोजन,
4. विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग, तथा
5. प्रसारण के पश्चात् विद्यार्थियों से कार्यक्रम पर चर्चा।

18.4 मातृभाषा शिक्षण में शिक्षण उपकरणों और जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग

भाषा शिक्षण में प्रायः सभी प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करने से पहले हमें पाठ्य-सामग्री के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों पर अच्छी तरह विचार कर लेना आवश्यक है। क्योंकि पाठ्य-सामग्री के शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही हमें उपयोगी और प्रभावकारी ऐसे साधनों का चयन करना होता है जो विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर, अभिरुचि और प्रयोग की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त हों। इन उपकरणों के चयन में सावधानी बरतने के साथ-साथ उनके प्रभावी प्रयोग और परिणामों को भी ध्यान में रखना होगा। इस संबंध में निम्नलिखित तीन तत्वों को विशेषरूप से ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी होगी—

1. साधनों का उद्देश्य आधारित चयन,
2. सम्यक् निरीक्षण,
3. यथासमय और आवश्यकतानुसार यथाविधि प्रभावी प्रयोग।

मातृभाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण और जनसंचार के माध्यम केवल साधन मात्र हैं, साध्य नहीं। इनका प्रयोग आवश्यकतानुसार किसी भी सोपान में हो सकता है। उनकी उपयोगिता प्रमुख रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि उनके प्रयोग से हम शिक्षण को कितना प्रभावशाली बना सकते हैं। इस संदर्भ में विचारणीय प्रश्न यह है कि कौन-सा उपकरण किस विषयवस्तु अथवा तथ्य को समझाने या स्पष्ट करने में विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता है? हमें यह भी देखना होगा कि कोई उपकरण उस विषयवस्तु का सही रूप में प्रतिनिधित्व करता है या नहीं? इसके अलावा उसका सही स्थान पर सही रूप में प्रयोग भी होना चाहिए। किसी भी उपकरण की वैधता या सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि

जो विषय उसके अभाव में ठीक प्रकार से नहीं समझाया जा सका वह उसके प्रयोग से अधिक स्पष्ट, रोचक और अनायास ही विद्यार्थियों को हृदयंगम कराया जा सके।

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले साधन जो शिक्षण प्रक्रिया को अधिक रोचक, सजीव, बोधगम्य और प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं, शैक्षणिक उपकरण कहलाते हैं।
2. शैक्षणिक उपकरणों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वान अपने-अपने ढंग से अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे—मुद्रित तथा अमुद्रित उपकरण, व्ययहीन, अल्पव्ययी तथा व्यय साध्य उपकरण, परंपरागत तथा नवीन उपकरण, दृश्य, श्रव्य तथा दृश्य-श्रव्य उपकरण, अप्रक्षेपित तथा प्रक्षेपित उपकरण। उपकरणों का एक और व्यापक वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है—
   (क) मुद्रित उपकरण—पाठ्यपुस्तकें, सहायक पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएँ आदि।
   (ख) अयांत्रिक उपकरण—श्यामपट्ट, रोलर बोर्ड (परंपरागत उपकरण), चित्र, रेखाचित्र, चार्ट, नक्शे, फ्लैश कार्ड, मॉडल, कार्टून, खेल, यथार्थ वस्तुओं के नमूने आदि (कम कीमत वाले या अल्पव्ययी उपकरण)।
   (ग) यांत्रिक उपकरण—ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, रिकार्ड, टेपरिकार्डर, पैलेटोग्राफ, आसिलोग्राफ, काइमोग्राफ, साउण्ड स्पैक्टोग्राफ (ध्वनि यंत्र) तथा स्लाइड, चित्र पट्टियाँ (फिल्म स्ट्रिप्स), पारदर्शी चित्र, श्रव्य तथा दृश्य टेप अथवा कैसेट, फिल्म प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र, चलचित्र, रेडियो तथा दूरदर्शन आदि (प्रक्षेपित श्रव्य तथा दृश्य-श्रव्य उपकरण)।
3. जनसंचार-माध्यम वे साधन हैं जिनके द्वारा दूरवर्ती स्थानों तथा देश-देशान्तरों में घटित होने वाली घटनाओं, दृश्यों, कार्यकलापों और सूचनाओं की प्राप्ति बिना किसी प्रयास के घर बैठे या कक्षा शिक्षण की स्थिति में हो जाती है। इन साधनों में समाचारपत्र, रेडियो, टेलीविजन और चलचित्र विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इनसे राष्ट्र के नागरिक और विद्यार्थियों में एकता और सद्भावना उत्पन्न होती है। विशेषकर दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रमों से विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण, मौखिक अभिव्यक्ति और शुद्ध भाषा व्यवहार की आदत का निर्माण कर सकते हैं। इन माध्यमों से मातृभाषा सिखाने के कार्यक्रम का आयोजन करते समय अध्यापक को कुछ विशेष बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे—इनकी तकनीकों एवं संचालन विधियों का ज्ञान, प्रसारण समय के अनुसार भाषा शिक्षण की योजना का निर्माण, कार्यक्रम का निश्चित उद्देश्य से यथासमय तथा यथाविधि आयोजन, विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग तथा कार्यक्रम के पश्चात् विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम पर चर्चा। भाषा शिक्षण में शैक्षणिक उपकरणों का सफल प्रयोग करते समय तीन बातों पर विशेषरूप से ध्यान रखना चाहिए :

1. उपकरणों का उद्देश्य आधारित चयन,
2. सम्यक् निरीक्षण, और
3. यथासमय तथा आवश्यकतानुसार यथाविधि प्रभावी प्रयोग।

यह भी हमेशा ध्यान रहे कि ये सभी उपकरण तथा जनसंचार-माध्यम शिक्षण के साधन मात्र हैं, साध्य नहीं। इनका सफल प्रयोग अध्यापक की विवेक बुद्धि पर अधिक निर्भर करता है।

मूल्यांकन

1. यंत्र संचालित तथा अयंत्र संचालित शैक्षणिक उपकरणों की उपयोगिता सिद्ध कीजिए।

2. नीचे दिए गए सही कथनों के सामने सही (✓) और गलत कथनों के सामने क्रॉस (x) का निशान लगाइए :
   (1) दूरदर्शन ने सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को निष्क्रिय बना दिया है। ☐
   (2) जनसंचार के माध्यम राष्ट्र के विभिन्न अंचलों की संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हैं। ☐
   (3) अल्पव्ययी उपकरणों का निर्माण केवल कारीगर ही कर सकते हैं। ☐
   (4) दृश्य-श्रव्य दोनों होने के कारण दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली होते हैं। ☐
   (5) आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम केवल युवकों को ही प्रभावित करते हैं। ☐
   (6) उच्चारण और मौखिक अभिव्यक्ति सिखाने की दृष्टि से ध्वनियंत्रों की सहायता ली जा सकती है। ☐
   (7) शिक्षण में यंत्र संचालित उपकरणों का स्थान सर्वोपरि है। ☐

3. अंतर स्पष्ट कीजिए

क. फ्लैश कार्ड	:	चित्र
ख. चित्र	:	चित्रपट्टी
ग. रेखाचित्र	:	चित्रपट्टी
घ. प्रतिरूप	:	नमूना

4. भाषा शिक्षण में शिक्षण उपकरणों का प्रभावी प्रयोग आप कैसे करेंगे?

मॉड्यूल–19

गृहकार्य

19.0 प्रस्तावना

शिक्षण की प्रक्रिया तीन सोपानों में संपन्न होती है— सिद्धांत, अभ्यास और प्रयोग एवं व्यवहार। सिद्धांत के अंतर्गत विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक का सैद्धान्तिक रूप से ज्ञान कराया जाता है। सिद्धांतों की जानकारी के आधार पर विद्यार्थी अभ्यास कार्य करते हैं। ये दोनों सोपान कक्षा शिक्षण की स्थिति में पूरे कर लिए जाते हैं, परन्तु प्रयोग एवं व्यवहार का कार्य कक्षा में पूरी तरह संपन्न नहीं हो सकता। यह तभी संभव है, जबकि विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में उसे व्यवहार में लाया जाए। अर्जित ज्ञान को व्यवहार में लाने से उसमें स्थायित्व आता है। ज्ञान को स्थाई रूप देने और विद्यार्थियों की आदत निर्माण का अंग बनाने के लिए गृहकार्य की आवश्यकता है। इस प्रकार गृहकार्य कक्षा शिक्षण का विस्तार और पूरक है।

आज के वैज्ञानिक युग में विद्यार्थी कम से कम समय में, कम से कम प्रयास द्वारा अधिक से अधिक विषयवस्तु को रोचक एवं सरस वातावरण में सीखना चाहते हैं। वे सामान्यतः नहीं चाहते हैं कि वे घर पर भी विद्यालय का काम करें, तथापि कक्षा में इतना समय मिलना संभव नहीं, जितना कि पाठ्य-सामग्री को पूरी तरह आत्मसात् करने के लिए पर्याप्त हो। इसलिए गृहकार्य देना आवश्यक है, परन्तु यह कार्य केवल खाना पूर्ति के लिए देना उपयुक्त नहीं। यह अपने उद्देश्य को तभी पूरा कर सकेगा, जबकि शिक्षण की प्रक्रिया को अध्यापक इतना रोचक और आकर्षक बनाए कि गृहकार्य के प्रति विद्यार्थियों में अभिरुचि उत्पन्न हो और उसे पूरा करने में उन्हें उल्लास और आत्म-संतोष का अनुभव हो।

प्रस्तुत मॉड्यूल में गृहकार्य के महत्त्व और स्वरूप का निरूपण करते हुए उसके सतत मूल्यांकन पर बल दिया गया है। इसके साथ ही उसकी सार्थकता सिद्ध करने की दृष्टि से उसके संशोधन एवं मूल्यांकन की विधियों पर प्रकाश डाला गया है। संशोधन कार्य या मूल्यांकन गृहकार्य का अभिन्न अंग है।

व्यवहारगत उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. शिक्षण में गृहकार्य के महत्त्व और स्वरूप को समझ कर उस पर चर्चा कर सकेंगे।
2. गृहकार्य के सतत मूल्यांकन और संशोधन की विधियों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें प्रयोग में ला सकेंगे।

19.1 गृहकार्य : महत्त्व तथा स्वरूप

कक्षा शिक्षण में पाठ की समाप्ति के समय पाठ विशेष से संबंधित जो कार्य, घर से पूरा करके लाने के लिए विद्यार्थियों को दिया जाता है, उसे गृहकार्य कहते हैं। इस कार्य के अंतर्गत शब्द रचना, प्रयोग, भावाभिव्यक्ति, सारांश, वाक्य रचना, गहन स्थलों की व्याख्या आदि का उल्लेख किया जा सकता है। पाठ से संबंधित सहायक पुस्तकों का पठन या स्वतंत्र रूप से लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना भी गृहकार्य का ही दूसरा रूप है।

महत्त्व

गृहकार्य शिक्षण का एक सोपान है। अन्य सोपानों की तरह यह भी सोद्देश्य है और पाठ का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा पाठ से उपार्जित ज्ञान को व्यवहार में लाकर उसे स्थाई बनाया जाता है। किसी भी पाठ द्वारा प्रदत्त अधिगम अनुभवों को आत्मसात् करने, उसका अभ्यास करने

और उन्हें व्यवहार में लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता पड़ती है। अध्यापक को कक्षा शिक्षण की सीमित अवधि में इतना समय नहीं मिल पाता। कक्षा में पढ़ाई गई विषय सामग्री को पूर्ण रूप से आत्मसात् करने और प्रयोग में लाने के लिए विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर भी समय की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कक्षा शिक्षण के समय प्राप्त अधिगम अनुभवों के विस्तार अथवा संवर्द्धन के लिए गृहकार्य का सहारा लिया जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्णता देने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह पठित पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और अभ्यास कार्य आदि घर पर पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को अवश्य दें, ताकि विद्यार्थी घर पर अपने समय का सदुपयोग कर सकें और अपने चिन्तन, मनन तथा स्वाध्याय द्वारा उस कार्य को पूरा कर सकें। इससे विद्यार्थियों में पाठ्य-सामग्री को व्यवहार में लाने और स्वाध्याय द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाने के प्रति उनमें अभिरुचि उत्पन्न होती हैं। इसके साथ-साथ कार्य करने की आदत का निर्माण भी होता है। गृहकार्य कक्षा शिक्षण का पूरक है। उससे विद्यार्थियों के ज्ञान का दृढ़ीकरण तो होता ही है, उसमें पूर्णता भी आती है। इस प्रकार गृहकार्य का महत्त्व स्वतः सिद्ध हो जाता है।

स्वरूप

गृहकार्य के अनेक रूप हो सकते हैं। इनके रूपों का निर्धारण विशेषतः पठित पाठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पढ़े हुए पाठों—कहानी, कविता, नाटक, वार्तालाप आदि का सारांश विद्यार्थी अपने शब्दों में लिखकर ला सकते हैं। यदि उच्च कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो साहित्य की एक विधा का दूसरी विधा में रूपांतरण भी कराया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों की आत्माभिव्यंजन तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। इसके अतिरिक्त वे साहित्य की विभिन्न शैलियों से भी व्यावहारिक रूप में परिचय प्राप्त कर लेते हैं।

सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि केवल लिखित रूप में किया गया कार्य ही गृहकार्य है। यह धारणा भ्रमात्मक है। विद्यालय से बाहर ऐसा कोई भी मौखिक, अवलोकनात्मक अथवा परियोजनात्मक कार्य जिसके द्वारा कक्षा-अधिगम सुस्पष्ट, सुबोध और संपुष्ट हो गृहकार्य के रूप में दिया जा सकता है।

पाठों में कुछ ऐसी कविताओं, कहानियों, चुटकुलों अथवा उक्तियों आदि का समावेश रहता है जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की भाषाई क्षमता का विकास होता है। उन्हें घर से कंठाग्र करके लाने का आदेश अध्यापक विद्यार्थियों को दे सकता है। पाठ में आए विचारों और भावों को विभिन्न शैलियों में व्यक्त कराया जा सकता है। पाठों में कुछ ऐसे तत्त्वों का संकेत होता है जिनको पूरी तरह समझने के लिए विद्यार्थियों को अतिरिक्त जानकारी की अपेक्षा रहती है। विद्यार्थियों से गृहकार्य के रूप में उन तत्त्वों और सूचनाओं का अन्य पुस्तकों से संकलन या संग्रह कराया जा सकता है। लिखित कार्य को पूरा करने के लिए अथवा उसका अधिक अभ्यास कराने के लिए अनुलेखन, प्रतिलेखन, अनुवाद, वाक्य प्रयोग और लिखित रचना से संबंधित प्रश्न हल करवाना अधिक उचित रहता है। पाठ में प्रयुक्त भाषिक तथ्यों, व्याकरणिक तत्त्वों और वर्तनी आदि से युक्त शब्दों की तालिकाएँ तैयार कराई जा सकती हैं। शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूँढ़ने के लिए कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त घर पर दूरसंचार के साधनों के द्वारा अच्छे भाषाई कार्यक्रमों को सुनकर उनसे विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं। अच्छे संवादों को सुनकर अनुकरण द्वारा श्रवण और उच्चारण अभ्यास किया जा सकता है।

गृहकार्य देते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। गृहकार्य पाठ की विषयवस्तु की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। गृहकार्य सीमित मात्रा में ही दिया जाए, ताकि विद्यार्थी उसे उत्साहित होकर लगन, परिश्रम और अभिरुचि के साथ पूरा कर सकें। उन्हें इस बात का अनुभव न हो कि उन्हें अध्यापक के भय से गृहकार्य का बोझ उतारना है। गृहकार्य थोड़ी मात्रा में इतना रोचक हो कि विद्यार्थी स्वतः ही उसे पूरा करने के लिए लालायित हों।

वे गृहकार्य करते समय इस बात का भी अनुभव करें कि इससे उनके ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। कठिनाई स्तर की दृष्टि से गृहकार्य संतुलित होना चाहिए—वह न तो बहुत कठिन हो, न बहुत सरल; न बहुत अधिक हो और न बहुत कम। यह पाठ्यवस्तु से किसी न किसी रूप में संबद्ध अवश्य होना चाहिए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों से गृहकार्य के कुछ नमूने छाँटिए तथा उनका चार्ट बनाइए।	चयन कीजिए और सामग्री निर्माण कीजिए
❑ पाठों की प्रकृति के अनुसार गृहकार्य की तालिकाएँ बनाइए।	सामग्री निर्माण कीजिए

19.2 गृहकार्य का मूल्यांकन तथा संशोधन विधियाँ

गृहकार्य की जाँच यथासमय और यथाविधि होनी चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गृहकार्य लिखित भी हो सकता है तथा मौखिक एवं परियोजनात्मक भी। मौखिक रूप से करके लाने वाले गृहकार्य के संबंध में आप पहले से कुछ प्रश्न स्वयं तैयार कर लें और फिर विद्यार्थियों द्वारा किए गए गृहकार्य का मूल्यांकन उनसे प्रश्न पूछकर करें। इस संबंध में मौखिक चर्चा का आयोजन भी किया जा सकता है। परियोजनात्मक गृहकार्य में विद्यार्थियों द्वारा संकलित सामग्री का अवलोकन कर उनके कार्य का मूल्यांकन करें। लिखित गृहकार्य के मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों के गृहकार्य की उत्तर पुस्तिकाएँ बदल कर विद्यार्थियों में वितरित कर दें और विद्यार्थियों से ही उनको संशोधित कराएँ। यदि आवश्यक हो तो संशोधन करने वाले विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए सही उत्तर श्यामपट्ट पर लिख दें। अध्यापक स्वयं भी उन उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करके विद्यार्थियों की कमियों से उन्हें अवगत करा सकता है और उनका संशोधन करके उन्हें सुधारने का आदेश दे सकता है। यदि इनके अतिरिक्त भी कोई सुविधाजनक विधि हो तो अध्यापक उसे अपना सकता है। अध्यापक को अपनी डायरी में प्रत्येक विद्यार्थी के गृहकार्य का लेखा-जोखा अवश्य रखना चाहिए, ताकि समय-समय पर उनकी प्रगति का पता चलता रहे। गृहकार्य पूरा न करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को कार्य पूरा न करने की निरंतर सूचना मिलती रहनी चाहिए, ताकि वे अपने बालकों को गृहकार्य पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकें और विद्यार्थियों की सजग रहकर कार्य पूरा करने की आदत बनी रहे। गृहकार्य को भली प्रकार पूरा करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ कक्षा पाँच के विद्यार्थियों के लिखित गृहकार्य का संशोधन कीजिए तथा उनकी प्रगति का लेखा-जोखा तैयार कीजिए।	प्रगति कार्ड बनाइए
❑ कक्षा सात के विद्यार्थियों को रेडियो, दूरदर्शन और सहायक पुस्तकों में कविताएँ, कहानियाँ, वार्तालाप आदि सुनाकर उन्हें यथाविधि बोलने और कहने का अभ्यास कराइए।	ध्यानपूर्वक सुनकर बोलने का अभ्यास कराइए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. किसी पाठ की पाठ्यवस्तु से संबंधित वह कार्य, जो घर से पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को दिया जाता है, उसे गृहकार्य कहते हैं। गृहकार्य का मुख्य उद्देश्य कक्षा शिक्षण से उपार्जित ज्ञान को स्थाई बनाना है। कक्षा में पढ़ाई गई सामग्री को व्यवहार में लाने के लिए कक्षा से बाहर भी उसके प्रयोग की यथेष्ट आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए गृहकार्य का देना आवश्यक है। कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्णता देने के लिए अध्यापक को चाहिए कि गृहकार्य के रूप में विद्यार्थियों को कुछ ऐसे प्रश्न दें जिन्हें वे सहायक पुस्तकों, रेडियो, टेपरिकार्डर और दूरदर्शन की सहायता से रोचक वातावरण में पूरा कर सकें। गृहकार्य से विद्यार्थियों के ज्ञान का दृढ़ीकरण तो होता ही है, उनमें स्वाध्याय की आदत का निर्माण भी होता है।
2. गृहकार्य के अनेक रूप हो सकते हैं, जिनका निर्धारण पाठ विशेष की शिक्षण सामग्री के अनुसार होता है। तथापि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक गृहकार्य लिखित ही हो। मौखिक, अवलोकनात्मक तथा परियोजनात्मक कार्य भी गृहकार्य के अंतर्गत आ सकते हैं। गृहकार्य सीमित मात्रा में विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार दिया जाए, ताकि विद्यार्थी स्वयं अपनी प्रेरणा और रुचि के साथ उसे पूरा कर सकें।
3. गृहकार्य का मूल्यांकन और संशोधन भी शिक्षण कार्य का ही अभिन्न अंग है। उसके बिना गृहकार्य देना उद्देश्यहीन और निरर्थक हो जाता है और विद्यार्थी उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। इसलिए यथाविधि मूल्यांकन और संशोधन करना अध्यापक का विशेष दायित्व है। इसके आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति का लेखा-जोखा भी अध्यापक के पास रहना चाहिए, ताकि समय-समय पर विद्यार्थियों की प्रगति का पता लग सके।

मूल्यांकन

1. गृहकार्य देना क्यों आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए।
2. गृहकार्य देने में आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिएँ? समझाकर लिखिए।
3. सही कथनों पर सही (✓) का और गलत कथनों पर क्रॉस (x) का निशान लगाइए :
   - क. गृहकार्य पाठ्य-सामग्री की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। ☐
   - ख. मूल्यांकन के बिना भी गृहकार्य से लाभ ही होता है। ☐
   - ग. प्रत्येक पाठ के अंत में गृहकार्य देना अनिवार्य है। ☐
   - घ. कक्षा के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए गृहकार्य की आवश्यकता पड़ती है। ☐
   - ङ शिक्षण की पूरी प्रक्रिया कक्षा में ही संपन्न हो जाती है।
   - च. विद्यार्थियों को गृहकार्य देकर उन पर व्यर्थ का बोझ डाला जाता है। ☐
   - छ. गृहकार्य विद्यार्थियों की प्रगति का पता लगाने में कोई सहायता नहीं करता। ☐

4. नीचे वाक्यों के दो वर्ग दिए गए हैं। प्रत्येक वर्ग से एक-एक वाक्यांश चुनकर सही वाक्य बनाइए।

वर्ग-1	*वर्ग-2*	*वाक्य*
1. गृहकार्य का मुख्य उद्देश्य	पूरक है।	1.
2. गृहकार्य पाठ-योजना का	स्वाध्याय की आदत पड़ती है।	2.
3. गृहकार्य शिक्षण कार्य का	गृहकार्य निरुद्देश्य है।	3.
4. गृहकार्य से	प्राप्त ज्ञान को स्थाई बनाना है।	4.
5. मूल्यांकन के बिना	एक सोपान है।	5.

मॉड्यूल–20

मातृभाषा शिक्षण से संबंधित सहशैक्षणिक कार्यकलाप

20.0 प्रस्तावना

मातृभाषा शिक्षण के लिए सामान्यतः पाठ्यपुस्तक तथा पूरक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। किंतु भाषा एक कौशल प्रधान विषय है और किसी विषय में कुशलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होता है कि शिक्षार्थी को ऐसे अधिकाधिक अनुभव प्राप्त हों जिनके द्वारा उसे कुशलता प्राप्ति के अनेकानेक अवसर मिलें। भाषा के संदर्भ में इस दृष्टि से केवल पाठ्यपुस्तक तथा पूरक पाठ्य-सामग्री पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम में निर्धारित सामग्री के अतिरिक्त अन्य ऐसे माध्यम उपलब्ध कराने चाहिएँ जिनके द्वारा वे अपने आपको मौखिक अथवा लिखित रूप से सहज अभिव्यक्त कर सकें। भाषा शिक्षण में सहशैक्षणिक कार्यकलाप इस दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये अनुभव शिक्षार्थियों को सृजनात्मक आत्म-प्रकाशन, चिन्तन-मनन, तर्क-वितर्क तथा भाषा के व्यावहारिक प्रयोग के समुचित अवसर देते हैं। साथ ही ये कार्यकलाप पाठ को रोचक बनाने, अभ्यास कराने और विषय को व्यवहार का अंग बनाने या आत्मसात् करने में सहायक होते हैं।

इस मॉड्यूल में भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी सहशैक्षणिक कार्यकलापों पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ विषय का प्रस्तुतीकरण स्पष्ट रूप से करने के लिए इसके मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों की चर्चा की गई है तथा विषय के महत्त्व और उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला गया है।

व्यवहारगत उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. सहशैक्षणिक कार्यकलापों का महत्त्व और उद्देश्य बता सकेंगे।
2. सहशैक्षणिक कार्यकलाप के मौखिक रूप, यथा— पठन, वादविवाद, अंत्याक्षरी, कविता पाठ, कहानी सुनाना आदि कार्यकलापों से संबंधित प्रतियोगिताओं के आयोजन की विधि से अवगत होकर उन्हें कार्यरूप दे सकेंगे।
3. सहशैक्षणिक कार्यकलापों के लिखित रूप, यथा— सुलेख, निबंध, कहानी तथा मौलिक लेखन संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकेंगे और उनके संबंध में प्रतिवेदन लिख सकेंगे।

20.1 सहशैक्षणिक कार्यकलापों का महत्त्व और उद्देश्य

महत्त्व : इस मॉड्यूल की प्रस्तावना में इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की पूर्ति मात्र पाठ्यपुस्तक या कक्षा शिक्षण से पूरी नहीं हो सकती। केवल ज्ञान या सूचना देने से शिक्षा के उद्देश्य उस समय तक पूरे नहीं होते, जब तक इन्हें व्यवहार का जामा नहीं पहना दिया जाता। मात्र पाठ्यपुस्तक शिक्षण, एकांगी दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। सहशैक्षणिक कार्यकलाप व्यक्तित्व को समग्रता प्रदान करते हैं। ये कार्यकलाप लोकतांत्रिक जीवन पद्धति के अनुकूल नागरिक का विकास करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ये कार्यकलाप विद्यार्थी की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

उद्देश्य : सहशैक्षणिक कार्यकलापों के आयोजन के मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. विद्यार्थियों को सर्जनात्मक शक्ति के विकास के अवसर प्रदान करना।

2. उनको स्वयं अपनी रुचि के क्षेत्र पहचानने के अवसर प्रदान करना।
3. उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यथा—व्यक्तित्व की पहचान, अगुआई की भावना, पहल की भावना आदि।
4. पाठ्यक्रम के उन अनुभूतिपरक क्षेत्रों की पूर्ति करना जिनकी पूर्ति कक्षा शिक्षण से संभव नहीं है।
5. विद्यार्थियों को इन कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था के अवसर देकर उत्तरदायी पीढ़ी का निर्माण करना।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ मातृभाषा शिक्षण में सहशैक्षणिक कार्यकलापों की उपयोगिता पर कक्षा में चर्चा कीजिए।	चर्चा कीजिए
❑ मातृभाषा शिक्षण में सहशैक्षणिक कार्यकलापों के आयोजन के उद्देश्य लिखिए।	सूची बनाइए

20.2 प्रतियोगिता आयोजन के आधारभूत सिद्धान्त

अलग-अलग प्रतियोगिताओं के आयोजनों पर चर्चा करने से पहले आइए, प्रतियोगिता आयोजन के उन आधारभूत सिद्धान्तों पर विचार कर लें जो सभी प्रतियोगिताओं से किसी न किसी रूप से संबंध रखते हैं।

1. **वार्षिक योजना का निर्माण** : प्राप्त साधन, सुविधा, समय और राशि को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता की वार्षिक योजना का निर्माण करना चाहिए। योजना बनाते समय लोकतांत्रिक विधि अपनाई जानी चाहिए। इसकी सुगम विधि यह है कि प्रधानाचार्य सभी अध्यापकों से सुझाव आमंत्रित करें जिनके आधार पर एक समिति इस बात का निर्णय ले कि कौन-कौन सी प्रतियोगिताएँ करनी हैं, क्यों करनी हैं, कब करनी हैं, और कैसे करनी हैं आदि।
2. **संयोजक समिति को उत्तरदायी बनाना** : हर प्रतियोगिता को हर अध्यापक आयोजित नहीं कर सकता इसलिए अध्यापकों की रुचि के अनुसार छोटी-छोटी समितियों का गठन करना अच्छा रहता है। संयोजक समिति को हर चरण का उत्तरदायित्व सौंपना उचित है।
3. **मूल्यांकन** : हर कार्यकलाप का प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए और प्रतिवेदन पर सामूहिक रूप से चर्चा की जानी चाहिए। कार्यकलाप के कार्यान्वयन के सबल और निर्बल बिन्दुओं पर विचार करके उनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर आगामी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिएँ।
4. **प्रमाण-पत्र वितरण** : हर प्रतिभागी का विधिवत् रिकार्ड रखा जाना चाहिए। मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय यथा सांत्वना पुरस्कार दिए जाने चाहिएँ। पुरस्कार या प्रमाण-पत्र यदि समारोहपूर्वक दिया जाएँ, तो अच्छा रहेगा। इससे दूसरे विद्यार्थी भी अगली बार प्रयत्न करने को प्रोत्साहित होंगे। यदि ऐसा करना संभव न हो तो सामूहिक प्रार्थना के समय विजेताओं के नामों की घोषणा शीघ्रातिशीघ्र कर देनी चाहिए।
5. **सम्मानपट्ट** : यदि हर प्रतियोगिता के लिए अलग से वार्षिक सम्मानपट्ट बना दिया जाए तो अच्छा होगा। किसी भी प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में यह ध्यान रखें कि उसमें अधिकाधिक विद्यार्थियों को भाग लेने के अवसर दिए जाएँ। केवल उन विद्यार्थियों को ही बार-बार अवसर न दिए जाएँ जो क्षेत्र विशेष में

उत्कृष्टता रखते हों। हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतियोगिता की सहभागिता के अवसर प्रदान करना है; पुरस्कार प्राप्त करने तथा उत्कृष्टता प्रदर्शन के अवसर नहीं।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ मातृभाषा शिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते समय आप किन-किन सामान्य बातों पर ध्यान देंगे?	सूची बनाइए

20.3 विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम

भाषा शिक्षण की दृष्टि से शैक्षणिक कार्यकलापों को मोटे रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है—मौखिक तथा लिखित। आइए, यहाँ एक-एक करके इन आयोजनों के मुख्य पहलुओं पर चर्चा करें।

1. **मौखिक शैक्षणिक कार्यकलाप :** ये वे कार्यक्रम हैं जिनका संबंध मौखिक या मुख द्वारा की गई अभिव्यक्ति से है। इन कार्यकलापों में से कुछ की चर्चा मॉड्यूल 7.2 में पीछे हो चुकी है। आप उस सामग्री को अवश्य पढ़ें। यहाँ उनके कुछ पक्षों पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा।

(i) **पठन :** यह भाषा का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। पठन संबंधी क्रियाओं का आयोजन कई स्तर पर संभव है, यथा—

1. पुस्तकालय या वाचनालय में अतिरिक्त पठन की व्यवस्था करना।
2. निर्देशित पठन (गाइडिड रीडिंग) अर्थात् अध्यापक की देखरेख में पठन की व्यवस्था करना।
3. कक्षा के अनुसार पठन गति की प्रतियोगिताएँ आयोजित करना।
4. प्रार्थना सभा के समय समाचार पठन की व्यवस्था करना।
5. भावानुकूल (आदेश, निर्देश, प्रार्थना, अनुरोध, हर्ष-क्रोध आदि) आधारित सामग्री के पठन की प्रतियोगिताएँ आयोजित करना।
6. चित्रमय कहानियों का पठन सिखाना।
7. कहानी, जीवनी, निबंध, नाटक आदि की पुस्तकों के विषयानुसार प्रदर्शन का आयोजन करना।
8. गाँधी-जयन्ती, बाल-दिवस, स्वतंत्रता-दिवस आदि अवसरों पर संबंधित विषय की पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित करना।

(ii) **वादविवाद**

1. समसामयिक विषयों पर वादविवाद के विषयों की सूची बनाना।
2. विद्यालय स्तर पर वादविवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
3. अन्तर्विद्यालय स्तर पर वादविवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा विद्यार्थियों द्वारा उनमें भाग लेना।
4. शिक्षण अभ्यास के समय वादविवाद संबंधी पाठ योजना का निर्माण करना।

(iii) **अंत्याक्षरी**

1. अंत्याक्षरी प्रतियोगिता के नियम बनाना।
2. अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का संचालन करना।
3. शब्द निर्माण तथा पद्य पर आधारित अंत्याक्षरी की पाठ योजना बनाना।
4. शिक्षण अभ्यास के समय अंत्याक्षरी कराना।
5. ठ, ड, ढ, ष से आरंभ होने वाले शब्दों तथा पदों की सूची तैयार करना।

(iv) कविता का सुपाठ

1. कविता पाठ के लिए बालगीत, बालोपयोगी कविता आदि का संग्रह करना।
2. कविता पाठ प्रतियोगिता के नियम बनाना।
3. कविता पाठ प्रतियोगिता का संचालन करना।
4. कविता पाठ प्रतियोगिता की पाठ योजना का निर्माण करना।
5. विद्यार्थियों के सम्मुख कविता का आदर्श पाठ प्रस्तुत करना।
6. कवि गोष्ठियों का आयोजन करना।

(v) कहानी कथन प्रतियोगिता

1. विद्यार्थियों के सम्मुख कहानी को आदर्श विधि से प्रस्तुत करना।
2. बालोपयोगी कहानियों का चयन करना।
3. कहानी प्रतियोगिता की नियमावली बनाना।
4. कहानी प्रतियोगिता का संचालन करना।
5. कहानी संचालन प्रतियोगिता की पाठ योजना का निर्माण करना।
6. विद्यार्थियों द्वारा सुनाई गई कहानियों को रिकार्ड कर पुनः सुनाना।

2. लिखित शैक्षणिक कार्यकलाप

मौखिक शैक्षणिक कार्यकलापों पर प्रकाश डालने के वाद आइए, जरा लिखित शैक्षणिक कार्यकलापों पर भी विचार करें।

(i) सुलेख प्रतियोगिता

1. वर्णों की आदर्श बनावट के लिए खंडशः वर्ण-लेखन करना।
2. श्यामपट्ट पर सुलेख का आदर्श रूप प्रस्तुत करना।
3. सुलेख की अभ्यास पुस्तिकाओं का उचित स्थान पर प्रदर्शन करना।
4. अच्छे सुलेख के गुणों पर विद्यार्थियों से चर्चा करना।
5. पाक्षिक, मासिक या वार्षिक आधार पर कक्षानुसार, विद्यालय अनुसार या अन्तर्विद्यालयी स्तर पर सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
6. सुलेख प्रतियोगिता के नियम बनाना।
7. सुलेख प्रतियोगिता के मूल्यांकन के मार्गदर्शक तत्त्व निर्धारित करना।
8. विद्यार्थियों के आदर्श लेख का उचित स्थान पर प्रदर्शन करना।
9. अच्छा लेख लिखने वाले विद्यार्थियों से सूक्ति, दोहे आदि को आदर्श वाक्य (मोटो) के रूप में लिखवाकर लटकाना।
10. दैनिक समाचार, भित्ति पत्रिका लेखन में सुलेखी विद्यार्थियों का रचनात्मक सहयोग प्राप्त करना।

(ii) निबंध

1. पुस्तकालय में उपलब्ध निबंध की पुस्तकों की सूची बनवाना।
2. विषय अनुसार (जीवनी, त्योहार आदि) निबंधों की सूचियाँ बनाना तथा बनवाना।
3. विद्यालय तथा अन्तर्विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
4. निबंध मूल्यांकन के नियम निर्धारित करना।
5. पुरस्कृत निबंधों को भित्ति पत्रिका या विद्यालय पत्रिका में उचित स्थान देना।

(iii) कहानी

1. दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी का विकास करवाना।
2. दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी का विकास करना और करवाना (प्यासे कौए की कहानी, समझदार बकरियों की कहानी)।
3. अधूरी कहानी को पूरा करवाना (एक राजा था एक रानी थी। रानी के पास एक पालतू तोता था.....)।

4. मुहावरा या लोकोक्ति देकर कहानी लिखवाना (जैसे—जिसका काम उसी को साजे, टेढ़ी खीर, ईश्वर उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है, कर भला हो भला आदि)।
5. पाठ्यपुस्तकों की कहानियाँ अपने शब्दों में लिखवाना।
6. मौखिक चिन्तन के लिए दिए विषय के अनुसार कहानी लिखने और लिखवाने का अभ्यास करना और करवाना (जैसे—कर भला हो भला, बुद्धि का बल)।

(iv) मौलिक लेखन

मौलिक लेखन या सृजनात्मक लेखन का अभिप्राय है अपनी सूझबूझ के अनुसार निबंध, अनुच्छेद, कविता, कहानी आदि साहित्यिक विधा में अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करना। मौलिक लेखन को रुचिकर बनाने के लिए पहले आसपास की उपयोगी वस्तुओं पर आठ-दस वाक्य स्वयं लिखकर विद्यार्थियों को सुनाएँ। अब विद्यार्थियों को भी अपनी इच्छा के अनुसार अन्य ऐसी वस्तुओं पर वाक्य लिखने के लिए कहें। उन्हें एक-दूसरे की रचना कक्षा में पढ़कर सुनाएँ। अच्छे शब्दों का प्रयोग तथा कल्पना या विचार की प्रशंसा करें। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। यह ध्यान रहे कि इस प्रकार के लेखन में वर्तनी की अशुद्धियाँ निकाल कर विद्यार्थियों को निराश न करें। उनके वाक्य विन्यास की ओर भी ध्यान न दें। सृजनात्मक लेखन में मुख्य बात नवीन विचार और उसकी अभिव्यक्ति है। बाकी सब बातों को गौण समझें।

वाक्यों के बाद विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करवाएँ। अनुच्छेदों के विषय रोचक और वर्णनात्मक हों, जैसे—मेरी कक्षा का कमरा, हमारा खेल का मैदान, मेरा बस्ता। वर्णनात्मक अभ्यास के बाद स्व-अनुभूतिपरक विषय पर अनुच्छेद लिखवाएँ, जैसे—प्रातःकालीन प्रार्थना सभा, आधी छुट्टी, कक्षा का खाली पीरियड, रविवार का दिन, घर से विद्यालय की यात्रा, मैं और मेरे मित्र।

पाँच-छः महीने के आरंभिक अभ्यास के बाद मौलिक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करें। यह आयोजन कक्षानुसार हो, तो अच्छा रहेगा। मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दें कि वे विद्यार्थियों के सृजनात्मक चिन्तन और मौलिक भाव प्रकाशन पर ध्यान दें, वर्तनी की अशुद्धियों को गौण समझें। मूल्यांकन अंकों के आधार पर न होकर गुणात्मक हो, अर्थात् प्रथम श्रेणी के लेख, द्वितीय श्रेणी के लेख आदि।

विशेष

यह ध्यान रखें कि यदि कक्षा में सामान्यरूप से असमर्थ, विशेष आवश्यकता वाले बालक हों, जैसे—दृष्टि विषयक, श्रवण विषयक, अस्थि विषयक, अधिगम विषयक तथा मानसिक रूप से पिछड़े हुए, उन्हें भी इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करें। इन विद्यार्थियों के लिए विशेष सांत्वना पुरस्कार देने की व्यवस्था करें, ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो सके। ऐसे विद्यार्थियों को आयोजन के विभिन्न चरणों में भी जोड़े रखें जिनसे उनको अनुभव हो कि उन पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें उचित सम्मान मिल रहा है। इसके लिए उनके सहपाठियों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।

(v) प्रतिवेदन लेखन

प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग से अभिप्राय है किसी घटना, उत्सव या समाचार को विधिवत् लिखकर प्रस्तुत करना। उच्च प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को प्रतिवेदन लिखने का अभ्यास देना चाहिए।

अच्छे प्रतिवेदन के गुण हैं—तटस्थता, सरल भाषा, विचारों की स्पष्टता, विषय की संपूर्णता, विषय का अनुच्छेदों में विभाजन, उचित शीर्षक या उपशीर्षक, वक्ता का नाम, पद, स्थान तथा तिथि का सही वर्णन।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ अपने शिक्षण-अभ्यास विद्यालय का इस दृष्टि से अध्ययन करें कि उसमें कौन-कौन से मौखिक तथा लिखित शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।	अध्ययन के आधार पर सूची बनाइए
❑ प्रदर्शन विद्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित सभाओं का प्रतिवेदन तैयार करें और भित्ति पत्रिका पर उसका प्रदर्शन करें।	निर्माण और प्रदर्शन कीजिए
❑ विद्यार्थियों से केवल संज्ञा शब्दों या क्रिया शब्दों को आधार बनाकर अंत्याक्षरी का खेल खेलने को कहें।	आयोजन कीजिए
❑ भावानुकूल पठन के अभ्यास के लिए विभिन्न कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों विशेषकर संक्षिप्त रामायण और संक्षिप्त महाभारत से विभिन्न भावों के प्रतिनिधि अनुच्छेद छाँटें। इनको आदर्श पाठ के रूप में प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों से भी ये अनुच्छेद भावानुकूल पढ़वाएँ।	छाँटिए, प्रस्तुत कीजिए और पढ़वाइए
❑ विद्यार्थियों के साथ मिल-बैठकर वादविवाद का कोई विषय छाँटें। उन्हें वाद तथा प्रतिवाद की कला से अवगत कराएँ। आरंभ में हाथ और पैर का वादविवाद, धूप और हवा का वादविवाद, कौए और कोयल का वादविवाद, पार्क और माली का वादविवाद, नदी और गंदे नाले का वादविवाद जैसे विषय लिंए जा सकते हैं।	छाँटिए और चर्चा कीजिए
❑ पाठ्यपुस्तक की कहानियों की सूची विद्यार्थियों से बनवाएँ। एक-दो कहानियों को आदर्श रूप से बच्चों को सुनाएँ तथा उन्हें भी कहानी कथन शैली का अभ्यास कराएँ।	आयोजन कीजिए
❑ उच्च प्राथमिक कक्षा में सस्वर कविता पाठ/वादविवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें तथा विद्यार्थियों से उसका प्रतिवेदन लिखने को कहें।	व्यक्तिगत ध्यान देकर लेखन अभ्यास कराइए
❑ श्यामपट्ट पर वर्णों को खंडशः लिखें। विद्यार्थियों से अनुकरण विधि से इन वर्णों को लिखवाएँ।	-वही-

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. सहशैक्षणिक कार्यकलाप पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त दिए गए वे सृजनात्मक तथा व्यावहारिक अनुभव हैं जो पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की प्राप्ति को समग्रता प्रदान करते हैं।

2. शैक्षणिक कार्यकलाप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में उपयुक्त योगदान कर सकते हैं। इससे भावी पीढ़ी को रचनात्मक दिशा मिलती है। इन कार्यकलापों के माध्यम से विद्यार्थियों की रुचि को नए आयाम मिलते हैं, उनकी अभिवृत्ति का आभास मिलता है, उनकी मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये कार्यकलाप उत्तरदायी नागरिकों के निर्माण में योगदान करते हैं।
3. किसी भी कार्यकलाप के आयोजन के लिए निश्चित सिद्धान्त होते हैं। इनके आयोजन से संबंधित पहलुओं पर विचार कर लेना अच्छा है, यथा—वार्षिक योजना का निर्माण, संयोजक समिति को उत्तरदायित्व संभालना, कार्यकलाप का मूल्यांकन आदि।
4. शैक्षणिक कार्यकलापों को मौखिक तथा लिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। मौखिक कार्यक्रमों में पठन, वादविवाद, अंत्याक्षरी, कविता पाठ, कहानी कथन प्रतियोगिता; तथा लिखित कार्यकलापों में सुलेख प्रतियोगिता, निबंध, कहानी, मौलिक लेखन जैसे कार्यकलाप सम्मिलित किए जा सकते हैं।
5. इन आयोजनों में यह ध्यान रहे कि विशेष आवश्यकता वाले बालक (दृष्टि विषयक, श्रवण विषयक, अस्थि विषयक, अधिगम विषयक और मानसिक रूप से पिछड़े) अपने आप को उपेक्षित अनुभव न करें। उन्हें विशेष सांत्वना पुरस्कार दें ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना जाग्रत हो सके।

मूल्यांकन

1. सहशैक्षणिक कार्यकलाप की परिभाषा अपने शब्दों में लिखें।
2. सहशैक्षणिक कार्यकलाप को पाठ्येत्तर या पाठ्यान्तर कार्यकलाप क्यों नहीं कहा जाता?
3. सहशैक्षणिक कार्यकलाप और शारीरिक कार्यकलापों में क्या आधारभूत भिन्नता है?
4. सहशैक्षणिक कार्यकलाप कक्षा स्तर के अनुसार क्यों भिन्न होने चाहिएँ?
5. आप सहशैक्षणिक कार्यकलापों के क्या उद्देश्य निश्चित करेंगे और क्यों?
6. किन्हीं दो मौखिक तथा लिखित कार्यकलापों पर सारगर्भित टिप्पणी लिखें।
7. सहशैक्षणिक कार्यकलापों के आयोजन से पूर्व किन-किन बातों पर विचार करना चाहिए?

मॉड्यूल–21

हिंदी शिक्षण–उन्नयन से संबंधित प्रमुख संस्थाएँ

21.0 प्रस्तावना

राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले ही नव जागरण काल (उन्नीसवीं सदी का उत्तरार्द्ध) में इस देश के विचारकों, समाज सुधारकों, मनीषियों एवं राष्ट्रवादी राजनेताओं ने अनुभव कर लिया था कि हमारे बहुभाषी देश में एक ऐसी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है जो समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बाँध सके। इस दृष्टि से उन्होंने हिंदी को ही उपयुक्त माना था और इसके लिए प्रचार भी प्रारंभ कर दिया था। प्रसिद्ध शिक्षाविद् ईश्वरचंद विद्यासागर, ब्रह्म समाज के नेता आचार्य केशवचंद्र सेन, बंकिमचंद्र चटर्जी, राजनारायण बोस, स्वामी दयानंद सरस्वती, भूदेव मुकर्जी आदि महापुरुषों ने उसी समय हिंदी की सार्वदेशिक एवं सार्वजनीन प्रकृति को पहचान लिया था। आगे चलकर बालगंगाधर तिलक ने भारतवासियों से हिंदी सीखने के लिए आग्रह करते हुए कहा था—"राष्ट्र के संगठन के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। यह विशेषता हम हिंदी में ही पाते हैं।"

राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रवादी नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता देने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ दिया। फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन के जोर पकड़ने के साथ हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ता गया।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में हिंदी भाषा और साहित्य की समृद्धि और उन्नयन की दृष्टि से काशी में नागरी प्रचारिणी सभा और प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्त्वाधान में विभिन्न शैक्षिक स्तरों की परीक्षाओं की भी व्यवस्था की गई। देश के विभिन्न प्रांतों में तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इन परीक्षाओं में बैठने लगे। इससे पूरे देश में हिंदी के शिक्षण और परीक्षण का प्रचार-प्रसार बढ़ा। इसी विकास-क्रम में "दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा" की स्थापना हुई। इस संस्था ने दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षण का कार्य हाथ में लिया।

उपर्युक्त प्रयासों का ही परिणाम था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी प्रचार-प्रसार के साथ-साथ हिंदी शिक्षण के उन्नयन के लिए भी प्रयास शुरू हुए और अनेक संस्थाओं ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। इनमें निम्नलिखित संस्थाओं का योगदान उल्लेखनीय है—

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
2. केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली
3. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
4. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास

इन संस्थाओं द्वारा संपन्न हिंदी शिक्षण उन्नयन संबंधी क्रियाकलापों का सामान्य परिचय देना ही इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है।

व्यवहारगत उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान तथा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर सामान्य चर्चा कर सकेंगे।
2. इन संस्थाओं द्वारा हिंदी शिक्षण समुन्नयन संबंधी विविध क्रिया-कलापों, मुख्यतः शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षण विधि तथा शिक्षक-प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में उनका यथोचित प्रयोग कर सकेंगे।

21.1 हिंदी शिक्षण-उन्नयन से संबंधित प्रमुख संस्थाएँ तथा उनके कार्य

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

विद्यालयी शिक्षा के समुचित विकास और समुन्नयन के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अनु. और प्र.प.) की स्थापना सन् 1961 में हुई। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। धीरे-धीरे इसका कार्य-क्षेत्र विस्तृत होता गया। इसके अंतर्गत पाँच क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं जो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलाँग में स्थित हैं। इन संस्थानों के शैक्षिक कार्यक्रमों से रा.शै.अनु. और प्र. परिषद् को शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर केवल सैद्धांतिक ही नहीं; अपितु व्यावहारिक एवं प्रयोगात्मक लाभ भी मिलता है।

परिषद् का कार्य-क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्रत्येक राज्य में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं; जहाँ क्षेत्रीय सलाहकारों के माध्यम से परिषद् के शैक्षिक कार्यक्रमों का संबंध राज्यों के साथ बना रहता है। इससे परिषद् को अखिल भारतीय स्तर पर अपने शैक्षिक कार्यक्रमों को संपन्न करने में सहायता मिलती है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में बी.एड. (भाषा) का एक वर्षीय पाठ्यक्रम भी रखा गया है; जहाँ हिंदी शिक्षण के लिए शिक्षक तैयार किए जाते हैं। इस एक वर्ष के पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा और साहित्य की विषय सामग्री, शिक्षण विधि तथा प्रायोगिक कार्य पर विशेष बल दिया जाता है और अधुनातन शिक्षण प्रौद्योगिकी से छात्राध्यापकों को परिचित कराया जाता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित अनेक विभाग हैं। पर यहाँ केवल उन कार्यक्रमों पर हम चर्चा करेंगे जिनका संबंध हिंदी शिक्षण के उन्नयन से है। ये कार्यक्रम परिषद् के निम्नलिखित विभागों द्वारा संपन्न होते हैं :

(क) सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग

(ख) अध्यापक शिक्षा विभाग

(ग) मूल्यांकन विभाग

(क) सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग : इस विभाग द्वारा विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों—प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए अन्य विषयों की भाँति हिंदी भाषा शिक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित कार्य होते हैं :

(i) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक(+2)के लिए हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम निर्माण।

(ii) उपर्युक्त सभी कक्षाओं के लिए हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों, पूरक पाठ्यपुस्तकों, सहायक पुस्तकों का निर्माण।

(iii) हिंदी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए समय-समय पर अभिनवीकरण कार्यक्रम का आयोजन।

(iv) हिंदी शिक्षकों के लिए शिक्षण प्रविधि संबंधी सामग्री का निर्माण।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि विद्यालयी स्तर पर हिंदी मातृभाषा (प्रथम भाषा), द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, अतः उपर्युक्त सभी कार्य इन तीनों संदर्भों में अलग-अलग संपन्न किए जाते हैं।

प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ उनसे संबंधित अभ्यास पुस्तकें भी तैयार की जाती हैं।

पाठ्यपुस्तकों में शिक्षण विधि की दृष्टि से शिक्षकों के लिए उचित निर्देश भी दिए जाते हैं।

उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ उनके समुचित शिक्षण के लिए शिक्षक-संदर्शिकाएँ भी तैयार की जाती हैं जिनसे शिक्षकों को अपना शिक्षण प्रभावी बनाने में मदद मिल सके।

(ख) अध्यापक शिक्षा विभाग : इस विभाग का कार्यक्षेत्र भी बहुत विस्तृत और व्यापक है। हिंदी शिक्षण के उन्नयन के संदर्भ में इस विभाग के मुख्य कार्य हैं :

(i) प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर के हिंदी शिक्षकों के प्रशिक्षण की दृष्टि से पाठ्यक्रम निर्माण। इस पाठ्यक्रम में भाषिक एवं साहित्यिक प्रकरणों के साथ हिंदी शिक्षण विधियों के एकीकृत रूप पर बल दिया गया है जिससे शिक्षक विषय सामग्री एवं शिक्षण विधि के परस्पर संबंध को समझ कर अपने शिक्षण कार्य को और प्रभावी बना सकें।

(ii) उपर्युक्त पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण विधि से संबंधित सामग्री का निर्माण।

(ग) मूल्यांकन विभाग : हिंदी शिक्षण के उन्नयन के संदर्भ में इस विभाग के मुख्य कार्य हैं :

(i) परीक्षा प्रणाली में सुधार। इस दृष्टि से मूल्यांकन में परंपरागत व्यक्तिनिष्ठता की जगह वस्तुनिष्ठता पर बल दिया गया। मूल्यांकन का संबंध पाठ्यक्रम, पाठ्यविषय, शिक्षण विधि आदि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ा गया। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण अपनाया गया।

(ii) प्रश्नों की रचना में सुधार। केवल निबंधात्मक प्रश्नों से संपूर्ण विषय सामग्री की परीक्षा संभव नहीं थी। उसके अनेक अंश छूट जाते थे और विद्यार्थियों में कुछ मुख्य अंशों को कंठस्थ करके परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती थी। अतः व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण की जगह विषयनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, विभेदकारिता एवं व्यावहारिकता पर बल दिया गया और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ-साथ विविध प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, लघूत्तरात्मक एवं अति लघूत्तरात्मक उत्तर वाले प्रश्नों की रचना का प्रयास किया गया। इन प्रश्नों की रचना से भाषा संबंधी विविध योग्यताओं के परीक्षण में सहायता मिली और मूल्यांकन का एक वैज्ञानिक आधार बना।

निस्संदेह ही उपर्युक्त विभागों द्वारा प्रणीत सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया संबंधी प्रदत्त नवीन विचारों और दृष्टिकोणों ने हिंदी शिक्षण के उन्नयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न राज्यों के शिक्षा संस्थानों, शिक्षा परिषदों और पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-सामग्री निर्माण समितियों ने परिषद् द्वारा निर्मित सामग्री को नमूने के रूप में अपनाया और अपने राज्य की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इनके आधार पर नवीन सामग्री का भी निर्माण किया है। इस प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर परिषद् ने हिंदी शिक्षण के उन्नयन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

2. केंद्रीय हिंदी निदेशालय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास का दायित्व संघ को सौंपा गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा मंत्रालय के अधीन सन् 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी। तब से यह निदेशालय देश-विदेश में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है।

अहिंदी भाषी भारतीयों और विदेशियों को द्वितीय भाषा के रूप में पत्राचार द्वारा अंग्रेज़ी, तमिल, मलयालम और बंगला माध्यम से हिंदी पढ़ाने का कार्य यह निदेशालय कर रहा है। गृह मंत्रालय के तीन पाठ्यक्रम : प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ भी अंग्रेज़ी माध्यम से चलाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकें, हिंदी रिकार्ड, कैसेट टेप आदि भी तैयार किए गए हैं। देश के विभिन्न केंद्रों पर प्रतिवर्ष कई व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

अहिंदी भाषी क्षेत्रों के नव हिंदी लेखकों के लिए कार्यशिविर, हिंदी से जुड़े विद्यार्थियों की अध्ययन यात्राओं, शोध विद्यार्थियों के लिए यात्रा अनुदान, स्वैच्छिक हिंदी सेवी संस्थाओं को अनुदान, उनके द्वारा संचालित हिंदी परीक्षाओं को मान्यता, प्राध्यापक व्याख्यान यात्राओं, साहित्य संगोष्ठियों का आयोजन तथा लेखकों द्वारा हिंदी में पुस्तकें लिखने पर पाँच-पाँच हज़ार रुपए के सोलह पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था निदेशालय द्वारा विस्तार कार्यक्रम योजनाओं के अंतर्गत की जाती है।

राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निदेशालय में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 26 द्विभाषा, 24 त्रिभाषा और अनेक बहुभाषा कोशों, जैसे—भारतीय भाषा कोश, तत्सम शब्द कोश, भारतीय भाषा परिचय कोश तथा हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ भाषाओं के कोश आदि का निर्माण-कार्य हो रहा है।

निदेशालय द्वारा प्रकाशित "वृहत् पारिभाषिक शब्द संग्रह" हिंदी भाषा के लिए एक विशेष योगदान है, जिसमें मानविकी एवं वैज्ञानिक विषयों के अंग्रेज़ी शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्दों का मानक रूप संगृहीत है। निश्चय ही हिंदी लेखकों एवं अनुवादकों के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

भारत और विदेशों के बीच हुए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम संबंधी करारों के अंतर्गत यह निदेशालय जर्मन-हिंदी कोश, चेक-हिंदी कोश, हिंदी-चेक वार्तालाप पुस्तिका, हिंदी-रूसी वार्तालाप पुस्तिका, हंगेरियन-हिंदी वार्तालाप पुस्तिका और चेक भाषा में हिंदी व्याकरण आदि का निर्माण कर रहा है।

पर्यटकों तथा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए भारतीय भाषाओं की द्विभाषिक वार्तालाप पुस्तिकाएँ और हिंदी के माध्यम से दक्षिण भारतीय भाषाएँ सीखने के लिए चार हिंदी मूलक "स्वयं शिक्षक" भी निदेशालय ने प्रकाशित किए हैं।

समस्त भारतीय भाषाओं के बीच समान तत्त्वों की खोज करने और आदान-प्रदान के द्वार खोलने के उद्देश्य से यह निदेशालय "भाषा" नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है। भारतीय भाषाओं के साहित्य की विविध विधाओं का वार्षिक सर्वेक्षण "वार्षिक" तथा भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ रचनाओं का हिंदी संकलन "भारतीय साहित्यमाला" के अंतर्गत प्रकाशित किए जाते हैं।

यूनेस्को की ओर से विश्व की 33 प्रमुख भाषाओं में प्रतिमाह प्रकाशित अंग्रेज़ी पत्रिका "यूनेस्को कूरियर" के हिंदी संस्करण "यूनेस्को दूत" का प्रकाशन निदेशालय द्वारा हो रहा है। इस पत्रिका में विश्व की प्रमुखतम समस्याओं का दिग्दर्शन और बहुमूल्य शोधपरक सामग्री होती है।

हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए अहिंदी भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों, कालेजों, पुस्तकालयों और स्वैच्छिक संस्थाओं तथा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों को हिंदी पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ खरीदकर निःशुल्क वितरित की जाती हैं।

निदेशालय अपने प्रकाशनों के प्रचार-प्रसार और बिक्री संवर्द्धन के लिए देश के अनेक नगरों में पुस्तक प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। इसके अलावा हिंदी सेवियों का इतिवृत्त प्रकाशित करने, राजभाषा हिंदी के बोलचाल के स्वरूप का सर्वेक्षण करने, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण करने, परिवर्धित देवनागरी का निर्माण करने आदि का कार्य भी यह निदेशालय करता है। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार और विकास का कार्य भी यहाँ किया जा रहा है।

इस प्रकार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, देश और विदेशों में हिंदी भाषा को एक सेतु के रूप में विकसित कर रहा है। देश-विदेश के हिंदी प्रेमी यहाँ बराबर संपर्क बनाए रखते हैं। उनसे होने वाली चर्चाओं के दौरान हिंदी और भारतीय भाषाओं के बढ़ते वर्चस्व का तो पता चलता ही है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और विकास की नई संभावनाओं का पता भी चलता है। यह निदेशालय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार जिन योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है उनसे निरन्तर

भारतीय और विदेशी हिंदी प्रेमियों को लाभ मिल रहा है। इन्हीं प्रयत्नों के फ़लस्वरूप हिंदी भाषा का स्वरूप इतना आकर्षक और सहज होता जा रहा है कि यह "वसुधैव कुटुम्बकम्" की संकल्पना की ओर अग्रसर हो रहा है।

3. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना आगरा में सन् 1961 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई। अहिंदी भाषी प्रदेशों के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय भाषा के रूप में और विदेशी विद्यार्थियों के लिए विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य रहा है।

हिंदी का प्रचार-प्रसार, हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप संबंधी अध्ययन एवं अनुसंधान, हिंदी शिक्षण तथा प्रशिक्षण की अधुनातन प्रविधियों का विकास, अहिंदी प्रदेशों के हिंदी अध्यापकों का प्रशिक्षण, विभिन्न स्तरों एवं क्षेत्रों में अध्येताओं के लिए भाषा-वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं विदेशी अध्येताओं के लिए हिंदी शिक्षण-प्रणाली की व्यवस्था आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। हिंदी के बढ़ते हुए प्रयोग-क्षेत्रों को देखते हुए प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रमों का विकास तथा शिक्षण सामग्री का निर्माण, इससे संबंधित अनुसंधान कार्य भी संस्थान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न भाषाई समुदायों के लिए वैज्ञानिक पद्धति से शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का व्यतिरेकी अध्ययन, विभिन्न अहिंदी भाषी विद्यार्थियों द्वारा हिंदी सीखने और उसका व्यवहार करने में होने वाली त्रुटियों का आकलन एवं विश्लेषण, अत्यावश्यक है। संस्थान ने इस दिशा में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं। इतना ही नहीं, संस्थान ने आदिवासी क्षेत्रों में उनकी मातृभाषाओं में शिक्षा प्रारंभ करके हिंदी में अंतरण और अंततोगत्वा राज्यभाषा में शिक्षा प्राप्त कराने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इन शिक्षण सामग्रियों का उचित प्रकार से परीक्षण करके, इन्हें अंतिम रूप में प्रयोग योग्य बनाकर प्रकाशित किया/करवाया है। विभिन्न राज्य सरकारों, हिंदी की स्वैच्छिक संस्थाओं तथा अन्य प्रतिष्ठानों के लिए हिंदी शिक्षण संबंधी पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण आदि में भी संस्थान अपनी विशेषज्ञता का लाभ दे रहा है।

संस्थान की ओर से छमाही शोधपत्रिका "गवेषणा" प्रकाशित होती है, जिसमें हिंदी भाषा, शिक्षण संबंधी समस्याओं और अद्यतन भाषा शिक्षण विधियों पर खोज एवं विद्वतापूर्ण लेख प्रकाशित होते हैं। हिंदीतर भाषी प्रदेशों के हिंदी शिक्षकों के लिए संस्थान में हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत "शिक्षा पारंगत" (बी.एड. के समकक्ष) और "शिक्षा निष्णात" (एम.एड. के समकक्ष) की शिक्षा एवं उपाधि प्रदान की जाती है। पूर्वांचल—मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा—क्षेत्रों में हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान का विशेष योगदान है।

केंद्रीय हिंदी संस्थान के कार्य क्षेत्र के विस्तार के कारण अब इसकी पाँच शिक्षण संस्थाएँ—दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलाँग और मैसूर में कार्य कर रही हैं। फलस्वरूप यह अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर रही है, जिससे हिंदी शिक्षण के उन्नयन में यथेष्ठ सहायता मिल रही है।

4. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास

हम पहले कह चुके हैं कि "दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा" राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही हिंदी के प्रचार और प्रसार में संलग्न है। इसकी स्थापना का श्रेय हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और महात्मा गाँधी को है। सन् 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन इंदौर में हुआ था। महात्मा गाँधी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन का दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के इतिहास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और दक्षिण भारत में उसका प्रचार करने का विचार इस अधिवेशन में गाँधी जी ने व्यक्त किया और तत्संबंधी प्रस्ताव पारित किया

गया। उस प्रस्ताव के अनुसार सन् 1918 में ही मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींव डाली गई।

गाँधी जी ने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की दृष्टि से दक्षिण के कुछ प्रमुख नेताओं से पत्र व्यवहार किया। उन्होंने सन् 1918 में ही अपने पुत्र श्री देवदास गाँधी को हिंदी प्रचार के लिए मद्रास भेजा। देवदास गाँधी ने हिंदी कक्षा का शुभारंभ मद्रास के गोखले हाल में किया। इस शुभारंभ की अध्यक्षता डॉ. सी.पी. रामस्वामी अय्यर ने की। इसका उद्घाटन श्रीमती एनीबेसेंट ने किया। हिंदी शिक्षण का कार्य तेजी से बढ़ने लगा। इसे आगे बढ़ाने वालों में सर्वश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, जमुनालाल बजाज, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य, काका कालेलकर, रंगस्वामी अयंगार, पट्टाभि सीता रमैया जैसे राष्ट्रसेवी महापुरुष थे। बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने देवदास गाँधी की सहायता के लिए स्वामी सत्यदेव को भेजा। दक्षिण भारत से अनेक हिंदी प्रेमी युवक प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन में आए और हिंदी की शिक्षा ग्रहण करके दक्षिण भारत लौटे। वे शिक्षक दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षा के प्रचार कार्य में लग गए। कुछ समय बाद यह अनुभव किया गया कि हिंदी शिक्षकों को तैयार करने के लिए उत्तर भारत भेजना समय साध्य और व्यय साध्य कार्य है, अतः दक्षिण भारत में ही हिंदी शिक्षकों को तैयार करने के लिए महाविद्यालय खोले जाने लगे।

कार्य विस्तार के कारण दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की भी अनेक संस्थाएँ विभिन्न प्रदेशों में स्थापित होने लगीं। आंध्र (हैदराबाद), कर्नाटक (धारवाड़), केरल (एर्णाकुलम) और तमिलनाडु (तिरूचरपल्लि) में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की शाखाएँ काम कर रही हैं। इनके अतिरिक्त केरल हिंदी प्रचार सभा, तिरूवनंतपुरम, कर्नाटक महिला हिंदी प्रचार समिति, बंगलूर, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा भी हिंदी शिक्षण का कार्य संपन्न हो रहा है।

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के तत्त्वावधान में हिंदी पढ़ने वालों को विभिन्न स्तर के प्रमाण-पत्र तथा उपाधि प्रदान की जाती हैं। इनमें विशारद, प्रवीण तथा शिक्षा स्नातक उल्लेखनीय हैं। हैदराबाद (आंध्र) में हिंदी की उच्च शिक्षा और शोध संस्थान द्वारा हिंदी शिक्षकों को बी.एड. और एम.एड. की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार धारवाड़ (कर्नाटक) में भी बी.एड. और एम.एड की शिक्षा प्रदान की जाती है।

हिंदी शिक्षण-उन्नयन की दृष्टि से अहिंदी भाषी विद्यार्थियों को हिंदी सिखाने के लिए हिंदी शिक्षण सामग्री के निर्माण में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का विशेष योगदान है। सभा द्वारा तमिल-हिंदी, तेलुगु-हिंदी, मलयालम-हिंदी और कन्नड़-हिंदी की स्वयं शिक्षण मालाएँ तैयार की गईं। तमिल-हिंदी कोश, तेलुगु-हिंदी कोश आदि से भी हिंदी सीखने में सहायता मिली। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की अनेक विधियों में भी परिवर्तन किया गया। सभा की ओर से अनेक पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती हैं। इनसे भी हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी शिक्षण के लिए नए विचारों और प्रयोगों पर प्रकाश पड़ता है। इस संदर्भ में दक्षिण समाचार शोध पत्रिका, हैदराबाद से प्रकाशित पूर्ण कुंभ, तिरूवनंतपुरम से प्रकाशित केरल ज्योति, बंगलूर से भारत वाणी पत्रिका के नाम उल्लेखनीय हैं।

अभ्यास कार्य

- हिंदी शिक्षण-उन्नयन से संबंधित प्रमुख संस्थाओं के योगदान पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके मुख्य क्रियाकलापों पर चार्ट/रेखाचित्र बनाइए।

निर्देश

चर्चा कीजिए और निर्माण कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जिन संस्थाओं ने विशेष कार्य किया, उनमें काशी नागरी प्रचारिणी सभा, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास का नाम उल्लेखनीय हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने दक्षिण भारत में हिंदी कक्षाएँ प्रारंभ कीं और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा आंध्र में इसकी अनेक शाखाएँ-प्रशाखाएँ खुलती गईं। हिंदी की विद्यालयी एवं महाविद्यालयी स्तर की शिक्षा देने के लिए अनेकों शिक्षा संस्थाएँ स्थापित हुईं। उन्होंने हिंदी का विशेष पाठ्यक्रम, विषय सामग्री और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण किया।
2. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन संस्थाओं का हिंदी शिक्षण-उन्नयन की दृष्टि से विशेष योगदान है, उनमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके द्वारा हिंदी भाषा शिक्षण के विविध पक्षों से संबंधित सामग्री तैयार की गई है। हिंदी को प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए अलग-अलग सामग्री का निर्माण हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है।

मूल्यांकन

1. राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य जोड़ने में राष्ट्रवादी नेताओं का क्या उद्‌देश्य था?
2. स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व किन संस्थाओं ने हिंदी के प्रचार-प्रसार में विशेष भूमिका निभाई?
3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने हिंदी शिक्षण को समुन्नत करने के लिए क्या प्रयास किए हैं?
4. हिंदी शिक्षण के उन्नयन की दृष्टि से केंद्रीय हिंदी निदेशालय का क्या योगदान है?
5. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—
   (क) केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा।
   (ख) दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास।

मॉड्यूल–22

हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ तथा बाल साहित्य

22.0 प्रस्तावना

आज के विद्यालयी परिप्रेक्ष्य में पठन सबसे महत्त्वपूर्ण क्रिया है। "पढ़ना" शब्द एक प्रकार से शिक्षा प्राप्ति का पर्याय बन गया है। प्रायः यह कहा जाता है 'मैं डाक्टरी पढ़ रहा हूँ, वह इंजीनियरिंग पढ़ रहा है', आदि। वस्तुतः समस्त विद्यालयी विषयों में निहित ज्ञान की प्राप्ति का सहज सुलभ साधन पठन ही है। पठन के इस महत्त्व को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि पठन-क्रिया विद्यार्थी-जीवन का एक अनिवार्य अंग बन जाए और विद्यालयी जीवन में पड़ी हुई पढ़ने की आदत जीवन भर उसके साथ बनी रहे। ज्ञान-भंडार के प्रतिदिन बढ़ते हुए विस्तार को देखते हुए किसी भी शिक्षक के लिए यह संभव नहीं कि वह समूचे ज्ञान को इकट्ठा कर विद्यार्थी तक पहुँचा दे। इसके लिए विद्यार्थी को स्वयं पढ़ने की आदत/स्वाध्याय का ही सहारा लेना पड़ेगा। किन्तु शिक्षक के नाते हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि विद्यार्थी में किसी न किसी प्रकार पढ़ने की आदत पड़ जाए। एक बार आदत पड़ जाने पर बालक में स्वतः ही स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी। वस्तुतः विद्यार्थी में पठनशीलता के गुण का विकास ही भाषा शिक्षक की सफलता की कसौटी है।

विद्यार्थी में पठनशीलता अथवा स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास वर्ष भर एक या दो पाठ्यपुस्तक के साथ बंधे रहने से संभव नहीं होगा। पाठ्यपुस्तक के दायरे के बाहर पठन का विशाल क्षेत्र है। हमें विद्यार्थी को इस विशाल क्षेत्र से परिचित कराने के लिए अतिरिक्त पठन की ओर ले जाना होगा।

इस संदर्भ में बालोपयोगी पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य बाल साहित्य का पठन एक सशक्त साधन सिद्ध हो सकता है। इनके माध्यम से बालक दिन-प्रतिदिन रोचक एवं मनोरंजक सामग्री के सम्पर्क में आकर पठनशीलता की ओर प्रेरित होगा, साथ ही इनमें प्रकाशित ज्ञान-विज्ञान की नई-नई सामग्री के द्वारा अपने ज्ञान-क्षितिज का विस्तार करेगा। इतना ही नहीं बालक की पठनशीलता उसकी कल्पना शक्ति को उद्बुद्ध कर उसकी सर्जनात्मक शक्ति को भी उभारती है।

प्रस्तुत मॉड्यूल का उद्देश्य आप को हिंदी में प्रकाशित प्रमुख बालोपयोगी पत्र-पत्रिकाओं की जानकारी प्रदान करना तथा भाषा शिक्षण में उनके समुचित प्रयोग के लिए प्रेरित करना है, जिससे विद्यार्थियों में पठन-रुचि एवं स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित हो सके और साथ ही उनकी सर्जनात्मकता को उभारने के लिए प्रेरक सामग्री मिल सके।

व्यवहारगत उद्देश्य

इस कैप्सूल के अध्ययन के पश्चात् आप—

1. बाल साहित्य का अर्थ, उसके सामान्य विकास तथा महत्त्व पर चर्चा कर सकेंगे।
2. कुछ प्रमुख बालोपयोगी पत्रिकाओं के बारे में सामान्य बातें बता सकेंगे।
3. पत्रिकाओं की सामग्री के स्वरूप और रोचक सामग्री की चयन प्रक्रिया से अवगत होकर कक्षा शिक्षण में उसका समुचित प्रयोग कर सकेंगे, जिससे विद्यार्थियों की पठन रुचि तथा सर्जनात्मकता विकसित हो सके।

22.1 बाल साहित्य—एक सामान्य परिचय

बाल साहित्य बाल्यावस्था की शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर

लिखा गया साहित्य है। बाल्यावस्था सामान्यतः 5 से 12 या 14 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इसके आरंभिक वर्ष पूर्व बाल्यावस्था तथा बाद के वर्ष उत्तर बाल्यावस्था कहलाते हैं। बच्चों की मोटे रूप से शारीरिक आवश्यकताएँ हैं— भोजन, वस्त्र तथा आवास। सामाजिक आवश्यकता है— अपने आयुवर्ग के साथियों में खेलना-कूदना, सम्मान पाना; मानसिक आवश्यकता है—जिज्ञासा शान्त करना, ज्ञानार्जन द्वारा व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना; मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है—प्यार का आदान-प्रदान, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की भावना आदि। जो साहित्य बाल्यावस्था की इन आवश्यकताओं को आधार मानकर लिखा जाता है वही वास्तविक बाल साहित्य है क्योंकि इस प्रकार के साहित्य में वह आत्मीयता अनुभव करता है।

भाषाई दृष्टि से यदि बाल साहित्य की विशेषताओं का वर्णन करें तो कहना होगा कि यह वह साहित्य है जो मुख्यतः कहानी, संवाद, कविता आदि विधाओं को आधार बनाकर बोधगम्य शब्दावली, सुगठित वाक्य विन्यास तथा रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया हो।

जिसे किसी समय में बाल साहित्य कहा जाता था उस पर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रश्न चिह्न लगाने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर, जातक कथाएँ आदि प्रौढ़ साहित्य अधिक है और बाल साहित्य कम। उनकी धारणा है कि इन कथा-कहानियों में उपदेशवाद है। इस साहित्य से बच्चों में रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास पनपता है। असली बाल साहित्य वह है जो वैज्ञानिक तथ्यों एवं अन्वेषण पर आधारित हो, जिसमें कथा के पात्र कुछ नयापन कर दिखाने या खोजने में सफल हों। वास्तव में बाल साहित्य में दोनों भावनाओं को समन्वित करने की आवश्यकता है। पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएँ, भारतीय संस्कृति की गोद में पली कथाएँ हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी संस्कार दिए हैं। इन कथाओं में कल्पना, जिज्ञासा, उत्साह, दिशा निर्देश सभी कुछ है। हाँ, नई पीढ़ी के बालकों से उनका अन्वेषण करने का अधिकार छीनना भी अनुचित होगा।

सामान्यतः हिंदी में आधुनिक बाल साहित्य का प्रारंभ अठ्ठारहवीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत "बच्चों का इनाम" (1867) और "लड़कों की कहानी" (1876), बनवारी लाल कृत "शिशु लोरी" और मुंशीराम कृत "बाल रामायण" विशेष उल्लेखनीय पुस्तकें मानी जाती हैं। हिंदी बाल साहित्य का व्यवस्थित विकास बीसवीं शताब्दी में हुआ। हिंदी की प्रथम बाल पत्रिका "बाल पत्रकार" सन् 1906 में प्रकाशित हुई। इसके बाद "बाल हितैषी", "कन्या मनोरंजन", "विद्यार्थी", "शिशु", "बाल सखा" आदि पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं। सन् 1957 में नैशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना के बाद काफी बाल साहित्य का प्रकाशन हुआ। इस ट्रस्ट के अन्तर्गत नेहरू बाल पुस्तकालय योजना आरंभ हुई। इसी बीच चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट तथा अन्य कई संस्थाओं की स्थापना हुई जो उपयोगी बाल साहित्य का निर्माण कर रही हैं। विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकें तथा पूरक पुस्तकें बहुत जागरूक भाव से बाल साहित्य को समेटे हुए हैं। आज दर्जनों नहीं सैकड़ों लेखक बाल सहित्य सृजन में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन श्रुत तथा श्रुत-दृश्य बाल साहित्य का सृजन कर रहे हैं। एन.सी.ई.आर.टी. भी सी. आई. ई. टी. के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित बाल साहित्य का सृजन कर रहा है। बहुत संभवतः इक्कीसवीं शताब्दी में श्रुत बाल साहित्य, पठन बाल साहित्य पर हावी हो जाए।

बाल साहित्य का महत्त्व

बाल साहित्य का कई दृष्टियों से महत्त्व है, यथा—

1. मनोरंजन की दृष्टि से
2. ज्ञानवर्धन की दृष्टि से
3. भावार्थ विकास की दृष्टि से
4. साहित्यिक विधाओं (कहानी, कविता, जीवनी, यात्रा, नाटक आदि) में प्रवेश की आरंभिक तैयारी की दृष्टि से
5. भावी लेखकों का अंकुरण करने की दृष्टि से

6. बौद्धिक विकास की दृष्टि से
7. संतुलित सांवेगिक विकास की दृष्टि से
8. सामाजिक विकास और उसमें समन्वयन की दृष्टि से
9. सुरुचि और सौन्दर्य भाव जागरण की दृष्टि से
10 चरित्र निर्माण की दृष्टि से
11. समसामयिक विषयों की जानकारी की दृष्टि से
12. पठन-रुचि जाग्रत करके पुस्तकालय अध्ययन के लिए तैयार करने की दृष्टि से।

अभ्यास कार्य

- बाल साहित्य के महत्त्व संबंधी बिन्दु सूत्र रूप में दिए गए हैं। इन बिन्दुओं को विस्तार सहित लिखें।

निर्देश

रचना कीजिए

22.2 बालोपयोगी पत्रिकाओं की जानकारी

बालोपयोगी पत्रिकाओं की जानकारी का सुगम उपाय यह है कि प्रशिक्षण संस्थान अथवा आसपास के किसी अच्छे पुस्तकालय में नियमित रूप से जाएँ और उपलब्ध पत्रिकाओं की सूची बनाएँ। सूची बनाते समय इसका शीर्षक, मूल्य, संपादक का नाम, पत्र-व्यवहार का पता, प्रकाशन अवधि आदि अवश्य नोट कर लें। कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन कई कारणों से बंद हो जाता है तथा कुछ नई पत्रिकाएँ प्रकाश में भी आती रहती हैं। यहाँ जानकारी के लिए कुछ पत्रिकाओं का उल्लेख किया जा रहा है :

चंदामामा : चंदामामा बच्चों की लोकप्रिय मासिक पत्रिका है जो हिंदी के अतिरिक्त अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित हो रही है। यह गत 44-45 वर्षों से बच्चों का भरपूर मनोरंजन और ज्ञानवर्धन कर रही है। यह चित्रमय पत्रिका है। इसमें पौराणिक, काल्पनिक तथा चरित्र निर्माण संबंधी कहानियाँ प्रकाशित होती रहती हैं। कुछ कहानियाँ धारावाहिक रूप से छपती हैं। कहानियों के अतिरिक्त बालोपयोगी देश-विदेश के समाचार, बच्चों की उपलब्धि संबंधी प्रेरक समाचार, प्रश्नोत्तर, फोटो परिचयोक्ति प्रतियोगिता आदि को भी उचित स्थान दिया जाता है। इसके अंक संग्रहणीय हैं।

नंदन : नई पीढ़ी के निर्माण की यह मासिक पत्रिका गत 28-29 वर्षों से नई दिल्ली से प्रकाशित हो रही है। यह भी चित्रमय पत्रिका है। इसके कई विशेषांक कहानी विशेषांक के रूप में प्रकाशित होते हैं। रोचक ज्ञान और उत्साहवर्धक कहानियों के अतिरिक्त इसके कई स्थाई स्तंभ हैं, यथा— एलबम, ज्ञान, पहेली, पत्र मिला, नई पुस्तकें, बातें रंग-बिरंगी आदि।

बालहंस : बालहंस पाक्षिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन गत 6-7 वर्ष से जयपुर, राजस्थान से हो रहा है। इसमें अनेक चित्र कथाएँ प्रकाशित होती हैं। शब्द परिचय, आती-पाती, नन्हीं कूंची, नई प्रतियोगिताएं आदि इसमें स्थाई स्तंभ हैं। व्यावहारिक या रचनात्मक कार्य करने के लिए कागज काटने तथा रंग भरने के रोचक कार्य दिए जाते हैं।

नीचे कुछ अन्य बाल पत्रिकाओं की सूची दी जा रही है। इनके विषय में विस्तृत जानकारी स्वयं प्राप्त करें :

पराग	—	मासिक
बाल भारती	—	मासिक
टिंकल	—	मासिक
बाल दर्शन	—	मासिक
चंपक	—	पाक्षिक
मधु मुस्कान	—	साप्ताहिक
लोट पोट	—	साप्ताहिक

इन पत्रिकाओं के अतिरिक्त साप्ताहिक हिन्दुस्तान तथा धर्मयुग में भी बच्चों के लिए विशेष स्थान नियत है। आविष्कार, आरोग्य, स्वस्थ जीवन आदि पत्रिकाओं में बालजीवन संबंधी आवश्यक जानकारी होती है।

22.3 पत्र-पत्रिकाओं से उपयोगी सामग्री की चंयन-प्रक्रिया एवं कक्षा शिक्षण में उनका उपयोग

पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों का यह प्रयत्न रहता है कि उनमें प्रकाशित सामग्री समसामयिक हो। इसके लिए वे वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं, तिथियों, दिनों, वार-त्योहारों आदि की अग्रिम डायरी तैयार कर लेते हैं। इन विशेष दिवसों तथा वार-त्योहारों आदि के विषय में वह पहले ही सामग्री इकट्ठा करना आरंभ कर देते हैं। वे इन अवसरों से संबंधित चित्रों का संग्रह करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों से साक्षात्कार भी लेते हैं। कुछ स्थितियों में पत्र-पत्रिका के विशेषांक भी प्रकाशित किए जाते हैं। कुछ विशेषांक इतने आकर्षक और उपयोगी होते हैं कि कुछ ही समय बाद दुर्लभ हो जाते हैं।

छात्राध्यापकों को चाहिए कि वे समय-समय पर इस सामग्री का चयन करते रहें। इनका प्रयोग कई प्रकार से हो सकता है। पाठ योजना निर्माण में लेखों की सामग्री तथा चित्र काम में लाए जा सकते हैं। इस सामग्री का प्रयोग संस्था में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, यथा— भाषण, वाद-विवाद आदि के रूप में हो सकता है। संस्था के बुलेटैन बोर्ड पर उपयोगी सामग्री को काट कर प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसी सामग्री को फ़ोटोस्टेट/जीरोक्स भी करवाया जा सकता है। यदि संस्था में छात्राध्यापक सदन-व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो इन बुलेटैन बोर्डो के आधार पर प्रतियोगिताओं का आयोजन हो सकता है। नियमित अध्यापक के रूप में कार्य करते समय तो विद्यार्थियों के सम्मुख भाषण देने में यह सामग्री वरदान सिद्ध होगी। इससे विद्यार्थियों पर अध्यापक के व्यक्तित्व की अच्छी छाप पड़ती है। इस सामग्री को आधार बनाकर विद्यार्थियों के लिए भाषण आदि की सामग्री तैयार कराई जा सकती है।

सामग्री का चयन करते समय यह ध्यान रखें कि इन्हें विषयानुसार फाइल बनाकर संबंधित फाइल में रखें। संगृहीत सामग्री पर पत्रिका का नाम, पृष्ठ संख्या तथा अंक आदि लिखना न भूलें। ऐसा करने से यह सामग्री संस्था के संग्रहालय की अमूल्य निधि बन सकती है।

यदि पत्र-पत्रिकाओं के संग्रह की व्यवस्था संभव है तो वर्ष के अंकों की जिल्दबन्दी कर ली जाए। विशेषांक भी संपूर्ण रूप से सुरक्षित रखे जा सकते हैं।

आगामी संदर्भ के लिए लेखों की विषय अनुसार सूची बनाई जा सकती है जो कैटेलोग का कार्य करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी सचित्र समाचारों की ओर ध्यान देते हों तो दूसरे संपादक के नाम लिखे गए पत्रों की ओर, कुछ बच्चे पत्रिका की कविताओं के नियमित पाठक हों तो कुछ बालोपयोगी नव प्रकाशित पुस्तकों की जानकारी प्राप्त करते हों। प्रकृति तथा प्राकृतिक पर्यावरण में रुचि रखने वाले बच्चों की भी कमी नहीं है। यदि आप विद्यार्थियों को पठन तथा पत्रिकाओं के संसार में रमण कराना चाहते हैं तो उनकी वैयक्तिक रुचि भिन्नता का सम्मान करें और रुचि की सामग्री चयन में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दें। हाँ, विद्यार्थियों की रुचि विस्तार के लिए कुछ क्रियाकलाप दिए जा सकते हैं जिनका वर्णन यहाँ किया जा रहा है।

विद्यार्थियों को दो-तीन पत्रिकाओं से अपनी-अपनी रुचि की सामग्री पढ़ने को कहें। बहुत संभव है तीन-चार बच्चों की रुचियों में समानता हो। अब समान रुचि वाले बच्चों से कहें कि वे कक्षा के सम्मुख उस सामग्री के रुचिकर लगने के कारण बताएँ तथा उस सामग्री का वर्णन भी संक्षेप में करें। ऐसा करने से कुछ अन्य विद्यार्थी भी इस क्षेत्र में रुचि लेने को अग्रसर हो सकते हैं। इस क्रम को वर्ष भर चलाएँ। इस योजना का नाम "अपनी-अपनी रुचि" क्लब रखा जा सकता है।

रुचि व्यक्तिगत गुण है। यह जन्मजात नहीं होती। पर्यावरण इसके विकास में सहायक होता है। परिवार, मित्रमंडली तथा विद्यालय इसके विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। पत्रिका में यद्यपि सभी सामग्री रुचिकर होती है किन्तु फिर भी रुचि भिन्नता के कारण विद्यार्थियों से कहा जा सकता है कि वे अपनी रुचि की सामग्री पत्रिकाओं से ढूंढें।

बहुत संभव है किसी विद्यार्थी को चित्रकारी या कशीदाकारी की सामग्री रुचिकर लगे। किसी विद्यार्थी को खेल समाचार पसंद हों। कोई बच्चा चुटकुले इकट्ठा करना पसंद करे। एक विद्यार्थी वैज्ञानिक आविष्कार के लिए तथा एक अन्य कार्टून कहानी के लिए लालायित हो। किसी को वैज्ञानिक आविष्कार की कहानी रुचिकर लगे तो किसी को रामायण या महाभारत की कहानियाँ। कुछ बच्चे पशुओं की कहानियों का चयन करना चाहें तो दूसरे पक्षियों की कहानियाँ। फोटो शीर्षक प्रतियोगिता, पहेली प्रतियोगिता, ज्ञान-विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि भी कम रुचि के विषय नहीं हैं।

आजकल लगभग प्रत्येक पत्र-पत्रिकाओं में ज्ञान पहेली प्रकाशित होती हैं। विद्यार्थियों को अवस्थानुसार ज्ञान पहेली में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इसी प्रकार अनेक पत्रिकाओं में "शब्द-भंडार बढ़ाइए", "शब्द-सामर्थ्य विकसित कीजिए" शीर्षक से अनेक अर्थों में से शब्दों के सही अर्थ चुनने के लिए कहा जाता है। कक्षा में प्रतियोगिता के रूप में इस सामग्री का उपयोग करके विद्यार्थियों के शब्द-भंडार को विकसित किया जा सकता है। विज्ञान और तकनीकी प्रगति के इस युग में बालक को नई-नई वैज्ञानिक खोजों, नए-नए आविष्कारों से परिचित कराने के लिए पत्र-पत्रिकाओं का सार्थक उपयोग किया जा सकता है। किन्तु इस विषय में भी यह ध्यान रहे कि इस जानकारी का उद्देश्य बाल-मस्तिष्क को मात्र सूचनाओं से भर देना नहीं है अपितु उनके माध्यम से बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर उसे अपने पर्यावरण के अवलोकन की ओर प्रेरित करके उसमें स्वयं खोजी बनने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है।

पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाए ताकि उनमें चित्रों के आधार पर कहानी लिखने अथवा कहानी के आरंभिक अंशों के आधार पर कहानी लिखने की प्रवृत्ति विकसित हो। वे कहानी के विकास संबंधी प्रतियोगिताओं, चित्र बनाओ तथा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में भरसक भाग लें।

संभव है पठन रुचि के विस्तार के साथ-साथ विद्यार्थियों में स्वयं लेखन की इच्छा भी जाग्रत हो। आप इस दिशा में उन्हें यथासंभव प्रोत्साहित करें। वे किसी आपबीती घटना को, किसी रोचक संस्मरण अथवा और कुछ नहीं तो किसी चुटकुले को प्रकाशनार्थ भेजकर स्वयं लेखन का आरंभ कर सकते हैं। यदि प्रकाशनार्थ भेजना संभव न हो तो विद्यालय में भित्ति पत्रिका के माध्यम से बालकों की रचनाओं को प्रकाश में आने के अवसर दिए जा सकते हैं।

बालकों को समझाएँ कि अच्छे लेखन के लिए पर्याप्त अध्ययन की आवश्यकता होती है और इस संबंध में पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उन्हें बताएँ कि पत्र-पत्रिकाओं में महापुरुषों के संस्मरण, नेताओं, खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, संगीतज्ञों आदि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में समय-समय पर अत्यंत उपयोगी सामग्री प्रकाशित होती रहती है। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के विषय में फाइल बना लें और अपने लेखन कार्य में उनका उपयोग करें। आजकल कॉमिक्स, चित्रकथाओं आदि का अत्यंत प्रचलन है। इनके द्वारा हम पौराणिक गाथाओं, लोक कथाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में रोचक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बालकों को ऐसी चित्रकथाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। किन्तु साथ ही यह ध्यान रखें कि हिंसा, अपराध, घृणा, हत्या, चोरी, डकैती आदि चित्रकथाओं या कॉमिक्स को न पढ़ें। हमारा उद्देश्य बालक को मात्र पढ़ने के लिए ही प्रेरित करना नहीं है अपितु उसमें स्वस्थ-पठन रुचि का भी विकास करना है।

पत्र-पत्रिकाओं के पठन को अर्थवत्ता प्रदान करने की दृष्टि से उचित होगा कि आप विद्यार्थियों को पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ी रचनाओं को कक्षा में सुनाने के लिए प्रेरित करें और उनकी प्रस्तुति के आधार पर प्रशंसा करें, उन्हें पुरस्कृत करें।

स्वयं भी किसी पत्र-पत्रिका में प्रकाशित उपयोगी सामग्री के कुछ अंशों को कक्षा में सुनाएँ और शेष अंशों को पढ़ने के लिए पत्रिका का नाम, अंक आदि की सूचना दे दें। बाद में कक्षा में चर्चा द्वारा पता लगाएँ कि विद्यार्थियों ने वास्तव में उसे पढ़ा है या नहीं।

उपर्युक्त सभी सुझाव संकेत मात्र हैं। उपलब्ध सुविधाओं एवं अपने अनुभव के आधार पर आप स्वयं भी अनेक युक्तियाँ अपना सकते हैं।

अभ्यास कार्य	निर्देश
❑ पाँच-पाँच छात्राध्यापक मिलकर पत्र-पत्रिकाओं से उपयोगी सामग्री का चयन करें तथा उसे अपनी संस्था के बुलेटैन बोर्ड पर लगाएँ।	सामूहिक रूप से चयन एवं प्रदर्शन कीजिए
❑ बालोपयोगी पत्रिकाओं से चित्रमय कहानियाँ/घटनाएँ/ कविताएँ एकत्रित करें और उन्हें अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग में लाएँ।	चयन एवं प्रयोग कीजिए
❑ दो मासिक पत्रिकाओं तथा दो पाक्षिक पत्रिकाओं की आपस में तुलना करके बताएँ कि आपको कौन-सी मासिक पत्रिका तथा कौन-सी पाक्षिक पत्रिका अधिक उपयोगी लगी और क्यों?	तुलनात्मक अध्ययन और चर्चा कीजिए

सारांश

अब तक आपने सीखा :

1. पत्र-पत्रिकाएँ विद्यार्थियों में पठन रुचि एवं स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करने का सशक्त साधन हैं। साथ ही इनके द्वारा बालक का ज्ञान-क्षितिज विस्तृत होता है, विशेषतः ज्ञान-विज्ञान की दिन-प्रतिदिन बढ़ती प्रगति के युग में जब अध्यापक के लिए यह संभव नहीं कि वह समूचे ज्ञान को संगृहीत कर विद्यार्थी तक पहुँचा सके। छात्राध्यापक द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री का उचित उपयोग विद्यार्थियों की पठन रुचि के विकास एवं परिष्कार के साथ-साथ उनकी सर्जनात्मकता को भी प्रोत्साहित कर सकता है।
2. आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में बाल साहित्य के विषय में कुछ मतभेद हैं। उनके अनुसार हितोपदेश, पंचतंत्र, जातक कथाएँ आदि रचनाएँ बाल साहित्य के स्थान पर प्रौढ़ साहित्य अधिक हैं। किन्तु भारतीय संस्कृति की इस धरोहर को नकारना भी उचित नहीं है। बाल साहित्य में प्राचीन परंपराओं एवं नवीन वैज्ञानिक जानकारियों का समन्वित उपयोग उचित होगा।
3. नंदन, पराग, चंदामामा, बालहंस आदि कुछ प्रमुख बालोपयोगी पत्रिकाएँ हैं। इनके अतिरिक्त भी देश में अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं।
4. पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री का बालोपयोगिता की दृष्टि से चयन करने में छात्राध्यापकों को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। सामग्री का चयन करने के साथ-साथ वे उसे विषयानुसार बाँटकर फाइलें बना लें ताकि कक्षा शिक्षण में उनका यथावसर उपयोग कर सकें।
5. विद्यार्थियों में पठन रुचि विकसित करने के लिए उन्हें पत्रिकाओं द्वारा आयोजित चित्र-कथा, कहानी, ज्ञान-पहेली, फोटो-शीर्षक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें स्वयं भी पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ लेखन के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसकी शुरूआत भित्ति पत्रिका के लिए रचना-लेखन द्वारा की जा सकती है।

6. विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर प्रकाशित सामग्री को काटकर फाइल बनाने के लिए प्रेरित करें और बताएँ कि ऐसी सामग्री उनके लेखन कार्य में उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

मूल्यांकन

1. आपके अनुसार पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं?
2. पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली सामग्री के विभिन्न प्रकारों पर विस्तृत टिप्पणी लिखें।
3. पत्र-पत्रिकाओं से सामग्री के चयन का क्या महत्त्व है? आप किस प्रकार की सामग्री का चयन बालोपयोगी समझते हैं?
4. आप बालोपयोगी सामग्री के चयन के लिए क्या योजना अपनाएंगे तथा कक्षा शिक्षण में उस सामग्री का किस प्रकार उपयोग करेंगे?
5. आप पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से किस प्रकार विद्यार्थियों की सर्जनात्मकता को बढ़ावा देंगे?
6. मॉड्यूल में उल्लिखित पत्रिकाओं के अतिरिक्त किन्ही दो पत्रिकाओं के नाम बताएँ और उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

संदर्भ पुस्तकें

1. किशोरी लाल शर्मा (1987) : उच्चारण अभ्यास पुस्तिका, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा।
2. केंद्रीय हिंदी निदेशालय (1983) : देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली।
3. केंद्रीय हिंदी संस्थान (1967) : हिंदी की आधारभूत शब्दावली, (सं.) वी.ए. जगन्नाथन, आगरा।
4. केंद्रीय हिंदी संस्थान (1969) : भाषा विज्ञान तथा भाषा शिक्षण, आगरा।
5. केंद्रीय हिंदी संस्थान (1990) : शब्द अध्ययन और समस्याएँ, (सं.) सुरेश कुमार, आगरा।
6. कैलाश चन्द्र भाटिया (1968) : हिंदी की बेसिक शब्दावली, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
7. कैलाश चन्द्र भाटिया (1970) : हिंदी में अक्षर तथा शब्द की सीमा, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।
8. कैलाश चन्द्र भाटिया (1986) : संक्षेपण और विस्तारण, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।
9. कृष्ण गोपाल रस्तोगी (1973) : भाषा संप्राप्ति मूल्यांकन, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा।
10. कृष्ण गोपाल रस्तोगी (1996) : भाषा शिक्षण—निदान और उपचार, रा.शै.अ.प्र. परिषद्, नई दिल्ली।
11. गोलोक बिहारी धूल (1975) : ध्वनि विज्ञान, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
12. जयनारायण कौशिक (1987) : हिंदी शिक्षण, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़।
13. ज्ञान मंडल (1985) : हिंदी साहित्य कोश, भाग-1 तथा 2, तृतीय संस्करण, वाराणसी
14. ज्ञान मंडल (वि.सं. 2008) : पौराणिक कोश।
15. डॉ. धीरेन्द्र वर्मा (वि.सं. 2020) : हिंदी साहित्य कोश।
16. एन. के. जाँगीरा, ए.अहूजा एवं आई. शर्मा (1992) : एजूकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद सीइंग प्रॉबलेमज़—फोकस ऑन रिमेनिंग साईट, सैंट्रल रिसोर्स सैंटर (पी.आई.ई.डी.) एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली।
17. नागरी प्रचारिणी सभा (1968) : हिंदी विश्वकोश, भाग 1-12, वाराणसी।
18. नगेन्द्र (सं.) (1981) : भारतीय साहित्य कोश, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली।
19. एन.सी.ई.आर.टी. (1970) : प्रेपेरेशन एण्ड इवैल्यूएशन ऑफ टैक्सटबुक्स इन मदरटंग—प्रिंसीपलज़ एण्ड प्रोसीजरज़, नई दिल्ली।
20. एन.सी.ई.आर.टी. (1966, 1972) : टीचिंग रीडिंग—ए चैलेन्ज, नई दिल्ली।
21. एन.सी.ई.आर.टी. (1982) : चिल्ड्रन लिटरेचर—प्रेपेरेशन एण्ड इवैल्यूएशन, नई दिल्ली।

22. एन.सी.ई.आर.टी. (1986) : यूज ऑफ एजूकेशन बरॉडकास्टिंग (रेडियो) फॉर दी इनसर्विस एजूकेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्ज़, नई दिल्ली।

23. एन.सी.ई.आर.टी. (1966) : पठन आरंभ योग्यता-निर्माण—अध्यापक दर्शिका, नई दिल्ली।

24. एन.सी.ई.आर.टी. (1973) : हिंदी की कुछ शिक्षण इकाइयाँ, भाग—1 और 2, नई दिल्ली।

25. एन.सी.ई.आर.टी. (1985) : सरल हिंदी व्याकरण और रचना, (सं.) निरंजन कुमार सिंह, रामजन्म शर्मा और अनिरुद्ध राय, नई दिल्ली।

26. एन.सी.ई.आर.टी. (1980) : प्राथमिक कक्षाओं का पठन शब्द भंडार, (सं.) विमलेश आनंद, नई दिल्ली।

27. एन.सी.ई.आर.टी. (1990) : हिंदी साहित्य का इतिहास, नई दिल्ली।

28. एन.सी.ई.आर.टी. (1991) : हिंदी व्याकरण और रचना, (सं.) अनिरुद्ध राय, नई दिल्ली।

29. एन.सी.ई.आर.टी. (1991) : प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट, नई दिल्ली।

30. निरंजन कुमार सिंह (1991) : माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, राजस्थान ग्रंथ अकादमी, जयपुर।

31. प्रेमलता शर्मा (1988) : अध्यापकों के लिए समेकित शिक्षा दर्शिका—विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता हेतु, रा.शै.अनु. और प्र. परिषद्, नई दिल्ली।

32. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1986) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत सरकार, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।

33. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1986) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति—कार्यक्रम का क्रियान्वयन, भारत सरकार, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।

34. रमानाथ सहाय और कैलाश चन्द्र भाटिया (1991) : मानक हिंदी व्याकरण और रचना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

35. रविकान्ता चोपड़ा (1978) : पठन, पाठ क्रमांक 5 (ए) 8.0, पत्र-व्यवहार तथा संपर्क पाठ्यक्रम, रा. शै. अनु. और प्र. परिषद्, नई दिल्ली।

36. रविकान्ता चोपड़ा (1993) : इनोवेटिव प्रैक्टिसिज़ इन लैंग्यूएज टीचिंग—ए रिव्यू, इन आर.पी. सिंह (सं.), इण्डियन एजूकेशन : इन डैप्थ स्टडीज़, कॉमनवैल्थ पब्लिशर्ज़, नई दिल्ली।

37. लक्ष्मी नारायण शर्मा (1983) : देवनागरी लेखन तथा हिंदी वर्तनी व्यवस्था, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा।

38. शिक्षा प्रसार विभाग (1967) : शिक्षा के नए माध्यम, म.गा. मार्ग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

39. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (1966) : शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66, नई दिल्ली।

40. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (1969) : रिपोर्ट ऑफ दी कमेटी ऑन टैक्सटबुक्स, नई दिल्ली।

41. हिंदी अकादमी (1988) : हिंदी साहित्यकार निर्देशिका, दिल्ली।

42. हिंदी भवन (1988) : भारतीय इतिहास कोश, लखनऊ।